लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

(खण्ड 27 में अंक 21 से 32 तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB 025
Block 'G'
Acc. No. 63
Dated 1 May 2008

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

(तीन) कोयला और इस्पात मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री राम विलास पासवान 531

(चार) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 178वें, 180वें और 190वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री संतोष मोहन देव 531-532

(पांच) ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006–2007) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 532-533

(छह) विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006–2007) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 169वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री कपिल सिब्बल 533-534

सभा का कार्य 534-535

लाभ के पद से संबंधित संवैधानिक और विधिक स्थिति की जांच करने हेतु संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव 535-536

नियम 377 के अधीन मामले 538-548

(एक) असम के गोलपाड़ा और धुबरी जिलों में व्यापार केन्द्र शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री अनवर हुसैन 537-538

(दो) कर्नाटक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक अनुमोदन दिए जाने तथा धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी 538

(तीन) गुजरात के अमरेली जिले में नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री वी.के. ठुम्मर 538-539

(चार) दुग्ध उत्पादकों तथा हिमालय को–ओपरेटिव मिल्क (एच आई एम यू एल), पश्चिम बंगाल में कार्यरत कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से इस संगठन का नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड द्वारा अधिग्रहण किए जाने की आवश्यकता

श्री डी. नरबुला 539

(पांच) केवल "ड्रमस्टिक" (मोरिंगा टिंक्टोरिया) के लिए ही राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान स्थापित करने हेतु तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय को धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री एस.के. खारवेनथन 539-540

(छह) देश में चौकीदार रहित रेल समपार को चौकीदार युक्त रेल समपार बनाये जाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन 540-541

(सात) पोतों के आयात पर मूल सीमा शुल्क हटाए जाने की आवश्यकता

श्री काशीराम राणा 541

(आठ) मध्य प्रदेश में पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल में बरछा और काला पीपल रेलवे स्टेशनों पर ऊपरिपुल के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री थावरचन्द गेहलोत 541

(नौ) ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के संवर्द्धन हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित किए जाने की आवश्यकता

श्री सी.एच. विजयशंकर 541-542

(दस) मध्य प्रदेश के सागर में बीना रेलवे स्टेशन पर भोपाल–दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस को ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार 542-543

(ग्यारह) ग्रामीण भारत के उत्थान हेतु आई आर डी पी के अंतर्गत एक विकास कार्यक्रम तैयार किए जाने की आवश्यकता

डा. सत्यनारायण जटिया 543

(बारह) देश में जनजातीय भूमि के हस्तांतरण पर श्री बी.एन. युगान्धर की अध्यक्षता में बने विशेषज्ञ दल के प्रतिवेदन को सार्वजनिक किए जाने की आवश्यकता

डा. बाबू राम मिडियम 543-544

(तेरह) पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लोगों की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए दक्षिण–पूर्वी रेलवे में तामलुक–दीघा रेल लाइन का जालेश्वर तक विस्तार किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रशांत प्रधान 544

(चौदह) उत्तर प्रदेश के चायल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से वहां हैंड पम्प लगाए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार 544

(पन्द्रह) देश में गरीबी उपशमन कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता

श्री रामजीलाल सुमन 545

(सोलह) बिहार में गरीबी रेखा से नीचे की सूची की समीक्षा और पुनरीक्षण किए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव 545-546

(सत्रह) तमिलनाडु में नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर फार्मा एजुकेशन एण्ड रिसर्च के समतुल्य एक राष्ट्रीय संस्थान खोले जाने की आवश्यकता

श्री ई. जी. सुगावनम 546

(अठारह) झारखंड में दामोदर नदी डाइवर्जन प्रोजेक्ट को शीघ्र चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री टेक लाल महतो 546-541

(उन्नीस) पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय की "डेस्टिनेशन डेवलपमेंट स्कीम" में इदुक्की गार्डन प्रोजेक्ट को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री फ्रांसिस के. जार्ज 547

(बीस) जनगणना में सभी जातियों के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास आठवले 547-548

सरकारी विधेयक 548-553

(एक) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2006 (अनुसूची का संशोधन) 548-550

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्रीमती मीरा कुमार

खण्ड 2 और 1

पारित करने जाने के लिए प्रस्ताव

(दो) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2006 550-552

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम

खण्ड 2 से 5 और 1

पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव

(तीन) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2007 552-553

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी

खण्ड 2 से 5 और 1

पारित करने जाने के लिए प्रस्ताव

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका (11.5.2007) 553

तारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका (14.5.2007) 556

अतारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका (11.5.2007) 557-561

अतारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका (14.5.2007) 561-564

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका (11.5.2007) 565-566

तारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका (14.5.2007) 565-566

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका (11.5.2007) 565-568

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका (14.5.2007) 567-570

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

सोमवार, 14 मई, 2007/24 वैशाख, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

*(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महासचिव शपथ लेने वाले माननीय सदस्य का नाम पुकारेंगे।

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

[हिन्दी]

श्री भाई लाल (राबर्ट्सगंज)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न काल शुरू करते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक–एक करके बोलिए। मैं सबकी बात सुनूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडु, मैं अभी आपकी बात सुनूंगा।

जी हां, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, मारन साहब के इस्तीफे के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं अभी आपकी बात सुनूंगा।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

(इस समय डा. एम. जगन्नाथ आए और सभा–पटल के निकट खड़े हो गए)

अध्यक्ष महोदय : अपने स्थान पर जाइए। मैं आपकी बात सुनूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, मारन साहब के इस्तीफे के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। . ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह निर्णय उन्हें करना है। जी नहीं, मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र सरकार ने 'गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल' के पंचाट का उल्लंघन करते हुए बबली बांध और दस अन्य परियोजनाओं संबंधी निर्माण कार्य शुरू कर दिया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूंगा। कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

(इस समय डा. एम जगन्नाथ अपने स्थान पर वापस चले गए।)

श्री किन्जरपु येरननायडु : इसके अतिरिक्त, श्रीराम सागर प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमें एक बूंद पानी भी नहीं मिल रहा है। श्रीराम सागर प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम 18 लाख एकड़ भूमि पर खेती कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस मामले को उठाने की अनुमति मैं आपको 12 बजे दूंगा।

श्री किन्जरपु येरननायडु : जी, नहीं। महोदय।

महोदय, पूरे राज्य में पांच लाख किसान प्रभावित हैं। महोदय, 5,000 किसान जन्तर मंतर पर प्रदर्शन और धरना दे रहे हैं। श्री चन्द्रबाबू नायडु भी इस प्रदर्शन और धरने में भाग ले रहे हैं। यह एक गंभीर मामला है। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और महाराष्ट्र सरकार से सभी गैरकानूनी परियोजनाओं को बंद करने के लिए कहना चाहिए। यह आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए जिन्दगी और मौत का सवाल है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, मैं इस मामले के महत्व को समझता हूं। मैं इसके महत्व को कम नहीं कर रहा। अपने इस मामले को उठाया है।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

(इस समय डा. एम. जगन्नाथ आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

अध्यक्ष महोदय : यहां आने से आपकी बात का महत्व बढ़ नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामला है। हमारे किसानों का क्या होगा? हमारा राज्य निम्न नदी तटवर्ती राज्य है। उच्च नदी तटवर्ती राज्य महाराष्ट्र इन सभी मानकों का उल्लंघन कर रहा है। भारत सरकार इन दो राज्यों के विवाद पर मूक दर्शक बनी हुई है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे उचित रीति से उठाया जाना चाहिए। मैं आपको रोकूंगा नहीं। मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि कार्यवाही–वृतांत में कुछ भी सम्मिलित शामिल नहीं किया जा रहा है। आपकी टिप्पणियों को कर्यावाही–वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है। कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी शामिल मत कीजिए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको पूरा अवसर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक भी शब्द कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं कीजिए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट। कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए। मैं आपसे अपने स्थान पर वापस जाने का अनुरोध करता हूं।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

(इस समय डा. एम. जगन्नाथ अपने स्थान पर वापस चले गए)

अध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा हूं, तो आप कृपया बैठ जाइए। क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे? कृपया संसद की गरिमा को बनाए रखें। यह केवल मेरे लिए नहीं अपितु संसद के लिए है। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि आपने विलंबन के लिए सूचना दी है। मैंने आपको बुलाया। मुझे यह मामला सुनने दीजिए। यदि आप सभी यहां आ जाएंगे, तो कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कुछ भी सुनाई नहीं देगा। अतः, अपने युवा सदस्य को कहें कि वह भावुकता में बहकर आगे न आएं। अब, बोलिए।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री किन्जरपु येरननायडु : अध्यक्ष महोदय, अब महाराष्ट्र सरकार गोदावरी नदी पर अन्य सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य कर रही है। वे समझौते का उल्लंघन कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री येरननायडु का भाषण कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, यह केवल एक राज्य का मामला नहीं है। यह दो राज्यों के बीच हुआ समझौता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : महोदय, यह राज्य का मामला है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री, इसका निर्णय अध्यक्षपीठ करेगी। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए ...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु : आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री, श्री चेन्ना रेड्डी तथा महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री, श्री वाई.बी. चव्हाण ने एक समझौता किया था। अब वे समझौते से विमुख हो रहे हैं। वे समझौते का उल्लंघन कर रहे हैं। महोदय, इसको देखते हुए, श्रीराम सागर प्रोजेक्ट के अंतर्गत 18 लाख एकड़ ...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.05 बजे

(इस समय डा. एम. जगन्नाथ और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा–पटल के निकट खड़े हो गए।)

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, हमारा राज्य नदी तटवर्ती राज्य है। यह किसानों की समस्या है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल मत कीजिए। 'वैल' से कही गई कोई भी बात कार्यवाही–वृत्तांत में शामिल नहीं की जाएगी

...*(व्यवधान)**

श्री किन्जरपु येरननायडु : यहां तक कि हजारों किसान आए . ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित मत कीजिए। जब तक वे अपने–अपने स्थानों पर वापस नहीं जाते, तब तक कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडु, जब तक आपके सहयोगी अपने

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

स्थानों पर वापस नहीं जाते, तब तक कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडु, जब तक आपके सहयोगी अपने स्थानों पर वापस नहीं जाते, तब तक कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : एक शब्द भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सभा पूर्वाह्न 11.20 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बज कर बीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

पूर्वाह्न 11.20 बजे

लोक सभा पूर्वाह्न 11.20 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री येरननायडु। मेरा आपसे एक अनुरोध है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ मामलों में आपकी भावना बहुत ही प्रबल है मैं इसके लिए अनुमति दूंगा। हालांकि, मैं यह बताने में सक्षम नहीं हूं कि क्या यह राज्य से संबंधित मामला है या कुछ और। फिर भी आप जो कहना चाहते हैं उसे हमें सुनना चाहिए क्योंकि इस मामले में आपकी भावना बहुत ही प्रबल है। उसके बाद ही मैं अपना निर्णय दे पाऊंगा।

...(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु : अध्यक्ष महोदय, *...(व्यवधान)*

डा. सी. कृष्णन : महोदय, चेन्नै में हत्याएं हुई हैं *...(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र सरकार .. *.(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया सरकार के विरुद्ध कोई आरोप मत लगाइए।

...(व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री किन्जरपु येरननायडु : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र सरकार बबली परियोजना और 10 अन्य परियोजनाएं अवैध तरीके से बना रही हैं *...(व्यवधान)* इस तरह वह 65 टीएमसी पानी का उपभोग करना चाहती है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में निर्णय करूंगा। कृपया इस मामले को मेरे पास लाइए, और मैं इस बारे में निर्णय करूंगा।

...(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु : यदि महाराष्ट्र सरकार 65 टी एम सी पानी का उपयोग करना चाहती है, तो श्रीराम परियोजना सूख जाएगी। तेलंगाना में लगभग सात जिलों और 18 लाख एकड़ भूमि क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध नहीं हो सकेगा, और सिंचाई के लिए पानी *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडु, क्या यह मामला न्यायालय में चल रहा है?

...(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु : केन्द्रीय जल आयोग ने भी इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को दिशा निर्देश दिया है। फिर भी, वह बबली डैम का निर्माण कर रही है। उसने 10 अन्य परियोजनाओं का कार्य भी ठेकेदारों को दिया है और उन्होंने उन कार्यों को करना भी शुरू कर दिया है *...(व्यवधान)* अब, यह सवाल आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए जिन्दगी और मौत का सवाल बन गया है। अतः भारत सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए।

इस देश के प्रधानमंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि वे तीन दिनों के अंदर दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाएंगे। प्रधानमंत्री उस बैठक को बुलाने में असफल रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आज की कार्यसूची में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और सभा में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की जानी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह आश्वासन 31 मार्च को आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री और विपक्ष के नेता के सामने दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में, पूरे आंध्र प्रदेश से लगभग 5000 लोग आए थे, और उन्होंने धरना दिया था *...(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

निर्यातकों द्वारा "हवाला" का उपयोग

522. श्री एम अंजन कुमार यादव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यातकों द्वारा अधिक मूल्यांकन किए जाने के कितने मामले पकड़े गए;

(ख) इन मामलों में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या नकली पहचान बनाकर विदेशों से भेजी गई धनराशि लाने के लिए घरेलू बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के लिए निर्यातकों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या निर्यातक विदेशों से भेजी गई धनराशि लाने के लिए "हवाला" का भी प्रयोग कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) विगत तीन वर्षों (2004–05 से 2006–07) के दौरान निर्यात वाले माल के अधिक मूल्यांकन के 201 मामलों का पता लगाया गया है जिनमें निर्यात प्रोत्साहन स्कीमों के अंतर्गत 1290.13 करोड़ रु. का गलत लाभ लिया गया है। ऐसे मामलों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	मामलों की संख्या	शामिल राशि (करोड़ रु. में)
2004–05	84	143.97
2005–06	70	118.28
2006–07	47	1027.88

(ख) सरकार ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई की है जिसमें जुर्माना/अर्थदंड और निर्यात प्रोत्साहन के गलत लाभवाली राशि की वसूली शामिल हैं। कुछ मामलों में निर्यात प्रोत्साहन के गलत लाभ के प्रयास को विफल कर दिया गया और सीमा शुल्क प्राधिकरण/विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा निर्यात प्रोत्साहन को रोक दिया गया। उपर्युक्त मामलों में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत 60 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

(ग) और (घ) भारत में नकली पहचान बनाकर अर्थात गैर अस्तित्व वाले फार्मों/व्यक्तियों के नाम से विदेशों से भेजी गई धनराशि लाने के लिए घरेलू बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के लिए किसी निर्यातक के विरुद्ध शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

(ङ) और (च) जी, हां। सरकार ने वर्ष 2005–06 के दौरान विदेश से भेजी गई धनराशि लाने हेतु हवाला का उपयोग करने के लिए चार निर्यातकों के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया है। इस मामले में न्याय–निर्णयन कार्यवाहियां (एफ ई एम ए, 1999 के अंतर्गत) चल रही हैं।

मकानों की कमी

523. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मकानों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो दसवीं योजना के अंत तक मकानों की अनुमानित कमी कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने ग्यारहवीं योजना अवधि में मकानों के निर्माण के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की में राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) जी, हां। शहरी आवासों की कमी का अनुमान लगाने के लिए सरकार द्वारा एक तकनीकी दल का गठन किया गया था। इस दल ने दसवीं योजना के अंत में देश के शहरी क्षेत्रों में 24.71 मिलियन आवासों की कमी का अनुमान लगाया है।

(ग) से (ङ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार आवास से संबंधित मामला राज्यों को आबंटित किया गया है। तथापि, भारत सरकार ने शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) के अंतर्ग 63 चुनिंदा शहरों के लिए मिशन मोड में आवास और अवस्थापना सेवाओं की कमी की समस्या से निपटने के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शुरू किया है। शेष शहरों के लिए जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) नामक स्कीम भी शुरू की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत सहायता के घटक में मकानों का उन्नयन एवं नया निर्माण और स्लम सुधार के भाग के रूप में जल आपूर्ति तथा सफाई व्यवस्था जैसी अवस्थापना सुविधाएं शामिल हैं। बीएसयूपी और आईएचएसडीपी दोनों ही मांग आधारित स्कीमें हैं और लक्ष्यों का निर्धारण तथा प्रगति की मात्रा, राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों द्वार प्रस्तुत प्रस्तावों पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2007–08 के बजट में समाज के में कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए आवास को बढ़ावा देने के लिए ब्याज सब्सिडी स्कीम के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि नियत की गई है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007–2012) के लिए स्लमों के उन्नयन पर केन्द्रित शहरी आवास संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट के अनुसार ग्यारहवीं योजना अवधि के प्रारंभ में आवास की कमी को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि के रूप में 147195.00 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है।

पेयजल आपूर्ति अवसंरचना योजना

524. श्री हरिन पाठक : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में "सस्टेनेबल कम्युनिटी मैनेज्ड ड्रिंकिंग सप्लाई इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर रूरल एरियाज ऑफ बैकवर्ड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स" नामक कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से इस योजना के अंतर्गत कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सभी प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इन्हें कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (छ) जी, नहीं। भारत सरकार देश में "सस्टेनेबल कम्युनिटी मैनेज्ड ड्रिंकिंग सप्लाई इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर रूरल एरियाज ऑफ बैकवर्ड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स" नामक कोई योजना कार्यान्वित नहीं करती है। तथापि, गुजरात सरकार ने 2006 में "सस्टेनेबल कम्युनिटी मैनेज्ड ड्रिंकिंग सप्लाई इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर रूरल एरियाज ऑफ बैकवर्ड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंचमहल एंड दाहौद इन गुजरात स्टेट" नामक एक प्रस्ताव वर्ष 2008-09 के लिए जापानी सहायता अनुदान कार्यक्रम से संभावित विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया था। पेयजल आपूर्ति विभाग द्वारा आर्थिक कार्य विभाग को इस परियोजना की सिफारिश की गई थी। आर्थिक कार्य विभाग ने जानकारी दी कि यह परियोजना जापान बैंक ऑफ इन्टरनेशनल को-ऑपरेशन से ओडीए ऋण प्राप्त करने के उपयुक्त नहीं पाई गई।

[हिन्दी]

बीमा कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें

522. श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष निजी तथा सरकारी क्षेत्र की बीमा कम्पनियों के विरुद्ध कितनी एवं किस प्रकार की शिकायतें कंपनी-वार प्राप्त हुई;

(ख) क्या सरकार ने इन कंपनियों के विरुद्ध कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) उन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान, बीमा कंपनियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें संलग्न विवरण में दी गई हैं। इसके अतिरिक्त, आईआरडीए ने सूचित किया है कि गैर-जीवन कंपनियों के संबंध में दावों का निपटान नहीं होने/निपटान में विलम्ब, दावों का निराकरण करने/आंशिक निपटान, पॉलिसी से संबंधित मामलों इत्यादि और जीवन कंपनियों के संबंध में पॉलिसी में परिवर्तन, पॉलिसी बांड का प्राप्त न होने, समाप्त हो चुकी पॉलिसियों को फिर से चालू न करने, पॉलिसी रिकार्ड के अंतरण में विलम्ब, दावों/वार्षिकी/अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान न होने और दावों का निराकरण करने से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) आईआरडीए ने सूचित किया है कि उसने बीमा कंपनी के विरुद्ध कोई जांच नहीं की है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

गैर-जीवन बीमा कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें

क्रम संख्या	कंपनी	प्राप्त शिकायतों की संख्या		
		2004-05	2005-06	2006-07 (अनन्तिम)
1	2	3	4	5
1.	दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	283	223	164
2.	दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	433	371	336
3.	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	442	370	286
4.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	413	362	322

1	2	3	4	5
5.	ईसीजीसी ऑफ इंडिया	1	3	1
	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कुल	1572	1329	1109
6.	बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	35	29	75
7.	टाटा–एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	28	35	85
8.	रायल सुन्दरम एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	27	24	54
9.	इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	16	8	28
10.	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4	0	13
11.	चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	8	11	13
12.	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	34	76	228
13.	एचडीएफसी चब्ब जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	8	13	13
14.	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1	2	0
	सार्वजनिक कंपनियों का कुल	161	198	509
	कुल (गैर–जीवन)	1733	1527	1618

जीवन बीमा कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें

क्रम संख्या	कंपनी	प्राप्त शिकायतों की संख्या		
		2004–05	2005–06	2006–07 (अनंतिम)
1	2	3	4	5
1.	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	54	96	31
2.	रिलायंज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	0	8	10
3.	टाटा–एआईजी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	51	82	32
4.	मैक्स न्यू यॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	29	38	22
5.	अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	24	38	43
6.	बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	33	48	29
7.	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	38	77	68
8.	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	68	122	84
9.	मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	6	9	6
10.	सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	0	0	1
11.	बजाज एलायंज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	67	114	145
12.	कोटक महेन्द्रा ओल्ड म्यूचल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	11	26	23

1	2	3	4	5
13.	आईएनजी वैश्य लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	14	15	12
14.	भारतीय जीवन बीमा निगम	498	718	354
15.	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	0	0	1
16.	एएमपी संमार लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	6	0	0
17.	भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	0	0	0
	कुल	899	1391	861

[अनुवाद]

मतदाता पहचान पत्र

***526. श्री एस. के. खारवेन्थन : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य अभी भी मतदाता पहचान पत्र जारी करने में पिछड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में मतदान के योग्य नागरिकों को मतदाता पहचान पत्र जारी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या कुछ राज्यों में मतदाता पहचान पत्र तैयार करने में अनियमितताएं बरतने की बात सरकार के ध्यान में आई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) जी, हां। भारत निर्वाचन आयोग ने यह सूचित किया है कि यद्यपि निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) को तैयार करने का कार्य अभी असम राज्य में आरंभ नहीं हुआ है और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड राज्य भी अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ रहे हैं। निर्वाचकों को ईपीआईसी जारी करने की वर्तमान प्रास्थिति को दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। यह देखा जा सकता है कि देश के लगभग 73% निर्वाचकों को ये ईपीआईसी जारी कर दिए गए हैं।

असम में, ईपीआईसी तैयार करने का कार्य अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ 1993-94 के दौरान प्रथम चरण में आरंभ हुआ था किंतु इसे विभिन्न संगठनों के कड़े विरोध के कारण निलंबित करना पड़ा था।

मणिपुर में ईपीआईसी तैयार करने का कार्य 1993 से आरंभ किया गया था और यह 1996 तक जारी रहा। लगभग 10 लाख पत्र तैयार किए गए थे किंतु कतिपय प्रतिकूल क्षेत्रीय परिस्थितियों और भूमिगत तत्वों द्वारा पत्र छिने जाने या नष्ट किए जाने की रिपोर्टों के कारण इस कार्य को रोकना पड़ा था। यह कार्य जून, 2004 में पुनः प्रारंभ किया गया था किंतु कुछ भूमिगत तत्वों द्वारा बाधित किए जाने के कारण कार्यक्रम को पुनः निलंबित कर दिया गया था।

अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी अवसंरचना की कमी और निर्वाचकों की उदासीनता के कारण वांछित प्रगति नहीं की जा सकी थी। नागालैंड में 1.1.2005 की अर्हक तारीख के साथ निर्वाचक नामावलियों के गहन पुनरीक्षण के पूर्व लगभग 57% निर्वाचकों को ईपीआईसी जारी कर दिए गए थे। गहन पुनरीक्षण के समय घर-घर दौरा करने के दौरान अनेक घरों के सदस्यों द्वारा परिगणकों को ईपीआईसी दिखाए नहीं गए थे। अतः, अनेक पहचान पत्रों की संख्या को निर्वाचक नामावली डाटा बेस में सम्मिलित नहीं किया जा सका था और निर्वाचक नामावली डाटा बेस में उपदर्शित जारी किए गए ईपीआईसी का प्रतिशत घटकर 45.47 प्रतिशत रह गया है।

(ग) राज्यों को तेजी से ईपीआईसी अभियान चलाने का निदेश दिया गया है। एक अन्य रास्ता, जिससे इस समस्या का समाधान किया जा रहा है, वह है निर्वाचकों के फोटो अंतर्विष्ट करने वाली फोटो निर्वाचक नामावलियों को तैयार करना। केरल और हरियाणा में एक अग्रणी परियोजना आरंभ की गई थी और परिणाम उत्साह जनक थे। तत्पश्चात्, 2005 के पुनरीक्षण के दौरान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के एक-एक निर्वाचन क्षेत्र; हरियाणा के 2 निर्वाचन क्षेत्रों; पुडुचेरी के सभी 30 निर्वाचन क्षेत्रों और केरल के सभी 140 निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचकों के फोटो प्रकाशित किए गए थे। इस स्कीम को शनैः शनैः देश के अन्य भागों में विस्तारित किया जा रहा है। 2006 के पुनरीक्षण के दौरान हरियाणा के शेष 88 निर्वाचन क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश के 5 और निर्वाचन क्षेत्रों, गुजरात के 14 निर्वाचन क्षेत्रों; राजस्थान के 52 निर्वाचन क्षेत्रों और पश्चिमी बंगाल के 46 निर्वाचन क्षेत्रों को इस स्कीम के अंतर्गत लाया गया था। 2007 के चालू पुनरीक्षण के दौरान, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित सभी निर्वाचन क्षेत्रों तथा राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के शेष

निर्वाचन क्षेत्रों को फोटो नामावली के अंतर्गत लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्यों को आंशिक रूप से इसके अंतर्गत लाया जाएगा, अर्थात् आंध्र प्रदेश के 13 निर्वाचन क्षेत्रों, बिहार के 5 निर्वाचन क्षेत्रों, झारखंड के 5 निर्वाचन क्षेत्रों और पश्चिमी बंगाल के 15 निर्वाचन क्षेत्रों। आयोग वर्ष 2009 तक संपूर्ण देश को फोटो रोल के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव करता है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में, पूरे वर्ष निर्वाचक नामावलियों के रजिस्ट्रीकरण और ईपीआईसी जारी करने के लिए 70 निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक स्थायी मतदाता रजिस्ट्रीकरण और निर्वाचक फोटो पहचान पत्र केन्द्र (वीआरईसी) गठित किए जा रहे हैं। अभी तक राष्ट्रीय राज्यक्षेत्र दिल्ली में ऐसे छह केन्द्र खोले गए हैं।

(घ) और (ङ) बहुत अधिक संख्या में त्रुटिपूर्ण ईपीआईसी जारी करने के मामले आयोग की सूचना में नहीं आए है, यद्यपि ऐसे मामले होते हैं जहां विशिष्टियां गलत लिखी जाती है या फोटो अदल–बदल जाते हैं, किंतु ऐसे मामलों को स्थानीय अधिकारियों द्वारा त्रुटि दूर करने के लिए भेजा जाता है। मतदाता पहचान पत्रों को तैयार करने और उनके वितरण में अनियमितताओं के कुछ मामले आयोग की सूचना में आए हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में, ईपीआईसी कूड़े के ढेर में पाए गए थे। जिला निर्वाचन अधिकारी, वाराणसी ने इन अनियमितताओं की सम्यक् रूप से जांच की थी। चूक के लिए सभी उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ की गई है। पांच लेखपालों को निलंबित किया गया है और ८ लेखपालों के विरुद्ध कार्रवाई आरम्भ की गई है। इसके अतिरिक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी – सह – डीमए, वाराणसी ने एक सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, एक तहसीलदार और एक उप जिला निर्वाचन अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ करने के आदेश दिए हैं।

दिल्ली में, 25, नांगलोई जाट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 10,415 निर्वाचकों को द्वितीय विलक्षण संख्यांक वाले ईपीआईसी जारी करने का एक मामला भी सूचना में आया था। राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की सरकार को संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और उप–मंडलीय मजिस्ट्रेट (निर्वाचन) के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ करने का निदेश दिया गया है।

गोवा में पहचान पत्रों को तैयार करते समय विभिन्न घरों के अनेक व्यक्तियों की पहचान को किसी एक व्यक्ति द्वारा सत्यापित करने की एक घटना जानकारी में आई थी। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए तुरंत उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।

विवरण

निर्वाचकों के फोटो पहचान पत्र की प्रगति के लिए प्रास्थिति

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तारीख 1.1.2006 की नामावली के संबंध में कुल साधारण निर्वाचक	निर्वाचक जिन्हें त्रुटिपूर्ण पहचान पत्र जारी किए गए	जारी किए गए निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों का प्रतिशत (स्तंभ 3 और 4)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	53,571,192	37,819,815	70.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	672,916	290,206	43.13
3.	असम#	17,410,558	0	00.0
4.	बिहार	52,541,922	40,770,747	77.60
5.	छत्तीसगढ़	13,999,848	7,523,074	53.74
6.	गोवा	994,079	574,320	57.77
7.	गुजरात	36,477,199	22,779,669	62.45
8.	हरियाणा	12,317,361	10,742,934	87.22
9.	हिमाचल प्रदेश	4,163,518	3,044,117	73.11
10.	जम्मू–कश्मीर	6,284,658	4,282,831	68.15
11.	झारखंड	17,873,713	11,360,772	63.56

1	2	3	4	5
12.	कर्नाटक	41,610,955	32,069,242	77.07
13.	केरल	21,423,866	21,423,866	100.00
14.	मध्य प्रदेश	38,446,833	28,345,993	73.73
15.	महाराष्ट्र	66,438,515	44,455,999	66.91
16.	मणिपुर^^	1,701,401	762,081	44.79
17.	मेघालय	1,339,181	709.309	52.97
18.	मिजोरम	565,094	477,099	84.43
19.	नागालैंड	1,268,359	576,725	45.47
20.	उड़ीसा^^	27,235,112	19,661,504	72.19
21.	पंजाब^^	16,859,720	15,693,997	93.09
22.	राजस्थान	34,679,671	28,394,555	81.88
23.	सिक्किम	294,223	229,004	77.83
24.	तमिलनाडु	46,304,764	35,021,297	75.63
25.	त्रिपुरा	2,106,093	1,438,100	68.28
26.	उत्तर प्रदेश^^	114,344,263	86,581,421	75.72
27.	उत्तराखंड^^	5,961,350	5,177,177	86.85
28.	पश्चिम बंगाल	48,112,642	45,760,610	95.11
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	254,809	214,241	84.08
30.	चंडीगढ़	572,662	398,739	69.63
31.	दादरा और नगर हवेली	129,860	95,645	73.65
32.	दमन और दीव	88,263	59,847	67.81
33.	लक्षद्वीप	40,241	37,607	93.45
34.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र^^	10,123,095	6,438,847	63.61
35.	पुडुचेरी^^	711,595	711,595	100.00
	योग	696,919,531	513,922,985	73.74

1996-97 के प्रथम चरण में कुल 67,479 ईपीआईसी तैयार किए गए थे किंतु उन्हें वितरित नहीं किया गया था। वर्तमान में असम में ईपीआईसी जारी करने का कार्यक्रम नहीं चल रहा है।

^^ मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और पुडुचेरी के संबंध में 1.1.2007 की नामावली के संबंध में निर्वाचकों का डाटा।

जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए विनियामक प्राधिकरण

***527. श्री हितेन बर्मन :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के लिए एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ग) भारतीय जैवप्रौद्योगिकी उद्योग विकास के पथ पर अग्रसर है। इसका कुल कारोबार लगभग 40% विकास दर के साथ 1 बिलियन डालर पार कर चुका है। जैवप्रौद्योगिकी भारत में विकास का एक प्रमुख क्षेत्र होगा जिसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा के हित बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। एक उपयुक्त नीति और विनियामक ढांचा जैवप्रौद्योगिकी उद्योग तथा भारतीय समाज के लिए लाभदायक हो सकता है जिसका प्रत्यक्ष लाभ जैवप्रौद्योगिकी से प्राप्त होगा।

जैवप्रौद्योगिकी उत्पादों की उच्चस्तरीय सुरक्षा एवं क्षमता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसका यह आशय है कि एक सशक्त गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली और प्रवर्तन क्रियाविधि तैयार करने की आवश्यकता है। वर्तमान में, जैवप्रौद्योगिकीय उत्पादों की सुरक्षा संबंधी मूल्यांकन और व्यापारीकरण को पर्यावरण (संरक्षा) अधिनियम, 1986 और नियमावली 1989 नामतः जैवप्रौद्योगिकी विभाग (डी बी टी) में आनुवंशिक परिचालन समीक्षा समिति (आर सी जी एम), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम ओ ई एफ) में आनुवंशिक अभियांत्रिक अनुमोदन समिति (जी ई ए सी) के अंतर्गत विभिन्न समितियों द्वारा विनियमित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, पुनर्संयोजी भेषज उत्पादों को ई पी ए तथा औषध एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 और नियमावली 1945 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने में बहुत समय लग जाता है और इनके लिए अनेक निकासियों की आवश्यकता होती है। भारत में बहु-विनियामक प्रणालियां उद्योग क्षेत्र के लिए कुछ समय तक चिंता का विषय रही हैं। दूसरी ओर, नैदानिक परीक्षणों और पर्यावरणीय सुरक्षा के संबंध में जनसाधारण की चिंता को भी गम्भीरता से लिया जाना चाहिए।

अनुमोदन प्रक्रिया को कारगर और सरल बनाने की दिशा में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम ओ ई एफ) और कृषि मंत्रालय (एम ओ ए) ने पुनर्संयोजी भेषज उत्पादों के लिए डॉ माशेलकर (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक) और कृषि जैवप्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए प्रो. एम एस. स्वामीनाथन (स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, चेन्नई के अध्यक्ष) के अधीन 2 विशेषज्ञ समितियों का गठन किया है। इन समितियों ने एक स्वतंत्र राष्ट्रीय जैवप्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण (एन बी आर ए) की स्थापना की सिफारिश की है। इन सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में कृषि मंत्रालय ने एन बी आर ए की स्थापना के लिए एक मंत्रिमंडल नोट प्रस्तुत किया है। सचिवों की समिति (सी ओ एस) द्वारा नोट के संबंध में विचार प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् प्रधानमंत्री कार्यालय ने डी बी टी को एन बी आर ए की स्थापना के लिए प्रशासनिक विभाग के रूप में कार्य करने का निदेश दिया है। डी बी टी, एन बी आर ए की स्थापना पर कार्रवाई कर रहा है। विभिन्न स्टेक होल्डरों के साथ परामर्श किए जा रहे हैं और उचित अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संगत प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जा रहा है। अतः इस समय इसकी स्थापना की समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

भारत में आर्थिक सुधार

***528. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**
श्री धर्मेन्द्र प्रधान :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व बैंक की हाल ही की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में आर्थिक सुधारों की गति अन्य देशों की तुलना में धीमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारत के संबंध में विश्व बैंक की "डेवलपमेंट पॉलिसी रिव्यू, 2006" नामक मुख्य और हाल ही की रिपोर्ट में भारत में सुधारों की गति बनाए रखने के लिए उसकी प्रशंसा की गई है और समावेशी वृद्धि की रुकावटों को दूर करने के लिए सतत् सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

शहरी मलिन बस्तियों में पर्यावरणीय सुधार के लिए विदेशी सहायता

***529. श्रीमती किरण माहेश्वरी :** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशी सहायता से शहरी मलिन बस्तियों में पर्यावरणीय सुधार के लिए चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये परियोजनाएं किस तिथि को शुरू की गईं;

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर वास्तविक कार्य अभी शुरू होना है; और

(घ) पूरे देश में शहरी मलिन बस्तियों में समग्र पर्यावरणीय सुधार के लिए विदेशी सहायता का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) भूमि जुटाव और विकास, जल आपूर्ति, परिवहन, सफाई तथा सीवरेज, जल निकासी तथा शहरी निर्धनों के लिए मूलभूत सेवाओं के प्रावधान संबंधी क्षेत्रों में व्यापक क्षेत्रीय कार्यक्रम के भाग के रूप में अनुदान के रूप में विदेशी सहायता से शहरी स्लमों में सुधार की परियोजनाएं शुरु की जाती हैं। संगत ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) देश भर में स्लमों के समग्र पर्यावरणीय विकास के लिए विदेशी सहायता का उपयोग करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:–

- बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत उपलब्ध धनराशि का राज्य तथा केन्द्र सरकार के बजट के साथ समेकन;
- निष्पादन एजेंसियों द्वारा परियोजना कार्यान्वयन की आवधिक पुनरीक्षा;
- आर्थिक कार्य विभाग में परियोजना प्रबंधन इकाई का गठन।

विवरण

क्षेत्रीय परियोजनाओं (अनुदान) के ब्यौरे

31/03/2007 की स्थिति के अनुसार (रु. करोड़ में)

क्रम सं.	संस्वीकृति तिथि के साथ अनुदान का विवरण	संस्वीकृत अनुदान की राशि
एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)		
1	0005–आईएनडी एशियन सुनामी अनुदान कोष दिनांक : 12/05/2005	435.599
	कुल :	435.599
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)		
2	00044242 विकेन्द्रीकृत शहरी शासन के लिए क्षमता निर्माण दिनांक 01/08/2005	12.988
3	आईएनडी/03/033 शहरी गरीबों के लिए राष्ट्रीय नीति दिनांक 14/10/2003	22.356
	कुल :	35.344
ब्रिटेन		
4	यूके जीजी 017 आन्ध्र प्रदेश शहरी गरीबों के लिए सेवाओं में सुधार	539.221
5	यूके जीजी 047 कोलकाता शहरी गरीबों के लिए सेवाएं कार्यक्रम दिनांक 31/12/2003	754.059
6	यूके जीजी 063 मध्य प्रदेश शहरी गरीबों के लिए सेवाएं कार्यक्रम, जीटी 2006 दिनांक 10/11/2006*	309.228
	कुल :	1602.508
जर्मनी		
7	एएल – 9765553 2323038ई एचडीएफसी–III (कम लागत के आवास) दिनांक 25/09/1998	72.051
	कुल :	72.051

* हाल ही में स्वीकृत की गई परियोजनाएं जिनके लिए कार्यान्वयन पूर्व की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

[अनुवाद]

नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को लोकप्रिय बनाना

***530. श्री रायापति सांबासिवा राव :**
श्री रामदास आठवले :

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवीकरणीय ऊर्जा इसकी ऊंची कीमतों के कारण आम आदमी/ग्रामीण लोगों में लोकप्रिय नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो ऊर्जा के इस वैकल्पिक स्रोत के प्रयोग के संबंध में आम आदमी/ग्रामीण लोगों में जागरूकता पैदा करने तथा नवीकरणीय ऊर्जा को आम आदमी को सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) सामान्य व्यक्ति/ग्रामीण लोगों द्वारा ऊर्जा की खपत के अधिकांश भाग की पूर्ति अक्षय ऊर्जा, मुख्यतया कृषि एवं वन अवशिष्टों, और पशु अपशिष्टों से होती है। इस मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता के प्रावधान के माध्यम से 10 लाख से भी अधिक सौर प्रकाशवोल्टीय घरेलू रोशनी प्रणालियों के अलावा लगभग 40 लाख पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों को सहायता दी गई है ताकि उन्हें वहनीय बनाया जा सके। आंशिक सब्सिडी के प्रावधान के माध्यम से अक्षय स्रोतों से संवितरित ताप तथा बिजली उत्पादन की भी सहायता की जा रही है।

(ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा श्रव्य-दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय; राज्य नोडल एजेंसियों, आदि के माध्यम से समूचे देश में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रिंट और इलैक्ट्रोनिक मीडिया तथा आउटडोर प्रदर्शनियों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा प्रणालियों की उपयोगिता पर प्रचार एवं जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा, प्रतिवर्ष 20 अगस्त को राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के दौरान निबंध-लेखन, पोस्टर बनाना और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं, अक्षय ऊर्जा दौड़/रैलियों, सेमिनारों का आयोजन किया जा रहा है। अक्षय ऊर्जा को लोकप्रिय बनाने और अक्षय ऊर्जा के संवर्धन तथा प्रभावी समन्वयन को सुगम बनाने के लिए देश के लगभग सभी जिलों में जिला सलाहकार समितियां गठित की गई हैं। जागरूकता सृजन के लिए मंत्रालय और साथ ही राज्य नोडल एजेंसियों द्वारा अक्षय ऊर्जा न्यूजलैटर भी प्रकाशित किए जाते हैं। वैकल्पिक सस्ती सामग्रियों के विकास और कुशलता में सुधार लाकर अक्षय ऊर्जा युक्तियों की लागत को कम करने के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रयासों की सहायता की जा रही है। सरकार, राजकोषीय रियायतों और पूंजीगत लागतों तथा ब्याज लागतों दोनों पर सब्सिडी से अक्षय ऊर्जा प्रणालियों की संस्थापना में सहायता कर रही है।

[हिन्दी]

सिक्कों का अवैध रूप से पिघलाया जाना

***531. श्री मोहन रावले** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रतिदिन बनाए जाने वाले सिक्कों का टकसाल-वार तथा मूल्य वर्ग-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर सिक्कों को अवैध रूप से पिघलाने का कार्य किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को कितना नुकसान हो रहा है; और

(घ) इस अवैध कार्य को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) सिक्कों का उत्पादन विभिन्न मूल्यवर्गों के सिक्कों की पूर्वानुमानित आवश्यकता पर निर्भर करता है। अतः टकसाल-वार विशिष्ट आवधिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। तथापि 2006-07 के दौरान प्रतिदिन प्रति टकसाल औसतन लगभग 2.5 मिलियन सिक्कों (विभिन्न मूल्यवर्ग के) की ढलाई की गई थी।

(ख) सिक्कों को पिघलाने की कुछ घटनाएं समाचार पत्रों में बताई गई हैं और विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेन्सियों के ध्यान में आई हैं। सिक्कों को पिघलाए जाने का कारण गत कुछ वर्षों में धातु की कीमत में तेजी से वृद्धि होना प्रतीत होता है।

(ग) इससे राजकोष को कोई हानि नहीं हो रही है।

(घ) एक रुपये और दो रुपये के सिक्कों की फेरिटिक स्टील में ढलाई की जाती है जो क्रमशः 1995 और 2005 से सस्ती धातु/मिश्र धातु है। आगे से 5 रुपये के सिक्के की ढलाई भी फेरिटिक स्टील में करने का निर्णय किया गया है।

धोखाधड़ी करने वाली कंपनियां

***532. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :**
श्री वी. के. ठुम्मर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं तथा वे धोखाधड़ी की अनेक गतिविधियों में लिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रकाश में आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) सामान्यतया भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक उन एनबीएफसी के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई करता रहता है जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबंधों तथा इसके अंतर्गत दिए गए निदेशों का पालन नहीं किया है अथवा खराब वित्तीय स्थिति दर्शाई है। ऐसी कार्रवाई में गैर–बैंकारी वित्तीय कार्यकलाप निष्पादित करने, जमाराशियां स्वीकार करने तथा आस्तियों के अन्य संक्रामण से कंपनी को रोकना शामिल है। चल आस्तियों के अनुरक्षण में चूक के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक दण्ड–स्वरूप ब्याज लगाता है। जिन मामलों में चूक का स्वरूप सतत् है, भारतीय रिजर्व बैंक समापन संबंधी कार्यवाहियां प्रारम्भ करता है और एनबीएफसी के निवेशकों के विरुद्ध आपराधिक शिकायत भी दायर करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब तक 84 एनबीएफसी के विरुद्ध समापन याचिकाएं और 70 मामलों में आपराधिक कार्यवाहियां दायर की हैं। इसके अतिरिक्त, 27 मामलों में पुलिस शिकायतें भी दायर की गई हैं। ये मामले कानूनी प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर हैं।

सहकारी बैंकों का वित्तीय पुनर्गठन

***533. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :**

श्री श्रीपाद येसो नाईक :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैद्यनाथन समिति ने सहकारी ऋण तंत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु सहकारी बैंकों के लिए विशेष पैकेज की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त समिति की सिफारिशों के अनुपालन में सहकारी बैंकों के वित्तीय पुनर्गठन हेतु कोई योजना बनाने का है;

(घ) क्या सरकार इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से कोई बातचीत कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) जी, हां, ग्रामीण ऋण संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए, भारत सरकार ने प्रो. ए. वैद्यनाथन की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित किया था। वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के संबंध में राज्य सरकारों के साथ किए गए विचार–विमर्श और प्राप्त हुई ऐसी अन्य प्रतिसूचना के आधार पर, सरकार ने अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे के लिए एक पुनरुज्जीवन पैकेज अनुमोदित किया था। पैकेज को कार्यान्वित करने के इच्छुक राज्यों को कतिपय कानूनी और संस्थागत सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना अपेक्षित है।

अब तक 15 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र ने पैकेज को कार्यान्वित करने के लिए अपनी सहमति की सूचना दी है। 10 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, जिन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) की विशेष लेखा–परीक्षा का कार्य प्रगति पर है। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली ने पैकेज के संबंध में अपनी सहमति प्रदान की है।

(घ) से (च) एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ 1 बिलियन अमरीकी डालर के ऋण का करार किया गया है और इसमें से 250 मिलियन अमरीकी डालर की राशि का उपयोग किया गया है। अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए विश्व बैंक और केएफडब्ल्यू जर्मनी के साथ बातचीत चल रही है।

[अनुवाद]

महिला वैज्ञानिकों हेतु अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) योजना

***534. श्री सुब्रत बोस :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आधारभूत एवं अनप्रयुक्त विज्ञान (बेसिक एण्ड अप्लाइड साइंस) तथा ग्रामीण विकास हेतु प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के क्षेत्र में उत्कृष्ट महिला वैज्ञानिकों हेतु अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य–वार कितनी महिला वैज्ञानिकों को अध्येतावृत्तियां प्रदान की गईं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान, इंजीनियरी,

चिकित्साशास्त्र में उच्च योग्यता प्राप्त महिलाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मुख्यधारा में लाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2003 से महिला वैज्ञानिकों के लिए एक अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) योजना कार्यान्वित करता आ रहा है। प्रत्येक वर्ष तीन श्रेणियों में अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं नामतः (i) आधारभूत एवं अनप्रयुक्त विज्ञान (बेसिक एंड अप्लाइड साइंस) (श्रेणी 'क') में अनुसंधान के लिए अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों में महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के लिए अध्येतावृत्तियां, (ii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित सामाजिक कार्यक्रमों में अनुसंधान हेतु महिला वैज्ञानिकों के लिए अध्येतावृत्तियां (श्रेणी 'ख') और (iii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित स्वरोजगार अवसरों हेतु महिला वैज्ञानिकों के लिए अध्येतावृत्तियां (श्रेणी 'ग')। ये योजनाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं तथा पूरे देश में इन्हें विज्ञापित किया जाता है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान महिला वैज्ञानिक योजनाओं के अंतर्गत महिला वैज्ञानिकों को प्रदान की गई अध्येतावृत्ति की राज्य-वार स्थिति इस प्रकार है:-

राज्य	2004	2005	2006	कुल
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	7	11	10	28
अरुणाचल प्रदेश	–	2	2	4
असम	6	7	2	15
बिहार	1	–	1	2
छत्तीसगढ़	–	–	1	1
चण्डीगढ़	–	2	–	2
दिल्ली	16	25	25	66
गोवा	3	–	3	6
गुजरात	4	1	2	7
हरियाणा	3	6	8	17
हिमाचल प्रदेश	2	1	3	6
झारखण्ड	1	1	1	3
जम्मू और कश्मीर	–	–	2	2
कर्नाटक	12	8	8	28
केरल	12	8	10	30
महाराष्ट्र	15	11	8	34
मध्य प्रदेश	4	6	2	12
मणिपुर	1	2	2	5
मेघालय	2	1	–	3
उड़ीसा	2	3	4	9
पाण्डीचेरी	1	–	–	1
पंजाब	3	3	2	8
राजस्थान	2	3	2	7
तमिलनाडु	14	10	5	29
त्रिपुरा	2	1	–	3
उत्तरांचल	3	4	2	9
उत्तर प्रदेश	21	27	18	66
पश्चिम बंगाल	17	19	14	50
कुल	154	162	137	453

[हिन्दी]

एक से अधिक "पैन कार्ड"

***535. श्री रूपाताई डी. पाटील :**
श्री रविन्दर कुमार राणा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में लोगों के पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा हाल ही में चलाए गए अभियान के परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों ने ऐसे एक से अधिक पैन कार्ड सरेंडर कर दिए हैं;

(घ) क्या एक से अधिक पैन कार्डों के दुरुपयोग के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ङ) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामले सामने आए हैं;

(च) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) एक से अधिक पैन कार्डों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां। निम्नलिखित जैसे अनेक कारणों के फलस्वरूप, अनेक व्यक्तियों को, विशेष रूप से 1996 तथा 2003 की अवधि के दौरान एक से अधिक पैन आबंटित किए गए:

(i) गलत डाटा प्रविष्टि;

(ii) एक ही व्यक्ति द्वारा विभिन्न विवरणों वाले एक से अधिक आवेदन पत्र;

(iii) पैन आवेदन तथा आय की विवरणी दोनों के आधार पर आबंटन;

(iv) कपटपूर्ण आशय से गलत विवरणों की प्रस्तुति;

विभाग ने एक स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से एक ही व्यक्ति के संभावित डुप्लीकेट पैन कार्डों की पहचान की है।

(ख) दिनांक 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार डुप्लीकेट पैन कार्ड धारकों की संख्या 13.1 लाख होने का अनुमान है।

(ग) वित्त वर्ष 2006–07 के दौरान चलाए गए अभियान के फलस्वरूप निरस्त किए गए एक से अधिक/डुप्लीकेट पैन कार्डों की संख्या 7,42,483 है।

(घ) और (ङ) पिछले एक वर्ष के दौरान एक से अधिक पैन कार्डों के दुरुपयोग के कुछ मामलों की रिपोर्ट आयकर निदेशालय (प्रणाली) को की गई। वे निम्नानुसार हैं:

(i) फरवरी, 2007 में भिन्न–भिन्न नामों से एक ही व्यक्ति द्वारा दो पैन कार्ड प्राप्त करने तथा अलग–अलग आयात लाइसेंस हेतु उनका उपयोग करने के मामले की रिपोर्ट विदेश व्यापार महानिदेशक (डी जी एफ टी) के कार्यालय द्वारा की गई।

(ii) मार्च, 2007 में, अलग–अलग नाम से एक व्यक्ति द्वारा दो पैन कार्ड रखने के संबंध में पुलिस प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त हुई।

(iii) द टाइम्स ऑफ इंडिया के 16 मार्च, 2007 के अंक में दिल्ली पुलिस द्वारा एक से अधिक पहचान वाले भिन्न–भिन्न व्यक्तियों के 138 पैन कार्डों के पता लगाने का समाचार छापा था। ऐसे पैन कार्डों का उपयोग बैंकों को धोखा देने के इरादे से फर्जी पहचान तैयार करने के लिए किया गया। विभाग ने पुलिस प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त कर ली है और आगे की जांच चल रही है।

(च) जिन मामलों में एक से अधिक पैन कार्डों के दुरुपयोग की रिपोर्ट मिली है, उनमें विभाग ने दंड लगाने के लिए कार्यवाही शुरू की है। साथ ही, विभाग का जांच स्कंध ऐसे व्यक्तियों की तरफ से कर अपवंचन की संभावना की भी जांच कर रहा है।

(छ) एक से अधिक पैन कार्डों के दुरुपयोग को रोकने की दृष्टि से विभाग पैन के आबंटन में बायोमेट्रिक प्रणाली का प्रयोग करने की सम्भाव्यता का पता लगा रहा है।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास हेतु जैवप्रौद्योगिकी

***536. श्री नरहरि महतो : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास हेतु गरीबी उन्मूलन और गरीब व्यक्तियों के लिए रोजगार के और अधिक अवसरों का सृजन करने के लिए जैवप्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां।

(ख) विभाग के पास अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिला एवं ग्रामीण लोगों के लाभ के लिए सामाजिक विकास के लिए जैवप्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रमों की एक योजना है। इस योजना के माध्यम से देश भर में रोज़गार तथा आय सृजन क्रियाकलापों के लिए विभिन्न प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सहायता दी जा रही है। सहायता प्राप्त परियोजनाओं में औषधीय एवं सुगंधीय पादपों की खेती, जैवईंधन, जैवउर्वरक तथा जैवकीटनाशकों के उत्पादन, जैविक खेती, जलकृषि और सजावटी मछली पालन, मशरूम खेती, आनुवंशिक परामर्श, जैवग्राम, ऊतक संवर्धन, खाद्य उत्पाद, मुर्गी पालन और एकीकृत खेती इत्यादि शामिल हैं। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक वित्तपोषित संस्थानों, कृषि विज्ञान केन्द्रों और स्वैच्छिक/गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया गया है। अधिक जागरुकता उत्पन्न करने के लिए लक्षित दल ने व्यावहारिक प्रशिक्षण और फील्ड प्रदर्शनों से लाभ प्राप्त किया है। जैवनियंत्रण अभिकर्मकों, जैवकीटनाशकों, जैवउर्वरकों और निम्नीकृत परिस्थिति तंत्र के जैवउपचार जैसे विभिन्न पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को सहायता दी जा रही है। योजनाओं के माध्यम से 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को पहले ही प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल चुका है।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उपलब्धियां

***537. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :**
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 10वीं योजना अवधि के दौरान गरीबी कम करने और उच्च गुणवत्ता वाले लाभ प्रदायक रोजगारों का सृजन करने के लिए 10वीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों, निःशक्त व्यक्तियों और महिला प्रधान परिवारों को लाभ प्रदान किए जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इन वर्गों को अलग-अलग लाभ प्रदान करने में कितना सफल रही है; और

(घ) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को लाभ प्रदायक रोजगार देने के लिए उनकी पहचान करने में तेजी लाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) 10वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी अनुपात में वर्ष 2007 तक 5 प्रतिशत और 2012 तक 15 प्रतिशत की कमी करने का लक्ष्य रखा गया है। तदनुसार, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 50 मिलियन रोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था।

(ख) जी, हां। एसजीएसवाई का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। एसजीएसवाई में विशेष रूप से ग्रामीण गरीबों में कमजोर वर्गों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। एसजीएसवाई के दिशा-निर्देश में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक ब्लॉक में बनाए गए स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) का 50% केवल महिलाओं के लिए होना चाहिए और सहायताप्राप्त स्वरोजगारियों में से 40% महिलाएं होनी चाहिए। कुल सहायताप्राप्त स्वरोजगारियों में से कम से कम 50% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए और 3% विकलांग व्यक्ति होने चाहिए।

(ग) एसजीएसवाई की शुरूआत में इसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, विकलांगों तथा महिलाओं के संबंध में वास्तविक प्रगति दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों का निर्धारण करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2002 में ही दिशा-निर्देश जारी कर दिए थे, परंतु, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के कारण इस बारे में कार्रवाई पूर्वनियोजित रूप से नहीं की जा सकी। 14.2.2006 को स्थगन हटा लिए जाने के बाद बीपीएल जनगणना, 2002 पर आधारित नई बीपीएल सूची को शीघ्र अंतिम रूप देने संबंधी मामला राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है।

विवरण

एसजीएसवाई की शुरूआत अर्थात् 1.4.1999 से 31.3.2007 तक इसके अंतर्गत कमजोर वर्गों की वास्तविक प्रगति

(संख्या में)

सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारी	अनुसूचित जाति के सहायता प्राप्त स्वरोजगारी	अनुसूचित जातियों का प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति के सहातया प्राप्त स्वरोजगारी	अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत	कुल अनुसूचित जाति + अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति + अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत	सहायता प्राप्त महिला स्वरोजगारी	महिला स्वरोजगारियों का प्रतिशत	सहायता प्राप्त विकलांग स्वरोजगारी	विकलांग स्वरोजगारियों का प्रतिशत
8535209	2726498	31.94	1234205	14.06	3960703	46.10	4560478	51.34	95083	1.03

सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज

***538. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :**
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में महीनों के बैंकों की सावधि जमा राशि पर ब्याज दर में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) की ब्याज दर बैंकों की सावधि जमाराशियों की ब्याज दर से काफी कम है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार जीपीएफ की ब्याज दर में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सामान्यतया बैंकों ने हाल ही के महीनों में सावधि जमाराशियों पर ब्याज दर में वृद्धि की है। गत 3 वर्षों के दौरान विभिन्न परिपक्वता अवधियों की बैंक समूह-वार मीयादी जमा दरों से संबंधित सूचना नीचे प्रस्तुत की गई है:-

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की घरेलू मीयादी जमा दरें

(प्रतिशत)

	मार्च, 05	मार्च, 06	सितम्बर, 06	दिसम्बर, 06	मार्च, 07	अप्रैल, 07
सरकारी क्षेत्र के बैंक						
1 वर्ष तक	2.75–6.00	2.25–6.50	2.75–7.00	2.75–7.00	2.75–8.75	2.75–9.00
1 वर्ष – 3 वर्ष	4.75–6.50	5.75–6.75	6.25–7.50	6.75–8.00	7.25–9.50	7.25–9.75
3 वर्ष से अधिक	5.25–7.00	6.00–7.25	6.50–8.00	7.00–8.00	7.50–9.50	7.75–9.75
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक						
1 वर्ष तक	3.00–6.25	3.50–7.25	3.00–7.25	3.00–8.00	3.00–9.00	3.00–10.00
1 वर्ष – 3 वर्ष	5.25–7.25	5.50–7.75	6.75–8.25	6.40–8.50	6.75–9.75	6.75–10.00
3 वर्ष से अधिक	5.75–7.00	6.00–7.75	6.75–8.50	7.00–8.50	7.75–9.60	7.50–10.00
विदेशी बैंक						
1 वर्ष तक	3.00–6.25	3.00–6.15	3.00–7.50	3.00–7.25	3.00–9.50	3.00–9.00
1 वर्ष – 3 वर्ष	3.50–6.50	4.00–6.50	3.50–8.15	3.50–8.15	3.50–9.50	3.50–9.50
3 वर्ष से अधिक	3.50–7.00	5.50–6.50	4.00–8.25	4.05–8.25	4.05–9.05	4.05–9.50

(ख) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन उप गवर्नर डॉ वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में निर्धारित ब्याज दरों एवं अन्य सम्बद्ध मामलों पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर, सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज दरें लगभग 10 वर्ष से अवशिष्ट परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूतियों पर औसत समर्थक बाजार आय पर निर्धारित होती हैं। सामान्य भविष्य निधि पर वर्तमान ब्याज दर 8 प्रतिशत है।

सामान्य भविष्य निधि की ब्याज दर को बढ़ाने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

सामान्य भविष्य निधि पर वर्तमान ब्याज दर में लगभग 10 वर्ष की अवशिष्ट परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूतियों के लिए औसत बेंचमार्क आय से पच्चीस आधार बिन्दु अधिक का फैलाव है। सामान्य भविष्य निधि के अंतर्गत जमाराशियों की पर्याप्त चलनिधि और सामान्य भविष्य निधि शेष के लिए कर लाभ सामान्य भविष्य निधि पर प्रभावी प्रतिलाभ को आकर्षक बनाने के लिए भी सहायक हैं।

[हिन्दी]

समुच्चय तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां

***539. श्री जीवाभाई ए. पटेल :**

श्री अजीत जोगी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय स्तर पर कल समुच्चय तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एण्ड सी) हानियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन हानियों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर वर्ष 2003–04, 2004–05 और 2005–06 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राज्य विद्युत यूटीलिटियों की सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि क्रमशः 34.90%, 34.33% और 34.54% थी।

(ख) भारत सरकार द्वारा राज्य विद्युत यूटीलिटियों की हानियों को कम करने तथा उससे विद्युत वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित विभिन्न कदम उठाए गए हैं:–

(i) सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को कम करने, विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाने, और उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार करने के उद्देश्य से सुधार कार्यों को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) को वर्ष 2002–03 में आरंभ किया गया था। उक्त कार्यक्रम के दो घटक थे, नामशः (i) उप पारेषण एवं वितरण प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण हेतु कार्यों के वित्तपोषण के लिए निवेश घटक और (ii) यूटीलिटियों द्वारा नकद हानियों में कमी के लिए प्रोत्साहन घटक। वर्ष 2000–01 को आधार वर्ष मानते हुए संबंधित राज्य को प्रोत्साहन के रूप में यूटीलिटियों द्वारा अपनी नकद हानियों में की गई कमी को 50% धनराशि का भुगतान किया जाना था।

सरकार ने एपीडीआरपी के निवेश घटक के तहत कुल 17033.58 करोड़ रुपये की 571 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है जिसमें से भारत सरकार को 8720.09 करोड़ रुपये वहन करने हैं। इसकी तुलना में 6941.02 करोड़ रुपये की धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है।

एपीडीआरपी के प्रोत्साहन घटक के अंतर्गत नकद हानि में कमी के लिए नौ राज्यों को प्रोत्साहन के रूप में अभी तक 1749.03 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है।

एपीडीआरपी के भाग के रूप में निम्नलिखित तकनीकी, वाणिज्यिक और प्रबंधन उपाय किए गए थे:–

(क) तकनीकी उपाय

- कमजोर वितरण प्रणाली का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण
- वितरण उप–केन्द्रों के स्थान में परिवर्तन और/अथवा अतिरिक्त वितरण उप–केन्द्रों का प्रावधान
- अपेक्षाकृत थोड़े उपभोक्ताओं/उनके छोटे समूहों के लिए कम क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मरों की अधिष्टापना और वितरण ट्रांसफार्मरों को प्रतिस्थापित कर कम नो–लोड हानियों वाले वितरण ट्रांसफार्मरों को लगाना।
- शंट कैपेसिटरों की अधिष्ठापना
- हाई वोल्टेज वितरण प्रणाली (एचवीडीएस) अपनाना
- वितरण नेटवर्क का नियमित रख–रखाव
- आंकड़ों के संकलन सहित उप पारेषण और वितरण नेटवर्क की जीआईएस मैपिंग
- आई टी हस्तक्षेप

(ख) वाणिज्यिक उपाय

- मीटरिंग और बिलिंग में सुधार
- राजस्व एकत्र करने में सुधार

(ग) प्रबंधन उपाय

- ऊर्जा लेखांकन एवं लेखा–परीक्षा अपनाना
- भावी विस्तार हेतु उचित नेटवर्क योजना
- संबद्ध पारेषण प्रणाली के साथ–साथ वितरण प्रणालियों के चरणबद्ध सुदृढ़ीकरण एवं सुधार के लिए नियमित आधार पर दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करना।
- कर्मचारियों का प्रशिक्षण

कुछेक सुधार संबंधी शर्तों के आधार पर कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदनों को शर्तबद्ध बनाया गया था। इनमें से कुछ निम्नवत् हैं:–

- एसईआरसी की स्थापना
- विकेन्द्रीकरण एवं निगमीकरण
- 100% फीडर मीटरिंग
- 100% उपभोक्ता मीटरिंग

(ii) क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा लाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 को लागू किया गया था। चोरी को एक संज्ञेय अपराध बनाने के लिए इसमें कानूनी कार्यढांचे का भी प्रावधान है।

(iii) मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रीय विद्युत नीति वर्ष 2005 में अधिसूचित की गई थी। इसका उद्देश्य ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता, इन संसाधनों के दोहन हेतु उपलब्ध प्रौद्योगिकी, विभिन्न संसाधनों का उपयोग करके विद्युत उत्पादन में मितव्ययिता लाने और ऊर्जा सुरक्षा मुद्दों आदि को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं और अन्य स्टेक होल्डरों के हितों की रक्षा करने, सभी क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति प्रदान करने और विद्युत क्षेत्र का त्वरित विकास करने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करना है।

(iv) वितरण क्षेत्र में उत्तम पद्धतियों को उपयोग में लाये जाने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने वितरण क्षेत्र में उत्तम पद्धतियों पर राष्ट्र स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की हैं।

[अनुवाद]

भारतीय अर्थव्यवस्था का अत्यधिक दोहन (ओवर हीटिंग)

***540. डा. एम. जगन्नाथ :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आईएमएफ के सर्वेक्षण ने हाल ही में सावधान किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यधिक दोहन (ओवर हीटिंग) के जोखिम का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त सर्वेक्षण के बारे में सरकार की नीतिगत प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए स्वयं सर्वेक्षण कराया है कि क्या अर्थव्यवस्था अत्यधिक दोहन (ओवर हीट) का शिकार हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) महोदय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी हाल ही में प्रकाशित वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक में भविष्यवाणी की है कि भारत में विकास की गति कुछ धीमी हो जाएगी जो अत्यधिक दोहन (ओवर हीटिंग) संबंधी सरोकारों की प्रतिक्रिया–स्वरूप नीति को अंशतः कठोर बनाया जाना प्रतिबिम्बित करती है।

(ख) सरकार मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए अनेक राजकोषीय, मौद्रिक और आपूर्ति संबंधी आवर्धक उपाय करती रही है।

(ग) थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति संबंधी आंकड़े साप्ताहिक आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं। यह पता लगाने के लिए अलग से कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है कि क्या अर्थव्यवस्था "अत्यधिक दोहन" (ओवर हीटिंग) का शिकार हुई है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

जल विद्युत परियोजनाएं

***541. श्री महावीर भगोरा :**
श्री जी. करुणाकर रेड्डी :
क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान देश में स्थापित की गई केन्द्रीय क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता तथा इनसे वास्तविक रूप से उत्पादित की जा रही विद्युत का परियोजना–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में और जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ किन स्थलों का चयन किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा इन पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) विगत पांच वर्षों (2002–07) के दौरान केंद्रीय क्षेत्र में कुल 4,495 मेगावाट संस्थापित क्षमता की 7 जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। ये परियोजनाएं अपनी निर्धारित क्षमता के अनुसार विद्युत उत्पादन कर रही हैं। इन परियोजनाओं के ब्यौरे विवरण–I के रूप में संलग्न हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 11वीं योजना (2007–2012) और 12वीं योजना (2012–2017) के दौरान हाइड्रो एवं अन्य स्रोतों से अतिरिक्त विद्युत क्षमता की आवश्यकता का आकलन करने के लिए विद्युत उत्पादन विस्तार योजना अध्ययन आयोजित किया है। 11वीं योजना के दौरान 78,577 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि की आवश्यकता होगी, जिसमें से 16,553 मेगावाट क्षमता को हाइड्रो परियोजनाओं के जरिए जोड़ा जाना प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं के ब्यौरे विवरण–II के रूप में संलग्न हैं।

12वीं योजना (2012–17) के दौरान लगभग 82,200 मेगावाट क्षमता की अभिवृद्धि करनी होगी, जिसमें से लगभग 30,000 मेगावाट क्षमता को हाइड्रो स्कीमों के जरिए जोड़ा जाना प्रस्तावित है। 12वीं योजना हेतु अनंतिम रूप से 93 चुनिंदा हाइड्रो स्कीमों (38,242.50 मेगावाट) की पहचान की गई है। इन स्कीमों के ब्यौरे विवरण–III के रूप में संलग्न हैं।

(ङ) सीईए द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विगत तीन वर्षों (2004–05 से 2006–07) के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों से सहमति हेतु कुल 3,472.60 मेगावाट संस्थापित क्षमता की 10 जल विद्युत परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) प्राप्त हुई थीं। सीईए ने 2 स्कीमों (703 मेगावाट) को सहमति दे दी है जबकि 2 स्कीमों (110 मेगावाट) के लिए सीईए की सहमति आवश्यक नहीं है क्योंकि उनमें से प्रत्येक की परियोजना लागत 500 करोड़ रुपए से कम है। 5 स्कीमों (2659.60 मेगावाट) के डीपीआर सीईए द्वारा संबंधित राज्य सरकारों को पुनः प्रस्तुत करने हेतु वापस कर दिए गए हैं क्योंकि उन्हें अपूर्ण पाया गया था। विगत 3 वर्षों के दौरान प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे तथा इन स्कीमों के मूल्यांकन की स्थिति विवरण–IV के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

2002–07 के दौरान चालू हुई केन्द्रीय क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	एजेंसी/स्टेशन का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का वर्ष
1	2	3	4
एनएचपीसी			
1.	चमेरा–II	300	2003–04
2.	धौलीगंगा	280	2005–06
3.	दुलहस्ती	390	2006–07
एसजेवीएनएल			
4.	नाथपा झाकड़ी	1500	2003–04
टीएचडीसी			
5.	टिहरी चरण–1	1000	2006–07

1	2	3	4
एनएचडीसी			
6.	इंदिरा सागर	500	2003-04
		500	2004-05
नीपको			
7.	कोपिली चरण-II (खांडोंग)	25	2003-04
	कुल	4,495	

विवरण-II

11वीं योजना के दौरान लाभ हेतु जल विद्युत स्कीमों का क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्रम सं.	स्कीम का नाम	राज्य	एजेंसी	11वीं योजना के दौरान लाभ (मे.वा.)
1	2	3	4	5
क.	केन्द्रीय क्षेत्र			
1	पार्बती-II	हिमाचल प्रदेश	एनएचपीसी	800
2	पार्बती-III	हिमाचल प्रदेश	एनएचपीसी	520
3	चमेरा-III	हिमाचल प्रदेश	एनएचपीसी	231
4	रामपुर	हिमाचल प्रदेश	एसजेवीएनएल	412
5	कोलडैम	हिमाचल प्रदेश	एनटीपीसी	800
6	उड़ी-II	जम्मू व कश्मीर	एनएचपीसी	240
7	सेवा-II	जम्मू व कश्मीर	एनएचपीसी	120
8	लोहारी नागपाला	उत्तराखंड	एनटीपीसी	600
9	तपोवन विष्णुगाड	उत्तराखंड	एनटीपीसी	520
10	टिहरी पीएसएस	उत्तराखंड	टीएचडीसी	1000
11	कोटेश्वर	उत्तराखंड	टीएचडीसी	400
12	व्यासी	उत्तराखंड	एनएचपीसी	120
13	ओंकारेश्वर	मध्य प्रदेश	एनएचडीसी	520
14	तीस्ता लो डैम-III	पश्चिम बंगाल	एनएचपीसी	132
15	तीस्ता लो डैम-IV	पश्चिम बंगाल	एनएचपीसी	160
16	तीस्ता-V	सिक्किम	एनएचपीसी	510
17	सुबानसिरी लोअर	अरुणाचल प्रदेश	एनएचपीसी	2000
18	कामेंग	अरुणाचल प्रदेश	नीपको	600
			कुल	9685.0
ख	राज्य क्षेत्र			
1	उहल-III	हिमाचल प्रदेश	ब्यास वैली कारपोरेशन लि.	100
2	सवाराकुडू	हिमाचल प्रदेश	पीवीसी	110
3	बगलीहार-I	जम्मू व कश्मीर	जेकेपीडीसी	450
4	मनेरी भाली	उत्तराखंड	यूजेवीएनएल	304
5	घाटघर	महाराष्ट्र	जीओएमआईडी	250
6	नागार्जुन सागर टीआर	आंध्र प्रदेश	एपीजेनको	50
7	जुराला प्रियदर्शिनी	आंध्र प्रदेश	एपीजेनको	234
8	लोअर जुराला	आंध्र प्रदेश	एपीजेनको	240
9	कुटियाडी विस्तार	केरल	केएसईबी	100
10	अदिरापल्ली	केरल	केएसईबी	163
11	मनकुलम	केरल	केएसईबी	40
12	पल्लीवसल	केरल	केएसईबी	60
13	थोट्टियार	केरल	केएसईबी	40
14	वराही विस्तार	कर्नाटक	केपीसीएल	230
15	भवानी कटलाई बैराज-II	तमिलनाडु	टीएनईबी	60
16	पुरुलिया पीएसएस	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईबी	900

1	2	3	4	5
17	बालीमेला चरण–II	उड़ीसा	ओएचपीसी	150
18	मिंत्दू चरण–I	मेघालय	एमईएसईबी	84
19	न्यू उमत्रू	मेघालय	एमईएसईबी	40
			कुल	3605.0
ग.	निजी क्षेत्र			
1	अलाइन दुहंगन	हिमाचल प्रदेश	एडीएचपीएल	192
2	करछाम वांग्टू	हिमाचल प्रदेश	जेपीकेएचसीएल	1000
3	बुधिल	हिमाचल प्रदेश	लेनको	70
4	सोरांग	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल सोरांग पीसी	100
5	मलाना–II	हिमाचल प्रदेश	एवरेस्ट पीसी	100
6	टिडोंग–I	हिमाचल प्रदेश	नूज़ीवीडू सीड्स लि.	100
7	तांगनू रोमई	हिमाचल प्रदेश	तंगनू रोमई पीजी लि.	50
8	लांबाडुग	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल कंसोर्टियम पीपीपी लि.	25
9	श्रीनगर	उत्तराखंड	अलकनंदा पीसी	330
10	यूबीडीसी–III	पंजाब	मलाना पावर कंपनी	75
11	महेश्वर	मध्य प्रदेश	पीएस	400
12	तीस्ता–III	सिक्किम	एथेना प्रोजेक्ट्स	600*
13	चुजाचेन	सिक्किम	गति	99
14	भस्मी	सिक्किम	गति	51
15	सदा मांडेर	सिक्किम	गति	71
		कुल		3263.0
		कुल योग (क+ख+ग)		16553.0

* तीस्ता–III जल विद्युत परियोजना की अधिष्ठापित क्षमता 1200 मेगावाट है। 11वीं योजना में इसकी 600 मेगावाट को चालू करने की योजना है।

विवरण-III

12वीं योजना के दौरान लाभ हेतु अभिज्ञात जल विद्युत स्कीमें

क्रम सं.	स्कीम का नाम	राज्य	एजेंसी	12वीं योजना के दौरान लाभ (मे.वा.)
1	2	3	4	5
1.	भरमौर	हिमाचल प्रदेश	आईपीपी	45
2.	बजोली होली	हिमाचल प्रदेश	आईपीपी	180
3.	चिरगांव (मझगांव)	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	46
4.	धौला सिद्ध	हिमाचल प्रदेश	आईपीपी	40
5.	धामवाड़ी सुंडा	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	70
6.	हरसर	हिमाचल प्रदेश	आईपीपी	60
7.	झुंगी थोपन	हिमाचल प्रदेश	आईपीपी	480
8.	कुठेर	हिमाचल प्रदेश	आईपीपी	260
9.	कशांग–II	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	60
10.	लुहरी	हिमाचल प्रदेश	एसजेएनएल	770
11.	पुडिताल लस्सा	हिमाचल प्रदेश	आईपीपी	36
12.	रेनुका बांध	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	40
13.	सैंज	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	100
14.	टिडोंग–II	हिमाचल प्रदेश	आईपीपी	70
15.	थोपन पोवारी	हिमाचल प्रदेश	आईपीपी	480
16.	कशांग– I व III	हिमाचल प्रदेश	एचपीव	195
17.	शेंगटोंग करछाम	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	402
18.	बगलीहर–II	जम्मू व कश्मीर	पीडीसी	450
19.	किरु	जम्मू व कश्मीर	निश्चित की जायेगी	600
20.	किशनगंगा	जम्मू व कश्मीर	एनएचपीसी	330
21.	कवार	जम्मू व कश्मीर	निश्चित की जायेगी	520

1	2	3	4	5
22.	परनाई	जम्मू व कश्मीर	पीडीसी	37.50
23.	पखालडुल	जम्मू व कश्मीर	एनएचपीसी	1000
24.	रातले	जम्मू व कश्मीर	निश्चित की जायेगी	690
25.	सावलकोट	जम्मू व कश्मीर	पीडीसी	1200
26.	अरकोट टिऊनी	उत्तरांचल	यूजेवीएनएल	70
27.	अलकनंदा (बद्रीनाथ)	उत्तरांचल	आईपीपी	140
28.	बोगदियार सिरकरी भ्याल*	उत्तरांचल	आईपीपी	170
29.	मापांग बोगूदियार	उत्तरांचल	आईपीपी	200
30.	बोवला नंदप्रयाग	उत्तरांचल	यूजेवीएनएल	132
31.	देवसारी डैम	उत्तरांचल	एसजेवीएनएल	690
32.	हनोई टिऊनी	उत्तरांचल	आईपीपी	42
33.	झखोल संकरी	उत्तरांचल	एसजेवीएनएल	33
34.	जेलम तमक	उत्तरांचल	टीएचडीसी	60
35.	लखवर	उत्तरांचल	एनएचपीसी	300
36.	मलेरी झेलम	उत्तरांचल	टीएचडीसी	55
37.	मोरी हनोल	उत्तरांचल	आईपीपी	60
38.	नंदप्रयाग लिंगासू	उत्तरांचल	यूजेवीएनएल	141
39.	नैटवार मोरी (देवरा मोरी)	उत्तरांचल	एसजेवीएनएल	33
40.	पाला मनेरी	उत्तरांचल	यूजेवीएनएल	480
41.	रूपसियाबागर खासियाबारा	उत्तरांचल	एनटीपीसी	260
42.	सिरकरी भ्याल रूपसियाबागर	उत्तरांचल	यूजेवीएनएल	210
43.	सिंगोली भटवारी	उत्तरांचल	आईपीपी	60
44.	तमक लता	उत्तरांचल	यूजेवीएनएल	280
45.	तालुका संकरी	उत्तरांचल	यूजेवीएनएल	140
46.	टिऊनी प्लासू	उत्तरांचल	यूजेवीएनएल	42
47.	धौलीगंगा इंटरमीडिएट	उत्तरांचल	एनएचपीसी	210
48.	गौरीगंगा चरण–III ए	उत्तरांचल	एनएचपीसी	120
49.	शाहपुर कंडी	पंजाब	पीएसईबी	168
50.	मतनार	छत्तीसगढ़	सीएसईबी	60
51.	डुम्मुगुडेम	आंध्र प्रदेश	एपीआईडी	320
52.	पोल्लावरम एमपीपी	आंध्र प्रदेश	एपीआईडी	960
53.	विन्नर	केरल	केएसईबी	28
54.	अचनकोवली	केरल	केएसईबी	30
55.	कुंडा पीएसएस	तमिलनाडु	टीएनईबी	500
56.	गुंडिया	कर्नाटक	केपीसीएल	400
57.	राम्मम चरण–I	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईबी	36
58.	पानन	सिक्किम	आईपीपी	280
59.	दिक्चू	सिक्किम	आईपीपी	96
60.	रोलेप	सिक्किम	आईपीपी	60
61.	रंगित–II	सिक्किम	आईपीपी	60
62.	रंगित–IV	सिक्किम	आईपीपी	120
63.	लाचेन	सिक्किम	एनएचपीसी	210
64.	रंगयोंग	सिक्किम	आईपीपी	80
65.	रूकेल	सिक्किम	आईपीपी	33
66.	रोगनीचू	सिक्किम	आईपीपी	96

1	2	3	4	5
67.	तीस्ता चरण–I	सक्किम	आईपीपी	280
68.	तीस्ता चरण–II	सक्किम	आईपीपी	480
69.	तीस्ता चरण–IV	सक्किम	एनएचपीसी	495
70.	तीस्ता चरण–VI	सक्किम	आईपीपी	500
71.	सियांग मिडिल (सियोम)	अरुणाचल प्रदेश	आईपीपी	1000
72.	डिब्बिन	अरुणाचल प्रदेश	निश्चित की जायेगी	100
73.	बदाओ	अरुणाचल प्रदेश	निश्चित की जायेगी	60
74.	कपाक लियाक	अरुणाचल प्रदेश	निश्चित की जायेगी	160
75.	तालोंग	अरुणाचल प्रदेश	आईपीपी	160
76.	इटालिन	अरुणाचल प्रदेश	एनटीपीसी	4000
77.	अत्तूनिली	अरुणाचल प्रदेश	एनटीपीसी	500
78.	सियांग लोअर	अरुणाचल प्रदेश	आईपीपी	1600
79.	नियामजुनछू चरण–I	अरुणाचल प्रदेश	आईपीपी	98
80.	नियामजुनछू चरण–II	अरुणाचल प्रदेश	आईपीपी	97
81.	नियामजुनछू चरण–III	अरुणाचल प्रदेश	आईपीपी	95
82.	डिबांग (संयुक्त उद्यम)	अरुणाचल प्रदेश	एनएचपीसी	3000
83.	तवांग–II	अरुणाचल प्रदेश	एनएचपीसी	750
84.	तवांग–I	अरुणाचल प्रदेश	एनएचपीसी	750
85.	लोहित	अरुणाचल प्रदेश	निश्चित की जायेगी	3000
86.	सुबानसिरी अपर	अरुणाचल प्रदेश	एनएचपीसी	2000
87.	सुबानसिरी मिडिल	अरुणाचल प्रदेश	एनएचपीसी	1600
88.	ओअर कोपिली	असम	एजेनको	150
89.	अपर बोरपानी	असम	एजेनको	60
90.	तिपाईमुख	मणिपुर	नीपको	1500
91.	उमियम उमतरु–V	मेघालय	एमईएसईबी	36
92.	गनोल	मेघालय	एमईएसईबी	25
93.	मवाहू	मेघालय	नीपको	120
				38242.50

* एक स्कीम के रूप में सम्मिलित करना प्रस्तावित है।

विवरण-IV

जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए वर्ष 2004–05 से वर्ष 2006–07 के दौरान राज्य सरकारों से प्राप्त जल विद्युत प्रस्ताव

क्रम सं.	परियोजना का नाम (राज्य)	संस्थापित क्षमता (मे.वा.)	डीपीआर स्थिति की तिथि	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	मतनार (छत्तीसगढ़)	60	अप्रैल, 2004	19.8.2004 को केविप्रा द्वारा स्वीकृत
2.	अथिरापल्ली (केरल)	163	सितम्बर, 2004	31.3.2005 को केविप्रा द्वारा स्वीकृत
3.	दुमुगुडम (आंध्र प्रदेश)	319.60	फरवरी, 2005	पूर्ण सूचना के अभाव में दिनांक 24.8.2006 को वापस

1	2	3	4	5
4.	धुकवान (उत्तर प्रदेश)	30	अक्टूबर, 2005	परियोजना की प्राक्कलित लागत 500 करोड़ रुपये से कम है इस कारण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वापस कर दी गई है तथा परियोजना को केविप्रा से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
5.	कोयना लेफ्ट बैंक कैनाल (महाराष्ट्र)	80	मार्च, 2006	प्राक्कलन लागत 500 करोड़ रुपये से कम होने के कारण डीपीआर वापस कर दी गई है तथा परियोजना को केविप्रा से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
6.	सावलकोट (जम्मू–कश्मीर)	1200	मई, 2006	पूर्ण सूचना प्राप्त करने के लिए दिनांक 23.11.2006 को प्रस्ताव वापस
7.	लोअर जुराला (आंध्र प्रदेश)	240	जुलाई, 2006	पूर्ण सूचना के अभाव में दिनांक 20.07.2006 को वापस
8.	गुंदिया (कर्नाटक)	400	जुलाई, 2006	पूर्ण सूचना करने के लिए में दिनांक 11.08.06 को प्रस्ताव वापस
9.	कुंडा (तमिलनाडु)	500	नवम्बर, 2006	पूर्ण सूचना करने के लिए दिनांक 17.11.06 को प्रस्ताव वापस
10.	पाला मनेरी (उत्तराखंड)	480	दिसम्बर, 2006	23.02.07 को केविप्रा द्वारा स्वीकृत

[हिन्दी]

कृषि विज्ञान केन्द्र

***542. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने कृषि विज्ञान केन्द्र हैं;

(ख) किन–किन स्थानों में चालू वर्ष के दौरान ऐसे केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है;

(ग) ऐसे केन्द्रों की स्थापना करने संबंधी मानदंड क्या हैं;

(घ) क्या इस कार्य में गैर–सरकारी संगठनों को भी शामिल किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) देश में कुल 551 कृषि विज्ञान केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं।

(ख) मौजूदा वर्ष के दौरान 30 ग्रामीण जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है जो प्राप्त प्रस्तावों तथा आवश्यक शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करता है। जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सरकार ने देश के प्रत्येक ग्रामीण जिले में एक–एक कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के लिए मंजूरी दे दी है। जिले से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर एक स्थान चयन दल कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के लिए संभार–तंत्र की जांच करता है।

(घ) और (ङ) कृषि विज्ञान केन्द्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों, गैर–सरकारी संगठनों, राज्य सरकारों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के लिए स्वीकृत किये जाते हैं। 551 कृषि विज्ञान केन्द्रों में से 88 कृषि विज्ञान केन्द्र गैर–सरकारी संगठनों के तहत स्वीकृत किये गये हैं।

विवरण

कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए प्रस्तावित जिलों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य	जिलों की संख्या	ग्रामीण जिलों का नाम
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	2	चांगलंग
			कुरुंग–कूने
2.	असम	3	हेलाकांडी
			मोरीगांव
			उत्तरी कछार पहाड़ियां

1	2	3	4
3.	बिहार	1	अरवल
4.	छत्तीसगढ़	5	कांकेर
			कोरिया
			राजनंदगांव
			जसपुर
			कावर्धा
5.	गुजरात	2	भावनगर
			जूनागढ़
6.	हरियाणा	1	पंचकुला
7.	झारखंड	1	सेराइकेला
8.	मध्य प्रदेश	2	अनूपपुर
			अशोकनगर
9.	मणिपुर	1	उखरूल
10.	मेघालय	2	दक्षिण गारो हिल्स
			पूर्वी गारो हिल्स
11.	उड़ीसा	1	बोलांगिर
12.	उत्तर प्रदेश	8	अम्बेडकरनगर
			बांदा
			देवरिया
			उरई
			श्रावस्ती
			संत कबीर दास नगर
			महामाया नगर
			ज्योतिबा फुले नगर
13.	पश्चिम बंगाल	1	पूर्वी मिदनापुर
	कुल	30	

[अनुवाद]

जल संचयन

***543. श्री एस. अजय कुमार :**
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए जल संचयन योजनायें शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विशेषज्ञों से परामर्श करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (घ) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सिंचाई के विकास और प्रबंधन के लिए कई उपाय किए जाते हैं जिनमें भंडारणों का सृजन, जल निकायों का पुनरुद्धार, वर्षा जल संचयन, भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण और बेहतर प्रबंधन विधियों को अपनाया जाना आदि शामिल है। राज्य सरकारें वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई स्कीमों (सतही और भूजल दोनों) की परिकल्पना योजना और कार्यान्वयन करती हैं। अब तक लगभग 213 बीसीएम भंडारण क्षमता सृजित की गई है। वर्तमान आकलन के अनुसार निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाओं की कुल अनुमानित भंडारण क्षमता 76 बीसीएम है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों ने अन्वेषण और आयोजना के लिए विभिन्न अन्य स्कीमों की पहचान की है और ऐसी स्कीमों के लिए लगभग 108 बीसीएम भंडारण होने का अनुमान है। भारत सरकार विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों जैसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी); कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यक्रम; कृषि से सीधे तौर पर जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार के लिए राष्ट्रीय परियोजना आदि के माध्यम से राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता मुहैया करा रही है। यूपीए सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में सिंचाई पर पर्याप्त बल दिया गया है। भारत सरकार जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन और भूजल के पुनर्भरण को भी प्रोत्साहन दे रही है।

जल संसाधन मंत्रालय ने सभी दावाधारकों के बीच कृत्रिम पुनर्भरण की संकल्पना और इसको अपनाये जाने को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी सलाहकार परिषद" का गठन किया है। इस परिषद में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों जैसे ग्रामीण विकास/शहरी विकास/कृषि/पर्यावरण एवं वन/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/वित्तीय संस्थानों/उद्योगों/सार्वजनिक उपक्रमों और प्रख्यात गैर-सरकारी संगठनों के विशेषज्ञ/विषय से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हैं।

[हिन्दी]

उपभोक्ता अधिकार संरक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करना

***544. श्री पंकज चौधरी :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उपभोक्ता अधिकार संरक्षण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) (i) 'देश में उपभोक्ता मंचों का कम्प्यूटरीकरण और कम्प्यूटर नेटवर्किंग' की एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है जिसके अनुसार समूची तीन स्तरीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष एजेंसियां अर्थात जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत होंगे। इसके अलावा, उनको परस्पर भी जोड़ा जाएगा। इससे उनको शीघ्र निपटान के लिए सूचना प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

(ii) उपभोक्ता मंचों के आधार ढांचे को मजबूत बनाने के राज्य सरकारों के प्रयासों को संबल प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 'उपभोक्ता संरक्षण पर एकीकृत परियोजना' नामक एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है ताकि राज्यों में प्रत्येक उपभोक्ता मंच को उसके प्रभावी कार्यकरण के लिए न्यूनतम स्तर की सुविधाएं उपलब्ध की जा सकें।

(iii) सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी है ताकि मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अतिरिक्त पीठों का गठन किया जा सके।

[अनुवाद]

कपास की उत्पादकता

***545. श्री अबु अयीश मंडल :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कपास की उत्पादकता अग्रणी कपास उत्पादक देशों में प्रति हेक्टेयर भूमि में उत्पादित कपास की गुणवत्ता और मात्रा की तुलना में काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कपास उत्पादन में विश्व स्तर तक पहुंचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) इन्टरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी (आई.सी.ए.सी.) के 1 मई 2007 के कॉटन दिस मंथ में प्रकाशित आंकलन के अनुसार भारत कपास के अन्तर्गत क्षेत्र में विश्व में पहले और उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। हालांकि भारत में कपास की उत्पादकता विश्व औसत और प्रमुख कपास उत्पादक देशों की उत्पादकता से कम है।

भारत में कपास की उत्पादकता कपास के अन्तर्गत 66 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा सिंचित होने के कारण कम है। किसानों द्वारा तुच्छ गुणवत्ता के बीजों के प्रयोग के अलावा फसल कीटों और बीमारियों के प्रति भी संवेदनशील है।

(ग) कपास की उत्पादकता, उत्पादन और गुणवत्ता को सुधारने हेतु फरवरी 2000 में कपास प्रौद्योगिकी मिशन की शुरूआत की गई थी। इस मिशन के अन्तर्गत सरकार द्वारा देश की विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त किस्मों और उत्पादन प्रौद्योगिकियों के विकास, प्रमाणित/संकर बीजों के उत्पादन और आपूर्ति, प्रदर्शनों द्वारा प्रौद्योगिकी अन्तरण, कृषको और विस्तार कर्मियों के प्रशिक्षण, समेकित कृषि प्रबंधन, कीटनाशी प्रतिरोध प्रबंधन, स्प्रेयरों, स्प्रिंकलर तथा ड्रिप सिंचाई प्रणाली की आपूर्ति, कपास की गुणवत्ता सुधारने हेतु मण्डी अवसंरचना के विकास तथा जिनिंग और प्रेसिंग इकाइयों के आधुनिकीकरण हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है।

[हिन्दी]

निजी कंपनियों द्वारा खरीद

***546. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :**
श्री रघुनाथ झा :
क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गेहूं की अत्यधिक खरीद को रोकने के लिए किए गए कड़े प्रावधानों के बावजूद भी कतिपय निजी कंपनियों ने गेहूं की खरीद के लिए किसानों को अग्रिम भुगतान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी अत्यधिक खरीद को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा गेहू की खरीद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी किए जाने के अतिरिक्त बेहतर उत्पादन और बोनस देने के बावजूद भी सरकार पर्याप्त मात्रा में गेहूं खरीदने में असमर्थ रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने और देश में गेहूं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) निजी कंपनियों द्वारा गेहूं की वसूली के लिए किसानों को अग्रिम भुगतान किए जाने के बारे में विभाग में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) वसूली की मौजूदा नीति के अनुसार किसान अपने उत्पाद को वसूली मूल्य (न्यूनतम समर्थन मूल्य जमा बोनस) पर सरकारी

को अथवा निजी पार्टियों को जो भी उन्हें लाभकारी हो, बेचने के लिए स्वतंत्र है। इससे किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होते हैं। गेहूं की वसूली के लिए निजी पार्टियों पर कोई मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं लगाया गया है क्योंकि यह किसानों के हित के प्रतिकूल होगा। तथापि, सट्टे संबंधी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए 1.3.2007 को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन 'गेहूं (कंपनियों अथवा फर्मों या व्यक्तियों द्वारा स्टाक की घोषणा) आदेश 2007 नामक अधिसूचना जारी की गई है। इस आदेश में प्रावधान है कि कोई कंपनी अथवा फर्म या व्यक्ति जो 2007-08 के दौरान 50 हजार टन से अधिक गेहूं खरीदेगा वह केन्द्र सरकार को एक रिटर्न भरेगा जिसमें कंपनी का नाम/पता, खरीदे गए गेहूं की मात्रा और स्टाक में रखे गेहूं की मात्रा दर्शायी जाएगी।

(ग) और (घ) गेहूं उत्पादक प्रमुख राज्यों में गेहूं की वसूली अभी भी जारी है। 8.5.2007 की स्थिति के अनुसार वर्तमान रबी विपणन मौसम 2007-08 में 89.56 लाख टन गेहूं की वसूली हुई है जबकि रबी विपणन मौसम 2006-07 में 91.21 लाख टन गेहूं की वसूली हुई थी। यह कमी इस साल बाजार आमद देरी से होने के कारण हुई है। बाजार आमद में यह देरी रबी विपणन मौसम 2007-08 में गेहूं उत्पादक प्रमुख राज्यों में गेहूं की कटाई फरवरी और मार्च, 2007 में वर्षा होने के कारण पिछले वर्ष की तुलना में देरी से होने और पंजाब और हरियाणा में गेहूं की कटाई पिछले वर्ष की तुलना में मशीन के बजाय श्रमिकों द्वारा अधिक प्रतिशत में होना है।

(ङ) सरकार द्वारा स्थिति से निपटने और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कल्याण योजनाओं की आवश्यकताओं हेतु देश में गेहूं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

रबी विपणन मौसम 2007-08 में गेहूं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

i) किसानों को और गेहूं उगाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रबी विपणन मौसम 2007-08 के लिए घोषित गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 750 रुपये प्रति क्विंटल पर निर्धारित किया गया है, जो 100 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। अब कृषि और सहकारिता विभाग के तृतीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार फसल वर्ष 2006-07 में 73.7 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होने की संभावना है जबकि फसल वर्ष 2005-06 में 69.3 मिलियन टन उत्पादन हुआ था।

ii) रबी विपणन मौसम 2007-08 में न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर 100 रुपये प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन बोनस भी दिया जा रहा है।

iii) रबी विपणन मौसम 2007-08 में गेहूं की वसूली को अधिकतम करने के लिए एक उपयुक्त नीति पर विचार-विमर्श करने हेतु अधिकारियों/विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई है और इस समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उपयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है।

iv) 2006-07 में 55 लाख टन गेहूं का आयात किया गया था जिससे केन्द्रीय पूल में गेहूं के स्टाक की स्थिति में सुधार हुआ है; और रबी विपणन मौसम 2007-08 की शुरुआत के समय गेहूं का स्टाक (1.4.2007 की स्थिति के अनुसार) 40 लाख टन के बफर मानदंड से अधिक था।

v) 31.12.2007 तक निजी खाते पर गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया गया है। केन्द्रीय पूल से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

vi) रबी विपणन मौसम 2007-08 की शुरूअत से पहले बाजार मूल्यों को संयत करने के लिए फरवरी और मार्च, 2007 में खुला बाजार बिक्री योजना के तहत 4 लाख टन गेहूं रिलीज करने का निर्णय लिया गया था।

vii) सरकार गेहूं के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर कड़ी नजर रख रही है।

viii) 1.3.2007 को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन गेहूं (कंपनियों अथवा फर्मों या व्यक्तियों द्वारा स्टाक की घोषणा) आदेश 2007 नामक अधिसूचना जारी की गई है। आदेश में प्रावधान है कि कोई कंपनी अथवा फर्म या व्यक्ति जो 2007-08 के दौरान 50 हजार टन से अधिक गेहूं खरीदेगा वह केन्द्र सरकार को एक रिटर्न भरेगा जिसमें कंपनी का नाम/पता, खरीदे गए गेहूं की मात्रा और स्टाक में रखे गेहूं की मात्रा दर्शायी जाएगी।

ix) उपभोक्ता मामले विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन 31 अगस्त, 2007 तक अधिसूचना की अवधि बढ़ाई है ताकि राज्य सरकारें गेहूं और दालों के स्टाक की सीमा लागू कर सकें।

x) 31.12.2007 तक निजी खाते पर गेहूं के निःशुल्क आयात की अनुमति दी गई है।

xi) रबी विपणन मौसम 2007-08 में सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूं की वसूली हेतु 13128 केन्द्र खोले गए हैं जबकि रबी विपणन मौसम 2006-07 में 8985 केन्द्र खोले गए थे।

xii) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और भारतीय खाद्य निगम के वरिष्ठ अधिकारी स्थिति का व्यक्तिगत तौर पर आकलन करने के लिए गेहूं की वसूली करने वाले राज्यों का अक्सर दौरा कर रहे हैं।

xiii) सरकार द्वारा जुलाई, 2007 तक उपयुक्त भागों में एक मिलियन टन गेहूं आयात करने का निर्णय लिया गया है।

xiv) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि जैसे राज्यों में गेहूं की वसूली को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पंजाब और हरियाणा में आढ़तिया कमीशन की तर्ज पर रबी विपणन मौसम 2007–08 के लिए समिति/उप एजेंटों को दिए जाने वाले कमीशन को बढ़ा कर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

[अनुवाद]

जल निकायों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

***547. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा भारत में जल निकायों और जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन कराया गया है अथवा कराये जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) जल संसाधनों और प्रवाह संबंधी विशेषताओं पर जलवायवीय परिवर्तन के प्रभाव के उचित आकलन की आवश्यकता का अनुभव करते हुए राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान द्वारा जल संसाधनों पर जलवायवीय परिवर्तन के प्रभाव आकलन सहित विशेष मुद्दों पर अनुसंधान शुरू किया गया है। अन्य एकेडमिक और अनुसंधान संस्थानों द्वारा भी अध्ययन शुरू किए गए हैं। जल संसाधन मंत्रालय ने सदस्य (नदी प्रबंधन), केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति का भी गठन किया है जिसके विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ–साथ "जल उपलब्धता और बाढ़ के संबंध में ग्लेशियरों में बढ़े हुए हिमगलन की बाधाओं और उपयुक्त प्रेक्षण नेटवर्क और माडलिंग तकनीकों के माध्यम से उनके अपावर्तन संबंधी अध्ययन" शामिल हैं।

भेषज उद्योग हेतु विनियामक प्राधिकरण

***548. श्री के. एस. राव : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बड़ी भेषज कंपनियों और सरकार के बीच कितने और किस प्रकार के विवाद प्रकाश में आये हैं;

(ख) नए मूल्य निर्धारण तंत्र की स्थिति क्या है क्योंकि बड़ी भेषज कंपनियां दवाओं के मूल्यों को घटाने का विरोध कर रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार दवाओं के अधिक मूल्य निर्धारित करने के मामलों की जांच करने, बकाया धनराशि के निपटान को अंतिम रूप देने और दवाइयों से संबंधित विद्यमान मूल्य निर्धारण नीति का उल्लंघन करने वाली कंपनियों को दंड देने हेतु भेषज उद्योग के लिए एक विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ 95) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 बल्क औषध एवं उन पर आधारित फार्मूलेशनों के मूल्य राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा डीपीसीओ 95 के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित किए जाते हैं। एनपीपीए उन फार्मा कंपनियों के विरुद्ध नियमित तौर पर कार्रवाई करता है जो डीपीसीओ, 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत एनपीपीए द्वारा निर्धारित/अधिसूचित मूल्यों को लागू नहीं करती हैं तथा यह एक सतत प्रक्रिया है। फार्मा कंपनियों और सरकार के बीच विवाद तब उत्पन्न होता है जब किसी कंपनी को अतिप्रभारित राशि की वसूली के लिए जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को उसके द्वारा न्यायालय में चुनौती दी जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान इस मसले पर प्रमुख फार्मा कंपनियों और सरकार के बीच लगभग 40 विवाद/मुकदमें हुए हैं।

एसएलपी सं. 3668/2003 में उच्चतम न्यायलय के निर्देशों तथा राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में गरीबों को उचित मूल्यों पर जीवनरक्षक व आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने के सरकार के घोषित उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय औषध नीति 2006 के प्रारूप में, अन्य बातों के साथ–साथ, यह प्रस्ताव है कि मूल्य नियंत्रण हेतु सूची में आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची, 2003 में यथा सन्निहित आवश्यक दवाएं होंगी।

मंत्रिमंडल ने 11.1.2007 को हुई अपनी बैठक में राष्ट्रीय औषध नीति के प्रारूप पर विचार किया। मंत्रिमंडल ने इस नीति को एक मंत्री समूह (जीओएम) को संदर्भित कर दिया है। इस जीओएम की पहली बैठक 10.4.2007 को हुई थी। राष्ट्रीय औषध नीति के अंतिम रूप दिए जाने के बारे में कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

फिलहाल एनपीपीए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (ईसी एक्ट, 1955) के तहत जारी डीपीसीओ, 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत मूल्य निर्धारण के उल्लंघन के मामलों की जांच करने वाला विनियामक प्राधिकरण है। ईसी एक्ट में बकायों के निपटारे के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

धान की खरीद में कमी

***549. श्री चन्द्रभूषण सिंह :**

श्री कैलाश मेघवाल :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खरीफ विपणन मौसम 2006-07 के दौरान धान की खरीद में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मौसम की शेष अवधि के दौरान धान की खरीद हेतु न्यूनतम सैमर्थन मूल्य के अतिरिक्त प्रोत्साहन बोनस देने की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) खरीफ विपणन मौसम 2005-06 में अब तक की सबसे अधिक 276.6 लाख टन चावल की वसूली हुई थी जबकि पिछले तीन खरीफ मौसमों में चावल की औसत वसूली 250.6 लाख टन थी। वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2006-07 में 223.5 लाख टन (9.5.2007 की स्थिति के अनुसार) धान की वसूली हुई है जो खरीफ विपणन मौसम 2005-06 में तदनुरूपी अवधि के दौरान वसूल किए गए धान से 4.5 लाख टन कम है। जहां तक चावल की कुल वसूली का संबंध है, खरीफ विपणन मौसम 2006-07 (9.5.2007 की स्थिति के अनुसार) में 216.7 लाख टन चावल की वसूली हुई है जो पिछले वर्ष की तद्नुरूपी अवधि में वसूल किए गए चावल से 16.8 लाख टन कम है।

(ख) राज्यवार वसूली के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। पंजाब और हरियाणा में कम वसूली कुछ जिलों में कम वर्षा होने के कारण उत्पादन में कमी होने की वजह से हुई है। उत्तर प्रदेश में धान की धीमी आवक और पश्चिम बंगाल में बाजार मूल्यों के अधिक होने से भी खरीफ विपणन मौसम 2006-07 में कम वसूली हुई है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2006-07 के दौरान धान की वसूली के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर 40 रुपये प्रति क्विंटल के बोनस की घोषणा की थी जो 31.3.2007 तक लागू थी। इस अवधि को कुछ राज्यों के संबंध में 1.4.2007 से आगे नीचे उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीखों तक बढ़ाया गया है :-

(i)	आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल	–	30.9.2007
(ii)	बिहार और केरल	–	31.5.2007

विवरण

चावल की वसूली की तुलनात्मक प्रगति (9 मई, 2007 की स्थिति के अनुसार)

(लाख टन में)

पारंपरिक राज्य	खरीफ विपणन मौसम 2006-07 (9.5.2007 की स्थिति के अनुसार)			खरीफ विपणन मौसम 2005-06 (9.5.2007 की स्थिति के अनुसार)		
	लेवी	धान	जोड़	लेवी	धान	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
पंजाब	7.4	105.6	78.0	10.5	116.1	88.4
हरियाणा	4.0	20.5	17.7	4.6	23.5	20.4
आंध्र प्रदेश	32.4	2.2	33.9	28.5	0.8	29.1
उप-जोड़	43.8	128.3	129.6	43.6	140.4	137.9
विकेन्द्रीकृत वसूली करने वाले राज्य						
उत्तर प्रदेश	14.7	9.4	21.0	18.6	10.5	25.6
छत्तीसगढ़	1.3	35.6	25.2	3.8	35.9	27.9
उड़ीसा	1.9	19.0	14.6	6.3	7.4	11.3
तमिलनाडु	0.0	15.8	10.6	0.0	10.7	7.2

1	2	3	4	5	6	7
पश्चिम बंगाल	3.0	3.6	5.4	3.4	12.1	11.5
उत्तराखंड	1.7	0.1	1.8	3.1	0.2	3.2
केरल	0.0	2.0	1.4	0.0	1.4	0.6
उप-जोड़	22.6	85.5	80.0	35.2	78.2	87.6
गैर-पारंपरिक राज्य						
बिहार	0.2	7.1	4.9	0.5	6.1	4.6
महाराष्ट्र	0.1	1.3	1.0	0.4	1.5	1.5
मध्य प्रदेश	0.0	1.1	0.7	0.2	1.7	1.3
अन्य	0.3	0.0	0.5	0.3	0.7	0.8
उप जोड़	0.6	9.5	7.1	1.4	10.0	8.2
जोड़	67.0	223.3	216.7	80.2	228.6	233.7

किसानों को संस्थागत ऋण

***550. श्री असादूद्दीन ओवेसी :**
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों की अधिकांश ऋण आवश्यकताएं साहूकारों और व्यापारियों जैसे साधारण/गैर-संस्थागत स्त्रोतों के माध्यम से पूरी होती हैं जो बहुत अधिक ब्याज दर लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या किसानों को संस्थागत वित्त प्रदान करने के लिए गठित की गई अनेक उच्च स्तरीय समितियों की गई सिफारिशों के बवजूद भी सरकार किसानों को नियमित रूप से संस्थागत ऋण सुनिश्चित नहीं कर पायी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान किसानों को कम ब्याज दर पर संस्थागत ऋण प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) "कृषक परिवारों की ऋणग्रस्तता" के संबंध में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन रिपोर्ट संख्या 498 में दी गई सूचना के अनुसार ऋणग्रस्त किसानों के बकाया ऋण का 57.7% औपचारिक/संस्थागत स्त्रोतों से लिया गया था जिनमें बैंक, सहकारी समितियां और सरकार शामिल हैं। बकाया ऋण की शेष 42.3% राशि अनौपाचारिक/गैर-संस्थागत स्त्रोतों से ली गई थी जिनमें कृषि/व्यावसायिक साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार और मित्र, डाक्टर, वकील आदि तथा अन्य शामिल हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि खरीफ 2006-07 से किसानों को अधिकतम 3 लाख रुपये तक की मूलधन राशि वाले फसल ऋण 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर प्राप्त होंगे और भारत सरकार इस प्रयोजन के लिए बैंकों तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को ब्याज संबंधी आवश्यक आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। तदनुसार, भारत सरकार वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को 2% ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है ताकि वे अपनी निधियों में से किसानों को 7% ब्याज दर पर फसल ऋणदे सकें। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार सहकारी बैंकों तथा आरआरबी को दिए गए रियायती पुनर्वित के संबंध में नाबार्ड को आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है। 2007-08 के केन्द्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार, अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज संबंधी 2% आर्थिक सहायता की स्कीम वर्ष 2007-08 के दौरान जारी रहेगी।

चीनी मिलों में इथेनॉल का उत्पादन

***551. डा. के. धनराजू :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को विद्यमान चीनी कारखानों से विद्युत

उत्पादन और इथेनॉल विनिर्माण हेतु सह उत्पादन संयंत्रों (को–जनरेशन प्लान्टों) की स्थापना संबंधी कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि तक इस संबंध में कितने प्रस्ताव अनुमोदित किये गये हैं, कितने लम्बित पड़े हैं और कितने नामंजूर किये गये हैं; और

(घ) प्रत्येक मामले में प्रस्तावों को नामंजूर करने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले वर्ष 2006–07 और वर्तमान वर्ष के दौरान मौजूदा चीनी फैक्ट्रियों (जिन्हें सरकार द्वारा प्लांट कोड नम्बर आबंटित किया गया है) से विद्युत सह–उत्पादन और ईथानॉल का उत्पादन करने के लिए परियोजना स्थापित करने हेतु चीनी विकास निधि से ऋण के लिए प्राप्त प्रस्ताव का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) चीनी विकास निधि संबंधी स्थायी समिति के जरिये सरकार के विचारार्थ चीनी विकास निधि ऋण के आवेदन प्राप्त होना एक सतत् प्रक्रिया है, जिसमें वर्षभर मामलों की जांच की जाती है और ऋण मंजूर अथवा नामंजूर किये जाते हैं। 2006–07 के दौरान प्राप्त हुए आवेदनों में से अनुमोदित, लंबित अथवा अस्वीकृत प्रस्तावों की स्थिति निम्नानुसार है :–

		विद्युत सह–उत्पादन	ईथानॉल
अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	–	5	–
अस्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	–	3	–
आज की तारीख को लंबित प्रस्तवों की कुल संख्या	–	21	10

(घ) ईथानॉल परियोजना के लिए किसी प्रस्ताव को नामंजूर नहीं किया गया है। विद्युत सह–उत्पादन परियोजनाओं के मामले में नामंजूरी के कारण संलग्न विवरण–II में दिए गए है।

विवरण-I

चीनी मिलों के नाम जिन्होंने 1.4.2006 से 1.5.2007 के दौरान खोई आधारित विद्युत सह उत्पादन और इथेनॉल के उत्पादन की परियोजनाओं के लिए चीनी विकास निधि से ऋण के लिए आवेदन किया

क्र.सं.	चीनी यूनिट का नाम	प्राप्त करने की तारीख
1	2	3
भाग-क	**विद्युत सह-उत्पादन परियोजना**	
1.	मै. श्री रेनुका शुगर्स लि., गांव बुरलाट्टी, अथानी कूकातनूर रोड, तालुका अथानी, जिला बेलगाम, कर्नाटक	1.4.2006
2.	मै. मवाना शुगर्स लि., नागंलामल शुगर काम्पलेक्स, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश	24.4.2006
3.	मै. मवाना शुगर्स लि, तितावी, उत्तर प्रदेश	24.4.2006
4.	मै. डीएसएम शुगर असमोली (यूनिट ऑफ धामपुर शुगर मिल्स लि.) असमोली, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	5.5.2006
5.	मै. डा. बाबा साहेब अम्बेडकर एसएसके लि., तालुका और जिला ओस्मानाबाद, महाराष्ट्र	21.6.2006
6.	मै. एनसीएस शुगर्स लि., लच्यापेटा सीतानगरम मंडल विजयानगरम जिला, आंध्र प्रदेश	1.7.2006
7.	मनकापुर चीनी मिल्स, (यूनिट ऑफ मै. बलरामपुर चीनी मिल्स लि.) मनकापुर, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश	4.7.2006
8.	मै. चामुंडेश्वरी शुगर्स लि., भारतीनगर, जिला मांडया, कर्नाटक	12.7.2006
9.	मै. डीसीएम श्रीराम कोनसोलिडेटिड लि., गांव+पो. हरियावाना, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश	8.8.2006
10.	अपर गंगेज शुगर एंड इंडस्ट्रीज लि., शिवहर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश	8.8.2006
11.	मै. द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लि., यूनिट द्वारिकेशपुरम, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश	14.8.2006
12.	मै. राणा शुगर्स लि., गांव बुत्तर सेवियां, तहसील–बाबा बकाला, जिला अमृतसर, पंजाब	13.9.2006

1	2	3
13.	मै. काल्लुकुरीची– कोआपरेटिव शुगर मिल्स, विल्लुपुरम, तमिलनाडु	5.10.2006
14.	मै. बजाज हिन्दुस्तान लि. (यूनिट थानाभवन), तहसील, थानाभवन, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश	6.10.2006
15.	मै. बजाज हिन्दुस्तान लि. बुढाना, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश	6.10.2006
16.	मै. बजाज हिन्दुस्तान लि. (यूनिट किनौली), जिला मेरठ–57, उत्तर प्रदेश	2.11.2006
17.	मै. बजाज हिन्दुस्तान लि. (यूनिट पालिया), जिला लखीमपुर खीरी	2.11.2006
18.	मै. बजाज हिन्दुस्तान लि. (यूनिट गंगौली), जिला सहारनपुर	2.11.2006
19.	मै. बजाज हिन्दुस्तान लि. (यूनिट बिलाई), जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश	2.11.2006
20.	मै. बजाज हिन्दुस्तान लि. (यूनिट खाम्बरखेड़ा), तहसील जिला लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश	2.11.2006
21.	मै. बजाज हिन्दुस्तान लि. (यूनिट बरखेरा), तहसील जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश	2.11.2006
22.	मै. केसर इंटरप्राइजेज लि. शुगर फैक्ट्री एट बहेरी, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश	8.11.2006
23.	भारत शुगर मिल्स (ए यूनिट ऑफ अपर गंगेज शुगर एंड इंडस्ट्रीज लि.) सिधवलिया, जिला गोपालगंज, बिहार	22.1.2007
24.	मै. छिलवरिया शुगर डिवीजन (सीएसडी), यूनिट ऑफ सिम्भौली शुगर्स लि., जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश	15.2.2007
25.	मै. चढ्ढा शुगर्स (प्रा.) लि., गांव मालायसिया, तहसील धनौरा, जिला जे.पी. नगर, उत्तर प्रदेश	26.2.2007
26.	मै. मालेगांव एसएसके लि., शिवनगर, तालुका बारामती, जिला पुणे, महाराष्ट्र	11.4.2007
27.	मै. उत्तम शुगर मिल्स लि., बरकतपुर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश	13.4.2007
28.	मै. मधुकोन शुगर एंड पावर इंडस्ट्रीज लि., राजेश्वरपुरम, जिला खम्माम, आंध्र प्रदेश	18.4.2007
29.	मै. राजश्री शुगर्स एंड केमिकल्स लि., यूनिट सेम्मुडु गिनगी तालुक, जिला विल्लुपुरम, तमिलनाडु	1.5.2007
भाग-ख	इथेनॉल परियोजना	
1.	मै. श्री एस.सी.एम. शुगर्स लि., मांडया, जिला कर्नाटक	15.9.2006
2.	मै. सिम्भावली शुगर मिल्स लि., शुगर यूनिट बृजनाथपुर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	18.9.2006
3.	मै. कोठारी शुगर्स एंड केमिकल्स लि., त्रिची जिला, तमिलनाडु	29.9.2006
4.	मै. द सेकसरिया बिस्वान शुगर फैक्ट्री लि., जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश	13.12.2006
5.	मै. श्री गणेश खांड उद्योग सहकारी मंडली लि., जिला भरूच, गुजरात	11.12.2006
6.	मै. बजाज हिन्दुस्तान लि. (यूनिट खाम्बरखेड़ा), तहसील जिला लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश	23.1.2007
7.	मै. बजाज हिन्दुस्तान लि. (यूनिट गंगौली) जिला सहारनपुर	23.1.2007
8.	मै. हरीनगर शुगर मिल्स लि., जिला पश्चिम चम्पारण, बिहार	21.2.2007
9.	मै. उत्तम शुगर मिल्स लि., बरकतपुर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश	20.3.2007
10.	मै. मधुकोन शुगर एंड पावर इंडस्ट्रीज लि., राजेश्वरपुरम, जिला खम्माम, आंध्र प्रदेश	18.4.2007

विवरण-II

उन चीनी मिलों के नाम जिनका 1.4.2006 से 1.5.2007 की अवधि के दौरान खोई आधारित सह-उत्पादन परियोजनाओं हेतु आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया था तथा तत्संबंधी कारणों को दर्शाने वाला विवरण

विद्युत सह-उत्पादन परियोजना

क्र.सं.	चीनी यूनिट का नाम	प्राप्त करने की तारीख	कारण
1.	मै. डा. बाबा साहेब अम्बेडकर एसएसके लि., तालुका और जिला ओस्मानाबाद, महाराष्ट्र	21.6.2006	सह-उत्पादन संयंत्र की प्रस्तावित क्षमता हेतु अपेक्षित मात्रा में खोई उपलब्ध न होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया।
2.	मै. राणा शुगर्स लि., तहसील बाबा बकाला, जिला अमृतसर, पंजाब	13.9.2006	सह-उत्पादन संयंत्र की प्रस्तावित क्षमता हेतु अपेक्षित मात्रा में खोई उपलब्ध न होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया।
3.	मै. काल्लूकुरीची-II कोआपरेटिव शुगर मिल्स, विल्लूपुरम, तमिलनाडु	5.10.2006	चूंकि परियोजना चीनी विकास निधि नियमावली, 1983 के क्षेत्राधिकार के तहत नहीं आती है इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया गया।

भंडारण क्षमता

***552. श्री एन.एस.वी. चित्तन :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा निजी क्षेत्र की भागीदारी से विभिन्न राज्यों में चलाए जा रहे गोदामों की भंडारण क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसी निजी भागीदारी से भारतीय खाद्य निगम को कितना लाभ मिलने की संभावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) भारतीय खाद्य निगम अपने गोदामों का इस्तेमाल मुख्य रूप से खाद्यान्नों के भंडारण के लिए करता है। तथापि, निगम सीधे निजी पार्टियों से और 7 वर्षीय गारंटी योजना के तहत राज्य भंडारण निगमों/राज्य एजेंसियों के जरिए गोदाम किराए पर भी लेता है। 7 वर्षीय गारंटी योजना के तहत भारतीय खाद्य निगम द्वारा किराए पर लिए गए गोदमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने 'बनाओ और चलाओ स्कीम' के तहत खाद्यान्नों की बल्क हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई संबंधी राष्ट्रीय नीति को अनुमोदित किया है। बनाओ और चलाओ स्कीम के तहत सृजित की जाने वाली भंडारण क्षमता के ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(ख) निजी गोदामों को किराए पर लेने से भारतीय खाद्य निगम को निम्नलिखित लाभ होने की संभावना है :-

(i) भारतीय खाद्य निगम को उन सभी अपेक्षित स्थानों पर गोदामों का निर्माण नहीं करना होगा जहां कमतर क्षमता को किराए पर लेने से प्रशासनिक सुविधा होती है और यह मितव्ययी होता है।

(ii) उपयोग में न लाई जाने वाली क्षमता और कर्मचारियों/अधिकारियों पर होने वाला खर्च बच जाता है क्योंकि किराए पर ली जाने वाली क्षमता जरूरत आधारित होती है और अधिशेष क्षमता को किराए पर से हटा दिया जाता है।

विवरण

निजी प्रतिभागिता के जरिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रयोग किए जा रहे विभिन्न राज्यों में राज्य-वार गोदामों की क्षमता का विवरण दर्शाने वाला विवरण

(1.4.2007 की स्थिति के अनुसार) आंकड़े लाख टन में

राज्य	भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रयोग किए जा रहे पूर्णतया निजी पार्टियों के गोदाम	भारतीय खाद्य निगम के प्रयोग हेतु निजी पार्टियों द्वारा 7 वर्षीय गारंटी योजना के तहत राज्य भंडारण निगमों/राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए गोदाम
1	2	3
बिहार	0.48	-
झारखंड	0.25	-
उड़ीसा	0.15	-
पश्चिम बंगाल	0.56	-
असम	0.37	-

1	2	3
हरियाणा	0.92	7.73
जम्मू व कश्मीर	0.11	–
पंजाब	2.63	32.10
राजस्थान	0.16	–
उत्तर प्रदेश	0.20	–
उत्तराखंड	0.05	–
महाराष्ट्र	0.49	–
मध्य प्रदेश	0.37	–
छत्तीसगढ़	0.05	–
आंध्र प्रदेश	–	17.60
जोड़	6.77	57.43

बनाओ–अपनाओ – चलाओ योजना के तहत निम्नलिखित स्थानों पर 5.5 लाख टन क्षमता के साइलों पर निर्माण किया जाना है :

सर्किट–I		सर्किट–II	
स्थान	भंडारण क्षमता (टन में)	स्थान	भंडारण क्षमता (टन में)
बेस डिपो मोगा (पंजाब)	2,00,000	बेस डिपो कैथल (हरियाणा)	2,00,000
फील्ड डिपो		बेस डिपो	
चेन्नई (तमिलनाडु)	25,000	नवी मुम्बई	50,000
कोयम्बतूर (तमिलनाडु)	25,000	हुगली (पश्चिम बंगाल)	25,000
बंगलौर (कर्नाटक)	25,000		

[हिन्दी]

इस्पात का मूल्य

***553. श्री संतोष गंगवार :**

श्री भर्तृहरि महताब :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के बजट में लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क लगाए जाने से इस्पात उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में खनन उद्योग और इस्पात कंपनियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस्पात के मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क लगाने के संबंध में खनन उद्योग और इस्पात उद्योग के विचार एक दूसरे से विपरीत हैं। खनन उद्योग ने लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क लगाने का विरोध किया है जबकि इस्पात उद्योग ने लौह अयस्क के निर्यात पर शुल्क लगाने का समर्थन किया है।

(ङ) उदारीकृत परिवेश में बाजार शक्तियां मूल्य निर्धारित करती हैं। तथापि, मूल्यों के उतार–चढ़ाव को मॉनीटर करने हेतु इस्पात मंत्रालय में इस्पात मूल्य मॉनीटरिंग समिति गठित की गई है।

गेहूं का उत्पादन

***554. श्री राकेश सिंह :**

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान देश में गेहूं के उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस वर्ष गेहूं उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) वर्ष 2006–07 के दौरान गेहूं का अनुमानित उत्पादन 73.70 मिलियन मी. टन (तीसरा अग्रिम अनुमान – 2006–07) है जो 2005–06 के दौरान 69.35 मिलियन मी. टन

(अंतिम अनुमान) के उत्पादन की तुलना में 4.35 मिलियन मी. टन अधिक है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

***555. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा :**
सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा :
क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने के संबंध में वांछित परिणाम प्राप्त करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार संपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नए सिरे से समीक्षा करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनुपूरक स्वरूप की है और इसका उद्देश्य लक्षित परिवारों के खाद्यान्नों की आवश्यकता के लगभग 50% को पूरा करना है। फिलहाल, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाती है। 35 किलोग्राम प्रति परिवार की दर से खाद्यान्नों की यह आपूर्ति अप्रैल, 2002 में शुरू की गई थी और यह अभी भी जारी है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों के उठान के रुझान में निम्नानुसार वृद्धि दिखाई दी है :–

(लाख टन में)

अखिल भारत आधार	खाद्यान्नों का वर्षवार उठान				
	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
	200.66	239.31	293.55	311.05	313.79

एक करोड़ निर्धनतम परिवारों के लिए दिसम्बर, 2000 में अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना गरीबी रेखा से नीचे के पिपरिवारों में से निर्धनतम परिवारों को कवर करती है। इस योजना का तब से तीन बार विस्तार किया गया है। फिलहाल इस योजना हेतु लगभग 2.50 करोड़ परिवारों के पात्र होने का अनुमान है। पहचान किए गए परिवारों की संख्या अप्रैल, 2007 तक बढ़कर 2.39 करोड़ हो गई है। सरकार उनको 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की अत्यधिक राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों को भी जुलाई, 2002 से संशोधित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) तथापि, प्रणाली में विपथन/लीकेज होने की शिकायतें थीं। उपचारात्मक कार्रवाई के लिए स्वतंत्र रूप से फीड बैक प्राप्त करने हेतु सरकार ने योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (मार्च, 2005) और ओआरजी मार्ग (सितम्बर, 2005) द्वारा मूल्यांकन अध्ययन करवाया था। इन अध्ययनों से पता चला है कि कुछ राज्यों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्नों की बहुत अधिक लीकेज हो रही है। केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों की लीकेज और विपथन को रोक कर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से एक 9 सूत्री कार्य योजना तैयार की है। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे इस कार्य योजना पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुशलता, जवाबदेही और प्रभावकारिता में सुधार करने के लिए इसके कार्यकरण की समीक्षा करना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। कार्य योजना के कार्यान्वयन की राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और केन्द्र सरकार द्वारा मानीटरिंग की जा रही है।

कृषि विश्वविद्यालयों को सुदृढ़ करना

***556. श्री सी.के. चन्द्रप्पन :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कृषि विश्वविद्यालयों की अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को सुदृढ़ करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन क्षेत्रों की पहचान की है जिन्हें सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देने हेतु अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) कृषि शिक्षा राज्य सरकारों का विषय है अतः राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। भारतीय कृषि अनुसंधान

परिषद (भा.कृ.अ.प.) कृषि शिक्षा की क्वालिटी और सुसंगतता बनाने और कृषि विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक उत्कृष्टता मुहैया कराने के लिए केवल सीमित वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पिछले 5 वर्षों के दौरान मुख्य रूप से शैक्षणिक ब्लॉकों, प्रयोगशालाओं, फार्मों, पुस्तकालय, प्रयोगात्मक यूनिटों, होस्टलों, प्रौद्योगिकी सैलों, परीक्षा सैल, नए बालिका छात्रावासों, अन्तर्राष्ट्रीय होस्टलों को सुदृढ़ बनाने और उनके आधुनिकीकरण, उत्कृष्ट केन्द्रों के निच क्षेत्रों की स्थापना, प्रयोगात्मक लर्निंग यूनिटों, उत्कृष्ट उपकरणों की खरीद, फैकल्टी को अपडेट करने वाले कार्यक्रम और छात्रों से संबंधित गतिविधियों जैसे फैलोशिप, प्रेक्टिकलों, पाठ्यपुस्तकों, प्लेसमेंट सैलों, काउन्सलिंग, शिक्षण सामग्री, अध्ययन दौरों तथा अन्य सुविधाओं के लिए आकस्मिक व्यय हेतु राज्यवार/विश्वविद्यालयवार वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

भारत सरकार कृषि विश्वविद्यालयों को भी विशेष अनुदान देती है। कृषि विश्वविद्यालयों को मुहैया कराए गए ऐसे विशेष अनुदान का विवरण निम्न प्रकार है :–

1. शेर–ए–कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू की स्थापना के लिए प्रधान मंत्री द्वारा 68 करोड़ रु. के विशेष अनुदान की घोषणा की गई।

2. हरित क्रान्ति में अपने अग्रणी योगदान के लिए विशिष्ट संस्थान की अभिस्वीकृति के रूप में सर्वोत्तम संस्थान के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रु. का विशेष अनुदान।

3. वित्त मंत्री द्वारा तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर की उत्कृष्टता के सम्मान के लिए 50 करोड़ रु. का विशेष अनुदान।

4. वित्त मंत्री द्वारा गोविन्द बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर की उत्कृष्टता के सम्मान के लिए 50 करोड़ रु. का विशेष अनुदान।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कुलपतियों के वार्षिक सम्मेलन, IXवीं योजना उच्चाधिकार प्राप्त समीक्षा समिति, चौथी डीन समिति रिपोर्ट और कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर योजना आयोग के एप्रोच पेपर जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से पहचाने गए प्राथमिक क्षेत्रों में कृषि विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

विवरण

कृषि शिक्षा के सुदृढ़ीकरण तथा विकास के लिए पिछले पांच वर्षों (दसवीं योजना) के दौरान कृषि विश्वविद्यालयों को प्रदान की गई निधि

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	2002–2003	2003–2004	2004–2005	2005–2006	2006–2007
1	2	3	4	5	6	7
असम						
1.	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट	36.79	32.73	188.00	800.00	1457.37
आंध्र प्रदेश						
2.	आचार्य एन. जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	262.81	286.91	392.44	352.39	1019.97
3.	श्री वैंक्टेश्वर पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, तिरूपति			0.00	0.00	450.00
बिहार						
4.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा	190.00	229.50	161.00	310.00	1393.50
छत्तीसगढ़						
5.	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	165.00	159.00	172.00	440.19	1019.90
गुजरात						
6.	सरदार कृषि नगर दंतीवाडा कृषि.विश्वविद्यालय, दंतीवाड़ा	215.00	233.00	73.25	225.00	526.20

1	2	3	4	5	6	7
7.	आनन्द कृषि विश्वविद्यालय, आनन्द	0.00	0.00	63.25	224.00	750.00
8.	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी	0.00	0.00	62.25	225.00	675.00
9.	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़	0.00	0.00	62.25	225.00	630.00
हरियाणा						
10.	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	180.39	240.67	391.46	658.97	1368.97
हिमाचल प्रदेश						
11.	चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	206.79	205.99	182.25	872.62	1176.63
12.	डा. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	110.00	111.50	152.00	809.80	1558.70
जम्मू एवं कश्मीर						
13.	शेरे कश्मीर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू	130.00	135.75	156.00	455.00	905.00
14.	शेरे कश्मीर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर	94.38	107.68	1591.00	2708.61	3425.39
झारखण्ड						
15.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची	145.00	247.00	161.00	640.00	1131.36
कर्नाटक						
16.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	203.96	211.03	347.29	457.21	942.56
17.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ –580005	168.37	192.26	384.41	370.01	844.37
18.	कर्नाटक पशु चिकित्सा विज्ञान, पशु पालन एवं मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, बीदर	0.00	0.00	0.00	150.00	458.00
केरल						
19.	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिशूर	170.00	244.00	340.00	402.24	1139.00
मध्य प्रदेश						
20.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	165.00	218.50	186.00	646.30	1537.79
महाराष्ट्र						
21.	डा. बाला साहब सावन्त कोंकण कृषि विद्यापीठ, दपोली	140.00	110.00	170.00	381.00	618.00
22.	महाराष्ट्र पशु एवं मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, नागपुर	130.00	141.00	393.00	282.70	641.25
23.	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभणी	142.80	153.16	215.25	369.39	330.86
24.	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी	140.00	164.50	162.00	445.00	807.24
25.	डा. पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय, अकोला	115.00	134.50	152.00	381.00	945.00

1	2	3	4	5	6	7
	उड़ीसा					
26.	उड़ीसा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	147.00	153.50	182.00	569.75	1264.00
	पंजाब					
27.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	248.94	257.49	578.47	481.39	916.97
28.	गुरू अंगद देव पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, लुधियाना	0.00	0.00		0.00	592.00
	राजस्थान					
29.	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	172.89	175.50	150.00	416.00	889.00
30.	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	213.51	182.52	441.26	606.39	1015.94
	तमिलनाडु					
31.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	165.00	214.00	308.00	366.50	1034.50
32.	तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, चेन्नई	115.00	125.75	150.00	437.00	727.50
	उत्तर प्रदेश					
33.	इलाहाबाद कृषि संस्थान, इलाहाबाद मानद विश्वविद्यालय,	43.19	53.75	40.00	99.93	132.00
34.	चन्द्र शेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	200.00	270.50	169.00	696.25	683.30
35.	दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, मथुरा	120.00	150.50	122.00	229.00	524.10
36.	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद	140.00	179.00	145.00	350.00	612.00
37.	सरदार बल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ	180.00	204.00	114.50	164.00	569.52
	उत्तरांचल					
38.	गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	236.19	256.87	237.46	828.09	1547.01
	पश्चिम बंगाल					
39.	विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर	94.00	106.05	135.00	371.85	801.80
40.	उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय, कूचबिहार	90.00	109.75	114.00	489.00	598.50
41.	पश्चिम बंगाल पशु एवं मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता	190.00	175.75	118.00	250.00	320.50
	कुल	5467.01	6173.61	9162.79	19186.58	37980.70
42.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	80.22	76.00	75.00	138.00	276.00
43.	भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	70.24	58.00	26.00	104.00	502.50
44.	केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुम्बई	35.25	46.00	52.00	33.00	327.00
45.	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर	52.18	66.00	47.00	199.00	286.00
	कुल	237.89	246.00	200.00	474.00	1391.50

1	2	3	4	5	6	7
46.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	48.33	34.00	23.00	54.50	110.00
47.	बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी	47.66	34.00	41.00	154.00	259.50
48.	विश्व भारती श्रीनिकेतन	0.00	19.00	21.00	43.00	77.50
49.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, मेंदजिफेमा	0.00	0.00	0.00	50.00	354.50
50.	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान तथा प्रबंध अकादमी, हैदराबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00
	कुल	95.99	87.00	85.00	301.50	878.50
51.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल	1554.00	2295.00	2686.00	5476.00	8049.00
	कुल योग	7354.89	8801.61	12133.79	25438.08	48299.70

[हिन्दी]

'नेफेड' द्वारा रेपसीड और सरसों (राई) की खरीद न करना

***557. श्री हरिसिंह चावडा :**

श्री जीवाभाई ए. पटेल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) गोदामों की कमी के कारण किसानों से रेपसीड और सरसों (राई) की खरीद करने की स्थिति में नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड ने रबी फसल मौसम 2006-07 के दौरान 1715 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से उचित औसत गुणवत्ता के तौरिया/सरसों के बीज की खरीद की व्यवस्था की है। इसमें इसके भण्डारण हेतु जगह भी शामिल है। नेफेड द्वारा यह सूचित किया गया है कि वर्तमान रबी फसल मौसम के दौरान सरसों के बीज के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक हैं। तथापि नेफेड ने राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब राज्यों में जहां कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्यों से नीचे चल रही हैं, राज्य के किसानों से राज्य सहकारी विपणन संघों/तिलहन उत्पादक सहकारी संघों के जरिए रबी 2006-07 मौसम के दौरान मूल्य समर्थन स्कीम के अधीन 20,840 मी. टन सरसों के बीज की खरीद की है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय तट संरक्षण परियोजना के अंतर्गत प्रस्ताव

***558. श्रीमती निवेदिता माने :**

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय तट संरक्षण परियोजना के अंतर्गत अनुमोदन हेतु प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त प्रस्तावों हेतु कब तक स्वीकृति दी जाएगी और कब तक वित्तीय सहायता जारी की जाएगी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) समुद्री कटावरोधी कार्यों संबंधी स्कीमों की आयोजना और कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। ऐसे कार्यों के महत्व को स्वीकार करते हुए केन्द्रीय जल आयोग ने बाह्य सहायता प्राप्त करने के लिए स्कीम तैयार करने के दृष्टिकोण से राज्य सरकारों से गंभीर पहुंचों की पहचान करने और उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों, लक्षद्वीप और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर एक संकल्पना पत्र तैयार किया गया और उपयुक्त बाह्य वित्तपोषण अभिकरण की पहचान करने के लिए इसे आर्थिक मामला विभाग (डीईए) को भेजा गया। डीईए ने विचार किए जाने के लिए इस संकल्पना पत्र को एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) को भेज दिया है। एडीबी ने "एकीकृत तटीय प्रबंधन और संबंधित निवेश विकास" संबंधी तकनीकी अध्ययनों के लिए भारत सरकार को तकनीकी सहायता दिए जाने का अनुमोदन कर दिया है। एडीबी के एक संकल्पना मिशन ने सितम्बर-नवम्बर, 2006 के दौरान तीन राज्यों का दौरा किया। एडीबी के एक तथ्यान्वेषी मिशन ने अप्रैल-मई, 2007 के दौरान तीन राज्यों अर्थात महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक का दौरा किया। एडीबी द्वारा वित्तीय सहायता के संबंध में निर्णय इस मिशन द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन पर निर्भर करता है।

विवरण

बाह्य वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए स्कीम में शामिल किए जाने के वास्ते
राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा

राज्य का नाम	शामिल किए गए कार्यों का ब्यौरा	प्रस्ताव की राशि (रुपये करोड़ में)	प्रस्ताव में शामिल स्थान/जिले
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	1) काकीनाडा के निकट उप्पादा और पास के गांवों में तट कटाव के नजदीक समुद्री दीवार का निर्माण	35.65	काकीनाडा के निकट उप्पादा और पास के गांव तथा पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा जिलों में कुछ स्थान
	2) पूर्वी गोदावरी जिले में चिन्नागोल्लापालेम (v) के संबंध में समुद्री कटाव से सुरक्षा व्यवस्थाएं		
	3) कृष्णा जिले में कृथिवेन्नु मंडलम के गांवों की सुरक्षा के लिए ज्वारीय किनारे का निर्माण		
	4) कृष्णा जिले में 43 कि.मी. लंबे केईटी और कोना ज्वारीय किनारों की मरम्मत और पुनरुद्धार		
गोवा	1) समुद्री दीवार का निर्माण (7.50 कि.मी.)	55.00	परनेम, बार्देज, सालसेटे, कनाकोना, तिस्वाडी तालुक
	2) समुद्री दीवार को पुनः बनाना (1.50 कि.मी.)		
	3) नदी तट सुरक्षा कार्य (4.00 कि.मी.)		
	4) क्षतिग्रस्त नदी तट सुरक्षा कार्य को पुनः करना (3.00 कि.मी.)		
गुजरात	समुद्री कटावरोधी कार्य (61.295 कि.मी.)	400.22	वलसाड, नवासारी, सूरत, भरूच, जामनगर, भावनगर, अमरेली, जूनागढ़ जिलों के कुछ हिस्से
कर्नाटक	1) समुद्री दीवार का निर्माण (49.875 कि.मी.)	291.716	दक्षिण कन्नड़ जिले में मंगलोर, उडुपी और कुंडापुर तालुकों तथा उत्तर कन्नड जिले में भटकल, होनावर, कुंटा, अकोला और करवार तालुको में कुछ स्थान
	2) क्षतिग्रस्त समुद्री दीवार को पुनः बनाना (24.995)		
केरल	1) समुद्री दीवार का निर्माण (52.065 कि.मी.)	216.96	तिरूवनंतपुरम, कोल्लाम, अलापुझा, एर्नाकुलम, थिस्सूर, मंजेरी, कोझिकोड, थालेस्सेरी, कसारगोड प्रभागों में कुछ स्थान
	2) ग्रोइन्स का निर्माण (21)		
	3) समुद्री दीवार को पुनः बनाना (59.448)		

1	2	3	4
महाराष्ट्र	समुद्री कटावरोधी कार्यों के लिए बंधों का निर्माण (72.36 कि.मी.)	193.801	मुंबई, उपशहरी मुंबई, थाने, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग जिलों में कुछ स्थान
उड़ीसा	1) खुले तटों पर समुद्री दीवार का निर्माण (66.20 कि.मी.) 2) नदियों के मुहाने पर समुद्री दीवार का निर्माण (23.35 कि.मी.)	304.517	गंजम, पुरी, केन्द्रपाडा, बालासोर, जगतसिंहपुर और भद्रक जिलों में कुछ स्थान
तमिलाडु	13.824 कि.मी. की समुद्री दीवारों/ग्रोइन्स का निर्माण	167.692	उत्तर चेन्नई, कांचीपुरम, कुड्डालोर, नागापट्टिनम, थियूथूकुडी, तिरूनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों में कुछ स्थान
पश्चिम बंगाल	नदियों की ज्वारीय पहुंचों में 10.75 कि.मी. के तट सुरक्षा कार्यों और 36.50 कि.मी. के तट सुरक्षा कार्यों का निर्माण	256.23	24 परगना (दक्षिण), 24 परगना (उत्तर) और दीघा में कुछ स्थान
पुडुचेरी	पांडिचेरी क्षेत्र (5.40 कि.मी.) और माहे क्षेत्र (1.00 कि.मी.) में चट्टानी रिवेटमेंट के लिए पुनर्भरण/पुनर्निर्माण और मानकीकरण उपलब्ध कराना	25.50	पांडिचेरी, माहे क्षेत्र में कुछ स्थान
लक्षद्वीप	72.57 कि.मी. के समुद्री कटाव रोधी कार्य	142.307	अगात्ती, अमीनी, एंड्राट, बित्रा, चेतलात, कदमात, कालपेनी, कावारत्ती, किलतान और मिनिकॉय द्वीप समूहों में तटरेखा का एक हिस्सा

पर्यावरण क्षेत्र हेतु विनियामक तंत्र

***559. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत से पर्यावरण क्षेत्र में अपनी 'मल्टीस्टेक होल्डर पार्टनरशिप' और सरकारी भागीदारी को बढ़ाने के लिए कहा है जैसा कि दिनांक 11 अप्रैल, 2007 के 'द हिन्दु' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अर्थव्यवस्था और सफल वैश्विक संव्यवहारों की जरूरतों को पूरा करने तथा बढ़ते हुए आदेशों और मांगों के अनुरूप पर्यावरणीय विनियामक की क्षमता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए विनियामक तंत्र का विस्तार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) विश्व बैंक ने "स्ट्रैन्थनिंग इंस्टीट्यूशन्स फॉर ससटेनेबल ग्रोथ कन्ट्री एन्वायरमेंट एनालेसिस फॉर इंडिया", शीर्षक से अप्रैल, 2007 में जारी अपनी रिपोर्ट में पर्यावरण क्षेत्र में मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप और सार्वजनिक भागीदारी को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को बताया है। रिपोर्ट में योजना का विकास और पर्यावरणीय प्रबंधन में सभी स्टेक-होल्डरों की भागीदारी को समर्थन देने के लिए, दीर्घावधि राष्ट्रीय आधार पर इसके निष्पादन की सिफारिश की गई है।

(ख) सरकार बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विनियामक तंत्रों के विस्तार करने की जरूरत से अवगत है और इसे सफल वैश्विक संव्यवहारों के समरूप बनाती है। यह पर्यावरणीय अभिकरणों के डिसपोजल पर इनसेन्टिव मेकेनिज़्म सहित विभिन्न विनियामक और प्रशासनिक तंत्रों को सतत रूप से सुदृढ़ बना रही है। सरकार विकसित देशों में, वर्तमान में व्यवहार में लाये जा रहे नए विनियामक कार्यक्रमों की पुनरीक्षा कर रही है और पता लगा रही है और उसने प्रदूषक स्रोतों की विभिन्न श्रेणियों के लिए लार्ज प्वाईंट स्रोतों के लिए अतिरिक्त, विशेषकर लक्षित गतिविधियों के लिए, जिससे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विभिन्न एप्रोच प्रारम्भ किए

है। कुछ चालू कार्यक्रमों में छोटे और मध्यम प्रतिष्ठानों के समूहों के लिए प्रभावी पैकेजों सहित, जिसमें राष्ट्रीय डिस्चार्ज मानकों के अनुप्रयोग में विनियमित स्रोतों की विशाल विविधता को मानते हुए, विस्तृत आऊटरीच और अनुपालन सहायता सहित संकेन्द्रित प्रवर्त्तन प्रयास किए गए हैं।

(ग) सरकार बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए पर्यावरणीय विनियामकों की क्षमता और जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठा रही है। वर्ष 2001 से प्रारम्भ हुए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया को पुनः निर्मित करने के कार्य की परिणति दिनांक 14.9.2006 को जारी की गई नई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के रूप में हुई। इस अधिसूचना का उद्देश्य पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया को प्रभावी, कुशल और विकेन्द्रित बनाना था। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए, उपरोक्त अधिसूचना में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन में इस क्रम में प्रावधान किया गया है ताकि विकास परियोजनाओं के प्रभावों की पहचान की जा सके और परियोजना की योजना चरण पर प्रशमन उपाय किए गए। इनके अतिरिक्त, सरकार प्रदूषण प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण को बढ़ाने के संबंध में कार्य कर रही है और पर्यावरणीय अभिकरणों/अन्य स्टेक–होल्डरों को संसाधनों और अंतर्राष्ट्रीय जानकारी उपलब्ध करा रही है।

[हिन्दी]

ई.पी.एफ.एस. के अंतर्गत मीडिया संगठनों के कर्मचारी

***560. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख :** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मीडिया संगठनों के राज्यवार कितने कर्मचारियों को, कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) योजना के अंतर्गत कवर किया गया है;

(ख) उपर्युक्त में से कितने कर्मचारी इस निधि में अपने अंशदान की नियमित रूप से अदायगी कर रहे हैं; और

(ग) भविष्य निधि अंशदान की वसूली हेतु किन–किन संगठनों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, मीडिया संगठनों के 1,21,410 कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम के दायरे में आते हैं जिनमें से 1,06,611 कर्मचारियों के संबंध में अंशदान नियमित रूप से मिल रहा है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण–I पर है।

(ग) भविष्य निधि अंशदान की वसूली हेतु जिन संगठनों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है उनके नाम संलग्न विवरण–II पर दिए गए हैं।

विवरण-I

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत मीडिया संगठनों की क्षेत्र–वार स्थिति

क्रम सं.	क्षेत्र का नाम	देश में ई पी एफ स्कीम के अंतर्गत लाए गए मीडिया कर्मचारियों की संख्या	नियमित रूप से अपना अंशदान भुगतान करने वाले कर्मचारियों की सं.
1.	आंध्र प्रदेश	15,586	11,939
2.	बिहार	1,198	1,198
3.	छत्तीसगढ़	766	766
4.	दिल्ली	10,877	9,882
5.	गोवा	583	583
6.	गुजरात	1,695	1,695
7.	हिमाचल प्रदेश	48	48
8.	हरियाणा	284	284
9.	झारखण्ड	778	511
10.	कर्नाटक	3,674	3,674
11.	केरल	9,414	8,552
12.	महाराष्ट्र	36,304	33,941
13.	मध्य प्रदेश	2,903	2,271
14.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	1,765	1,466
15.	उड़ीसा	1,033	972
16.	पंजाब	5,859	3,872
17.	राजस्थान	2,300	2,300
18.	तमिलनाडु	12,519	12,519
19.	उत्तरांचल	280	280
20.	उत्तर प्रदेश	8,581	6,274
21.	पश्चिम बंगाल	4,963	3,584
		1,21,410	1,06,611

विवरण-II

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत मीडिया संगठनों का क्षेत्र–वार ब्यौरा

क्रम सं.	क्षेत्र का नाम	उन संगठनों के नाम जिनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई
1	2	3
1.	बिहार	1. मैसर्स न्यूज पेपर एंड पब्लिकेशन्स
2.	दिल्ली	1. वीर अर्जुन
		2. एसोसिएटेड जर्नल लि.
		3. जी इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया
		4. जैन स्टूडियो
3.	झारखंड	1. संप्रति प्रकाशन
4.	केरल	1. मुस्लिम प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग कम्पनी
		2. इंडियन एक्सप्रेस (एम.) लि.
		3. जन्मभूमि दैनिक
		4. वीक्षानम् पब्लिशिंग
		5. केरल टाइम्स
		6. जीवन टेलिकास्टिंग निगम
		7. मंगलम् पब्लिकेशन्स इंडिया (प्रा.) लि.
		8. मलयालम कम्युनिकेशंस
5.	महाराष्ट्र	1. अक्षर कम्यूनिकेशंस
		2. बिजनेस इंडिया लि.
		3. माक्रोवेव कम्युनिकेशंस लि.
		4. क्लॉथ्सलाइन मीडिया प्राइवेट लि.
		5. टेली वीडियो कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लि.
		6. जलवा मीडिया इंडिया प्राइवेट लि.
		7. डी एस जे कम्युनिकेशंस लि.
		8. वीनस मल्टीमीडिया प्राइवेट लि.
		9. साइमम कम्युनिकेशन
		10. वैल्युएबल मीडिया प्रा. लि.
		11. विदर्भ पब्लिकेशन्स
		12. दैनिक राष्ट्रशक्ति
6.	मध्य प्रदेश	1. नवीन दुनिया प्रेस
		2. द हितवाडा
		3. हिन्दी एक्सप्रेस
		4. नवभारत प्रेस
		5. दैनिक जागरण
7.	पूर्वोत्तर रेलवे	1. दैनिक सोनार कचार
		2. अजीर असोम
		3. राजश्री पब्लिकेशंस
		4. रामधेनु प्रकाशन (प्रा.) लि.
8.	उड़ीसा	1. मातृभूमि
		2. स्वराज्य प्रेस
		3. उत्कल संबाद प्रकाशन (प्रा.) लि.
		4. एक्सप्रेस प्रचार समिति
		5. प्रजातंत्र प्रचार समिति
		6. दैनिक आशा
9.	पंजाब	1. हिन्द प्रेस
		2. हिन्द समाचार लि.
10.	उत्तर प्रदेश	1. डी ए चेतना प्रकाशन
11.	पश्चिम बंगाल	1. द स्टेट्समैन
		2. अमृत बाजार पत्रिका
		3. संचारी समाचार
		4. आजा भोली

गन्ने की आदान लागत

***561. श्री हरिकेवल प्रसाद :**

श्री वी. के. ठुम्मर :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गन्ने के उत्पादन की आदान लागत निकाली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार प्रति हैक्टेयर गन्ने की कितनी आदान लागत आई;

(ग) किन–किन राज्यों में उक्त लागत कम या अधिक है तथा अधिक या कम आदान लागत के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) गन्ना की पैदावार लागत तथा प्रति क्विंटल उत्पादन की लागत को राज्य कृषि तथा अन्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से वर्षिक आधार पर कार्यान्वित "भारत में प्रमुख फसलों की उत्पादन लागत का अध्ययन करने के लिए व्यापक स्कीम" के आधार पर निकाली जाती है। 2004–05 से 2006–07 वर्षों के दौरान प्रमुख राज्यों में गन्ने की खेती के लिए पट्टे पर ली गई भूमि के लिए भुगतान किराया सहित नकद तथा अन्य प्रकार के किए गए व्यय के अनुसार मापे गए आदान लागतों के नवीनतम उपलब्ध अनुमानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जैसाकि अनुबन्ध में देखा जा सकता है 2004–05 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य के लिए 18,845.56 रुपए प्रति हैक्टेयर की न्यूनतम आदान लागत तथा इसी वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य के लिए 50,382.80 रुपए प्रति हैक्टेयर की अधिकतम लागत नोटिस की गई थी। लागत अन्तर, फसल अवधि, अपनाई गई तकनीक, प्रयुक्त निवेशों, उनके मूल्यों, बोए गए तथा पेड़ी (रैटून) गन्ने के अनुपात जैसे कारकों के कारण हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को उनकी गन्ना फसल के लिए लाभकारी मूल्य मिल सके, सरकार प्रतिवर्ष गन्ना के सांविधिक न्यूनतम मूल्यों की घोषणा करती है। कुछ राज्य सांविधिक न्यूनतम मूल्यों से अधिक राज्य परामर्शी मूल्यों की घोषणा करते हैं। इसके अलावा गन्ना के उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, राज्यों को निरूपण तथा प्रशिक्षण, औजार, बीजक गुणन तथा टपकन सिंचाई ढांचे हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

गन्ने की खेती की आदान लागतें (ए2 + एफ एल)

(रुपये प्रति हैक्टेयर)

प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य	2004–05	2005–06*	2006–07*
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	31679.42	40248.78	35179.01
हरियाणा	20506.02	28147.68	24194.34
कर्नाटक	38873.46	36425.76	39608.47
महाराष्ट्र	50382.80	46768.24	49211.33
तमिलनाडु	42167.96	47814.79	45125.69
उत्तर प्रदेश	18845.56	22944.59	23652.03

कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा प्रक्षेपित लागतें

टिप्पणी : 1. बुआई की ए 2 लागत में बीज, उर्वरक, सिंचाई, मानवीय, पशु तथा मशीनी श्रम इत्यादि पर किए गए नकद तथा अन्य प्रकार के सभी खर्चे जिसमें पट्टे की भूमि के लिए भुगतान किया गया किराया शामिल है, शामिल है।

2. एफ एल : पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य

[हिन्दी]

'कपार्ट' के कार्यकरण की समीक्षा

5048. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में लोक कार्यवाही एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद् (कपार्ट) द्वारा किए जा रहे कार्यकलापों का योजनाओं सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 'कपार्ट' के कार्यकलापों की नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) कपार्ट में लंबित पड़े प्रस्तावों का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे विलंबन के क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) राजस्थान में लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कपार्ट) द्वारा किए जा रहे प्रमुख कार्यकलाप धुंआरहित चूल्हा और शौचालययुक्त मकानों के निर्माण, जल भंडारण टैंकों की खुदाई/नवीकरण, कृषि भूमि का समतलीकरण और इसे उपजाऊ बनाने, हैंडपंप लगाने, स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, वर्मीकम्पोस्ट पिटों के निर्माण, कम ईंधन वाले शवदाह गृहों के निर्माण, औषधीय पौधों की खेती, जागरूकता सृजन शिविरों के आयोजन, रोकबांधों के निर्माण, ग्रामश्री मेलों के आयोजन आदि संबंधित हैं। ये क्रियाकलाप कपार्ट की विभिन्न योजनाओं अर्थात् जन सहयोग (पीसी), ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रोन्नयन योजना (आर्टस), लाभार्थियों का संगठन (ओबी), अभिनव ग्रामीण आवास (आईआरएच), वाटरशेड विकास (डब्ल्यूएसडी) आदि के अंतर्गत किए जा रहे हैं।

विगत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य में गैर–सरकारी

संगठनों के लिए स्वीकृत योजनाओं के साथ–साथ स्वीकृत एवं रिलीज की गई राशि संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। कपार्ट की कार्य प्रणाली को सरल बनाने के लिए सरकार ने वर्ष 2002 में सचिव (ग्रामीण विकास) की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर कपार्ट ने कुछ उपाय किए हैं जो राष्ट्रीय स्थायी समितियों के पुनर्गठन और कपार्ट में विभिन्न प्राधिकरणों/समितियों की वित्तीय शक्तियों को पुनः परिभाषित करने से संबंधित हैं। इसके अलावा श्री विनय शंकर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी ताकि परियोजनाओं के संचालन में विलंब तथा प्रक्रियात्मक खामियों के पहलुओं की जांच–पड़ताल की जा सके और कपार्ट की कार्य प्रणाली को सरल बनाने के उपाय सुझाए जा सकें। समिति ने कपार्ट की कार्य प्रणाली को सरल बनाने की विभिन्न सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कपार्ट ने समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के उपाय किए हैं।

(घ) 7 मई, 2007 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों में 2180 प्रस्ताव लंबित पड़े हैं, जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

(ङ) विलंब का मुख्य कारण दूर–दराजों के क्षेत्रों में स्थित स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के संबंध में अनिवार्य जानकारी/दस्तावेज प्राप्त करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। तथापि, पात्र परियोजना प्रस्ताव जांच तथा वित्तपोषण पूर्व मूल्यांकन जैसी विभिन्न प्रक्रियागत अवस्थाओं में तथा राष्ट्रीय स्थायी समितियों/संबंधित क्षेत्रीय समितियों के विचाराधीन हैं।

विवरण-I

क्रम सं.	योजना	2004–05		2005–06		2006–07	
		स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1.	आट्र्स	4932942	4368478	1118800	1072250	20164977	1993764
2.	पीसी	1781821	1781821	3377220	3200202	47371200	1830560
3.	ओबी	565000	565000	–	–	97642	43328
4.	अन्य**	200000	200000	8285575	7494857	9887494	5010547

आट्र्स – ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रोन्नयन योजना

पीसी – जन सहयोग

ओबी – गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लाभार्थियों का संगठन

** प्राकृतिक संसाधन विकास एवं प्रबंधन, ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास योजना, ग्रामीण औद्योगिकीकरण, आय सृजन एवं बाजार की उपलब्धता, ग्रामीण विकास आंदोलन, ग्रामीण विकास प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रोन्नयन, मानव संसाधन विकास और महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में अ.जा./अ.ज.जा. और उपेक्षित समूहों तथा विकलांग व्यक्तियों को अधिकार संपन्न बनाने की योजना सहित अन्य योजनाएं।

विवरण-II

लंबित प्रस्तावों की राज्य–वार संख्या

(07.05.2007 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य का नाम	लंबित प्रस्तावों की सं.
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	248
2.	असम	92
3.	अरुणाचल प्रदेश	6
4.	बिहार	151
5.	छत्तीसगढ़	3
6.	चंडीगढ़	–
7.	दिल्ली	–
8.	गुजरात	48
9.	हरियाणा	157
10.	हिमाचल प्रदेश	30
11.	जम्मू व कश्मीर	28
12.	झारखंड	21
13.	कर्नाटक	133
14.	केरल	93
15.	मध्य प्रदेश	58

1	2	3
16.	महाराष्ट्र	28
17.	मणिपुर	122
18.	मेघालय	5
19.	मिजोरम	2
20.	नागालैंड	30
21.	उड़ीसा	112
22.	पंजाब	30
23.	राजस्थान	66
24.	सिक्किम	1
25.	तमिलनाडु	28
26.	त्रिपुरा	17
27.	उत्तर प्रदेश	558
28.	उत्तरांचल	43
29.	प. बंगाल	69
30.	गोवा	1
31.	पांडिचेरी	–
	कुल	2180

[अनुवाद]

अनुसंधान और विकास हेतु कंपनियों को आसान शर्तों पर ऋण

5049. चौ. मुनव्वर हसन : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) ने अनुसंधान और विकास के लिए विभिन्न कंपनियों को आसान शर्तों पर भारी राशि स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऋण स्वीकृत करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(घ) कितनी कंपनियों को ऋण की राशि प्रदान की गई, ऋण की अवधि कितनी थी और परियोजना का नाम क्या था;

(ङ) ऋण वसूली की वर्तमान स्थिति क्या है;

(च) क्या ऋण प्रदान करने के बाद कोई कंपनी रुग्ण हो गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी, हां। सीएसआईआर नई सहस्राब्दि भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल (एनएमआईटीएलआई) कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी गैर–सरकारी भागीदारी मोड में सुकेन्द्रित परियोजनाओं के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास कार्य करने के लिए उद्योग को 3 प्रतिशत ब्याज पर सुलभ ऋण उपलब्ध कराता है। विभिन्न परियोजना में जारी ऋण का ब्यौरा संलग्नक–I पर दिया गया है। परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद यह ऋण ब्याज सहित 10 वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना होता है।

(ग) उद्योग जनित परियोजनाओं की चयन प्रक्रिया काफी लम्बी होती है। यह प्रक्रिया अग्रणी राष्ट्रीय दैनिकों में प्रेस विज्ञापन देने और बड़ी संख्या में उद्योगों को अलग–अलग पत्र भेजने के साथ आरंभ होती है। तत्पश्चात् इस प्रकार प्राप्त प्रस्तावों को विस्तृत आधार वाली एक समिति द्वारा जांचा और छांटा जाता है। तत्पश्चात् इन छांटे गए प्रस्तावों को व्यापक विषय समूहों में बांटा जाता है और उनके क्षेत्र विशेष के तीन अलग–अलग विशेषज्ञों के पास मूल्यांकनार्थ और 1 से 10 तक के पैमाने पर आंकने के लिए भेजा जाता है (दस सबसे अधिक और एक सबसे कम)। तत्पश्चात् प्रत्येक समूह के चोटी के एक अथवा दो प्रस्तावों को विषय विशेषज्ञों की सहायता से केन्द्रित प्रस्तावों के विकासार्थ हाथ में लिया जाता है। तत्पश्चात् इस प्रकार विकसित इन प्रस्तावों को उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) के समक्ष विचार एवं संस्तुति किए जाने हेतु प्रस्तुत किया जाता है। इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति की संस्तुति के आधार पर सीएसआईआर की शासी निकाय इन प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करती है। सामान्यतया इस स्कीम के अंतर्गत औसतन 5 प्रतिशत से कम प्रस्तावों को वित्तपोषित किया जाता है। उद्योग को ऋण प्रदान करने की पात्रता में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नवत शामिल हैं:

- भारत में पंजीकृत कंपनियां और जिनके 50% से अधिक शेयर भारतीयों/अप्रवासी भारतीयों के पास हों;
- कंपनी का अनुसंधान एवं विकास केन्द्र होना चाहिए और यह केन्द्र वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर), भारत सरकार के पास पंजीकृत होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो वह फर्म अपने अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की 12 महीनों के भीतर मान्यता प्राप्त कर लेने के कदम उठाने के लिए वचन देती है;
- इस एनएमआईटीएलआई स्कीम के अंतर्गत किसी भी समय किसी

कंपनी की अधिकतम दो परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) और (ङ) यह ऋण 23 कंपनियों को प्रदान किया गया है। जारी किए गए इस ऋण और अब तक वापस की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) अब तक किसी कंपनी की रुग्णता की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

जारी ऋण का ब्यौरा

क्रम सं.	परियोजना का नाम	कंपनी का नाम	अनुमोदित ऋण रुपए (लाखों में)	स्वीकृत ऋण	31.03.2006 तक वापस किया गया ऋण
1	2	3	4	5	6
1.	5 एवं 25 किलोवाट विकेन्द्रीकृत पावर पैक	सूद–कैमी इंडिया लि., नई दिल्ली	50.00	50.00	20.45
2.	लेटेंट एम. ट्यूबरक्यूलोसिसः नए लक्ष्य, औषध वितरण प्रणाली, जैव संवर्धक और चिकित्सा शास्त्र	ल्यूपिन लि.	1016.00	1016.00	
3.	सुअभिनिर्धारित औद्योगिक रसायनों के एल्किलीकरण/एसिलीकरण/नाइट्रीकरण हेतु नैनो–पदार्थ उत्प्रेरक और संबंधित प्रौद्योगिकी, पेट्रोलियम ईंधनों से हाइड्रो कार्बनों की प्रि–रिफार्मिंग और सल्फर समापन (<50 पीपीएम)	सूद–कैमी इंडिया लि., नई दिल्ली	95.00	95.00	38.57
4.	बायो इंफर्मेटिक्स के लिए सर्वतोन्मुखी, सुवाह्य पीसी आधारित सॉफ्टवेयर	टीसीएस, हैदराबाद	954.00	954.00	309.33
		जालाजा टेक्नो, बेंगलूर	24.00	24.00	6.83
		एफटीआईएल, सिकन्दराबाद	40.00	40.00	
5.	सोरॉयसिस के उपचार के लिए मुखीय हर्बल सूत्रण के चिकित्सीय अध्ययन	ल्यूपिन लि., मुम्बई	918.00	915.96	
6.	नवीन बायोटेक चिकित्सीय अणु–लाइसोस्टेफिन का विकास	बीबीआईएल	655.00	560.62	
7.	एरिथ्रोमाइसिन का क्लेरिथ्रोमाइसिन और अन्य नवीन जैवीकीय रूप से सक्रिय अणुओं में सूक्ष्मजीवी रूपांतरण	एलेम्बिक लि., वड़ोदरा	28.50	28.50	11.54
8.	आंखों के रोगों के लिए नवीन आण्विक नैदानिकी और कमजोर नजर को बढ़ाने वाले उपकरण	एलओपीएल, पुणे	14.75	14.75	
		एक्साइटोन डाइग्नोस्टिक, बेंगलूर	75.12	69.56	
		इंटरा ऑक्यूलर	0.00		

1	2	3	4	5	6
9.	सूरजमुखी और खमीर में α–लाइनोलेनिक अम्ल और डोकोसेहेक्सेओनिक अम्ल (डीएचए) का निर्माण करने के लिए पुनर्योगज अभिगम	अवेस्था गैंगरेन	266.00	303.50	
10.	पीसी के स्थान पर सस्ता सिम्पल ऑफिस कम्प्यूटिंग (सॉफकॉम) प्लेटफार्म	एंकर साफ्टवेयर	330.00	320.00	38.30
11.	कम्प्यूटेशनल बायोलॉजी के लिए पीसी आधारित हाई–एंड 3डी विज्युलाइजेशन प्लेटफार्म – 'दर्शी'	स्ट्रैंड जोनोमिक्स, बेंगलूर	192.80	186.40	70.71
12.	मशीन से सीखने के और प्रयोगात्मक विधियों के संयोजन के माध्यम से उन्नत जीनोम एनोटेशनः केस स्टडी के रूप में प्लाजमोडियम फाल्सीपेरम	टीसीएस, हैदराबाद	291.00	194.00	
13.	नवीन कनवनाशियों का विकास	आरआरसी, बेंगलूर	280.00	188.29	
14.	नवीन निष्पीड़न प्रणाली	बायोकॉन	40.30	28.20	
		शांता बायोटिक	34.16	34.12	
15.	वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक 'ट्रिपल प्ले' ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकी का विकास	डिवीनेट	938.75	938.75	
16.	व्यापक अनुप्रयोगों का विकास करने तथा जागरूकता बढ़ाने के लिए सॉफकॉम और मोबिलिस का विपणन प्रारंभ करना	एंकर सॉफ्टवेयर	537.00	537.00	
17.	स्वस्थाने अभिनिर्धारण सहित समेकित सूक्ष्म पीसीआर प्रणाली का विकास	बिगटेक	606.37	450.41	
18.	फुफ्फुस क्षय रोग के उपचार हेतु नवीन सूत्रण–चिकित्सीय अध्ययन	ल्यूपिन लि.	443.00	213.00	
19.	कपास के सूखा सह्यता और फाइबर गुणवत्ता संबंधी लक्षणों में सुधार लाने के लिए चयन प्रणाली समर्थित हाई थ्रूपुट मार्कर का विकास करना	जेके एग्री, हैदराबाद	843.10	211.20	
20.	रक्ताधिक्य हृद्पात के डायाग्नोसिस और उपचार के लिए बी–टाइप नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड (बीएनपी) के विकास हेतु नवीन विधि	विरचो बायोटिक, हैदराबाद	414.70	298.10	

1	2	3	4	5	6
21.	नैक्स्ट जनरेशन प्लाज्मा डिस्प्ले प्रौद्योगिकी 50" हाई डैफिनेशन (एचडी) टीवी प्रोटोटाइप का विकास	सैमटेल कलर, गाजियाबाद	2063.00	1000.00	
22.	अल्ट्रा-वाइड बैंड प्रौद्योगिकी पर आधारित वायरलैस सैंसर नेटवर्क्स के लिए चिपसेट का विकास	वर्चुअल वायर टेक, नई दिल्ली	460.00	137.00	
23.	नवीकरणीय संसाधनों से मूल्यअभिवृद्धि वाले पॉलीमरिक पदार्थः लेक्टिक एसिड और लेक्टिक एसिड आधारित पॉलीमर	गोदावरी, मुम्बई	485.00	210.00	
		जोड़	7829.75	9018.36	495.73

विदेशों में सरकारी क्षेत्र के बैंक

5050. श्री जी.एम. सिद्‌दीश्वर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विदेशों में इस समय सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कितनी शाखाएं काम कर रही हैं;

(ख) इनमें से कितनी शाखाएं घाटे में चल रही हैं; और

(ग) इन बैंकों द्वारा उस देश की सरकार को जहां उनकी शाखा/शाखाएं हैं, कितनी राशि का भुगतान करना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) 28 फरवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 109 शाखाएं/एकक विदेश में कार्य कर रही हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक की विदेश स्थित तीन शाखाएं और बैंक ऑफ इंडिया एवं बैंक ऑफ बड़ौदा प्रत्येक की एक-एक शाखा घाटे में चल रही थी।

(ग) भारतीय बैंकों के विदेशी कार्यालयों को लाभ पर कर से संबंधित भुगतान, लाइसेंस नवीकरण शुल्क, आदि सहित संबंधित मेजबान देशों की विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार सांविधिक देयराशि का भुगतान करना होता है।

दिल्ली में कॉआपरेटिव ग्रुप सोसाइटियां

5051. श्री अविनाश खन्ना : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा 1997 से 2004 तक कॉआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों (सीजीएचएस) को आबंटित की गई भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सोसाइटियों के रिकार्ड/प्रामाणिकता की जांच की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) दिल्ली में जिन सीजीएचएस के पंजीयक, कॉआपरेटिव सोसाइटी दिल्ली को लाटरी का ड्रा दस्तावेजों को जमा कराने की तारीख सहित प्रस्तुत किया था, उसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पंजीयक, कॉआपरेटिव सोसाइटी के लिए आबंटन के प्रस्तावों को स्वीकृति देने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या पंजीयक, कॉआपरेटिव सोसाइटी द्वारा दिल्ली में फ्लैटों के आबंटन हेतु किसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को स्वीकृति दी गई है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि वर्ष 1997 से 2004 तक की अवधि के दौरान संलग्न विवरण के अनुसार 101 कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को भूमि आबंटित की गई थी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के पंजीयक कोऑपरेटिव सोसाइटी (आरसीएस) के कार्यालय द्वारा स्वीकृत/संस्तुत सोसाइटियों को वह भूमि आबंटित करता है।

(घ) पंजीयक कोऑपरेटिव सोसाइटी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह बताया कि इन 101 सोसाइटियों में से निम्नलिखित सोसाइटियों ने लॉटरी के ड्रा के लिए प्रस्तुत किए हैं, किन्तु दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी (डीसीएस) अधिनियम के प्रावधानों तथा दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी नियम, 1973 के नियम 77 के अंतर्गत जारी नियमों और निदेशों के अंतर्गत यथा अपेक्षित कागजात नहीं भेजे हैं:

क्रम सं.	सोसाइटी का नाम	प्रस्तुत करने की तारीख
1.	धिनार	15.2.06
2.	कंसल्टिंग इंजीनियर्स	13.7.06
3.	आशा द्वीप	24.7.04
4.	शियम	28.08.04
5.	डायमंड स्क्वायर	मार्च, 07
6.	भारत जागृति	अप्रैल, 07
7.	सत्यम	28.03.05
8.	करूणा विहार	पंजीयक कोऑपरेटिव सोसाइटी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है।
9.	क्राउन	
10.	जय भवानी	
11.	सनमती	
12.	प्रगतिशील	
13.	अप्पू इंक्लेव	
14.	न्यू राष्ट्रीय	

(ङ) और (च) पंजीयक कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा कोई समय सीमा नियत नहीं की गई है। तथापि, पंजीयक कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन में सोसाइटी को सम्पूर्ण कागजात प्रस्तुत करने अपेक्षित हैं तथा फ्लैटों के ड्रा के लिए प्रस्ताव का सत्यापन करने हेतु दिनांक 30.09.2005 के परिपत्र के अनुसार तथा जांच पड़ताल के बाद प्रस्ताव को दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी नियम के नियम, 77 के अंतर्गत नियुक्त समिति को भेजा जाता है जो कि दिल्ली विकास प्राधिकरण को सूची की संस्तुती करती है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) पंजीयक कोऑपरेटिव सोसायटीज, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह बताया है कि इनमें से अधिकतर सोसायटियों ने दिल्ली कोआपरेटिव सोसायटीज नियम, 1973 के नियम 24(2) का उल्लंघन करके सदस्य बनाए हैं। दिल्ली कोऑपरेटिव सोसायटीज, नियम, 1973 के नियम 24(2) का उल्लंघन करके सदस्य बनाए जाने का मामला न्यायाधीन है। न्यायालय ने ऐसे आरोपों की जांच के लिए सीबीआई/अपराध शाखा तथा पंजीयक कोऑपरेटिव सोसायटीज को निदेश दिया है। इसके अतिरिक्त, लगभग सभी सोसायटियों, जिन्हें 1997-2004 के दौरान भूमि आबंटित की गई थी, की योगीराज कृष्णा सीजीएचएस बनाम डीडीए एवं अन्य में सीडब्ल्यूपी सं. 10066/2004 में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों पर सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के बिना "ड्रा" के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता। पंजीयक, कोऑपरेटिव सोसायटीज कार्यालय द्वारा जारी अनुस्मारकों के बावजूद सोसायटियों ने दिल्ली कोऑपरेटिव सोसायटीज अधिनियम के प्रावधानों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली कोऑपरेटिव सोसायटीज के नियम, 77 के अंतर्गत समय-समय पर जारी विभिन्न निदेशों के तहत अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं।

विवरण

वर्ष 1997 से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आबंटित की गई सोसायटियों का नाम

वर्ष	क्र. स.	द्वारका	धीरपुर	विस्वास नगर
1	2	3	4	5
1997			शून्य	शून्य
1998	1	अनंत	शून्य	शून्य
	2.	अप्पू इंक्लेव		
	3.	अपनी		
	4.	आशाद्वीप		
	5.	ब्रहमा (बिहार)		

1	2	3	4	5
	6.	भगवती		
	7.	वड़ौदा हाऊस		
	8.	बैरवा भारती		
	9.	भारत जागृति		
	10.	बेलूर		
	11.	चिनार		
	12.	क्राउन		
	13.	कंस्लटिंग इंजीनियर्स		
	14.	डायमंड स्क्वायर		
	15.	धरम		
	16.	डी जे ए		
	17.	धनपोतवार		
	18.	गुलिस्तान		
	19.	गुरू राम दास		
	20.	हिमाचली		
	21.	इरकोन		
	22.	जय भवानी		
	23.	जनकसर		
	24.	झेलम अरोरवंश		
	25.	जामिया (शाहबाद)		
	26.	करोर		
	27.	कनक दुर्गा		
	28.	करूणा विहार		
	29.	मनोकामना		
	30.	महावीर		
	31.	महाराजा सैनी		
	32.	निस्तादस		
	33.	नेवल टेक्निकल ऑफिसर्स		
	34.	निजी		

1	2	3	4	5
	35.	न्यू राष्ट्रीय		
	36.	प्रगतिशील		
	37.	क्वेटा		
	38.	राशि		
	39.	राज विहार		
	40.	रमन विहार		
	41.	सहमन विहार		
	42.	शिवानी		
	43.	शिव शंकर		
	44.	सीमा		
	45.	श्री न्यू अनामिका		
	46.	एस. बी. यूथ		
	47.	सत्यम		
	48.	श्री दुर्गा		
	49.	सर्व सत्यम		
	50.	सर्व संघी		
	51.	सुन्नी वेल्ली		
	52.	श्री गणेश		
	53.	श्री श्याम		
	54.	सम्राट अशोक		
	55.	विजय		
	56.	विश्रांतिका		
1999	–	–	शून्य	शून्य
2000	–	–	शून्य	शून्य
2001	1.	भारतीय	आश्रया	नील गगन
	2.	चित्रकूटधाम	बंकमस	अलकृत
	3.	दुर्गा पूजा	इंडियन स्टेटिकल्स इंस्टीट्यूशन	सर्व कल्याण
	4.	दिल्ली स्टेट न्यूज पेपर	लिविंग ज्वाइंट	
	5.	गुलशन–ए–इकबाल	लोक प्रिया	

1	2	3	4	5
	6.	आई.डी.सी.	सर्वोत्तम	
	7.	इंडियन एयरलाइन्स कार्गो	श्री राम देव	
	8.	जन विकास	शहनाज	
	9.	महाजन श्री	शानयूथ	
	10.	न्यू अवंतिका	सफदरजंग	
	11.	पिपुल कंजरवेटिव	शांतनू	
	12.	प्रेम मिलन	शील (रोज मेरी)	
	13.	श्री राधा कृष्णन	उत्तर भारत गवर्नमेंट इम्पलाइज	
	14.	वसुधरा	पलवल	
	15.	भगवती	न्यू अनामिका	
2002	–	शून्य	शून्य	शून्य
2003	1.	अरविंद	शून्य	
	2.	चन्द्रलोक		
	3.	लॉड्स		
	4.	एन.टी.पी.सी. इम्पलॉइज		
	5.	रेलवे लाइन स्टाफ		
	6.	रूप विला		
	7.	सल्यूथ		
	8.	सी शॉ		
	9.	सप्तप्रणी		
	10.	निशात		
	11.	ओम		
	12.	श्री सनमती		
2004	–	शून्य	शून्य	शून्य
कुल		83	15	3

हिमाचल प्रदेश को नाबार्ड सहायता

5052. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनी राम शांडिल्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने वर्ष 2006–07 के दौरान हिमाचल प्रदेश हेतु ग्रामीण सड़कों, पुलों और सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए ऋण स्वीकृत किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में ग्रामीण अवसंरचना के लिए हिमाचल प्रदेश हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत और जारी की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। नाबार्ड ने वर्ष 2006–07 के दौरान ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत ग्रामीण सड़कों, पुलों और

सिंचाई परियोजनाओं, आदि के निर्माण हेतु हिमाचल प्रदेश के लिए ऋण मंजूर किया है। ब्यौरा निम्नलिखित है:–

क्रमांक	क्रियाकलाप	वर्ष 2006–07 के दौरान मंजूर आरआईडीएफ ऋण	
		परियोजनाओं की संख्या	राशि करोड़ रुपए में
1.	लघु सिंचाई	152	46.22
2.	ग्रामीण सड़कें	86	111.51
3.	ग्रामीण पुल	25	20.37
4.	बाढ़ सुरक्षा	3	24.58
5.	जल विभाजन (वाटरशेड) विकास	28	2.31
6.	ग्रामीण पेयजल आपूर्ति	72	65.15
7.	पशु पालन	288	3.85
	कुल	654	273.99

(ग) वर्ष 1995–96 में आरआईडीएफ की शुरुआत से नाबार्ड ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1,513.64 करोड़ रुपए की सहायता से कुल 3780 परियोजनाएं मंजूर की हैं। इसकी तुलना में राज्य सरकार को 31 मार्च, 2007 तक केवल 994.93 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं।

फ्लूरोसिस रोकथाम केन्द्र

5053. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या ग्रामीण विकास मंत्री दिनांक 4 अगस्त, 2006 और 1 दिसम्बर, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1404 और 1607 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में फ्लूरोसिस रोकथाम केन्द्र (एफएमसी) की स्थापना के मामले में अभी तक कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) से (ग) जी, हां। मौजूदा संस्थाओं का उन्नयन करके गांधीनगर और हैदराबाद में फ्लूरोसिस रोकथाम केन्द्र (एफएमसी) स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में संबंधित राज्य सरकारों से निर्धारित संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने–अपने विस्तृत प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

आवास इकाइयों का निर्माण

5054. श्री महावीर भगोरा : क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान "सभी के लिए आवास" के अंतर्गत निर्मित आवास इकाइयों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन आवास इकाइयों के निर्माण पर कितनी राशि खर्च हुई है;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत हुडको द्वारा वित्तपोषण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) इस मंत्रालय के अंतर्गत "सभी के लिए आवास" नामक ऐसी कोई केन्द्र प्रवर्तित स्कीम नहीं है। तथापि, सरकार ने शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) कार्यक्रम के अंतर्गत देश में 63 शहरों में शहरी गरीबों के लिए आवासीय और अवस्थापना सुविधाओं हेतु शहरों और कस्बों की सहायता करने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) आरंभ किया है। गैर–मिशन शहरों के संबंध में एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) आरंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य बुनियादी अवस्थापना सुविधाओं के लिए स्वास्थ और अनुकूल वातावरण के साथ आवास उपलब्ध कराना और स्लम सुधार करना है। बीएसयूपी और आईएचएसडीपी, दोनों ही दिसम्बर, 2005 से कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नामरूप ताप विद्युत परियोजना

5055. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 110 मेगावाट नामरूप ताप विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता के लिए केन्द्र सरकार को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी विदेशी सहायता की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिन्दे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हाई-स्पीड डीजल की तस्करी

5056. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात और महाराष्ट्र के तटों के रास्ते भारत में हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) की बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे राजकोष को कितने सीमा–शुल्क की हानि होने का अनुमान है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में एचएसडी की तस्करी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों में गुजरात और महाराष्ट्र के तटों के रास्ते भारत में तस्करी किये जाने वाले हाई स्पीड डीजल (एच एस डी) के मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(करोड़ रु. में)

वर्ष	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राजस्व
2004–05	5	3.16
2005–06	–	–
2006–07	5	4.07

उपर्युक्त आंकड़े भारत में हाई स्पीड डीजल (एच एस डी) की बड़े पैमाने पर तस्करी को नहीं दर्शाते हैं।

(ग) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को देश में हाई स्पीड डीजल (एच एस डी) की तस्करी के किसी भी प्रयास को रोकने और विफल करने के लिए सतर्क कर दिया गया है।

बैंकिंग कोड बनाना

5057. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी, 2006 के बैंकों द्वारा कोड को लागू करने, उसका मूल्यांकन और निरीक्षण करने के उद्देश्य से बैंकिंग कोड्स एंड स्टेंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया (बीसीएसबीआई) बनाए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या वाणिज्यिक बैंक चैकों की पावती के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ग) क्या कुछ बैंक काउंटरों पर चैकों की पावती हेतु 10/– रुपए वसलू रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के अन्य 11 बैंकों के साथ मिलकर बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) की स्थापना फरवरी, 2006 में निगरानी करने एवं यह सुनिश्चित करने के लिए की है कि बैंकों द्वारा व्यक्तिगत ग्राहकों को सेवाएं देते समय, स्वैच्छिक रूप से अपनाए गए बैंकिंग संहिताओं एवं मानकों का अक्षरशः पालन किया जाए।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं दी गई है।

बैंकों को अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से, सितम्बर 1999 से उनके द्वारा दी गई विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए सेवा प्रभार निर्धारित करने की अनुमति दी गई है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह कहा है कि उनके द्वारा दी गई विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए सेवा प्रभार निर्धाध्रित करते समय, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रभार उचित हों तथा इन सेवाओं को प्रदान करने की औसत लागत के अनुरूप हों। इसके अतिरिक्त, बैंकों यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कम मात्रा में लेन–देन करने वाले ग्राहकों को दंडित न किया जाए। बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के किसी अतिक्रमण के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयुक्त विनियामक कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

शहरी क्षेत्रों में झुग्गी वासी

5058. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में गरीबी झुग्गी वासियों को आवास उपलब्ध कराने हेतु राजसहायता की मांग करते हुए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजनार्थ उक्त प्रस्ताव और धनराशि आबंटन को स्वीकृति देने के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा मांगी गई राशि और केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत और वास्तव में आबंटित की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

स्कीम	प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की संख्या	अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की संख्या	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)	अनुमोदित परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)	अनुमोदित अनुमत्य केन्द्रीय अंश (करोड़ रुपए में)	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप जारी राशि (करोड़ में रुपए में)
शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी)	33	31	3242.07	2934.82	1299.50	287.58
एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)	28	16	280.03	152.67	120.71	55.80

[अनुवाद]

माउडा विद्युत परियोजना

5059. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने माउडा, नागपुर में एक 1000 मेगावाट कोयला आधारित विद्युत संयंत्र लगाने का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा बार–बार अनुरोध करने के बावजूद, एनटीपीसी ने अभी तक व्यवर्हायता रिपोर्ट तैयार नहीं की है और उसे केन्द्र सरकार को नहीं सौंपा है;

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाही की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (घ) एनटीपीसी लि. ने महाराष्ट्र के नागपुर जिले में मौदा मौदा थर्मल पावर प्रोजेक्ट (2x500 मे.वा.) की स्थापना का प्रस्ताव किया है। स्थान विशेष अध्ययनों एवं जांचों को पूरा कर लिया गया है। परियोजना के लिए व्यवर्हायता रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है और एनटीपीसी बोर्ड की परियोजना उपसमिति ने 30 जनवरी, 2007 को इसे अनुमोदित कर दिया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृति और भूमि अधिग्रहण के लिए स्वीकृति समेत आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। समय पर स्वीकृतियां प्राप्त होने पर परियोजना को 11वीं योजना के दौरान चालू किए जाने का विचार है।

जैव प्रौद्योगिकी संस्थान

5060. श्री रमेन बर्मन : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जैव–प्रौद्योगिकी संस्थानों को आत्म–निर्भर संस्थान बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी, नहीं। जैवप्रौद्योगिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन निम्न 7 स्वायत्त संस्थान कार्य कर रहे हैं:–

(i) राष्ट्रीय प्रतिरक्षाविज्ञान संस्थान (एनआईआई), नई दिल्ली

(ii) राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान (एनसीपीजीआर), नई दिल्ली

(iii) जीवन विज्ञान संस्थान (आईएलएस), भुवनेश्वर

(iv) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान केन्द्र (एनसीसीएस), पुणे

(v) डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं नैदानिकी केन्द्र (सीडीएफडी), हैदराबाद

(vi) सतत विकास एवं जैवसंसाधन विकास संस्थान (आईबीएसडी), इम्फाल

(vii) राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केन्द्र (एनबीआरसी), मानेसर

इन संस्थानों का मुख्य जनादेश प्रतिरक्षाविज्ञान, स्टेम सेल जीवविज्ञान, कैंसर जीवविज्ञान, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं नैदानिकी, यांत्रिका विज्ञान

जैसे प्रौद्योगिकी के आधारभूत एवं प्रयोगात्मक क्षेत्रों में उच्च स्तरीय अनुसंधान को बढ़ावा देना, मार्गदर्शन करना और सहयोग करना तथा बेहतर कृषि गुणों और पौष्टिक गुणवत्ता के साथ ट्रांसजेनिक पौधों को विकसित करना है। योजना शीर्ष के तहत मुख्य निधि के माध्यम से इन संस्थानों को निधि प्रदान की जाती है। एनआईआई और एनसीईएस के मामले में व्यय को वार्षिक गैर–योजना आबंटन के तहत भी पूरा किया जाता है।

इन संस्थानों में आधारभूत एवं प्रयोगात्मक अनुसंधान पेटेंट्स, प्रकाशन एवं प्रोटोटाइप प्रौद्योगिकियों को उत्पादित करता है। योजना/गैर–योजना निधि सहायता के अतिरिक्त सरकार से आय का साधन उद्योगों को हस्तांतरित की गई प्रौद्योगिकियों की रायल्टी के रूप में होता है। हालांकि जैवप्रौद्योगिकी अनुसंधान जोकि महंगा है और जिसे प्रौद्योगिकी विकास वैद्यता और हस्तांतरण के लिए लम्बी अवधि की आवश्यकता होती है में होने वाले व्यय को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यविधियों से प्राप्त राजस्व व्यय के केवल कुछ ही भाग को वहन कर पाता है, अतः निकट भविष्य में इन संस्थानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंक

5061. श्री कीरेन रिजीजू : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वित्तीय क्षेत्र योजना संबंधी समिति की सिफारिशों के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण को सुधारने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण को सुधारने के लिए वित्तीय क्षेत्र योजना संबंधी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने के लिए फरवरी, 2007 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अनुवीक्षण समूह गठित किया गया है। इसके अलावा, इस क्षेत्र में बैंकों द्वारा ऋण उपलब्धता की नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए क्षेत्रीय निदेशक, पूर्वोत्तर राज्य, भारतीय रिजर्व बैंक, की अध्यक्षता में एक अनुवीक्षण समूह भी गठित किया गया है।

[अनुवाद]

ऊर्जा क्षेत्र में भारत-अमेरिका सहयोग

5062. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) ने ऊर्जा क्षेत्र में व्यापार और निवेश को अधिक बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी ऊर्जा सचिव की भारत यात्रा के दौरान ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास और तैनाती हेतु सहयोग करने पर चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इस संबंध में कोई समझौता किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) द्विपक्षीय भारत–संयुक्त राज्य ऊर्जा वार्ता के अंतर्गत कोयला, अक्षय ऊर्जा तथा नई प्रौद्योगिकियां, तेल एवं गैस, नागरिक परमाणु एवं विद्युत और ऊर्जा क्षमता पर गठित पांच कार्यकारी ग्रुपों के अंतर्गत सहयोग को सुदृढ़ करने सहित दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने के लिए उपायों पर संयुक्त राज्य के ऊर्जा सचिव को 20–22 मार्च, 2007 के दौरान भारत की यात्रा के दौरान विचार–विमर्श हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राज्यों द्वारा चुनिन्दा सेवाओं पर सेवा कर संग्रहण

5063. श्री राकेश सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेवा कर संग्रहण अधिकार संबंधी तकनीकी समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अंतःराज्यीय प्रकृति की चुनिन्दा सेवाओं पर सेवा कर संग्रहण का अधिकार राज्यों को देने के मुद्दे पर किसी निर्णय पर पहुंची है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) अंतःराज्यीय प्रकृति की चुनिंदा सेवाओं पर सेवा कर संग्रहण का अधिकार राज्यों को देने के मुद्दे पर, राज्यों के साथ केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के फलस्वरूप राज्यों को प्रतिपूर्ति करने के लिए पैकेज तैयार करने के संदर्भ में चर्चा की जा रही थी। राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार–प्राप्त समिति ने केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति के लिए विभिन्न संभावित विकल्पों को तैयार करने के लिए वाणिज्यिक करों के राज्य आयुक्तों की तकनीकी

समिति का गठन किया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट मई, 2006 में प्रस्तुत कर दी थी। इसके पश्चात्, केन्द्रीय सरकार और अधिकार-प्राप्त समिति के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चाओं के बहुत से दौर हुए और अन्ततः 22.02.2007 को हुई राज्य के वित्त मंत्रियों के साथ केन्द्रीय वित्त मंत्री की बैठक में सर्वसम्मति हुई।

(ख) और (ग) राज्यों के साथ हुई सर्वसम्मति के अनुसार केन्द्रीय सरकार अंतःराज्यीय प्रकृति की 77 सेवाओं को कर राजस्व के संग्रहण और विनियोजन के लिए राज्यों को अंतरित करने के लिए सहमत हो गई है, जिनमें से 33 सेवाओं पर मौजूदा समय में केन्द्र द्वारा कर लगाया जा रहा है। तथापि, इन सेवाओं पर सेवा कर लगाया जाना केन्द्रीय सरकार के पास बना रहेगा, जो वर्तमान संविधानात्मक उपबंधों को प्रकट करता है। इसके अलावा, राज्यों से यह अनुरोध कि केन्द्र एक और वर्ष (अर्थात् 2007-08 के दौरान) इन सेवाओं पर सेवा कर का संग्रहण जारी रखे, चूंकि उनको सेवा कर के संग्रहण के लिए प्रशासनिक तंत्र की स्थापना के लिए कम से कम एक वर्ष की आवश्यकता है, इसलिए, केन्द्रीय सरकार वर्ष 2007-08 के दौरान राजस्व का संग्रहण जारी रखेगी और राज्यों को राशि बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से जारी की जायेगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात

5064. श्रीमती मनोरमा माधवराज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका आदि जैसे अन्य देशों की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय कर प्रणाली के अंतर्गत फारगोन राजस्व वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 में हुए कुल कर संग्रहणों का लगभग 50% है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केलकर समिति ने छूटों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की अनुशंसा की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) प्रत्यक्ष करों के संबंध में सकल कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2003-04 में 3.81 प्रतिशत से बढ़ने के पश्चात् वर्ष 2004-05 में 4.25 प्रतिशत हो गया, यह और बढ़कर वर्ष 2005-06 में 4.63 प्रतिशत तथा वर्ष 2006-07 में 5.60 प्रतिशत हो गया है।

अप्रत्यक्ष करों के संबंध में सकल कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2003-04 में 9.2 प्रतिशत से बढ़ने के पश्चात् वर्ष 2004-05 में 9.8 प्रतिशत हो गया, यह और बढ़कर वर्ष 2005-06 (संशोधित अनुमान) में 10.5 प्रतिशत और 2006-07 में 11.4 प्रतिशत हो गया।

विभाग अन्य देशों के लिए ऐसे ब्यौरे नहीं रखता है।

(ग) और (घ) जी, हां। सकल कर संग्रहण के प्रतिशत के रूप में छोड़ा गया राजस्व वित्तीय वर्ष 2005-06 में 56.43 प्रतिशत और वित्तीय वर्ष 2006-07 में 50.27 प्रतिशत होने का अनुमान है (इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों शामिल हैं जो बजट दस्तावेजों में दर्शाया जाता है)। छोड़े गए राजस्व के वित्तीय वर्ष 2005-06 में 2,06,700 करोड़ रुपए और वर्ष 2006-07 में 2,35,191 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ङ) और (च) केलकर समिति ने प्रत्यक्ष करों पर अपनी रिपोर्ट में आयकर अधिनियम में सभी छूटों को, जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, समाप्त करने की सिफारिश की थी। इसने कम छूटों के साथ कर की कम दरों की सिफारिश की थी ताकि आधुनिक तथा स्थिर कर तंत्र लाया जा सके। इसने विशेष रूप से ब्याज आय के लिए धारा 80ठ के तहत कटौती, बंध-पत्रों, ऋण-पत्रों आदि से ब्याज आय के संबंध में धारा 10 के तहत छूट, साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों, विशेष आर्थिक क्षेत्र आदि और शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों से निर्यातकर्ता इकाइयों को उपलब्ध धारा 10क और 10ख के तहत कटौती, नौवहन कम्पनियों को उपलब्ध धारा 33 क ग के तहत कटौती, धारा 80-1क, 80-1ख, 80-ञअक, 80-ञअक, आदि के तहत कटौती को समाप्त करने की सिफारिश की थी।

केलकर समिति ने आगे सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क छूटों, जहां तक संभव हो, विशेष रूप से अंत-उपयोग आधारित को हटाने की सिफारिश की थी।

(छ) छूटों/कटौतियों की समीक्षा एक निरंतर चलने वाली की प्रक्रिया है और छूटों/कटौतियों, विशेष रूप जो अंत-उपयोग आधारित हैं अथवा जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है अथवा प्रमाणन की आवश्यकता है अथवा विवादों को बढ़ावा देते हैं, इनको हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, कुछ छूटों को समाप्त करने की अनुमति भी दी गई हैं।

अंतर्देशीय कंटेनर डिपों में क्लियरेंस

5065. श्री जे.एम. आरुन रशीद : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा 22 जनवरी, 2007 को जारी निदेशों के कारण अंतर्देशीय कंटेनर डिपो में आयात तथा निर्यात क्रियाकलाप रोक दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप निर्यातकों/आयातकों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं कि वास्तविक निर्यातकों/आयातकों को परेशानी न हो?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जनवरी, 2007 के अनुदेशों में औषधि एवं प्रसाधन नियमावली, 1945 के नियम 43क में उल्लिखित विनिर्दिष्ट स्थानों के जरिए भारत में औषधियों के आयात को प्रतिबंधित किया गया है। उक्त नियमावली में किसी अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का उल्लेख नहीं है। इसलिए आयातकों/निर्यातकों को अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के जरिए औषधियों और प्रसाधनों की निकासी नहीं मिल पा रही है।

(घ) सरकार इस मुद्दे की जांच कर रही है और इस मामले को पहले ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास उठा चुकी है।

भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक कानून) संशोधन विधेयक

5066. श्री मिलिन्द देवरा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक कानून) संशोधन विधेयक, 2006 में संशोधन करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस विधेयक में संशोधन करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसके समनुषंगी बैंकों यथा स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक आफ पटियाला तथा स्टेट बैंक आफ मैसूर आदि पर इन संशोधनों का क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधियां) संशोधन विधेयक, 2006 22 मई, 2006 को लोक सभा में पेश किया गया था। विधेयक माननीय लोक सभा अध्यक्ष द्वारा वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था। संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में विधेयक में कुछ संशोधनों की सिफारिश की थी। स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, सरकार ने उक्त विधेयक में संशोधन अनुमोदित किए हैं। प्रस्तावित संशोधन निदेशक मंडल के लचीलेपन को बढ़ाएंगे, कारपोरेट अभिशासन को सुधारेंगे और अनुषंगी बैंकों के निदेशक मंडलों को विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करेंगे।

फार्मा यूनिटों से राजस्व

5067. श्री अधीर चौधरी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा फार्मा यूनिटों से संगृहीत राजस्व का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे यूनिटों पर राजस्व के संग्रहण में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान औषधीय यूनिटों से एकत्रित किया गया राजस्व निम्न प्रकार से है:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व	
	पी एल ए (अर्थात् नकद में)	सैनवैट क्रेडिट प्रयोग द्वारा
2004-05	1616.40	1553.08
2005-06	2265.12	1617.38
2006-07*	2033.14	1827.14

* अनंतिम आंकड़े

(ख) और (ग) इन यूनिटों से राजस्व एकत्रित करने में सामान्यतः कोई कठिनाई मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाई गई है।

तमिलनाडु की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएं

5068. श्रीमती के. रानी : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान तमिलनाडु सरकार द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की स्थापना के संबंध में कितने प्रस्ताव केन्द्र सरकार को अग्रेषित किए गए हैं;

(ख) कितने प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया तथा कितने प्रस्तावों को अस्वीकृत किया गया एवं अस्वीकृति के क्या कारण थे; और

(ग) कितने प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं तथा उन्हें क्लियर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) केन्द्र सरकार को विगत 2 वर्षों के दौरान तमिलनाडु सरकार की ओर से विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की स्थापना करने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। तथापि केन्द्र सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु राज्य सहित विभिन्न राज्यों में अनुसंधान तथा विकास संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्वयंसेवी संगठनों, राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों तथा अन्य स्वायत्त संगठनों से प्राप्त वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी प्रस्तावों को सहायता उपलब्ध कराई गई है। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा तमिलनाडु राज्य में वर्ष 2003–04 और वर्ष 2004–05 के दौरान क्रमशः 43.06 करोड़ रु. और 48.05 करोड़ रु. की लागत से क्रमशः 234 और 289 अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बैंकों के बैसेल-II मानक

5069. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में कार्य कर रहे बैंकों के लिए बैसेल–II मानक जारी कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जारी किए गए दिशा–निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे ग्राहक किस हद तक लाभान्वित होंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रारंभ में, नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे के कार्यान्वयन हेतु प्रारूप दिशानिर्देश दिनांक 15.2.2005 को जारी किए थे, जिनके द्वारा बैंकों को 31 मार्च, 2007 से संशोधित पूंजी पर्याप्तता ढांचा कार्यान्वित करना अपेक्षित था। तथापि, बैंकिंग प्रणाली की तैयारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने उपयुक्त प्रणाली लागू करने के लिए बैंकों को कुछ और समय देने का निर्णय लिया है ताकि बैसेल–II मानदंडों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। भारत में कार्य कर रहे विदेशी बैंकों तथा भारत से बाहर कार्य कर रहे भारतीय बैंकों को 31 मार्च, 2008 से बैसेल–II के अंतर्गत ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण तथा परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल निर्देशक दृष्टिकोण को अपनाना है। अन्य सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अधिकतम 31 मार्च, 2009 तक बैसेल–II के अंतर्गत इन दृष्टिकोणों को अपनाना है।

(ग) अपेक्षा की जाती है कि बैसेल–II मानदंडों से बैंकों को, उनके द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न जोखिमों का समुचित तरीके से मूल्यांकन करने की अनुमति देने से वित्तीय स्थिरता प्राप्त होगी, निहित जोखिमों के साथ अधिक सूक्ष्मता से विनियामक पूंजी का पुनर्निर्धारण होगा और बैंकों की कार्यक्षमता के बारे में सुविज्ञ निर्णय लेने से बाजार सहभागियों को शक्तियां मिलेगी। बैंकिंग क्षेत्र की सुदृढ़ एवं सक्षम कार्यप्रणाली से संपदा क्षेत्र की अधिक वृद्धि और सामाजिक क्षेत्र को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। बैंकों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि ग्राहकों को ऋण देते समय और ऐसे ऋण का मूल्य निर्धारित करते समय उनके जोखिम प्रोफाइल को ध्यान में रखें।

भारतीय विज्ञान कांग्रेस

5070. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 94वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हाल ही में चिदम्बरम में किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस कांग्रेस में पर्यावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनों के लिए क्या संकल्प किए गए हैं तथा रणनीतियां बनाई गई हैं; और

(ग) इन रणनीतियों के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 94वें विज्ञान सम्मेलन (कांग्रेस) की अंतिम सिफारिशों को अभी 94वें भारतीय विज्ञान सम्मेलन (कांग्रेस) के महाध्यक्ष द्वारा तैयार किया जा रहा है।

कृषि मौसम विज्ञान सेवाओं का सुदृढ़ीकरण

5071. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व मौसम विज्ञान संगठन के कृषि संबंधी मौसम विज्ञान आयोग ने कृषि संबंधी खतरों का समाधान करने तथा किसानों को शीघ्र चेतावनी देने के लिए कृषि मौसम विज्ञान सेवाओं को सुदृढ़ करने तथा उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त चुनौतियों को पूरा करने के लिए आई.एम.डी. के पास कितनी क्षमता है; और

(ग) जिला स्तर पर और यथार्थ एवं क्षेत्र विशिष्ट कृषि, जलवायु संबंधी सूचना के प्रसार के लिए आई.एम.डी. में उपस्कर एवं उपकरणों का आधुनिकीकरण करने एवं इनका विकास करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) विश्व मौसम विज्ञान संगठन के कृषि मौसम विज्ञान आयोग (सी एजी एम) की 28 अक्टूबर से 03 नवम्बर, 2006 के दौरान दिल्ली में बैठक हुई और विश्व भर की कृषि मौसम विज्ञानी सेवाओं की स्थिति पर विचार–विमर्श किया गया। आयोग ने कृषि से जुड़े खतरों और किसानों को पूर्व चेतावनी देने संबंधी सिफारिशें की।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जुलाई, 2006 में एक समिति नियुक्त की, जिसने भारत के लिए कृषि मौसम विज्ञान सेवाओं संबंधी योजनाएं तैयार की। ये योजनाएं इस बैठक में प्रस्तुत की गईं और विश्व निकाय ने भारत की कृषि मौसम विज्ञान योजनाओं की सराहना की। कृषि मौसम विज्ञान सेवाओं को सुदृढ़ करने और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लिए सामान्य दिशानिर्देश तैयार किए गए।

(ख) और (ग) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस समय आईएमडी और एनसीएम आर डब्ल्यू एफ द्वारा तैयार की जा रही कृषि मौसम विज्ञान सेवाओं को एक एकीकृत सेवा के रूप में समेकित कर रहा है तथा यह प्रक्रिया 2007 की आगामी खरीफ ऋतु से प्रभावी हो जाएगी। आईएमडी अगले दो वर्षों में आधुनिकीकरण योजना भी आरम्भ कर रहा है और आधुनिकीकरण, कृषि मौसम विज्ञान सेवाओं की प्रक्रिया का एक भाग है।

आधुनिकीकरण के प्रथम चरण में किसानों के लिए जानकारी, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और संयोजकता के साथ प्रत्येक कृषि जलवायु मण्डल में स्थित 127 कृषि मौसम विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जाएगी। यह इस समय राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के अतिरिक्त है।

लघु एवं मध्यम आकार वाले उद्यमों को ऋण

5072. श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लघु एवं मध्यम आकार वाले उद्यमों (एसएमई) को ऋण के संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान ऋण की मात्रा तथा ऐसे ऋण से लाभान्वित होने वाली लघु उद्योग इकाइयों की संख्या में कमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) भारत सरकार ने 10 अगस्त, 2005 को संसद में एक नीतिगत पैकेज की घोषणा की थी जिसमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से लघु एवं मझौले उद्यम (एसएमई) क्षेत्र को ऋण में वर्ष–दर–वर्ष न्यूनतम 20% की वृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से एसएमई के निधीयन हेतु अपना स्वयं का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कहा गया था।

(ख) और (ग) मार्च, 2004, 2005 और 2006 के अंत की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र को बकाया ऋण 17.22, 17.10 और 17.28 लाख लघु उद्योग खातों में क्रमशः 52646, 58311 और 82434 करोड़ रुपए थे। उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2004–05 के दौरान लघु उद्योग खातों में मामूली कमी आई है। तथापि, लघु उद्योग क्षेत्र को कुल अग्रिम में वृद्धि हुई है। खातों की संख्या में कमी के लिए जिन कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, वे हैं : लघु उद्योग क्षेत्र में बड़ी संख्या में लघु एनपीए खातों को विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डालना/परस्पर सहमति द्वारा उनका निपटान करना।

(घ) उपर्युक्त नीतिगत पैकेज के अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को अपनी शाखाओं तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की शाखाओं में बेहतर समन्वयन हेतु तंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक योजना तैयार की है, ताकि परस्पर सहमति के परिचालनात्मक तौर–तरीकों पर एसएमई का सह–वित्तपोषण किया जा सके। सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एसएमई क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए किए गए अन्य कुछ उपाय हैं – एसएसआई क्षेत्र के उन्नयन हेतु ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी योजना में संशोधन, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा ऋण रेटिंग योजना का प्रारंभ तथा सिडबी द्वारा एसएमई रेटिंग एजेंसी की स्थापना। इसके अतिरिक्त एसएमई क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अति लघु, लघु तथा मझौले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 को अधिनियमित कर दिया गया है।

शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंध

5073. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंध में राज्यों को सहायता करने के लिए स्कीम की रूपरेखा तैयार करने तथा उसे आरम्भ करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) जी, नहीं। 'शहरी कचरा निपटान' राज्यों का विषय है और देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कचरा निपटान हेतु सुविधाएं मुहैया कराना राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों का दायित्व है। तथापि, शहरी कचरा निपटान में राज्य सरकारों की मदद करने की दृष्टि से भारत सरकार ने 7 वर्ष की लक्ष्य अवधि अर्थात् 2012 तक देश के सभी शहरी क्षेत्रों में कचरा निपटान सहित शहरी अवस्थापना परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिसम्बर, 2005 में दो सुधारोंमुखी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं नामतः

(i) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

(ii) छोटे एवं मझौले कस्बों में शहरी अवस्थापना विकास की योजना (यूआईडीएसएसएमटी) जेएनएनयूआरएम के शहरी अवस्थापना एवं शासन संबंधी उप मिशन के तहत 2001 की जनगणना के अनुसार एक मिलियन से अधिक आबादी वाले 63 नगर राज्यों की राजधानियां तथा सांस्कृतिक, पर्यटन तथा ऐतिहासिक महत्व के नगर केन्द्रीय सहायता के लिए पात्र हैं। उपर्युक्त उप मिशन के तहत न आने वाले अन्य सभी कस्बे यूआईडीएसएसएमटी के तहत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए पात्र हैं।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने शहरी कचरे का समुचित और वैज्ञानिक ढंग से निपटान करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों, जिला प्रशासन तथा राज्य सरकारों के शहरी विकास विभागों के लिए शहरी कचरा (प्रबंधन एवं निपटान) नियमावली, 2000 अधिसूचित की है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र का वित्त पोषण

5074. श्री कैलाश मेघवाल :
श्री सर्वे सत्यनारायण :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजनाओं के बैंकों द्वारा वित्त पोषण को वाणिज्यिक स्थावर संपदा में एक्सपोजर मानने के भारतीय रिजर्व बैंक के उस निर्णय की समीक्षा करने का है जिसके परिणामस्वरूप अवसंरचना परियोजनाओं की तुलना में उच्च ब्याज दर लगता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे एस.ई.जेड. परियोजनाओं में बैंकों के हिस्से को किस प्रकार सीमित करने का सरकार का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) बैंको द्वारा अपनाए जाने वाले विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में निर्णय, नियामक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिए जाते हैं। बाजार की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 सितम्बर, 2006 को मार्गनिर्देश जारी किए थे, जिनमें सभी वाणिज्यिक बैंकों को यह निर्देश दिया था कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की स्थापना के लिए या विशेष आर्थिक क्षेत्रों में इकाइयों के अधिग्रहण के लिए संस्थाओं में बैंकों के प्रकटन, जिसमें स्थावर संपदा शामिल हैं, को तत्काल प्रभाव से वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र में प्रकटन माना जाएगा और बैंकों को विद्यमान मार्गनिर्देशों के अनुसार ऐसे प्रकटन के लिए प्रावधान करना होगा और उचित जोखिम भार निर्धारित करना होगा। इन मार्गनिर्देशों को तैयार करते समय, भारतीय रिजर्व बैंक ने इन गतिविधियों के लिए उधार देने के मामले में पिछले कार्यनिष्पादन रिकार्ड के अभाव और विशेष आर्थिक क्षेत्र विनियमों के तत्वों, जो अन्य बातों के साथ-साथ, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थावन संपदा को उदारतापूर्वक बेचे जाने की अनुमति प्रदान नहीं करते हैं, को भी ध्यान में रखा था। विभिन्न गतिविधियों के लिए बैंकों के संबंध में जोखिम भार, प्रकटन सीमाओं आदि की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सतत् समीक्षा की जाती है।

(ग) एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में, जिसका उद्देश्य ऋण जोखिमों के संकेन्द्रण से बचना है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को विशिष्ट उद्योग या क्षेत्रों को उनके प्रकटन के संबंध में सीमाएं निर्धारित करने का परामर्श दिया है और भारत में व्यक्तिगत और सामूहिक उधारकर्ताओं को बैंकों के प्रकटन के संबंध में विनियामक सीमाएं निर्धारित की हैं।

प्राकृतिक रबड़ पर आयात शुल्क

5075. श्री पन्नियन रवीन्द्रन :
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन :
श्री एस. अजय कुमार :
श्री सी.के. चन्द्रप्पन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत में प्राकृतिक रबड़ के आयात के लिए सीमा शुल्क की दर देश-वार कितनी है;

(ख) क्या सरकार थाईलैण्ड से प्राकृतिक रबड़ की खरीद पर आयात शुल्क में कमी करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि वर्ष 2006-07 के दौरान बढ़े हुए आयातों के कारण प्राकृतिक रबड़ के घरेलू मूल्यों में कमी आई है जिससे रबड़ उत्पादकों, विशेषकर केरल के रबड़ उत्पादकों को नुकसान हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) "प्राकृतिक रबड़ लेटेक्स" के लिए सीमा शुल्क की सामान्य दर 70% है और "सभी प्रकार के प्राकृतिक रबड़" के लिए यह दर 20% है। तथापि "अधिमानक व्यापार करार" और मुक्त व्यापार करार" सहित विभिन्न व्यापार करारों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने के अध्यधीन विनिर्दिष्ट देशों से प्राकृतिक रबड़ के आयात के लिए सीमा शुल्क की रियायती दरों का प्रावधान किया गया है। इन करारों के अंतर्गत लागू होने वाली शुल्क दर निम्नानुसार है:–

क्रम सं.	उद्गम का देश	प्राकृतिक रबड़ पर सीमा शुल्क की दर
1	बांग्लादेश, चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य और श्रीलंका गणराज्य	(i) प्राकृतिक रबड़ लेटेक्स के लिए 39.9% (ii) अन्य प्रकार के प्राकृतिक रबड़ के लिए 16%
2	नेपाल	शून्य
3	भूटान	शून्य

(ख) और (ग) फिलहाल थाईलैण्ड से आयातित प्राकृतिक रबड़ पर आयात शुल्क में कमी का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2006–07 के दौरान वित्त मंत्रालय को रबड़ उत्पादकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है जिससे बढ़े हुए आयातों के कारण वर्ष 2006–07 के दौरान प्राकृतिक रबड़ के देशी मूल्य में कमी को दर्शाया गया हो। सीमा शुल्क की दर का निर्धारण करते समय रबड़ उत्पादकों सहित सभी संबंधितों के हितों का ध्यान रखा जाता है।

डी.एम.आर.सी. रूट नेटवर्क

5076. श्री सर्वे सत्यनारायण : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने नई दिल्ली में 2010 में होने वाली राष्ट्रमंडल खेल को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2010 तक लगभग 100 कि.मी. के नेटवर्क की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक क्या ब्यौरा तैयार किया गया है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ किन–किन रूटों की पहचान की गई है;

(घ) प्रत्येक रूट के पूरा होने की संभावित तिथि क्या है; और

(ङ) प्रत्येक रूट पर किन मेट्रो स्टेशनों की पहचान की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ङ) दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) ने 115.505 कि.मी. के नेटवर्क की एक योजना बनायी है जिसे 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों से पहले पूरा किए जाने का लक्ष्य है। राष्ट्रमंडल खेलों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए इसमें से लगभग 60.83 कि.मी. के नेटवर्क अर्थात् दिल्ली मेट्रो का गुड़गांव नोएडा तक तथा केन्द्रीय सचिवालय से बदरपुर तक के विस्तार तथा दिल्ली रेलवे स्टेशन से आईजीआई एयरपोर्ट तक द्रुत गति एक्सप्रैस लिंक को 2010 तक पूरा करने की विशेष योजना बनाई है। इस नेटवर्क से संबंधित अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

डी.एम.आर.सी. रूट नेटवर्क

कोरीडोर	लम्बाई (कि.मी.)	लागत (रुपए करोड़ में)	लक्ष्य तिथि	वर्तमान स्थिति	स्टेशन
1	2	3	4	5	6
विश्वविद्यालय–जहांगीरपुरी	6.36	8676.00	अक्टूबर, 2009	14% कार्य पूर्ण	विश्वविद्यालय, जीटीबी नगर, मॉडल टाउन, आजादपुर, आदर्श नगर और जहांगीर पुरी
केन्द्रीय सचिवालय–कुतुब मीनार	12.525		जून, 2010	1% कार्य पूर्ण	केन्द्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, रेस कोर्स, जोर बाग, आईएनए, एआईआईएमएस, ग्रीन पार्क, हौज खास, मालवीय नगर, साकेत और कुतुब मीनार

1	2	3	4	5	6
शाहदरा–दिलशाद गार्डन	3.09		दिसम्बर, 2008	9% कार्य पूर्ण	शाहदरा, जीटीबी इंक्लेव, झिलमिल और दिलशाद गार्डन
इन्द्रप्रस्थ–न्यू अशोक नगर	8.07		जून, 2009	7% कार्य पूर्ण	इन्द्रप्रस्थ, यमुना बैंक, खेल गांव, मयूर विहार–I, मयूर विहार–I एक्सटेंशन और न्यू अशोक नगर
यमुना बैंक–आनंद विहार आईएसबीटी	6.17		दिसम्बर, 2009	5% कार्य पूर्ण	यमुना बैंक, लक्ष्मी नगर, स्कोप टॉवर, प्रीत विहार, कड़कड़डूमा और आनंद विहार आईएसबीटी
कीर्ति नगर–मुण्डका (इन्द्रलोक तक आपरेशनल लिंक के साथ)	18.46		मार्च, 2010	8% कार्य पूर्ण	कीर्ति नगर, पटेल नगर, इंद्रलोक, अशोक पार्क मेन, शिवाजी पार्क, मादीपुर, पश्चिम विहार, सहदेव पार्क, पीरागढ़ी, उद्योग नगर, सूरजमल स्टेडियम, नांगलोई, नांगलोई रेलवे स्टेशन, राजधानी पार्क और मुंडका
दिल्ली मैट्रो का गुड़गांव तक विस्तार	14.47	1600.92	जून, 2010	4% कार्य पूर्ण	कुतुब मीनार, छतरपुर, सुलतानपुर, घिटोरनी, अर्जनगढ़, गार्डन एस्टेट, सिकंदरपुर, डीटी सिटी सेंटर, आईएफएससीओ चौक, सुशांत लोक
दिल्ली मैट्रो का नोएडा तक विस्तार	7.00	840.56	जून, 2009	17.10.2006 को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित	नोएडा सेक्टर–15, सेक्टर–16, सेक्टर–18, बोटेनिकल गार्डन, गोल्फ कोर्स, सिटी सेंटर सेक्टर–32 नोएडा
केन्द्रीय सचिवालय–बदरपुर	20.16	4012.00	जून, 2010	20.04.2007 को अनुमोदित	केन्द्रीय सचिवालय, खान मार्किट, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जंगपुरा, लाजपत नगर, मूलचंद ईस्ट ऑफ कैलाश, नेहरू प्लेस, कालकाजी मंदिर, गोविंदपुरी, ओखला, जसोला, सरिता विहार, मोहन एस्टेट, तुगलकाबाद और बदरपुर
एयरपोर्ट एक्सप्रैस लिंक	19.2	3076.00	जून, 2010	20.04.2007 को अनुमोदित	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, शिवाजी स्टेडियम, धौलाकुंआ, आईजीआई एयरपोर्ट

[हिन्दी]

ए.पी.डी.आर.पी.

5077. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

श्री गिरिधारी यादव :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चलाए जा रहे त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत चयन किए गए जिलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन जिलों का चयन करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(घ) अभी तक इन जिलों में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) की शुरूआत 2002-03 में सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी, विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार तथा उपभोक्ता संतुष्टि में वृद्धि करने के मुख्य उद्देश्य के साथ की गई थी।

(ख) एपीडीआरपी एक परियोजना संचालित कार्यक्रम है। भारत सरकार उच्च घनत्व वाले शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों यथा शहरों में उपपारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन की परियोजनाओं का वित्तपोषण करने में राज्यों की सहायता करती है। वर्ष 2005-06 के दौरान 284.77 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 14 शहरों के लिए परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। चूंकि एपीडीआरपी को केवल 10वीं योजना में कार्यान्वयन के लिए अनुमोदन दिया गया था, इस कारण से वर्ष 2006-07 के दौरान किसी नई परियोजना को स्वीकृति नहीं दी गई। 14 शहरी परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) राज्य विद्युत यूटिलिटियां जिलों में ऐसे शहरों का चयन करती हैं जहां एपीडीआरपी का कार्यान्वयन वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के लिए किया जाना होता है और परियोजनाओं को भारत सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करती हैं। स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत आरंभ किए गए कार्य हैं – फीडर एवं ट्रांसफार्मरों का संवर्धन, मीटरीकरण, उपकेन्द्रों एवं वितरण ट्रांसफार्मरों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण, कैपेसिटर की स्थापना, सर्विस कनेक्शन में सुधार, उपकेन्द्र स्वचालन समेत सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, फीडरों का द्विभाजन और रिकण्डक्टरिंग आदि।

विवरण

वर्ष 2005-06 के दौरान एपीडीआरपी के अंतर्गत स्वीकृत 14 शहरी परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे

क्रम सं.	शहर का नाम	परियोजना लागत (रु. करोड़)
छत्तीसगढ़		
1	जगदलपुर	3.33
कर्नाटक		
2	मंगलोर	17.34
3.	उडुप्पी	8.85
मध्य प्रदेश		
4.	बैतुल	2.48
5	खानियाधाना	0.29
6.	कोलारस	0.46
7.	पोहारी	0.13
8.	करेरा	0.56
9.	नरवर	0.42
महाराष्ट्र		
10	थाणे सिटी	126.87
11	मुलुंड व भांडुप	72.50
पंजाब		
12	धुरी	6.19
उत्तर प्रदेश		
13	बदायूं एवं उझानी	18.62
14	मैनपुरी के अंतर्गत 8 शहर	26.73
	कुल	284.77

[अनुवाद]

मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के बिना कार्य कर रहे सरकारी क्षेत्र के बैंक

5078. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के बिना कार्य कर रहे सरकारी क्षेत्र के बैंको का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन बैंकों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के पद कब से रिक्त पड़े हुए हैं; और

(ग) इन पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स और बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध् निदेशक (सीएमडी) क्रमशः 31.03.2007 और 30.04.2007 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गए हैं। इन रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए नए पदधारियों के नाम सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजे जा चुके हैं।

नई पैंशन योजना

5079. श्री पी. करुणाकरन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई पैंशन योजना के दायरे में कितने व्यक्ति शामिल हैं और कितनी धनराशि एकत्र हुई है; और

(ख) इस योजना के अंतर्गत इस धनराशि के निवेश को उपयोग करने की प्रक्रिया के ब्यौरे को कब अंतिम रूप दे दिया जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) महालेखा नियंत्रक (सीजीए) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत शामिल कर्मचारियों की संख्या 31. 03.2007 की स्थिति के अनुसार, 1,52,231 है। दिनांक 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार एनपीएस के तहत संचित धनराशि 228.35 करोड़ रुपए है।

(ख) पेशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण एनपीएस के तहत एक अभिलेखपालन एजेंसी नियुक्त करने से संबंधित कार्रवाई कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र में निधि प्रबंधकों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

मतदाता पंजीकरण केन्द्र

5080. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महानगरों में मतदाता पंजीकरण केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन केन्द्रों द्वारा कब से कार्य आरंभ किया जाएगा?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) से (ग) भारत निर्वाचन आयोग ने यह संसूचित किया है कि वर्तमान में केवल राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में मतदाता रजिस्ट्रीकरण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव किया गया है। योजना के अनुसार दिल्ली के 70 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक मतदाता रजिस्ट्रीकरण और निर्वाचक फोटो पहचान केन्द्र (वीआरईसी) खोलने का प्रस्ताव किया गया है। ऐसे केन्द्र पूरे वर्ष के दौरान निर्वाचक नामावली में नामों को सम्मिलित करने और शेष बचे निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी करने की सेवाएं प्रदान करेंगे। दिल्ली में पहले ही छह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में इन केन्द्रों ने कार्य करना आरंभ कर दिया है और यह योजना बनाई गई है कि इस वर्ष के अंत तक शेष 64 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे केन्द्रों को स्थापित कर दिया जाए।

उच्च न्यायालय में सुलह/मध्यस्थता केन्द्र

5081. श्री के.एस. राव : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मद्रास उच्च न्यायालय में मध्यस्थता केन्द्र की तर्ज पर उच्च न्यायालयों में सुलह/मध्यस्थता केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बेघर लोगों के लिए रैन बसेरों का निर्माण

5082. श्री बापू हरी चौरे :
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री संजय धोत्रे :

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से बेघर लोगों के लिए रैन बसेरों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता की मांग वाला कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है तथा इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि आवास और नगर

विकास निगम लि. (हडको) ने आश्रय और सफाई की 35 स्कीमें मंजूर की थी जो शहरी क्षेत्रों में फुटपाथ वासियों के लिए मुख्यतः भुगतान आधारित शौचालय संबंधी है। इन 35 आश्रय और सफाई स्कीमों में से पुणे नगर निगम की एक स्कीम है जिसमें 20 बिस्तरों वाला रैन–बसेरा शामिल है।

सिंगरौली एनटीपीसी विद्युत परियोजना के विस्थापितों का पुनर्वास

5083. श्री माणिक सिंह : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एनटीपीसी), सिंगरौली (विंध्यनगर) विद्युत परियोजना के प्रथम चरण के कारण कितने व्यक्ति/परिवार विस्थापित हुए हैं;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि प्रथम चरण के विस्थापित व्यक्तियों/परिवारों को अभी तक कोई पैकेज नहीं दिया गया है जबकि द्वितीय चरण के विस्थापित व्यक्तियों को रु. 1,40,000 प्रति एकड़ भूमि की दर से पैकेज के साथ–साथ विस्थापन के समय ढुलाई व्यय भी दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) प्रथम चरण के विस्थापित परिवारों को कब तक पैकेज दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) एनटीपीसी लि. की सिंगरौली (विंध्य नगर) अर्थात् विंध्याचल परियोजना के चरण–I के कारण प्रभावित परिवारों की संख्या 2304 थी।

(ख) से (घ) पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास (आर एण्ड आर) के अंतर्गत विंध्याचल परियोजना के प्रथम चरण से प्रभावित परिवारों (पी ए एफ) को एनटीपीसी की 1980 में प्रचलित नीति के अनुसार प्रदत्त लाभ/सुविधाओं के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:–

- भूमि अर्जन (एलए) अधिनियम के अनुसार अधिगृहीत आस्तियों की क्षतिपूर्ति
- प्रभावित परिवारों को पुनर्वास कालोनियों (आरसीज) में प्लाट
- पुनर्वास कॉलोनियों में विकसित अवसंरचना
- शिफ्टिंग के दौरान परिवहन आदि के लिए सहायता
- रोजगार (पात्रता और रिक्ति होने पर)
- दुकान का आबंटन
- छोटे ठेके का कार्य

[अनुवाद]

गुजरात में अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना

5084. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना के विकास के लिए स्थल का चयन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजना के लिए सफल बोली लगाने वालों की पहचान कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) जी, हां। गुजरात में एक अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना विकास के हेतु स्थल को अन्तिम रूप प्रदान कर दिया गया है। यह स्थल तटीय गुजरात क्षेत्र के कच्छ जिले के मुन्द्रा तालुका में टुण्ड्रगवंड गांव के दक्षिण (भुज से लगभग 60 कि.मी.) में स्थित है। परियोजना हेतु स्थल का चयन और पोत सुविधाओं का मूल्यांकन राज्य सरकार के सहयोग से किया गया था।

(ग) से (ङ) मुन्द्रा अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना हेतु तकनीकी व वित्तीय बोलियां शेल कम्पनी अर्थात् कोस्टल गुजरात पावर लि. जो कि पावर फाईनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) की एक सहायक कम्पनी है, द्वारा आमंत्रित की गई थीं। मैसर्स टाटा पावर कम्पनी लि. को सफल बोली–कर्ता चयनित किया गया था क्योंकि इसने 25 वर्षों के लिए प्रति यूनिट 2.26 रुपये की न्यूनतम मूल्यांकित स्थिर टैरिफ इंगित की थी। परियोजना दस्तावेज सफल बोली कर्ता को 23 अप्रैल, 2007 को सौंपे गए थे।

[हिन्दी]

महानगरों में विद्युत शुल्क

5085. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अन्य महानगरों की तुलना में मुम्बई में विद्युत शुल्क अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अन्य विकसित/विकासशील देशों की तुलना में देश में विद्युत शुल्क अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार मुम्बई, कोलकाता और दिल्ली में विद्युत की दरें दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

विभिन्न विकसित एवं विकासशील देशों में विद्युत टैरिफ का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

उपभोक्ता के लिए विद्युत के मूल्य में पारेषण लागत के साथ-साथ समग्र व्यापक विद्युत क्रय लागत और वितरण कम्पनियों (डिस्काम) के प्रचालन एवं वित्तीय निष्पादन अर्थात् सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी व सी) हानियां, प्रचालन व्यय, प्रणाली उत्थान वृद्धि हेतु पूंजी निवेश, उपभोक्ता प्रोफाइल, सब्सिडी और क्रास जब्सिडी आदि शामिल हैं।

विद्युत की लागत को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) विद्युत अधिनियम 2003 एक प्रतियोगी ढांचा तैयार करता है जो लागत को कम करने पर देता है।

(ii) राष्ट्रीय विद्युत नीति व्यवहार्य जल क्षमता के सम्पूर्ण विकास पर अधिकतम बल देती है जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की लागत दीर्घावधि में महत्वपूर्ण रूप से कम होती है।

(iii) थर्मल विद्युत के लिए, नीति में निदेश है कि विद्युत के उत्पादन एवं आपूर्ति के उपलब्ध किफायती विकल्पों में से ईंधन के चयन के आधार पर होनी चाहिए। नए उत्पादन स्टेशनों का या तो ईंधन संसाधनों उदाहरणार्थ पिट हेड स्थानों अथवा लोड केन्द्रों के समीप स्थापित होना नए उत्पादन स्टेशनों के लिए किफायती होगा।

(iv) टैरिफ नीति, जो दिनांक 6.1.2006 को अधिसूचित की गई थी, व्यवस्था करती है कि विद्युत की सम्पूर्ण भावी आवश्यकता को वर्तमान परियोजनाओं के विस्तार या चिह्नित विकासकर्ता के रूप में राज्य नियंत्रित/स्वामित्व प्राप्त कम्पनी जहां है, के मामलों को छोड़कर वितरण लाइसेन्सियों द्वारा प्रतियोगितात्मक रूप से प्राप्त की जानी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाओं के लिए, सभी नई उत्पादन एवं पारेषण परियोजनाओं का टैरिफ पांच वर्षों की अवधि के पश्चात् प्रतियोगी बोली के आधार पर अथवा जल विनियामक आयोग संतुष्ट हो कि ऐसी प्रतियोगिता को शुरू करने के लिए स्थिति कदम उपर्युक्त हैं के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए।

(v) कोयला प्रज्वलित स्टेशनों के लिए ईंधन की लागत को कम करने की दृष्टि के साथ-साथ थर्मल परियोजनाओं के लिए कैप्टिव कोयला खनन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(vi) थर्मल विद्युत स्टेशनों के खराब निष्पादन की प्रचालन दक्षता को नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम के द्वारा बढ़ा दिया गया है।

(vii) 2004-09 की अवधि के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा जारी टैरिफ की शर्तों एवं निबंधनों ने प्रचालन मानदण्डों को सुधारा है।

(viii) वृहत विद्युत नीति में इस नीति की पात्रता शर्तों को पूरा करने हेतु उत्पादन परियोजनाओं के लिए घरेलू आपूर्तिकर्ताओं हेतु पूंजी उपकरण के आयात तथा डीम्ड निर्यात लाभों के लिए शून्य कस्टम शुल्क की व्यवस्था की गई है।

(ix) सरकार ने विद्युत परियोजनाओं के लिए नाफ्था और प्राकृतिक गैस पर कस्टम शुल्क तथा कोयले पर कस्टम शुल्क पहले ही कम किया था।

(x) त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) का लक्ष्य तकनीकी हानियों को कम करने तथा आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने तथा राज्य विद्युत यूटीलिटियों द्वारा नकद हानियों को कम करने के लिए नकद अनुदानों के माध्यम से सुग्राही बनाने के लिए भी उप-पारेषण एवं वितरण प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण हेतु निवेश में राज्यों को सहायता प्रदान करना था। कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पुनर्गठित किए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण-I

1.3.2007 तक औद्योगिक एवं घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुम्बई, कोलकाता और दिल्ली में विद्युत की दर निम्नवत् हैं:-

क्रम सं.	यूटीलिटि का नाम	से प्रभावी टैरिफ	घरेलू 4 किलोवाट (400 किलोवाट घंटा/माह)	मध्यम उद्योग 50 किलोवाट (7500 किलोवाट घंटा/माह)
1	2	3	4	5
1.	दिल्ली - (बीएसईएस राजधानी लि./ बीएसईएस यमुना लि./नार्थ दिल्ली पॉवर लि.)	1.10.2006	346.50	560.00

1	2	3	4	5
2.	दिल्ली – (न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कार्पोरेशन)	01.04.2006	252.25	431.00
3.	कोलकाता – (कोलकाता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कं.)	01.04.2005	460.28	480.32
4	मुम्बई – (बम्बई सब-अरबन इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट)	01.10.2006	262.80	531.71
5.	मुम्बई – (रिलाइंस एनर्जी)	01.10.2006	422.40	729.27
6.	मुम्बई (टाटा का)	01.10.2006	436.40	697.22

विवरण-II

वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेन्सी द्वारा प्रकाशित कुछ विकसित एवं विकासशील देशों में औद्योगिक एवं घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विद्युत की रिटेल दरें निम्नवत् थीं:–

क्रम सं.	देश का नाम	औद्योगिक उपभोक्ता		घरेलू उपभोक्ता	
		अमरीकी डॉलर किलोवाट घंटा में मूल्य	रुपये किलोवाट घंटा में मूल्य*	अमरीकी डॉलर किलोवाट घंटा में मूल्य	रुपये किलोवाट घंटा में मूल्य*
1.	यूएसए	0.0549	2.25	0.0961	3.94
2.	जापान	0.1272	5.21	0.1963	8.05
3.	चीन (ताइपे)	0.0512	2.10	0.0690	2.83
4.	कोरिया	0.0638	2.62	0.0894	3.67
5.	फ्रांस	0.0483	1.98	0.1365	5.59
6.	यूके	0.1003	4.11	0.1580	6.47
7.	चेक गणराज्य	0.0892	3.66	0.1161	4.76
8.	हंगरी	0.1068	4.37	0.1266	5.19
9.	मैक्सिको	0.1009	4.14	0.1010	4.14
10.	पोलैंड	0.0736	3.02	0.1250	5.13
11.	स्लोवाक गणराज्य	0.0797	3.27	0.1295	5.31
12.	टर्की	0.1077	4.42	0.1194	4.90

* तुलनात्मक उद्देश्यों के लिए उपरोक्त परिवर्तन एक यूएस डॉलर = 41.00 रुपए की परिवर्तन दर का प्रयोग करते हुए किया गया है।

[अनुवाद]

इण्डोनेशिया से सुपारी का आयात

5086. श्री पी.सी. थामस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सीमा शुल्क अधिकारियों ने कोचीन पत्तन के रास्ते इण्डोनेशिया अथवा किसी अन्य देश से चालीस कंटेनर सुपारी के आयात के प्रयास को विफल कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक पत्तन के ही रास्ते अनन्य रूप से सुपारी के आयात पर प्रतिबंध है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) यह खेप कोचीन पत्तन पर कैसे पहुंची; और

(च) इस पर क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। मार्च–अप्रैल, 2007 के दौरान इंडोनेशिया से आयातित 61 कंटेनरों की 19 खेपों को विस्तृत छानबीन के लिए रोका गया ताकि यह जांच की जा सके कि कहीं इन खेपों का आयात विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा लगाए गए पोर्ट प्रतिबंधों का उल्लंघन करके तो नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. 49 (आर ई–2006)/2004 – 2009, दिनांक 20.02. 2007 में केवल मंगलोर पोर्ट से सुपारी के आयात की निकासी का प्रतिबंध लगाया गया है।

(ङ) और (च) एकत्रित साक्ष्यों से पता चलता है कि स्टीमर एजेन्टों की मदद से आयातकों ने विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा लगाए गए पोर्ट प्रतिबंधों से बचने के लिए लदान के बिलों में लदान की तिथि में हेरफेर कर कोचिन पोर्ट से सुपारी की निकासी के लिए प्रयास किया है। सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाहियां चल रही हैं।

निःशक्त प्रयोक्तानुकूल भवन एवं परिसर

5087. श्री जी. करूणाकर रेड्डी : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार सभी सरकारी भवनों और परिसरों को निःशक्त प्रंयोक्तानुकूल होना अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, हां। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा डिजाइन तथा निर्मित सरकारी भवन निःशक्त अनुकूल हैं।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अपनाए जा रहे बाधामुक्त भवनों के दिशानिर्देश केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की वेबसाइट में उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत राज्यों को धनराशि

5088. श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्री कैलाश जोशी :
श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री बाडिगा रामकृष्णा :
श्री जी.एम. सिद्धेश्वर :
श्री कीरेन रिजीजू :
श्री तथागत सत्पथी :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2005–06 और 2006–07 के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को कुल कितनी राशि जारी की गई है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने योजना के अंतर्गत जारी धनराशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत जारी निधियों के राज्य–वार एवं वर्ष–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) कार्यान्वयनकर्ता राज्यों द्वारा आरजीजीवीवाई के अंतर्गत मार्च, 2007 में जारी निधियों को छोड़कर जारी निधियों का पूरी तरह से उपयोग कर लिए जाने की सूचना मिली है।

विवरण

वर्ष 2005–06 तथा 2006–07 के दौरान आरजीजीवीवाई के अंतर्गत जारी निधि

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य	2005–06	2006–07	कुल
1	2	3	4	5
1.	राजस्थान	74.982	68.738	143.72
2.	उत्तर प्रदेश	812.607	1544.403	2357.01
3.	उत्तरांचल	59.441	278.279	337.72
4.	छत्तीसगढ़	6.50	36.18	42.68
5.	कर्नाटक	84.184	75.766	159.95
6.	बिहार	381.976	470.144	852.12
7.	झारखंड	3.50	285.24	288.74
8.	उड़ीसा	3.50	63.67	67.17

1	2	3	4	5
9.	पश्चिम बंगाल	115.421	160.059	275.48
10.	गुजरात	0	13.36	13.36
11.	मध्य प्रदेश	0	104.66	104.66
12.	आंध्र प्रदेश	0	94.35	94.35
13.	असम	0	39.22	39.22
14.	हरियाणा	0	12.33	12.33
15.	हिमाचल प्रदेश	0	7.48	7.48
16.	केरल	0	5.13	5.13
17.	जम्मू और कश्मीर	0	19.59	19.59
18.	मणिपुर	0	13.53	13.53
19.	महाराष्ट्र	0	10.02	10.02
20	नागालैंड	0	4.23	4.23
	कुल	1542.111	3306.379	4848.49
बीपीएल दावों तथा सहायक कार्यों के लिए संवितरण		55.46		55.46
सकल योग		1597.571		4903.95

इसमें परियोजना लागत की 10% ऋण राशि शामिल है।

एसजीएसवाई के अन्तर्गत लम्बित परियोजनाएं

5089. श्री कृष्णा मुरारी मोघे : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) की विशेष योजना के अन्तर्गत डेयरी उद्योग के लिए मध्य प्रदेश सरकार से दिनांक 22 अक्तूबर, 2003 का प्रस्ताव प्राप्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की स्थिति क्या है;

(ग) प्रस्ताव की स्वीकृति में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में डेयरी फार्म की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने मंत्रालय की मंजूरी के लिए स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत विशेष परियोजना प्रस्ताव भेजा था। स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विशेष परियोजना के दिशानिर्देशों के अनुसार इस प्रस्ताव की जांच की गई थी तथा दिनांक 06, अक्तूबर, 2005 के पत्र सं. 24015/ 35/ 2005–एसजीएसवाई–II (एसपी) के माध्यम से राज्य सरकार को इस सलाह के साथ प्रस्ताव वापस भेज दिया गया था कि प्रस्ताव को सामान्य स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाए।

'एसजीएसवाई' और 'एसजीआरवाई' के अन्तर्गत लाभ

5090. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा समाज के सर्वाधिक वंचित वर्गों को रोजगार के अवसर दने के लिए विभिन्न रोजगार योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ख) क्या स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) और सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) जैसी योजनाओं के दिशानिर्देशों में समाज के उक्त वर्गों के लिए प्रावधान है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक योजना के अन्तर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की राज्य–वार संख्या कितनी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय की रोजगार योजनाओं से समाज के अत्यधिक वंचित वर्गों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। एसजीआरवाई के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने समय अन्य बातों के साथ–साथ उन अनूसचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों तथा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है जो मजदूरी रोजगार के लिए काम करने के इच्छुक हों। एसजीएसवाई का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। एसजीएसवाई में विशेष रूप से ग्रामीण गरीबों में असुरक्षित वर्गों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। एसजीएसवाई के दिशा–निर्देशों में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक ब्लॉक में बनाए गए स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) का 50% केवल महिलाओं के लिए होना चाहिए और 40% सहायताप्राप्त स्वरोजगारी, महिलाएं होनी चाहिए। कुल सहायताप्राप्त स्वरोजगारियों में से कम से कम 50% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए और 3% विकलांग व्यक्ति होने चाहिए।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान एसजीआरवाई के अंतर्गत सृजित रोजगार और एसजीएसवाई के अंतर्गत सहायताप्राप्त स्वरोजगारियों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान एसजीआरवाई तथा एसजीएसवाई के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसजीआरवाई के अंतर्गत लाख श्रम दिवस में सृजित रोजगार			एसजीएसवाई के अंतर्गत सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की कुल संख्या		
		2004–05	2005–06	2006–07*	2004–05	2005–06	2006–07
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	434.02	434.16	136.40	84825	132462	638843
2.	अरूणाचल प्रदेश	8.53	9.42	11.74	1743	2013	835
3.	असम	625.80	716.00	632.35	64814	55753	67587
4.	बिहार	605.32	618.37	151.45	128075	131033	109267
5.	छत्तीसगढ़	348.85	256.82	83.58	28842	28971	33669
6.	गोवा	3.57	1.91	2.64	683	625	711
7.	गुजरात	264.68	186.34	77.20	27457	30948	27237
8.	हरियाणा	70.12	70.90	73.99	14132	14955	14158
9.	हिमाचल प्रदेश	40.18	36.48	24.32	8950	8457	5905
10.	जम्मू व कश्मीर	43.73	42.09	19.34	8039	7185	8219
11.	झारखंड	303.88	407.43	40.97	59705	79847	69077
12.	कर्नाटक	419.24	395.07	310.51	52976	46924	46407
13.	केरल	118.91	109.46	53.38	23306	22483	22401
14.	मध्य प्रदेश	581.39	533.55	267.72	48777	56456	59781
15.	महाराष्ट्र	674.69	659.28	412.54	70146	73839	75786
16.	मणिपुर	31.93	13.56	32.30	0	1964	3560
17.	मेघालय	36.96	41.74	25.87	7508	1835	1112
18.	मिजोरम	6.54	11.48	14.20	1488	1557	11856
19.	नागालैण्ड	36.71	33.10	20.53	2981	3508	2125
20.	उड़ीसा	553.94	556.02	183.61	65712	63904	68687
21.	पंजाब	43.29	36.68	44.19	5246	5923	10532
22.	राजस्थान	219.48	182.54	162.76	35225	33476	38445
23.	सिक्किम	5.34	7.60	7.81	1598	1466	1397
24.	तमिलनाडु	519.41	472.11	212.36	74927	39708	53509

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	त्रिपुरा	108.46	130.36	46.21	9301	6188	9551
26.	उत्तराचंल	94.29	102.02	86.64	246824	261080	257547
27.	उत्तर प्रदेश	1750.45	1608.65	786.12	12493	17243	10564
28.	प. बंगाल	377.56	539.74	165.95	28280	18829	17304
29.	अं. नि. द्वीपसमूह	3.01	3.94	0.27	373	1594	108
30.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0	0	0
31.	दादरा व नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	87	0	0
32.	लक्षद्वीप	0.13	0.41	0.15	6	15	42
33.	पांडिचेरी	0.13	1.23	0.59	1409	875	1293
	कुल	8330.53	8218.45	4087.69	1115928	1151116	1667515

*वर्ष 2006–07 में, एसजीआरवाई कार्यक्रम को 200 जिलों में एनआरईजीए में मिला दिया गया है।

बीमा प्रीमियम की दर में बढ़ोतरी

5091. श्री रामजीलाल सुमन :
डा. चिन्ता मोहन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बीमा कंपनियों ने गत छह महीनों में बीमा प्रीमियम की दर में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सेक्टर–वार तथ्य क्या है;

(ग) क्या उक्त बढ़ोतरी सरकार द्वारा उन्हें छूट दिए जाने के बाद की गई है;

(घ) वर्ष 2005–06 के दौरान भारत में काम कर रही प्रत्येक बीमा कंपनी द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया है;

(ङ) क्या भारत में कई सेक्टरों में बीमा करवाना कानून अनिवार्य है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) प्रशुल्क सलाहकार समिति (टीएसी) ने बीमा कारोबार के विभिन्न वर्गों में प्रशुल्क की समाप्ति को दिनांक 01 जनवरी, 2007 से प्रभावी रूप से अधिसूचित किया है। वाहन तृतीय पक्ष के अनिवार्य स्वरूप को ध्यान में रखते हुए और अधिक दवा अनुपात के कारण इसके प्रीमियम में अधिक वृद्धि के अनुमान से, आईआरडीए ने आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धरा 14(2) (1) के अंतर्गत प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी गैर–जीवन बीमाकर्ताओं से कहा कि वे सभी वाहन मालिकों को बिना किसी समस्या के वाहन तृतीय पक्ष बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें और विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए वाहन तृतीय पक्ष दायित्व सुरक्षा के लिए प्रीमियम दरों की सूची निर्धारित की गई। अन्य साधारण बीमा कारोबार के संबंध में, बीमाकर्ताओं को दरें निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी जाती है। प्रतिस्पर्धा के कारण काफी हद तक दरों में कमी आई है।

(घ) वर्ष 2005–06 में सभी साधारण बीमाकर्ताओं के निवल लाभ की राशि नीचे दी गई है :–

(रु. करोड़ में)

बीमाकर्ता का नाम	लाभ	बीमाकर्ता का नाम	लाभ
रायल सुंदरम	8.63	बजाज एलायंस	51.56
टाटा एआईजी	13.60	रिलायंस	14.37
इफ्को टोकियो	14.62	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड	50.31
चोलामंडलम	–3.12	एचडीएफसी चुब्ब	4.41
न्यू इंडिया	716.38	नेशनल	–106.25
ओरिएंटल	283.92	यूनाइटेड इंडिया	425.23

(ङ) और (च) आईआरडीए ने सूचित किया है कि सार्वजनिक स्थानों में चलने वाले मोटर वाहनों के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत तृतीय पक्ष दायित्व बीमा अनिवार्य है। पर्यावरण सुरक्षा

अधिनियम में यथा परिभाषित 'जोखिमपूर्ण सामान' के भंडारण, परिवहन और संभालने के लिए लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के अंतर्गत दायित्व बीमा अनिवार्य है।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्र तथा नई खोज/अनुसंधान

5092. श्री जोवाकिम बखला : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिकों द्वारा की गई नई खोज और अनुसंधान प्रौद्योगिकी निचले स्तर तक विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंचा पा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ग) जी, हां। ग्रामीण क्षेत्रों में सशिक्तकरण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रासंगिक और उचित प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान विकास और अनुकूल को उत्प्रेरित करने तथा सहायता प्रदान करने के लिए सरकार की सामाजिक विकास से संबंधित अनेक योजनाएं हैं। प्रौद्योगिकी संस्थान/अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों के स्रोत और माडलों के रूप में कार्य करते हैं जिन्हें स्वंयसेवी एजेंसियों और अन्य संस्थानों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाता है। इसका प्रभाव स्थानीय क्षेत्रों में महसूस किया गया है। तथापि, ऐसे कार्यक्रमों के लिए निधियों और अन्य संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण वृहद स्तर पर प्रचार–प्रसार और प्रतिकृति बाधित हुई है। कठिनाइयों के बावजूद अनेक मॉडल और स्थानीय स्तर की प्रौद्योगिकियां विकसित की गयी हैं और इनका प्रयोग किया जा रहा है। कुछ सिद्ध प्रौद्योगिकियां/पैकेज इस प्रकार हैं :

– ग्रामीण स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण सहित मूल्य संवर्धन के लिए फल/सब्जी प्रसंस्करण और संरक्षण, और मॉडल देश के 23 स्थानों में कार्य कर रहा है।

– महिलाओं द्वारा उच्च्य मूल्य के औषधीय पौधों की खेती/अर्ध–प्रसंस्करण के लिए कृषि प्रौद्योगिकियां।

– नारियल ग्रेटिंग के लिए ड्रायर, बागवानी उत्पाद हेतु कागज और बायोमास आधारित ड्रायर।

– फूलों को सुखाने की तकनीक।

– जैवउर्वरक अर्थात अजोला, बी जी ए।

– ऊन धुनाई मशीन।

– रेशम उत्पादन में महिलाओं द्वारा प्रयोग के लिए कार्य वातावरण रूप से उपयुक्त औजार/उपस्कर।

– तटीय मछुआरों के लिए मछली एकत्रीकरण उपकरण (एफ ए डी)।

– लाल मृत्तिका पात्र बनाने हेतु कम तापमान पर कथित काचित करने के लिए प्रौद्योगिकी पैकेज विकसित किया गया और विशेष रूप से कन्याकुमारी क्षेत्र में अनेक यूनिटें कार्यरत हैं।

– मूत्र–नाल संक्रमणों के लिए कम लागत वाले नैदानिक चिकित्सा किट।

– जैव ग्रामों की स्थापना।

– प्रौद्योगिकी प्रचार–प्रसार के लिए एकीकृत मॉडल के रूप में 16 महिला प्रौद्योगिकी पार्कों और 5 ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना।

– छोटे रेस्त्राओं/ढांचों के लिए खराब अनाजों, फलों आदि का प्रयोग करने वाले बायोगैस संयंत्र/ महाराष्ट्र में 500 यूनिटों की संस्थापना की गई है।

– बिजली के उपयोग के बिना वैक्टीरिया और वायरस हटाने में सक्षम जल फिल्टर अल्ट्रा फाइन मैम्ब्रेन।

– चारकोल का प्रयोग करने वाले गैर दाब सराय कूकर जिसमें पूरी तरह भोजन पकाने में 40 मिनट लगते हैं। इसका वाणिज्यिक उत्पादन किया जा रहा है।

– सुंदरवन डेल्टा के रोग मुक्त केले का उत्पादन करने के लिए ऊतक संवर्धन तकनीकों का मानकीकरण। प्रशिक्षित महिला समूह द्वारा चार लाख छोटे पौधों का विक्रय किया गया है।

– झारखंड के लाख उत्पादक क्षेत्र में लाख निष्कर्षण और प्रसंस्करण मशीनों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

– सस्ते सैनिट्री नैपकिनों की प्रौद्योगिकी विकसित की गई है और इसका प्रचार–प्रसार किया गया है।

– उत्तरांचल, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में बिजली का उत्पादन करने के लिए बहु–उद्देश्यीय प्रयोग वाले पन–चक्कियों का उन्नयन। लगभग 2000 पन–चक्कियों का उन्नयन किया गया है।

डाकघरों के माध्यम से आयकर विवरणी दाखिल करना

5093. श्री किन्जरपु येरननायडु :

श्री कुलदीप बिश्नोई :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2006-07 के दौरान डाकघरों में कितनी आयकर विवरणी दाखिल की गई और इस कार्य के लिए डाक विभाग को कितनी राशि दी गयी/जानी है;

(ख) इन विवरणियों का निपटान करने में आयकर विभाग द्वारा कितना समय लगा/लगने की संभावना है; और

(ग) डाकघरों के माध्यम से अपनी विवरणी भरने वाले आय कर दाताओं को शीघ्र प्रतिदाय दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) वर्ष 2006-07 के दौरान, डाकघरों में 4,29,188 आयकर विवरणियां दाखिल की गईं। डाकघर में प्राप्त प्रत्येक विवरणी के लिए डाक विभाग को 100 रुपए की राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) और (ग) प्रतिदाय शीघ्र जारी करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से, इन विवरणियों को केंद्रीकृत प्रोसेसिंग का निर्णय लिया गया है।

महिलाओं के लिए आय वर्धक योजनाएं

5094. श्री सी. के. चन्द्रप्पन : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल सहित कतिपय राज्यों से महिलाओं की आय बढ़ाने हेतु विशेष योजनाएं विकसित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) महिलाओं की आय में वृद्धि करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में विशिष्ट योजनाएं बनाने के लिए राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की विशेष परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकारें विशेष परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं जिनमें से कुछ प्रस्तावों का भी लक्ष्य प्रमुख लाभार्थियों के रूप में महिलाएं होती हैं ताकि उन्हें स्थायी आजीविका प्रदान की जा सके और उनके लिए आय सृजन संबंधी क्रियाकलाप चलाए जा सकें। इन विशेष परियोजना प्रस्तावों पर स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विशेष परियोजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। केरल से स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्राप्त ऐसे विशेष परियोजना प्रस्ताव जिनमें महिला लाभार्थियों पर जोर दिया गया है, का ब्यौरा/स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्थिति
1.	केरल के कोजीकोड में नंदपुरम एरिया डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट (एनएडीएम) के लिए एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजना	राज्य सरकार ने मार्च, 2007 में परियोजना प्रस्ताव अग्रेषित कर दिया है। विशेष परियोजना प्रस्ताव, जो एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं, पर अंतिम निर्णय लेने के लिए द्विस्तरीय अंतर-मंत्रालय जांच/अनुमोदन समिति द्वारा कार्रवाई/विचार किया जाता है। यह एक निरंतर/सतत प्रक्रिया है और परियोजना पर एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजनाओं के दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।
2.	केरल के नारियल जटा (कॉयर) क्षेत्र में उपेक्षित महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजना	परियोजना प्रस्ताव पर कार्रवाई की गई और उसे राज्य सरकार को लौटा दिया गया है क्योंकि यह एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं था।

न्यायधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु

5095. एडवोकेट सुरेश कुरूप : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वैंकटपति) :

(क) और (ख) इस समय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि करने संबंधी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

स्थानीय निकायों की प्रगति रिपोर्ट

5096. श्री निखिल कुमार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को अपनी निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सतत् आधार पर बाजार से धनराशि उगाहने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) धन उगाहने में स्थानीय निकायों द्वारा कितनी प्रगति की गई है;

(घ) क्या इन धनराशियों का अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग न हो इसके लिए पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2000–01 में सरकार ने आय कर अधिनियम, 1961 के धारा 10(15) में एक नया खण्ड (vii) जोड़ा है, जिसमें स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी बांड से प्राप्त ब्याज आय को छूट दी गई है। हाल ही में नगरपालिका कर मुक्त बांड जारी करने संबंधी दिशानिर्देशों में वित्त मंत्रालय के परामर्श से संशोधन किया गया है और इन्हें 7 मार्च, 2006 को सभी राजय सरकारों और संघ शासित सरकारों को परिचालित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए अधिक ऋण की व्यवस्था के लिए हाल ही में एक साझा वित्त विकास कोष की स्थापना की है जो शहरी स्थानीय निकायों को उनकी विश्वसनीय शहरी अवस्थापना परियोजनाओं के लिए वित्त प्रबंध हेतु उनकी साख के आधार पर पूंजी बाजार से धनराशि उपलब्ध कराएगा। यह योजना सरकार द्वारा दिनांक 29.9.2006 को अनुमोदित की गई है। साझा वित्त विकास कोष (पीएफडीएफ) के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :–

(i) समुचित क्षमता निर्माण उपायों तथ परियोजनाओं के वित्तीय सुदृढ़ीकरण द्वारा विश्वसनीय शहरी अवस्थापना परियोजनाओं के विकास में मदद करना;

(ii) चुनिंदा शहरी अवस्थापना परियोजनाओं में निवेश के लिए एक या अधिक चुने गए शहरी स्थानीय निकायों की ओर से साझा वित्त बांड जारी करके राज्य साझा वित्तीय संस्थाओं (एसपीएफई) को ऋण अनुदान बढ़ाकर महत्वपूर्ण नगरपालिका अवस्थापना में निवेश हेतु पूंजी तथा वित्तीय बाजार सुलभ कराने में शहरी स्थानीय निकायों की सहायता करना।

(iii) समुचित ऋण वृद्धि उपायों तथा वर्तमान महंगे ऋणों का पुनर्गठन करके शहरी स्थानीय निकायों के लिए ऋण की लागत कम करना; तथा

(iv) नगरपालिका बांड बाजार के विकास में मदद।

साझा वित्त तंत्र लागू करने के लिए प्रत्येक में एक राज्य साझा वित्त संस्था (एसपीएफई) गठित करना अपेक्षित है। राज्य द्वारा गठित की जाने वाली एसपीएफई एक ट्रस्ट अथवा विशेष प्रयोजन संस्था हो सकती है बशर्ते कि संस्था केवल एक पास थ्रू माध्यम हो। एसपीएफई के गठन का मुख्य लाभ यह होगा कि इससे शहरी स्थानीय निकायों का नियमित आधार पर बांड बाजार में प्रवेश होगा और वे बढ़ाए गए परिचालन का लाभ उठा पायेंगे। साथ ही, सक्षम एसपीएफई बांड बाजार में अच्छी साख बना लेंगे और अलग–अलग शहरी स्थानीय निकाय की तुलना में अधिक प्रभावी परिचालन कर सकेंगे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाभ यह होगा कि वे अधिक व्यापक कार्यकलापों से होने वाले जोखिम से शहरी स्थानीय निकायों की तुलना में बेहतर बचाव कर सकेंगे।

केन्द्र सरकार पीएफडीएफ के माध्यम से एपीएफई की सहायता करेगी। केन्द्र सरकार द्वारा पीएफडीएफ के लिए उपलब्ध कराई गइ धनराशि में से 5% का उपयोग परियोजना विकास सहायता के लिए किया जाएगा। शेष 95% राशि का उपयोग नगरपालिका बांड की ऋण रेटिंग निवेश ग्रेड में सुधार करने के लिए ऋण रेटिंग वृद्धि कोष (सीआरईएफ) में अंशदान के लिए किया जाएगा।

(ग) जिन शहरी स्थानीय निकायों/निगमों को कर मुक्त नगरपालिका बांड जारी करके धनराशि एकत्रित करने की अनुमति दी गई है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। करमुक्त नगरपालिका बांडों के जरिए एकत्रित धनराशि का उपयोग केवल शहरी अवस्थापना में पूंजीगत निवेश हेतु निम्नलिखित में से एक या अधिक की व्यवस्था के लिए किया जाएगा :–

1. पीने के पानी की सप्लाई
2. सीवरेज अथवा सेनिटेशन
3. जल निकासी
4. कचरा निपटान
5. सड़कें, पुल तथा फ्लाई ओवर; तथा
6. शहरी परिवहन (यदि यह संबंधित राज्य कानून के अंतर्गत नगरपलिका का कार्य हो)।

विवरण

करमुक्त नगरपालिका बांड

वे शहरी स्थानीय निकाय/पैरा स्टेटल जिन्हें करमुक्त बांड जारी करने की अनुमति दी गई है।

क्र.सं.	नाम	धनराशि (करोड़ रु. में)	राजपत्र में अधिसूचना की तारीख
1.	अहमदाबाद म्यूनिसिपल कार्पोरेशन	100.00	21.8.01
2.	हैदराबाद म्यूनिसिपल कार्पोरेशन	82.50	4.3.02
3.	नासिक म्यूनिसिपल कार्पोरेशन	50.00	7.3.03
4.	विशाखापट्नम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन	50.00	29.12.03
5.	हैदराबाद मेट्रोपोलिटिन वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड	50.00	29.12.03
6.	अहमदाबाद म्यूनिसिपल कार्पोरेशन	58.00	16.3.04
7.	चेन्नई मेट्रोपोलिटन वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड	42.00	24.3.04
8.	कर्नाटक वॉटर एंड सेनिटेशन पूल्ड फंड ट्रस्ट	*100.00	10.8.04
9.	चेन्नई मेट्रोपोलिटन वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड	50.00	23.3.05
10.	चेन्नई कार्पोरेशन	44.80	24.3.05
11.	अहमदाबाद म्यूनिसिपल कार्पोरेशन	100.00	24.3.05
12.	नागपुर म्यूनिसिपल कार्पोरेशन	128.00	4.1.2007
13.	अहमदाबाद म्यूनिसिपल कार्पोरेशन	150.00	8.3.2007

* वर्ष 2004–05 में अनुमति प्रदान की गयी और बाद में आवेदक के अनुरोध पर वर्ष 2005–06 में पुनः वैधता प्रदान की गयी।

प्रीपेड विद्युत मीटर

5097. श्री अबु अयीश मंडल : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड विद्युत मीटरों को लगाए जाना आरम्भ करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) विद्युत अधिनियम, 2003 में प्रीपेड मीटरों के उपयोग की परिकल्पना की गई है तथा यह भी प्रावधान है कि यदि कोई उपभोक्ता प्री–पेमेंट मीटर के जरिए आपूर्ति प्राप्त करने के लिए तैयार है तो वितरण लाइसेंसी उससे प्रतिभूति (सिक्योरिटी) लेने का हकदार नहीं होगा। दिनांक 12.2.2005 को केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत नीति प्री–पेड मीटरों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को शामिल करती है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मीटरों के संस्थापन एवं प्रचालन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत विनियम बनाए हैं। इन विनियमों में अन्य बातों के साथ–साथ वितरण लाइसेंसी द्वारा नई प्रौद्योगिकियों, जैसे प्री–पेड मीटर आदि को समुचित विद्युत विनियामक आयोगों के अनुमोदन से शुरू करने एवं अपनाने के लिए योजना तैयार करने का भी प्रावधान है।

पालमपुर में सीएसआईआर प्रयोगशाला

5098. प्रो. चन्द्र कुमार : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की प्रयोगशाला कार्य कर रही है;

(ख) इसमें कितने वैज्ञानिक कार्यरत हैं;

(ग) हिमाचल प्रदेश राज्य में हिमालयी जैव विविधता के विकास के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सीएसआईआर की पालमपुर प्रयोगशाला से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की वजह से कितनी औद्योगिक इकाइयां लाभान्वित हुई हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां। इस प्रयोगशाला का नाम हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान, पालमपुर है।

(ख) इस संस्थान में इकतालीस (41) वैज्ञानिक कार्यरत हैं।

(ग) यह संस्थान चाय उद्योग, चम्बा में लैवेण्डर की खेती, बांस और निर्यात योग्य फूल की खेती के विकास और संवर्धन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह संस्थान औषधीय पादपों, परांपरागत खाद्य तथा अन्य लाभकारी पौधों सहित पश्चिमी हिमालय की जैव संपदा विषयक डाटाबेस के विकास में भी लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त इस संस्थान ने गत तीन वर्षों के दौरान किसानों/ग्रामीण उद्यमियों के लिए मुख्यतया जैवविविधता, जैव प्रौद्योगिकी; औषधीय एवं सुगंधीय पादपों तथा पुष्प कृषि के क्षेत्र में 35 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोगशाला द्वारा अंतरित प्रौद्योगिकी से अनुमानतः 20 उद्योगों एवं सरकारी एजेंसियों को लाभ पहुंचा है। इस प्रयोगशाला ने अनेक प्रदर्शन–व–प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

[हिन्दी]

बैंकों द्वारा उपभोक्ताओं से सेवा प्रभार वसूलना

5099. श्री पंकज चौधरी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई बैंक सेवा प्रभार के नाम पर उपभोक्ताओं से भारी धनराशि वसूल रहे हैं जिसकी वजह से उपभोक्ताओं को असुविधा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को सभी मूलभूत सुविधाओं के लिए समुचित प्रभार निर्धारित करने संबंधी निदेश जारी किए हैं और इसके लिए यह अनिवार्य है कि ये मूलभूत सेवाएं किन्हीं अन्य सेवाओं में शामिल न की जाएं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ऐसी कोई घटना उनकी जानकारी में नहीं आई है। सितम्बर, 1999 से बैंकों को अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से उनके द्वारा दी गई विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए सेवाप्रभार निर्धारित करने की अनुमति दी गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। बैंकिंग सेवाओं में उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक प्रभारों का उचित होना सुनिश्चित करने और उचित व्यवहार संहिता में इसे शामिल करने, जिसकी अनुपालना की निगरानी भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड द्वारा की जाएगी, के लिए योजना तैयार करने हेतु एक कार्यकारी समूह का गठन किया था। कार्यकारी समूह की सिफारिशों की जांच की गई है और कतिपय संशोधनों के साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 फरवरी, 2007 के अपने परिपत्र के माध्यम से सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित के लिए निदेश जारी किए हैं:–

(i) कार्यकारी समूह द्वारा बताए गए व्यापक पैरामीटरों के आधार पर बुनियादी बैंकिंग सेवाओं की पहचान करना।

(ii) उचित मूल्य/प्रभारों पर बुनियादी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना और इसके पक्ष में समेकित सेवाओं की संभावना से इतर बुनियादी सेवाएं देना।

(iii) यह सुनिश्चित करना कि वैध सेवा प्रभारों से ग्राहकों को अवगत कराया जाए और ग्राहकों को पूर्व सूचना देकर ही सेवा प्रभारों में परिवर्तन को क्रियान्वित किया जाए।

[अनुवाद]

सीमा शुल्क विभाग द्वारा गोला-बारूद जब्त करना

5100. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2005–06 और 2006–07 के दौरान सीमा शुल्क विभाग द्वारा कितनी मात्रा में कितनी कीमत के अप्रयुक्त एवं प्रयुक्त गोला–बारूद जब्त किया गया;

(ख) इस प्रकार के आयात के लिए जिम्मेदार पाए गए आयातकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार इस प्रकार जब्त किए गए गोला बारुद का निपटान किस प्रकार करती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

राजधानी में बेरोजगार लड़कियों को रोजगार

5101. श्री रघुनाथ झा : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजधानी में शहरी बेरोजगार लड़कियों को लाभकारी रोजगार प्रदान करने में विफल रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बेरोजगार लड़कियों को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) शहरी निर्धनों के जीवन स्तर में सुधार के लिए तथा देश में शहरी गरीबी कम करने के लिए आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित सारे देश में दिनांक 01.12.1997 से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) नामक एक रोजगारोन्मुखी शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। योजना का उद्देश्य शहरी बेरोजगारों तथा अल्परोजगार प्राप्त निर्धनों को, प्रथमतः, नौवीं कक्षा तथा शिक्षित निर्धनों को स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना हेतु बढ़ावा देकर तथा द्वितीय सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु उनके श्रम का उपयोग करके उन्हें मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराकर लाभकारी रोजगार मुहैया कराना है। एसजेएसआरवाई के शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी) के तहत कम से कम 30% लाभार्थी महिलाएं हैं। यूएसईपी के शहरी क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास (डीडब्ल्यूसीयूए) घटक में शहरी निर्धन महिलाओं द्वारा समूह उद्यमों के गठन पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त 31 दिसम्बर, 2006 को समाप्त तिमाही की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में एसजेएसआरवाई के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या और महिला लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार है:-

	कुल	कुल में से महिलाएं
व्यक्तिगत लघु उद्यमों की स्थापना हेतु सहायता प्राप्त लाभार्थी	1124	270
डीडब्ल्यूसीयूए के तहत समूह उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता प्राप्त महिलाएं	58	58
शहरी निर्धन, जिन्हें दक्षता प्रशिक्षण दिया गया	2700	2145

सस्ते मूल्यों पर आवासीय इकाइयां

5102. श्री उदय सिंह :

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :

क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मकानों के अत्यधिक बढ़ते मूल्यों और विशेषकर दिल्ली में आवासीय इकाइयों की कमी को देखते हुए सरकार ने इसके लिए कोई रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के जरूरतमंद लोग अब मकान नहीं खरीद पा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो छोटे मकानों के मानदण्ड को अपनाकर जरूरतमंद लोगों को किफायती मूल्यों पर मकान उपलब्ध कराने के लिए क्या रणनीति अपनाई गई है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (घ) सरकार ने शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) कार्यक्रम के अंतर्गत देश में दिल्ली सहित 63 शहरों में शहरी गरीबों के लिए आवासीय और अवस्थापना सुविधाओं हेतु शहरों और कस्बों की सहायता करने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) आरंभ किया है। गैर-मिशन शहरों के संबंध में एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) आरंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य बुनियादी अवस्थापना सुविधाओं के लिए स्वस्थ और अनुकूल वातावरण के साथ आवास उपलब्ध करना और स्लम सुधार करना है। बीएसयूपी और आईएचएसडीपी, दोनों ही दिसम्बर, 2005 से कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में वर्ष 2021 तक की अनुमानित आबादी के लिए अतिरिक्त 24 लाख रिहायशी यूनिटों की जरूरत का अनुमान लगाया गया है। आवासीय स्टॉक की कुल मांग की पूर्ति के लिए दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के प्रारूप में मौजूदा आवासीय स्टॉक का सुधार करने/बढ़ाने तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अतिरिक्त आवासीय सृजन व साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अतिरिक्त आवासीय स्टॉक निर्माण की परिकल्पना की गई है। निम्न आय समूह तथा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों के लिए कम लागत के रिहायशी मकानों का निर्माण करने के लिए दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में यह उल्लेख किया गया है कि समूह आवास के विकासकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि न्यूनतम 15% एफएआर अथवा 35% रिहायशी यूनिटें, जो भी अधिक हों, समुदाय-सेवा कार्मिकों/ईडब्ल्यूएस और निम्न

आय श्रेणी के लिए बनाए जाएं। इसके अलावा, तेहखंड में डीडीए की प्रायोगिक परियोजना में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित पात्र स्लमवासियों के लिए उचित दर पर फ्लैट आबंटित करने का प्रावधान है।

जैव-प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत परियोजनाएं

5103. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान जैव–प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत कई परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार तत्संबंधी राज्य–वार स्थिति क्या है; और

(घ) लम्बित परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) विभाग के पास "जैव प्रौद्योगिकी मिशन" नाम की कोई योजना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

करेंसी के डिजायन में बदलाव

5104. श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री राकेश सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नोटों और सिक्कों पर से अशोक चक्र/अशोक स्तम्भ जैसे राष्ट्रीय चिह्नों तथा सत्यमेव जयते तैसे राष्ट्रीय नारे वाले पारम्परिक डिजायन बदल दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) चालू प्रक्रिया के अनुसार करेंसी नोटों में नई सुरक्षा विशेषताएं शामिल की जाती हैं, उनमें से कुछ में डिजाइन में परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि जालसाजी को अत्यधिक कठिन बनाया जा सके। परन्तु करेंसी नोटों अथवा सिक्कों से "सत्यमेव जयते" के साथ अशोक स्तम्भ को नहीं हटाया गया है।

वरिष्ठ नागरिकों को ऋण

5105. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरिष्ठ नागरिक नेशनल हाउसिंग बैंक से अपनी सम्पत्ति की अनुमोदित कीमत का 60% तक ऋण प्राप्त कर सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) ने उन वरिष्ठ नागरिकों (62 वर्ष एवं इससे अधिक) के लिए प्रतिलोम बंधक ऋण (आरएमएल) नामक एक योजना तैयार की है जो स्वयं के मकानों में रहते हैं। योजना को प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं (पीएलआई) अर्थात् अनुसूचित बैंकों तथा एनएचबी के पास पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। एनएचबी द्वारा पुनर्वित्त तभी उपलब्ध किया जाएगा जब प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाएं इसकी मांग करेंगी। आरएमएल के अंतर्गत ऋण की राशि, पीएलआई द्वारा यथानिर्धारित, रिहायशी संपत्तियों के वर्तमान बाजार मूल्य, प्रचलित ब्याज दर तथा लागू मूल्यांकन मानदंडों पर निर्भर करेगी। प्रारूप परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार, संपत्ति के अनुमोदित मूल्य का 60% पीएलआई के विवेक पर कुछ परिस्थितियों के अधीन संभव होगा। प्रारूप दिशानिर्देश एनएचबी की वेबसाइट : www.nhg.org.in पर उपलब्ध हैं।

बीपीओ से कर

5106. डा. टोकचोम मैन्या : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) से भारत द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न पक्षों से ये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि फ्रिंज बेनिफिट टैक्स (एफबीटी) और निम्नतम वैकल्पिक कर (एमएटी) से बीपीओ व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार भारत में बीपीओ व्यापार का और अधिक विस्तार करने अथवा इसको प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से अपनी एफबीटी और एमएटी नीति को बदलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं (आईटीईएस)/बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) द्वारा निर्यात की राशि निम्नानुसार है :–

2003–04	–	3,600 मिलियन अमरीकी डॉलर
2004–05	–	4,600 मिलियन अमरीकी डॉलर
2005–06	–	6,300 मिलियन अमरीकी डॉलर

वर्ष 2006–07 के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हुडको द्वारा गुजरात के लिए ऋण मंजूरी

5107. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात से ऋणों की मंजूरी के लिए हुडको को कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष–वार कितने ऋण मंजूर किये गए;

(ग) कितने आवेदन रद्द किए गए और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) हुडको के पास अभी भी कितने ऋण आवेदन लम्बित पड़े हैं और इन आवेदनों पर कब तक कार्यवाही किये जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऋणों की स्वीकृति के लिए गुजरात से प्राप्त आवेदनों की वर्षवार संख्या और हुडको द्वारा स्वीकृत ऋण राशि इस प्रकार है :–

वर्ष	हुडको को प्राप्त ऋण आवेदनों की संख्या	हुडको द्वारा स्वीकृत ऋण की राशि (लाख रु. में)
2004–05	6	123963.06
2005–06	8	110151.44
2006–07	30	162594.00

(ग) 9 आवेदन। ब्यौरे और कारण संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) 7 आवेदन। ऋण सहायता के लिए परियोजनायें/स्कीमें समीक्षा/मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में हैं। जैसा कि सामान्य पद्धति है कि हुडको की टिप्पणियां आवेदकों को संशोधन/पूर्ति के लिए तीन सप्ताह के भीतर भेजी जाएगीं। हुडको दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित शर्तों को पूरा करने की शर्त के अधीन परियोजनाएं अनुमोदित की जाती हैं।

विवरण

विगत तीन वर्षों में अस्वीकृत स्कीमों के ब्यौरे

(लाख रु. में)

क्र. सं.	आबंटन संख्या	प्राप्ति की तारीख	अभिकरण का नाम	स्कीमों का नाम	परियोजना लागत	ऋण राशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	507	30.8.2005	मोदी बिल्टवेल प्रा.	अहमदाबाद में आवासीय फ्लैटों का निर्माण	527.00	145.00	अभिकरण हमारे दिनांक 19.1.2006 और 19.4.2006 के पत्रों के प्रत्युत्तर में मूल्यांकन के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा अतः प्रस्ताव रद्द कर दिया गया।
2.	509	21.11.2005	व्रज कारपोरेशन	चंदाखेड़ा, अहमदाबाद में एसएचजी कालोनी का निर्माण	464.00	250.00	स्कीम रद्द कर दी गई, क्योंकि अभिकरण अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक दस्तावेज और हमारे प्रेक्षणों को शामिल करने और उसे प्रस्तुत करने में असफल रहा।

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	520	8.3.2006	नाजिया डेवेलपरर्स	अहमदाबाद में बहुमंजिली विकास	200.00	150.00	प्रस्ताव विस्तृत मूल्यांकन के बाद हडको के दिशानिर्देशों के अनुपालन में असफल रहा और रद्द कर दिया गया।
4.	525	10.4.2006	हरजीवनदास जी एजुकेशन एंड चेरीटेबल ट्रस्ट	जूनागढ़ में स्वामी नारायण विद्यालय	75.49	50.00	अभिकरण प्रस्ताव हडको के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं था।
5.	527	17.4.2006	मैसर्स ग्रीन बेल्ट रीअल्ट	सन्नाद में फार्म हाऊसों का विकास	1400.00	900.00	प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया, क्योंकि अभिकरण मूल्यांकन के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहा।
6.	534	21.10.2006	मैसर्स ओम मैटल कॉन्सोर्टियम	बान्द्रा, मुम्बई में आवासीय परियोजना	30200.00	3500.00	प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया, क्योंकि अभिकरण मूल्यांकन के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहा।
				कुल	32866.49	4995.00	
1.	यूआई–ए–084	8.3.2006	नाजिया	अहमदाबाद में टावर का विकास	349.00	150.00	एजेंसी का प्रस्ताव हडको के दिशानिर्देशों के अनुकूल नहीं था।
2.	यूआई–ए–086	17.4.2006	मैसर्स ग्री	सानन्द में फार्म हाऊसों का विकास	1400.00	900.00	प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया, क्योंकि अभिकरण मूल्यांकन के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहा।
3.	यूआई–ए–093	7.12.2006	अभिसार	दरियापुर, अहमदाबाद में व्यवसायिक काम्प्लेक्स का निर्माण	3216.00	1200.00	प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया, क्योंकि अभिकरण मूल्यांकन के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहा।
				कुल	4965.00	2250.00	

ऋणों को बढ़ाना

5108. श्री राम कृपाल यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों ने वर्ष 2006–07 में किसानों के लिए ऋण स्तर को 1,75,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के दायरे में राज्यवार कितने किसान शामिल किए गए हैं;

(ग) क्या वर्ष 2006–07 में बैंक के पोर्टफोलियों में 50 लाख नए किसान शामिल हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और

(ख) जी, हां। सरकारी और गैर–सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण की कल उपलब्धता 1,78,447.24 करोड़ रुपए (फरवरी 2007 तक) है, जो वार्षिक लक्ष्य का 101.97 प्रतिशत है। इस योजना में कुल 3,67,86,563 किसान शामिल किए गए हैं। दिनांक 28.2.2007 की स्थिति के अनुसार, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबध में खातों की राज्य–वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास वाणिज्यिक बैंकों के आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकारी और गैर–सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वित्तपोषित, नए किसानों की कुल संख्या लगभग 64.78 लाख (फरवरी 2007 तक) है। राज्य–वार ब्यौरा अभी समेकित नहीं किया गया है।

विवरण

28.2.07 की स्थिति के अनुसार सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों के अल्पावधि एवं दीर्घावधि ऋणों के संबंध में खातों की संख्या की राज्यवर सूची

क्र. सं.	राज्य	खातों की संख्या			
		राज्य सहकारी बैंक*	भूमि विकास बैंक+	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक
1	2	3	4	5	6
	उत्तर				
1.	दिल्ली	249	0	0	249
2.	चंडीगढ़	0	0	0	0
3.	हरियाणा	1061651	13481	102502	1177634
4.	पंजाब	921049	16502	71863	1009414
5.	हिमाचल प्रदेश	23824	2158	14078	40060
6.	जम्मू कश्मीर	11652	0	3707	15359
7.	उत्तर प्रदेश	2888839	72022	1131958	4092819
8.	उत्तरांचल	182217	0	7064	189281
	कुल योग	5089481	104163	1331172	6524816
	कुल की तुलना में %	0	0	0	0
	पूर्व	0	0	0	0
9.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	199	0	0	199
10.	बिहार	195939	0	186864	382803
11.	छत्तीसगढ़	523462	869	139688	664019
12.	झारखंड	0	0	46486	46486
13.	उड़ीसा	1114160	0	207296	1321456
14.	पश्चिम बंगाल	0	0	127297	127297
	कुल योग	1833760	869	707631	2542260
	कुल की तुलना में %	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
	उत्तर पश्चिम	0	0	0	0
15.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	445	445
16.	असम	1456	8	18611	20075
17.	मणिपुर	0	0	0	0
18.	मेघालय	1397	0	2604	4001
19.	मिजोरम	265	0	2078	2343
20.	नागालैण्ड	141	0	113	254
21.	सिक्किम	525	0	0	525
22.	त्रिपुरा	349	116	6865	7330
	कुल योग	4133	124	30716	34973
	कुल की तुलना में %	0	0	0	0
	पश्चिम	0	0	0	0
23.	गोआ	130	0	0	130
24.	गुजरात	736637	0	162805	899442
25.	मध्य प्रदेश	3309732	7822	200593	3518147
26.	महाराष्ट्र	2997305	0	158589	3155894
27.	राजस्थान	1171174	12267	188331	1371772
	कुल योग	8214978	20089	710318	8945385
	कुल की तुलना में %	0	0	0	0
	दक्षिण	0	0	0	0
28.	आंध्र प्रदेश	5983	0	1010804	1016787
29.	कर्नाटक	839129	37321	408506	1284956
30.	केरल	845115	23655	889899	1758669
31.	तमिलनाडु	567230	0	424249	991479
32.	पांडिचेरी	3714	10	0	3184
33.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
	कुल	2260631	60986	2733458	5055075
	कुल की तुलना में %	0	0	0	0
	योग	17402983	186231	5513295	23102509

*राज्य सहकारी बैंक

+भूमि विकास बैंक

वाणिज्यिक बैंक द्वारा असहयोग

5109. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय राष्ट्रीयकृत बैंक "किसानों के पुनर्वास" के लिए घोषित "पैकेज" के क्रियान्वयन में सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण संबंधी धनराशि का उपयोग

5110. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भू–अभिलेखों कम्प्यूटरीकरण के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशियों का संबंधित राज्यों ने पूर्ण उपयोग कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान राज्य–वार प्रदान की गई और उपयोग की गई धनराशियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) धनराशियों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्र शेखर साहू) : (क) और (ख) भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण (सी.एल.आर.) की योजना एक मांग आधारित योजना है। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच की जाती है तथा संबंधित राज्यों को डाटा एंट्री का कार्य शुरू करने, जिला/तहसीलों/तालुकों/उप–मंडल स्तरों पर कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित करने, भूकर मानचित्रों का अंकीकरण करने तथा राजस्व अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु निधियां जारी की जाती हैं। इस योजना को प्रारंभ किए जाने (1988–89) से लेकर अब तक, भारत सरकार ने 545.36 करोड़ रुपये की राशि जारी की है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 245.00 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किए जाने की सूचना दी गई है। विगत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों, योजना को शुरू किए जाने से लेकर जारी की गई कुल राशियों तथा राज्य सरकारों द्वारा उपयोग में लाई गई कुल राशियों को दिखाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण (सी.एल.आर.) की योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यकलाप अर्थात् राज्यों की अपेक्षाओं के अनुसार उपयुक्त सॉफ्टवेयर का विकास करना, डॉटा–एंट्री का कार्य शुरू करना, डॉटा–एंट्री के कार्य का सत्यापन और विधिमान्यकरण करना, आंकड़ों को फॉक्सबेस से विंडोज प्लेटफार्म पर ले जाना और तहसील/तालुक/उप–मण्डल स्तरों पर कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित करने जैसे कार्य समय लगने वाली प्रक्रियाएं हैं। अतः राज्य भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण (सी.एल.आर.) की योजना के कार्यान्वयन हेतु जारी की गई निधियों को उपयोग में लाने में अकसर समय लेते हैं।

योजना की प्रगति की राज्यों के राजस्व मंत्रियों/राजस्व सचिवों के सम्मेलनों सहित विभिन्न मंचों पर समय–समय पर समीक्षा की जाती है। इन सम्मेलनों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी की गई निधियों का उपयोग करने के लिए शीघ्रता से कदम उठाए जाने हेतु अनुरोध किया जाता है। इसके अलावा, आगे और निधियां जारी करने को पहले जारी की गई निधियों के संबंध में उपयोग प्रमाण–पत्रों की प्राप्ति से जोड़ा गया है। हाल ही में, 12 अप्रैल, 2007 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राजस्व सचिवों के साथ योजना की प्रगति की समीक्षा की गई थी तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से योजना के अंतर्गत उन्हें जारी की गई निधियों के पूर्ण रूप से उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु पुनः अनुरोध किया गया है।

विवरण

भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (सी.एल.आर.)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2004–05	2005–06	2006–07	योजना को शुरू किए जाने से लेकर जारी की गई कुल निधियां	उपयोग में लाई गई निधियां	खर्च न की गई शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	531.50	506.45	844.00	3708.31	1652.18	2056.13
2.	अरूणाचल प्रदेश				75.30	73.04	2.26

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम		542.50	881.30	1759.30	349.87	1409.43
4.	बिहार	100.00	264.46	2044.76	2957.22	253.98	2703.24
5.	गुजरात	495.00		556.00	3124.56	1848.20	1276.36
6.	गोवा				153.30	118.14	35.16
7.	हरियाणा		843.76		1411.16	820.50	590.66
8.	हिमाचल प्रदेश	438.00	326.00		1227.30	824.00	403.30
9.	जम्मू और कश्मीर			1542.00	1828.00	265.27	1562.73
10.	कर्नाटक	497.40		920.10	3681.43	1937.56	1743.87
11.	केरल		305.90		1261.04	953.71	307.33
12.	मध्य प्रदेश	286.30	388.00		4180.71	3219.88	960.83
13.	महाराष्ट्र	296.00	787.60		4078.40	3957.31	121.09
14.	मणिपुर		88.35		276.58	149.00	127.58
15.	मेघालय				28.00	28.00	0.00
16.	मिजोरम		127.00		569.96	442.96	127.00
17.	नागालैंड	15.00	20.00		213.55	127.15	86.40
18.	उड़ीसा	230.00	599.40	93.22	3617.02	2668.70	948.32
19.	पंजाब				282.62	76.39	206.23
20.	राजस्थान		1332.20	414.00	3494.81	1718.50	1776.31
21.	सिक्किम		10.00		210.73	183.77	26.96
22.	तमिलनाडु	605.20	200.21	666.65	3686.84	1789.21	1897.63
23.	त्रिपुरा	148.00		118.70	610.50	429.77	180.73
24.	उत्तर प्रदेश		1561.99		3517.59	2126.40	1391.19
25.	पश्चिम बंगाल	355.00	870.20	390.76	3827.31	2142.20	1685.11
26.	छत्तीसगढ़	164.00	459.60		1061.50	737.69	323.81
27.	झारखंड			656.00	1484.00	725.76	758.24
28.	उत्तरांचल	400.60	653.44	820.51	1874.55	334.82	1539.73
29.	दादरा एवं नगर हवेली				12.38	0.22	12.16
30.	दिल्ली				101.13	4.31	96.82
31.	पांडिचेरी		37.00		130.45	77.15	53.30
32.	चण्डीगढ़				15.00	0.00	15.00
33.	दमन व दीव			25.00	50.00	0.00	50.00
34.	लक्षद्वीप			25.00	25.00	0.00	25.00
	योग	4562.00	9924.06	9998.00	54535.55	30035.64	24499.91

स्व-सहायता समूह को ऋण

5111. श्री एल. राजगोपाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में वर्षवार कितने स्व–सहायता समूह रहे;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान स्व–सहायता समूहों को वर्षवार कुल कितनी धनराशि का वैध ऋण दिया गया है;

(ग) उन बैंकों का ब्यौरा क्या है जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्व–सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहे हैं;

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान स्व–सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत वर्षवार लगभग कितने स्व–सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ा गया है; और

(ङ) आंध्र प्रदेश में उपर्युक्त कार्यक्रम स्व–सहायता समूहों के प्रति किस प्रकार फायदेमंद होंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) आंध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंक, गैर–सरकारी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक स्व–सहायता समूह (एसएचजी) बैंक सहलग्नता कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहे हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में उन्नयित स्व–सहायता समूहों की संख्या, संचयी बैंक ऋण और संचयी रूप से सहलग्न स्व–सहायता समूह का वर्ष–वार ब्यौरा निम्नानुसार है :–

विवरण	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06
उन्नियत स्व–सहायता समूहों की संचयी संख्या लाख में	2.40	4.69	5.16	5.49	5.92
संचयी बैंक ऋण करोड़ में	521.26	975.39	1728.38	2746.09	4345.52
संचयी सहलग्न एसएचजी लाख में	2.02	2.81	3.85	4.92	5.87

(ङ) नाबार्ड द्वारा आयोजित प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन जिसमें आंध्र प्रदेश सहित 11 राज्यों में फैले 223 स्व–सहायता समूहों से 560 एसएचजी सदस्य परिवार शामिल थे, से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए। आस्ति के स्वामित्व, बचत और उधार क्षमता, आय सृजन क्रियाकलापों और आय के स्तर में वृद्धि के क्रम में एचएचजी सदस्यों के रहन सहन के स्तर में प्रत्यक्ष और पूर्ण परिवर्तन आए हैं। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नानुसार हैं :–

– पूर्व के सिर्फ 23% परिवारों की तुलना में एसएचजी के गठन के बाद की स्थिति में लगभग सभी सदस्यों में बचत की आदत का विकास हुआ। प्रति परिवर औसत वार्षिक बचत में तीन गुना वृद्धि दर्ज की गई जो 460 रुपये से बढ़कर 1,444 रुपये हो गई।

– प्रति परिवार प्रति वर्ष औसत उधार 4,282 रुपये से बढ़कर 8,341 रुपये हो गया।

– प्रति परिवार आस्तियों (भूमि, आवास, पशु धन और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं) के औसत मूल्य में 13% की वृद्धि हुई, अर्थात एसएचजी के गठन के पूर्व के 63,000 रुपये से बढ़कर यह एसएचजी के गठन के बाद 71,000 रुपये हो गया। आस्ति मूल्य के 44% हिस्से के साथ भूमि मुख्य आस्ति थी।

ग्रामीण अवसंरचना

5112. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2006–07 के दौरान भारत निर्माण के अंतर्गत ग्रामीण अवसंरचना के विकास में हासिल की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसी कोई बड़ी अड़चन है जिसने विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उक्त समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) वर्ष 2006–07 के दौरान भारत निर्माण के छः घटकों के अंतर्गत ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के विकास में हुई प्रगति का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

1. सिंचाईः सितम्बर, 2006 तक लगभग 550.20 हजार हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई क्षमता सृजित किए जाने की जानकारी मिली है जिसके लिए 2301.97 करोड़ रु. रिलीज किए गए थे।

2. ग्रामीण विद्युतीकरणः 28706 गांवों का विद्युतीकरण किया गया जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे के 655773 परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिए गए। 3342.90 करोड़ रु. की राशि रिलीज की गई।

3. टेलीफोन संपर्कता : फरवरी, 2007 तक 17019 गांवों को

टेलीफोन संपर्कता मुहैया कराई गई जिसके लिए 35.66 करोड़ रुपये रिलीज किए जाने की जानकारी मिली है।

4. ग्रामीण सड़क : वर्ष 2006–07 के दौरान 21422.85 कि.मी. लंबाई की नई सड़कों के निर्माण तथा 46129.9 कि.मी. लंबाई की सड़कों के उन्नयन के जरिए 6775 बसावटों को सड़क संपर्क मुहैया कराया गया है। इस प्रयोजनार्थ राज्यों को 6273.61 करोड़ रु. रिलीज किए गए।

5. ग्रामीण आवास : वर्ष के दौरान 14.75 लाख आवासों का निर्माण किए जाने की जानकारी मिली है जिसके लिए आबंटन में से 2907.53 करोड़ रु. केंद्रीय अंशदान के रूप में रिलीज किए गए।

6. पेयजल आपूर्ति : स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के अंतर्गत वर्ष 2006–07 के दौरान 81945 बसावटें कवर की गई हैं, जिनमें कवर न की गई, आंशिक रूप से कवर की गई, निचली श्रेणी में लौट आई और गुणवत्ता प्रभावित बसावटें शामिल हैं। इस प्रयोजन के लिए 4543.65 करोड़ रु. रिलीज किए गए।

(ख) और (ग) ग्रामीण सड़कों जैसे भारत निर्माण के घटकों के कार्यान्वयन में अपर्याप्त सांस्थानिक क्षमता, अपर्याप्त संविदात्मक क्षमता तथा भूमि का कब्जा एवं वन संबंधी स्वीकृति आदि प्राप्त करने में विलम्ब जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति तेज करने के उद्देश्य से राज्यों को अपनी सांस्थानिक एवं संविदात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए मामले को उनके साथ उठाया गया है।

[हिन्दी]

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन

5113. श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख : क्या **कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीतल पेय (साफ्ट ड्रिंक) विनिर्माताओं द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबंधों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी वर्षवार/राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन शीतल पेय विनिर्माताओं के क्या नाम हैं जिनके विरुद्ध एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शिकायतें दर्ज कराई गई हैं; और

(घ) ऐसे विनिर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) से (घ) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एमआरटीपी) अधिनियम, 1969 के उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामले में एमआरटीपी आयोग के समक्ष सुनवाई के माध्यम से उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। पिछले तीन वर्षों (2004–2006) के दौरान एमआरटीपी अधिनियम के कथित उल्लंघन के लिए शीतल पेय (साफ्ट ड्रिंक) विनिर्माताओं के विरुद्ध एमआरटीपी आयोग ने एक जांच प्रारंभ की। इस जांच का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

प्रारंभ करने का वर्ष	जांच संख्या	राज्य	प्रतिवादी सहित जांच का शीर्षक	अभ्युक्तियां
2005	सीए 01/ 2005	उत्तर प्रदेश	विकास पेप्सी एजेंसी, गोरखपुर बनाम क्षेत्र विकास प्रबंधक, पेप्सी कोला इंडिया मार्केटिंग कंपनी, गोरखपुर एवं अन्य	जांच चल रही है।

ऐसे मामलों में विधि के उपबंधों के उल्लंघन, यदि कोई हो, तो इसके लिए एमआरटीपी अधिनियम, 1969 के अंतर्गत यथा निर्धारित कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

न्यायिक अधिकारियों के लिए एक समान पेंशन

5114. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :
श्री मंजुनाथ कुन्नुर :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में न्यायिक अधिकारियों के लिए एक समान पेंशन योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में न्यायिक अधिकारियों के कल्याणार्थ अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 233, 234 और 235 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, जहां तक विभिन्न राज्यों की न्यायिक सेवाओं के न्यायिक अधिकारियों का संबंध है, पेंशन सहित सेवा की शर्तों के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना और उनके संबंध में विनिश्चय करना राज्य सरकारों का कार्य है। केंद्रीय सरकार

देश भर में सभी राज्यों की न्यायिक सेवाओं के न्यायिक अधिकारियों के लिए समान पेंशन स्कीम आरंभ करने या ऐसे न्यायिक अधिकारियों के कल्याण हेतु अन्य उपाय करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। केन्द्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्रों के न्यायिक अधिकारियों की सेवा शर्तों को, जिनके अंतर्गत पेंशन और कल्याण उपााय भी हैं, विरचित करने के लिए प्रशासनिक रूप से उत्तरदायी हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल रिट यायिका सं. 1022/1989—आल इंडिया जज़ेज एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में अपने तारीख 21 मार्च, 2002 के निर्णय में यह निदेश दिया था कि न्यायिक अधिकारियों के संबंध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाए। प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों पर, जिनके अंतर्गत पेंशन और अन्य संबद्ध फायदे भी हैं, जहां तक वे संघ राज्यक्षेत्रों के न्यायिक अधिकारियों से संबंधित हैं, जिनके लिए केंद्रीय सरकार प्रशासनिक रूप से उत्तरदायी है, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया था। न्याय विभाग ने पूर्वोक्त सिविल रिट याचिका में, प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की कतिपय सिफारिशों पर, जिनके अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्रों के न्यायिक अधिकारियें के लिए पेंशन का सारांशीकरण, कल्याण उपाय भी हैं, न्यायालय से उपांतरण/स्पष्टीकरण मांगते हुए, आईए संख्या 103 फाइल की है जिससे कि सरकार उनके कार्यान्वयन में समर्थ हो सके। यह मामला अभी भी उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी

5115. श्री एन.एस.वी. चित्तन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस समस्या को समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए क्या उपाय किए जाने पर विचार किया जा रहा है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के हालिया पंचवर्षीय दौर (61वां राउंड) के आधार पर शिक्षित तथा कुल व्यक्तियों के बेरोजगारी के स्तर का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना पर दृष्टिकोण पत्र में काम के 70 मिलियन अवसरों की परिकल्पना की गई है। भविष्य में मुख्यतः सेवा तथा विनिर्माण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे।

विवरण

सामान्य प्रमुख स्थिति बेरोजगारी दरों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण (प्रति हजार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	15 वर्ष तथा अधिक आयु के शिक्षित व्यक्तियों के लिए सामान्य प्रमुख स्थिति बेरोजगारी दर		बेरोजगारी दर		बेरोजगारी दर	
				सामान्य स्थिति (पी.एस.)	सामान्य स्थिति (समायोजित)	सामान्य स्थिति (पी.एस.)	सामान्य स्थिति (समायोजित)
		व्यक्ति (ग्रामीण)	व्यक्ति (शहरी)	व्यक्ति (शहरी)	व्यक्ति (शहरी)	व्यक्ति (ग्रामीण)	व्यक्ति (ग्रामीण)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	70	78	40	36	13	7
2.	अरूणाचल प्रदेश	32	27	12	12	9	9
3.	असम	164	154	82	72	36	26
4.	बिहार	45	61	69	64	16	15
5.	छत्तीसगढ़	54	66	43	35	8	6
6.	दिल्ली	25	61	54	48	20	19
7.	गोवा	163	159	97	87	119	111

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	गुजरात	32	36	31	24	8	5
9.	हरियाणा	86	79	48	40	33	22
10.	हिमाचल प्रदेश	124	116	40	38	47	18
11.	जम्मू व कश्मीर	83	90	53	49	26	15
12.	झारखंड	42	63	73	65	18	14
13.	कर्नाटक	66	60	31	28	11	7
14.	केरल	296	296	199	156	158	107
15.	मध्य प्रदेश	22	38	31	28	7	5
16.	महाराष्ट्र	47	55	49	36	15	10
17.	मणिपुर	69	82	61	55	18	11
18.	मेघालय	34	41	39	35	3	3
19.	मिजोरम	21	28	20	19	5	3
20.	नागालैंड	161	144	75	55	48	18
21.	उड़ीसा	194	188	142	134	64	50
22.	पंजाब	131	108	56	50	58	38
23.	राजस्थान	52	49	34	29	15	7
24.	सिक्किम	77	73	37	37	26	24
25.	तमिलनाडु	86	77	38	35	21	12
26.	त्रिपुरा	466	436	285	280	136	133
27.	उत्तरांचल	59	67	57	54	20	13
28.	उत्तर प्रदेश	21	34	39	33	11	6
29.	प. बंगाल	125	116	75	62	38	25
संघ राज्य क्षेत्र							
30.	अंडमान निकोबार द्वीपसूह	207	146	110	88	103	62
31.	चण्डीगढ़	80	53	40	40	26	26
32.	दादरा व नगर हवेली	127	109	35	30	41	33
33.	दमन व दीव	0	17	30	30	15	3
34.	लक्षद्वीप	298	253	340	250	108	75
35.	पांडिचेरी	186	172	85	81	94	70
	अखिल भारत	85	82	53	45	25	17

विश्व बैंक द्वारा राज्यों को संरचनात्मक समायोजन ऋण

5116. श्री अनन्त नायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने राज्य सरकारों को संरचनात्मक समायोजन ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यों को राज्य-वार ऐसा कितना ऋण दिया गया है;

(घ) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने ऐसे ऋण हेतु अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विश्व बैंक द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को अब तक उपलब्ध कराए गए संरचनात्मक समायोजन ऋणों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र.सं.	राज्य	कार्यक्रम का नाम	राशि मिलियन अमरीकी डालर में	वित्तीय वर्ष
1.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश वित्तीय सुधार और सरकारी क्षेत्र पुनर्संरचना	251.3	2000-01
2.	कर्नाटक	कर्नाटक आर्थिक पुनर्संरचना ऋण-I	150	2001-02
3.	कर्नाटक	कर्नाटक आर्थिक पुनर्संरचना ऋण-II	100	2001-02
4.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश आर्थिक सुधार ऋण-I	250	2001-02
5.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश आर्थिक सुधार ऋण-II	220	2003-04
6.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश आर्थिक सुधार ऋण-III	225	2006-07
7.	उड़ीसा	उड़ीसा सामाजिक आर्थिक विकास ऋण-I	125	2004-05
8.	उड़ीसा	उड़ीसा सामाजिक आर्थिक विकास ऋण-II	225	2006-07

(घ) और (ङ) जी, हां। उड़ीसा सरकार के अनुरोध पर विश्व बैंक ने दो संरचना समायोजन ऋण, नामतः वर्ष 2004-05 में 125 मिलियन अमरीकी डालर राशि का उड़ीसा सामाजिक आर्थिक विकास ऋण-I और वर्ष 2006-07 में राज्य सरकार को 225 मिलियन अमरीकी डालर का उड़ीसा सामाजिक आर्थिक विकास ऋण-II उपलब्ध कराएं हैं।

तटीय विद्युत परियोजनाएं

5117. श्री बसुदेव आचार्य : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) दक्षिण में तटीय विद्युत परियोजना की स्थापना करने की संभावनाओं का पता लगा रहा है जैसाकि दिनांक 14 अप्रैल, 2007 के "दि बिजनेस लाइन" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) बिजनिस लाइन में दिनांक 14 अप्रैल, 2007 का समाचार विषय एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा न्यूक्लियर विद्युत परियोजना की स्थापना के प्रस्ताव से संबंधित है। 2002-17 की अवधि के लिए एनटीपीसी लिमिटेड की कारपोरेट योजना में 12वीं योजना अवधि के दौरान संयुक्त उद्यम में 2000 मे.वा. की न्यूक्लियर क्षमता शुरू करने की परिकल्पना की गई है। अतः एनटीपीसी लिमिटेड वर्तमान में प्रथम न्यूक्लियर परियोजना की स्थापना हेतु इष्टतम प्रौद्योगिकी के चयन तथा संभाव्य स्थलों के चिह्नीकरण की प्रक्रिया में है।

किन्तु एनटीपीसी लिमिटेड 11वीं/12वीं योजना के दौरान लाभ हेतु दक्षिण भारत में निम्नलिखित तटीय विद्युत परियोजनाओं की परिकल्पना करती है :-

परियोजना	स्थिति
1	2
सिम्हाद्री थर्मल विद्युत परियोजना, स्टेज-II (2x500 मे.वा.) आंध्र प्रदेश	कार्यान्वयनाधीन

1	2
एन्नौर थर्मल विद्युत परियोजना (2x500 मे.वा.) तमिलनाडु विद्युत बोर्ड, तमिलनाडु के साथ संयुक्त उद्यम	व्यवहार्यता रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है। स्वीकृतियां/अनुमोदन प्रक्रिया में है।
राजीव गांधी संयुक्त साइकल विद्युत परियोजना, स्टेज-II (1950 मे.वा.) केरल	व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई है। ईंधन के लिए बातचीत की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, कोयला आधारित थर्मल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए तमिलनाडु में दो संभाव्य स्थलों, एक गांव चेयूर जिला कांचीपुरम के समीप तथा दूसरा गांव मराकनम, जिला विलुपुरम के समीप को चिह्नित किया गया है। इन परियोजनाओं के लिए स्थल विशेष अध्ययन जांच प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं के लिए आधारभूत निवेश (भूमि उपलब्धता) हेतु बातचीत के पश्चात् शुरू किए जाएंगे।

[हिन्दी]

मलिन बस्तियों में रहने वाले निर्धनों को मकान देना

5118. प्रो. महादेवराव शिवनकर : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1985 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास पंजीकृत मलिन बस्तियों में रहने वाले निर्धनों को मकान आबंटित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे पंजीकृत निर्धनों को फ्लैट/मकान कब तक मिलने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) दिल्ली नगर निगम के स्लम और झुग्गी झोंपड़ी विभाग ने यह बताया है कि इसने स्लम निवासियों तथा अन्य के लिए आवासीय फ्लैट पंजीकरण स्कीम 1985 के अधीन पंजीकृत व्यक्तियों को उन्हें पहले से दी गई प्राथमिकता संख्या के अनुसार मकानों/फ्लैटों का आबंटन किया है।

(ख) इस स्कीम के अंतर्गत आबंटित फ्लैटों की कॉलोनीवार सूची नीचे दी गई है :-

कॉलोनी का नाम	फ्लैटों की सं.
1	2
मादीपुर-डीएसआईसी शेड के पास	552
मादीपुर-ई ब्लॉक के पास	320
जहांगीर पुरी	136
सराय रोहिल्ला	112
रघुबीर नगर (होली चाइल्ड के पास)	114
इंद्रलोक	105
रघुबीर नगर (केन्द्रीय विद्यालय के पास)	608
रघुबीर नगर (ओएचटी)	144
तिलक नगर	288
सराय काले खां, पार्ट-II	168
मंगोलपुरी	384
संगम पार्क (पार्ट-II)	160
बुलवर्ड रोड	150
संगम पार्क (फेस-I)	01
सराय बस्ती	05
रघुबीर नगर (1040)	13
सीएस आजाद कॉलोनी	02
तिलक विहार	848
सराय काले खां (फेस-I)	118

इसके अतिरिक्त को-आपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में पंजीकृत विधवा महिलाओं को झिलमिल कॉलोनी, शाहदरा और मादीपुर, नई दिल्ली में 603 फ्लैट आबंटित किए गए हैं।

(ग) स्लम और झुग्गी-झोंपड़ी विभाग (दिल्ली नगर निगम) ने यह बताया है कि भूमि तथा धन की अनुपलब्धता के कारण लगभग 20,000 पंजीकृत व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में है और इन्हें मकान आबंटित करने की इस समय कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

बेबाकी प्रमाणपत्र के बिना छोटे ऋण

5119. श्री देविदास पिंगले :

प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों को छोटे ऋण देने के लिए बेबाकी प्रमाणपत्र की आवश्यकता को समाप्त करने का निर्णय लिया है, जैसाकि दिनांक 25 अप्रैल, 2007 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंक देश में किसानों को बेबाकी प्रमाणपत्र जमा किए बिना ऋण प्रदान करेंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 अप्रैल, 2007 के परिपत्र के जरिए सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि बैंक छोटे और सीमांत किसानों, बंटाईदारों और इसी तरह के अन्य व्यक्तियों से 50,000 रुपए तक की कम राशि के ऋण देते समय अदेयता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की मांग न करें और उसके बजाए, ऋणकर्ता से एक स्व-घोषणा प्राप्त कर लें।

[अनुवाद]

शहरी अवसंरचना पर जनसंख्या का प्रभाव

5120. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी अवसंरचना और सेवाओं पर बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रभाव का आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शहरी अवसंरचना के संबंध में निवेश के संसाधनों की क्षमता का दोहन नहीं हो पाया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा शहरी अवसंरचना और सेवाओं में उच्च वृद्धि के लिए क्या नीति/मार्ग-दर्शी सिद्धांत तैयार किए गए हैं; और

(च) इस संबंध में क्या परिणाम हासिल हुए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्वच्छता सुविधा संबंधी सर्वेक्षण

5121. श्री रेवती रमन सिंह : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ऐसे हिस्से का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या शौचालयों के बिना रहती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त ने भारत की जनगणना-2001, सिरीज-I मकानों, पारिवारिक सुविधाओं और परिसंपत्तियों की सारणी प्रकाशित की है जिसमें गर्त वाले शौचालय कुंड अन्य शौचालय और बिना शौचालय वाले परिवारों का उल्लेख है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) भारत सरकार ने सभी शहरों कस्बों/शहरों में मानदण्डों के अनुसार पर्याप्त सफाई सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से दो कार्यक्रम यथा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) एवं छोटे और मझोले कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) शुरू किए हैं जिसके चार घटक हैं :-

1. 63 शहरों के लिए शहरी अवसंरचना एवं शासन (यूआईजी)।
2. 63 शहरों के लिए शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाएं (बीएसयूपी)।
3. अन्य सभी शहरों के लिए - छोटे एवं मझोले कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम।
4. अन्य सभी शहरों के लिए - एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)।

बीएसयूपी एवं आईएचएसडीपी स्कीमें आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।

विवरण

शौचालय के प्रकार तथा पारिवारिक इकाइयां

श्रेणी	परिवारों की संख्या	पिट शौचालय	जलीय शौचगृह	अन्य शौचालय	बिना शौचालय वाले
शहरी	53,692,376	7,840,189	24,761,392	6,979,859	14,110,936
ग्रामीण	138,271,559	14,236,297	9,837,054	6,231,008	107,967,200
कुल	191,963,935	22,076,486	34,598,446	13,210,867	122,078,136

स्व-सहायता समूह

5122. श्री एस.के. खारवेन्थन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों द्वारा स्व–सहायता समूहों और काश्तगार किसानों के संयुक्त देनदारी समूहों के लिए भी पृथक खिड़की की व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) बैंक सामान्यतयः स्व–सहायता समूहों के ऋण संयोजन के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों के दौरान स्व–सहायता समूह – बैंक संयोजन कार्यक्रम का व्यापक विस्तार हुआ है। वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक स्व–सहायता समूह–बैंक संयोजन कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार, कुल 27,11016 स्व–सहायता समूहों ने बैंकिंग प्रणाली से 15,843.40 करोड़ रुपये (आंकड़े अनंतिम) के बैंक ऋण प्राप्त किए हैं और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा स्व–सहायता समूहों के लिए कोई अलग खिड़की नहीं खोली गई है।

(ग) भारतीय बैंक संघ और नाबार्ड ने संयुक्त देनदारी समूहों के वित्त पोषण के लिए क्रमशः सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों, सहाकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मार्ग–निर्देश जारी किए हैं। इन मार्ग–निर्देशों के अनुसार, बैंकों को काश्तकार किसानों के संयुक्त देनदारी समूहों के लिए अलग खिड़की खोलने और यह सुनिश्चित करने का परामर्श दिया गया है कि कुल ऋणों का कुछ भाग उन्हें प्रदान किया जाए।

दिनांक 18 जून, 2004 को सरकार ने तीन वर्षों के अंदर कृषि ऋण के प्रवाह को दुगुना करने के लिए एक पैकेज की घोषणा की थी, जिसे दो वर्षों में ही प्राप्त कर लिया गया है। वर्ष 2005–06 के दौरान कृषि के लिए ऋण का प्रवाह वर्ष 2003–04 के दौरान 86931 करोड़ रुपये के मुकाबले 1,80,486 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, किसानों द्वारा खरीफ एवं रबी 2005–06 हेतु लिए गए फसल ऋणों पर ब्याज का बोझ कम करने के लिए 1,00,000 रुपये तक की मूल राशि पर ऋणकर्ता को देयता के 2% अंक के बराबर राशि इनके खाते में जमा कर दी गई है। इसके बाद खरीफ 2006 से यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को मूल राशि पर 3 लाख रुपये की उच्चतर सीमा सहित 7% पर अल्पावधि उत्पादन ऋण प्राप्त हो, सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को उनके स्वयं के संसाधनों से दिए गए ऋण पर 2% वार्षिक की ब्याज सहायता तथा सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड से उनके ऋणों पर रियायती दरों पर पुनर्वित्त दे रही है।

[हिन्दी]

पंजाब में शहरों के विकास हेतु वित्तीय सहायता

5123. श्री अविनाश राय खन्ना : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पंजाब सरकार से राज्य के कुछ शहरों के विकास हेतु वित्तीय सहायता मांगने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है और इस संबंध में पंजाब सरकार को जारी की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) जी, हां। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत अमृतसर के विकास के लिए पंजाब सरकार से दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जल आपूर्ति के लिए एक प्रस्ताव अनुमोदित हो गया है तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के रूप में 2241.75 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। केन्द्रीय संस्वीकृति और निगरानी समिति द्वारा दूसरा प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया है।

निगरानी और सतर्कता समितियों की सुविधा

5124. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए जिला स्तरीय निगरानी और सतर्कता समितियों के साथ संसद सदस्यों को सम्बद्ध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समितियों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए वाहन, कार्यालय जैसे संसाधन और अन्य सुविधाएं/शक्तियां प्रदान की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। लोकसभा सांसदों को जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों

का अध्यक्ष अथवा सह–अध्यक्ष नामित किया गया है। राज्य सभा सांसदों को भी जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों के सह–अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों तथा जिला प्रशासनों को यह अनुदेश दिए गए हैं कि जिला प्रशासन जिला मुख्यालयों के पास पहले से उपलब्ध सुविधाओं में से जिला सतर्कता एवं निगरानी समितियों के कार्य के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक एवं अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं।

[अनुवाद]

मानव संसाधन कोष

5125. श्री रमेन बर्मन :
श्री नरहरि महतो :
क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पृथ्वी विज्ञान हेतु मानव संसाधन कोष की स्थापना पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस कोष की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा पृथ्वी और महासागर के बारे में गहन जानकारी हेतु समन्वित अनुसंधान और विकास कार्य को चलाने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ग) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थाओं से परस्पर सम्पर्क स्थापित कर पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में मानव संसाधन आधार का विस्तार करने के लिए कदम उठाए हैं। मंत्रालय अपने उपलब्ध कुल बजट से इन संस्थाओं को सहायता दे रहा है। इस कारण से इसके लिए अलग कोष बनाने का इरादा नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

हडको द्वारा आंध्र प्रदेश को सहायता

5126. श्री एम. अंजन कुमार यादव : क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान हडको ने आंध्र प्रदेश को कोई सहायता अथवा ऋण प्रदान किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) विगत तीन वित्त वर्षों के दौरान हडको ने विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु आंध्र प्रदेश को कुल 3,32,656.60 लाख रु. का ऋण मंजूर किया है जिसमें से हाउसिंग क्षेत्र के लिए 56,254.12 लाख रु. और शहरी अवस्थापना क्षेत्र के लिए 2,76,402.48 लाख रु. का ऋण मंजूर किया गया है। इस ऋण का वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विगत तीन वर्षों (2004–05 से 2006–07) के दौरान आंध्र प्रदेश में मंजूर स्कीमों का ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	मंजूर ऋण		कुल
		आवास	अवस्थापना	
1.	2004–05	11700.00	99833.77	111533.77
2.	2005–06	706.90	110648.82	110648.82
3.	2006–07	43847.20	66626.81	110474.01
	कुल	56254.12	276402.48	332656.60

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाएं खोला जाना

5127. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2005–06 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कितनी शाखाएं खोली गईं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितनी शाखाएं खोली गईं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वर्ष 2005–06 के दौरान खोली गई 719 बैंक शाखाओं में से 52 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई थीं।

[अनुवाद]

लघु भेषज इकाईयों का निर्यात ऋण

5128. श्री अधीर चौधरी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक भारत में बैंकों द्वारा "कंट्री रिस्क मैनेजमेंट" के संबंध में उन दिशा–निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किये गये हैं तथा वे लघु भेषज इकाइयों के लिए निर्यात ऋण की सीमा रखने को भी बाध्य हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी नहीं। सरकारी क्षेत्र के बैंक लघु फार्मा निर्यातकों को निर्यात ऋण के संबंध में कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं करते हैं। बैंक सामान्यतया अलग–अलग ग्राहक के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के बाद निर्यात ऋण सहित कार्यशील पूंजी संबंधी सीमाएं मंजूर करते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु के लम्बित प्रस्ताव

5129. श्रीमती के. रानी : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में सुनामी प्रभावित लोगों के लिए अब तक कितनी आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को सुनामी प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) तमिलनाडु के सभी लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) योजना आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिसम्बर, 2006 तक निर्मित आवासीय यूनिटों की संख्या 29,139 है।

(ख) सूनामी प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए इस मंत्रालय को तमिलनाडु राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

टाइम जोन बनाया जाना

5130. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत संकट का शीघ्र समाधान नहीं निकलने से केन्द्र सरकार देश के लिए विभिन्न टाइम जोन बनाए जाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जैसाकि दिनांक 29 अप्रैल, 2007 के "बिजनेस लाइन" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके बाद देश में विद्युत की कमी का किस सीमा तक प्रबंध हो पाएगा?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) इस समय देश के लिए विभिन्न टाइम जोन बनाए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वर्ष 1998 में तत्कालीन ऊर्जा सलाहकार बोर्ड ने इस बारे में एक अध्ययन करवाया था। विश्लेषण से पता चला कि बिजली खपत के उस समय विद्यमान पैटर्न में यदि टाइम जोन को लागू किया जाए तो व्यस्ततम कालीन मांग में 1% की कमी होगी, इसका तात्पर्य है कि उस समय 220 मे.वा. बिजली की बचत। टाइम जोन बनाने के लिए इस बचत को पर्याप्त नहीं पाया गया।

प्रतिस्पर्धा आयोग

5131. श्री कैलाश मेघवाल :
श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिस्पर्धा आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रस्ताव तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र से संबंधित कोई भी प्रस्ताव नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र को कोयले की आपूर्ति

5132. श्री रामदास आठवले : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र को इसकी आवश्यकतानुसार नियमित रूप से कोयले की आपूर्ति नहीं की जा रही है जिससे विद्युत उत्पादन प्रभावित हो रहा है और दिल्ली में बड़ा भारी विद्युत संकट पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उक्त विद्युत केन्द्र को कितनी मात्रा में कोयले की आपूर्ति की गई है तथा कितनी मात्रा में इसे मांग से कम कोयले की आपूर्ति की गई; और

(घ) उक्त विद्युत केन्द्र को आवश्यकता के अनुरूप नियमित कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) बदरपुर ताप विद्युत स्टेशन को कोयले की आपूर्ति की जा रही है तथा विद्युत स्टेशन में कोयले की कमी के कारण उत्पादन में कोई क्षति नहीं हुई है। 7 मई, 2007 की स्थिति के अनुसार स्टेशन में कोयले का करीब 323,000 टन का स्टॉक है जो स्टेशन की खपत के 26 दिन के बराबर है।

(ग) गत 3 वर्षों के दौरान स्टेशन को कोयले की सप्लाई (प्राप्त) की तुलन में कोयले की खपत की स्थिति निम्नवत है :

वर्ष	कोयले की प्राप्ति	कोयले की खपत (000 टन में आंकड़े)
2004–05	3907	3732
2005–06	3854	3768
2006–07	3690	3739

उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि विद्युत स्टेशन में कोयले की खपत की तुलना में कोयले की आपूर्ति अधिक रही है।

(घ) विद्युत स्टेशन को कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :–

(i) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एवं विद्युत मंत्रालय में ताप विद्युत स्टेशनों को कोयले की आपूर्ति की स्थिति की दैनिक आधार पर कड़ाई से मानीटरिंग की जाती है।

(ii) कोयला विभाग में अपर सचिव की अध्यक्षता में बुनियादी सुविधाएं बाधा समीक्षा समिति का उप समूह, जिसमें विद्युत मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, रेल मंत्रालय एवं कोल इंडिया लि. के प्रतिनिधि शामिल हैं, के द्वारा सात दिन के खपत के भंडारण से कम कोयला स्टाक वाले ताप विद्युत स्टेशनों को कोयले की आपूर्ति की साप्ताहिक/पाक्षिक आधार पर समीक्षा कर उनकी समस्याओं का निवारण करती है।

(iii) मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव (समन्वय) की अध्यक्षता में बुनियादी सुविधाएं बाधा समीक्षा समिति प्रत्येक मास देश में कोयले के उत्पादन एवं ताप विद्युत स्टेशनों में इसकी आपूर्ति की समीक्षा करती है।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में कल्याणार्थ वैज्ञानिक अनुसंधान

5133. श्री हितेन बर्मन : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसंधान एवं विकास संस्थान तथा वैज्ञानिक समुदाय ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं के लिए अनुसंधान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों के कल्याणार्थ अनुसंधान एवं विकास संस्थानों तथा वैज्ञानिक समुदाय की सक्रियता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी, हां। ग्रामीण क्षेत्रों में सशक्तिकरण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रासांगिक और उचित प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान, विकास और अनुकूलन को उत्प्रेरित करने तथा सहायता प्रदान करने के लिए सरकार की अनेक योजनाएं हैं। प्रौद्योगिकी संस्थान/अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं प्रासांगिक प्रौद्योगिकियों के स्रोत और माडलों के रूप में कार्य करते हैं जिन्हें स्वयंसेवी एजेंसियों और अन्य संस्थानों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाता है। कार्यक्रमों का प्रभाव स्थानीय क्षेत्रों में महसूस किया गया है। तथापि, ऐसे कार्यक्रमों के लिए निधियों और अन्य संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण वृहद स्तर पर प्रचार–प्रसार बाधित हुआ है। कठिनाइयों के बावजूद अनेक मॉडल और स्थानीय स्तर की प्रौद्योगिकियां विकसित की गयी हैं और इनका प्रयोग किया जा रहा है। कुछ सिद्ध प्रौद्योगिकियां/पैकेज इस प्रकार हैं :

- ग्रामीण स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण सहित मूल्य संवर्धन के लिए फल/सब्जी प्रसंस्करण और संरक्षण। यह मॉडल देश के 23 स्थानों में कार्य कर रहा है।
- महिलाओं द्वारा उच्च मूल्य के औषधीय पौधों की खेती/अर्ध–प्रसंस्करण के लिए कृषि प्रौद्योगिकियां।
- नारियल ग्रेटिंग के लिए ड्रायर; बागवानी उत्पाद हेतु कागज और बायोमास आधारित ड्रायर
- फूलों को सुखाने की तकनीक।
- जैव उर्वरक अर्थात अजोला, बी जी ए।
- ऊन धुनाई मशीन।
- रेशम उत्पादन में महिलाओं द्वारा प्रयोग के लिए कार्य वातावरण रूप से उपयुक्त औजार/उपस्कर
- तटीय मछुआरों के लिए मछली एकत्रीकरण उपकरण (एफ ए डी)
- लाल मृत्तिका पात्र बनाने हेतु कम तापमान पर काथित करने के लिए प्रौद्योगिकी पैकेज विकसित किया गया और विशेष रूप से कन्याकुमारी क्षेत्र में अनेक यूनिटें कार्यरत हैं।
- मूत्र नाल संक्रमणों के लिए कम लागत वाले नैदानिक चिकित्सा किट

– जैव ग्रामों की स्थापना

– प्रौद्योगिकी प्रचार–प्रसार के लिए एकीकृत मॉडल के रूप में 16 महिला प्रौद्योगिकी पार्कों और 5 ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना

– छोटे रेस्त्राओं/ढाबों के लिए खराब अनाजों, फलों आदि का प्रयोग करने वाले बायोगैस संयंत्र। महाराष्ट्र में 500 यूनिटों की संस्थापना की गई है।

– चारकोल का प्रयोग करने वाले गैर दाब सराय कूकर जिसमें पूरी तरह भोजन पकाने में 10 मिनट लगते हैं। इसका वाणिज्यिक उत्पादन किया जा रहा है।

– सुंदरवन डेल्टा में रोग मुक्त केले का उत्पादन करने के लिए ऊतक संवर्धन तकनीकों का मानकीकरण। प्रशिक्षित महिला समूह द्वारा चार लाख छोटे पौधों का विक्रय किया गया है।

– झारखंड के लाख उत्पादक क्षेत्र में लाख निष्कर्षण और प्रसंस्करण मशीनों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

– सस्ते सैनिट्री नैपकिनों की प्रौद्योगिकी विकसित की गई है और इसका प्रचार–प्रसार किया गया है।

– उत्तरांचल, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में बिजली का उत्पादन करने के लिए बहु–उद्देश्यीय प्रयोग वाली पन–चक्कियों का उन्नयन। लगभग 2000 पनचक्कियों का उन्नयन किया जा रहा है।

– स्थानीय लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं की जांच करने और उनका हल ढूंढने के लिए अल्प सेवा और अल्प विकास वाले क्षेत्रों में केन्द्रों की स्थापना की गई।

– जनजातियों की स्वास्थ्य स्थितियों और रोगों का अध्ययन करने के लिए बाह्य परियोजनाएं।

– निर्धनता जनित रोगों जैसे – तपेदिक, कुष्ठ रोग, मलेरिया, फाइलेरियासिस और आंत्र लेशमेनियासिस के प्रति लक्षित अनुसंधान।

– अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में वायरस हटाने में भी सक्षम 670 जल फिल्टरों की संस्थापना की गई है। इस प्रौद्योगिकी का विकास सी एस आई आर द्वारा किया गया।

(ग) सरकार, ग्रामीण क्षेत्रों के कल्याण के लिए स्थान विशिष्ट परियोजनाओं और नवोन्मेषों में सहायता कर, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति में सुधार करने के लिए वैज्ञानिक समुदायों और अनुसंधान विकास संस्थानों को प्रोत्साहित और प्रेरित करने हेतु काफी महत्व दे रही है। इस दिशा में पुरस्कारों, अध्येतावृत्तियों और अन्य प्रोत्साहन देकर व्यक्तियों/संस्थानों को मान्यता प्रदान करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

विद्युत संयंत्रों का आधुनिकीकरण

5134. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री धर्मेन्द्र प्रधान :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 10वीं योजना के दौरान आधुनिकीकरण के लिए बहुत से विद्युत संयंत्रों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कार्य पर कितनी प्रगति हुई है तथा इस पर कुल कितना खर्च हुआ है; और

(घ) जिन परियोजनाओं का कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है उनके कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) जी हां। 10वीं योजना के दौरान जीवन विस्तार/नवीकरण एवं आधुनिकीरण कार्यों के लिए अभिज्ञात ताप विद्युत परियोजनाओं तथा नवीकरण आधुनिकीकरण एवं आपरेटिंग के लिए अभिज्ञात जल विद्युत परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्रमशः विवरण–I, II एवं III में दिया गया है।

(ग) जीवन विस्तार के लिए अभिज्ञात 106 ताप विद्युत यूनिटों में से 26 यूनिटें आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाई गईं, 11 यूनिटों का कार्य पूरा हो चुका है तथा 5 यूनिटों का कार्य प्रगति पर है। 21 यूनिटों को उत्कृष्टता में भागीदारी कार्यक्रम को स्थानांतरित कर दिया गया ताकि निष्पादन यूटिलिटियों के सहयोग से उनके कार्य निष्पादन में सुधार लाया जा सके। 19 यूनिटों के लिए पहले ही आदेश जारी किए जा चुके हैं। राज्य विद्युत बोर्ड/विद्युत यूटिलिटी द्वारा शेष 24 यूनिटों के बारे में कार्रवाई की जा रही है। अभी तक रु. 1685 करोड़ रु. की राशि खर्च की जा चुकी है। नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए अभिज्ञात 57 ताप विद्युत यूनिटों का कार्य समापन के विभिन्न चरणों में है। इन पर अभी तक रु0 506 करोड़ खर्च हो चुके हैं। नवीकरण एवं आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण कार्य के लिए अभिज्ञात 72 स्कीमों में से 29 स्कीमें पूरी हो चुकी हैं तथा अभी तक रु. 1000.826 की राशि खर्च हुई है।

(घ) अभिज्ञात ताप/जल विद्युत परियोजनाओं का कार्य पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए :–

I) स्कीम की प्रगति की नियमित मानीटरिंग

II) परियोजना स्थल का दौरा

III) वार्षिक समीक्षा बैठकें

IV) नियमित आधार पर परियोजना प्राधिकारियों के साथ चर्चा

v) विनिर्माताओं/सप्लायरों के साथ अनुवर्तन।

विवरण-I

10वीं योजना के दौरान जीवन विस्तार हेतु चिह्नित थर्मल यूनिटें

क्रम सं.	स्टेशन का नाम	यूनिट सं.	चालू किए जाने का वर्ष	वर्तमान रेंटिंग क्षमता (मेगावाट)	एलईपी के पश्चात् संभावित क्षमता (मेगावाट)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
	दिल्ली					
1.	बदरपुर	1	1973	95	100	एनटीपीसी बड़े आकार के यूनिट के साथ यूनिट–1 से 3 को पुनःस्थापित करने पर विचार करती है।
2.		2	1974	95	100	
3.		3	1975	95	100	
4.		4	1978	210	210	आदेश देने को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
5.		5	1981	210	210	आदेश देने को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
कुल दिल्ली		5 यूनिटें		705	720	
	हरियाणा					
6.	पानीपत	1	1979	110	117.8	एलई कार्यों के लिए आदेश दिया गया।
7.		3	1985	110	110	आदेश देने को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
8.		4	1987	110	110	आदेश देने को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
9.	फरीदाबाद	1	1974	55	60	एचपीजीसीएल यूनिट को समाप्त करने पर विचार कर रही है।
10.		2	1976	55	60	एचपीजीसीएल यूनिट को समाप्त करने पर विचार कर रही है।
11.		3	1981	55	60	एचपीजीसीएल यूनिट को समाप्त करने पर विचार कर रही है।
कुल हरियाणा		6 यूनिटें		495	517.8	
	पंजाब					
12.	भटिंडा	1	1974	110	110	एलई कार्य पूरे किए जा चुके हैं।
13.		2	1975	110	110	एलई कार्य पूरे किए जा चुके हैं।
14.		3	1978	110	110	एलई कार्यों के लिए आदेश दिया गया।
15.		4	1979	110	110	एलई कार्यों के लिए आदेश दिया गया।
कुल पंजाब		4 यूनिटें		440	440	

1	2	3	4	5	6	7
	उत्तर प्रदेश					
16.	ओबरा	1	1967	40	50	एलई कार्य प्रगति पर हैं।
17.		2	1968	40	50	एलई कार्य प्रगति पर हैं।
18.		3	1968	40	50	एलई कार्यों हेतु आदेश दिया गया है।
19.		4	1969	40	50	एलई कार्यों हेतु आदेश दिया गया है।
20.		5	1971	40	50	एलई कार्यों हेतु आदेश दिया गया है।
21.		6	1973	94	100	एलई कार्य प्रगित पर हैं।
22.		7	1974	94	100	"पीआईई" कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य प्रगति पर।
23.		8	1975	94	100	"पीआईई" कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य प्रगति पर।
24.		9	1980	200	218	एलई कार्यों हेतु आदेश दिया गया है।
25.		10	1979	200	218	एलई कार्यों हेतु आदेश दिया गया है।
26.		11	1977	200	218	एलई कार्यों हेतु आदेश दिया गया है।
27.		12	1981	200	218	एलई कार्यों हेतु आदेश दिया गया है।
28.		13	1982	200	218	एलई कार्यों हेतु आदेश दिया गया है।
29.	पनकी	3	1976	105	110	"पीआईई" कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य प्रगति पर।
30.		4	1977	105	110	"पीआईई" कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य प्रगति पर।
31.	हरदुआगंज	1	1968	40	50	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं।
32.		3	1972	60	60	"पीआईई" कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य प्रगति पर।
33.		4	1972	60	60	"पीआईई" कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य प्रगति पर।
34.		5	1977	60	60	एलई कार्यों हेतु आदेश दिया गया है।
35.		7	1978	105	110	"पीआईइ" कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य प्रगति पर।
कुल उत्तर प्रदेश		20 यूनिटें		2017	2200	
	महाराष्ट्र					
36.	नासिक	1	1970	140	140	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं।
37.		2	1971	140	140	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं।
38.	पारस	2	1967	58	62.5	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं।
39.	भुसावल	1	1968	58	62.5	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं।
40.	कोराडी	1	1974	115	120	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं।
41.		2	1975	115	120	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं।

1	2	3	4	5	6	7
42.		3	1976	115	120	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं।
43.		4	1976	115	120	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं।
44.	पारली	1	1971	30	30	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं।
45.		2	1972	30	30	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं।
कुल महाराष्ट्र		10 यूनिटें		916	945	
	छत्तीसगढ़					
46.	कोरबा (पूर्व)	1	1966	40	50	एलई कार्य पूरे किए जा चुके हैं।
47.		4	1968	40	50	एलई कार्य पूरे किए जा चुके हैं।
48.		5	1976	120	120	एलई कार्य पूरे किए जा चुके हैं।
49.		6	1981	120	120	एलई कार्य पूरे किए जा चुके हैं।
कुल छत्तीसगढ़		4 यूनिटें		320	340	
	मध्य प्रदेश					
50.	सतपुड़ा	1	1967	62.5	62.5	आदेश देने को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
51.		2	1968	62.5	62.5	आदेश देने को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
52.		3	1968	62.5	62.5	आदेश देने को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
53.		4	1968	62.5	62.5	आदेश देने को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
54.		5	1970	62.5	62.5	आदेश देने को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
55.	अमरकंटक	1	1965	30	30	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं।
56.		2	1965	20	30	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं।
57.		3	1977	120	120	एलई कार्यों हेतु आदेश दिया गया है।
58.		4	1978	120	120	एलई कार्यों हेतु आदेश दिया गया है।
कुल मध्य प्रदेश		9 यूनिटें		602.5	612.5	
59.	गांधीनगर	1	1977	120	120	एलई कार्यों हेतु आदेश दिया गया है।
60.		2	1977	120	120	एलई कार्यों हेतु आदेश दिया गया है।
61.	धुवण	1	1965	63.5	63.5	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं।
62.		2	1965	63.5	63.5	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं।
63.		3	1965	63.5	63.5	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं।
64.		4	1965	63.5	63.5	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं।
65.		5	1972	140	140	"पीआईई" कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य प्रगति पर।
66.		6	1972	140	140	"पीआईई" कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य प्रगति पर।

1	2	3	4	5	6	7
67.	उकाई	1	1976	120	120	एलई कार्य प्रगति पर
68.		2	1976	120	120	एलई कार्यों हेतु आदेश दिया गया है।
कुल गुजरात		10 यूनिटें		1014	1014	
	तमिलनाडु					
69.	एन्नौर	1	1970	60	60	एलई कार्य पूरे किए जा चुके हैं।
70.		2	1971	60	60	एलई कार्य पूरे किए जा चुके हैं।
71.	तूतीकोरिन	1	1979	210	210	एलई कार्यों हेतु आदेश दिया गया है।
72.		2	1980	210	210	एलई कार्यों हेतु आदेश दिया गया है।
73.		3	1982	210	210	एलई कार्यों हेतु आदेश दिया गया है।
कुल तमिलनाडु		5		750	750	
	आंध्र प्रदेश					
74.	विजयवाड़ा	1	1979	210	210	आदेश देने को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
75.		2	1980	210	210	आदेश देने को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
76.	कोठागुडम	6	1794	105	120	एलई कार्य पूरे किए जा चुके हैं।
77.		7	1977	110	120	एलई कार्य पूरे किए जा चुके हैं।
78.		8	1978	110	120	एलई कार्य पूरे किए जा चुके हैं।
कुल आंध्र प्रदेश		5 यूनिटें		745	780	
	पश्चिम बंगाल					
79.	संथालडीह	1	1974	120	120	"पीआईई" कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य प्रगति पर।
80.		2	1975	120	120	"पीआईई" कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य प्रगति पर।
81.		3	1978	120	120	"पीआईई" कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य प्रगति पर।
82.	बांडेल*	1	1965	80	82.5	"पीआईई" कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य प्रगति पर।
83.		2	1966	80	82.5	"पीआईई" कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य प्रगति पर।
84.		3	1966	80	82.5	"पीआईई" कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य प्रगति पर।
85.		4	1966	80	82.5	"पीआईई" कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य प्रगति पर।
86.	दुर्गापुर डीवीसी	3	1966	140	140	"पीआईई" कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य प्रगति पर।
कुल पश्चिम बंगाल		8 यूनिटें		820	830	
	झारखंड					
87.	चन्द्रपुरा (डीवीसी)	1	1964	130	140	"पीआईई" कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य प्रगति पर।
88.		2	1965	130	140	"पीआईई" कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य प्रगति पर।
89.		3	1968	130	140	"पीआईई" कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य प्रगति पर।
90.		4	1974	120	120	डीवीसी यूनिट को समाप्त करने पर विचार कर रही है।
91.		5	1975	120	120	डीवीसी यूनिट को समाप्त करने पर विचार कर रही है।

1	2	3	4	5	6	7
92.		6	1979	120	120	डीवीसी यूनिट को समाप्त करने पर विचार कर रही है।
93.	बोकारो	1	1953	45	57.5	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं।
94.		2	1953	45	57.5	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं।
95.		3	1953	45	57.5	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं।
96.	पतरातू	4	1969	40	50	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं।
97.		5	1971	90	100	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं।
98.		6	1972	90	100	"पीआईई" कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य प्रगति पर।
99.		7	1977	105	110	आदेश देने को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
100.		8	1978	105	110	आदेश देने को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
कुल झारखंड		14 यूनिटें		1315	1422.5	
	बिहार					
101.	बरौनी	4	1969	50	50	एनटीपीसी पुनरुद्धार की संभावनाओं का अध्ययन कर रही है।
102.		5	1971	50	50	एनटीपीसी पुनरुद्धार की संभावनाओं का अध्ययन कर रही है।
कुल बिहार		2 यूनिटें		100	100	
	असम					
103.	चन्द्रपुर एएसईबी	1	1972	30	30	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं।
104.	नामरूप	1	1965	23	23	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं।
105.	बोंगईगांव	1	1981	60	60	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं।
106.		2	1982	60	60	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं।
कुल असम 4 यूनिटें				173	173	
		106 यूनिटें		10412.5	10747	

*बांडेल यूनिट 1 से 4 (4x80 मेगावाट) 4x50 मेगावाट तक और अधिक कम हो गया है।

विवरण-II

10वीं योजना के दौरान नवीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु चिह्नित थर्मल यूनिट

क्र.सं.	यूटिलिटी/ बोर्ड के नाम	स्टेशन का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मे.वा.) में	अधिष्ठापना का वर्ष
1	2	3	4	5	6
	राजस्थान				
1.	आरआरवीयूएनएल	कोटा	1	110	1983

1	2	3	4	5	6
2.			2	110	1983
3.			3	210	1988
4.			4	210	1989
5.			5	210	1994
	कुल राजस्थान		5 यूनिट	850	
	पंजाब				
6.	पीएसईबी	रोपड़	1	210	1984
7.			2	210	1985
8.			3	210	1988
9.			4	210	1989
10.			5	210	1992
11.			6	210	1993
	कुल पंजाब		6 यूनिट	1260	
	महाराष्ट्र				
12.	एमएसपीजीसीएल	नासिक	3	210	1979
13.			4	210	1980
14.			5	210	1981
15.	एमएसपीजीसीएल	कोराडी	5	200	1978
16.			6	210	1982
17.			7	210	1983
18.	एमएसपीजीसीएल	चंद्रपुर	1	210	1983
19.			2	210	1984
20.			3	210	1985
21.			4	210	1986
22.			5	500	1991
23.			6	500	1992
24.	एमएसपीजीसीएल	पारली	3	210	1980
25.			4	210	1985
26.			5	210	1987

1	2	3	4	5	6
27	एमएसपीजीसीएल	खापरखेड़ा	1	210	1989
28.			2	210	1990
29.	एमएसपीजीसीएल	भुसावल	2	210	1979
30.			3	210	1992
	कुल–महाराष्ट्र		19 यनिट	4560	
	गुजरात				
31.	जीएसईसीएल	कच्छ लिग्नाइट	1	70	1991
32.			2	70	1997
	कुल–गुजरात		2 यूनिट	140	
33.	एनटीपीसी	सिंगरौली एसटीपीएस	1	200	1982
34.			2	200	1982
35.			3	200	1983
36.			4	200	1983
37.			5	200	1984
38.			6	500	1986
39.			7	500	1987
40.	एनटीपीसी	कोरबा एसटीपीएस	1	200	1983
41.			2	200	1983
42.			3	200	1984
43.			4	500	1987
44.			5	500	1988
45.			6	500	1989
46	एनटीपीसी	विंध्याचल	1	210	1987
47.			2	210	1988
48.			3	210	1989
49.			4	210	1990
50.			5	210	1990
51.			6	210	1991
52.	एनटीपीसी	रामागुंडम	1	200	1983
53.			2	200	1984

1	2	3	4	5	6
54.			3	200	1984
55.			4	500	1988
56.			5	500	1989
57.			6	500	1989
	कुल–एनटीपीसी		25	7460	
कुल (एनटीपीसी यूनिट सहित)			57	14270	

विवरण-III

10वीं योजना के दौरान पूर्णता हेतु 10वीं योजना के आरंभ में चिह्नित हाइड्रो आरएमएण्डयू परियोजनाओं/योजना की राज्यवार सूची

31.03.2007 की स्थितिनुसार

क्र.सं.	परियोजना, एजेंसी	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	अनुमानित/वास्तविक (रुपये करोड़ में)	लाभ (मे.वा.)	श्रेणी	पूर्ण होने का मूल/वास्तविक वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
हिमाचल प्रदेश						
1.	पोंग, बीबीएमबी	6x60	17.25/17.70	36.00 (यू)	आरएमएण्डयू	2003–04/ 2003–04
2.	भाखड़ा एलबी, बीबीएमबी	5x108	178.00/293.00	540.00(एलई)+ 90.00 (यू)	आरएमयूएण्डएलई	2006–07/ 2011–12
3.	बस्सी, एचपीएसईबी	4x15	32.27/28.60	6.0(यू)+ 60(एलई)	आरएमयूएण्डएलई	2004–05/ 2008–09
जम्मू और कश्मीर						
4.	सलाल फेज–II, एनएचपीसी	3x115+ 3x115	20.00/ 87.28	–	आर एण्ड एम	2004–05/ 2010–11
5.	लोअर झेलम, जे एण्ड के पीडीसी	3x35	20.00/65.19	9.00 (यू)+ 25.00(रेस.)	आरएमएण्डयू+रेस.	2004–05/ 2008–09
6.	चेनाई, जे एण्ड के पीडीसी	5x4.66	16.88/23.86	23.30(एलई)+ 2.33(यू)	आरएमयूएण्डएलई	2004–05/ 2009–10
7.	गंडेरबल, जे एण्ड के पीडीसी	2x3+2x4.5	33.76/28.87	15.00(एलई)	आरएमएण्डएलई	2004–05/ XI th plan
8.	संबल सिंध, जे एण्ड के पीडीसी	2x11.3	11.0/16.372	3.00(यू)	आरएमएण्डयू	2004–05/ 2007–08

	2	3	4	5	6	7
पंजाब						
9.	गंगूवाल, यू–1 बीबीएमबी	1x29.25	30.00/38.15	25.89(एलई)+ 2.10(रैस.)	आरएमएण्डएलई+रेस.	2005–06/ 2006–07
10.	कोटला, यू–1 बीबीएमबी	1x29.25	30.00/51.28 (incl IDC6.28)	26.61(एलई)+ 2.33(रैस.)	आरएमएण्डएलई+रेस.	2005–06/ 2006–07
11.	शासन फेज--ए, पीएसईबी	4x15+1x50	11.98/10.93	–	आर एण्ड एम	2002–03/ 2003–04
12.	शसन फेज–बी, पीएसईबी	–	35.95/35.95	60.00(एलई)	आरएमएण्डएलई (15मे.वा. यूनिट)+ आर एण्ड एम(50)	2006–07/ 2007–08
13.	आनंदपुर साहिब, पीएसईबी	4x33.5	150.00/1.04	–	आर एण्ड एम	2003–04/ 2006–07
14.	मुकेरियन स्टेज–I, पीएसईबी	3x15	6.30/6.04	–	आर एण्ड एम	2003–04/ 2007–08
राजस्थान						
15.	जवाहर सागर, आरआरवीयूएनएल	3x33	88.66	–	आर एण्ड एम	2007–08
16.	राणा प्रताप सागर, आरआरवीयूएनएल	4x43	87.50	–	आर एण्ड एम	2007–08
उत्तरांचल						
17.	चिब्रो, यूजेवीएनएल	4x60	5.32/20.90	–	आर एण्ड एम	2004–05/ 2006–07
18.	खोदरी, यूजेवीएनएल	4x30	5.42/10.50	–	आर एण्ड एम	2004–05/ 2007–08
19.	चिल्ला, यूजेवीएनएल	4x36	31.85/47.10	–	आर एण्ड एम	2004–05/ 2007–08
20.	धकरानी, यूजेवीएनएल	3x11.25	16.50/27.38	33.75(एलई)	आरएमएण्डएलई	2005–06/ 2008–09
21.	धालिपुर, यूजेवीएनएल	3x17	25.50/27.91	51.00(एलई)	आरएमएण्डएलई	2005–06/ 2008–09
22.	टिलोथ, यूजेवीएनएल	3x30	7.27/38.01	–	आर एण्ड एम	2004–05/ 2009–10
23.	खाटिमा, यूजेवीएनएल	3x13.8	20.00/34.37	41.40(एलई)	आरएमएण्डएलई	2006–07/ 2008–09

1	2	3	4	5	6	7
24.	पाथरी, यूजेवीएनएल	3x6.8	27.49/28.69	20.40(एलई)	आरएमएण्डएलई	2006–07/ 2008–09
25.	कुलहल, यूजेवीएनएल	3x10	4.80/21.62	–	आर एण्ड एम	2004–05/ 2008–09
26.	रामागुंडम	3x66	6.00/31.65	18.00(रेस.)	आर एण्ड एम+रेस.	2004–05/ 2007–08
उत्तर प्रदेश						
27.	माताटीला, यूपीजेवीएनएल	3x10.2	25.38/92.35	15(यू)+30.6 (एलई)	आरएमयूएण्डएलई	2005–06/ 2008–09
28.	ओबरा, यूपीजेवीएनएल	3x33	33.00/58.80	99.00(एलई)	आरएमएण्डएलई	2005–06/ 2008–09
29.	रिहंद, यूपीजेवीएनएल	6x50	110.21/136.27	300.00(एलई)	आरएमएण्डएलई	2006–07/ 2009–10
आंध्र प्रदेश						
30.	हम्पी, एपीजेनको	2x9(St.I) & 2x9(St.II)	38.00/25.00	36.00(एलई)	आरएमएण्डएलई	2006–07/ 2011–12
31.	मचकुंड, एपीजेनको	3x17(St.I) & 3x21.25(St.II)	89.11/ 124.45	15.25(यू)+ 114.75(एलई)	आरएमयूएण्डएलई	2006–07/ 2011–12
32.	तुंगभद्रा, एपीजेनको	4x9	38.00/25.00	36(एलई)	आरएमएण्डएलई	2006–07/ 2011–12
कर्नाटक						
33.	शरावथी, फेज–ए, केपीसीएल	10x103.5	4.99/3.52	–	आर एण्ड एम	2003–04/ 2006–07
34.	नागझारी, यू–1 और 3 केपीसीएल	2x135	26.12/21.62	30.00(यू)	आरएमएण्डयू	2002–03/ 2002–03
35.	सुपा पीएच, केपीसीएल	2x50	2.05/2.47	–	आर एण्ड एम	2002–03/ 2002–03
36.	महात्मा गांधी, वीवीएनएल	4x12+4x18	33.90/43.13	19.20(यू)+ 120.00(एलई)	आरएमयूएण्डएलई	2002–03/ 2002–03
37.	मुनिराबाद, वीवीएनएल	2x9+1x10.3	10.0/3.53	28.30(एलई)	आरएमएण्डएलई	2002–03/ 2002–03
38.	शिवसमुद्रम, वीवीएनएल	6x3+4x6	68.38/73.17	42.00(एलई)	आरएमएण्डएलई	2003–04/ 2004–05

	2	3	4	5	6	7
39.	भद्रा–फेज–II, केपीसीएल	1x2	3.0/2.51	2.00(एलई)	आरएमएण्डएलई	2002–03/ 2005–06
40.	भद्रा, केपीसीएल	2x12	6.15/4.47	24(एलई)	आरएमएण्डएलई	2004–05/ 2008–09
41.	नागझारी, यू–4, 5 और 6 केपीसीएल	3x135	48.85/41.16	30.00(यू)	आरएमएण्डयू	2006–07/ 2008–09
42.	शरावथी, फेज–बी, केपीसीएल	10x103.5	16.88/9.94	–	आर एण्ड एम	2006–07/ 2009–10
केरल						
43.	नेरियामंगलम, केसएईबी	3x15	31.92/53.05	45.00(एलई)+ 9.00(यू)	आरएमयूएण्डएलई	2006–07/ 2006–07
44.	पालीवासल, केसएईबी	3x5+3x7.5	94 371	37.50(एलई)	आरएमएण्डएलई	2002–03/ 2002–03
45.	सेनगुलम, केसएईबी	4x12	114	48.00(एलई)	आरएमएण्डएलई	2002–03/ 2002–03
46.	पैन्नियार, केसएईबी	2x15	62	30.00(एलई)	आरएमएण्डएलई	2002–03/ 2002–03
47.	सबारीगिरी, केसएईबी	6x50	163.34/99.86	300.00(एलई)+ 35.00(यू)	आरएमयूएण्डएलई	2006–07/ 2008–09
48.	कुट्टियाडी, केसएईबी	3x25	25.00/25.00	75.00(एलई)	आरएमएण्डएलई	2006–07/ 2011–12
49.	पोरिंगलकूथू, केसएईबी	4x8	9.55/9.55	32.00(एलई)	आरएमएण्डएलई	2006–07/ 2011–12
तमिलनाडु						
50.	मेट्टूर डेम, टीएनईबी	4x10	41.40/30.17	10.00(यू)+ 40.00(एलई)	आरएमयूएण्डएलई	2004–05/ 2007–08
51.	पायकारा, टीएनईबी	3x6.65+ 1x11+2x14	17.06/20 147	58.95(एलई)	आरएमएण्डएलई	2002–03/ 2004–05
52.	पापनासम, टीएनईबी	4x7	40.23/22.61	4.00(यू)+ 28.00(एलई)	आरएमयूएण्डएलई	2004–05/ 2005–06
53.	कोडेयार, फेज–II, टीएनईबी	1x40	19.94/19.94	40.00(एलई)	आरएमएण्डएलई	2006–07/ XIIth Plan

1	2	3	4	5	6	7
उड़ीसा						
54.	हिराकुंड–I, (स्व. यार्ड), ओएचपीसी	–	9.85/9.85	–	आर एण्ड एम	2002–03/ 2006–07
55.	हिराकुंड–I, यू–3 और 4, ओएचपीसी	2x24	131.56/126.13	16.00(यू)+ 48.00(एलई)	आरएमएण्डएलई	2004–05/ 2005–06
56.	हिराकुंड–II, ओएचपीसी	3x24	50.00/125.52	72.00(एलई)	आरएमयूएण्डएलई	2005–06/ 2008–09
झारखंड						
57.	पंचेट, यू–1, डीवीसी	1x40	2.17/44.96	40.00(एलई)+ 6.00(यू)	आरएमयूएण्डएलई	2004–05/ 2008–09
58.	मैथन, यू-2, डीवीसी	1x20	17.34/36.82	20.00(एलई)+ 3.20(यू)	आरएमयूएण्डएलई	2003–04/ 2004–05
पश्चिम बंगाल						
59.	जलढाका चरण–I, डब्ल्यूबीएसईबी	3x9	12.60/53.67	27.00(एलई)	आरएमएण्डएलई	2004–05/ 2008–09
महाराष्ट्र						
60.	कोयना चरण–I, और II, एमएसपीजीसीएल	–	8.0/88.00 (125.00 सहित)	–	आर एण्ड एम	2006–07/ 2007–08
61.	कोयना चरण–III, एमएसपीजीसीएल	–	14.00/16.65	–	आर एण्ड एम	2006–07/ 2007–08
62.	वैतरनी, एमएसपीजीसीएल	1x60	2.70/7.00	6.00(यू)	आरएमएण्डयू	2005–06/ 2006–07
63.	भिरा टेल रेस, एमएसपीजीसीएल	2x40	1.80/0.70	–	आर एण्ड एम	2003–04/ 2003–04
64.	तिलारी, एमएसपीजीसीएल	1x60	4.50/4.24	6.0(यू)	आरएमएण्डयू	2003–04/ 2004–05
65.	कोयना जेन. काम्प्लेक्स, एमएसपीजीसीएल	4x70+4x80 +4x80	14.00/11.50	–	आर एण्ड एम	2003–04/ 2004–05
66.	कोयना डेम पीएच, एमएसपीजीसीएल	2x18	20.00/10.00	8.00(यू)	आर एण्ड एम	2006–07/ XIIth Plan
मेघालय						
67.	उमियम चरण–I मे. एसईबी	4x9	86.92/84.21	36.00(एलई)	आरएमएण्डएलई	2002–03/ 2002–03

1	2	3	4	5	6	7
68.	खांगडांग, नीपको	2x25	15.00/3.35	–	आर एण्ड एम	2002–03/ 2003–04
69.	उमियम चरण–II, मे. एसईबी	2x9	53.27/90.46	18.00(एलई)	आरएमएण्डएलई	2006–07/ 2008–09
70.	किरदमकलई, मे.एसईबी	2x30	7.40/25.00	6.00(यू)	आरएमएण्डयू	2004–05/ 2011–12
मणिपुर						
71.	लोकतक, एनएचपीसी	3x30 (Derated)	24.40/19.13	15.00 (रेस.)	आरएण्डएम+रेस.	2004–05/ 2007/08
असम						
72.	कोपिली, यू–1 और 2, नीपको	2x50	35.69/36.01	–	आर एण्ड एम	2004–05/ 2011–12

नोट – पूरी की गई योजनाएं बड़े अक्षरों में दिखाई जाती है।
संक्षिप्त – आरएण्डएमः नवीकरण एवं आधुनिकीकरण
आरएमएण्डयू : नवीकरण एवं आधुनिकीकरण एवं उत्थान
आरएमएण्डएलएई : नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार
आरएमयूएण्डएलई– : नवीकरण, आधुनिकीकरण, उत्थान एवं जीवन विस्तार
आर एण्ड एम+रेसः : नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार+रेसटोरेशन
एमडब्लूः मेगावाट : आरईएसः रेस्टोरेशन
यू–अपरेटिंग
एलई–जीवन विस्तार
आईडीसी–निर्माण के दौरान ब्याज चरण–1 परियोजनाएं 1987 में शुरू हुई; चरण–II 1988 में शुरू हुई

पुरानी कारों पर वैट

5135. श्री मोहन रावले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग परिसंघ (फिक्की) से पुरानी कारों के बिक्री व्यवसाय में लगी कंपनियों पर चार प्रतिशत वैट लगाने तथा उन्हें फ्रिंज बेनिफिट टैक्स (एफ.बी.टी.) में भी राहत देने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय उद्योग तथा वाणिज्य परिसंघ (फिक्की) ने पुरानी कारों की बिक्री पर 4 प्रतिशत की वैट की दर का प्रस्ताव किया है। इस संबंध में, यह बताया जाता है कि वैट किसी राज्य के अंदर माल की खरीद अथवा बिक्री पर कर होने के कारण संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 की वजह से राज्य का विषय है। राज्य वैट से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श करने और सिफारिशें करने के लिए राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार–समिति का गठन किया गया है। अधिकार–प्राप्त समिति ने विभिन्न वस्तुओं के लिए वैट के तहत कर दरों की संरचना सहित वैट के डिजाइन को अंतिम रूप दिया है। चूंकि वैट राज्य का विषय है, इसलिए यह राज्यों पर निर्भर करता है कि पुरानी कारों की बिक्री पर 4 प्रतिशत वैट के प्रस्ताव पर निर्णय ले। दूसरे, फिक्की ने अनुषंगी लाभ कर (एफ बी टी) के दायरे के बाहर कतिपय व्ययों को बाहर रखकर और लाभ तथा हानि खातों में अनुषंगी लाभ कर के संबंध में कटौती की अनुमति, जैसाकि अन्य करों जैसे आयकर के लिए किया जा रहा है, द्वारा पुरानी कारों की बिक्री कर रही कम्पनियों को अनुषंगी लाभ कर में राहत देने का प्रस्ताव किया है। इस संबंध में यह बताया जाता है कि एफ बी टी नियोक्ताओं पर प्रतिनियुक्त कर है और यह कर्मचारियों को नियोक्ताओं द्वारा प्रदान किए गए अनुषंगी लाभों के मूल्य पर 30 प्रतिशत की दर से लगाया जाता है। नियोक्ताओं द्वारा प्रदान किए गए अनुषंगी लाभों का मूल्य निर्धारित करने के लिए अनुमानित माडल अपनाया गया है। फिक्की का विशुद्ध व्यवसाय व्ययों और कतिपय आटो–खुदरा क्षेत्र से संबंधित व्ययों को एफ बी टी के दायरे से बाहर रखने का अनुरोध औचित्य पूर्ण नहीं है क्योंकि अनुषंगी

लाभों के मूल्य के रूप में व्यय की प्रतिशतता देते हुए अनुमानित माडल में इन चिन्ताओं को पहले ही ले लिया गया है। इसी प्रकार, जहां तक नियोक्ताओं को कटौती के रूप में एफ बी टी की अनुमति देने का संबंध है, यह बताया जाता है कि विधायिका का इरादा 30 प्रतिशत की दर से अनुषंगी लाभ पर कर लगाना है। यदि नियोक्ताओं को कटौती की जाती है तो एफ बी टी की प्रभावी दर कम होकर 21 प्रतिशत रह जाएगी। फिक्की की ओर से यह कहना भी सही नहीं है कि नियोक्ताओं द्वारा अदा किये गए आयकर को उनके लाभ तथा हानि खातों में कटौती के रूप में अनुमति दी जाती है।

डीडीए में भ्रष्टाचार रोधी तंत्र

5136. श्री तुकाराम गणपतराव रैंगे पाटील :
श्री जीवाभाई ए. पटेल :
क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) में भ्रष्टाचार रोधी तंत्र अप्रभावी है और समुचित रूप से कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस भ्रष्टाचार रोधी तंत्र के कार्यकरण के संबंध में कोई समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, नहीं।

(ख) डीडीए ने यह बताया है कि भ्रष्टाचार रोधी तंत्र की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि डीडीए में भ्रष्टाचार के मामलों पर ठोस कार्रवाई की जाती है तथा आवश्यकतानुसार आपराधिक मामले और अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ की जाती है। डीडीए की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता में सुधार लाने तथा भ्रष्टाचार को रोकने और डीडीए में भ्रष्टाचार अथवा अनियमितताओं की किसी भी संभावना को कम करने के लिए भी अनेक उपाय किए गए हैं। डीडीए में नागरिकों के कार्यों में मदद करने के लिए सुविधा पटल स्थापित किए गए हैं, डीडीए के वरिष्ठ अधिकारी शिकायतों की सुनवाई के मार्फत जनता के लिए सुलभ रहते हैं, स्कीम, नियम, क्रियाविधि, आवेदन फार्म इत्यादि वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं, मकानों के आबंटन के लिए ड्रॉ का कम्प्यूटरीकरण किया गया है, वेबसाइट पर निविदा सूचना डालना आरंभ कर दिया गया है। सार्वजनिक नीलामी का समुचित प्रचार करके वाणिज्यिक भूखंडों का निपटान किया जाता है तथा विवेकाधिकार को खत्म करने और डीडीए की कार्यप्रणाली में वास्तविकता व पारदर्शिता लाने के लिए विभिन्न अन्य उपाय किए गए हैं। गुणवत्ता जांचने, सतर्कता मामलों का शीघ्र निपटान करने तथा विभिन्न कार्यों में पारदर्शिता में सुधार लाने हेतु विभिन्न उपायों की समीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु धनराशि जारी करना

5137. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्रीमती निवेदिता माने :
क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में न्यापालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी के रूप में 320.88 लाख रु. की बकाया धनराशि जारी किए जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि जारी कर दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त धनराशि को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) से (घ) किसी वित्तीय वर्ष में न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के संबंध में केन्द्रीय अंश के बजट प्रावधान का राज्यवार आबंटन योजना आयोग द्वारा अनुमोदित सूत्र के अनुसार किया जाता है। इस सूत्र के अनुसार, बजट प्राक्कलन 2006-07 के रूप में उपलब्ध कराए गए 65.00 करोड़ रुपए में से 4.16 करोड़ रुपए का आबंटन महाराष्ट्र के संबंध में किया गया था। 4.16 करोड़ रुपये की यह राशि वित्तीय वर्ष 2006-07 में उस राज्य को जारी की गई है।

[हिन्दी]

नगरपालिकाओं में ई-शासन संबंधी राष्ट्रीय मिशन मोड परियोजना

5138. श्री महावीर भगोरा : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने एक नई योजना अर्थात् नगरपालिकाओं में ई-शासन संबंधी राष्ट्रीय मिशन मोड परियोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत कितने शहरों/नगरों को सम्मिलित करने का विचार है; और

(घ) उक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, हां।

(ख) नगरपालिकाओं में ई–गवर्नेंस राष्ट्रीय मिशन मोड परियोजना (एनएमएमपी) की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :–

मुख्य उद्देश्य

नगरपालिकाओं में ई–गवरनेन्स संबंधी राष्ट्रीय मिशन मोड परियोजना (एनएमएमपी) के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है :–

– नागरिकों को "किसी भी समय, कहीं भी" आधार पर "सिंगल विंडो" सेवाएं उपलब्ध कराना।

– शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता और उत्पादकता बढ़ाना।

– राज्य में सभी शहरी स्थानीय निकायों में शहरी स्थानीय निकाय सूचना प्रणाली का एकल और एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना।

– कारगर निर्णय लेने के लिए नगर प्रशासन के संबंध में समय पर और विश्वसनीय प्रबंधन सूचना मुहैया करना।

– अन्य संबंधित अनुप्रयोगों से एकीकृत करने हेतु मानक आधारित दृष्टिकोण अपनाना।

कार्यक्रम कवरेज

एनएमएमपी में वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान एक लाख या अधिक आबादी वाले श्रेणी 1 शहरों (कुल 423) में सभी शहरी स्थानीय निकायों को शामिल करने की संकल्पना की गई है। इन शहरों में देश की 55% शहरी आबादी है।

एनएमएमपी के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाएं

अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को हासिल करने के लिए एनएमएमपी में शहरी स्थानीय निकायों के भीतर ही 8 सेवाओं/प्रबंधन कार्यों के कार्यान्वयन की संकल्पना की है :– अर्थात् (i) जन्म और मृत्यु पंजीकरण व प्रमाणपत्र जारी करना, (ii) संपत्ति कर, जल आपूर्ति और अन्य सुविधा संबंधी बिलों का भुगतान और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का प्रबंधन, (iii) शिकायतें और सुझाव (iv) भवन योजना अनुमोदन, (v) ई–प्रापण सहित प्रापण और परियोजनाओं की मानीटरिंग और परियोजना/वार्ड कार्य (vi) लाइसेंस और कचरा प्रबंधन सहित स्वास्थ्य कार्यक्रम, (vii) एकाउंटिंग प्रणाली और (viii) कार्मिक सूचना प्रणाली।

वित्तपोषण पद्धति

– स्कीम की वित्तपोषण पद्धति इस प्रकार है :–

– 35 स्थानों (एक मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों) के लिए पूंजीगत लागत का 75% और पहले दो वर्षों के लिए वार्षिक लागत का 75% केन्द्र सरकार द्वारा और शेष 25% राज्य सरकार द्वारा; और

– अन्य स्थानों के लिए, पूंजीगत लागत का 90% और पहले दो वर्षों के लिए वार्षिक लागत का 90% केन्द्र सरकार द्वारा और शेष 10% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(पूंजीगत लागत में 1 (पहले) वर्ष के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंसल्टेंट शुल्क, नेटवर्किंग लागत, डाटा डिजिटाइजेसन लागत, कार्यक्रम स्तर सेट अप लागत, प्रशिक्षण लागत और शहरी स्थानीय निकायों के भी 1 (पहले) वर्ष के निवेश/डिजास्टर बैक अप शामिल है। वार्षिक लागत में प्रचालन और अनुरक्षण लागत, चाल कम्यूनिकेशन लागत, लाइसेंस शुल्क आदि शामिल है।)

पात्रता मानदण्ड

राष्ट्रीय मिशन मोड परियोजना के अन्तर्गत वित्तपोषण के लिए विचार किए जाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों/राज्य सरकारों द्वारा सहमति देने/अनुपालन किए जाने वाले मुख्य पात्रता मानदण्ड।

– राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों को शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी।

– राष्ट्रीय मिशन मोड परियोजना के मुख्य उद्देश्यों और लक्ष्यों तथा वित्तपोषण व्यवस्थाओं से सहमत होने के लिए राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाया प्रतिबद्ध होने चाहिए।

– राष्ट्रीय मिशन मोड परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नियत सर्विस स्तरों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय प्रतिबद्ध होने चाहिए।

– प्रत्येक राज्य सरकार को राज्य ई–गवर्नेन्स म्युनिसिपल सड़क नक्शे तैयार करके राज्य का दृष्टिकोण, चयन किए गए सड़क नक्शे और उपलब्धियों के बारे में स्पष्ट रूप से बताना होगा।

– कार्यनीति में कानूनी कार्रवाई सहित संस्थागत सुधार, पूंजीगत लागत हिस्सेदारी सिद्धांतों, शुल्क/प्रभारों, सृजित किए जाने वाली प्रणालियों के प्रचालन और अनुरक्षण तथा कार्यान्वयन के लिए संस्थागत तंत्र जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

समझौता ज्ञापन में, राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एन यू आई एस) स्कीम और जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे

एन एन यू आर एम) तथा इनसे जुड़ी स्कीमों जैसे अन्य कार्यक्रमों के जरिये शहरी विकास मंत्रालय द्वारा परिभाषित सुधार सिद्धांतों का पालन करने पर बल दिया जाना चाहिए और

– राज्यों को राज्य व्यापी क्षेत्र नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रयास शुरू करने चाहिए।

(ग) वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान स्कीम में शुरू में एक लाख और अधिक आबादी वाले कुल 423 शहरों को शामिल किया जाना है।

(घ) योजना आयोग को इस स्कीम पर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के भाग के रूप में विचार करने तथा स्कीम के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित धनराशि मुहैया कराने का अनुरोध किया गया है। योजना आयोग से उत्तर प्राप्त होने पर सूचना प्रौद्योगिकी और शहरी विकास के सभी राज्य सचिवों की भागीदारी से कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इस कार्यशाला में स्कीम के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को जानकारी दी जाएगी। इसी बीच, शहरी विकास मंत्रालय, ने सचिव (शहरी विकास) की अध्यक्षता में एक कार्यान्वयन समिति गठित की गई है, जो स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी व समीक्षा करेगी। इसके अलावा, संयुक्त सचिव (यूडी) को इस स्कीम के लिए मिशन लीडर नियुक्त किया गया है।

जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

5139. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :
डा. चिन्ता मोहन :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु मांगी गई बोलियों को स्वीकृत करने के लिए निर्धारित मानदंडों को योजना आयेग द्वारा अस्वीकार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन मानदंडों का ब्यौरा क्या है जिनके आधार पर बोलियों के माध्यम से परियोजनाएं स्वीकार की जा रही हैं;

(ग) इन मानदंडों के संबंध में योजना आयोग द्वारा क्या आपत्तियां की गई हैं;

(घ) इसके परिणामस्वरूप देश में विद्युत उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 17 के अधीन जल विद्युत राज्य का विषय है। तदनुसार जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए स्थलों का आबंटन राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आता है। अगस्त, 1998 में केन्द्र सरकार द्वारा जारी जल विद्युत नीति के अनुसार एमओयू रूट पर 100 मे.वा. तक की क्षमता वाले जल विद्युत परियोजनाओं की संरचना राज्य सरकार के विवेक पर है। तथापि, उच्च क्षमताओं वाली जल विद्युत परियोजनाओं को प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर निजी विकासकों को आबंटित किए जाने अपेक्षित हैं।

भारत सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अधीन 6 जनवरी, 2006 को शुल्क नीति अधिसूचित की है जिसमें निर्धारित किया गया है कि विद्युत की सभी भावी आवश्यकताएं वितरण लाइसेंस धारियों द्वारा प्रतिस्पर्धा आधार पर प्राप्त की जानी चाहिए सिवाय वर्तमान परियोजनाओं के विस्तार के मामले या जहां अभिज्ञात विकासक के रूप में राज्य नियंत्रण/स्वामित्व वाली कंपनी विद्यमान हो। सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए भी सभी नई उत्पादन परियोजनाओं की टैरिफ का निर्णय नीति की अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के बाद प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर किया जाना। केन्द्र सरकार ने संकल्प सं. 23/11/2004–आर.एंड आर. (वाल्यूम–II) दिनांक 19.1.2005 द्वारा वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा विद्युत प्राप्त किए जाने हेतु प्रतिस्पर्धात्मक बोली आधारित टैरिफ के दिशा–निर्देश भी अधिसूचित किए हैं।

उपलब्ध सूचना के अनुसार इस बोली प्रक्रिया के लिए नियत दिशा–निर्देशों/मानकों के संबंध में योजना आयेग से अनापत्ति प्राप्त हो गई है।

(घ) यह प्रत्याशा है कि विद्युत प्रापण के लिए बाजार में प्रतिस्पर्धा होने के परिणामस्वरूप देश में विद्युत की लागत कम हो जाएगी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि ऋणों पर ब्याज माफ करना

5140. श्री कीरेन रिजीजू :
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री चन्द्रभूषण सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद ने कृषि ऋणों पर ब्याज को एकमुश्त माफ करने के विचार का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से किसानों के ऋण माफ करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस संबंध में सरकार को कोई सुझाव दिए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (छ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

समेकित उपनगर के विकास हेतु एफडीआई

5141. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में समेकित उपनगर के विकास हेतु 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के अंतर्गत समेकित उपनगर के विकास को बढ़ावा देने में भूमि के उपयोग में परिवर्तन करने संबंधी कड़े नियम, अधिक लचीले क्षेत्रीय विनियमन और अंतरणीय विकास अधिकार प्रमुख अड़चनें हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में समेकित उपनगर के विकास के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मानदंडों में संशोधन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस संबंध में विभिन्न शेयर धारकों के साथ कोई विचार-विमर्श किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी हां। सरकार द्वारा दिनांक 3.3.2005 को जारी प्रेस नोट 2(2005) द्वारा निर्माण विकास परियोजनाओं में स्वतः ही 100% तक विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।

(ख) मार्च 2005 से मार्च 2007 तक स्थावर संपदा क्षेत्र के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 505.38 मिलियन अमेरिकी डॉलर (2291.629 करोड़ रु.)था। इसकी तुलना में निर्माण कार्यकलाप क्षेत्रों के तहत निवेश 1143.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर (5123.499 करोड़ रु.) था।

(ग) से (छ) इस प्रकार कोई विशिष्ट उदाहरण सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है। तथापि, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति की समीक्षा सतत् और निरंतर आधार पर की जाती है। नीति तैयार करते समय विभिन्न हितबद्धों के विचारों को भी ध्यान में रखा जाता है।

नई राष्ट्रीय विद्युत नीति

5142. श्री जी. करुणाकर रेड्डी :
श्रीमती किरण माहेश्वरी :
श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री के.एस. राव :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई राष्ट्रीय विद्युत नीति को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख विशेषता क्या है; और

(ग) इससे विद्युत कंपनियों को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3 के उपबंधों के अंतर्गत दिनांक 12 फरवरी, 2005 को राष्ट्रीय विद्युत नीति अधिसूचित की है। इस नीति के उद्देश्य और प्रमुख विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

नीति में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि विद्युत क्षेत्र धारणीयता के लिए उपभोक्ताओं से सेवा की लागत की वसूली सुनिश्चित करने की नितांत आवश्यकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि निवेश पर रिटर्न इस ढंग से मुहैया कराने की आवश्यकता है कि क्षेत्र अन्य क्षेत्रों में निवेश अवसरों के समतुल्य, यदि उसकी वरीयता में न हो, पर्याप्त निवेशों को आकर्षित करने में सक्षम हो सके।

विवरण

राष्ट्रीय विद्युत नीति के उद्देश्य नीचे दिए गए हैं :-

- विद्युत की पहुंच-अगले पांच वर्षों में सभी घरों में बिजली की उपलब्धता।
- विद्युत की उपलब्धता-वर्ष 2012 तक विद्युत की संपूर्ण मांग को पूरा किया जाना। ऊर्जा और व्यस्ततमकालीन कमियों को पूरा करना है और स्पिनिंग रिजर्व उपलब्ध कराना है।
- निर्धारित मानकों की विश्वसनीय एवं उत्तम विद्युत की कुशलतापूर्वक तथा उचित दर पर आपूर्ति
- वर्ष 2012 तक विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत 1000 यूनिट से भी अधिक बढ़ाना।
- वर्ष 2012 तक कम से कम 1 यूनिट/प्रति घर/प्रति दिन की दर से न्यूनतम जीवन रेखा खपत।

– विद्युत क्षेत्र में वित्तीय सुधार और वाणिज्यिक व्यवहार्यता की प्राप्ति।

– उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा।

नीति की मुख्य विशेषताएं

1. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण छह महीने में 12वीं योजना तक की अवधि के लिए प्रथम राष्ट्रीय विद्युत योजना अधिसूचित करेगा। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैयार योजना भावी उत्पादन कंपनियों, पारेषण यूटिलिटियों और पारेषण/वितरण लाइसेंस-धारकों द्वारा संदर्भ दस्तावेज के रूप में उपयोग की जाएगी।

2. अगले 5 वर्षों में घरेलू विद्युतीकरण पूरा करने के एनसीएमपी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण वितरण बैकबोन का विकास, ग्राम विद्युतीकरण और घरों का विद्युतीकरण। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राज्यों को पूंजी सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता देना। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए दलित बस्तियों, जन-जातीय क्षेत्रों और अन्य कमजोर वर्गों को विशेष वरीयता देना। केन्द्रीय सरकार के स्तर पर ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आरईसी नोडल एजेंसी होगी।

3. 2012 तक कम-से-कम 5% के स्पिनिंग रिजर्व के साथ पर्याप्त विद्युत उत्पादन क्षमता का निर्माण और 85% पर संस्थापित क्षमता की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

4. जल विद्युत संभावनाओं का पूर्ण विकास। इन परियोजनाओं के लिए दीर्घावधि वित्तपोषण का प्रावधान।

5. ताप विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन का चयन विद्युत उत्पादन तथा विद्युत की आपूर्ति और मितव्ययिता आधार पर किया जाएगा।

6. राष्ट्रीय ग्रिड का विकास करना।

7. क्षेत्र में वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए टैरिफ में उपयुक्त लागत दर्शाते हुए उपभोक्ताओं से सेवा लागत वसूल करना।

8. जीवन रेखा उपभोक्ताओं (गरीबी रेखा से नीचे के लोगों, जिनकी खपत 30 यूनिट प्रतिमाह है) कसे निम्नतर टैरिफ के रूप में सहायता का प्रावधान।

9. किफायती संकेतन के माध्यम से बेहतर ग्रिड अनुशासन के लिए उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) को राज्य स्तर तक बढ़ाया जाएगा।

10. पारेषण एवं वितरण हानियों में समयबद्ध कमी पर विशेष जोर प्रदान करना।

11. उपभोक्ता लाभ के उद्देश्य वाली प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के उपाय करना।

12. राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता की मॉनीटरिंग की जाएगी।

13. अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता हेतु लघु जल विद्युत सौर, बॉयोमास और पवन जैसे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन करना।

अन्य विशेषताएं

14. आवश्यक नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के जरिए विद्युत उत्पादन संयंत्रों की उच्चतर क्षमता स्तर को हासिल करने पर बल।

15. केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय ग्रिड के निरंतर विकास को सुगम बनाएगी। सीटीयू और एसटीयू समन्वित आयोजना एवं विकास करेगी।

16. अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार पारेषण क्षमता में अतिरिक्त लेवल और मार्जिन होना चाहिए।

17. सुधारकर्ता विद्युत यूटिलिटियों के लिए पर्याप्त संक्रमणकालीन वित्तीय सहायता। वितरण में निजी क्षेत्र भागीदारी के लिए प्रोत्साहन।

18. राज्य विनियामक आयोग स्वतंत्र थर्ड पार्टी मीटर परीक्षण व्यवस्था करेंगे।

19. उपभोक्ताओं को सही बिल निर्गत करना सुनिश्चित करने के लिए आईटी प्रणाली अपनाए जाने हेतु सहायता प्रदान करना।'

20. बिजली चोरी के विरुद्ध कठोर उपायों का शीघ्र कार्यान्वयन।

21. आर एंड डी आधार के विस्तार पर पूर्ण जोर। अभिज्ञात प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए मिशन दृष्टिकोण।

22. ऊर्जा संरक्षण उपायों के जरिए मांग पक्ष प्रबंधन। उपस्करों पर ऊर्जा क्षमता संबंधी लेबल दर्शाए जाने चाहिए। कम विद्युत खपत वाले कृषि पम्पसेटों और प्रकाश व्यवस्था प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। व्यस्ततमकालीन भार की व्यवस्था के लिए यथोचित टैरिफ ढांचा।

23. विद्युत विनियमन, व्यापार और बाजार के क्षेत्र में प्रशिक्षण अवसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना।

24. नवीकरण ऊर्जा और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बल प्रदान करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र इस प्रकार के ऊर्जा स्रोतों से राज्य विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिशत में विद्युत खरीदी जाए।

25. छह माह के भीतर उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए लोकपाल (अम्बडसमैन) की नियुक्ति और आवश्यक विनियमन।

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां

5143. श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री कैलाश मेघवाल :
क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) द्वारा अशोध्य ऋण को इक्विटी में बदलने में सामने आ रही कानूनी बाधाओं को दूर करने पर विचार कर रही है, जैसा कि दिनांक 28 मार्च, 2007 के "इकोनॉमिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) द्वारा दुरुपयोग किए जाने के खिलाफ रक्षोपायों पर विचार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रहती है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में गांवों का विद्युतीकरण

5144. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में सभी गांवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो द्वीपसमूह में कितने गांवों का अभी भी विद्युतीकरण नहीं हुआ है; और

(ग) इन सभी गांवों का विद्युतीकरण कब तक किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बसे हुए 501 गांवों में से 325 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा 176 गांव विद्युतीकरण हेतु शेष बचे हैं। इनमें से 89 गांवों में विद्युतीकरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये या तो बसावट वाले गांव नहीं हैं या अधिक्रमित वनीय क्षेत्र हैं।

निकोबार जिले के 72 गांव दिसंबर, 2004 में आए सुनामी में बह गए। इन गांवों की आबादी अस्थायी आश्रय-स्थलों में रह रही है जो पूरी तरह से विद्युतीकृत हैं।

टीआरपी के अंतर्गत 70 स्थानों पर स्थायी घर निर्माणाधीन हैं और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन तथा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विद्युत आपूर्ति प्रणाली की पुनःबहाली के बाद इनके जून, 2009 तक विद्युतीकृत किए जाने की आशा है।

शेष 15 गांव विद्युतीकृत किए जाने हैं। इन सुदूर/पृथक गांवों का वर्ष 2007-08 तक सोलर फोटो वोल्टेयिक होम लाइटिंग सिस्टम द्वारा विद्युतीकरण किया जाना तय है।

[हिन्दी]

दिल्ली मास्टर प्लान 2021

5145. श्री रविन्द्र कुमार राणा : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में संशोधन के लिए विभिन्न पक्षों से सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) दिनांक 7.2.2007 को दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी)-2021 की अधिसूचना जारी होने के बाद भी जनता/कुछ एसोसिएशनों आदि से सुझाव प्राप्त हुए हैं। दिल्ली मास्टर प्लान-2021 एक व्यापक दस्तावेज है जिसे विस्तृत विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है और इसमें वर्ष 2021 के परिप्रेक्ष्य में भावी स्थिति और नीतिगत दिशानिर्देशों पर विचार किया गया है। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में समाज की बदलती हुई जरूरतों के साथ तालमेल बिठाने के लिए प्रत्येक पांच वर्ष के बाद इसकी पुनरीक्षा का प्रावधान है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि प्राप्त सुझावों की दिल्ली विकास अधिनियम 1957 के प्रावधानों के अनुसार जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

हिमनदों का पिघलना और समुद्री स्तर का बढ़ना

5146. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :
क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बेल्जियम में हिमालयी हिमनदों के पिघलने के संबंध में कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत के वैज्ञानिकों ने इसमें भाग लिया था;

(ग) यदि हां, तो अपनाई गई नीति और कार्यनीति का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार ने हिमनदों के पिघलने के संबंध में कोई अध्ययन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां। अन्तर सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल के कार्य समूह II की एक बैठक 2–5 अप्रैल, 2007 के दौरान बेल्जियम में हुई थी। समूह ने हिमालय के हिमनदों सहित विश्व के हिमनदों के पिघलने के मुद्दे पर चर्चा की।

(ख) जी, हां। इस बैठक में विभिन्न संगठनों (पर्यावरण और वन मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय उष्णदेशीय मौसम–विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान–दिल्ली, ऊर्जा एवं अनुसंधान संस्थान) के वैज्ञानिकों के समूह ने भाग लिया।

(ग) समूह ने विश्व भर में कम होते हिमनदों पर चिंता व्यक्त की और इस ओर पूरा ध्यान देने पर बल दिया।

(घ) से (च) सरकार ने हिमालय के हिमनदों हिमनद पर्यावरण, भौतिक लक्षणों और पुरा–जलवायु विज्ञान को मॉनीटर करने के लिए हिमालय हिमनद–विज्ञान कार्यक्रम शुरू किया है। अलकनंदा क्षेत्र में गंगोत्री हिमनद प्रणाली, सेटोपंथ और भारतीय खड़क, दुरुंग द्रुग हिमनद, झांस्कर, लद्दाख और नराडू हिमनद घाटी क्षेत्र को अनुसंधान परियोजनाओं के तहत मॉनीटर किया जा रहा है और इनका अध्ययन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में विद्युत परियोजना की स्थापना

5147. श्री कृष्णा मुरारी मोघे : क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में केन्द्रीय सहायता से विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनकी कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश के जिला बेतूल के कसई गांव में 10 किलोवाट के दो बायोमास गैसीफायर आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं। 73 परिवारों को सर्विस कनैक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 9 सड़क रोशनियां संस्थापित की गई हैं और इस गांव में एक आटा चक्की लगाई गई है। ये विद्युत संयंत्र ग्राम ऊर्जा सुरक्षा पर एक परीक्षण परियोजना के भाग के रूप में स्थापित किए गए हैं जिन्हें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से वित्तीय सहायता के साथ राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा आरंभ किया गया है।

(ग) यह परियोजना अक्तूबर, 2005 में कमीशन की गई थी।

[अनुवाद]

निजी बैंकों द्वारा पासबुकें जारी किया जाना

5148. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह आया है कि कुछेक निजी क्षेत्र के बैंक अपने ग्राहकों को पास बुक उपलब्ध नहीं कराते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बैंकों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने वरिष्ठ नागरिक संघों सहित कुछ ग्राहकों से कई बैंकों द्वारा अपने बचत बैंक खाता धारकों को पास बुक जारी न किए जाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त होने पर 4 अक्टूबर, 2006 के अपने मार्ग निर्देशों द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से कहा है कि अपने सभी बचत बैंक खाता धारकों (अलग–अलग व्यक्तियों) को अपरिहार्य रूप से पास बुक सुविधा प्रदान करें। यदि बैंक, खाते का विवरण भेजने की सुविधा देने का प्रस्ताव देता है और ग्राहक यह विवरण लेने का विकल्प देता है तो उस मामले में बैंक को खाते का मासिक विवरण अवश्य जारी करना चाहिए। बैंकों से यह भी कहा गया है कि ऐसी पास बुक या विवरण प्रदान करने की लागत ग्राहकों से वसूल न करें।

इस तथ्य को देखते हुए कि अधिकांश बैंक कोर बैंकिंग की सुविधा दे रहे हैं, जिसमें ग्राहकों को एटीएम, फोन बैंकिंग, नेट बैंकिंग आदि के जरिए 24 घंटे सेवाओं की सुविधा उपलब्ध है, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया है कि उपर्युक्त अनुदेशों की समीक्षा करें। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 अक्टूबर, 2006 को जारी अनुदेशों को संशोधित न करने का निर्णय लिया है।

यदि किसी मामले में मौजूदा मार्ग–निर्देशों का उल्लंघन करने की जानकारी मिलती है तो भारतीय रिजर्व बैंक, संबंधित बैंक (बैंकों) के विरुद्ध उपयुक्त विनियामक कार्रवाई करता है।

अनुसंधानकर्ताओं को वित्तीय सहायता

5149. श्री अबु अयीश मंडल : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विश्वविद्यालयों और संगठनों के अनुसंधान-कर्ताओं को वित्तीय अनुदान उपलब्ध कराती रही है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान स्वीकृत अनुदानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ग) जी, हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन का विकास और संपोषण सरकार की कार्यसूची में हमेशा शीर्ष पर रहा है। शोधकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए अनेक स्कीमें, जैसे युवा वैज्ञानिक/महिला वैज्ञानिक अध्येतावृत्ति; कार्यशील वैज्ञानिकों के लिए स्वर्णजयंती अध्येतावृत्तियां और जे.सी. बोस एवं रामानुजम अध्येतावृत्तियां, कनिष्ठ/वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां, अनुसंधान एसोसिएटशिप आदि प्रारंभ की गई हैं। सरकर ने विगत दो वर्षों में लगभग 380 करोड़ रु. मंजूर किए हैं। अनुसंधान निवेश से अति प्रभावशाली पत्रिकाओं में प्रकाशनों, पेटेंटों, मानव संसाधन विकास आदि सहित अनेक प्रभावी परिणाम प्राप्त हुए हैं। यह सहायता देश के भीतर प्रतिभा को सुदृढ़ करना और इसका प्रतिधारण करना सुनिश्चित करती है।

[हिन्दी]

आयकर प्रतिदाय बैंकर योजना

5150. श्री पंकज चौधरी :
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और पटना में शुरू की गई आयकर प्रतिदाय बैंकर योजना संबंधी प्रायोगिक परियोजना सफलतापूर्वक पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश के अन्य हिस्सों में इस योजना का विस्तार करने पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रतिदाय बैंकर स्कीम की प्रायोगिक परियोजना को 31 दिसंबर, 2007 तक मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई तथा बंगलौर तक विस्तारित किए जाने की संभावना है। आयकर विभाग इस स्कीम का विस्तार कैलेण्डर वर्ष 2008 में अन्य क्षेत्रों तक करेगा।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों से अर्जित राजस्व

5151. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाए गए करों से अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान करों की दर में कटौती की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ब्यौरा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क व उत्पाद शुल्क के रूप में एकत्रित किया गया राजस्व निम्न प्रकार था :-

वर्ष 2005-06 : रुपये 50979 करोड़

वर्ष 2006-07 : रुपये 57096 करोड़ (अनंतिम)

(ख) जी हां।

(ग) वर्ष 2005 के बजट के बाद से पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क की सामान्य दरों में की गई कटौती के विवरण निम्न प्रकार हैं -

(क) 01, मार्च, 2005 से प्रभावी :-

	पूर्व दर	घटी हुई दर
सीमा शुल्क		
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) के लिए मिट्टी का तेल	5%	शून्य
एल पी जी (घरेलू)	5%	शून्य
पेट्रोल व डीजल	15%	10%
अन्य उत्पाद	20%	10%
उत्पाद शुल्क		
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) के लिए मिट्टी का तेल	12%	शून्य
एल पी जी (घरेलू)	8%	शून्य

(ख) 14 जून, 2006 से पेट्रोल तथा डीजल पर मूल सीमा शुल्क 10% से घटाकर 7.5% कर दिया गया।

(ग) 01 मार्च, 2007 से पेट्रोल तथा डीजल पर उत्पाद शुल्क का मूल्यानुसार संघटक 8% से घटाकर 6% कर दिया गया।

ग्रामीण विकास हेतु विभिन्न एजेंसियों में समन्वय

5152. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास में तेजी लाने हेतु विभिन्न एजेंसियों से समन्वय करने के लिए विभिन्न कार्य–नीतियां अपनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार किन समस्याओं का सामना कर रही है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से अपने कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है तथा उनकी निगरानी करता है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/जिला परिषदें उपलब्ध संसाधनों तथा जिले की आवश्यकता के अनुसार कार्य योजना तैयार करने में जिला स्तर पर विभिन्न लाइन विभागों के साथ समन्वय करती हैं तथा कार्यक्रम दिशानिर्देशों में निर्धारित विभिन्न मौजूदा निगरानी तंत्रों के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करती है। कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली आम समस्याएं मुख्यतः परियोजनाओं की सूची तैयार करने में विलम्ब, विभिन्न स्तरों पर कार्मिकों की कमी, जिलों की भौगोलिक स्थिति तथा कुछेक राज्यों द्वारा मैचिंग अंश की रिलीज में विलम्ब इत्यादि हैं।

सरकारी क्वार्टरों का रख-रखाव

5153. श्री रघुनाथ झा : क्या **शहरी विकास मंत्री** सरकारी क्वार्टरों का रख–रखाव के बारे में 24 नवंबर, 2006 के अतारांकित प्रश्न सं. 474 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे क्वार्टरों की संख्या कितनी है जोकि दिसंबर 2006 से मार्च 2007 तक खाली पड़े थे परंतु उनका उन्नयन नहीं किया गया तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) कितने क्वार्टर उन्नयन किए बिना आबंटित किए गए हैं;

(ग) क्या कब्जा लेने के बाद इन क्वार्टरों का उन्नयन नहीं किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्वार्टरों के खाली रहने की अवधि के दौरान इनका उन्नयन नहीं करने पर सी पी डब्ल्यू डी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता

5154. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से दिल्ली में कितने व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या इन व्यक्तियों को वैकल्पिक स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2003–04, 2004–05 और 2005–06 के दौरान दिल्ली में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के तहत संवितरित ऋण के मामलों की संख्या निम्नानुसार है :–

2003–04	2004–05	2005–06
175	156	243

(ख) और (ग) आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, जो एसजेएसआरवाई का नोडल मंत्रालय है, को संभवतः ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

विद्युत उत्पादन

5155. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अगले पांच वर्षों के दौरान 70,000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु योजना तैयार की गई है जैसाकि 24 अप्रैल, 2007 को "द हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) 11वीं योजना के दौरान कुल 78,577 मे.वा. की उत्पादन परियोजनाओं के विकास का प्रस्ताव है। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

क्षेत्र	हाइड्रो	थर्मल	न्यूक्लियर	योग
केन्द्रीय	9685	26800	3380	39865
राज्य	3605	24347	0	27952
निजी	3263	7497	0	10760
योग	16553	58644	3380	78577

प्रस्तावित क्षमता संवृद्धि में से कुल 47,225 मे.वा. की परियोजनाएं पहले से ही निष्पादनाधीन है।

कृषि क्षेत्र को नाबार्ड से सहायता

5156. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वर्ष 2006–07 के दौरान प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) वर्ष 2006–07 के दौरान कृषि क्षेत्र हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ऋण का क्या प्रतिशत निर्धारित तथा प्राप्त किया गया;

(ग) क्या नाबार्ड को अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों से प्राथमिकता वाले क्षेत्र/कृषि ऋण में कमी के कारण ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के लिए अंशदान प्राप्त नहीं हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक की नीति में समायोजन निवल बैंक ऋण या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को उधार हेतु पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार बैंक बकाए के तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर की राशि के बराबर ऋण के 40% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस समग्र लक्ष्य के अधीन कृषि के उद्देश्यों के लिए 18% का उप–लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 18% के उप–लक्ष्य की तुलना में सरकारी और गैर–सरकारी क्षेत्र के बैंकों की उपलब्धि क्रमशः निवल बैंक ऋण के 15.54% और 11.58% है।

(ग) से (ङ) प्राथमिकता क्षेत्र/कृषि उधार में कमी की मात्रा पर निर्भर करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक आरआईडीएफ के अंतर्गत जमाराशियों के लिए आबंटन करता है। अधिकांश बैंक इस निधि में अंशदान का अनुपालन करते रहते हैं। तथापि, 8 मई 2007 की स्थिति के अनुसार, 4 बैंक नामतः आईडीबीआई बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक, लॉर्ड कृष्णा बैंक तथा आईएनजी वैश्य बैंक ने आरआईडीएफ के अंशदान में कमी दर्शायी है। जबकि आईएनजी वैश्य बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक का ध्यान इस तथ्य की और आकर्षित किया है कि आबंटित राशि के अंशदान से विवेकपूर्ण निवेश (एक्सपोजर) मानदण्डों से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों का उल्लंघन होता है। आईडीबीआई लि. ने आरआईडीएफ–XI के अंतगर्त अपने अंशदान के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक में अभ्यावेदन दिया है।

कृषि ऋण

5157. श्री रेवती रमन सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में 27 व्यावसायिक बैंकों द्वारा संवितरित कृषि ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एसोसिएटेड चैम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री ने इस बारे में अपने निष्कर्ष दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) सरकारी क्षेत्र के 27 वाणिज्य बैंकों द्वारा वर्ष 2003–04, 2004–05 और 2005–06 के दौरान संवितरित कृषि ऋण का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

वर्ष	संवितरण (करोड़ रुपए में)
2003–04	42210.77
2004–05	65217.72
2005–06	94277.79

(ख) और (ग) एसोसिएटेड चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने देश के 21 राज्यों को शामिल करते हुए अध्ययन किया था और सुझाव दिया था कि कृषि के लिए ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं :

– संस्थागत ऋण की कवरेज बढ़ाने के लिए प्रयास करना।

– वाणिज्य बैंकों द्वारा चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक ग्रामीण एवं अर्ध–शहरी शाखा में औसतन न्यूनतम 100 नए किसानों को शामिल करने का प्रयास।

– वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक ग्रामीण और अर्ध–शहरी शाखा द्वारा औसतन कम से कम दो से तीन तक नई निवेश परियोजनाओं को लेना।

– प्रत्येक जिले में, चालू वर्ष के दौरान सभी वाणिज्य बैंकों द्वारा सामूहिक रूप से औसतन 10 कृषि क्लिनिकों को वित्तपोषित किया जाना।

सरकार ने कृषि के लिए ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पहले ही कई उपाय किए हैं। सरकार ने कृषि के लिए ऋण की उपलब्धता तीन वर्ष के भीतर दुगुना करने हेतु 18 जून, 2004 को पैकेज की घोषणा की थी, जिसे दो वर्ष में ही प्राप्त कर लिया गया है। वर्ष 2005–06 के दौरान कृषि के लिए ऋण की उपलब्धता 1,80,486 करोड़ रुपए है, जबकि वर्ष 2003–04 के दौरान यह राशि 86,931 करोड़ रुपए थी।

सरकारी एवं गैर–सरकारी क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा (फरवरी, 2007 तक) कुल लगभग 64.78 लाख नए किसानों को वित्त पोषित किया गया है।

[हिन्दी]

एनआरईजीएस के अंतर्गत धनराशि के उपयोग खाते को प्रस्तुत करना

5158. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के अंतर्गत सरकार की जानकारी में योजना के आरंभ से अब तक ग्राम पंचायतों को आबंटित धनराशि के उपयोग खाते को प्रस्तुत न कराने से संबंधित मामलों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा विशेषकर राजस्थान राज्य के संदर्भ में ऐसे प्रत्येक मामले पर क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 (एनआरईजीए) के अंतर्गत जिले से प्रस्ताव प्राप्त होने पर निधियां रिलीज की जाती हैं और विगत वित्तीय वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान उपयोग की गई निधियों का उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर नियमित किस्त रिलीज की जाती है। इस संबंध में मंत्रालय के सामने अभी तक कोई समस्या नहीं आई है।

[अनुवाद]

सहकारी समितियों के कार्यकारण में सुधार

5159. श्री एस.के. खारवेन्थन : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सहकारी समितियों विशेषकर सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के कार्यकरण में सुधार लाने का कोई प्रस्ताव है ताकि बिल्डर/कॉलोनाइजर लोगों का शोषण न कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा लोगों को उचित मूल्य पर फ्लैट उपलब्ध कराने तथा इस संबंध में आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पेट्रोलियम उत्पादों पर उपकर

5160. श्री अधीर चौधरी :
श्री निखिल कुमार :
श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाई गई उपकर की वर्तमान दर क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक तेल कंपनी द्वारा पेट्रोल और डीजल के उपकर की कितनी राशि जमा की गई;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यों को प्राप्तियों से कितना आबंटन किया गया;

(घ) क्या पेट्रोल और डीजल के उपकर की दर में परिवर्तन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) पेट्रोलियम उत्पादों पर उपकर की वर्तमान दर निम्नानुसार है :

पेट्रोल	2 रुपये प्रति लीटर
डीजल	2 रुपये प्रति लीटर
कच्चा तेल	2500 रुपये प्रति टन

(ख) वैयक्तिक कम्पनियों द्वारा भुगतान किए गए पेट्रोलियम उत्पादों पर उपकर के ब्यौरे नहीं रखे जाते।

(ग) केवल केन्द्रीय करों के प्रतिफल विभाजय योग्य पूल का गठन करते हैं। पेट्रोल और डीजल पर उपकर इस पूल का भाग नहीं है।

(घ) और (ङ) वर्तमान में पेट्रोल और डीजल पर उपकर की दर में किसी परिवर्तन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

आर्थिक अपराध

5161. श्री एम. अंजनकुमार यादव :
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या वित्त मंत्री आर्थिक अपराध के बारे में 24 नवम्बर, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 617 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सूचना कुछ राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों से अभी प्राप्त होनी है।

[अनुवाद]

वायदा बाजार में अनिवासी भारतीयों द्वारा ट्रेडिंग

5162. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्रीमती निवेदिता माने :
क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक को फारवर्ड मार्किट कमीशन से वायदा कारोबार हेतु अनिवासी भारतीयों को अनुमति देने के बारे में सुझाव प्रपप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) देश के कमोडिटी बाजारों में इससे कारोबार में कितनी वृद्धि होगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां। अनिवासी भारतीयों को फॉरवर्ड मार्केट कमीशन द्वारा अनुमोदित एक्सचेंज व्यापार व्युत्पन्न करार (ई.टी.डी.सी.) में निवेश करने की अनुमति देने के संदर्भ में, आरबीआई के फरवरी 2007 में वायद बाजार आयोग से एक संदर्भ प्राप्त हुआ है।

आईबीआई ने सूचित किया है कि फिलहाल, अनिवासी भारतीयों को एक्सचेंज व्यापार व्युत्पन्न (ई.टी.डी.) में इक्विटी में व्यापार करने की अनुमति है, परन्तु पण्य व्युत्पन्नों में निवेश के लिए आरबीआई की विशिष्ट अनुमति आवश्यक होगी।

(ख) और (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध जानकारी सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राज्यों को ऋण/अनुदान

5163. श्री महावीर भगोरा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य को ऋण/अनुदान आदि के रूप में कितनी वित्तीय सहायता अलग-अलग जारी की गई;

(ख) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु इस प्रकार की सहायता के प्रावधान की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) राज्य सरकारों को राज्य योजना स्कीमों के तहत दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रत्येक राज्य की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देते समय राज्यों को दी जाने वाली प्रक्षेपित केन्द्रीय सहायता का निर्धारण किया जाएगा। राज्यों को ग्यारहवीं योजना को अंतिम रूप दिए जाने के लिए योजना आयोग द्वारा समय-सारिणी तैयार नहीं की गई है।

विवरण

राज्य सरकारों को राज्य योजना स्कीमों के तहत वर्ष 2002-03 से 2006-07 के दौरान जारी की गई केन्द्रीय सहायता

(रुपए करोड़ में)

		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
		ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	2368.83	1122.90	3107.79	2293.64	1828.08	1219.8250	506.89	1283.26	309.49	2165.83
2.	अरूणाचल प्रदेश	71.01	533.62	98.19	606.78	65.71	608.69	0.70	667.65	0.51	823.42
3.	असम	242.21	1533.24	288.58	1902.84	228.26	2187.82	47.91	2335.62	9.10	2390.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	बिहार	1247.19	587.79	1158.71	966.86	1290.89	1210.96	0.00	1424.12	0.46	2167.83
5.	छत्तीसगढ़	420.14	155.35	434.93	227.68	433.26	333.13	23.34	316.26	45.90	534.56
6.	गोवा	59.35	34.52	60.95	31.08	82.42	57.68	0.00	28.56	1.59	37.57
7.	गुजरात	2133.57	801.20	2160.51	818.03	1778.69	719.40	686.19	1111.48	290.05	989.05
8.	हरियाणा	310.70	172.54	327.65	281.31	273.29	187.00	24.18	140.59	11.38	252.53
9.	हिमाचल प्रदेश	137.29	1157.98	158.85	1291.62	128.83	1203.87	24.08	1171.86	18.69	1390.20
10.	जम्मू और कश्मीर	251.64	2053.53	314.75	2747.22	314.60	2948.24	3.75	2964.83	4.30	3894.87
11.	झारखण्ड	399.44	157.64	469.15	238.52	508.32	410.07	1.44	395.99	8.70	329.75
12.	कर्नाटक	1497.25	476.55	1442.90	661.46	1531.45	761.21	658.79	796.99	643.38	1106.40
13.	केरल	997.03	462.45	652.89	346.00	1122.38	599.67	240.42	437.90	202.10	574.22
14.	मध्य प्रदेश	1434.23	592.41	1714.12	586.60	1616.56	1053.9728	287.11	963.08	426.37	1384.86
15.	महाराष्ट्र	1047.25	644.76	1068.74	542.69	1454.13	935.93	469.54	981.92	342.72	2301.06
16.	मणिपुर	76.01	491.67	75.60	515.73	77.86	706.29	0.29	838.19	1.55	909.41
17.	मेघालय	67.94	340.65	75.27	408.72	45.43	425.98	1.48	406.21	1.01	515.38
18.	मिजोरम	49.65	457.73	71.00	569.15	58.70	543.76	5.20	495.40	2.34	551.48
19.	नागालैण्ड	48.27	405.74	59.47	467.69	56.14	520.50	0.58	542.22	0.65	637.13
20.	उड़ीसा	1064.89	841.60	1137.01	714.42	1409.79	1188.24	−15.88	922.98	732.92	1069.07
21.	पंजाब	399.69	184.74	387.76	216.47	342.44	172.50	22.19	284.46	18.19	327.44
22.	राजस्थान	905.21	458.00	1623.68	828.46	1453.92	896.16	365.93	698.44	324.69	890.36
23.	सिक्किम	29.06	261.77	37.68	339.46	38.81	372.05	0.71	308.31	0.77	336.88
24.	तमिलनाडु	878.24	484.12	1008.23	615.21	1024.66	719.13	437.97	584.54	314.06	1268.93
25.	त्रिपुरा	74.32	574.08	79.39	623.32	79.68	754.23	0.34	686.05	0.43	832.81
26.	उत्तर प्रदेश	3068.20	1228.58	3058.70	1331.61	2820.52	1784.9329	297.88	1774.09	369.26	2323.40
27.	उत्तराखण्ड	245.15	1359.67	233.72	1254.42	138.79	1300.49	3.48	935.69	4.80	1218.71
28.	पश्चिम बंगाल	1476.27	709.12	1358.05	785.49	1631.95	1200.1257	578.96	1469.64	614.59	1614.17
	कुल	21000.03	18283.95	22664.27	22212.48	21835.56	25021.84	4673.47	24966.33	4700.00	32837.69

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लक्ष्य

5164. श्री मनोरंजन भक्त :

श्री जी. करूणाकर रेड्डी :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही के आकलन के अनुसार देश में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की कितनी कमी है;

(ख) सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना के माध्यम से पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में ग्रामीण आवास को बढ़ावा देने के लिए राज्य–वार संघ राज्य क्षेत्र–वार कितना वार्षिक आबंटन किया गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा राज्य–वार और संघ राज्य क्षेत्र–वार कितने मकानों का निर्माण किया गया;

(घ) निर्धारित समय–सीमा के भीतर लक्ष्य प्राप्त न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा मकानों की कमी, यदि हो तो, को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) भारत के महापंजीयक के कार्यालय द्वारा 2001 की जनगणना के आधार पर किए गए आकलन के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 1.4.2001 की स्थिति के अनुसार 148.33 लाख आवासों की कमी थी। राज्य–वार आवासीय कमी को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण–I में दिया गया है।

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राज्य–वार संघ राज्य क्षेत्रवार किए गए केन्द्रीय आबंटन, निर्धारित लक्ष्य और बनाए गए मकानों को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है।

(घ) आईएवाई के अंतर्गत लगभग शत–प्रतिशत लक्ष्य हासिल किए जा रहे हैं।

(ङ) सरकार उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से ग्रामीण क्षेत्रों में यथाशीघ्र आश्रयहीनता को समाप्त करने का प्रयत्न कर रही है। 'भारत निर्माण' के अंतर्गत, वर्ष 2005–06 से 2008–09 तक, 4 वर्ष की अवधि के दौरान 60 लाख मकान बनाए जाने का विचार किया गया है।

विवरण-I

2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य–वार आवासीय कमी

(ईकाई सं. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय कमी
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1350282
2.	अरूणाचल प्रदेश	105728
3.	असम	2241230
4.	बिहार	4210293
5.	चंडीगढ़	1232
6.	छत्तीसगढ़	115528
7.	दिल्ली	7200
8.	गोवा	6422
9.	गुजरात	674354
10.	हरियाणा	55572
11.	हिमाचल प्रदेश	15928
12.	जम्मू और कश्मीर	92923
13.	झारखण्ड	105867
14.	कर्नाटक	436638
15.	केरल	261347
16.	मध्य प्रदेश	207744
17.	महाराष्ट्र	612441
18.	मणिपुर	69062
19.	मेघालय	148657
20.	मिजोरम	30250
21.	नागालैण्ड	97157
22.	उड़ीसा	655617
23.	पंजाब	75374
24.	राजस्थान	258634
25.	सिक्किम	11944.
26.	तमिलनाडु	431010
27.	त्रिपुरा	174835
28.	उत्तर प्रदेश	1324028
29.	उत्तरांचल	53521
30.	प. बंगाल	974479
31.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	17890
32.	दादरा और नगर हवेली	1926
33.	दमन व दीव	787
34.	लक्षद्वीप	190
35.	पांडिचेरी	7778
	कुल	14833868

विवरण-II

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2004–05, 2005–06, 2006–07 और 2007–08 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार केन्द्रीय आबंटन, लक्ष्य में रखे गए और निर्मित मकानों की सं. को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2004–05			2005–06			2006–07			2007–08	
		केन्द्रीय	आवासों की सं.		केन्द्रीय	आवासों की सं.		केन्द्रीय	आवासों की सं.		केन्द्रीय	लक्ष्य में रखे गए
		आबंटन	लक्ष्य	निर्मित	आबंटन	लक्ष्य	निर्मित	आबंटन	लक्ष्य	निर्मित #	आबंटन	मकानों की सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	17981.83	115083	126039	24399.42	130130	132521	25939.14	138342	146403	36027.75	192148
2.	अरूणाचल प्रदेश	825.98	4966	4162	949.43	4603	5327	1018.68	4939	3526	1395.30	2765
3.	असम	18584.99	111735	129495	20994.23	101790	104353	22525.46	109214	125441	30853.66	149593
4.	बिहार	48846.34	312617	252026	72020.72	384111	331651	76565.57	408350	348693	106344.49	567171
5.	छत्तीसगढ़	3074.96	19680	20134	3773.17	20124	26578	4011.28	21393	20818	5571.39	29714
6.	गोवा	116.18	744	428	150.28	801	615	159.77	852	1115	221.90	1183
7.	गुजरात	5167.82	33074	33654	11966.03	63819	65602	12721.14	67846	65195	17668.82	94234
8.	हरियाणा	1747.40	11184	8845	1680.04	8960	9743	1786.06	9526	10375	2480.72	13231
9.	हिमाचल प्रदेश	773.06	4648	4749	592.56	2673	3031	629.95	3054	3317	874.96	4242
10.	जम्मू और कश्मीर	924.74	5560	7252	1840.52	8924	8231	1956.67	9487	7527	2717.68	13177
11.	झारखण्ड	14351.50	91850	66081	6423.93	34261	75403	6829.31	36423	57246	9485.46	50589
12.	कर्नाटक	9301.41	59529	50707	9400.43	50136	56944	9993.64	53299	49088	13880.51	74029
13.	केरल	5763.87	36889	39831	5227.51	27880	36413	5557.39	29639	30817	7718.85	41167
14.	मध्य प्रदेश	10730.71	68676	75365	7504.14	40022	59420	7977.69	42548	54531	11080.48	59096
15.	महाराष्ट्र	16503.47	105622	105449	14714.56	78478	94274	15643.12	83430	67625	21727.25	115879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	मणिपुर	984.83	5921	5820	824.15	3996	4962	884.26	4287	3460	1211.19	5872
17.	मेघालय	1308.47	7866	4665	1435.38	6959	6678	1540.07	7467	1475	2109.47	10228
18.	मिजोरम	314.12	1888	2052	305.89	1483	2182	328.20	1591	2178	449.55	2180
19.	नागालैण्ड	844.67	5078	5099	949.84	4605	7949	1019.11	4941	6321	1395.90	6768
20.	उड़ीसा	14476.04	92646	89891	14149.75	75465	87070	15042.66	80228	81345	20893.26	111431
21.	पंजाब	1157.56	7408	4460	2077.71	11081	7868	2208.83	11780	8250	3067.91	16362
22.	राजस्थान	4876.10	31207	31070	6013.11	32070	38471	6392.56	34094	33397	8878.84	47354
23.	सिक्किम	226.45	1361	1584	181.66	881	1296	194.91	945	1554	266.97	1294
24.	तमिलनाडु	9030.00	57792	58687	9768.97	52101	66434	10385.44	55389	16760	14424.69	76932
25.	त्रिपुरा	1910.49	11486	12132	1849.42	8967	11902	1984.31	9621	10612	2717.96	13178
26.	उत्तर प्रदेश	32923.88	210713	199096	32348.75	172527	185541	34390.12	183414	171003	47765.59	254750
27.	उत्तरांचल	3419.68	20559	26376	1621.77	7863	21722	1724.11	8359	17239	2394.68	11611
28.	प. बंगाल	19407.12	124206	155598	19518.40	104098	99259	20750.10	110667	28820.51	128838	153709
29.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	218.73	1050	337	309.46	1238	90	328.99	1316	62	456.94	1828
30.	दादर नगर हवेली	114.78	551	108	51.56	206	101	54.82	219	69	76.13	305
31.	दमन व दीव	47.51	228	9	23.07	92	6	24.52	98	1	34.06	136
32.	लक्षद्वीप	3.72	18	16	20.00	80	48	21.26	85	88	29.54	118
33.	पांडिचेरी	108.59	521	88	154.14	617	238	163.86	655	261	227.59	910
	कुल	246067.00	1562356	1521305	273240.00	1441241	1551923	290753.00	1533498	1474630	403270.00	2127184

राज्यों से अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार।

देश में सीएसआईआर की प्रयोगशालाएं

5165. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :
श्री पी.एस. गढ़वी :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की राज्य-वार कुल कितनी प्रयोगशालाएं हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक संख्या में प्रयोगशालाओं की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) देश में सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं की कुल संख्या 37 है। राज्यवार वितरण निम्नवत है :

राज्य का नाम	प्रयोगशाला का नाम
1	2
आंध्र प्रदेश	1. कोशिकीय एवं आणविक जीवविज्ञान केन्द्र
	2. भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान
	3. राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान
असम	1. उत्तर-पूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान
गोवा	1. राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान
गुजरात	1. केन्द्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान
हिमाचल प्रदेश	1. हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान
झारखंड	1. केन्द्रीय खनन तथा ईंधन अनुसंधान संस्थान
	2. राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला
जम्मू एवं कश्मीर	1. भारतीय समवेत औषध संस्थान
कर्नाटक	1. केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान
	2. राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं
केरल	1. राष्ट्रीय अंतर्विषयी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान
मध्य प्रदेश	1. उन्नत पदार्थ तथा प्रसंस्करण अनुसंधान संस्थान
महाराष्ट्र	1. राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला
	2. राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
उड़ीसा	1. खनिज तथा पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान
राजस्थान	1. केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
तमिलनाडु	1. केन्द्रीय विद्युतरसायन अनुसंधान संस्थान
	2. केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान
	3. संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केन्द्र
संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली	1. राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला
	2. केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान
	3. जीनोमिकी और समवेत जीव विज्ञान संस्थान
	4. राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान
	5. राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान
संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	1. केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन
	2. सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान
उत्तराखंड	1. केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान
	2. भारतीय पेट्रोलियम संस्थान
उत्तर प्रदेश	1. केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान
	2. केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान
	3. औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र
	4. राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान
पश्चिम बंगाल	1. केन्द्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान
	2. केन्द्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
	3. भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान

(ख) और (ग) जी हां। सीएसआईआर का ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में हैदराबाद में इन्स्टिट्यूट ऑव ट्रांस्लेशन रिसर्च की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

राज्यों को विद्युत का संवितरण

5166. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों ने विद्युत उत्पादन पर शुल्क लगाने की मांग की है ताकि कोयला का उत्पादन करने वाले राज्यों को समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या इन राज्यों ने अपने-अपने राज्यों में वेरिएबल कॉस्ट प्लस फार्मूला बाउंड इंसेंटिव्स के आधार पर उत्पादित की गई विद्युत के समुचित हिस्से के आबंटन की मांग करते हुए कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों ने दिनांक 27.12.2006 को एक संयुक्त ज्ञापन में प्रधानमंत्री से कानून बनाने का अनुरोध किया जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नवत प्रावधान किए जाएं

(i) संबंधित राज्य सरकार द्वारा विद्युत के उत्पादन पर शुल्क की वसूली

(ii) मेजबान राज्य को परिवर्तनीय दरों पर उत्पादित विद्युत के उपयुक्त भाग का आबंटन (तथा फार्मूलाबद्ध प्रोत्साहन)।

(ग) और (घ) मांग में बड़ी विवक्षाएं जिनका प्रभाव देश के लगभग सभी राज्यों पर पड़ेगा। इस विषय पर आम सहमति विकसित करने के लिए विभिन्न स्टेक होल्डरों के साथ विचार विमर्श किया जाना अपेक्षित है हाल ही में जो 23-24 अप्रैल, 2007 को राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों/विद्युत सचिवों के आयोजित सम्मेलन में शुरू हो गया है।

राजसहायताओं की धनराशि

5167. डा. टोकचोम मैन्या : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2006-07 के दौरान राजसहायताओं पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) क्या भारत राजसहायताओं पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 14 से 15 प्रतिशत खर्च कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राजसहायता को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं तथा कुछ देशों की ओर से राजसहायता में कमी करने के लिए दबाव डाला जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) वर्ष 2006-07 (संशोधित अनुमान) में राजसहायताओं पर खर्च की गई धनराशि 53,463 करोड़ रुपये है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। वर्ष 2006-07 (संशोधित अनुमान) में राजसहायता चालू मूल्यों की उपादान लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) का लगभग 1.45% है।

(घ) राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान की सहायता से वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की गई "भारत में केन्द्र सरकार की सब्सिडी" नामक रिपोर्ट के आधार पर सरकार का विभिन्न हित धारकों के साथ विचार विमर्श और परामर्श के आधार पर वैकल्पिक प्रस्तावों के संभावित प्रभाव के सुविचारित मूल्यांकन के पश्चात राजसहायताओं को लक्षित करने की नीति तैयार करने का प्रस्ताव है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

पीएमजीएसवाई के लिए विश्व बैंक सहायता

5168. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक चरण-तीन परियोजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए कुछेक राज्यों को दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस 'योजना' के अन्तर्गत अन्य राज्यों को भी शामिल किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चार राज्यों अर्थात् हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को इस ऋण के अंतर्गत कवर किया गया है तथा इन राज्यों को 1129.66 करोड़ रु. रिलीज किए गए हैं।

(ख) और (ग) ग्रामीण सड़क परियोजना–II के लिए, विश्व बैंक से 500 मिलियन अमेरिकी डालर की सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के तहत पांच राज्यों अर्थात् अरूणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मिजोरम तथा उत्तरांचल को कवर करने का प्रस्ताव है।

एशियाई विकास बैंक से ऋण

5169. श्री एल. राजगोपाल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण ऋण ढांचे को सुदृढ़ करने और सहकारी क्षेत्र में सुधार लाने के लिए एशियाई विकास बैंक से 4500 करोड़ रु. प्राप्त करने की प्रक्रिया में है;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश उक्त ऋण से लाभान्वित होने वाले राज्यों में से एक है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा राज्यों के लिए विशेष कार्यक्रम/परियोजनाओं हेतु कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) जी, हां। ग्रामीण ऋण संरचना को सुदृढ़ करने और सहकारी क्षेत्र में सुधार लाने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 1 बिलियन अमरीकी डालर के ऋण पर 11 दिसम्बर, 2006 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह ऋण 21.2.2007 को प्रभावी घोषित किया गया था। आंध्र प्रदेश उन राज्यों में से एक है जिसको उपर्युक्त राशि से लाभ मिलने वाला है। बैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर राज्य सरकारों के साथ हुई चर्चाओं के आधार पर, सरकार ने अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना के पुनरुद्धार के लिए एक पुनरुद्धार पैकेज का अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा आरंभ किए जाने वाले कतिपय विधिक और सांस्थानिक सुधारों के अधीन किया था। पैकेज का कार्यान्वयन करने के इच्छुक राज्यों से केन्द्र सरकार और नाबार्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जाती है। पैकेज के कार्यान्वयन के लिए कोई राज्य विशिष्ट कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

मतदात सूची

5170. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार फर्जी मतदान को रोकने के लिए मतदाता सूचियों में मतदाताओं के फोटो छपवाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) और (ख) भारत निर्वाचन आयोग ने यह संसूचित किया है कि वर्ष 2004 में, केरल और हरियाणा में फोटो निर्वाचक नामावलियों के लिए एक अग्रणी परियोजना आरंभ की गई थी और इसके परिणाम उत्साहवर्धक थे। फोटो निर्वाचक नामावली (मतदाता सूची) में नाम, आयु, लिंग, नातेदार का नाम, मकान संख्या, जिन्हें सामान्यतः निर्वाचक नामावली में बिना फोटो के मुद्रित किया जाता है और निर्वाचक फोटो पहचान पत्र संख्यांक जैसी सभी अन्य विशिष्टियों के अतिरिक्त निर्वाचकों का फोटो भी होता है। 2005, 2006 के पुनरीक्षण तथा 2007 के चालू पुनरीक्षण के पश्चात् फोटो निर्वाचक नामावलियों की वर्तमान प्रास्थिति निम्नानुसार है:–

क. 2007 के पुनरीक्षण के दौरान पूर्ण रूप से सम्मिलित किए जाने वाले/सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्तावित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र:–

(1) हरियाणा (2) हिमाचल प्रदेश, (3) केरल, (4) मध्य प्रदेश, (5) मेघालय, (6) मिजोरम, (7) राजस्थान, (8) तमिलनाडु, (9) त्रिपुरा, (10) चंडीगढ़, (10) लक्षद्वीप और (11) पुडुचेरी

ख 2007 के पुनरीक्षण के दौरान आंशिक रूप से सम्मिलित किए जाने वाले/सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्तावित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र:–

(1) आंध्र प्रदेश – 13 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र; (2) बिहार – 5 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र; (3) गुजरात – 14 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र; (4) झारखंड – 5 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र; (5) कर्नाटक – 5 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र; (6) पंजाब – 1 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र; (7) पश्चिम बंगाल – 141 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।

2. निर्वाचन आयोग का लक्ष्य लोक सभा के आगामी साधारण निर्वाचनों से पूर्व निर्वाचक नामावलियों के 2009 के पुनरीक्षण तक संपूर्ण देश को फोटो निर्वाचक नामावलियों के अंतर्गत लाने के उद्देश्य की पूर्ति करना है।

अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना

5171. श्री रबिन्दर कुमार राणा :
श्री के.एस. राव :
श्री ई.जी. सुगावनम :
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु कितनी धनराशि के निवेश की आवश्यकता है;

(ख) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं को स्थापित करने में सहभागिता के लिए वित्तीय संस्थाओं को आमंत्रित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक चालू किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) प्रत्येक प्रस्तावित अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) के लिए लगभग 15,000–16,000 करोड़ रुपये का कुल निवेश किया जाना अपेक्षित है। इन परियोजनाओं के लिए विकासकर्त्ताओं का चयन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के लिए आवश्यक निधियों की व्यवस्था करना चयनित विकासकर्त्ताओं की जिम्मेदारी है। प्रथम दो यूएमपीपी यथा – गुजरात में मुंद्रा तथा मध्य प्रदेश में सासन की बोली की प्रक्रिया में अन्य के साथ–साथ वित्तीय संस्थान भी अधिक पारदर्शिता लाने में भी लगे हुए थे।

(घ) उपर्युक्त दो अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स में चयनित विकासकर्त्ताओं द्वारा यथा निर्दिष्ट विभिन्न इकाइयों के लिए निर्धारित वाणिज्यिक प्रचालन तिथियां निम्नानुसार हैं:–

	विद्युत खरीद करार के हस्ताक्षर के महीने से	
	सासन यूएमपीपी (660 मे.वा. की प्रत्येक इकाई)	मुंद्रा यूएमपीपी (800 मे.वा. की प्रत्येक इकाई)
यूनिट 1	60	64
यूनिट 2	63	70
यूनिट 3	66	76
यूनिट 4	69	82
यूनिट 5	72	88
यूनिट 6	75	–

[अनुवाद]

आयकर और संपत्ति कर का संग्रहण

5172. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत चार वर्षों के दौरान चार महानगरों में से प्रत्येक महानगर से संग्रहित आय कर और संपत्ति कर का वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितना कर संग्रहित किए जाने का अनुमान है; और

(ग) कर की अनुमानित धनराशि को वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम) : (क) चार महानगरों में से प्रत्येक से आय तथा धन कर वसूली के ब्यौरे निम्नवत हैं:

आयकर (करोड़ में)

महानगर	2004–05	2005–06	2006–07
मुम्बई	42136	52656	74935
दिल्ली	20047	26158	37347
चेन्नई	8307	10716	14843
कोलकाता	5686	7548	11623

धनकर (करोड़ में)

महानगर	2004–05	2005–06	2006–07
मुम्बई	49.48	79.09	90.1
दिल्ली	25.63	36.87	34.84
चेन्नई	13.64	14.37	20.57
कोलकाता	17.75	20.27	20.85.

(ख) वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के अंतर्गत निकासी हेतु प्रबंध

5173. श्री कृष्णा मुरारी मोघे : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गांवों में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएमसी) के अंतर्गत कुओं से बहने वाले संदूषित जल तथा लगाये गए हैंडपंपों और नलों से बहने वाले संदूषित जल की निकासी के लिए कोई प्रबंध किए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्र शेखर साहू) : (क) से (ग) 1.4.2006 से ठोस एवं द्रव अपशिष्ट प्रबंधन को सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के घटक के रूप में शामिल किया गया

है जिसके अंतर्गत अपशिष्ट जल का निपटान किया जा सकता है। इस घटक के लिए कुल परियोजना लागत की 10% तक लागत का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसी पंचायती राज संस्थाएं, जिन्हें निर्मल ग्राम पुरस्कार मिले हैं, अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में निकासी और अपशिष्ट जल के निपटान की सुविधाओं के प्रावधान सहित स्वच्छता सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा उनका रखरखाव करने के लिए पुरस्कार राशि का उपयोग कर सकती है।

[अनुवाद]

समेकित आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम

5174. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान विभिन्न राज्यों से समेकित आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत कोई परियोजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा आईएचएसडीपी के अंतर्गत अब तक कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों को उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

समेकित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)

प्राप्त और अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) की स्थिति

करोड़ रु. में

वर्ष	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	प्राप्त स्थिति		मूल्यांकन की जा रही परियोजनाएं	आधुनिकीकरण के लिए लौटाई गई डीपीआर	अनुमोदित नहीं की गई परियोजनाएं	अनुमोदित परियोजनाएं			पहली किस्त की राशि (केन्द्रीय अंश का 50%)	वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता
		प्राप्त डीपीआर की संख्या	प्रस्तावित परियोजना लागत				परियोजनाओं की संख्या	कुल अनुमोदित लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2005-06	छत्तीसगढ़	17	163.26	17	0	0					
	हरियाणा	16	107.42	16	0	0					
	राजस्थान	29	61.49	26	0	0	3	9.03	7.2222	3.61	0
	उत्तर प्रदेश	51	41.42	51	0	0					
	पश्चिम बंगाल	14	287.76	14	0	0					
31.03.2006	तक विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की स्थिति	127	661.34	124	0	0	3	9.03	7.2222	3.61	0
	आंध्र प्रदेश	60	993.3	33	1	1	25	301.92	210.57	105.28	83.33
	छत्तीसगढ़	27	312.57	5	8	0	14	176.50	122.00	61.00	31.26
	हरियाणा	60	560.25	16	29	0	15	238.84	182.96	91.48	49.61
	कर्नाटक	36	602.92	27	4	0	5	68.46	41.90	20.95	14.93
	मध्य प्रदेश	37	226.74	6	7	1	23	197.16	138.00	69.00	45.77
	महाराष्ट्र	28	280.03	13	0	0	15	152.67	120.71	60.35	55.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	राजस्थान	32	190.32	0	12	0	17	140.96	110.08	55.04	39.26
	उत्तर प्रदेश	53	63.55	0	45	0	8	29.01	22.11	11.05	11.05
2006–07	पश्चिम बंगाल	29	423.98	3	10	0	16	201.20	150.57	75.28	55.08
	जम्मू और कश्मीर	13	52.25	13	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	तमिलनाडु	228	394.68	206	0	0	22	146.05	112.56	56.28	44.53
	नागालैंड	1	87.99	0	0	0	1	87.74	44.14	22.07	9.63
	गुजरात	8	74.70	0	0	0	8	72.07	51.54	25.77	18.00
	केरल	15	63.49	0	0	0	15	65.25	50.10	25.05	21.46
	असम	3	12.24	0	0	0	3	12.24	10.79	5.39	5.09
	बिहार	7	48.82	0	0	0	7	48.81	36.55	18.28	8.96
कुल (31.03.2007 तक)		637	4387.84	322	116	2	194	1937.99	1404.57	702.28	492???

राष्ट्रीय बायो-डीजल संबंधी मिशन

5175. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राष्ट्रीय बायो–डीजल संबंधी मिशन का प्रथम चरण शुरू हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और कितनी उपयोग में लाई गई है;

(ग) क्या द्वितीय चरण हेतु अब तक स्वीकृति नहीं दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) और (ख) जटरोफा की वाणिज्यिक व्यवहार्यता को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय बायो–डीजल मिशन के चरण–I को शुरू करने संबंधी प्रस्ताव पर सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) बायो–ईंधन के विकास संबंधी योजना आयोग की समिति ने राष्ट्रीय बायो–डीजल मिशन के चरण–I के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद चरण–II की सिफारिश की है।

3 डी वीडियो सर्विस डाटाबेस

5176. श्री रनेन बर्मन : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नई दिल्ली में 3 डी वीडियो सर्विलेंस डाटाबेस बनाने का कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है;

(घ) क्या ऐसे कार्यक्रम को अन्य प्रमुख शहरों में भी कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ङ) जी, हां। सरकार द्वारा दिल्ली की सभी सुविधाओं एवं भवनों के लिए एक विस्तृत डाटा बेस, 3–डी जी आई एस का सृजन करने हेतु कार्रवाई शुरू की गई है जिसे वीडियो कैमरों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। इस परियोजना में दिल्ली में चांदनी चौक क्षेत्र में निष्पादित प्रायोगिक (पाइलट) परियोजना की रूप–रेखा पर फोटोग्रामिट्रिक तकनीक का प्रयोग करते हुए और इस आधार मानचित्र पर 3–डी जी आई एस का निर्माण करते हुए पूरी दिल्ली के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किए जाने वाला वृहत् स्तरीय मानचित्रण शामिल है। इस विस्तृत 3–डी जी आई एस द्वारा –

दिल्ली के लिए विश्वसनीय एवं अद्यतन आंकड़ा सुधार (डाटा – बेस) उपलब्ध कराया जाएगा जो इस शहर के तंग और भीड़–भाड़ वाले क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए एक उपयोगी साधन साबित होगा;

जमीन के भीतर सभी सुविधाओं की मरम्मत को सुगमीकृत किया जाएगा क्योंकि इस परियोजना में जमीन के ऊपर तथा इसके अंदर (अंडरग्राउण्ड) की सुविधाओं का विस्तृत मानचित्रण विचारित है।

नगर निगम प्राधिकारियों द्वारा बेहतर कर वसूली, अतिक्रमण का प्रभावपूर्ण मानीटरन, यातायात का बेहतर प्रबंधन और किसी आपदा के समय राहत कार्यों में प्रभावपूर्ण समन्वयन और मानीटरन इस परियोजना से होने वाले अन्य फायदे हैं।

वर्तमान में यह परियोजना दिल्ली के लिए है।

[हिन्दी]

आर ई सी में एस सी/एस टी के रिक्त पद

5177. श्री रामदास आठवले : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) में कितने अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं और आरक्षित एस सी और एस टी श्रेणियों के अंतर्गत कितने अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) क्या कारपोरेशन में कुछ आरक्षित पद रिक्त पड़े हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो रिक्त पदों को भरने के लिए कारपोरेशन द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) दिनांक 31.03.2007 की स्थिति के अनुसार रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या, अनुसूचित जाति की श्रेणी तथा अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या निम्नवत् है –

समूह	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जन–जाति श्रेणी से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या
क	284	27	6
ख	187	23	6
ग	116	21	1
घ	111	34	5
कुल	698	104	18

(ख) और (ग) दिसम्बर, 2006 में किए गए विज्ञापन में वर्ग "क" पदों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 3 रिक्तियां तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 3 रिक्तियां चिह्नित की गई हैं, जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के पात्र अभ्यर्थी के अभाव में भरी नहीं गई। इन आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए नया विज्ञापन जारी किया जा रहा है।

[अनुवाद]

15 सूत्रीय कार्यक्रम

5178. श्री एल. राजगोपाल : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत तीन विभिन्न योजनाओं के लिए 1,000 करोड़ रुपए अलग रख दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कितना हिस्सा आबंटित किया जाना है; और

(घ) देश में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में सरकार इस राशि को किसी प्रकार खर्च करने की योजना बना रही है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2007–08 के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), सम्पूर्ण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) तथा इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) नामक तीन विभिन्न योजनाओं के लिए लक्ष्यों को अंतिम रूप दे दिया है। एसजीआरवाई• तथा आईएवाई के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को आबंटित निधियों तथा एसजीएस वाई के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्यों का राज्य–वार विवरण संलग्न है। इन निधियों को योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना है।

विवरण

वर्ष 2007–08 के लिए अल्पसंख्यकों के लिए निधियों/लक्ष्यों के आबंटन का राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईएवाई के अंतर्गत आबंटन (केंद्र+राज्य) (लाख रु. में)	एसजीआरवाई के अंतर्गत आबंटन (केन्द्र) (लाख रु. में)	एसजीएसवाई के अंतर्गत सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्वरोजगारियों की संख्या का लक्ष्य
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	660.63	343.45	1664
2.	अरुणाचल प्रदेश	306.14	119.67	765
3.	असम	12358.59	1479.56	31125
4.	बिहार	14606.33	0.00	36795
5.	छत्तीसगढ़	958.72	113.08	2394
6.	गोवा	24.17	41.76	62
7.	गुजरात	201.41	4708.63	515
8.	हरियाणा	757.31	541.70	1909
9.	हिमाचल प्रदेश	8.06	153.40	22
10.	जम्मू और कश्मीर	8.06	203.46	20
11.	झारखंड	4938.60	0.00	12443
12.	कर्नाटक	1007.06	1192.78	2540
13.	केरल	2441.10	670.70	6157
14.	मध्य प्रदेश	958.72	925.66	2394
15.	महाराष्ट्र	1740.19	1692.22	4393
16.	मणिपुर	459.22	167.77	1137
17.	मेघालय	24.17	72.36	61
18.	मिजोरम	8.06	35.82	20
19.	नागालैंड	8.06	59.59	20
20.	उड़ीसा	1643.51	469.12	4119
21.	पंजाब	32.23	523.99	81
22.	राजस्थान	1377.65	943.92	3449
23.	सिक्किम	24.17	18.19	61
24.	तमिलनाडु	990.94	1596.08	2476

1	2	3	4	5
25.	त्रिपुरा	290.03	87.07	738
26.	उत्तर प्रदेश	523.67	375.79	1298
27.	उत्तरांचल	16555.99	*	41678
28.	प. बंगाल	17659.73	160.85	44476
29.	अं. निको. द्वीप समूह	8.06	20.55	20
30.	दमन व दीव	8.06	6.56	20
31.	दादरा व नगर हवेली	8.06	13.53	20
32.	लक्षद्वीप	8.06	10.28	20
33.	पाण्डिचेरी	8.06	20.83	20
	कुल	80612.82	12768.37	202912

* उत्तर प्रदेश के लिए निर्धारित निधियों के बारे में अलग से सूचित किया जाएगा।

[हिन्दी]

स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति

5179. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय पहले से ही स्वतंत्र अनुसंधान संगठनों के माध्यम से आवधिक रूप से ग्रामीण विकास परियोजनाओं/कार्यक्रमों का मूल्यांकन कर रहा है। ये संगठन सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से चुनी गई तथा समिति द्वारा अनुमोदित एजेंसियों की सूची में से लिए जाते हैं।

[अनुवाद]

आयकर विवरणी फार्म

5180. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में और सरल आयकर विवरणी फार्मों की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आयकर फार्मों को सरकार ने कितनी बार टाला है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां। कर निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए सरकार ने नई श्रृंखला के अंतर्गत आठ विवरणी फार्म तैयार किए हैं। नए फार्मों को 14.05.2007 को अधिसूचित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) नई श्रृंखला के अंतर्गत आठ विवरणी फार्म निम्नलिखित हैं:

(i) आई टी आर – 1 – वेतन और ब्याज आय वाले तथा कोई और आय न रखने वाले व्यक्तियों के लिए आय विवरणी

(ii) आई टी आर – 2 – कारोबार अथवा व्यवसाय को छोड़कर किसी भी स्रोत से आय रखने वाले व्यष्टियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (एच यू एफ) के लिए आय विवरणी।

(iii) आई टी आर – 3 – ऐसे व्यष्टियों और हिन्दू अविभाजित परिवारों के लिए आय विवरणी जो फार्मों में पार्टनर हों तथा स्वामित्व कारोबार अथवा व्यवसाय न हो।

(iv) आई टी आर – 4 – ऐसे व्यष्टियों और हिन्दू अविभाजित परिवारों के लिए आय विवरणी जिनका स्वामित्व कारोबार अथवा व्यवसाय हो।

(v) आई टी आर – 5 – फर्मों/व्यक्तियों के संघ/व्यष्टियों के निकाय के लिए आय और अनुषंगी लाभ की विवरणी का संयुक्त फार्म।

(vi) आई टी आर – 6 – कंपनियों के लिए आय और अनुषंगी लाभ की विवरणी का संयुक्त फार्म।

(vii) आई टी आर – 7 – धर्मस्व/धार्मिक न्यासों, राजनीतिक दलों और मुनाफा न कमाने वाले अन्य संगठनों के लिए आय और अनुषंगी लाभ की विवरणी का संयुक्त फार्म।

(viii) आई टी आर – 8 – ऐसे व्यक्तियों के लिए अनुषंगी लाभ का अकेला फार्म जो आय विवरणी दायर करने के पात्र नहीं हैं परन्तु अनुषंगी लाभ विवरणी दायर करने के पात्र हैं।

सभी फार्मों (आई टी आर – 7 को छोड़कर) को अनुबंध रहित तैयार किया गया है ताकि इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए इनका सहजता से प्रयोग किया जा सके। इसके अलावा, कर लेखा परीक्षा की पात्र फर्मों और सभी कंपनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से विवरणी दायर करना अनिवार्य होगा।

(ग) विवरणी फार्म कर निर्धारण वर्ष विशिष्ट होते हैं क्योंकि इनको हर वर्ष संशोधित करना अपेक्षित होता है ताकि आयकर अधिनियम में किए गए अद्यतन परिवर्तनों को इनमें समाविष्ट किया जा सके। इसके अलावा, विवरणियों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए, कर निर्धारण वर्ष 2006–07 के इन विवरणी फार्मों में पिछले वर्ष काफी परिवर्तन किया गया। कर निर्धारण वर्ष 2007–08 के लिए, नई श्रृंखला के अंतर्गत विवरणी फार्म तैयार किए गए हैं।

मद्रास उच्च न्यायालय, मदुरई पीठ के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन

5181. श्री एस.के. खारवेन्थन : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई पीठ के करूर, त्रिची तथा तंजावुर न्यायालयों का द्विभाजन कर मद्रास उच्च न्यायालय को दिए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में उच्चतम न्यायालय से कोई सिफारिश/रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण

5182. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बैंक बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने में विलम्ब कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य–वार ऐसे कितने मामलों की सूचना मिली है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में जिला उद्योग केन्द्रों तथा बैंकों के कार्य निष्पादन की तिमाही समीक्षा करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के तहत ऋण–आवेदन पत्रों पर कार्य बल द्वारा पर्याप्त जांच करने के बाद ही कार्रवाई की जाती है। इस कार्य बल में जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी), संबंधित सरकारी विभागों एवं बैंकों के अधिकारी शामिल होते हैं। इसके बाद, कार्य बल द्वारा अनुमोदित आवेदकों के नाम डीआईसी द्वारा बैंक शाखाओं को प्रायोजित किए जाते हैं। बैंक शाखाएं आवेदन पत्रों की विस्तृत जांच–पड़ताल करती हैं। अलग–अलग बैंकों के लक्ष्यों पर विचार करते हुए बैंकों द्वारा पात्र आवेदकों को ऋण मंजूर किए जाते हैं। अतः मामलों पर कार्यवाही करने में कुछ समय लग सकता है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत ऋणों की मंजूरी एवं संवितरण में होने वाले विलम्ब के लिए निम्नलिखित कारण भी उत्तरदायी हैं–

(i) कार्य बल समितियों द्वारा पात्र ऋण आवेदनपत्र प्रायोजित न किया जाना।

(ii) अर्थक्षम एवं आय सृजित करने वाले क्रियाकलापों का अभाव तथा लोकप्रिय क्रियाकलापों का पर्याप्त स्तर पर न होना।

(iii) आवश्यक आधारभूत सुविधाओं तथा पश्च/अग्र संयोजन का न होना।

(iv) क्रियाकलाप हेतु विभिन्न सरकारी एजेन्सियों से आवश्यक अनुमोदन/निकासी प्राप्त करने में विलम्ब।

(v) शेड के आबंटन, बिजली के कनेक्शन, जल–आपूर्ति, आदि में विलम्ब

केन्द्रीय कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक को पीएमआरवाई के तहत ऋणों की मंजूरी/संवितरण/ऋणों के लिए सम्पार्श्विक के संबंध में

आग्रह करने में विलम्ब के संबंध में वर्ष 2006 के दौरान 30 शिकायतें मिली हैं, जिनका निपटान कर दिए जाने की सूचना मिली है।

(ग) और (घ) इस समय डीआईसी और भागीदार बैंकों के स्तर पर कार्य-निष्पादन की समीक्षा के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। तथापि, पीएमआरवाई के निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। डीआईसी द्वारा आवेदन पत्र प्रायोजित करने और बैंकों द्वारा मंजूरी एवं संवितरण के लिए कड़ाई से अनुपालन करने हेतु तिमाही कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, बैंकों से कहा गया है कि 25,000/- रुपए तक के ऋणों हेतु आवेदन पत्रों का निपटान दो सप्ताह के भीतर और 2 लाख रुपए (योजना के अंतर्गत सीमा) तक के लिए आवेदन पत्रों का निपटान चार सप्ताह के भीतर कर दिया जाए, बशर्ते आवेदनपत्र सभी दृष्टि से पूर्ण हों। बैंकों से यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक उस क्षेत्र के अन्य बैंक से 15 दिन के भीतर 'अदेय प्रमाणपत्र' प्राप्त न कर पाए तो, उसके लिए जोर न दिया जाए।

निजी विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा मानदण्डों का उल्लंघन

5183. श्री एम. अंजनकुमार यादव :
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री अशोक अर्गल :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री काशीराम राणा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को जानकारी है कि निजी विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों का उल्लंघन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) वितरण कंपनियां विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा विनियमित होती हैं। अधिनियम में इसके किसी प्रावधान या इसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों या उपयुक्त विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी किसी निर्देश का उल्लंघन करने पर व्यक्ति (जिसमें कंपनी या निकाय निगम शामिल हैं) पर विद्युत विनियामक आयोग द्वारा दंड लगाने की व्यवस्था की गई है।

उन सात राज्यों के एसईआरसी से मानक उल्लंघन की सूचनाएं मांगी गई थीं जहां निजी वितरण कंपनियां कार्य कर रही हैं।

केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के विद्युत विनियामक आयोगों ने सूचित किया है कि उन्होंने विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत मानकों के उल्लंघन का ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं देखा है। पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग ने ऐसे किसी भी मामले के बारे में सूचना प्रदान नहीं की है।

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने सूचित किया है कि विद्युत अधिनियम/विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के कुछ मामलों की सूचना आयोग को दी गई है। आयोग ने मामले की सुनवाई के पश्चात् कुछ मामलों में दंड लगाया है। अब तक 39 मामलों में दंड लगाया गया है जो 500 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक है।

उड़ीसा विद्युत विनियामक आयोग (ओईआरसी) ने सूचित किया है कि उड़ीसा में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन कर रही हैं और उन्होंने निम्नलिखित ब्यौरे दिए हैं:-

(i) एईएस कारपोरेशन और ज्योति स्ट्रक्चर लि. द्वारा प्रबंध की जा रही सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ उड़ीसा लि. (सीईएससीओ) ने आपूर्ति के अपने क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे और इस प्रकार वह वितरण एवं रिटेल आपूर्ति लाइसेंस की शर्तों एवं आवश्यकताओं का उल्लंघन कर रही थी। अतः ओईआरसी ने 27.8.2001 के प्रभाव से सीईएससीओ के प्रबंधन एवं नियंत्रण को लेने के लिए राज्य सरकार के एक मनोनीत अधिकारी को नियुक्त किया था और बाद में लाइसेंस रद्द कर दिया था।

(ii) रिलायंस एनर्जी लि. द्वारा नियंत्रित तीन निजी वितरण कंपनियां अर्थात् नेस्को, वेस्को और साउथको व्यापार योजना से संबंधित आयोग के आदेश में वर्णित निर्देशों तथा अन्य उल्लंघनों के संबंध में भी विफल रहा।

अतः ओईआरसी द्वारा इन वितरण कंपनियों को अधिनियम के अंतर्गत उनको सौंपे गए कार्यों तथा दायित्वों का निर्वहन करने में अयोग्य पाया गया और आयोग द्वारा समय-समय पर अधिनियम के अंतर्गत दिए गए निर्देशों के अनुपालन में व्यतिक्रम का दोषी पाया गया था। यह भी पाया गया कि वे अपने-अपने लाइसेंसों की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। अतः उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे जो कि अब भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में निर्णयाधीन हैं।

[अनुवाद]

आवास क्षेत्र को अवसंरचना का दर्जा

5184. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आवास क्षेत्र को अवसंरचना का दर्जा प्रदान करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ताकि यह क्षेत्र कम लागत वाली संस्थागत निधियों को आसानी से प्राप्त कर सके और दीर्घकालिक निधियों का उपयोग कर सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) जी, हां। इस प्रस्ताव को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार

5185. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के ग्रामीण युवाओं को कोई तकनीकी तथा उद्यमिता संबंधी कौशल प्रदान कर रही है ताकि वे स्वरोजगार शुरू कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए ऐसे युवाओं को दी जा रही वित्तीय तथा मैटिरियल सहायता का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। निर्धारित क्रियाकलापों के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों के ग्रामीण युवाओं सहित स्वरोजगारियों जिनको अतिरिक्त कौशल विकास/कौशल उन्नयन हेतु उपयुक्त प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है, का निर्धारण किया जाता है और सरकारी संस्थाओं जैसे – इंजीनियरिंग महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पोलीटैक्नीक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से उनके लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्वरोजगारियों के पास अपेक्षित न्यूनतम कौशल है ताकि वे सहायता के पात्र बन सकें। वर्ष 2002–03 से 2006–07 तक की अवधि के दौरान, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में ग्रामीण युवाओं सहित कुल 477 स्वरोजगारी–प्रशिक्षित किए गए।

(ग) जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) बुनियादी अभिमुखीकरण और कौशल विकास दोनों के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा किए गए व्यय की पूर्ति के लिए एसजीएसवाई निधि से प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम 5000 रु. देने के लिए प्राधिकृत है। स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए 1.4.1999 को एसजीएसवाई की शुरूआत से लेकर वर्ष 2006–07 तक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में ग्रामीण युवाओं सहित युवाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल विकास पर 15.58 लाख रु. व्यय किए गए हैं।

फसलों का जीनोम मैपिंग

5186. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने विभिन्न फसलों की जीनोम मैपिंग, एक्सप्रेशन सिक्वेन्स टेग्स एंड जेनेटिक वैरिएबिलिटी का कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन नई किस्मों से फसलों का उत्पादन कितना बढ़ेगा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां। भारतीय वैज्ञानिकों ने विभिन्न फसलों जैसे कि चावल, गेहूं, चिकपी, टमाटर, गन्ना और कॉफी के जीनोम मैपिंग, चित्रण श्रृंखला टैग्स (ईएसटीस) और आनुवंशिक विविधता पर कार्य शुरू कर दिया है।

(ख) भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय चावल जीनोम श्रृंखला परियोजना (आईआरजीएसपी) में भाग लिया है। आईआरजीएसपी ने चावल जीनोम के 370 मिलियन आधारों को श्रृंखलित किया और 10 देशों के वैज्ञानिकों ने इसमें भाग लिय। आईआरजीएसपी के भाग के रूप में भारतीय वैज्ञानिकों ने चावल क्रोमोसोम संख्या 11 की आनुवंशिक सूचना का पता लगाया। चावल जीनोम में 37,544 जीन्स का पता लगा है जिसमें से भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा श्रृंखलित क्षेत्र में 1443 की पहचान की गई है। इसके उपरांत चावल में क्रियात्मक आनुवंशिक कार्यक्रम को शुरू किया जा रहा है। 10 देशों के एक अंतर्राष्ट्रीय कसॉर्शियम के तहत टमाटर क्रोमोसोम 5 को श्रृंखलित करने के लिए भारत एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय टमाटर जीनोम श्रृंखला परियोजना में भाग ले रहा है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर, नई दिल्ली में वैज्ञानिकों ने गन्ने में करीब 25,000 ईएसटीस और गेहूं में करीब 4,000 ईएसटीस का उत्पादन किया। गन्ने ईएसटीस को गन्ने में मार्करस को विकसित करने के लिए उपयोग में लाया गया ताकि कृषि रूप से महत्वपूर्ण प्रभेदों को आईएआरआई, नई दिल्ली में मैप किया जा सके। मोती बाजरे से अंतर्राष्ट्रीय आनुवंशिक इंजीनियरिंग एवं जैवप्रौद्योगिकी केंद्र (आईसीजीईबी), नई दिल्ली में ईएसटीस को विकसित किया। टमाटर में जड़ विशिष्ट ईएसटीस को एमकेयू, मदुरै में विकसित किया जा रहा है। इसके

अतिरिक्त टमाटर जीनोम शुरूआत के तहत वायरस तथा वैक्टीरियल बिल्ट अवरोधकता के लिए टमाटर में मैपिंग पर कुछ प्रगति की गई है। राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान केंद्र (एनसीपीजीआर) ने गेहूं, फौक्सटेल बाजरा, मिर्च, मिडिकागो और ब्रासिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए तुलनात्मक जीनोमिक्स पर अध्ययनों को शुरू किया और गेहूं के लिए दाने भार हेतु क्यूटीएल्स को भी मैप किया जा सके। चिकपी और कैथारेंथस रोसेउ में पादप संरचना विश्लेषण पर भी केंद्र कार्य कर रहा है। चिकपी के जंगली प्रोजेनेटर, सिसर रेटीकुलेटम से 11 एसटीएम मार्करस को विकसित किया गया और सिसर एसपीमस में अंतर विशिष्ट पॉलीमार्फिज्म का अध्ययन करने के लिए प्रयोग में लाया गया। वर्ष 1996 से राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो (एनबीपीजीआर), नई दिल्ली भारत के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न फसलों में आनुवंशिक विविधता अध्ययनों में कार्य कर रहा है। इसमें अब तक 33 से भी अधिक विभिन्न फसल पौधों में जारी किस्मों का विश्लेषण कर लिया है। इसके अतिरिक्त इन फसलों के उत्कृष्ट भूमि प्रजातियों और जर्मप्लाज्म पंक्तियों को भी विश्लेषित किया है। इसके साथ–साथ बैंगन, मूंग/उड़द/राइसबीन और उनकी जंगली संबंधियों, हार्स ग्राम, सिसेम, वकबीट हिमालय बारले भूमि प्रजातियां, ऊंगली बाजरा, चावल भूमि प्रजातियों इत्यादि जिन्होंने इन फसलों में विविधता के वितरण एवं सीमा की पहचान करने में सहायता की है पर फसल विविधता एवं पालन पर अध्ययन किए गए।

(ग) मैपिंग के उपरांत फसलों की डिकोडिड जीनोम सूचना आण्विक प्रजनन के माध्यम से बेहतर किस्मों के विकास के लिए डीएनए मार्कर एवं नये जीन क्रियाओं के तुरंत खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। परम्परागत प्रजनन प्रयासों के माध्यम से पहुंचे गए उत्पादन लक्ष्य को नई किस्में पार कर सकती हैं। हालांकि इस स्तर पर उत्पादन में वृद्धि की जांच करना मुश्किल है लेकिन इन अनुसंधान प्रयासों से भविष्यमयी किस्मों में सुधार कार्यक्रम को निश्चित रूप से लाभी पहुंचेगा।

[हिन्दी]

बैंकों में भ्रष्टाचार के मामले

5187. श्री रामदास आठवले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने गत तीन वर्षों के दौरान बैंकिंग प्रणाली के कार्यकरण में भ्रष्टाचार के कुछ मामलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन पर क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) बैंकों में ऐसे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) का अपना कोई जांच स्कन्ध नहीं है तथा यह सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) से प्राप्त जांच रिपोर्टों के आधार पर सलाह देता है। जब भी यह पाया जाता है कि प्रणालीगत असफलता के कारण बैंक के कर्मचारियों की ओर से कोई अनियमितता अथवा अनुचित कार्रवाई हो गई है, आयोग ऐसी कमियों को दूर करने के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करता है। आयोग सरकारी क्षेत्र के बैंकों के स्केल V तथा इससे अधिक के अधिकारियों से संबंधित सतर्कता मामलों के संबंध में सलाह भी देता है। आयोग ने वर्ष 2004, 2005 तथा 2006 के दौरान क्रमशः 294, 52 तथा 90 अधिकारियों के विरुद्ध बड़ी शास्ति तथा इसी अवधि के दौरान क्रमशः 199, 78 तथा 34 अधिकारियों के विरुद्ध छोटी शास्ति लगाने की सलाह दी है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के एक भाग के रूप में बैंकों को समय–समय पर आम धोखाधड़ी सम्भावित क्षेत्रों के बारे में तथा बैंकों में धोखाधड़ी/भ्रष्टाचार की घटनाओं को रोकने/कम करने में उनके द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में सुग्राही बना रहा है। सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) की अध्यक्षता में एक सतर्कता विभाग बनाया गया है जो बैंकों तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करता है और इसकी नियुक्ति बैंक स्टाफ से नहीं की जाती।

सेवा कर फार्म

5188. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेवा प्रदाताओं को सेवा कर फार्म एस टी–3 समझने में कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं। सेवा कर फार्म एस.टी.–3 में विस्तार से अनुदेश दिए गए हैं ताकि करदाता उन्हें आसानी से समझ सकें।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

सीमाशुल्क एवं उत्पाद शुल्क विभाग में स्टॉफ की कमी

5189. श्री एस.के. खारवेन्थन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सीमाशुल्क एवं उत्पाद शुल्क विभाग को स्टॉफ की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभाग में और कार्मिकों की भर्ती करके रिक्तियों को भरने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन पदों को कब तक भरा जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 67,221 है, जिसमें से केवल 57,684 कर्मचारी कार्यरत हैं, अतः दिनांक 01.01.2007 की स्थिति के अनुसार 9,537 पद रिक्त हैं।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड के लिए विभिन्न ग्रेडों में 4,647 अतिरिक्त पदों के सृजन की अनुमति प्रदान की है। विभिन्न ग्रेडों में विद्यमान निर्धारित रिक्तियों और नए सृजित किए गए पदों को भरने की प्रक्रिया निर्धारित कार्य प्रणाली के अनुसार पहले ही आरंभ कर दी गई है।

[हिन्दी]

गरीब और मध्य वर्ग के लोगों के लिए मकान

5190. श्री एम. अंजनकुमार यादव :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत पांच वर्षों के दौरान दिल्ली में रह रहे मध्य वर्ग के लोगों तथा गरीबों के लिए पर्याप्त आवासीय इकाइयों का निर्माण नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने निम्न आय वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कम लागत वाली आवासीय इकाईयों का निर्माण करने में कोई रुचि भी नहीं दिखाई जिससे दिल्ली में झुग्गी–झोंपड़ी बस्तियों की संख्या बढ़ गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि दिल्ली में मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के लिए मकानों के निर्माण को उचित महत्व दिया जाता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान उसके द्वारा निर्मित कुल 27522 मकानों में से 22819 मकान [3979–मध्यम आय समूह (एमआईजी), 11100–निम्न आय समूह (एलआईजी) और 7740–मध्यम और निम्न आय श्रेणियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)] से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त, एमआईजी के तहत 2250 मकान, एलआईजी के तहत 5100 मकान और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत 21500 मकान इस समय योजना तथा निर्माण के विभिन्न स्तरों पर हैं। निम्न आय समूह और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निम्न लागत की रिहायशी ईकाइयों का निर्माण करने की दृष्टि से दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी) 2021 में यह व्यवस्था है कि ग्रुप हाउसिंग के विकासक यह सुनिश्चित करेंगे कि एफ ए आर का कम से कम 15 प्रतिशत अथवा रिहायशी ईकाइयों का 35 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, सामुदायिक–सेवा कार्मिकों/ईडब्ल्यूएस तथा निम्न आय श्रेणी के लिए निर्माण किया जाए। इसके अतिरिक्त, तेहखण्ड में दिल्ली विकास प्राधिकरण की पायलट परियोजना में पात्र स्लम वासियों, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित हैं, को उचित दरों पर फ्लैटों का आबंटन किए जाने की व्यवस्था है।

सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क अपवंचन

5191. श्री रामदास आठवले :
चौ. मुनव्वर हसन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में स्थित उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है, जिनके विरुद्ध सौ करोड़ रुपए से अधिक के सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क के अपवंचन के लिए विभागीय तथा न्यायिक कार्रवाई की जा रही है;

(ख) ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है, जिनके विरुद्ध तीन वर्ष से अधिक समय से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों में इस प्रकार के मामले लंबित हैं तथा उनकी ताजा स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त धनराशि की शीघ्र वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सामने रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

विधि महाविद्यालय/विश्वविद्यालय

5192. श्री पी. मोहन : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विधि महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को खोलने हेतु निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ख) देश में इस समय राज्य–वार कितने विधि महाविद्यालय/विश्वविद्यालय चल रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में और विधि महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान सहित ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने, अधिवक्ताओं के रूप में नामांकन के प्रयोजन के लिए "विधिक शिक्षा के मानक और विधि में डिग्री की मान्यता" विहित करने वाले नियम अधिकथित किए हैं। भारतीय विधिज्ञ परिषद् के नियमों के भाग 4 की अनुसूची 1 में किसी ऐसी विधि शिक्षण संस्था की ऐसी आधारिक अपेक्षाओं के ब्यौरे दिए गए हैं, जो विधिक शिक्षा प्रदान करने के लिए उसके पास होनी चाहिए। (नियम का सुसंगत भाग विवरण–I में संलग्न है।)

(ख) भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा तैयार किए गए देश के विधि महाविद्यालयों की राज्यवार सूची विवरण–II में संलग्न है।

(ग) से (ङ) व्यापार और उद्योग संबंधी प्रधानमंत्री की परिषद् द्वारा तारीख 19.9.1998 को गठित प्रशासन और विधिक सरलीकरण संबंधी एक विशेष विषय समूह की सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

विवरण-I

अनुसूची 1

(खंड क और ख में नियम)

(खंड क के नियम 21 और खंड ख के नियम 14 के अधीन जारी निदेश)

1. विधि पाठ्यक्रम के भाग 1 के मूल कार्यक्रम का अध्यापन, संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय विभागों के संबंधित विषयों के अध्यापकों की सहायता से किया जाए।

2. किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय या विधि विभाग की किसी कक्षा में (एल.एल.बी. I, II, III, IV, या V) छात्रों की अधिकतम संख्या 320 से अधिक नहीं होनी चाहिए और ऐसी कक्षा के प्रत्येक सेक्शन में छात्रों की संख्या 80 से अधिक नहीं होगी। अन्य शब्दों में किसी महाविद्यालया या विश्वविद्यालय, विधि विभाग में उसके प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ष के ऐसे कुल छात्रों की संख्या, जो उसकी सूचियों में प्रविष्ट हैं, 1600 से अधिक नहीं होगी।

3. विधि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, विधि विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि :

(क) विहित और सिफारिश किए गए पठनों की बहुल प्रतियां छात्रों को उपलब्ध हैं।

(ख) पठन कक्ष में किसी भी समय न्यूनतम 15% छात्रों के लिए बैठने की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है।

(ग) अध्यापक–छात्र अनुपात कम से कम 1: 40 है।

4. भवन

(1) (क) किसी महाविद्यालय का भवन, महाविद्यालय के कार्य घंटों के दौरान, उसके अनन्य उपयोग के लिए उपलब्ध होगा।

(ख) कक्षाओं, छात्रावास, यदि कोई हो, के लिए उपलब्ध कराया गया स्थान तथा प्रधानाचार्य और छात्रावास के प्रभारी अध्यापक, यदि कोई हो, के लिए आवासीय क्वार्टर पृथक होंगे।

(2) महाविद्यालय भवनों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

(क) कक्षाएं;

(ख) पुरुष छात्रों के लिए विनोद कक्ष;

(ग) छात्राओं के लिए विनोद कक्ष;

(घ) एक पुस्तकालय कक्ष, पुस्तक शेल्फों के साथ तथा पठन मेजें, जो प्रविष्ट किए गए छात्रों में से 20% छात्रों को बैठाने के लिए पर्याप्त हो;

(ङ) प्रधानाचार्य और उसके कार्यालय कर्मचारिवृंद के लिए कार्यालय कक्ष;

(च) अध्यापकों का विनोद कक्ष।

(3) (क) सभी भवनों में रोशनी की अच्छी व्यवस्था होगी तथा वे हवादार होंगे और उनमें पर्याप्त स्वच्छता व्यवस्थाएं और जल आपूर्ति होगी;

(ख) सभी भवन सम्यक् रूप से सुसज्जित होंगे।

(4) (क) यदि महाविद्यालय के पास अपना स्वयं का भवन नहीं है और इसे किसी किराए के भवन में अस्थायी रूप से चलाए जाने का प्रस्ताव किया जाता है तो महाविद्यालय के प्राधिकारी एक भवन निधि का सृजन करेंगे, जिसे अलग रखा जाएगा और किसी अनुसूचित बैंक या जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में जमा कराया जाए

(ख) महाविद्यालय के नाम पर इस प्रकार जमा कराई गई राशियों को, पहले से संनिर्मित भवन के किसी भाग की लागत की पूर्ति के लिए अपेक्षित होने के सिवाय निकाला नहीं जाएगा।

(ग) भवन को, उस तारीख को, जिसको उसके संबंधन के अनुमोदन की संसूचना संबंधित महाविद्यालय के रजिस्ट्रार को दे दी जाती है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

5. **पुस्तकालय**

(क) उसमें एक स्वतंत्र पुस्तकालय होगा जिसमें अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में विधि रिपोर्टें, पुस्तकें, पत्रिकाएं और निर्देश पुस्तकें होंगी। प्रत्येक विधि महाविद्यालय को, उसके पुस्तकालय के लिए निम्नलिखित विधि जर्नलों का ग्राहक होना चाहिए:

1. आल इंडिया रिपोर्टर
2. सुप्रीम कोर्ट केसेज
3. स्टेट हाई कोर्ट रिपोर्ट्स
4. स्थानीय जर्नल
5. इंडियन बार रिव्यू

(ख) एक अर्हित और प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकालय का प्रभारी होगा।

(ग) पुस्तकालय पर न्यूनतम प्रारंभिक और आवर्ती वार्षिक व्यय निम्नानुसार होगा:

प्रारंभिक	2,00,000/– रुपए
प्रथम वर्ष	50,000/– रुपए
द्वितीय वर्ष	50,000/– रुपए
तृतीय वर्ष	50,000/– रुपए
पश्चात्‌वर्ती वर्ष	25,000/– रुपए

6. निदेश 4(4) में यथा उपबंधित भवन निधि कम से कम 25 लाख रुपए से सृजित की जाएगी, जिसकी किस्तें निम्नानुसार होंगी:

प्रारंभिक	15,00,000/– रुपए
प्रथम वर्ष	5,00,000/– रुपए
द्वितीय वर्ष	5,00,000/– रुपए

7. कक्षाओं, छात्रावास, यदि कोई हो, के लिए उपलब्ध कराया गया स्थान तथा प्रधानाचार्य और छात्रावास के प्रभारी अध्यापक, यदि कोई हो, के लिए आवासीय क्वार्टर पृथक् होंगे।

8. प्रधानाचार्य के लिए क्वार्टर, छात्रावास, यदि कोई हो, के प्रभारी अध्यापक के लिए छात्रावास के निकट अवस्थित क्वार्टर।

विश्वविद्यालय द्वारा यथाअपेक्षित रूप में अन्य स्थायी अध्यापकों के लिए क्वार्टर।

9. यदि संभव हो तो क्रीडास्थल के लिए और खेल तथा खेल–कूद के लिए पर्याप्त सुविधाओं का उपबंध किया जाए।

10. प्रत्येक विश्वविद्यालय मामला पद्धति, शिक्षकीयों और विधिक शिक्षा प्रदान करने की अन्य आधुनिक तकनीकों के साथ व्याख्यान पद्धति को संपूरित करने के लिए प्रयास करेगा।

विवरण–II

ऐसे विधि महाविद्यालयों की सूची जिनके पास 31 मार्च, 2007 को भारतीय विधिज्ञ परिषद् के साथ सम/स्थायी/अस्थायी संबंधन का अनुमोदन है

महाविद्यालय का नाम	दिए जाने वाले पाठ्यक्रम	अनुमोदन की प्रास्थिति	स्थापना वर्ष
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
I. आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर			
1. यूनीवर्सिटी लॉ कालेज, वाल्टेयर (डा. बी.आर. अंबेडकर कालेज ऑफ लॉ)	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1945
2. वीरावल्ली कालेज आफ लॉ, राजामुंद्री	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	1995
	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2004–05 तक	
3. डी.एन. राजू लॉ कालेज, भीमावरम	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	1989
4. राजीव गांधी इंस्टीट्यूट आफ लॉ, काकीनाड़ा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	1992
5. पी.एस. राजू लॉ कालेज, काकीनाड़ा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	1992

1		2	3	4
6.	एम.पी.आर. लॉ कालेज, श्रीकाकुलम	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	1992
7.	श्री शिरिडी साई विद्या परिषद लॉ कालेज, अनाकापल्ली	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2000
8.	एम.आर.वी.आर.जी.आर. लॉ कालेज, विजयानगरम	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	1966
9.	एन.बी.एम. लॉ कालेज विशाखापटनम	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	1986
10.	एन.बी.पी. लॉ कालेज, विशाखापटनम	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1980
11.	श्री शिरिडी साई विद्या परिषद् लॉ कालेज, अमालापुरम	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2003–04 तक	1998
12.	आल सेंट्स क्रिश्चियन लॉ कालेज, विशाखापटनम	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक 2007–08 तक	1991
13.	ए.वी.आर. अमृता कालेज ऑफ लॉ, विशाखापटनम	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	केवल 2003–04 तक	2003
14.	जी.एस.के.एम. लॉ कालेज, राजामुंद्री	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	1983
15.	सी.आर.आर. लॉ कालेज, एलूरू (मामला माननीय आ.प्र. उच्च न्यायालय के समक्ष है)	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम		1977
16.	डिपार्टमेंट आफ लॉ, डा. बी.आर. अम्बेडकर पी.जी. सेंटर, एचेरला, श्रीकाकुलम	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2002–03 तक	2000

(यदि 2003–2004, 2004–2005 और 2005–2006 में किन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया गया हो तो उन्हें निरंतर रहने की अनुज्ञा दी जाती है। अकादमी वर्ष 2005–2006 से आगे अनुमोदन का और विस्तार नहीं।)

II. आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुन नगर

1.	ए.सी. कालेज, गुंटूर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	1974
2.	वी.डी. सिद्धार्थ लॉ कालेज, विजयवाड़ा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1986
3.	डी.एस.आर. हिंदू लॉ कालेज, मछलीपटनम	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	1982
4.	इंदिरा प्रियदर्शनी, लॉ कालेज, आंगोला	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	1991
5.	जे.सी. कालेज, गुंटूर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	1989
6.	यूनिवर्सिटी कालेज ऑफ लॉ, ए. नागार्जुन यूनिवर्सिटी, नागार्जुन नगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1999–2000 तक	1979
7.	एम.एम. कालेज ऑफ लॉ, विजयवाड़ा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2000–01 तक	1988
8.	बपाटला एजुकेशन सोसाईटी लॉ कालेज, बपाटला	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1997–98 तक	1995

III. काकातिया विश्वविद्यालय, वारंगल

1.	यूनिवर्सिटी कालेज आफ लॉ, काकातिया विश्वविद्यालय, वारंगल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2004–05 तक	1980
2.	आदर्श लॉ कालेज, वारंगल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1994
3.	मानेर कालेज आफ ला, खम्माम	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	1990
4.	जस्टिस कुमार्या कालेज आफ लॉ; करीम नगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1991
5.	अखिल भारतीय लॉ कालेज, वारंगल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2001–02 तक	1993

1		2	3	4
6.	संतोष एजुकेशन सोसाईटी लॉ कालेज, करीम नगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1996–97	1993
7.	मार्गदर्शी लॉ कालेज, करीम नगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	1997–98 तक	1990
IV.	**नेशनल अकादमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, हैदराबाद**		2002–03 तक	1998
V.	**उसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद**			
1.	यूनिवर्सिटी कॉलेज आफ लॉ, हैदराबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1950
		3 वर्षीय (एकीकृत) पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2006
2.	पोस्ट ग्रेजुएट कालेज आफ लॉ, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	5 वर्षीय (एकीकृत) पाठ्यक्रम 3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक 2000–01 तक	2006 1923
3.	सुल्तान–उल–उलूम लॉ कालेज, हैदराबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	स्थायी.	1989
4.	पाडला राम रेड्डी लॉ कालेज, हैदराबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1986
5.	डा. अम्बेडकर लॉ कालेज, चिकादापल्ली, हैदराबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1991
6.	पानूगोटी माधव लॉ कालेज, सिकंदराबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1991
7.	के.वी. रंगारेड्डी लॉ, कालेज, हैदराबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1991
8.	कालेज फार वुमेन, आंध्र महिला सभा, हैदराबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	1991
9.	महात्मा गांधी लॉ कालेज, हैदराबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	1991
10.	पेंटाकांती लॉ कालेज, हैदराबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	1990
11.	विजया लॉ कालेज, नालगौंडा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम (1997–98 से 2002–03 तक को प्रवेश नहीं)	2005–06 तक	1991
12.	अनवर–उल–उलूम लॉ कालेज, हैदराबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1998–99 तक	1988
13.	शादान लॉ कालेज, हैदराबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1999–2000 तक	1988
14.	निजामाबाद लॉ कालेज, निजामाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1998–99 तक	1991
15.	लोकमान्य तिलक लॉ कालेज, हैदराबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1992–93 तक	
16.	जवाहर लाल नेहरू लॉ कालेज, निजामाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1997–98 तक	
VI.	**श्री कृष्णदेवरिया विश्वविद्यालय, अनंतपुर**			
1.	यूनिवर्सिटी कालेज आफ ला, एस.के. विश्वविद्यालय, अनंतपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1990
2.	श्री विजया नगर लॉ कालेज, अनंतपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1999
3.	श्री प्रसून कालेज आफ लॉ, कुर्नूल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1999
4.	अनंतपुर लॉ कालेज, अनंतपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1998–99 तक	1994
5.	श्री शंकरा लॉ कालेज, कुर्नूल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1996–97 तक	
6.	उस्मानिया लॉ कालेज, कुर्नूल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1996–97 तक	

1		2	3	4
VII.	**श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय, तिरूपति**			
1.	डिपार्टमेंट आफ लॉ, श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय, तिरूपति	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	अनुमोदित	1986
VIII.	**श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरूपति**			
1.	आर.के.एम. लॉ कालेज, चित्तूर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	स्थायी	1991
2.	डा. बी.आर. अम्बेडकर लॉ कालेज, तिरूपति	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	1991
3.	वी.आर. लॉ कालेज, नेल्लोर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक केवल 2003–04	1975
4.	श्री पी. बासी रेड्डी कालेज आफ लॉ, कुडप्पा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1986
5.	श्रीमती बासव रामा ताराकम मेमोरियल लॉ कालेज, कुडप्पा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	1990
6.	श्री वेंकटेश्वर कालेज आफ लॉ, तिरूपति	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	1991
असम				
I.	**असम विश्वविद्यालय, सिलचर**			
1.	करीमगंज लॉ कालेज, करीमगंज	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1999–2000 तक	1984
2.	दीपू लॉ कालेज, दीपू	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1979
3.	ए.के. चंदा लॉ कालेज, सिलचर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1960
II.	**डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़**			
1.	जोरहाट लॉ कालेज, जोरहाट	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1964
2.	नार्थ लखीमपुर लॉ कालेज, नार्थ लखीमपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2002–03 तक	1999
3.	तिनसुखिया लॉ कालेज, तिनसुखिया	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1973
4.	डा. आर.के. बरुआ लॉ कालेज, डिब्रूगढ़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1988–89 से 1989–90 और 2005–06 से 2006–07 तक	1976
5.	डी.एच.एस.के. लॉ कालेज, डिब्रूगढ़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1988–89 से 1989–90 और 2005–06 से 2006–07 तक	1965
6.	शिवसागर लॉ कालेज, शिवसागर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1988–89 से 1989–90 तक	1972
7.	गोलाघाट लॉ कालेज, गोलाघाट	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1988–89 से 1989–90 तक	1979
III.	**गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी**			
1.	यूनिवर्सिटी लॉ कालेज, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1948

	1	2	3	4
2.	बी.आर.एम. गवर्नमेंट लॉ कालेज, गुवाहाटी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1914
3.	बारपेटा लॉ कालेज, बारपेटा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1972
4.	धुबरी लॉ कालेज, धुबरी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	केवल 2006–07 तक	1967
5.	तेजपुर लॉ कालेज, तेजपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1972
6.	गोलपारा लॉ कालेज, गोलपारा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	स्थायी	1987
7.	बोंगाइगांव लॉ कालेज, बोंगाइगांव	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2003–04 तक	1994
8.	नौगांव लॉ कालेज, नौगांव	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2001–02 तक	1990
9.	दिसपुर लॉ कालेज, दिसपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	1994
10.	कोकराझार लॉ कालेज, कोकराझार	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2001–02 तक	1988
11.	मंगलदेई लॉ कालेज, मंगलदेई	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2003–04 तक	1991
12.	जे.बी. लॉ कालेज, गुवाहाटी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	1969
13.	नलबाड़ी लॉ कालेज, नलबाड़ी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1991
बिहार				
I.	**बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर**			
(पूर्व में बिहार विश्वविद्यालय)				
1.	एस.के.जे. लॉ कालेज, मुजफ्फरपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1948
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	1999
2.	मुंशी सिंह लॉ कालेज, मोतिहारी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	1965
3.	रघुनाथ पांडे मेमोरियल लॉ कालेज, मुजफ्फरपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2006
4.	संजय गांधी विधि महाविद्यालय, सीतामढ़ी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1996–97 तक	1994
5.	शत्रु मर्दन शाही लॉ कालेज, बेतिया, पूर्वी चंपारण	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1996–97 तक	1989
II.	**बी.एन. मंडल यूनिवर्सिटी, लालू नगर, मधेपुरा**			
(इस यूनिवर्सिटी को अब तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं है। निम्नलिखित लॉ कालेजों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बी.एन. मंडल यूनिवर्सिटी को मान्यता के अधीन रहते हुए छात्रों को प्रवेश देने के लिए अनुज्ञात किया जाता है।)				
1.	सूर्यदेव लॉ कालेज, कटिहार	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1982
2.	सी.के.एम. लॉ कालेज, अरारिया	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1982
3.	बृज मोहन ठाकुर लॉ कालेज, पूर्णिया	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	स्थायी	1982
4.	आर.एम. लॉ कालेज, सहरसा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1972
5.	एस.पी. मंडल लॉ कालेज, मधेपुरा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1979
III.	**चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटना**	5 वर्षीय बी.ए.एल.एल.बी.	2007–08 तक	2006
IV.	**जय प्रकाश यूनिवर्सिटी, छपरा**			
1.	गंगा सिंह लॉ कालेज, छपरा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1999–2000 तक	1964

	1	2	3	4
V.	**एल.एन. मिथिला यूनिवर्सिटी, दरभंगा**			
1.	सी.एम. लॉ कालेज, दरभंगा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	केवल 2007–08 तक	1946
2.	विदेह लॉ कालेज, मधुबनी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1999–2000 तक	1977
3.	समस्तीपुर लॉ कालेज, समस्तीपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1978
VI.	**मगध यूनिवर्सिटी, बोधगया**			
1.	नवादा विधि महाविद्यालय, नवादा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1991
2.	आर.पी.एस. लॉ कालेज, पटना	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1989
3.	बिहार इन्स्टीट्यूट आफ लॉ, पटना	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1984
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	केवल 2006–07 के लिए	2006
4.	कालेज आफ कामर्स, पटना	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	1962
5.	अनुग्रह मैमोरियल लॉ कालेज, गया	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	1964
6.	नालंदा लॉ कालेज, बिहार शरीफ	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2005
7.	औरंगाबाद लॉ कालेज, औरंगाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1993–94 तक	1992
8.	संजयगांधी महिला विधि महाविद्यालय, गया	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1992–93 तक	1991
9.	फैकल्टी आफ लॉ, किसान कालेज, सोहसराय, नालंदा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1997–98 तक	1989
10.	ए.एन.एस. कालेज, बाढ़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1998–99 तक	1965
11.	सोधरा लॉ कालेज, बिहार शरीफ, नालंदा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1993–94 तक	1992
VII.	**पटना यूनिवर्सिटी, पटना**			
1.	पटना लॉ कालेज, पटना	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	स्थायी	1909
VIII.	**रांची यूनिवर्सिटी, रांची**			
1.	छोटानागपुर लॉ कालेज, रांची	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	स्थायी	1954
2.	कोआपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1970
3.	गणेश लाल अग्रवाल कालेज, डाल्टनगंज	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	केवल 2005–06	2005
4.	कार्तिक ओरांव कालेज, गुमला	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	केवल 2005–06	2005
5.	रांची कालेज, रांची	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	केवल 2005–06	2005
6.	जवाहरलाल नेहरू लॉ कालेज, रांची	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1993–94 तक	1992
7.	ए.के. धान लॉ कालेज, गुमला	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1996–97 तक	1986
8.	बी.एन. सिंह. लॉ कालेज, पलामु, डाल्टनगंज	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1997–98 तक	1993
IX.	**तिल्का मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, भागलपुर**			
	(पूर्व में भागलपुर यूनिवर्सिटी)			
1.	टी.एन.बी. लॉ कालेज, भागलपुर	3 वर्षीय 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	स्थायी	1959

1		2	3	4
2.	महादेव सिंह लॉ कालेज, भागलपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	स्थायी	1986
3.	विश्वनाथ सिंह इन्स्टिट्यूट आफ लीगल स्टडीज, मुंगेर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	स्थायी	1992
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2004
4.	रामदेव सिंह लॉ कालेज, मुंगेर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1996–97 तक	1994
X.	**वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, आरा**			
1.	महाराजा कॉलेज, आरा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	स्थायी	1965
2.	श्री कर्पूरी ठाकुर विधि महाविद्यालय, बक्सर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	1986
3.	रोहतास महाविद्यालय, सासाराम	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	1961
XI.	**विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, हजारीबाग**			
1.	लॉ कालेज, धनबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	1976
2.	इमामुल हई खान लॉ कालेज, बोकारो स्टील सिटी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	स्थायी	1983
3.	झारखंड विधि महाविद्यालय, कोडरमा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	केवल 2005–06	2005
4.	राजेन्द्र लॉ कालेज, हजारीबाग	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1993–94 तक	1988
5.	गिरडीह विप्रा कालेज, गिरडीह	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1994–95 तक	1984
छत्तीसगढ़				
I.	**गुरू घासीदास यूनिवर्सिटी, बिलासपुर**			
1.	कौशलेन्द्र राव लॉ कालेज, बिलासपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1968
2.	स्वामी बालकृष्ण पुरी लॉ कालेज, रायगढ़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1972
3.	गवर्नमेंट लॉ कालेज, अंबिकापुर, जिला सरगुजा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1972
4.	गवर्नमेंट ठाकुर छेदीलाल लॉ कालेज, जांजगीर, जिला बिलासपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1983
5.	डी.पी. मिश्रा लॉ कालेज, बिलासपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक (2005–06 में कोई प्रवेश नहीं)	1989
6.	ज्योतिभूषण प्रताप सिंह लॉ कालेज, कोरबा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	केवल 2006–07 के लिए	2006
7.	गवर्नमेंट पी.जी. कालेज, कोरबा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1999–2000 तक	1989
8.	कमला नेहरू लॉ कालेज, कोरबा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1997–98 तक	
II.	**हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, रायपुर**		2008–09 तक	2003
III.	**पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, रायपुर**			
1.	दि स्कूल आफ पी.जी. स्टडीज इन लॉ, पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी, रायपुर	3 वर्षीय 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	1982
2.	गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ कालेज, रायपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1972

1		2	3	4
3.	एस.के.टी.डी. लॉ कालेज, रायपुर (सौ. कुसुम ताई देवके लॉ कालेज)	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1948
4.	गवर्नमेंट कालेज धमतरी, रायपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	1984
5.	गवर्नमेंट डी.के. कालेज, बलौदा बाजार, रायपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	1982
6.	गवर्नमेंट कालेज, बस्तर, कांकेर (बी.पी. देव गवर्नमेंट पी.जी. कालेज, कांकेर)	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	1983
7.	कल्याण लॉ कालेज, भिलाई नगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1961
8.	गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, जगदलपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1978
9.	आर.सी.एस. लॉ कालेज, दुर्ग	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1968
10.	पंडित किशोरीलाल शुल्क लॉ कालेज, राजनंद गांव	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1967
11.	गवर्नमेंट साईस, आर्टस, कामर्स, लॉ कालेज, बालौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2003–04 से 2005–06 तक	1995
दिल्ली				
I.	**दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली**			
1.	कैंपस लॉ सेंटर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1924
2.	लॉ सेंटर नं. 1, यूनिवर्सिटी कैंपस, दिल्ली यूनिवर्सिटी,	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1970
3.	लॉ सेंटर नं. 2, ए.आर.एस.डी. कालेज, धौलाकुंआ	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1970
II.	**गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, कश्मीरी गेट, दिल्ली**			
1	विवेकानंद इन्स्टिट्यूट आफ प्रोफेशनल स्टडीज, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2000
2	स्कूल आफ लॉ एंड स्टडीज, गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2001
3	एमिटी लॉ स्कूल, नई दिल्ली	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	1999
4	आईडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टैक्नालोजी, दिल्ली	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	केवल 2006–07 के लिए	2006
III.	**जामिया मीलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली**			
1.	फैकल्टी ऑफ लॉ, जामिया मीलिया इस्लामिया, जामिया नगर, दिल्ली	5 वर्षीय पाठ्यक्रम 3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक 2001–02 तक	2002 1989
गोवा				
I.	**गोवा यूनिवर्सिटी, बम्बोलियम**			
1.	वी.एम. सलगांवकर कॉलेज आफ लॉ, पणजी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय 2007–08 तक	1973 1998
2.	जी.आर. कारे कालेज आफ लॉ, गोवा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय 2007–08 तक	1979 2002

1		2	3	4
गुजरात				
I.	**भावनगर यूनिवर्सिटी, भावनगर**			
1.	सेठ एच.जे. लॉ कालेज, विद्यानगर, भावनगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1962
II.	**गुजरात यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद**			
1.	विवेकानन्द कालेज आफ कामर्स एंड लॉ, अहमदाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1968
2.	सर एल.ए. शाह लॉ कालेज, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1927
3.	आई.एम. नानावती लॉ कालेज, लाल दरवाजा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1958
4.	मोतीलाल नेहरू लॉ कालेज, अहमदाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1961
5.	मानेकलाल नानावती लॉ कालेज, अहमदाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1961
6.	दौलतभाई त्रिवेदी लॉ कालेज, अहमदाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1966
7.	लॉ कालेज, गोधरा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1973
8.	सेठ दोसाभाई लालचंद लॉ कालेज, भुज (कच्छ)	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1961
9.	एम.एस. भगत एंड सी.एस. सोनावाला लॉ कालेज, नाडियाड	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1961
10.	सिद्धार्थ लॉ कालेज, गांधीनगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005-06 तक	1990
III.	**गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गांधी नगर**	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007-08 तक	2004
IV.	**हेमचन्द्राचार्य उत्तरी गुजरात यूनिवर्सिटी, पाटन**			
1.	श्री एस.एम. शाह लॉ कालेज, मेहसाणा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1969
2.	श्री एन.एस. पटेल लॉ कालेज, मोदासा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1973
3.	सेठ एम.एन. लॉ कालेज, पाटन	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1973
4.	सेठ वी.एस. लॉ कालेज, ऊन्धा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1969
5.	हिम्मत नगर केलवानी मंडल लॉ कालेज, मोतीपुरा, हिम्मत नगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006-07 तक	1989
6.	बनासकांठा मर्केन्टाइल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड लॉ कालेज, पालनपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008-09 तक 2007-08 तक	2001 2006
V.	**के.एस.के. वर्मा, कच्छ यूनिवर्सिटी, भुज - कच्छ**			
1.	तोलानी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ आदिपुर (कच्छ)	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008-09 तक	2007
VI.	**महाराजा सायाजी राव यूनिवर्सिटी आफ बड़ौदा**			
1.	फैकल्टी आफ लॉ, एम.एस. यूनिवर्सिटी, बड़ोदरा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	स्थायी	1962
VII.	**सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, वल्लभ विद्या नगर**			
1.	आनंद लॉ कालेज, आनंद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1964

1		2	3	4
VIII.	**सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, राजकोट**			
1.	लॉ कालेज, जूनागढ़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1969
2.	डी.डी. कोटीवाला म्यूनिसिपल लॉ कालेज, पोरबंदर (श्री धानाजी भाई डी. कोटिवाला म्यूनिसिपल लॉ कालेज)	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1974
3.	ए.एम.पी. लॉ कालेज, राजकोट	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1955
4.	श्रीमती एस.एस. अजमेरा म्यूनिसिपल लॉ कालेज, गोंडल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1971
5.	श्री के.पी. शाह लॉ कालेज, जामनगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1962
6.	एम.एस.डी. कोटक लॉ कालेज, अमरेली	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	1997
7.	के.ए. पांधी इंगलिश मीडियम लॉ कालेज, राजकोट	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2001
8.	श्री एच.एम. पटेल महिला लॉ कालेज, जोशीपुरा, जूनागढ़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2003
9.	श्रीमती वी.डी. गर्डी लॉ कालेज, सुरेन्द्र नगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	1987
10.	एच.एन. शुक्ल कालेज, राजकोट	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2006
IX.	**दक्षिणी गुजरात यूनिवर्सिटी, सूरत**			
1.	वी.टी. चोक्सी सार्वजनिक लॉ कालेज, सूरत	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1935
2.	दिनशा देबू लॉ कालेज, नवसारी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1972
3.	महा मंडलेश्वर श्री कृष्णानंदजी लॉ कालेज, भरुआ	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1968
4.	सिद्धार्थ लॉ कालेज, कामरेज	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	स्थायी	1991
5.	एस.के.एम. लॉ कालेज, तीथल रोड़, वलसाड	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1968
हरियाणा				
I.	**चौधरी देवी लाल युनिवर्सिटी, सिरसा**		2007–08 तक	2005
1.	डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, सिरसा	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2005
II.	**गुरू जांबेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार**			
1.	डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, गुरू जंबेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1995–96 तक	
III.	**कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरूक्षेत्र**			
1.	डिपार्टमेंट आफ लॉ, कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरूक्षेत्र	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1969
2.	इन्स्टिट्यूट ऑफ लॉ, कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरूक्षेत्र	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2001
3.	छज्जू राम लॉ कालेज, हिसार	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2003
4.	लाला हंसराज फुटेला कालेज ऑफ लॉ, सिरसा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2006
5.	स्वामी देवीदयाल लॉ कालेज, पंचकुला	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2007

1		2	3	4
IV.	**महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक, हरियाणा**			
1.	डिपार्टमेंट ऑफ ला, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1978
2.	भारत इन्स्टिट्यूट आफ लॉ, फरीदाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	1998
3.	पी.एस.डी. गर्ल्स लॉ कालेज, खानपुरकलां	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2003
4.	एम.डी.यू. नेशनल लॉ कालेज, गुड़गांव	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2002–03 तक	2000
हिमाचल प्रदेश				
I.	**हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला**			
1.	फैकल्टी आफ लॉ, हिमाचल प्रदेश, यूनिवर्सिटी शिमला–5	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1971
2.	स्कूल आफ लीगल स्टडीज, रिजनल सेंटर, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, धर्मशाला	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	1999
3.	स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज एच.पी. यूनिवर्सिटी, मानस शिमला–1	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	केवल 2006–07 तक	2005
4.	हिमाचल प्रदेश कालेज आफ लॉ कालाल अंब, सिरमौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2003
5.	एल.आर. इन्स्टिट्यूट आफ लीगल स्टडीज, सोलन	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2004
		3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2006
6.	एचआईएमसीएपीईएस' कोआपरेटिव स्कूल आफ लॉ, बडोहरा, ऊना (जिला)	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	केवल 2006–07 के लिए	2006
जम्मू-कश्मीर				
I.	**कश्मीर यूनिवर्सिटी, श्रीनगर**			
1.	डिपार्टमेंट आफ लॉ, कश्मीर यूनिवर्सिटी, श्रीनगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1973
2.	सोपोर लॉ कालेज, सोपोर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	1992
3.	कश्मीर लॉ कालेज, श्री नगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2005
II.	**जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मू**			
1.	डिपार्टमेंट आफ लॉ, जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मू	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1969
2.	डोगरा लॉ कालेज, जम्मू	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2000
3.	के.सी. लॉ कालेज, जम्मू	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2003
		3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2004
4.	सी.एम.एच. कालेज आफ लीगल स्टडीज, जम्मू	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2004
5.	जम्मू लॉ कालेज, जम्मू	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2004–05, 06–07, 07–08	2004
		3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2006
6.	अशोका लॉ कालेज, कठुआ	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2004

1		2	3	4
7.	कैलिओप स्कूल आफ लीगल स्टडीज, जम्मू	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2005
8.	एस.ई.टी. लॉ स्कूल, बारी ब्रहमना, जम्मू	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2006
कर्नाटक				
I.	**बंगलौर यूनिवर्सिटी, बंगलौर**			
1.	यूनिवर्सिटी कालेज आफ लॉ, बंगलोर यूनिवर्सिटी, बंगलौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	1985–86 तक 2002–03 तक	1948 1986
2.	बी.एम.एस. कालेज आफ लॉ, बंगलौर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	1962
3.	के.एल.ई. सोसाइटीज लॉ कालेज, राजाजी नगर, बंगलौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय 2007–08 तक	1975 1996
4.	डा. राम मनोहर लोहिया कालेज आफ लॉ, जयानगर, बंगलौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	1986
5.	बंगलौर इन्स्टिट्यूट आफ लीगल स्टडीज, जयनगर, बंगलौर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम 3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2010–11 तक केवल 2002–03 तक	1983 1993
6.	एम.एस. रामैय्या लॉ कालेज, बंगलौर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2010–11 तक	1995
7.	विवेकानंद कालेज आफ लॉ, राजाजी नगर, बंगलौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1983
8.	बी.ई.एस. कालेज आफ लॉ, जयानगर, बंगलौर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2001
9.	बाबू जगजीवन राम लॉ कालेज, बंगलौर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2001
10.	गवर्नमेंट लॉ कालेज, कोलार	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	स्थायी	1996
11.	श्री केंगल हनुमंतैय्या लॉ कालेज, (के.जी.एफ. लॉ कालेज) कोलार	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक 2007–08 तक	1979 1999
12.	राजीव गांधी लॉ कालेज, बंगलौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2001
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2004
13.	एल–अमीन लॉ कालेज, बंगलौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	1988
14.	श्री रामकृष्ण एजुकेशन ट्रस्ट लॉ कालेज, बंगलौर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	केवल 2003–04 तक	2001
15.	बिशप कॉटन युमेन्स क्रिस्चियन लॉ कालेज, बंगलौर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2002
16.	विश्वेश्वरपुरा कालेज आफ लॉ, बंगलौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	1972
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	1986
17.	शेशाद्रीपुरम् लॉ कालेज, बंगलौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	1984
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2004
18.	विद्योदया लॉ कालेज, टुमकुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1958
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम		
19.	पंचमी कालेज आफ लॉ, बंगलौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2002

	1	2	3	4
20.	श्री कृष्ण इन्स्टिट्यूट आफ लॉ, टुमकुर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008-09 तक	2003
		3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007-08 तक	2005
21.	आक्सफोर्ड कालेज ऑफ लॉ, बंगलौर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007-08 तक	2003
22.	सी.एम.आर. लॉ स्कूल, बंगलौर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008-09 तक	2003
23.	श्री जगदगुरू रेणुकाचार्य कालेज आफ लॉ, बंगलौर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006-07 तक	1999
24.	सर्वोदय लॉ कालेज, बंगलौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1998-99 तक	1963
		3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006-07 तक	2004
25.	इन्दिरा प्रियदर्शनी कालेज आफ लॉ, बंगलौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008-09 तक	2000
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008-09 तक	2006
			(2003-04 में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में कोई प्रवेश नहीं)	
26.	श्री बालाजी कालेज आफ लॉ, बंगलौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006-07 तक	2005
27.	टीचर्स लॉ कालेज, बंगलौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007-08 तक	2005
28.	श्री आर.ई.टी.आर.के. लॉ कालेज, बंगलौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006-07 तक	2005
29.	बसावाश्री कालेज आफ लॉ, कोलार	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008-09 तक	2006
30.	केमपेगोडा लॉ कालेज, चिकबल्लापुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008-09 तक	2006
31.	अरुणोदय इन्स्टिट्यूट आफ लीगल स्टडीज, बंगलौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008-09 तक	2006
32.	क्राईस्ट कालेज आफ लॉ, बंगलौर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	केवल 2006-07 के लिए	2006
33.	श्री शिवयोगेश्वर कालेज आफ लॉ, बंगलौर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007-08 तक	2006
34.	श्री वीरेन्द्र पाटिल लॉ कालेज, बंगलौर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	केवल 2006-07 के लिए	2006
35.	डा. बी.आर. अम्बेडकर कालेज आफ लॉ, बंगलौर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	केवल 2006-07 के लिए	2006
36.	एसएलएसआरसी हवानूर कालेज आफ लॉ, बंगलौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1999-2000 तक	1979
37.	दयानंद सागर कालेज आफ लॉ, बंगलौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1999-2000 तक	1979
38.	इस्लामिया कालेज आफ लॉ, बंगलौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1998-99 तक	1983
II.	**गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, गुलबर्गा**			
1.	एच.के.ई. सोसाइटीज सेठ शंकरलाल लाहौती लॉ कालेज, गुलबर्गा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्विद्यालय	1960
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006-07 तक	1997
2.	के.पी.ई. सोसाइटीज सिद्धार्थ लॉ कालेज, गुलबर्गा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1982
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006-07 तक	2002
3.	एस.एस. सेठ चुन्नीलाल अमरचंद बोहरा लॉ कालेज, रायचूर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1974
4.	के.आर.ई. सोसाइटीज आर.वी. बिडैप लॉ कालेज, बीदर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2004-05 तक	1975
5.	श्री महादेवप्पा गद्दागी लॉ कालेज, बीदर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005-06 तक	2003
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005-06 तक	2000

1		2	3	4
6.	वी.वी.वी. संघाज वुंकी सान्मलन्नप्पा लॉ कालेज, बेल्लारी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1975
7.	जवाहर लॉ कालेज, यादगीर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2004–05 तक	2001
III.	**कर्नाटक यूनिवर्सिटी, धारवाड़**			
1.	यूनिवर्सिटी कालेज आफ लॉ, कर्नाटक यूनिवर्सिटी,	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2010–11 तक	1998
	धारवाड़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम (बंद कर दिया गया)	1998–99 तक	1962
2.	के.पी.एस.ई. लॉ कालेज, धारवाड़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1975
3.	हुराकादली अज्जा लॉ कालेज, धारवाड़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	1983
4.	जी.एस.के. लॉ कालेज, विद्यानगर, हुबली	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1974
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2004
5.	एस.ए. मानवी लॉ कालेज, गादाग	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	स्थायी	1974
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2006
6.	के.एल.ई. सोसाइटीज बी.वी. बलाद लॉ कालेज, बेलगाम	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और	सम विश्वविद्यालय	1975
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1999
7.	राजा लक्ष्मा गोवदा लॉ कालेज, बेलगाम	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और	सम विश्वविद्यालय	1939
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1998
8.	बी.वी.वी. संघस एस.सी. नंदीमठ लॉ कालेज, बंगालकोट	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और	अनुमोदित	1986
	(पुराना नाम बस्वेश्वर लॉ कालेज है)	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2002
9.	जे.एस.एस. साकरी लॉ कालेज, हुबली	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1955
10.	एम.ई.एस. कालेज ऑफ लॉ, सिरसी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	1974
11.	अंजुमन लॉ कालेज, बीजापुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1980
12.	आर.टी.ई.एस. लॉ कालेज, रेनीबेनुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	अनुमोदित	1985
13.	के.आर.सी.ई. सोसाइटीज लॉ कालेज, बेलहोंगल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	1994
14.	श्री लक्ष्मणराव जारकोहोली लॉ कालेज, गोकाक	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	1998
15.	के.एल.ई. सोसाइटीज लॉ कालेज, छिकोडी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और	2006–07 तक	2000
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	1999
16.	श्री सिद्धेश्वर लॉ कालेज, बीजापुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2002
17.	बी.एल.डी.ई. एसोसिएशन 5 ईयर लॉ कालेज, जामखंडी	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2003
18.	ए.एस.एन.एस. महात्मा गांधी जी लॉ कालेज, सांकेश्वर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2003
19.	डी.वी.एच.डी.' एस सभास लॉ कालेज, धरवाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2006
20.	एम.पी.ई. सोसाइटीज लॉ कालेज, होनावर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2000–01 तक	

1		2	3	4
IV.	**कुवेम्पु यूनिवर्सिटी, शिमोगा**			
1.	एम.के. श्रीनिवास शेट्टी लॉ कालेज, चिकमंगलूर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2004–05 तक	1992
2.	सागर गंगोत्री कालेज आफ लॉ, सागर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	1996
3.	सी. भीमा सेना राव नेशनल कालेज आफ लॉ, शिमोगा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और	2006–07 तक	1966
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	1984
4.	एस.जे.एम. लॉ कालेज, छित्रा दुर्गा	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	1993
5.	आर.एल. लॉ कालेज, देवनगेरे	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1968
6.	सरस्वती लॉ कालेज, चित्रदुर्ग	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और	2006–07 तक	1965
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	1984
V.	**मंगलौर यूनिवर्सिटी, मंगलौर**			
1.	वैकुण्ठा बेलीगा कालेज आफ लॉ, उडुपी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1957
2.	श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर लॉ कालेज, मंगलौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1974
		और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	अनुमोदित	1984
3.	के.वी.जी. लॉ कालेज, सुलिया	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	1990
4.	विवेकानन्द लॉ कालेज, पुटुर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	1988
5.	जस्टिस के.एस. हेगड़े मेमोरियल लॉ कालेज, मंगलौर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2001–02 तक	1997
			1996–97 तक	
6.	येदथारे, मंजाइया शेट्टी लॉ कालेज, कुंडापाड़ा	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	अनुमोदित	1987
VI.	**नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलौर**			
VII.	**मैसूर यूनिवर्सिटी, मैसूर**			
1.	शारदा विलास लॉ कालेज, मैसूर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	1954
2.	जे.एस.एस. लॉ कालेज, मैसूर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1982
3.	विद्या वर्धाका लॉ कालेज, मैसूर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1974
		और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1984
4.	महाजन लॉ कालेज, जयलक्ष्मीपुरा, मैसूर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	1992
5.	एम. कृष्णा लॉ कालेज, हसन	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1974
		और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2000
6.	पी.ई.एस. लॉ कालेज, मनड्या	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1986

	1	2	3	4
7.	के.एन. नागोगवडा लॉ कालेज, मनडया (पुराना नाम शांति लॉ कालेज है।)	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक 2004–05 तक	2002 2002
8.	होम्बे गोड़ा मेमोरियल लॉ कालेज, मानडेया	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2001–02 केवल	1974
केरल				
I.	**कालीकट यूनिवर्सिटी, कोझीकोड**			
1.	राजकीय लॉ कालेज, कोझीकोड	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1970
2.	राजकीय लॉ कालेज, थिसुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	स्थायी	1995
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2002
II.	**कोचीन यूनिवर्सिटी आफ साइंस एंड टेक्नालोजी, कोचीन**			
1.	स्कूल आफ लीगल स्टडीज, कोचीन	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	स्थायी	1994
2.	नेशनल इंस्टीट्यूट् फार एडवान्स लीगल स्टडीज, कोचीन	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2002
III.	**कन्नुर यूनिवर्सिटी, कुन्नूर**			
1.	सेंटर फार लीगल स्टडीज, कन्नूर यूनिवर्सिटी, थालासेरी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	1995
IV.	**केरल यूनिवर्सिटी, थिरुवनंथपुरम**			
1.	राजकीय लॉ कालेज, थिरुवनंथपुरम	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1954
2.	केरल लॉ अकेडमी लॉ कालेज, थिरुवनंथपुरम	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1968
V.	**महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, कोटायम**			
1.	गवर्नमेंट लॉ कालेज, इराकुलम	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1875
2.	दि स्कूल आफ इंडियन लीगल थोट, कोटायम	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	स्थायी	1989
VI.	**नेशनल यूनिवर्सिटी आफ एडवान्सड लीगल स्टडीज, कोचीन**	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	केवल 2006–07	2006
(यह कोचीन यूनिवर्सिटी आफ साइन्स आफ टेक्नोलोजी के अधीन 2002–03 से 2005–06 तक महाविद्यालय था)				
मध्य प्रदेश				
I.	**अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, रीवा**			
1.	टी.आर.एस. कालेज, रीवा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1942
2.	जनता कालेज, गुर्र	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	केवल 2003–04 तक	1987

1		2	3	4
3.	गवर्नमेंट एस.के.एन. (पी.जी.) कालेज, मऊगंज	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1971
4.	एन.एस. कालेज, छेकाघाट	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1965
5.	एस.वी. कालेज, टियोनथर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1974
6.	लॉ कालेज, सतना	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1960
7.	कालेज आफ लॉ एंड लीगल एड, शहडोल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1961
8.	एस.जी.एस. गवर्नमेंट कालेज, सीधी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1973
9.	आर्ट्स एंड ला कालेज, सिंगरौली	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1973
10.	रानी दुर्गावती महाविद्यालय, सतना	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2002
11.	ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधि महाविद्यालय, जावा, रीवा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2001
12.	विंध्याचल महाविद्यालय, रीवा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2002
13.	मंगलम लॉ कालेज, रीवा	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2002
14.	श्री युत विधि महाविद्यालय, रीवा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2003
15.	स्वामी नीलकंठ महाविद्यालय, मइहर, रीवा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2004
16.	डिपार्टमेंट आफ लॉ, ए.पी.एम. विश्वविद्यालय, रीवा	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2004
17.	जनता विधि महाविद्यालय, गोहपारू, जिला शहडोल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2005
II.	**बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, भोपाल**			
1.	सैफिया आर्ट कामर्स एंड लॉ कालेज, भोपाल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1965
2.	रवीन्द्र कालेज, भोपाल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1967
3.	राजीव गांधी कालेज, भोपाल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक 2005–06 तक	1996 2000
4.	गवर्नमेंट पी.जी. कालेज, सहोर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1969
5.	एस.एस.एल जैन कालेज, विदिशा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1960
6.	एल.बी.एस. कालेज, गंज बसोदा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1966
7.	गवर्नमेंट पी.जी. कालेज, नरसिंहगढ़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम		1988
8.	गवर्नमेंट कालेज, राजगढ़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1972
9.	गवर्नमेंट नर्मदा कालेज, होशंगाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1958
10.	गवर्नमेंट पी.जी. कालेज, पिपरीया	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1989
11.	लॉ कालेज, बेतूल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1983 से पहले
12.	कैरियल कालेज आफ लॉ, भोपाल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय 2006–07 तक	1970 2004
13.	डिपार्टमेंट आफ लॉ, बरकतुलाह यूनिवर्सिटी, भोपाल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	1999

1		2	3	4
14.	मदन महाराज लॉ कालेज, भोपाल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2002
15.	बोनोह फोई कालेज, भोपाल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2003
16.	राजीव गांधी कालेज, इटारसी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2003–04 तक	2001
17.	गवर्नमेंट राज्य लॉ कालेज, भोपाल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	1979
18.	भोज विधि महाविद्यालय, भोपाल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2002
19.	जय हिंद डिफेंस कालेज आफ लॉ, भोपाल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2005
20.	राजकीय कला वाणिज्य महाविद्यालय, हारदा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2005
21.	जे.एच. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेतुल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम (1997–98 से 2005-06 तक कोई दाखिला नहीं)	2007–08 तक	1983
22.	स्वामी विवेकानंद लॉ कालेज, भोपाल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1996–97 तक	1995
23.	चित्रांश ए.डी. लॉ कालेज, भोपाल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1996–97 तक	
24.	साधू वासवानी, लॉ कालेज, भोपाल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1996–97 तक	
25.	इन्दिरा प्रियादर्शिनी लॉ कालेज, भोपाल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1997–98	1996
26.	राजकीय महाविद्यालय, बरेली रेजन	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1996–97 तक	1981
III.	**देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, इंदौर**			
1.	गवर्नमेंट आर्ट एंड कार्मस कालेज, इंदौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1891
2.	इंदौर क्रिश्चियन कालेज, इंदौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1955
3.	एम.एन.एल. लॉ कालेज, खंडवा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1960
4.	गवर्नमेंट पी.जी. कालेज, धार	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1960
5.	गवर्नमेंट कालेज, झाबुआ	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1973
6.	गवर्नमेंट कालेज, खारगोन	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1969
7.	सेवा सदन कालेज, बुरहानपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1961
8.	गवर्नमेंट पी.जी. कालेज, बरवानी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1969
9.	गवर्नमेंट लॉ कालेज, अलीराजपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम		1989
10.	इंदौर इंस्टीट्यूट आफ लॉ, इंदौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2003
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	केवल 2007–08	2007
11.	आर.सी. जॉल लॉ कालेज, मऊ	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	1974

	1	2	3	4
12.	श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट आफ लॉ, इंदौर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2004
13.	श्री गुरू गोविन्द सिंह लॉ कालेज, इंदौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2004
14.	एम.बी. खालसा लॉ कालेज, इंदौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2004
15.	स्कूल आफ लॉ, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, इंदौर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2002–03 तक	1998
16.	क्रिशियन एमिनेंट एकेडमी आफ मैनेजमेंट, प्रोफेशनल एडुकेशन एंड रिसर्च, इंदौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	केवल 2005–06	2005
17.	पी.एम.बी. गुजराती कला वाणिज्य और लॉ कालेज, इंदौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1999–2000	1963
IV.	**डा. हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी, सागर**			
1.	जे.एल.पी. लॉ कालेज, दमोह	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1964
2.	गवर्नमेंट पी.जी. कालेज, बीना	3 वर्षीय पाठ्यक्रम		1963
3.	सतपुरा लॉ कालेज, छिंदवाड़ा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	स्थायी	1962
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2006
4.	डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, डा. हरि सिंह गौर यूनियर्सिटी, सागर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय 2005–06 तक	1946 2004
5.	पं. मोती लाल नेहरू विधि महाविद्यालय, छतरपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1961
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2006
6.	डी.बी.सी. महाविद्यालय, पन्ना	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1963
7.	गवर्नमेंट पी.जी. कालेज, छिंदवाडा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2010–11 तक	2002
8.	गवर्नमेंट पी.जी. नेहरू कालेज, देवरी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1997–98 तक	1995
9.	जे.एल. नेहरू मेमोरियल कालेज, सोहगपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1997–98 तक	1989
V.	**जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर**			
1.	माधव महाविद्यालय, ग्वालियर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1969
2.	महारानी लक्ष्मी बाई कालेज आफ एक्सीलैंस, ग्वालियर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय 2008–09 तक	1948 2002
3.	महात्मा गांधी लॉ कालेज, ग्वालियर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक 2008–09 तक	2002 2002
4.	गवर्नमेंट एम.जे.एस. महाविद्यालय, भिंड	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1999
5.	गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट महाविद्यालय, शिवपुरी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1999

1		2	3	4
6.	गवर्नमेंट पी.जी. महाविद्यालय, मुरैना	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	1996
7.	इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	1999
8.	गवर्नमेंट पी.जी. महाविद्यालय, गुना	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	1965
9.	गुरूकुल कालेज आफ लॉ, दतिया	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2003
10.	जे.पी. गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, ग्वालियर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2003
11.	गवर्नमेंट नेहरू महाविद्यालय, अशोक नगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	1998
12.	सर्व धर्म विधि महाविद्यालय, ग्वालियर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2005
13.	चौ. दलीप सिंह लॉ कालेज, भिन्ड	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2005
14.	ग्वालियर लॉ कालेज, ग्वालियर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2006
15.	गवर्नमेंट पी.जी. कालेज, दतिया	3 वर्षीय पाठ्यक्रम (2000–01 से 2005–06 तक कोई दाखिला नहीं)	2008–09 तक	1984
16.	त्रिमूर्ति लॉ कालेज, ग्वालियर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2007
17.	गवर्नमेंट माडर्न वुमेन्स लॉ कालेज, ग्वालियर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1996–97 तक	
18.	महाराजा मानसिंह लॉ कालेज, ग्वालियर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2004–05 तक	
19.	ऋषि गाल्व लॉ कालेज, मोरेना	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1996–97 तक	1985
20.	एस.एल.पी. गवर्नमेंट कालेज, मोरार	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1996–97 तक	
VI.	**नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल**	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2002–03 तक (मान्यता के लिए निरीक्षण लंबित)	1998
VII.	**रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, जबलपुर**			
1.	डिपार्टमेंट आफ लॉ, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, जबलपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय 2005–06 तक	1961 2000
2.	हितकारिणी लॉ कालेज, जबलपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1933
3.	एन.ई.एस. लॉ कालेज, जबलपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1956
4.	गवर्नमेंट पी.जी. कालेज, नरसिंह पुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1979
5.	गवर्नमेंट पी.जी. कालेज, बालाघाट	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	विनिश्चय लंबित	1984
6.	गवर्नमेंट पी.जी. कालेज, सोयनी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1981

1		2	3	4
7.	गवर्नमेंट एस.एस.पी. पोस्ट ग्रेजुएट महाविद्यालय, वरासोइनी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1970
8.	गवर्नमेंट आर.डी.सी. पोस्ट ग्रेजुएट महाविद्यालय, मंडला	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1981
9.	संजय गांधी लॉ कालेज, कटनी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1981
10.	सैन्ट्रल इंडिया ला इंस्टीट्यूट, जबलपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2003–04 तक	1999
11.	नीलकंठ विधि महाविद्यालय, जबलपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम (2001–02 और 2002–03 में कोई अनुमोदन नहीं)	2006–07 तक	1998
12.	ए.पी. नर्मदा लॉ कालेज, जबलपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2006
VIII.	**विक्रम यूनिवर्सिटी, उज्जैन**			
1.	गवर्नमेंट नेहरू कालेज, आगर, मालवा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1970
2.	गवर्नमेंट के.पी. कालेज, देवास	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1950
3.	के.एन. काटजु लॉ कालेज, रतलाम	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1963
4.	बी.एस.एन. गवर्नमेंट कालेज, शाजपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1971
5.	गवर्नमेंट जे.एन.एस. कालेज, शुजालपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1968
6.	माधव गवर्नमेंट, उज्जैन	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1964
7.	संदीपनी लॉ कालेज, उज्जैन	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1966
8.	श्री जे.एन. विधि महाविद्यालय, मंदसौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1965
9.	ज्ञान मंदिर कालेज, नीमच	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1965
10.	नव संयत लॉ कालेज, उज्जैन	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	केवल 2005–06	2005
महाराष्ट्र				
I.	**भारती विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, पुणे**			
1.	भारती विद्यापीठ का न्यू लॉ कालेज, पुणे	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1996
II.	**डा. बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद**			
1.	डा. अम्बेडकर लॉ कालेज, औरंगाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1996
2.	एन.पी.वी.एन. पाटिल लॉ कालेज, सी.आई.डी.सी.ओ. औरंगाबाद	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	1996

	1	2	3	4
3.	एम.पी. लॉ कालेज, औरंगाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1956
4.	स्वामी विवेकानंद शिक्षण लॉ कालेज, औसमानाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	1984
5.	एम.एस.पी. मंडलस लॉ कालेज, बीड	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1979
6.	मत्स्योदरी शिक्षण संस्था लॉ कालेज, जालना	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2002
III.	**मुम्बई यूनिवर्सिटी, मुम्बई**			
1.	गवर्नमेंट लॉ कालेज, चर्च गेट, मुम्बई	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय अनुमोदित	1855
2.	न्यू लॉ कालेज, मटुंगा, मुंबइ	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1954
3.	सिद्धार्थ कालेज आफ लॉ, फोर्ट, मुम्बई	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1956
4.	के.सी. लॉ कालेज, चर्च गेट, मुंबई	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1955
5.	गोपालदास झामतमल आडवाणी लॉ कालेज, बांद्रा, मुंबई	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1977
6.	डा. अम्बेडकर कालेज आफ लॉ, वडाले, मुम्बई	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1977
7.	जितेन्द्र चौहान कालेज आफ लॉ, विले पारले, मुंबई	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम 2006–07 तक	1977 2004
8.	वी.पी. मंडलस थाने म्यूनीसिपल काउंसिल्स लॉ कालेज, थाने	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1972
9.	एस.एस.एस. नालंदा लॉ कालेज, मुंबई	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक 2005–06 तक	2002 2002
10.	पदमश्री डा. डी.वाई. पाटील कालेज ऑफ लॉ, मुम्बई	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2003
11.	रिजवी लॉ कालेज, मुम्बई	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2002
12.	महात्मा गांधी मिशन्स कालेज आफ लॉ, नवीं मुम्बई	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2002
13.	महात्मा गांधी एजुकेशन सोसायटी पिल्लियस लॉ कालेज, नवी मुम्बई	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2004
14.	एडवोकेट दत्ता पाटिल कालेज ऑफ लॉ, अलीबाग	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2000
15.	लाला लाजपत राय कालेज ऑफ लॉ, मुम्बई	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2005
16.	हैदराबाद (सिंध) नेशनल कालेजिएट बोर्ड्स, नवीं गुरशाहनी लॉ कालेज, उह्लासनगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2004

1		2	3	4
17.	आर.ई. सोसाइटीज श्रीमान भागोजीसेठ कीर लॉ कालेज, रत्नागिरी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2002–2003 तक केवल 2003–2004 के लिए	1995 2003
18.	राजर्शि साहू कालेज आफ लॉ, सैन मुम्बई	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	केवल 2005–06	2005
19.	लार्डरा कालेज ऑफ ला, मालाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2006
20.	मंजरा चेरीटेबल ट्रस्टस कालेज ऑफ लॉ, नवी मुम्बई	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2006
IV.	**नागपुर युनिवर्सिटी, नागपुर**			
1.	डा. अम्बेडकर कालेज ऑफ लॉ, नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम अनुमोदन	1925 1984
2.	डा. अम्बेडकर कालेज, कालेज ऑफ लॉ, दीक्षा भूमि	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–0 7तक	1984
3.	एन.एम.डी. आर्ट्स और कामर्स कालेज, गोंडिया	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1969
4.	यशवंत महाविद्यालय वर्धा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1970
5.	जी.एच. रायसोनी लॉ स्कूल, नागपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2004
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2004
6.	जय महाकाली शिक्षण संस्थान अग्निहोत्री कालेज ऑफ लॉ, वर्धा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2004
7.	संतराम पोटदुखे नेशनल अकादमी फार लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, चंद्रपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	1974
		5 वर्षीय बी.ए.एल.एल.बी. (आनर्स)	2007–08 तक	2005
8.	डा. बाबासाहेब अम्बेडकर कालेज आफ लॉ, भंडारा	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2000
9.	सेंट्रल इंडिया कालेज आफ लॉ, नागपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2005
10.	एम.बी. पटेल डिग्री कालेज ऑफ लॉ, भंडारा	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2003–04 तक	2002
11.	लेट गोविंद राव वंजारी कालेज ऑफ लॉ, नागपुर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2006
12.	महर्षि कर्व श्री शिक्षा संस्थानंस लॉ कालेज फॉर वुमेन, नागपुर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	केवल 2006–07 तक	2006
V.	**नार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जलगांव**			
1.	के.सी.एस. सोसाइटी मणियर लॉ कालेज, जलगांव	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम अनुमोदन	1970
2.	डा. बाबासाहेब अम्बेडकर मेमोरियल लॉ कालेज, धुले	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम अनुमोदन	1975
3.	नन्दुरबार तालुका विधायक समितिज कालेज आफ लॉ, इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल एडूकेशन रिसर्च	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1999

1		2	3	4
4.	डा. उल्हारा पाटिल लॉ कालेज, जलगांव	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2003
5.	के.ई. सोसाइटीज लॉ कालेज, अमलनेर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2005·
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	
VI.	**पुणे यूनिवर्सिटीज, पुणे**			
1.	दि न्यू लॉ कालेज, अहमदनगर	3 वर्षीय 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम/अनुमोदन	1970
2.	एम.जी. विद्या मंदिर के.बी.एच. लॉ कालेज, मालेगांव	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1971
3.	आईएलएस लॉ कालेज, पुणे	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम/अनुमोदम	1924
4.	ए.बी.एम.एस.पी.वाई. राव चव्हाण लॉ कालेज, पुणे	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम/अनुमोदन	1978
5.	एम.सी.ई. सोसाइटीज ए.के. खान लॉ कालेज, पुणे	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1991
6.	एन.बी. ठाकुर लॉ कालेज, नासिक	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम/अनुमोदन	1969
7.	विद्या प्रतिष्ठान लॉ कालेज, बारामती	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	1997
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2002.
8.	खसदुर गोविंदपुर आदिक लॉ कालेज, श्रीरामपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2000
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम		
9.	पदमश्री डा. वी.वाई पाटिल लॉ कालेज, पिमपिरी पुणे	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2001
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम		
10.	नवजीवन लॉ कालेज, नासिक	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1999
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	केवल 2005–06 तक	1999
11.	लॉ कालेज, खारदी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक केवल 2005–05 तक	2002 2002
12.	एस.पी. संस्था लॉ कालेज, संगमनेर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	1999
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	1998
13.	मराठवाड़ा मित्रा मंडल्स शंकरराव चौहान लॉ कालेज, पुणे	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक (2005–06 में कोई प्रवेश नहीं)	2003
14.	बालाजी लॉ कालेज, पुणे	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2003
15.	सिंघड लॉ कालेज, पुणे	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2003

	1	2	3	4
16.	राजश्री शिवराज प्रतिष्ठान्स महाराष्ट्र लॉ कालेज, पुणे	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2003
17.	श्री शिवाजी मराठा सोसाइटी लॉ कालेज, पुणे	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2003
18.	पी.ई.एस. माडर्न लॉ कालेज, पुणे	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2004
19.	डक्कन एजुकेशन्स लॉ कालेज, पुणे	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2004
20.	एन.डी.एम.वी.पी. समाज लॉ कालेज, नासिक	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2005
21.	अभिनव एजुकेशन सोसाइटीज लॉ कालेज, अंबागांव पुणे	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	केवल 2005–06	2005
VII.	**संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती**			
1.	डा. पंजाब राव देशमुख कालेज ऑफ लॉ, अमरावती	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम केवल 2005–06	1947 2005
2.	श्रीमती सीताबाई आर्ट्स कालेज, अकोला	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम 2007–08 तक	1956 2006
3.	अमोलकचंद महाविद्यालय, यवतमाल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम 2006–07 तक	1962 2003
4.	एडवोकेट रामाकृष्णाजी राठी लॉ कालेज वासिम	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2000
5.	विनायक विद्यामंदिर कालेज ऑफ ला अमरावती	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2002
6.	श्री रामबाहू शिलके ला कालेज, खेमगांव	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक 2005–06 तक	2001 2003
7.	मुकुल वासनी कालेज ऑफ लॉ, बुलदाना	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2001
8.	अकोला ला कालेज, अकोला	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2005
VIII.	**शिवाजी युनिवर्सिटी, कोल्हापुर**			
1.	शाहाजी लॉ कालेज, कोल्हापुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम अनुमोदन	1933
2.	न्यू लॉ कालेज, कोल्हापुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक 2005–06 तक	1982
3.	एन.एस. लॉ कालेज, सांगली	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम अनुमोदन	1969
4.	इसमाइल साहेब मुल्ला लॉ कालेज, सतारा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम अनुमोदन	1968
5.	डी.जी.बी. दयानन्द लॉ कालेज, सोलापुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम अनुमोदन	1964

	1	2	3	4
6.	राजर्षि साहू लॉ कालेज, बारसी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम अनुमोदन	1972
7.	प्रियदर्शनी ध्यान प्रबोधिनी लॉ कालेज, फाल्टन	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	1991
8.	यशवंतराव चह्वाण लॉ कालेज, खारद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2000
9.	न्यू लॉ कालेज, सांगली	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	1996
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	1999
10.	कर्मवीर अडुमबर पाटिल लॉ कालेज, पंढारपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2003
IX.	**श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसे वूमेन्स विश्वविद्यालय, मुम्बई**			
1.	डिपार्टमेंट आफ लॉ, एस.एन.डी.टी. वुमेन्स विश्वविद्यालय, मुम्बई	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2006
X.	**स्वामी रामानंद तीर्थ मराठावाड़ा यूनिवर्सिटी, नांदेड**			
1.	दयानंद कालेज आफ लॉ, लातूर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1971
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2000
2.	श्री शिवाजी लॉ कालेज, कांधार	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1998
3.	श्री शारदा भवन एजुकेशन सोसाइटीज लॉ कालेज, नान्देड	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1970
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1985
4.	श्री शिवाजी लॉ कालेज, प्रभानी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1983
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2000
5.	बी.बी.एस.पी. मंडल संत तुकाराम लॉ कालेज, उदगीर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2005
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2005
6.	श्री सेवादास शिक्षण परसरक मंडल महात्मा गांधी लॉ कालेज, नांदेड	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2005
XI.	**सिंबियोसिस इंटरनेशनल एजुकेशनल सेंटर, सम यूनिवर्सिटी, पुणे**			
1.	सिंबियोसिस सोसाइटीज लॉ कालेज, पुणे	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम अनुमोदन	1977
मणिपुर				
I.	**मणिपुर यूनिवर्सिटी, इंफाल**			
1.	एल.एम.एस. लॉ कालेज, इम्फाल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1958
2.	रॉयल एकेडमी ऑफ लॉ, ओनियम	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2003–04 तक	1994
3.	एल.एम.जी. मेमोरियल लॉ कालेज, चुराचांदपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2003–04 तक (2006–07 के लिए छात्रों को प्रवेश के लिए अनुज्ञात किया जाता है।	1982

1		2	3	4
मेघालय				
I.	नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग			
1.	शिलांग लॉ कालेज, शिलांग	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1964
2.	तुरा लॉ कालेज, तुरा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1975
3.	खत–अर–दोलोई लॉ कालेज, जोवाई	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	लंबित निर्णय	1986
4.	डिपार्टमेंट आफ लॉ, नेहू, शिलांग	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2005
मिजोरम				
I.	मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइजोल			
1.	मिजोरम लॉ कालेज, आइजौल (पुराना नाम आईजोल लॉ कालेज है)	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	1983
2.	लियेनडिग प्यूआ लॉ कालेज, आइजोल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	केवल 2003–04 तक	1996
नागालैंड				
I.	नागालैंड यूनिवर्सिटी, कोहिमा			
1.	कोहिमा लॉ कालेज, कोहिमा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1997–98 तक	1978
2.	मोकोक्चुंग लॉ कालेज, मोकोक्चुंग	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	1981
3.	सिटी लॉ कालेज, दीमापुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2003–04 तक	1994
उड़ीसा				
I.	बहरामपुर यूनिवर्सिटी, बहरामपुर			
1.	लिंगराज लॉ कालेज, बहरामपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	1969
2.	गंजम लॉ कालेज, बहरामपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	1983
3.	जेपोर लॉ कालेज, जेपोर बहरामपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1990
4.	बहरामपुर लॉ कालेज, ब्रहमपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2002–03 तक	1990
II.	फकीर मोहन यूनिवर्सिटी, बालासोर			
1.	बालासोर लॉ कालेज, बालासोर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1949
2.	भद्रक लॉ कालेज, भद्रक	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	1993
III.	नार्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी, मयूरभंज			
1.	क्योंझर लॉ कालेज, क्योंझर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	1986
2.	मयूरभंज लॉ कालेज, डाकघर बरीपाड़ा, जिला मयूरभंज	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1978
IV.	संभलपुर यूनिवर्सिटी, संभलपुर			
1.	लाजपत राय लॉ कालेज, संभलपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1965
2.	राउरकेला लॉ कालेज, राउरकेला	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1974

1		2	3	4
3.	याल गंगाधर तिलक लॉ कालेज, सोनपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	1994
4.	यालनगीर लॉ कालेज, बालनगीर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1982
5.	बारगढ़ लॉ कालेज, बारगढ़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	1993
6.	कालाहांडी लॉ कालेज, कालाहांडी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1986
7.	डा. बी.आर. अम्बेडकर लॉ कालेज, धर्मगढ़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2005
V.	**उत्कल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर**			
1.	गंगाधर मोहापात्रा लॉ कालेज, पुरी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	1981
2.	कैपिटल लॉ कालेज, भुवनेश्वर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1982
3.	कलिंग लॉ कालेज, भुवनेश्वर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2001
4.	जगजीवन राम लॉ कालेज, भुवनेश्वर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2003–04 तक	1998
5.	श्री विश्वगुरू लॉ कालेज, कलिबदा, शिखापुर कटक	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	स्थाई	1989
6.	बिराज लॉ कालेज, जाजपुर, जिला कटक	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	स्थाई	1989
7.	मधुसूदन लॉ कालेज, कटक	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1949
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	केवल 2003–04 तक	1997
8.	डी.एस. लॉ कालेज, केन्द्रपारा, कटक	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	स्थाई	1986
9.	दि लॉ कालेज, बी.पी. एरिया सेक्टर–1, कटक	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	1981
10.	अथगढ़ लॉ कालेज, अथगढ़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2004–05 तक	1997
11.	गोकुलनंद महारथी लॉ कालेज, भुवनेश्वर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2003–04 तक (1998–99, 1999–2000 और 2004–05 में कोई प्रवेश नहीं)	1993
12.	धेनकानेल लॉ कालेज, धेनकानेल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	1981
13.	यूनिवर्सिटी कालेज ऑफ लॉ, वानी विहार, भुवनेश्वर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और	सम	1975
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2003–04 तक	1977
पांडिचेरी				
I.	**पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, पांडिचेरी**			
1.	डा. अम्बेडकर लॉ कालेज, पांडिचेरी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	स्थाई	1972
पंजाब				
I.	**गुरूनानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर, पंजाब**			
1.	डिपार्टमेंट आफ लॉ, गुरूनानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1972
2.	डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी, रीजनल सेंटर, गुरूनानक देव यूनिवर्सिटी, जालंधर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1971

1		2	3	4
3.	रीजनल सेंटर, गुरूनानक देव यूनिवर्सिटी, गुरूदासपुर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005-06 तक	1999
4.	स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज, गुरूनानक देव यूनिवर्सिटी, जालंधर	5 वर्षीय (आनार्स) पाठ्यक्रम	2005-06 तक	2002
5.	लवली इंस्टीट्यूट आफ लॉ, फगवाड़ा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005-06 तक	2003
6.	बी.एम.एस. लॉ कालेज, बटाला	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006-07 तक	2004
		3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007-08 तक	2006
7.	सेंट सोल्जर लॉ कालेज, जालंधर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006-07 तक	2004
8.	के.सी.एल. इंस्टीट्यूट आफ लॉज फार वुमन, जालंधर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007-08 तक	2005
चंडीगढ़				
II.	**पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़**			
1.	डिपार्टमेंट आफ लॉ, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1947
2.	डिपार्टमेंट आफ लॉ, पंजाब यूनिवर्सिटी, रीजनल सेंटर, मुक्तसर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005-06 तक	2001
3.	रायत कालेज आफ लॉ रेलमाजरा, जिला नवानशहर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007-08 तक	2004
4.	इंस्टीट्यूट आफ लॉ, पंजाब यूनिवर्सिटी, रीजनल सेंटर, लुधियाना	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007-08 तक	2005
5.	यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006-07 तक	2004
6.	गुरू हरगोविन्द इंस्टीट्यूट आफ लॉ फार वुमेन, लुधियाना-मोगा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007-08 तक	2006
7.	गुरू नानक कालेज आफ लॉ, लुधियाना	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007-08 तक	2006
III.	**पंजाब यूनिवर्सिटी, पटियाला**			
1.	डिपार्टमेंट आफ लॉ, पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1965
2.	आर्मी इंस्टीट्यूट आफ लॉ, पटियाला	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007-08 तक	1999
3.	गुरु काशी रीजनल सेंटर, पंजाबी यूनिवर्सिटी, भटिंडा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005-06 तक	1999
4.	भाई गुरदास कालेज आफ लॉ, संगरूर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008-09 तक	2003

1		2	3	4
5.	लिंकन कालेज आफ लॉ, पटियाला	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2004
6.	पंजाब कालेज ऑफ लॉ, पटियाला	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2004
7.	बाबा फरीद लॉ कालेज, फरीदकोट	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2004
8.	सरदार अमरजीत सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट आफ लॉ, धनथल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2004
9.	रायट एंड बहाराज कालेज आफ लॉ, सहारौन	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2005
राजस्थान				
I.	**जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर**			
1.	फैकल्टी आफ लॉ, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1947
2.	महिला महा विद्यालय, जोधपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2003
3.	जोधपुर लॉ कालेज एंड रिसर्च सेंटर, जोधपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2005
II.	**महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी, अजमेर**			
1.	श्री एम.एल.वी. गवर्नमेंट कालेज, भीलवाड़ा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1971
2.	गवर्नमेंट कालेज, अजमेर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1967
3.	गवर्नमेंट बेंगुर कालेज, पाली	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	1961
4.	श्री बी.आर. मिर्धा राजकीय कालेज, नागौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1980
5.	संत परमहंस लॉ कालेज, अजमेर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2004–05 तक	2003
6.	अजयमेरू लॉ कालेज, अजमेर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक (2005–06 में कोई प्रवेश नहीं)	2003
7.	डा. अम्बेडकर महाविद्यालय, टोंक	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2004
8.	रणथम्भौर लॉ कालेज, सवाई माधोपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2003
9.	राजीव गांधी महाविद्यालय, टोंक	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2003
10.	दयानंद कालेज, अजमेर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1999–2000 तक	1970
III.	**मोहनलाल सुखाडिया यूनिवर्सिटी, उदयपुर**			
1.	यूनिवर्सिटी कालेज आफ लॉ, एम.एस. यूनिवर्सिटी, उदयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1945
2.	डा. नागेन्द्र सिंह कालेज ऑफ लॉ, भारतीय विद्या भवन मंदिर, बंसवाड़ा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	1985
3.	गवर्नमेंट लॉ कालेज, सिरोधी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2003–04 तक	1984

1		2	3	4
4.	उदयपुर कालेज आफ लॉ स्टडीज, उदयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2004–05 तक	2003
5.	भोपाल नोबेल लॉ कालेज, उदयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2003
6.	वर्धमान कालेज, उदयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2003
7.	डा. अनुष्का विधि महाविद्यालय, उदयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक (2005–06 में कोई प्रवेश नहीं)	2003
8.	द्वारकेश लॉ कालेज, राजसमंद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2004–05 तक	2003
9.	रविन्द्र नाथ टैगोर लॉ कालेज, गांधीनगर चित्तौड़गढ़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक (2005–06 में कोई प्रवेश नहीं)	2003
IV.	**नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर**	बीबीए एलएलबी, बी.एस.सी. एल.एल.बी. मान्यताप्राप्त		1999
V.	**राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर**			
1.	बी.एस.आर. गवर्नमेंट आर्ट कालेज, अलवर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1979
2.	यूनिवर्सिटी कालेज आफ लॉ, यूनिवर्सिटी आफ राजस्थान, जयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1947
3.	एस.के. गवर्नमेंट कालेज, सिकार	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	1979
4.	एम.एस.के. कालेज, भरतपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1971
5.	गवर्नमेंट कालेज, धौलपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1979
6.	खंडेलवाल लॉ कालेज, भरतपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2002
7.	जयपुर लॉ कालेज, जयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2002
8.	विद्यास्थली लॉ कालेज, जयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2002
9.	महात्मा ज्योति राव फूले वीमन्स लॉ कालेज, जयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2002
10.	महर्षि दयानंद लॉ कालेज, जयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2003
11.	संजय गांधी कालेज आफ लॉ, जयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2003
12.	राजपुताना लॉ कालेज, जयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2003
13.	शहीद भगतसिंह लॉ कालेज, सीकर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2003
14.	सेठ मोतीलाल लॉ कालेज, झुंझनू	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2003
15.	यूनिवर्सिटी लॉ कालेज, सेंटर 2, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2004–05 तक	1992
16.	भगवान महावीर लॉ कालेज एंड रिसर्च सेंटर, जयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2003
17.	शहीद भगतसिंह विधि महाविद्यालय, खातीपुरा, जयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक (2005–06 में कोई प्रवेश नहीं)	2003
18.	आकाशदीप गर्ल्स लॉ कालेज, जयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2003

1		2	3	4
19.	दौसा लॉ कालेज, दौसा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2003
20.	सेंट विल्फ्रेड कालेज आफ लॉ, जयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2003
21.	महावीर लॉ कालेज, जयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2003
22.	श्री भवानी निकेतन लॉ कालेज, जयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2004
23.	राजस्थान लॉ कालेज, सीकर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2005
24.	आर्य कन्या विधि महाविद्यालय, अलवर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2005
25.	राजस्थान लॉ कालेज, चिराया जिला, झुनझुनू	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	केवल 2005–06 तक	2005
26.	श्री कृष्णा एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज, अलवर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2005
27.	राजधानी लॉ कालेज, जयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2004
28.	दीपशिखा लॉ कालेज, जयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2004
29.	टैगोर पब्लिक लॉ कालेज, कोठपुतली	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2004
30.	भारत लॉ कालेज, जयपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2007
31.	बाबा मूंगीपा लॉ कालेज, पिलानी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1996–97 तक	1988
VI.	**बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर**			
1.	बी जे एस आर जैन कालेज, बीकानेर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1973
2.	गवर्नमेंट डूंगर कालेज, बीकानेर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1948
3.	गवर्नमेट लोहिया पी.जी. कालेज, चुरु	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1979
4.	एन.एम. लॉ कालेज, हनुमानगढ़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1980
5.	सेठ जी एल बिहानी एस.डी. कालेज, श्री गंगानगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	स्थाई	1967
6.	एस.जी.एन. खालसा कालेज, श्री गंगा नगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1974
7.	गवर्नमेंट पी.जी. कालेज, श्री गंगानगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम		1979
8.	ज्ञान विधि महाविद्यालय, बीकानेर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2005
9.	महर्षि दयानंद लॉ कालेज, श्री गंगा नगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2003
10.	वाई.एम. लॉ कालेज, बीकानेर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2003–04 से 2004–05	

(उन छात्रों को अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए अनुज्ञा दी गई जिन्हें ऊपर वर्णित अकादमिक वर्षों में प्रवेश दिया गया था। और कोई प्रवेश नहीं।)

VII.	**कोटा विश्वविद्यालय, कोटा**			
1.	भारत लॉ कालेज, कोटा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2003–04 तक	2002
2.	गवर्नमेंट कालेज, कोटा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1948
3.	गवर्नमेंट कालेज, झालावाड	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	1985
4.	गवर्नमेंट कालेज, बूंदी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	1979
5.	वीना मेमोरियल लॉ कालेज, कारोली	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2005

1		2	3	4
सिक्किम				
I.	**नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, राजाराममोहनपुर**			
1.	सिक्किम गवर्नमेंट लॉ कालेज, सिक्किम	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	बंद कर लिया गया	1980
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	अनुमोदन	1996
तमिलनाडु				
I.	**तमिलनाडु डा. अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, चेन्नई**			
1.	सेंट्रल लॉ कालेज, सालेम	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	1982
2.	गवर्नमेंट लॉ कालेज, तिरुनेलवेल्ली	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1996
3.	गवर्नमेंट लॉ कालेज, त्रिची	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08	1979
4.	गवर्नमेंट लॉ कालेज, कोयम्बटूर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	स्थाई	1979
5.	डा. अम्बेडकर गवर्नमेंट लॉ कालेज, चेन्नई	5 वर्षीय (बी.ए.बी.एल.) आनर्स 3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम (2002–03, 2003–04 में तीन वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं)	2006–07 तक	2002
6.	गवर्नमेंट लॉ कालेज, मदुरई	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1974
7.	स्कूल ऑफ एक्सीलैंस, तमिलनाडु डा. अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, चेन्नई	5 वर्षीय (विधि स्नातक) आनर्स	2005–06 तक	2002
8.	यूनिवर्सिटी लॉ कालेज, द तमिलनाडु डा. अंबेडकर विश्वविद्यालय, चेंगलपट्टू	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2004–05 तक	2004
त्रिपुरा				
I.	**त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला**			
1.	त्रिपुरा गवर्नमेंट लॉ कालेज, अगरतला	5 वर्षीय पाठ्यक्रम		1998
		3 वर्षीय पाठ्यक्रम	1997–98 तक	1986
उत्तराखंड				
I.	**हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल**			
1.	डी ए वी कालेज, देहरादून	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	1948
2.	एस.आर.टी. कांस्टी. कालेज, टेहरी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1975
3.	डा. बी.जी. रेड्डी कान्स्टी. कालेज, पौड़ी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1977.
4.	गवर्नमेंट डिग्री कालेज, गोपेश्वर गढ़वाल	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	1979
5.	सुशीला देवी सेंटर फार प्रोफेशनल स्टडीज एंड रिसर्च लॉ कालेज, देहरादून	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2002

1		2	3	4
6.	यूनीसन लॉ कालेज, देहरादून	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2005
7.	शीशंबपुर सहाय लॉ इंस्टीट्यूट, रुड़की	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	केवल 2005–06	2005
8.	बी एस एम लॉ कालेज, रुड़की	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	केवल 2005–06	2005
9.	रुड़की लॉ कालेज, रुड़की	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2005
10.	लिबरा कालेज ऑफ लॉ, देहरादून	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2006
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2007
II.	**आई सी एफ ए विश्वविद्यालय, देहरादून**			
1.	स्कूल ऑफ लॉ, आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, देहरादून	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक 2006–07 तक	2004 2005
III.	**कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल**			
1.	विधि संकाय कुमाऊं विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1976
2.	चाणक्य लॉ कालेज, रुद्रपुर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2004
IV.	**पेट्रोलियम और ऊर्जा स्टडीज विश्वविद्यालय, देहरादून**			
1.	कालेज ऑफ लीगल स्टडीज पेट्रोलियम और ऊर्जा स्टडीज़ विश्वविद्यालय, देहरादून	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2007
उत्तर प्रदेश				
I.	**अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़**			
1.	विधि संकाय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	100 वर्षों से अधिक
II.	**इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद**			
1.	विधि संकाय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम 2007–08 तक	1872 2005
2.	इलाहाबाद डिग्री कालेज, इलाहाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1972
3.	सी.एम.पी. डिग्री कालेज, इलाहाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1950
III.	**एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा**			
1.	एमिटी यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल, लखनऊ	5 वर्षीय बी.ए.एल.एल.बी	2008–09 तक	2007
IV.	**बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी**			
1.	यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1916
V.	**बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी**			
1.	बुन्देलखंड कालेज, झांसी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	केवल 2005–06 तक	1961
2.	बी.जी.आर. इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, बुन्देलखंड, यूनिवर्सिटी झांसी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2004–05 तक	2002

1		2	3	4
3.	डा. बाबा साहिब अम्बेडकर कालेज आफ लॉ गिरवान, बांदा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07	2006
4.	बुन्देलखंड लॉ डिग्री कालेज, ऊरई	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2009–2010 तक	2007
VI.	**चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (पूर्व में मेरठ विश्वविद्यालय)**			
1.	मेरठ कालेज, मेरठ	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1893
2.	एन.ए.एस. कालेज, मेरठ	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1958
3.	जे.वी. जैन कालेज, सहारनपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1958
4.	डी.ए.वी. कालेज, मुजफ्फरनगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1959
5.	एन.आर.ई.सी. कालेज, खुर्जा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1952
6.	ट्रान्सलेम कालेज आफ ला, मेरठ	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2002
7.	सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, मेरठ	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2002
8.	आई.आई.एम.टी. लॉ कालेज, मेरठ	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और	2007–08 तक	2004
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2003
9.	मेवाड़ इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, गाजियाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2000
10.	आई.एम.ई. ला कालेज, साहिबाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और	2008–2009 तक	2002
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2003
11.	आई.पी.एस. लॉ कालेज, गाजियाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2002
12.	आई.एम.आर.लॉ कालेज, गाजियाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2002
13.	जनहित कालेज आफ लॉ, ग्रेटर नोएडा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और	2008–09 तक	2002
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2005
14.	इन्टिग्रेटेड स्कूल आफ लॉ, गाजियाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और	2007–08 तक	2002
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2006
15.	लॉयड लॉ कालेज, ग्रेटर नोएडा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2003
16.	एस.डी. कालेज आफ लॉ, मुजफ्फरनगर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2003
17.	दून लॉ कालेज, सुन्दरपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और	2005–06 तक	2003
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2004

1		2	3	4
18.	बी.डी.एस. स्कूल आफ लॉ, मेरठ	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005-06 तक	2003
19.	आई.टी.एस. लॉ कालेज, मोहन नगर	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006-07 तक	2004
20.	मार्डन कालेज आफ लॉ, गाजियाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005-06 तक	2003
21.	हरि कालेज आफ लॉ, सहारनपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005-06 तक	2003
22.	हरलाल स्कूल आफ लॉ, ग्रेटर नोएडा	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006-07 तक	2004
		3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006-07 तक	2005
23.	आई.एम.एस. लॉ कालेज, नोएडा	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008-09 तक	2004
24.	दीन दयाल कालेज आफ लॉ, मुजफ्फरनगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006-07 तक	2004
25.	दीवान लॉ कालेज, मेरठ	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008-09 तक	2003
26.	एमिटी लॉ स्कूल, ग्रेटर नोएडा	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005-06 तक	2003
27.	गांधी लॉ कालेज, मेरठ	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	केवल 2004-05 तक	2004
28.	इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005-06 तक	2004
29.	फूलवती देवी इंस्टीट्यूट आफ ला, तातिरी जिला बागपत	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005-06 तक	2004
30.	संकल्प इंस्टीट्यूट आफ ला, गाजियाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006-07 तक	2005
31.	आई.पी.ई.एम. ला एकादमी, गाजियाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006-07 तक	2005
32.	स्वामी विवेकानंद ला कालेज, हापुड़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006-07 तक	2005
33.	भगवती कालेज आफ लॉ, मेरठ	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006-07 तक	2005
34.	श्री राम कालेज आफ लॉ, मुजफ्फरनगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006-07 तक	2005
35.	यूनीक लॉ कालेज, गाजियाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006-07 तक	2005
36.	एस.वी.एम. लॉ कालेज, बुलन्दशहर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006-07 तक	2005
37.	दीपांशू लॉ कालेज, सहारनपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006-07 तक	2005
38.	इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, ग्रेटर नोएडा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006-07 तक	2005
39.	रायल कालेज ऑफ लॉ, गाजियाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007-08 तक	2006
40.	रिलायबल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, गाजियाबाद	3 वर्षीय विधि पाठ्यक्रम	2007-08 तक	2006
41.	एम.एम.एच. कालेज, गाजियाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम		1948
42.	आई एम आर कालेज आफ लॉ, गाजियाबाद	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	केवल 2003-04 तक	2002

	1	2	3	4
VII.	**डी.डी.यू. गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर**			
1.	फैकल्टी ऑफ लॉ, गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1979 से पूर्व
2.	सेंट एंड्रूज कालेज, गोरखपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1947
3.	संत विनोबा कालेज, दोरिया	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1972
4.	ए.पी.एन. कालेज, बस्ती (अंबिका प्रताप नारायण पी.जी. कालेज)	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1973
5.	ओरियंटल लॉ इंस्टीट्यूट, दोरिया	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2005
6.	प. सूर्य नारायण चतुर्वेदी लॉ डिग्री कालेज, संत कबीर नगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2007
7.	रेडियंट कालेज ऑफ लॉ, गोरखपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2007
VIII.	**डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्व में आगरा विश्वविद्यालय)**			
1.	बाबू शिवनाथ अग्रवाल कालेज, मथुरा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और	सम	1960
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1998
2.	श्री वार्ष्णेय कालेज, अलीगढ़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम	1947
3.	डी.एस. कालेज, अलीगढ़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और	सम	1973
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	1998
4.	आदित्य कालेज ऑफ लॉ, आगरा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2000
5.	आर.के. कालेज आफ सिस्टम मैनेजमेंट एंड कालेज आफ लॉ, फिरोजाबाद	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	केवल 2003–04 तक	2002
6.	श्री हरी दास इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, मथुरा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2003
7.	श्री गिर्राज महाराज कालेज आफ लॉ एंड प्रोफेशनल स्टडीज, मथुरा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2003
8.	वृंदावन लॉ कालेज, मथुरा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2003
9.	श्री जी. बाबा कालेज ऑफ ला, मथुरा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2003
10.	डिपार्टमेंट आफ लॉ, डा. बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2003
11.	श्रीमती लांगश्री देवी कालेज ऑफ लॉ, जिला : महामायानगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2004
12.	विवेकानंद कालेज आफ लॉ, अलीगढ	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2004
			2007–08 तक	2006

	1	2	3	4
13.	एच.एस. लॉ कालेज, एटा, आगरा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2005
14.	आगरा कालेज, आगरा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम		1823
IX.	**डा. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (पूर्व में अवध विश्वविद्यालय)**			
1.	के.एस. साकेत पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, फैजाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1960
2.	कमला नेहरू विधि संस्थान, सुलतानपुर (पुराना नाम कमला नेहरू इंस्टीट्यूट आफ साइंस एंड टेक्नालाजी)	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय 2007–08 तक	1973 2004
3.	नंदिनी नगर लॉ कालेज, नवाबगंज	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2005
4.	राजेश पांडे कालेज आफ लॉ, अंबेडकरनगर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2005
5.	संजीवनी कालेज आफ लॉ, कीर्तनपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2006
6.	शक्ति स्मारक विधि संस्थान, दुल्हनपुर, बलरामपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2006
7.	श्री चिन्तामणी स्मारक विधि महाविद्यालय, प्रतापगढ़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2007
8.	छत्रबली सिंह लॉ कालेज, अकबरपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2007
X.	**डा. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, लखनऊ**	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	केवल 2006–07	2006
XI.	**लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ**			
1.	द फेकल्टी आफ लॉ, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय स्थाई	1921 1995
2.	श्री जय नारायन डिग्री कालेज, लखनऊ	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1972
3.	शिया पी.जी. डिग्री कालेज, लखनऊ	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	1972
4.	डी.ए.वी. डिग्री कालेज, लखनऊ	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1972
5.	यूनिटी लॉ कालेज, लखनऊ	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	1998
6.	नर्वदेश्वर विधि महाविद्यालय, लखनऊ	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक 2006–07 तक	2005
7.	बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लॉ कालेज, लखनऊ	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2005
8.	सिटी अकेडमी लॉ कालेज, लखनऊ	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक 2007–08 तक	2005 2006
9.	हीरादास यादव लॉ कालेज, लखनऊ	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2005
10.	एक्सेल लॉ कालेज, सीतापुर	5 वर्षीय (आनर्स) पाठ्यक्रम	2006–07 के लिए	2006
11.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर लॉ कालेज, हरकंशगढ़ी लखनऊ	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2006
XII.	**महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी (पूर्व में काशी विद्यापीठ)**			
1.	फेकल्टी आफ लॉ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1983

1		2	3	4
XIII.	एम.जे.पी. रोहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली			
1.	बरेली महाविद्यालय, बरेली	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1837
2.	के.जी.के. महाविद्यालय, मुरादाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	1948
3.	कृष्णा कालेज आफ लॉ, बिजनौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2002
4.	श्री जी. इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल एण्ड वोकेशनल ऐजुकेशन एंड रिसर्च सिल्वर लॉ कालेज, बरेली	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2003
5.	मॉडल पब्लिक लॉ कालेज, चन्दौसी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2003
6.	स्वामी सुखदेवानंद लॉ कालेज, शाहजहांपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2003
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2006
7.	विवेक कालेज आफ लॉ, बिजनौर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2003
8.	हफीज रहमत खान लॉ कालेज, पीलीभीत	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2005
9.	तेजु सिंह मेमोरियल लॉ कालेज, शबाईपुर, गजरौला	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2006
10.	हकीम मेहताबुद्दीन हाशमी कालेज आफ लॉ, अमरोहा	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2006
पश्चिम बंगाल				
XIV.	श्री छत्रपति शाहूजी महाराज, विश्वविद्यालय, कानपुर			
1.	वी.एस.एस.डी. कालेज, कानपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1928
2.	ब्रहमानंद कालेज, कानपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1964
3.	महमूदाबाद लॉ कालेज, महमूदाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2003
4.	दयानंद कालेज, कानपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	1958
5.	शहीद भगत सिंह विधि महाविद्यालय, बिठूर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2004
6.	मेजर शिव दयाल सिंह लॉ कालेज, फर्रूखाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2005
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2006
7.	खैतानजी लॉ कालेज, सीतापुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2005
8.	मनु लॉ कालेज, मोहम्मदाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2007
9.	जी. सिंह विधि महाविद्यालय, इलाहाबाद	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2007
10.	देवान्शू समाज कल्याण सेवा विधि महाविद्यालय कन्नौज	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2006
XV.	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर			
1.	शिबाली नेशनल कालेज, आजमगढ़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1952
2.	तिलकधारी महाविद्यालय, जौनपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1959

1		2	3	4
3.	महाराजा बलवंत सिंह महाविद्यालय, गंगापुर वाराणसी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1973
4.	हरिचन्द्र महाविद्यालय, वाराणसी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1958
5.	संत कीनाराम पी.जी. महाविद्यालय, सोनभद्र	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	1995
6.	श्री नाराहेजी महाविद्यालय, बलिया	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2002
7.	मां शारदा विधि महाविद्यालय, आजमगढ़	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2003
8.	डा. रिजवी विधि महाविद्यालय, करारी, कौशाम्बी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2003
		5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2004
9.	बलदेव श्री धर विधि महाविद्यालय, गाजीपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2003
10.	किसान विधि महाविद्यालय, मुरियारी, जखिनियन	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2003
11.	शिवानी गौरव मेमोरियल विधि महाविद्यालय, जौनपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2003
12.	श्री जगरूप यादव स्मारक विधि महाविद्यालय, मऊ	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2003
13.	सुधाकर महिला विधि डिग्री महाविद्यालय, वाराणसी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2003
14.	हरि शंकर प्रसाद विधि महाविद्यालय, बलिया	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2005
15.	लोक बंधु राज नारायण विधि महाविद्यालय, वाराणसी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2004
16.	मां खंडवारी विधि महाविद्यालय, चन्दौली	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2005
17.	आर.एस. बनारस विधि महाविद्यालय, वाराणसी	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2005
18.	उमा नाथ सिंह विधि महाविद्यालय, फरीदपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2005
19.	श्रीमती कांति सिंह लॉ कालेज, भदोई	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2005
20.	संत लखन दास विधि महाविद्यालय, गाजीपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2005
पश्चिम बंगाल				
I.	**बर्दवान विश्वविद्यालय, बर्दवान**			
1.	डिपार्टमेंट आफ लॉ, बर्दवान विश्वविद्यालय, बर्दवान	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1971
2.	हुगली मोहसिन कालेज, हुगली	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1971
3.	लॉ कालेज, दुर्गापुर बर्दवान	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2005
4.	बंगाल लॉ कालेज, श्रीनिकेतन	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2006
5.	दुर्गापुर इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, दुर्गापुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2008–09 तक	2007
II.	**कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता**			
1.	यूनिवर्सिटी कालेज आफ लॉ, कलकत्ता विश्वविद्याय कलकत्ता	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1908
2.	सुरेन्द्रनाथ लॉ कालेज, कोलकाता	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	अनुमोदित	1984
3.	साउथ कलकत्ता लॉ कालेज, कोलकाता	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1970

	1	2	3	4
4.	जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कालेज, कोलकाता	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	अनुमोदित	1984
5.	किंगस्टन लॉ कालेज, बारासत	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2004
6.	शिक्षा भारती लॉ कालेज, सुखदेव पुर, 24 परगना,	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	केवल 2006–07 के लिए	2006
III.	**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर**			
1.	राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटलेक्चुअल प्रापर्टी लॉ खडगपुर	3 वर्षीय आई.पी. लॉ पाठ्यक्रम	2007–08 तक	2006
IV.	**नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, राजाराममोहनपुर**			
1.	यूनिवर्सिटी कालेज आफ लॉ, नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, राजाराममोहनपुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	सम विश्वविद्यालय	1974
2.	जलपाईगुड़ी लॉ कालेज, जलपाईगुड़ी	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2000
		3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2004–01 तक	1981
3.	बालूरघाट लॉ कालेज, बालूरघाट	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2003–04 तक	2000
V.	**विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर**			
1.	मिदनापुर लॉ कालेज, मिदनापुर	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	स्थायी	2002
2.	हल्दिया लॉ कालेज, हल्दिया	3 वर्षीय पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम	स्थायी	2002
3.	सरसुना लॉ कालेज, सरसुना	3 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2005
VI.	**कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी**			
1.	विमल चन्द्र कालेज आफ लॉ, मुर्शिदाबाद	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2006–07 तक	2002
2.	स्नेहांगशु कांता आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, कल्याणी	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	2005–06 तक	2004
VII.	**पश्चिमी बंगाल न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता**	5 वर्षीय पाठ्यक्रम	स्थायी	1999

[हिन्दी]

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन के अंतर्गत धार्मिक स्थलों का विकास

5193. श्रीमती किरण माहेश्वरी : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को उनके विकास हेतु जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन में सम्मिलित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन शहरों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनके विकास हेतु अब तक कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) 3.12.2005 को प्रारंभ किया गया था जिसका उद्देश्य अवस्थापना के विकास, शहरी गरीबों को सेवाएं और उन्नत शहरी शासन सहित उन्नत सेवा प्रदान करने के लिए चुनिंदा 63 शहरों को सुधार से जुड़ी केन्द्रीय सहायता मुहैया कराना है। इन शहरों में मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं:–

(i) मेगा शहर – 07

(ii) दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर – 28

(iii) चुनिंदा शहर/शहरी बस्तियां (यूए) – 28

(राज्यों की राजधानियां और धार्मिक/ऐतिहासिक तथा पर्यटन महत्व के अन्य शहर/शहरी बस्तियां)

इन 63 शहरों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

कुछ शहर और कस्बे धार्मिक महत्व के भी हैं।

छोटे और मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) भी साथ-साथ प्रारंभ की गई थी जिसका उद्देश्य भी शहरी अवस्थापना और शासन संबंधी उप-मिशन के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए सभी अन्य कस्बों और शहरों में शहरी अवस्थापना में सुधार लाना, शहरी गरीबों को सेवा प्रदान करना और उन्नत शहरी शासन सहित उन्नत सेवा मुहैया कराना है।

यू आई डी एस एम एस टी के अंतर्गत धार्मिक कस्बों को प्राथमिकता देना और विकास कार्य शुरू करना राज्य सरकारों पर निर्भर करता है।

(ग) अब तक 1773505.86 लाख रुपये की लागत से 210 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है। अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के रूप में 140464.81 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

यू आई डी एस एम एस टी के अंतर्गत 31.3.2007 तक 133644 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

विवरण

जेएनएनयूआरएम में शामिल शहरों की सूची

क्रम सं.	शहर/शहर बस्ती	राज्य का नाम	2001 जनगणना के अनुसार आबादी (लाख में)
1	2	3	4
क. मेगा शहर			
1	दिल्ली	दिल्ली	128.77
2	ग्रेटर मुम्बई	महाराष्ट्र	164.34
3	अहमदाबाद	गुजरात	45.25
4	बंगलौर	कर्नाटक	57.01
5	चेन्नई	तमिलनाडु	65.60
6	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	132.06
7	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	57.42
(ख)	**दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर**		
1	पटना	बिहार	16.98
2	फरीदाबाद	हरियाणा	10.56
3	भोपाल	मध्य प्रदेश	14.58
4	लुधियाना	पंजाब	13.98
5	जयपुर	राजस्थान	23.27
6	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	22.46
7	मदुरै	तमिलनाडु	12.03
8	नासिक	महाराष्ट्र	11.52
9	पुणे	महाराष्ट्र	37.60
10	कोचीन	केरल	13.55
11	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	12.04
12	आगरा	उत्तर प्रदेश	13.31
13	अमृतसर	पंजाब	10.03
14	विशाखापटनम	आन्ध्र प्रदेश	13.45
15	वडोदरा	गुजरात	14.91
16	सूरत	गुजरात	28.11
17	कानपुर	उत्तर प्रदेश	27.15
18	नागपुर	महाराष्ट्र	21.29
19	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	14.61
20	मेरठ	उत्तर प्रदेश	11.61
21	जबलपुर	मध्य प्रदेश	10.98
22	जमशेदपुर	झारखण्ड	11.04
23	आसनसोल	पश्चिम बंगाल	10.67
24	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	10.42
25	विजयवाड़ा	आन्ध्र प्रदेश	10.39
26	राजकोट	गुजरात	10.03
27	धनबाद	झारखण्ड	10.65
28	इंदौर	मध्य प्रदेश	16.40
(ग)	**चुनिंदा शहर/शहरी बस्तियां (यूए)/राज्यों की राजधानियां और धार्मिक/ऐतिहासिक और पर्यटक महत्व के अन्य शहर/शहरी बस्तियां**		
1	गुवाहाटी	असम	8.19
2	इटानगर	अरुणाचल प्रदेश	0.35

1	2	3	4
3	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	6.12
4	रायपुर	छत्तीसगढ़	7.00
5	पणजी	गोवा	0.99
6	शिमला	हिमाचल प्रदेश	1.45
7	रांची	झारखण्ड	8.63
8	तिरुवनंतपुरम	केरल	8.90
9	इम्फाल	मणिपुर	2.50
10	शिलांग	मेघालय	2.68
11	आईजोल	मिजोरम	2.28
12	कोहिमा	नागालैंड	0.77
13	भुवनेश्वर	उड़ीसा	6.58
14	गंगटोक	सिक्किम	0.29
15	अगरतला	त्रिपुरा	1.90
16	देहरादून	उत्तरांचल	5.30
17	बोध गया	बिहार	3.94
18	उज्जैन	मध्य प्रदेश	4.31
19	पुरी	उड़ीसा	1.57
20	अजमेर–पुष्कर	राजस्थान	5.04
21	नैनीताल	उत्तरांचल	2.20
22	मैसूर	कर्नाटक	7.99
23	पांडिचेरी	पांडिचेरी	5.05
24	चंडीगढ़	पंजाब और हरियाणा	8.08
25	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	9.88
26	मथुरा	उत्तर प्रदेश	3.23
27	हरिद्वार	उत्तरांचल	2.21
28	नांदेड़	महाराष्ट्र	4.31

त्रुटिपूर्ण आयात-निर्यात नीति

5194. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रुटिपूर्ण आयात–निर्यात नीति के कारण कीमतों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसमें संशोधन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बिना किसी शुल्क के अनाज और दलहनों के आयात की अनुमति देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने निजी व्यापार क्षेत्र को 9 सितम्बर, 2006 और 8 जून, 2006 से क्रमशः गेहूं और दालों का शून्य शुल्क दरों पर आयात करने की अनुमति पहले ही दे दी है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निर्यात प्रोत्साहन योजना का दुरुपयोग

5195. श्री जुएल ओराम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राउरकेला क्षेत्र में उद्योगपति/व्यापार उत्पाद शुल्क मुक्त एच आर सिओल का निर्यात करने की बजाय घरेलू बाजार में उन्हें बेचकर निर्यात प्रोत्साहन योजना का दुरुपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों/कंपनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) जी, नहीं। सरकार को राउरकेला क्षेत्र में निर्यात के लिए आशयित उत्पाद शुल्क मुक्त हॉट रोल्ड (एचआर) कॉयल्स की घरेलू बाजार में बिक्री के माध्यम से निर्यात प्रोत्साहन स्कीमों के दुरुपयोग के किसी मामले की जानकारी नहीं है। तथापि, मैसर्स अनुराग फैरो प्रोडक्ट्स प्रा. लि., कलूंगा, राउरकेला नाम की एक फर्म पर निर्यात उत्पाद हेतु उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना प्राप्त किए गए एचआर कॉयल्स से विनिर्मित कोल्ड रोल्ड कॉयल्स का घरेलू बाजार में अपवर्तन करने का आरोप है।

तथाकथित अपराध के लिए उक्त फार्म को दो कारण बताओ तथा मांग नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें कुल 3.69 करोड़ रुपए (लगभग)

की राशि अन्तर्निहित हैं। 2.04 करोड़ रुपए की राशि वाले एक कारण बताओ नोटिस का पहले ही न्याय निर्णयन किया जा चुका है। 1.65 करोड़ रुपए की राशि वाले एक अन्य कारण बताओ नोटिस पर न्याय निर्णयन की प्रक्रिया चल रही है।

जल क्षेत्र का निजीकरण

5196. श्री मित्रसेन यादव : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शहरी पेयजल प्रणाली में विभिन्न जल परियोजनाओं में निजी सरकारी भागीदारी शुरु करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन जल परियोजनाओं को शुरु करने के लिए राज्य–वार किन–किन क्षेत्रों की पहचान की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विश्व बैंक की निधियों का उपयोग

5197. श्री एस. अजय कुमार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने शिकायत की है कि उनके द्वारा भारत को दी गई निधियों का दुरुपयोग किया जा रहा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) सरकार द्वारा, विभिन्न मंत्रालयों/राज्य सरकारों में निधियों के उपयोग से संबंधित शिकायतें यदा कदा प्राप्त होती रहती हैं। विश्व बैंक से प्राप्त शिकायतों सहित ऐसी शिकायतों पर, जब भी ये प्राप्त होती हैं, तत्परता से गौर किया जाता है। सरकार, विकास परियोजनाओं के लिए निर्धारित निधियों के उपयोग में ईमानदारी और पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है।

[हिन्दी]

कोर बैंकिंग सुविधाएं

5198. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में प्रत्येक राज्य के सभी खण्डों, उपखण्डों तथा जिलों में कोर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) हालांकि सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों (पीएसबी) ने देश–भर में फैली अपनी सभी शाखाओं में कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) शुरू कर दिया है, अन्य पीएसबी इसे लागू करने की प्रक्रिया में हैं और उन्होंने संकेत दिये हैं कि उनकी, अगले एक से चार वर्षों में, चरणबद्ध तरीके से, सीबीएस पूरी तरीके से अपनाने की योजना है।

[अनुवाद]

वैज्ञानिकों की संख्या में कमी होना

5199. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के अनुसंधान के सर्वोत्तम केन्द्रों के वैज्ञानिक निजी क्षेत्र में लाभप्रद पदों पर जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वैज्ञानिकों की संख्या में हो रही कमी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी, हां। बेहतर वित्तीय एवं कैरियर अवसरों सहित विभिन्न कारणों से वैज्ञानिकों द्वारा सरकारी अनुसंधान संस्थानों से निजी क्षेत्र में जाने के छिट–पुट मामले हुए हैं जो कि एक वैश्विक घटना है।

(ग) सरकार ने समय–समय पर देश के वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिकों की संख्या में कमी को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

– प्रत्येक आगामी पंचवर्षीय योजना में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए परिव्यय में वृद्धि।

– विश्वविद्यालयों, शैक्षिक संस्थानों और प्रयोगशालाओं में उत्कृष्टता/उन्नत अध्ययन/इन्क्यूबेशन केन्द्रों की स्थापना।

– विज्ञान के नए तथा अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु आवश्यक आधुनिक सुविधाओं सहित पेशेवरों के मुख्य समूहों का सृजन।

- नए वैज्ञानिक विभागों/संगठनों का सृजन।
- वैज्ञानिक अथवा नवोन्मेषकों के साथ बाह्य उपार्जनों में भागीदारी का प्रावधान और आई पी आर, संविदा अनुसंधान और परामर्श के संबंध में समय-समय पर इसकी पुनरीक्षा।
- नई और आकर्षक अध्येतावृत्तियों की शुरूआत।
- उद्यमवृत्ति विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण।
- एसोसिएटशिप/अध्येतावृत्तियों के माध्यम से मानव शक्ति विकास प्रशिक्षण/पुनर्प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अग्रणी एवं उभरते हुए क्षेत्रों में सहायता करने के लिए अल्पकालीन तकनीकी नियुक्तियों हेतु विदेश में बसे भारतीय मूल के विशिष्ट पुरुषों और महिलाओं को आमंत्रण।
- युवा वैज्ञानिकों के लिए फास्ट ट्रैक योजना।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं एवं संस्थानों का दौरा करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के चुनिंदा क्षेत्रों में युवा वैज्ञानिकों के लिए बेहतर अवसर (ब्वायजकास्ट) अध्येतावृत्तियां।
- कैरियर के रूप में अनुसंधान तथा विकास को अपनाने के लिए प्रतिभावान युवा वैज्ञानिकों को आकर्षित एवं प्रेरित करने के लिए संपर्क कार्यक्रम।
- अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं विदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वैज्ञानिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- आरंभिक संकाय प्रवेश कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी/फार्मेसी/वास्तुकला आदि को कैरियर के रूप में अपनाने हेतु प्रतिभाशाली और युवा अंडरग्रेजुएट छात्रों को आकर्षित करना है।

बैंकिंग नकदी लेनदेन कर के माध्यम से वसूली

5200. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बैंकिंग नकदी लेन-देन कर (बीसीटीटी) के माध्यम से कितनी धनराशि वसूली गई;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने बी सी टी टी को वापस लेने का मुद्दा कई बार उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) वित्त वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान बैंकिंग नकद संव्यवहार कर की वसूली गई धनराशि क्रमशः 309 करोड़ रुपए तथा 495 करोड़ रुपए थी।

(ख) जी, हां।

(ग) वित्त विधेयक, 2007 में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के कार्यालयों अथवा संस्थापनाओं को बैंकिंग नकद संव्यवहार कर से अलग करने का प्रस्ताव किया गया है।

[हिन्दी]

देश में मुद्रा प्रचलन

5201. श्री रामजीलाल सुमन :
डा. चिन्ता मोहन :
क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2006 में बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने हेतु मुद्रा प्रचलन में कमी लाने के लिए कतिपय उपाय किए थे;

(ख) यदि हां, तो उक्त उपायोग के कारण मुद्रा प्रचलन में अनुमानतः कितनी कमी लाई गई है;

(ग) क्या वर्ष 2006 के दौरान अन्य देशों से विभिन्न माध्यमों से देश में लगभग 33 बिलियन डॉलर आए हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी मुद्रा के प्रचलन का मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। स्फीतिकारी संभावनाओं को ध्यान में रखकर, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2006-07 में प्रमुख नीतिगत दरों में वृद्धि की घोषणा की थी और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के उपायों के रूप में खुले बाजार प्रचालनों (ओएमओ) और बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) का प्रयोग भी किया था। वर्ष के दौरान नीतिगत दरों में हुए परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

वर्ष 2006–07 के दौरान प्रमुख नीतिगत दरों में घट–बढ़

(प्रतिशत)

निम्न तारीख से प्रभावित	रिवर्स रेपो दर	आधार बिन्दु परिवर्तन	रेपो दर	आधार बिन्दु परिवर्तन	आरक्षित नगदी अनुपात (सीआरआर)	आधार बिन्दु परिवर्तन
9 जून, 2006	5.75		6.75		5.00	
25 जुलाई, 2006	6.00	+25	7.00	+25	5.00	
31 अक्तूबर, 2006	6.00		7.25	+25	5.00	
23 दिसम्बर, 2006	6.00		7.25		5.25	+25
6 जनवरी, 2007	6.00		7.25		5.50	+25
31 जनवरी, 2007	6.00		7.50	+25	5.50	
17 फरवरी, 2007	6.00		7.50		5.75	+25
3 मार्च, 2007	6.00		7.50		6.00	+25
30 मार्च, 2007	6.00		7.75	+25	6.00	

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने 2006–07 में आरक्षित नकदी अनुपात में आए परिवर्तन के कारण प्रथम दौर का नकदी प्रभाव 27,500 करोड़ रुपए दर्शाया है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, अप्रैल–दिसंबर, 2006 के दौरान पूंजी अंतर्वाह (भुगतान संतुलन आधार पर) 28 बिलियन अमरीकी डालर थे। मुद्रा आपूर्ति पर इन अंतर्वाहों के प्रभाव को घटाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 2006–07 के दौरान बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के प्रयोग के माध्यम से 33,912 करोड़ रुपए समाहित करके अंतर्वाहों को अवरुद्ध किया।

[अनुवाद]

जे एन एन यू आर एम के अंतर्गत परियोजना प्रस्ताव

5202. श्री रामकृपाल यादव : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत चयनित सभी शहरों के लिए परियोजना प्रस्ताव प्राप्त किए हैं;

(ख) यदि नहीं, जो शहर छूट गए हैं उनका राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक शहर के लिए कितनी राशि जारी की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उन शहरों की सूची, जिनसे अभी तक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं, निम्नलिखित हैं:–

राज्य	शहर
बिहार	बोध गया
गोवा	पणजी
झारखंड	धनबाद
झारखंड	जमशेदपुर
झारखंड	रांची
मिजोरम	ऐजवाल
उड़ीसा	पुरी
पंजाब	लुधियाना
उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद
उत्तराखंड	हरिद्वार
उत्तराखंड	नैनीताल

(ग) वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान समेकित सीवरेज परियोजना हेतु भुवनेश्वर को 5158.40 लाख रु. की राशि जारी की गई है।

[हिन्दी]

इंदौर तथा उज्जैन की कंपनियों द्वारा कर अपवंचन

5203. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में इंदौर तथा उज्जैन स्थिति कितने उद्योगों द्वारा अपने आयकर तथा उत्पाद शुल्कों का नियमित रूप से भुगतान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर तथा उत्पाद शुल्क बोर्ड को किया जा रहा है; और

(ख) इनमें से कितने उद्योगों के विरुद्ध कर अपवंचन के मामले चल रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जहां तक केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का संबंध है, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत उद्योग/औद्योगिक स्थापना स्वयं में कराधेय हस्तियां नहीं हैं, इसकी अपेक्षा व्यक्ति जैसे वैयक्तिक, कम्पनियां, फर्में आदि जो ऐसे उद्योगों के स्वामी हैं और विभिन्न स्रोतों से आय का अर्जन कर रहे हैं, उनको आयकर अदा करना और अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपनी आयकर विवरणियां दाखिल करना अपेक्षित हैं। अतः मध्य प्रदेश में इन्दौर और उज्जैन में उद्योग, जो अपना आयकर अदा कर रहे हैं, उनकी संख्या के संबंध में सूचना नहीं रखी जाती।

जहां तक केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्का का संबंध है, सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) आयकर विभाग द्वारा ली गई तलाशियों, सर्वेक्षणों, संवीक्षा और अन्य पूछताछ के दौरान इसके ध्यान में आयकर अपवंचन के दृष्टांत आए हैं और कानून के तहत इस पर कर लगाने के लिए उचित कार्रवाई की जाती है। तथापि ऐसी कार्रवाई कर का अपवंचन करने वाले पाए गए व्यक्तियों के संबंध में की जाती है और न कि औद्योगिक स्थापनाओं के संबंध में की जाती है क्योंकि ये अधिनियम के तहत कराधेय हस्तियां नहीं हैं।

जहां तक केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क का संबंध है, सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ग्रामीण ऋण

5204. श्री अबु अयीश मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान देश में ग्रामीण ऋण में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निजी कृषि ऋणों पर उच्च ब्याज दर तथा ऋण के भार को कम करने के लिए वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से अधिकांश किसानों को कवर करने के लिए क्या उचित कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण ऋण में वृद्धि की है। पिछले कुछ वर्षों के लिए कृषि को एजेंसी-वार ऋण की उपलब्धता निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

एजेंसी	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*
वाणिज्यिक बैंक	52,441	81,481	1,25,477	1,21,729
सहकारी बैंक	26,875	31,231	39,404	38,719
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	7,581	12,404	15,223	17,999
अन्य	84	193	382	–
जोड़	86,981	1,25,309	1,80,486	1,78,447
वृद्धि दर	25%	44%	44%	

* फरवरी, 2007 तक

(ग) वर्ष 2006-07 के दौरान 50 लाख नए किसानों का वित्तपोषण करने के लक्ष्य की तुलना में, सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 64.78 लाख नए किसानों का वित्तपोषण किया गया है। इसके अलावा, किसानों द्वारा खरीफ एवं रबी 2005-06 हेतु लिए गए फसल ऋणों पर ब्याज का बोझ कम करने के लिए प्रत्येक 1,00,000 रुपए तक की मूल राशि पर ऋणकर्ता को देयता के दो प्रतिशत अंक के बराबर राशि उनके खाते में जमा कर दी गई थी। इसके बाद खरीफ 2006 में यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को मूल राशि पर 3 लाख रुपए की उच्चतर सीमा सहित 7 प्रतिशत पर अल्पावधि उत्पादन ऋण प्राप्त हो, सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को उनके स्वयं के संसाधनों से दिए गए ऋण पर 2 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज सहायता तथा सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड से उनके ऋणों पर रियायती दरों पर पुनर्वित दे रही है।

डाक विभाग की मासिक आय योजना की अलोकप्रियता

5205. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग की मासिक आय योजना (एमआईएस) छोटे निवेशकों में अलोकप्रिय हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने परिपक्वता पर बोनस को समाप्त कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या अप्रैल और दिसम्बर, 2006 के बीच में ही एमआईएस नेट से लगभग 14,400 करोड़ रुपए निकाल लिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने बोनस समाप्त करने के बाद एमआईएस के निष्पादन का कोई आकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) उक्त अवधि के दौरान गत वर्ष की संगत अवधि की तुलना में परिपक्वता के बाद कितने खातों का नवीकरण दर्ज किया गया; और

(छ) इस बारे में सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) "डाकघर मासिक आय खाता योजना" (एमआईएस) में निवल बकाया राशि जो अप्रैल, 2006 में 1,83,540 करोड़ रुपए थी, दिसम्बर, 2006 में बढ़कर 1,90,105 करोड़ रुपए हो गई। तथापि, जमाकर्ताओं के लिए शर्तों के अधीन समय पूर्व खाता बन्द करने का विकल्प उपलब्ध है जिसे विभिन्न कारणों की वजह से उपयोग में लाया जा सकता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निवेशकों को उपलब्ध निवेश के विभिन्न वैकल्पिक अवसरों के संबंध में उनकी प्राथमिकता को भी शामिल किया गया है।

डाकघर मासिक आय खाता योजना के अंतर्गत दिनांक 13.2. 2006 को अथवा उसके बाद खोले गए खातों में जमाराशियों पर कोई बोनस देय नहीं है। तथापि, दिनांक 13.2.2006 से पहले खोले गए खातों की जमाराशियां बोनस हेतु यथावत पात्र बनी रहेंगी।

(ग) से (ङ) अप्रैल, 2006 से दिसम्बर, 2006 के दौरान सकल संग्रहण 21,424 करोड़ रुपए और निवल संग्रहण (अर्थात् आहरणों से घटाकर निवल संग्रहण जिसमें प्रत्येक वर्ष में परिपक्वता पर मोचन शामिल है) 7028 करोड़ रुपए था। तथापि, इसी अवधि के दौरान, इस योजना में निवल बकाया संग्रहण 6565 करोड़ रुपए तक बढ़ गया। दिनांक 13.2.2006 से खोले गए लेखों में जमाराशियों पर बोनस का आहरण किए जाने के बावजूद, इस योजना के तहत प्रभावी प्रतिलाभ 8 प्रतिशत वार्षिक था जो माह में देय तुलनीय अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों के औसत आय पर प्राप्ति की अपेक्षा 45 आधार बिन्दुओं तक ऊंचा था।

(च) एमआईएस में परिपक्वता के बाद खाते में नवीकरण का कोई प्रावधान नहीं है।

(छ) जमाकर्ताओं को उनकी जमाराशियों को परिपक्वता तक बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, यदि खाते को 3 वर्षों बाद बंद कर दिया जाता है तो जमाराशि पर एक प्रतिशत की दर से प्रयोज्य कटौती की गई है। इसके अलावा, केन्द्र और राज्य सरकारें प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा, संगोष्ठियां और बैठकें आयोजित कर, लघु बचत संग्रहणों में लगी विभिन्न एजेंसियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर लघु बचत योजनाओं को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न उपायों का सहारा लेती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखना

5206. श्री मिलिन्द देवरा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एसोचैम ने वर्ष 2010 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) में पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने की आवश्यकता दर्शाते हुए मंत्रालय को एक विस्तृत पत्र प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा एनसीआर की पर्यावरणनुकूलता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) भारत की एसोसियेटड चैम्बर आफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री (ऐसोचैम) ने "आफटरमथ आफ कामनवैल्थ गेम्स 2010" पर पूर्वानुमान आकलन दस्तावेज और "सैट अप सी एन जी स्टेशन इन एनसीआर" शीर्षक नामक पत्र प्रकाशित किया है। इन्होंने हाल ही में "सालिड वेस्ट मैनेजमेंट और इट्स डिस्पोसल" पर एक प्रेस विवरण भी प्रकाशित किया है।

पूर्वानुमान आकलन दस्तावेज में अनुमान लगाया गया है कि राष्ट्रमंडल खेलों से संभवतः चिकित्सा और पारि-पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अवसर प्राप्त होंगे और इसमें खेल गांवों, फ्लाईओवरों, सड़कों आदि के निर्माण/पुनरुद्धार के द्वारा प्रस्तुत पहलुओं को भी उजागर किया गया है। ऐसोचैम द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अधिक सीएनजी स्टेशनों और सीएनजी के व्यापक विवरण के लिए एक बहु-आयामी कार्यनीति तैयार करने का सुझाव दिया गया है।

"सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड इट्स डिस्पोसल" पर दस्तावेज में राष्ट्रीय अपशिष्ट नीति की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, इसमें केरल राज्य की विशेष कार्य गाड़ियों का उल्लेख किया गया है जिसने ठोस अपशिष्टों से विद्युत उत्पादन के लिए 60 नगर निगमों का

एकीकरण किया गया है और ठोस अपशिष्टों के उपयुक्त प्रबंधन के लिए स्थानीय सरकारों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए समुदायों और निजी उद्यमियों को शामिल करके संसाधन तैयार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

देश में उत्पन्न ठोस अपशिष्टों के उपयुक्त संग्रहण, परिवहन और निपटान को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली, 2000 शीर्षक नामक नियमों को अधिसूचित किया है।

[हिन्दी]

इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत वनभूमि को शामिल किया जाना

5207. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार से इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत वन भूमि के कतिपय क्षेत्र को शामिल किए जाने संबंधी कोई अनुरोध प्रापत हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 181.397 हैक्टेयर वनभूमि वनेतर प्रयोग के लिए दी गई है।

पशु उत्पादों का निर्यात

5208. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पशु उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की हिस्सेदारी नगण्य है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने पशु उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, हां। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की हिस्सेदारी इस प्रकार है:–

(मिलियन अमरीकी डॉलर में कीमत)

उत्पाद	विश्व निर्यात	भारत का निर्यात	भारत की प्रतिशत हिस्सेदारी
मीट	61319.15	617.62	1.01
कुक्कुट	14886.60	37.91	0.25
डेयरी	41319	152.62	0.37

(ख) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की कम हिस्सेदारी के कारण इस प्रकार हैं:–

(1) अत्यधिक घरेलू खपत, इसलिए निर्यात के लिए कम अधिशेष;

(2) विभिन्न पशुधन रोगों का प्रचलन;

(3) असंगठित उत्पादन;

(4) पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं का अभाव;

(5) आयातित देशों द्वारा शुल्क और गैर–शुल्क अवरोध;

(6) कुछ विकसित देशों द्वारा दी जा रही अत्यधिक अनुदान सहायता;

(7) अत्यधिक भाड़ा लागत।

(ग) और (घ) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित निम्नलिखित योजनाओं के तहत पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता दी जाती है:–

- बाजार विकास के लिए योजना
- बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए योजना
- गुणवत्ता विकास के लिए योजना
- अनुसंधान और विकास के लिए योजना
- परिवहन सहायता योजना।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल को इस्पात का आबंटन

5209. श्री सुब्रत बोस : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने पश्चिम बंगाल को इस्पात का आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कोटे की कुल मात्रा कितनी है;

(घ) क्या ऐसे कोटे को राज्य सरकारों द्वारा सीधे तौर पर प्राप्त किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, पश्चिम बंगाल राज्य के लिए, इस्पात मदों की राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) और पश्चिम बंगाल लघु उद्योग विकास निगम (डब्ल्यू बी एसआईडीसी) की आबंटन तथा उठाई गई मात्रा की स्थिति निम्नानुसार है:–

(आंकड़े एम.टी. में)

निगम	वर्ष	आबंटन	उठाई गई मात्रा
एनएसआईसी	2004–05	124503	25800
एनएसआईसी/डब्ल्यू बी एसआईडीसी	2005–06	34568	5225
डब्ल्यू बीएसआईडीसी	2006–07	5745	1322

वर्ष 2005–06 तथा 2006–07 में निगम को पिछले वर्ष उठाई गई मात्रा के आधार पर आबंटन किया गया था।

(घ) और (ङ) आबंटन राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं किए जाते हैं। लोहा और इस्पात सामग्री का आबंटन राज्य लघु उद्योग निगमों को किया जाता है। राज्य निगमों द्वारा कार्य नहीं किए जाने की स्थिति में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) को आबंटन किया जाता है। पश्चिम बंगाल लघु उद्योग विकास निगम (डब्ल्यू बी एसआईडीसी) वर्ष 2004–05 तक कार्य नहीं कर रहा था अतः वर्ष 2004–05 तथा 2005–06 में पश्चिम बंगाल राज्य में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए एनएसआईसी को आबंटन किया गया था। तथापि, पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर इस आबंटन को मई, 2005 में एनएसआईसी से लेकर डब्ल्यू बी एसआईडीसी को डाईवर्ट कर दिया गया था। वर्ष 2006–07 में डब्ल्यू बी एसआईडीसी को आबंटन किया गया था।

[हिन्दी]

भोपाल गैस त्रासदी

5210. श्रीमती नीता पटैरिया :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित 14 हजार लोगों के मुआवजे के दावों का भुगतान बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में मुआवजे के लिए कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) सरकार द्वारा कितने दावों का निपटान किया गया है और अभी तक कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है; और

(ङ) शेष दावों का निपटान कब तक किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) और (ख) जी, नहीं। भोपाल गैस रिसाव हादसे के पीड़ितों को मूल और यथानुपात मुआवजे के वितरण से संबंधित कार्य उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरूप जारी है। भोपाल गैस रिसाव हादसे के पीड़ितों को यथानुपात मुआवजे का वितरण, जो कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार 30 अप्रैल, 2006 तक पूरा किया जाना था, कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित के कार्यालय द्वारा उक्त तिथि तक लगभग पूरा किया जा चुका था। तथापि, लगभग 31,000 अनुपस्थित दावेदारों के मामले में, ऐसे सभी मामलों को समाप्त समझे जाने के लिए, 15 फरवरी, 2006 को सर्वोच्च न्यायालय में कल्याण आयुक्त के कार्यालय द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था। इस मामले पर उच्चतम न्यायालय में 23 अगस्त, 2006 को सुनवाई हुई जिसमें न्यायालय ने भोपाल गैस पीड़ितों के कल्याण आयुक्त के कार्यालय को निर्देश दिए कि उन व्यक्तियों, जिनके मामले बंद किए जाने का अनुरोध किया गया है, की एक सूची एनजीओज – भोपाल ग्रुप फॉर इन्फॉरमेशन एंड एक्शन, भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष सहयोग समिति और भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन को सौंप दी जाए ताकि ये एनजीओ इन व्यक्तियों का पता लगाने का प्रयास कर सकें। यह मामला उच्चतम न्यायालय में अभी भी लंबित है।

(ग) से (ङ) मुआवजा वितरण की प्रक्रिया 1992 में शुरू हुई और मुआवजे के लिए 10,29,517 मामलों का पंजीकरण किया गया। अब सभी मामले निपटाए जा चुके हैं। 5,74,327 मामलों में, जिन्हें कल्याण आयुक्त, जो कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश हैं, ने पात्र माना उनमें मुआवजा का निर्णय हो चुका है, इन 5,74,327 दावेदारों के लिए 1548.27 करोड़ रु. की राशि मूल मुआवजे के रूप में अवार्ड की गई है और इसमें से 31.3.2007 तक 5,73,580 दावेदारों को 1546.32 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 19.7.2004 और 26.10.2004 के आदेशों के अनुपालन में कल्याण आयुक्त ने उन दावेदारों को जिनके दावे (मूल) निपटाए जा चुके थे, 30.04.2007 तक 5,59,871 दावेदारों के बीच 1499.69 करोड़ रुपए की राशि 1:1 अनुपात के आधार पर संवितरित कर दी है। यथानुपात मुआवजे के संवितरण की प्रक्रिया 15.11.2004 को शुरू हुई और यह अभी भी जारी है।

[अनुवाद]

मक्के का व्यापार

5211. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कुक्कुट पालन करने वाले किसानों की ओर से मक्के के व्यापार को आन–लाइन ट्रेडिंग से हटाए जाने की मांग प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार मांग का समर्थन नहीं करती।

अंगूरों का उत्पादन

5212. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ वर्षों के दौरान अंगूरों की पैदावार में गिरावट आई है और इससे उत्पादन में भी कमी होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में अंगूरों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। देश में अंगूर का उत्पादन जो कि वर्ष 2000–01 में 10.56 लाख मी. टन था, वर्ष 2005–06 के दौरान बढ़कर 16.15 लाख मी. टन तक हो गया है।

(ग) सरकार अंगूर सहित बागवानी फसलों के विकास के लिए विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रही हैं। वर्ष 2001–02 से कार्यान्वित की जा रही सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर तथा उत्तराखण्ड सहित पूर्वोत्तर राज्यों में (i) समेकित बागवानी प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमएनई) और वर्ष 2005–06 से कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय बागवानी मिशन की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमो के तहत किसानों को क्षेत्र विस्तार, जराजीर्ण बागानों के पुनरूद्धार, समेकित कीट प्रबंधन और जैविक खेती अपनाने के लिए सहायता मुहैया कराई जा रही है। इसके अलावा "राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड उत्पादन व फसल कटाई पश्चात् प्रबंध के जरिये वाणिज्यिक बागवानी का विकास" की स्कीम के अधीन भी सहायता मुहैया करवा रहा है जिसमें अंगूर भी शामिल है।

[हिन्दी]

परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को धनराशि

5213. श्री महावीर भगोरा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रसायन और पेट्रोरसायन विभाग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) को विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत धनराशि का परियोजना–वार ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या स्वीकृत धनराशि का अल्प उपयोग किया गया है जिसके कारण परियोजनाओं के पूरा होने में अड़चन पैदा हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (घ) वर्ष 2005–06 तथा 2006–07 में केन्द्रीय सरकार ने रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों के पुनरुज्जीवन के लिए पुनर्वास योजनाओं को मंजूरी दी। सार्वजनिक क्षेत्रीय इन उपक्रमों को निर्गत की गई निधियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:–

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	पीएसयू का नाम	स्वीकृत नकद सहायता	निर्गत निधियां
1	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	137.59	137.59
2	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	207.19	117.19
3	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	270.00	270.00
4	हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड	कोई नकद निवेचन मंजूर नहीं किया गया	–

सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्वास योजना के अनुसार निधियां निर्गत की गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम, निर्गत की गई निधियों का उपयोग कर रहे हैं।

[अनुवाद]

एन.आर.सी.पी. के अंतर्गत कर्नाटक से परियोजना का प्रस्ताव

5214. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार द्वारा एन.आर.सी.पी. के अंतर्गत 11 कस्बों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई हैं और केन्द्र सरकार को भेज दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास अभी भी लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत कर्नाटक में चल रही परियोजनाओं के अलावा कर्नाटक सरकार ने 11 शहरों नामतः बागलकोट, मदुर, गोकक, बैलाहोगल, शाहबाद, होसपेट, गंगावती, कनकपुरा, यादगीर, दाण्डेली, सिरागुप्पा के लिए अतिरिक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। बाद में राज्य सरकार ने गोकक के स्थान पर माडीकेरी शहरी के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। निधि की कमी के कारण इन प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सका और कर्नाटक राज्य सरकार को तद्नुसार सूचित कर दिया गया था। राज्य सरकार ने मार्च, 2006 में सोनदाती नामक शहर के लिए एक और प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे चल रही राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना परियोजना की बचत से धनराशि प्रदान की जायेगी। इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि यह राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत अनुबद्ध मानंडों को पूरा नहीं करता। राज्य सरकार को इसकी सूचना दे दी गई थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति

5215. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र की कितनी योजनाएं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(ख) इन योजनाओं को कब तक स्वीकृत किया जाएगा; और

(ग) राज्य में कितने वन्य ग्राम हैं और इन्हें राजस्व ग्रामों में बदले जाने की प्रक्रिया को कब तक पूरा किया जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत मंजूरी के लिए महाराष्ट्र की 24 (चौबीस) स्कीमें लंबित पड़ी हैं।

(ख) सभी प्रकार से पूर्ण प्राप्त प्रस्तावों का केन्द्र सरकार द्वारा सामान्यतया साठ दिनों की अवधि में निपटान कर दिया जाता है।

(ग) महाराष्ट्र के सभी 73 (तिहत्तर) वन गांवों को राजस्व गांवों में बदल दिया गया है।

[हिन्दी]

एसएसपी यूनिटों को राजसहायता

5216. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश की कितनी सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) इकाइयों को राजसहायता मिल रही है; और

(ख) उन इकाइयों का ब्यौरा क्या है, जिनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं अथवा जिन पर जुर्माना लगाया गया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) वर्ष 2004–05 से 2006–07 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में एसएसपी की बिक्री पर रियायत प्राप्त करने वाले सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) इकाइयों की सूची संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ख) जिन इकाइयों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं अथवा जिन पर जुर्माना लगाया गया है उनका ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2004–05, 2005–06 और 2006–07 के दौरान मध्य प्रदेश में एसएसपी की बिक्री पर रियायत लेने वाली एसएसपी इकाइयों की सूची

क्रम सं.	कंपनी का नाम
1	2
वर्ष 2004-05	
1.	मैसर्स लिबर्टी उर्वरक लि., निमरानी, मध्य प्रदेश
2.	मैसर्स लिबर्टी फॉस्फेट लि.
3.	मैसर्स रामा फॉस्फेट लि., उदयपुर
4.	मैसर्स निरमा लि., अहमदाबाद
5.	मैसर्स टेडको ग्रैनाइट लि., भीलवाड़ा, राजस्थान
6.	मैसर्स खैतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि., झांसी
7.	मैसर्स खैतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि., इंदौर

1	2
8.	मैसर्स डीएमसीसी लि.
9.	मैसर्स रामा फॉस्फेट लि., इंदौर
10.	मैसर्स मध्य भारत फॉस्फेट प्राइवेट लि., रायसेन, मध्य प्रदेश
11.	मैसर्स स्वास्तिक फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि., धार मध्य प्रदेश
12.	मैसर्स प्रेम शक्ति लि., उदयपुर
13.	मैसर्स गायत्री स्पिनर्स लि., भीलवाड़ा
14.	मैसर्स साधना फॉस्फेट लि., उदयपुर
15.	मैसर्स बेक लि., फुलगांव
16.	मैसर्स बेक लि., बिलासपुर
17.	मैसर्स बोहरा इंडस्ट्रीज लि., उदयपुर
18.	मैसर्स अरावली फॉस्फेट लि., उदयपुर
19.	मैसर्स खैतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, निमबाहेरा, राजस्थान
20.	मैसर्स मुक्तेश्वर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, उज्जैन
21.	मैसर्स इंडियन फॉस्फेट लि., उदयपुर
22.	मैसर्स बसंत एग्रो टेक्निकल लि., महाराष्ट्र
23.	मैसर्स एग्रो फॉस इंडिया लि., देवास, मध्य प्रदेश
24.	मैसर्स शुरवी कलर केमिकल्स लि., उदयपुर
25.	मैसर्स मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लि., सागर, मध्य प्रदेश
26.	मैसर्स रेवती मिनरल्स लि., सागर
27.	मैसर्स अरिहंत फास्फेट्स एंड फर्टिलाइजर्स लि., निम्बाहेरा, राजस्थान
वर्ष 2005-06	
1.	मैसर्स लिबर्टी उर्वरक लि., निमरानी, मध्य प्रदेश
2.	मैसर्स लिबर्टी फास्फेट लि.
3.	मैसर्स निरमा लि., अहमदाबाद
4.	मैसर्स टडेको ग्रैनाइट लि., भीलवाड़ा, राजस्थान
5.	मैसर्स खैतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि., झांसी
6.	मैसर्स खैतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि., इंदौर

1	2
7.	मैसर्स डीएमसीसी लि.
8.	मैसर्स रामा फास्फेट लि., इन्दौर
9.	मैसर्स मध्य भारत फॉस्फेट प्राइवेट लि. रायसेन, मध्य प्रदेश
10.	मैसर्स स्वास्तिक फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि., धार, मध्य प्रदेश
11.	मैसर्स प्रेम शक्ति लि., उदयपुर
12.	मैसर्स गायत्री स्पिनर्स लि., भीलवाड़ा
13.	मैसर्स बेक लि., फुलगांव
14.	मैसर्स बेक लि., बिलासपुर
15.	मैसर्स अरावली फॉस्फेट लि., उदयपुर
16.	मैसर्स खैतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि., निम्बाहेरा, राजस्थान
17.	मैसर्स इंडियन फॉस्फेट लि., उदयपुर
18.	मैसर्स एग्रो फॉस इंडिया लि., देवास, मध्य प्रदेश
19.	मैसर्स मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लि., सागर, मध्य प्रदेश
20..	मैसर्स अरिहंत फॉस्फेट एंड फर्टिलाइर्जस लि., निम्बाहेरा, राजस्थान
21.	मैसर्स जुबिलैंट आर्गानोजी लि., गजरौली, उत्तर प्रदेश
वर्ष 2006-07	
1.	मैसर्स लिबर्टी उर्वरक लि., निमरानी, मध्य प्रदेश
2.	मैसर्स लिबर्टी फास्फेट लि.
3.	मैसर्स निरमा लि., अहमदाबाद
4.	मैसर्स टडेको ग्रैनाइट लि., भीलवाड़ा, राजस्थान
5.	मैसर्स खैतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि., झांसी
6.	मैसर्स खैतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि., इंदौर
7.	मैसर्स डीएमसीसी लि.
8.	मैसर्स रामा फास्फेट लि., इन्दौर
9.	मैसर्स मध्य भारत फॉस्फेट प्राइवेट लि. रायसेन, मध्य प्रदेश
10.	मैसर्स स्वास्तिक फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि., धार, मध्य प्रदेश

1	2
11.	मैसर्स गायत्री स्पिनर्स लि. भीलवाड़ा
12.	मैसर्स बेक लि., फुलगांव
13.	मैसर्स बेक लि., बिलासपुर
14.	मैसर्स अरावली फॉस्फेट लि., उदयपुर
15.	मैसर्स खैतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि., निम्बाहेरा, राजस्थान
16.	मैसर्स इंडियन फॉस्फेट लि., उदयपुर
17.	मैसर्स एग्रो फॉस इंडिया लि., देवास, मध्य प्रदेश
18.	मैसर्स मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लि., सागर, मध्य प्रदेश
19.	मैसर्स अरिहंत फॉस्फेट एंड फर्टिलाइर्जस लि., निम्बाहेरा, राजस्थान
20.	मैसर्स जुबिलैंट आर्गानोजी लि., (अरिहंत)
21.	मैसर्स जुबिलैंट आर्गानोजी लि., (सधा)
22.	मैसर्स इंडियन पोटाश लि.
23.	मैसर्स मंगलम फॉस्फेट लि., भीलवाड़ा, राजस्थान

विवरण-II

लाइसेंस रद्द की गई अथवा जुर्माना लगाई गई इकाइयों की सूची

वर्ष 2004–05 – शून्य

क्रम सं.	कंपनी का नाम
1	2
वर्ष 2005-06	
1.	मैसर्स रेवती मिनरल्स लि., सागर
2.	मैसर्स मधुबन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि., उदयपुर
3.	मैसर्स प्रेम शक्ति फर्टिलाइजर्स लि., उदयपुर
वर्ष 2006-07	
1.	मैसर्स रामा फास्फेट लि., इंदौर
2.	मैसर्स खैतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि., इंदौर
3.	मैसर्स एग्रो फॉस इंडिया लि., इंदौर
4.	मैसर्स हर्षवर्धन केमिकल्स एंड मिनरल्स लि., मेघनगर
5.	मैसर्स अरिहंत फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि., नीमच
6.	मैसर्स श्रीजी फॉस्फेट, मेघनगर
7.	मैसर्स शिवम फॉस्फेट, मेघनगर

टिप्पणी : मध्य प्रदेश सरकार ने मैसर्स रामा फॉस्फेट लि. इंदौर, मैसर्स खैतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि., इंदौर और मैसर्स एग्रो फॉस इंडिया लिमिटेड, इंदौर द्वारा उर्वरकों के उत्पादन और बिक्री का व्यापार चलाने का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इन कंपनियों ने राज्य सरकार के संबंधित आदेशों को माननीय मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में चुनौती दी। माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के आदेशों को रद्द कर दिया और एक स्पष्ट आदेश में राज्य सरकार को निदेश दिया कि उपर्युक्त कंपनी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद नए सिरे से आदेश पारित किए जाएं।

[अनुवाद]

तिलहनों का उत्पादन

5217. श्री नवीन जिन्दल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सूरजमुखी, तिल, अरण्डी तथा अलसी सहित तिलहनों का उत्पादन बढ़ता/घटता रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तिलहन–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) नीचे दी गई सारणी में 2003–04 से 2005–06 तक तिलहनों जिनमें सूरजमुखी, तिल, अरण्डी, तथा अलसी शामिल हैं, का उत्पादन दिया गया है; और

फसल	उत्पादन (000 टन)		
	2003–04	2004–05	2005–06
सूरजमुखी	930.4	1186.7	1439.0
तिल	782.1	674.1	641.1
अरण्डी	796.7	793.4	990.7
अलसी	196.5	169.7	172.5
कुल तिलहन	25186.3	24353.5	27977.9

सूरजमुखी तथा अरण्डी के सहित सभी तिलहनों का उत्पादन बढ़ा है। तथापि तिलों तथा अलसी का उत्पादन 2003-04 से 2005-06 के दौरान कम हुआ है।

(ग) और (घ) तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "तिलहनों, दालों, पॉम आयल तथा मक्का पर एकीकृत स्कीम" (आइसोपॉम) 1.4.2004 से लागू है। स्कीम के अंतर्गत बोए जाने वाले बीजों की खरीद, फाउंडेशन बीजों का उत्पादन, बीच मिनिकिटों का वितरण, ढांचा विकास, संशोधित प्रौद्योगिकी पर ब्लाक निरूपण, एकीकृत कीट प्रबन्धन, वीडी साइड, छिड़काव सेट का वितरण तथा किसानों के प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बजट 2007-08 में आइसोपॉम को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव की घोषणा की गई है।

डी.ए.एम.आई.जी.एस.एस.

5218. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "कृषि विपणन अवसंरचना श्रेणीकरण तथा मानकीकरण योजना के विकास" (एस.डी.ए.एम.आई.जी.एस.एस.) के अंतर्गत अवसंरचना परियोजनाओं पर निवेश सब्सिडी के लिए सहायता प्रदान करने हेतु कतिपय राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को अधिसूचित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है तथा लाभार्थी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों की पहचान के लिए मानदण्ड क्या हैं;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान किए जाने हेतु कर्नाटक पर भी विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) कृषि और सहकारिता विभाग कृषि विपणन अवसंरचना, ग्रेडिंग और मानकीकरण के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की एक स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य देश में विपणन अवसंरचना का विकास करना है ताकि डेयरी, मांस, मात्सियकी और गौण वन्य उत्पादों सहित विभिन्न कृषि उत्पादों और समवर्गी क्षेत्रों के उत्पादन पश्चात् आवश्यकताओं तथा विपणनी अधिशेष की आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

यह स्कीम केवल अधिसूचित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है जिनमें सीधे विपणन और संविदा कृषि तथा निजी व सहकारी क्षेत्रों में कृषि मण्डियों की स्थापना को अनुमति देने के लिए राज्य कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम को संशोधित किया गया है जैसा सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वर्ष 2003 में परिचालित मॉडल कृषि उत्पाद विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम में कृषि मंत्रालय द्वारा सुझाव दिया गया।

स्कीम के अंतर्गत सहायता एकल व्यक्तियों, कृषकों/उत्पादकों/उपभोक्ताओं के समूह, साझेदारी/मालिकाना फर्मों, गैर-सरकारी संगठनों, स्वावलम्बी समूहों, कम्पनियों, निगमों, सहकारी समितियों, सहकारी विपणन संघों, स्थानीय निकायों, कृषि उत्पाद मण्डी समितियों और राज्य विपणन बोर्डों को उपलब्ध है।

इस स्कीम के अंतर्गत निवेश पर ऋण संबंधी पार्श्वांत राजसहायता कृषि जिंसों के विपणन हेतु सामान्य अथवा जिंस विशिष्ट अवसंरचना की स्थापना और विद्यमान कृषि मण्डियों, थोकबिक्री, ग्रामीण और आवधिक मण्डियों के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण के लिए परियोजना की पूंजी लागत के 25 प्रतिशत की दर से प्रदान की जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों और अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों से संबंधित परियोजनाओं के मामले में राजसहायता की दर परियोजना की लागत का 33.33% है। इन मामलों में राजसहायता की ऊपरी सीमा क्रमशः 50.00 लाख रुपए प्रति परियोजना और 60 लाख रुपए प्रति परियोजना है। तथापि राज्य एजेन्सियों की अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के संबंध में राजसहायता पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। कर्नाटक राज्य को स्कीम के अंतर्गत पात्र के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है क्योंकि उसकी राज्य सरकार ने स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुरूप राज्य एपीएमसी अधिनियम में अपेक्षित संशोधनों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वस्तुओं के आबंटन में वृद्धि

5219. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं के आबंटन में वृद्धि करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वस्तुओं का आबंटन बढ़ाने हेतु तमिलनाडु सरकार से प्राप्त अनुरोध के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

खाद्यान्नों का आबंटन - राज्य सरकार ने अप्रैल, 2007 से नियमित आधार पर गेहूं के मासिक आबंटन को बढ़ाकर 10,000 टन करने का अनुरोध किया है। अनुरोध तथा स्टाक की स्थिति पर विचार करके सरकार ने गेहूं के उनके 3763 टन प्रति माह के मासिक आबंटन के अलावा अप्रैल और मई, 2007 के प्रत्येक माह के लिए गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए 6250 टन गेहूं का अतिरिक्त आबंटन किया है।

लेवी चीनी का आबंटन - लेवी चीनी के कोटे के आबंटन को बढ़ाने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

मिट्टी के तेल का आबंटन - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को मिट्टी के तेल के कोटे को बढ़ाने के लिए तमिलनाडु सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। मिट्टी के तेल के आबंटन को बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोध को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने दिसम्बर, 2004 में राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के जरिए देश में मिट्टी के तेल की मांग का विस्तृत अध्ययन शुरू किया है। राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद ने अक्टूबर, 2005 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि मिट्टी के तेल पर राजसहायता को केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए सीमित किया जाए। इसके अलावा, पेट्रोलियम उत्पादों पर दीर्घकालिक मूल्य निर्धारण नीति तैयार करने के लिए सरकार द्वारा गठित डॉक्टर रंगराजन समिति ने भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल की राजसहायता को केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए सीमित करने की सिफारिश की है। सरकार ने डा. रंगराजन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल पर राजसहायता को केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए सीमित किया जाए।

मानस नेशनल पार्क में गैंडों को पुनः शामिल किया जाना

5220. **श्री मणी कुमार सुब्बा** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मानस नेशनल पार्क, कांजीरंगा में गेंडों को पुनः शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या नेशनल पार्क को कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) इसकी अंतर्विष्ट लागत कितनी है तथा इस पर अभी तक कितना व्यय हुआ है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) जी, हां। असम राज्य सरकार ने गेंडों के ट्रांसलोकेशन हेतु कार्य बल गठित किया है। कार्यबल की तीन बैठकें पुनः शामिल कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने के लिए पहले ही बुलाई जा चुकी है।

(घ) और (ङ) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, फ्रन्ट लाईन स्टाफ की भर्ती के लिए आवश्यक कार्यवाई की जा रही है।

(च) परियोजना की अनुमानित लागत 1,54,04,954.00 रुपए है जिसमें से 30,77,10.00 रुपए अब तक खर्च किए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

खाताधारकों को भविष्य निधि राशि का भुगतान नहीं किया जाना

5221. **प्रो. महादेवराव शिवनकर** : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के भविष्य निधि खाताधारक कर्मचारियों को उनकी भविष्य निधि का भुगतान नहीं प्राप्त हो रहा है जैसाकि दिनांक 03 अप्रैल, 2007 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज की तिथि के अनुसार देश में भविष्य निधि में कुल कितनी राशि उपलब्ध है;

(घ) भविष्य निधि में ऐसी कुल कितनी राशि है जिनका हिसाब उपलब्ध नहीं है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने भविष्य निधि राशि का राज्य-वार कोई आकलन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों के भविष्य निधि खाते कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्र कार्यालयों द्वारा रखे जाते हैं। दावा प्रपत्र प्रस्तुत करने पर सदस्यों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के उपबंधों के अनुसार अग्रिम राशि/अंतिम रूप से निकाली गई राशि प्रदान की जाती है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि की कायिक निधि में कुल राशि (अप्रचालित राशि विशेष आरक्षित निधि और ब्याज उचंत खाता सहित) 91,450.50 करोड़ रुपए है।

(घ) 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार संगठन के तुलन पत्र के अनुसार ऐसी कोई धनराशि नहीं है जिसके लिए खाता उपलब्ध न कराया गया हो।

(ङ) और (च) जी, हां। भविष्य निधि धनराशि का क्षेत्र-वार ब्यौरा संगठन के तुलन पत्र सहित वर्ष के अंत में समेकित किया जाता है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

31.03.2006 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि की कायिक निधि में धनराशि का क्षेत्रवार विवरण

क्रम सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल कर्मचारी भविष्य निधि की कायिक निधि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश–हैदराबाद	31,294,491,876.09
2.	आंध्र प्रदेश–गुंटूर	17,521,105,940.98
3.	बिहार–पटना	7,850,664,287.62
4.	छत्तीसगढ़–रायपुर	4,670,207,228.05
5.	दिल्ली–उत्तर	29,190,734,583.27
6.	दिल्ली–दक्षिण	22,616,539,586.33
7.	गोवा	6,227,945,616.71
8.	गुजरात–अहमदाबाद	32,394,504,137.06
9.	गुजरात–बड़ौदा	22,657,672,519.68
10.	हरियाणा–फरीदाबाद	29,570,339,740.42
11.	हिमाचल प्रदेश–शिमला	6,008,727,783.33
12.	झारखंड–रांची	6,486,759,386.29
13.	कर्नाटक–बंगलौर	46,727,888,666.18
14.	कर्नाटक–मंगलौर	19,874,041,152.22
15.	केरल–त्रिवेन्द्रम	25,532,368,065.94
16.	मध्य प्रदेश–इंदौर	27,821,090,192.91
17.	महाराष्ट्र–I (बांद्रा)	51,586,575,035.06
18.	महाराष्ट्र–II (थाणे)	57,281,674,948.52
19.	महाराष्ट्र–नागपुर	33,337,119,125.97
20.	महाराष्ट्र–पुणे	42,753,597,740.64
21.	पूर्वोत्तर क्षेत्र–गुवाहाटी	7,120,110,460.42
22.	उड़ीसा–भुवनेश्वर	14,259,439,387.32
23.	पंजाब–चंडीगढ़	20,112,863,968.58
24.	पंजाब–लुधियाना	10,075,518,759.11
25.	राजस्थान–जयपुर	23,598,362,530.56
26.	तमिलनाडु–चेन्नई	44,312,761,085.60
27.	तमिलनाडु–कोयम्बटूर	17,359,647,390.08
28.	तमिलनाडु–मदुरै	12,276,136,278.46
29.	उत्तरांचल–देहरादून	6,688,125,508.14
30.	उत्तर प्रदेश–कानपुर	46,653,546,300.74
31.	पश्चिम बंगाल–कोलकाता	41,980,959,271.18
32.	पश्चिम बंगाल–जलपाईगुड़ी	14,356,870,103.50
	योग	786,198,388,656.96
जमा : विशेष आरक्षित निधि*		**566,937,504.04
जमा : ब्याज उचंत खाता*		127,739,638,777.02
कुल योग :		914,504,964,938.02

* ये खाते मुख्यालय स्तर पर रखे जाते हैं और क्षेत्र-वार कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

** इस राशि में अप्रचालित राशि शामिल है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूं के वितरण में घोटाला

5222. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों के बीच वितरण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को आबंटित गेहूं के वितरण में करोड़ों रुपए के घोटाले की बात हाल ही में सरकार की जानकारी में आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस घोटाले के लिए कितने लोग दोषी पाए गए तथा इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से गेहूं के वितरण में करोड़ों का घोटाला होने की ऐसी कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2006 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा गेहूं की कालाबाजारी के 5 मामलों की सूचना दी गई थी और इन कालाबाजारियों में संलिप्त 6 व्यक्तियों को चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के अधीन नजरबंद करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा 2006–07 के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अधीन 106 व्यक्तियों को गिरफ्तार/अभिजित/दोष सिद्ध किया गया और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में किए गए विभिन्न अपराधों के लिए 2634 उचित दर दुकानों के लाइसेंस निलंबित/रद्द किए गए/कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।

ई.पी.एफ. पेंशनभोगी

5223. डा. के.एस. मनोज : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार देश में कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) पेंशनभोगियों की कुल संख्या राज्य–वार कितनी है; और

(ख) पेंशन योजना आरंभ होने से 31 मार्च, 2007 तक पेंशन, पेंशन के संराशीकरण, पूंजी की वापसी के लिए कुल कितनी राशि संवितरित की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) 31.03.2006 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत पेंशनभोगियों की कुल संख्या 23,35,883 थी। राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 2006–07 के आंकड़ें अभी तक संकलित नहीं किये गये हैं।

(ख) 31.03.2006 तक कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (सभी लाभ) के अंतर्गत लाभार्थियों को कुल 14,578.58 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है।

विवरण

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत क्षेत्रवार पेंशन भोगी 3103.2006 की स्थिति के अनुसार

क्षेत्र	कुल
आंध्र प्रदेश	2,40,020
बिहार	71,345
छत्तीसगढ़	21,894
दिल्ली	42,607
गोवा	8,906
गुजरात	1,54,410
हिमाचल प्रदेश	11,284
हरियाणा	49,259
झारखण्ड	64,258
कर्नाटक	2,06,374
केरल	1,65,548
महाराष्ट्र	3,76,848
मध्य प्रदेश	88,057
पूर्वोत्तर क्षेत्र	19,010
उड़ीसा	50,888
पंजाब	52,078
राजस्थान	67,278
तमिलनाडु	3,05,521
उत्तर प्रदेश	1,76,453
उत्तरांचल	19,871
पश्चिम बंगाल	1,43,974
कुल	23,35,883

पेड़ों को काटा जाना

5224. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के विस्तार के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के नार्थ कैम्पस में 1000 से अधिक पेड़ों को काटे जाने के लिए चिन्हित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए मंत्रालय ने अपनी अनुमति दी है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए क्या शर्तें रखी गई हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ङ) दिल्ली विश्वविद्यालय अपनी खेल सुविधाओं को बढ़ाना चाहता है। इसलिए कैम्पस में वृक्षों की आयु के साथ वृक्ष प्रजातियों का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वन एवं वन्यजीव विभाग को वृक्ष काटने के बारे में विश्वविद्यालय प्राधिकरण से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। कैम्पस से अभी तक किसी वृक्ष को नहीं हटाया गया है। वृक्षों को काटने के प्रस्ताव पर दिल्ली वन संरक्षण अधिनियम, 1994 के उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

खाद्यान्नों के शिपमेंट में क्षति

5225. श्री ए.वी. बेल्लारमिन : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्नों के लदान/इन्हें उतारने, शिपमेंट तथा जहाजों के माध्यम से ढुलाई में इनकी भारी मात्रा में क्षति होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान एवं चालू वर्ष में उक्त क्षति की अनुज्ञेय सीमाओं तथा वास्तव में हुई क्षति का पत्तन-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त क्षति को न्यूनतम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं। लदान पत्तन पर जहाज में वास्तविक रूप से लदान किए गए खाद्यान्नों की मात्रा और डिस्चार्ज पत्तन पर हुए प्राप्त खाद्यान्नों की मात्रा में कमी, यदि कोई हो, पूरी तरह से मैरीन बीमा के तहत कवर होती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

होटलों में कर्मचारी संघ

5226. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न पांच सितारा होटलों में, जहां कर्मचारी संघ नहीं है, ब्रोकेन ड्यूटी/शिफ्ट ड्यूटी के नाम पर कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है तथा महिला कर्मचारियों को रात में शराब परोसने के लिए मजबूर किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में पांच सितारा होटलों की कुल संख्या राज्य-वार कितनी है तथा इनमें से कितने पांच सितारा होटलों में कर्मचारी संघ हैं; और

(घ) कर्मचारियों को शिफ्ट ड्यूटी/ब्रोकेन ड्यूटी देने के लिए तथा इसके साथ ही रात में शराब परोसने के लिए आशयित कर्मचारियों से संबंधित जारी दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (घ) पर्यटन मंत्रालय से प्राप्त सूचनानुसार, होटलों का वर्गीकरण एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है और कानून द्वारा शासित नहीं है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश में 182 पांच-सितारा/पांच-सितारा डीलक्स होटलों को मंजूरी दी गई है। होटलों को राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के उपबंधों के तहत कवर किया जाता है। होटलों के सभी क्रियाकलापों, जैसे – श्रम मुद्दों से मौजूदा संघीय/राज्य कानूनों के उपबंधों के अनुसार निपटा जाता है।

व्यपगत निधियों को जारी करने हेतु अनुरोध

5227. श्री विजय कुमार खंडेलवाल :
श्री कृष्णा मुरारी मोघे :
क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को क्षेत्रीय एकीकृत वन योजना तथा उद्यानों/अभयारण्यों के विकास की योजना के अंतर्गत वर्ष 2005-06 के लिए आबंटित निधियों की व्यपगत राशि जारी करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है; और

(ग) व्यपगत राशि को जारी किए जाने के लिए कब तक पुनर्बहाल किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय केन्द्रीय प्रायोजित एकीकृत वन सुरक्षा स्कीम (आई एफ पी एस) का क्रियान्वयन कर रहा है। मध्य प्रदेश राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान 79.19 लाख रु. की राशि का पुनः वैधीकरण किया गया और आई एफ पी एस के तहत 2005-2006 के कार्यक्रम की दूसरी किस्त के रूप में 200 लाख रु. की धनराशि जारी की गई। इसके अतिरिक्त, 2006-2007

के कार्यक्रम के प्रति 125.00 लाख रु. की धनराशि जारी की गई थी।

केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास स्कीम के तहत राज्यों से प्रचालनों की वार्षिक योजना (ए पी ओ) के रूप में जब कभी अनुरोध प्राप्त होता है, राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मध्य प्रदेश राज्य के लिए वर्ष 2006–07 के दौरान 2005–06 के 132.451 लाख रु. की खर्च न की गई शेष राशि के विरुद्ध, 123.633 लाख रु. की राशि अनुमोदित मदों के प्रति पुनः वैध की गई और 8.818 लाख रु. 2006–07 के दौरान जारी की गई राशि के विरुद्ध समायोजित की गई। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2006–07 के दौरान राज्य के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के नए ए पी ओ के लिए 759.46 लाख रु. की राशि भी जारी की गई है।

विशेष रोजगार सृजन

5228. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री जीवाभाई ए. पटेल :
क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं योजना में सामान्य विकास प्रक्रिया और विशेष रोजगार सृजन योजनाओं के माध्यम से अनुमानतः कितने लोगों को रोजगार दिया गया है;

(ख) दसवीं योजना में उक्त रोजगार योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत वास्तव में राज्यवार कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) 10वीं पंचवर्षीय योजना में कुल 50 मिलियन रोजगार अवसर सृजन हेतु प्रक्षेपित थे। लगभग 20 मिलियन रोजगार अवसर श्रम सघन क्षेत्रों के अनुकूल विकास के परिवर्तित ढांचे वाले चुनिंदा नवप्रवर्तनकारी कार्यक्रमों एवं नीति द्वारा तथा शेष 30 मिलियन विकास की सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से सृजित किए जाने प्रक्षेपित थे।

रोजगार एवं बेरोजगारी पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के हाल ही में किए गए दो पंचवर्षीय दौरों के अनुसार वर्ष 1999–2000 (55वां दौर) में चालू दैनिक स्थिति आधार पर अनुमानित रोजगार अवसर 337.20 मिलियन थे, जोकि वर्ष 2004–2005 (61वें दौर) में बढ़कर 382.66 मिलियन हो गए। इस प्रकार 5 वर्ष की अवधि में 45.46 मिलियन रोजगार अवसर सृजित किए गए।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पर्यावरण संबंधी मेदिनी पुरस्कार

5229. श्री बापू हरी चौरे :
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :
क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने पर्यावरण और संबंधित मुद्दों जैसे वन, वन्यजीव, प्रदूषण और जल संसाधनों पर हिन्दी में मूल लेखन को बढ़ावा देने के लिए 'मेदिनी पुरस्कार' की शुरुआत की है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र के ऐसे लेखकों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने उक्त पुरस्कार के विचारार्थ अपनी पुस्तकें प्रस्तुत की हैं और उन लेखकों के क्या नाम हैं जिन्हें उक्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया है/किया जा रहा है;

(ग) क्या उक्त पुरस्कार को भविष्य में भी जारी रखे जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, हां। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने हिन्दी लेखकों को पर्यावरण, वानिकी, वन्यजीव और गंगा परियोजना जैसे विषयों पर हिन्दी में मूल लेखन के लिए पुरस्कार देने हेतु वर्ष 1987 में एक योजना शुरु की थी। अब इस योजना का नाम 'मेदिनी पुरस्कार योजना' है।

(ख) पुरस्कारों के लिए विचार करने हेतु भारतीय लेखकों की प्रविष्टियां डी ए वी पी और मंत्रालय की वेबसाइट पर विज्ञापन देकर आमंत्रित की जाती है। चूंकि प्रविष्टियां, क्षेत्रवार या राज्य–वार आमंत्रित नहीं की जाती हैं, अतः मंत्रालय किसी विशेष राज्य से प्राप्त पुस्तकों के बारे में कोई रिकार्ड नहीं रखता है। तथापि, एक लेखक श्री मुकेश गौतम, जिनकी पुस्तक 'वृक्षों के हक में' को पुरस्कार वर्ष 2005 के लिए सांत्वना पुरस्कार देने का निर्णय किया गया है, ने मुम्बई (महाराष्ट्र) का अपना पता दिया है।

(ग) और (घ) जी, हां। यह योजना वार्षिक आधार पर आगे भी जारी रहने की संभावना है।

मुख्य कृषि भूमि

5230. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास "मुख्य कृषि भूमि" के निर्धारण हेतु कोई निर्धारित मानदंड है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मानदंडों को क्षेत्र की जलवायु के अनुसार निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) भू–उपयोग के नौ प्रकार के वर्गीकरण के अधीन मुख्य कृषि भूमि को अलग से किसी नामावली में शामिल नहीं किया गया है। भू–उपयोग सांख्यिकी की अवधारणा/परिभाषा के अनुसार कृषि भूमि वह भूमि है जिसमें बोया गया निवल क्षेत्र, कृष्य बंजर भूमि, वर्तमान परती भूमि, पुरानी परती भूमि (वर्तमान परती भूमि के अलावा परती भूमि) तथा विविध वृक्षाच्छादन के अधीन की भूमि शामिल हैं। यह मानक परिभाषा है और पूरे देश में लागू है और यह देश के किसी क्षेत्र की जलवायुवीय विशेषताओं से मुक्त है।

'रायदा' का उत्पादन

5231. श्री कृष्णा मुरारी मोघे : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश को खाद्य तेल की आपूर्ति के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वार देश में खाद्य तेल की कमी को पूरा करने के लिए देश में ही उत्पादित 'रायदा' के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) चूंकि खाद्य तेलों की घरेलू आपूर्ति की तुलना में इनकी मांग लगातार अधिक रही है इसलिए सरकार ने आम उपभोग की इस वस्तु को उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर आसानी से उपलब्ध कराने की दृष्टि से नारियल तेल को छोड़कर खाद्य वनस्पति तेलों के आयात की खुले सामान्य लाइसेंस के तहत अनुमति दी है।

(ख) देश में तिलहनों/खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किए गए उपायों में न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण के जरिए किसानों को अधिक प्रोत्साहन देना, देश में तिलहनों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने की दृष्टि से 14 तिलहन उत्पादक प्रमुख राज्यों में केन्द्रीय प्रायोजित "तिलहन, दाल, खजूर का तेल और मक्का की एकीकृत स्कीम" क्रियान्वित करना और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा बेहतर किस्म के बीजों और उत्पादन प्रौद्योगिकियों का विकास किया जाना शामिल है।

[अनुवाद]

फसल पश्च प्रौद्योगिकी

5232. श्री एल. राजगोपाल :
श्री बाडिगा रामकृष्णा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फसल पश्च प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग के क्या लक्ष्य और उद्देश्य हैं;

(ख) फसल पश्च प्रौद्योगिकी को तिलहन, दलहन और मक्का संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के साथ समेकित करने से तिलहन, दलहन और मक्का के उत्पादन को बढ़ाने में किस प्रकार मदद मिलेगी; और

(ग) अनुसंधान और विकास के माध्यम से विकसित की गई स्वदेशी प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्रदर्शन करने वाली कितनी इकाईयों की स्थापना की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) सस्योत्तर प्रौद्योगिकी का मुख्य लक्ष्य सस्योत्तर हानियों को कम करना तथा अवशिष्टों और उपोत्पादों के साथ–साथ उत्पाद का मूल्य बढ़ाना है जिसके परिणामस्वरूप उच्चतर आय और रोजगार तथा स्वस्थ पर्यावरण मिले। सस्योत्तर प्रौद्योगिकी के विशिष्ट उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं:

1. कृषि उत्पादन के प्रबंधन और मूल्यवर्धन के लिए प्रक्रियाओं, उपकरण और प्रायोगिक संयंत्रों का विकास करना।

2. सस्योत्तर उद्योगों की व्यवहार्यता और टेक्नो–इकोनोमिक सम्भाव्यता पर अध्ययन करना।

3. सस्योत्तर प्रौद्योगिकी संज्ञान का सृजन करना तथा उत्पादन कैचमेंट्स में प्रमाणित प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण करना और आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर इसके प्रभावों को मॉनीटर करना।

4. प्रमाणित प्रौद्योगिकियों और उपकरणों को अपना कर आय और रोजगार सृजित करना।

(ख) तिलहन, दलहन और मक्का प्रौद्योगिकी पर तकनीकी मिशन के साथ सस्योत्तर प्रौद्योगिकियों के समेकन से सस्योत्तर हानियों में कमी आई है तथा उसके द्वारा तिलहन, दलहन और मक्का की उपलब्धता में वृद्धि हुई है। इससे तिलहन, दलहन और मक्का उगाने वाले किसानों को सस्योत्तर हानि कम करने और मूल्यवर्धन के माध्यम से अपनी आय बढ़ाना भी सरल बनता जा रहा है। बढ़ी हुई आय किसानों को तिलहन, दलहन और मक्का की उत्पादकता को सुधारने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

(ग) केन्द्रीय फसल कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (लुधियाना) तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्य संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय अन्न प्रबंध एवं अनुसंधान संस्थान सहित देश में अनेक संस्थान विभिन्न जिन्सों और क्षेत्रों के लिए स्वदेशी फसल कटाई उपरांत प्रबंध तथा मूल्यवर्धन प्रौद्योगिकियों का

विकास कर रहे हैं। ये प्रौद्योगिकियां कटाई का अधिकतम समय, कटाई की तकनीकें, संग्रहण, सफाई, ग्रेडिंग, सुखाना, शीतलन, भंडारण, पिसाई और पैकेजिंग से संबंधित हैं। अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से विकसित प्रौद्योगिकियों की एक सूची विवरण-I के रूप में संलग्न है।

इन प्रौद्योगिकियों को देशभर में फैली सस्योत्तर प्रौद्योगिकी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं (एआईसीआरपी) के केन्द्रों द्वारा उनकी उपयोगिता के लिए प्रदर्शित किया जा रहा है।

सस्योत्तर प्रौद्योगिकी की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) के कार्यकलापों के अंतर्गत स्थापित चुनिंदा प्रदर्शन इकाइयों की एक सूची विवरण-II के रूप में दी गई है।

विवरण-I

अनुसंधान तथा विकास कार्यों द्वारा विकसित किए गए देसी फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकियां/उपकरण

1. लघु दाल मिल
2. मिर्च के बीज निकालने वाला यंत्र
3. फल ग्रेडर
4. अपशिष्ट फायर्ड ड्रायर
5. पैरिसेबल वस्तुओं के भंडारण के लिए वाष्पित प्रशीतन ढांचा
6. शहद आधारित टॉफी और कैरेट कैंडीज
7. बेल आधारित पेय
8. निर्जलीकृत भैंस मांस का पाउडर
9. फ्रूटबार प्रौद्योगिकी (पपीता और टमाटर)
10. भैंस के मांस का अचार
11. भैंस के मांस की ताजी सोसेज प्रौद्योगिकी
12. भैंस के मांस की इमलशन सोसेज प्रौद्योगिकी
13. विवेक थ्रेशर एवं परलर
14. क्रिस्टल रूप में गन्ने का गुड़ बनाने के लिए प्रक्रिया
15. गन्ने के गुड़ की क्यूब्स/ब्लॉक्स बनाना
16. उष्मा उपयोग बढ़ाने के लिए डबल ग्रेडिंग वाली एनाकाप्ली गुड़ बनाने की भट्टी
17. 2 इन 1, मक्का शेलर एवं सूरजमुखी थ्रेशर
18. सुपारी डीहस्कर
19. 3 इन 1, लघु मूंगफली छिलका निकालने वाला यंत्र, सूरजमुखी थ्रेशर और मक्का थ्रेशर
20. पैडल द्वारा चालित नारियल डिहस्कर
21. इलायची शुष्कक यंत्र
22. रेत की परत का इस्तेमाल करते हुए दलहन का सुरक्षित भंडारण
23. सफेद मिर्च बनाने वाली यूनिट
24. इमली डिहलर एवं डिसीडर
25. कर्नाटक तटवर्ती क्षेत्रों में मूंगफली बीज भंडारण
26. हल्दी पोलिशर
27. बहुप्रयोजन वाली ग्रेन मिल
28. पैडल एवं ऊर्जा चालित ग्रेन क्लीनर
29. सी आई ए ई दाल मिल
30. हाथ से चलने वाला मूंगफली छिलका निकालने वाला यंत्र
31. सब्जियों के लिए सौर ऊर्जा वाला कैबिनेट ड्रायर
32. स्ट्रो बेलर
33. अनाज और दलहनों के लिए मैनुअल डबल स्क्रीन क्लीनर
34. सब्जी निर्जलीकरण करने वाला यंत्र
35. गौण मोटे अनाज और दलहनों के लिए ग्रेन परलर
36. काजू एप्पल आर टी एस, स्कूएस, जैम/जैली
37. ओसमो डिहाइड्रेटिड पाइनेप्पल स्लाइसिस/रिंग्स और टिडबिट्स
38. हल्दी/अदरक साफ करने वाला यंत्र
39. डिहयूमिडीफायड एयर ड्रायर
40. बेल (स्टोनएप्पल) स्लाइसर
41. स्टोनएप्पल बेवरेज
42. लघु/सीमांत किसानों द्वारा गुड़ बनाने के लिए कम लागत वाली डबल पैन फर्नेस
43. गुड़ बनाने में गन्ने के जूस के लिए हर्बल क्लेरिफिकेंट्स
44. हाउसहोल्ड इन्सेक्ट ट्रेप
45. चार रोलर वाला गन्ना कटाई यंत्र
46. गन्ने के जूस को बोतलों में भरना
47. घरेलू धान उसना यूनिट

48. फार्म स्तर पर सुधरे हल्दी बॉयलर
49. टमाटर पेस्ट का उत्पादन
50. खुम्भी के लिए फ्लूडाइज्ड बैड ड्रॉयर
51. काली मिर्च थ्रेशर
52. कॉफी के लिए पलपर एवं वासर
53. आंवला तोड़ने वाली मशीन
54. शुष्क क्षेत्र के लिए चारा संरक्षण यूनिट (सिलो)
55. शुष्क चारे के लिए सुधरे 'कराई' भंडारण ढांचे
56. शुष्क क्षेत्र के लिए संशोधित इनसिलिंग प्रोसेस
57. बेर ग्रेडिंग मशीन
58. कोल्ड्रोन पैडी पारबोइलिंग तकनीक
59. अदरक के मूल्यवर्धित उत्पाद
60. ताजे रूप में अदरक राइजोम के भंडारण के लिए प्रक्रिया
61. धान भंडारण के लिए आर सी सी रिंगबिन
62. फीड ब्लाक बनाने वाली मशीन
63. जीरे से आवश्यक तेल के लिए प्रक्रिया
64. केसर आम के स्वजीवन को बढ़ाने के लिए प्रक्रिया
65. जीरे के लिए क्लीनर एवं ग्रेडर
66. लाल मिर्च के लिए कृषि अपशिष्ट फायर्ड ड्रायर
67. शैलफायर्ड कोपरा ड्रायर का विकास
68. टेंडर कोकोनेट पंच एवं कटर
69. नारियल की चिप्स के उत्पादन के लिए प्रक्रिया
70. स्नोबाल टेंडरनेट का उत्पादन
71. ऊर्जा के तीसरे स्रोत के रूप में जैव ईंधन के साथ सौर एवं इलेक्ट्रीकल ड्रायर का डिजाइन
72. सौर टनल ड्रायर
73. ग्रेन पफिंग मशीन
74. बम्बू सीमेंट बिन (धान के भंडारण के लिए)
75. रिसरकूलेटरी ट्रे ड्रायर
76. ग्राम स्तर पर दूध स्टरलाइजर
77. कोदो मिलट से स्नेक्स उत्पादों का उत्पादन
78. जल्दी बनाने के लिए उसना चावलों का उत्पादन
79. पान के पत्तों से तेल निकालने वाला यंत्र
80. तरल गुड़ उत्पादन की प्रक्रिया
81. गुड़ बनाने के दौरान डिफ्रोथिंग के लिए चरनर
82. ठोस गुड़ के लिए संशोधित हार्डनेस टेस्टर
83. गन्ने के रस को उबालने वाली कढ़ाई
84. गुड़ आधारित कैरामिलाइज्ड टॉफी, बिस्कुट/कुकीज
85. गन्ने के रस को छानने वाली प्रणाली
86. गन्ने के रस का एकत्रीकरण और सैटलिंग टैंक
87. बायलिंग पैन टिप्पिंग मैकेनिज्म
88. वर्गीकरण के लिए ओकरा प्लांट स्टॉक पाउडर
89. अनार से बीज निकालने वाला यंत्र
90. चीकू फल ग्रेडर
91. आम फल ग्रेडर
92. पुनःपरिचालित और शुष्कक (लाल मिर्च)
93. हाउस होल्ड वाष्पिकृत कूलर (फलों तथा सब्जियों के लिए)
94. यांत्रिक फल वाशर
95. गुड़ की डली बनाने का फ्रेम
96. गुड़ के लिए शुष्क–कम–भंडारण बिन
97. फोर्स्ड ड्राफ्ट प्रणाली वाला आईआईएसआर दो पैन वाली भट्टी
98. उन्नत तीन पैन वाली भट्टी
99. एकल ड्रम रोटरी स्क्रीन ग्रेन प्री–क्लीनर
100. फार्म स्तर के फल तथा सब्जियां धोने वाली मशीन
101. शहद के लिए बिजली एवं बैटरी उष्मित बिना ढक्कन का चाकू
102. अनाज तथा सब्जियों के लिए ट्राली ड्रायर
103. हाथ का आलू छीलने वाला
104. प्लांट आधारित अनाज संरक्षित यंत्र
105. मूंगफली छिलका निकालने वाला
106. पैर से चलने वाली अंजीर प्रसंस्करण मशीन
107. चीकू के पाउडर का उत्पादन

108. कम मूल्य वाली ताजे जल की मछलियों (टिलापिया एसपी) का उपयोग करते हुए जल मूल्यवर्धित उत्पाद (मछली अचार)

109. तुंगभद्रा ओटाई यंत्र

110. प्राकृतिक कन्वैक्शन सौर शुष्कक (मिनी—मल्टी रैक पाइप)

111. फोर्स्ड कन्वेक्शन सौर शुष्कक प्रणाली

112. कम मूल्य वाली ताजे जल की मछलियों का उपयोग करते हुए जल मूल्यवर्धित उत्पाद

113. खुबानी गुठली/बीज से गरी के तेल को निकालने के लिए प्रौद्योगिकी

114. हाथ चालित कसावा चिपिंग मशीन

115. कसावा रेस्पर

116. मोटर चालित चिपिंग मशीन

117. पैर चालित कसावा चिपिंग मशीन

118. आहार ग्रेनूलेटर

119. मोबाइल स्टार्च निकालने वाली यूनिट

120. कसावा स्टार्च से चिपकाने वाले द्रव के लिए पायलेट प्लांट

121. मक्के के भूसे को निकालने वाला छिलका

122. लहसुन बल्ब ब्रेकर

123. लहसुन फ्लेक्स एवं पाउडर के लिए प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी

124. अदरक तथा हल्दी प्रसंस्कण प्रौद्योगिकी

125. लहसुन छीलने वाली मशीन

विवरण-II

अखिल भारतीय समन्वित सस्योत्तर प्रौद्योगिकी अनुसंधान परियोजना (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) के अंतर्गत फसल सस्योत्तर प्रौद्योगिकी हेतु कुछ चुनिन्दा प्रदर्शन एककों की सूची

1. श्री रामदास राउत, हिवारखेड़ (रूप) टीक्यू.—तिलहारा, जिला अकोला में कृषि प्रसंस्करण केन्द्र

2. श्री दीपक शिन्दे फार्म, नीमखेड़ (बाजार) टीक्यू, अंजनगांव सुरजी, जिला – अमरावती में कृषि प्रसंस्करण केन्द्र

3. उत्तरांचल जैविक उत्पादक और प्रौद्योगिकी तथा विकास स्वायत्त सहकारिता, कोटवाल गांव, ताकुला

4. मैसर्स जय दुर्गा फूड प्रोडक्ट, एट/पी.ओ. : ब्रह्मेश्वर पटना, तंकापानी रोड़, जिला – खुर्द, उड़ीसा

5. एडीएआरए, एट/पी.ओ : पीपिली, जिला – पुरी, उड़ीसा

6. चौधरी हरबिलास रे एग्रो प्रोसैसिंग काम्प्लैक्स, चकदाना नजदीक फिलौर, पंजाब

7. एस. संतोष सिंह एग्रो प्रोसैसिंग काम्प्लैक्स, गांव एवं डाकघर – रोडे, नजदीक बागा पुराना, मोगा पंजाब

8. एग्रो–प्रोसैसिंग सैन्टर, गांव सनसेरा – तहसील रेलमागरा, जिला – राजसमंद (राजस्थान)

सुपारी का उत्पादन

5233. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में सुपारी का कुल कितना उत्पादन दर्ज किया गया है; और

(ख) सरकार द्वारा सुपारी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) देश में विगत तीन वर्षों के दौरान सुपारी का कुल उत्पादन निम्नलिखित हैं:–

वर्ष	उत्पादन (हजार मी. टन)
2003–04	417.50
2004–05	452.70
2005–06	483.10

(ख) सरकार सुपारी उत्पादक किसानों को सुपारी बागों के पुनरुद्धार और पुनः स्थापना, समेकित कृमि प्रबंधन और उन्नत प्रबंधन पद्धतियों के लिए जागरूकता/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता दे रही है। सरकार ने घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2004 के दौरान सुपारी पर आयात शुल्क 35% से बढ़ाकर 100% भी कर दिया है।

पर्यावरणीय मार्ग-दर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन

5234. श्री चन्द्र शेखर दूबे : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने बॉल्को के रणनीतिक साझेदार द्वारा 540 मेगावाट के रक्षित विद्युत परियोजना के निर्माण के दौरान किए गए विभिन्न उल्लंघनों पर गौर करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपे जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा मार्ग-दर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाले बॉल्को के रणनीतिक साझीदार के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) मैसर्स भारत एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बॉल्को), कोरबा, छत्तीसगढ़ द्वारा 1036.52 एकड़ सरकारी भूमि के कथित अवैध उपयोग के बारे में सार्थक और अन्यों द्वारा दायर रिट याचिका (सिविल) संख्या 469/2006 और संबंधित मामले माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 9.3.2007 के आदेश के तहत केन्द्रीय उच्च शक्ति प्राप्त समिति को भेज दिए गए हैं।

(ग) केन्द्रीय उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है।

(घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राज्य सरकार से मैसर्स बॉल्को द्वारा किए गए कथित उल्लंघनों के बारे में संबद्ध कानूनों/नियमों के अंतर्गत की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार से इस संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

प्याज का निर्यात

5235. डा. राजेश मिश्रा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी से मार्च, 2007 तक पाकिस्तान और अन्य देशों को प्याज की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया है;

(ख) क्या प्याज के निर्यात ने घरेलू बाजार में मूल्यवृद्धि को सीधे तौर पर प्रभावित किया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जनवरी, 2007 से मार्च, 2007 की अवधि के दौरान पाकिस्तान सहित विभिन्न देशों को 228225 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात किया गया। इसमें से लगभग 14851 मीट्रिक टन प्याज का पाकिस्तान को निर्यात किया गया है।

(ख) से (घ) देश में प्याज के निर्यात ने घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं डाला है और इस प्रकार इसने घरेलू बाजार में मूल्य वृद्धि को सीधे प्रभावित नहीं किया है।

[अनुवाद]

सरदार सरोवर परियोजना

5236. श्री हरिन पाठक :
श्री हरिलाल माधवजी भाई पटेल :
श्री मधुसूदन मिस्त्री :
श्री महेश कनोडीया :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरदार सरोवर परियोजना जोकि एक बहुराज्यीय परियोजना है, में विभिन्न कारणों से विलम्ब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) परियोजना को शुरू करने के समय इसकी अनुमानित लागत कितनी थी और इस समय इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड के संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम, दिसम्बर, 1989 के अनुसार सरदार सरोवर बांध को मूल रूप से जनवरी, 1998 तक पूरा किया जाना था। नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय ने दायर रिट याचिका (सिविल) सं. 319/1994 के लम्बित रहने के कारण मुख्य बांध पर कार्य 1995 से रुका रहा। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस रिट याचिका का निस्तारण अक्टूबर, 2000 में किया गया और इसने बांध की ऊंचाई को आगे 90.0 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति दे दी तथा नर्मदा नियन्त्रण प्राधिकरण (एनसीए) को पुनर्स्थापना और पुनर्वास (आरएण्डआर) तथा पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के साथ-साथ बांध को और ऊंचा करने के लिए कार्रवाई योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया। तदनुसार, बांध की ऊंचाई को और बढ़ाने के लिए एनसीए ने एक कार्रवाई योजना तैयार की जिसके अनुसार बांध को 138.68 मीटर के पूर्ण जलाशय स्तर तक जून, 2005 तक पूरा किया जाना था। तथापि, परियोजना प्रभावित लोगों की पुनर्स्थापना और पुनर्वास की धीमी प्रगति के कारण बांध को दिसम्बर, 2006 की समाप्ति तक केवल 121.92 मीटर तक ही ऊंचा किया जा सका।

(ग) योजना आयोग द्वारा वर्ष 1986-87 के मूल्य स्तर पर अनुमोदित किए गए अनुसार सरदार सरोवर परियोजना की अनुमानित लागत 6406.4 करोड़ रुपए थी। गुजरात राज्य सरकार के अनुसार 2005-06 के मूल्य स्तर पर इस परियोजना की अनुमानित लागत 33822.60 करोड़ रुपए है।

राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना

5237. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एनएलसीपी) के अंतर्गत उड़ीसा की अनसुपा झील को शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इसके अनुरक्षण और विकास हेतु कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत झील संरक्षण पर नई परियोजनाओं को प्रदूषण स्थिति, झीलों की प्राथमिकता और योजना के अंतर्गत कोषों की उपलब्धता के आधार पर शामिल किया जाता है। राज्य सरकारों से अपने राज्य में झीलों की प्राथमिकता प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। मंत्रालय को उड़ीसा से झीलों की कोई प्राथमिकता प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा, उड़ीसा सरकार द्वारा राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत विचारार्थ अनुसूपा झील के संरक्षण की कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मूल्य वृद्धि संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति

5238. श्री अधीर चौधरी :
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर निगरानी रखने के लिए गठित की गई उच्चाधिकार समिति ने कोई सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) जी, हां। जनवरी से जून, 2006 तक की अवधि के दौरान उच्चाधिकार मूल्य निगरानी बोर्ड ने मूल्य परिदृश्य की निगरानी करने तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को उचित स्तर तक नियंत्रित रखने और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए संबंधित विभाग द्वारा किए जाने वाले उपयुक्त उपायों का सुझाव देने हेतु अनेक बैठकें आयोजित कीं। उच्चाधिकार मूल्य निगरानी बोर्ड ने अप्रैल, 2006 में आयोजित अपनी बैठक में विशेष रूप से कृषि और सहकारिता विभाग को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के साथ मिलकर दालों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए एक आकस्मिक योजना तैयार करने का निदेश दिया। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ ने दालों के आयात के लिए जून, 2006 में निविदाएं आमंत्रित की। इसके अलावा, उच्चाधिकार मूल्य निगरानी बोर्ड ने जून, 2006 में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग को मदर डेयरी के बिक्री केन्द्रों के जरिए वितरण के लिए हिमाचल प्रदेश से दिल्ली में टमाटरों की आपूर्ति करने हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और मदर डेयरी को अनुदेश जारी करने का निदेश दिया। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग ने तदनुसार मामले को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और मदर डेयरी के साथ उठाया।

इको-सिटी परियोजना

5239. एडवोकेट सुरेश कुरूप : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोई ईको–सिटी परियोजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इको–सिटी परियोजना के लिए पहचान किए गए कस्बों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय–सीमा निर्धारित की गई है और प्रत्येक परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना में ईको–सिटी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) द्वारा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और नगरपालिकाओं के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को पर्यावरण में सुधार लाने और चुनिंदा कस्बों/शहरों में अभिज्ञान पर्यावरणीय सुधार परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से प्रत्यक्ष परिणाम लाने के लिए संकल्पित किया गया है।

2. कार्यक्रम के विनिर्दिष्ट उद्देश्य हैं :

– सहभागिता एप्रोच के माध्यम से चुनिन्दा कस्बों में पर्यावरणीय समस्याएं अभिज्ञात करना;

– प्राथमिकता प्राप्त पर्यावरणीय सुधार परियोजनाओं की डिजाइनिंग करना और उन्हें विस्तृत रूप देना; और

– ऐसे लेंडमार्क सृजित करना जो प्रत्यक्ष पर्यावरणीय सुधार दर्शाएं।

3. नगरपालिकाओं से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर निम्नलिखित छः शहरों को ईको सिटी कार्यम के पायलेट फेज के लिए चुना गया है।

(i) कोट्टायम

(ii) पुरी

(iii) तिरुपति

(iv) उज्जैन

(v) वृंदावन

(vi) थंजावुर

4. संबंधित शहरों के लिए कार्यक्रम के पायलेट फेज के तहत शुरू की गई परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है। जिस कार्यक्रम को दसवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था उसे ग्यारहवीं योजना के पहले वर्ष में चालू रखा जा रहा है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के दौरान स्कीमों के क्रियान्वयन को शामिल करने के लिए योजना आकार को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

5. संबंधित शहरों के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पिछले वित्त वर्ष 2006–2007 तक जारी शहरवार राशि नीचे दी गई है:

क्रम सं.	शहर	जारी राशि (लाख रु. में)
1.	कोट्टायम	40.84
2.	पुरी	55.53
3.	तिरुपति	49.34
4.	उज्जैन	67.41
5.	वृंदावन	43.00
6.	थंजावुर	शून्य

उपभोक्ता जागरूकता के लिए सहायता

5240. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कोई सहायता प्रदान करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तत्संबंधी राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों को अलग–अलग कैसी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) योजना आयोग ने उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 2006–07 के दौरान उपभोक्ता मामले विभाग को 69.40 करोड़ रुपए का बजट आबंटित किया था। उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता कल्याण के संदेश को संप्रेषित करने के लिए मल्टी मीडिया अभियान (प्रिंट/इलेक्ट्रानिक/आउटडोर) चलाया गया। गतिविधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) अभियान में पूर्वोत्तर राज्यों सहित समूचे देश कवर किया गया। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नतम स्तर पर उपभोक्ता जागरूकता गतिविधियां चलाने के लिए 10 करोड़ रुपए की विशेष सहायता दी गई। ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(घ) अभियान के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कुछ राज्यों में नमूना सर्वेक्षण आयोजित करने हेतु भारतीय जनसंचार संस्थान को लगाया गया। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से 62.56 प्रतिशत लोगों को जागरूकता अभियान के बारे में जानकारी होना पाई गई।

विवरण-I

चलाई गई प्रचार गतिविधियां

विभाग ने उपभोक्ता जागरूकता और प्रतितोष के क्षेत्र में एक गहन मल्टीमीडिया अभियान चलाया है। अभियान में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित घटक हैं:–

(i) राष्ट्रीय दैनिक/क्षेत्रीय समाचार पत्रों में स्थानीय भाषाओं में नियमित रूप से विज्ञापन प्रकाशित किए जा रहे हैं।

(ii) पेट्रोल के कम तोल, उपभोक्ता शिकायत प्रतितोष प्रणाली, आई एस आई और हॉल मार्क, अधिकतम खुदरा मूल्य जैसे उपभोक्ता संबंधित विभिन्न मुद्दों पर वीडियो स्पॉटों को दूरदर्शन और सैटेलाइट चैनलों के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है।

(iii) डाक विभाग के सहयोग से मेघदूत पोस्टकार्ड वितरित किए जा रहे हैं।

(iv) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, नुक्कड़ नाटकों जैसे विभिन्न आयोजनों के दौरान और जमीनी स्तर पर राज्य सरकारों के जरिए वितरण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की मुख्य विशेषताओं को बताने वाले मुद्रित साहित्य उपभोक्ता संसाधन किट तथा पॉकेट कलेण्डरों और पोस्टरों का वितरण किया जा रहा है।

(v) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के गीत और नाटक प्रभाग के सहयोग से जमीनी स्तर पर जागरूकता पैदा करने के लिए गीत तथा नाटक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

(vi) नवम्बर, 2006 के दौरान युवा उत्सव आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न कालेजों द्वारा उपभोक्ताओं से संबंधित विषयों पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए गए।

2. राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को उपभोक्ता जागरूकता गतिविधियां चलाने के लिए सहायता देने की विशेष स्कीम 2006 के दौरान शुरू की गई। 2006–07 में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को 10 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई

3. उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों के प्रतितोष संबंधी परामर्श देने हेतु एक टोलमुक्त टेलीफोन नंबर के जरिए नेशनल हैल्प लाइन चलाई गई है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रचालित किया जा रहा है।

4. उपभोक्ता समर्थन और उपभोक्ता शिकायतों के प्रतितोष के लिए वेबसाइट आधारित पहल 'कंज्यूमर ऑन लाइन रिर्सोस एण्ड एम्पावरमेंट सेंटर (कोर)' शुरू की गई है।

5. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर, खासतौर पर संगीत कार्यक्रमों के जरिए विशेष ध्यान दिया गया है।

विवरण-II

क्रम सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	राशि (लाख रुपए में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	28.75
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.75
3.	असम	28.75
4.	बिहार	46.25
5.	छत्तीसगढ़	20.00
6.	दिल्ली	11.25
7.	गोवा	2.50
8.	गुजरात	170.50
9.	हरियाणा	23.75
10.	हिमाचल प्रदेश	15.00
11.	जम्मू और कश्मीर	17.50
12.	झारखण्ड	27.50
13.	कर्नाटक	33.75
14.	केरल	17.50
15.	मध्य प्रदेश	60.00
16.	महाराष्ट्र	41.25
17.	मणिपुर	11.25
18.	मेघालय	8.75
19.	मिजोरम	10.00
20.	नागालैंड	10.00
21.	उड़ीसा	37.50
22.	पंजाब	21.25
23.	राजस्थान	40.00
24.	सिक्किम	7.50
25.	तमिलनाडु	36.25
26.	त्रिपुरा	5.00
27.	उत्तरांचल	16.25
28.	उत्तर प्रदेश	87.50
29.	पश्चिम बंगाल	125.75
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3.75
31.	चंडीगढ़	6.25
32.	दादरा व नगर हवेली	1.25
33.	दमन व दीव	2.50
34.	लक्षद्वीप	1.25
35.	पाण्डिचेरी	5.00
		1000.00

[हिन्दी]

बरनार जलाशय

5241. श्री गिरधारी यादव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार की बरनार जलाशय योजना को पूरा करने के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान करने पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बिहार की बरनार जलाशय स्कीम को वर्ष 2006–07 के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में शामिल किए जाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ लेकिन इस प्रस्ताव में मुख्यतः राज्य द्वारा उल्लेख किए गए अपर्याप्त बजट प्रावधान के कारण इसे ठीक नहीं पाया गया। संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुपालन किए जाने के वास्ते इस प्रस्ताव पर टिप्पणियां/सुझाव दिए गए।

[अनुवाद]

वन क्षेत्र की वृद्धि के लिए आदर्श दिशानिर्देश

5242. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वन क्षेत्र में वृद्धि के लिए अब तक जुटाए गए संसाधन और खर्च की गई राशि कितनी है;

(ख) क्या भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल को वन क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए आदर्श दिशानिर्देशों को तैयार करने का कार्य सौंपा था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा वन आवरण में सुधार करने और वृद्धि करने के लिए कार्यान्वित की जारी प्रमुख स्कीम, राष्ट्रीय वनीकरण स्कीम (एन ए पी) है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एन ए पी स्कीम के लिए आबंटन 1205 करोड़ रुपए था। इस योजनावधि के दौरान वन विकास अभिकरणों (एफ डी ए) को स्कीम के तहत कुल 1176.29 करोड़ रुपए जारी किए गए थे जिसमें नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उगाई गए प्लांटेशन का रखरखाव भी शामिल था।

(ख) से (घ) जी नहीं। तथापि, भारतीय वन प्रबंध संस्थान, भोपाल ने मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप (एम एस पी) फ्रेमवर्क के लिए प्रारूप दस्तावेज तैयार किया है जिसे देश में वन और वृक्ष आवरण की वृद्धि हेतु एक लिखत के रूप में प्रस्तुत किया है। एम एस पी फ्रेमवर्क में भू–स्वामित्व वाले अभिकरण, स्थानीय ग्राम समुदाय और प्रायोजक, जो सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र में एक कम्पनी, फर्म, यूज़र ग्रुप, न्यास, समिति अथवा संगठन हो सकता है, के बीच एक त्रिपक्षीय व्यवस्था परिकल्पित की गई है।

लघु भेषज उद्योग

5243. श्री पी. करुणाकरन : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य–वार कितनी लघु भेषज इकाइयां बंद पड़ी हैं;

(ख) इनके बंद होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे देश में आम आदमी तक सस्ती औषधियों की उपलब्धता प्रतिकूल ढंग से प्रभावित हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस उद्योग को संकट से उबारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) और (ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सूचित किया है कि फार्मा यूनिटों की राज्यवार बंदी संबंधी सूचना, केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। तथापि, एसएसआई यूनिटों सहित, फार्मा कंपनियों द्वारा 1 जुलाई, 2005 से औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन नियमावली, 1945 की अनुसूची 'ए' की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है।

(ग) देश में आम आदमी के लिए सस्ती औषधों और दवाओं की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की बात इस विभाग के ध्यान में नहीं आयी है।

(घ) उपर्युक्त के आलोक में, प्रश्न नहीं उठता।

कृषि के लिए आयात-निर्यात नीति

5244. श्री पी.सी. थामस : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई आयात–निर्यात नीति में कृषि उत्पादों पर ज्यादा जोर दिए जाने का प्रस्ताव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे किसानों को विशेषकर नारियल एवं अन्य तिलहनों के उत्पादकों को क्या लाभ होने की संभावना है;

(ग) तिलहन उत्पादक किसानों पर खाद्य तेलों के शुल्क मुक्त आयात का क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान नारियल सहित प्रमुख तिलहनों की कीमत कितनी रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

झींगा प्रजनन केन्द्र

5245. श्री अनन्त नायक : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में अब तक स्थापित और स्थापित किए जाने वाले झींगा प्रजनन केन्द्रों का राज्य–वार और स्थान–वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) नए प्रजनन केन्द्रों के कब तक कार्य आरम्भ कर देने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) किसानों को खाराजल झींगा व ताजा जल प्राउन के बीजों के उत्पादन एवं आपूर्ति करने के उद्देश्य से, देश के तटवर्ती राज्यों में हैचरियों की स्थापना की गई है। निजी क्षेत्र में स्थापित प्राउन/झींगा हैचरियों का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है:–

क्रम सं.	राज्य	प्राउन हैचरी	झींगा हैचरी	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	43	148	191
2.	गुजरात	0	2	2
3.	कर्नाटक/गोवा	0	14	14
4.	केरल	7	22	29
5.	महाराष्ट्र	2	6	8
6.	उड़ीसा	2	13	15
7.	तमिलनाडु	8	73	81
8.	पश्चिम बंगाल	9	2	11
	कुल	71	280	351

इसके अलावा, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा में स्वतंत्र समितियों के रूप में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) द्वारा दो हैचरियों की स्थापना की गई है। इस समय नई हैचरियों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि अभी तक निजी क्षेत्र में स्थापित हैचरियां बीज की मौजूदा मांग की पूर्ति करने में सक्षम हैं।

(ख) फ्रांस की सहायता से गुजरात एवं महाराष्ट्र में निर्माणाधीन दो ताजा जल प्राउन हैचरियों के कार्य को दिसम्बर, 2008 तक पूरा किया जाना है।

राष्ट्रीय नदी कार्य योजना

5246. श्री नरहरि महतो : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कतिपय राज्य सरकारों ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के तहत पर्यावरणीय मंजूरी के लिए विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी;

(ख) यदि हां, तो परियोजना प्रस्तावों और इसमें अंतर्ग्रस्त लागत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 4783 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत पर कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसमें 20 राज्यों में फैली 34 नदियां शामिल हैं। वर्ष 1985 से गंगा कार्य योजना के आरंभ से ही प्रदूषण निवारण कार्यों के माध्यम से नदियों का संरक्षण एक निरंतर गतिविधि है और प्रदूषण निवारण कार्यों के लिए परियोजना प्रस्ताव राज्यों से प्राप्त किए जाते हैं और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत व्यापक मार्गनिर्देशों के अनुपालन के संदर्भ में चालू आधार पर इनकी जांच की जाती है। 11वीं योजना के पहले वर्ष अर्थात् 2007–08 के दौरान राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत उपलब्ध परिव्यय का मुख्य भाग विभिन्न राज्यों में चालू कार्यों के लिए है। राज्यों को मार्गनिर्देशों के अनुपालन न किए जाने एवं अन्य कमियों के कारण लौटाए गए प्रस्तावों के अलावा उत्तर प्रदेश राज्य से 1.11 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की एक विस्तृत योजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

कृषि वानिकी एवं फल उत्पादक इकाइयां

5247. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर उड़ीसा में कृषि वानिकी एवं फल उत्पादक इकाइयों को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) कृषि–वानिकी को प्रभावकारी प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए पनधारा विकास कार्यक्रमों के क्रियाकलाप के रूप में बढ़ावा दिया जाता है। उड़ीसा राज्य में कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय

के निम्नलिखित पनधारा विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं:–

(i) **कृषि मंत्रालय :**

1. वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एनडब्ल्यूडीपीआर)

2. नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदी के स्रवण – क्षेत्रों में अवक्रमित भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण (आरवीपी और एफपीआर)

(ii) **ग्रामीण विकास मंत्रालय:-**

1. समेकित बंजर भूमि विकास परियोजनाएं (आईडब्ल्यूडीपी)

2. सूखा प्रवण क्षेत्र परियोजना (डीपीएपी)

यह सूचित किया गया है उड़ीसा में विभिन्न पनधारा कार्यक्रमों के अंतर्गत अब तक 531.12 करोड़ रुपए की लागत से 11.26 लाख हैक्टेयर भूमि विकसित की गई है।

बारहमासी और गैर–बारहमासी फलों के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार राष्ट्रीय बागवानी मिशन की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत अनुमोदित क्रियाकलापों में से एक है। सहायता प्रति लाभानुभोगी 4 हैक्टेयर तक सीमित अधिकतम 22,500 रुपए प्रति हैक्टेयर के अध्यधीन लागत के 75 प्रतिशत की दर से प्रदान की जा रही है। उड़ीसा के मामले में आम, केला, नींबू (सिट्रस) और लीची को राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत विकास के लिए क्षमतावान फसलों के रूप में पहचाना गया है। वर्ष 2005–06 के दौरान राज्य बागवानी मिशन, उड़ीसा को 36.12 करोड़ रुपए की धनराशि निर्मुक्त की गई जिसमें बारहमासी और गैर–बारहमासी फलों के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार के लिए 13.91 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसी प्रकार वर्ष 2006–07 के दौरान राज्य बागवानी मिशन, उड़ीसा को 36.86 करोड़ रुपए की धनराशि निर्मुक्त की गई जिसमें बारहमासी और गैर–बारहमासी फलों के क्षेत्र विस्तार के लिए 17.85 करोड़ रुपए शामिल हैं।

सिंचाई में निवेश

5248. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपर्याप्त सिंचाई सुविधा कृषि क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के प्रमुख कारणों में एक है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले कुछ वर्षों में सिंचाई पर काफी कम निवेश हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सिंचाई पर निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जी, नहीं। सिंचाई कृषि के मूलभूत आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता है। तथापि, कृषि बहुत से अन्य कारकों जैसे बीज, विस्तार सेवाएं एवं विपणन, वाटरशेड विकास, क्रेडिट सुविधाओं आदि पर निर्भर करती है।

(ख) और (ग) विभिन्न योजना अवधियों में सिंचाई क्षेत्र के लिए योजना परिव्यय में क्रमिक वृद्धि हुई है। पहली योजना के दौरान वृहद् एवं मध्यम सिंचाई तथा लघु सिंचाई के लिए कुल परिव्यय 441.86 करोड़ रुपए था और वृहद् एवं मध्यम तथा लघु सिंचाई के लिए दसवीं योजना का परिव्यय 84734.64 करोड़ रुपए था। तथापि, कुल योजना निवेश को प्रतिशतता के रूप में सिंचाई क्षेत्र में किए गए सार्वजनिक निवेश में समय के साथ गिरावट देखी गई है।

(घ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं पर विचार, आयोजना और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) में यह बताया गया है कि सिंचाई को निवेश के क्षेत्र में उच्च प्राथमिकता दी जायेगी और सभी निर्माणाधीन परियोजनाएं निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार पूरी की जायेगी तथा जल प्रबंधन के सभी पहलुओं, सिंचाई और पेयजल दोनों प्रयोजनों पर तत्काल ध्यान दिया जायेगा। भारत सरकार, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत राज्य सरकारों को निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं पूरी करने के लिए केन्द्रीय सहायता मुहैया कराती है। एआईबीपी मानदंड में छूट दी गई है और इस कार्यक्रम के तहत और परियोजनाओं को शामिल करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, XIवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में सिंचित क्षेत्र की वृद्धि दर को दोगुना करने तथा जल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन एवं वाटरशेड विकास में सुधार लाने की भी योजना है।

भंडारण और परागमन (ट्रांजिट) हानियां

5249. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों में खाद्यान्नों के भंडारण और परागमन (ट्रांजिट) में कितनी कमी हुई थी तथा इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई;

(ख) क्या एफ सी आई के कुछ अधिकारियों की संलिप्तता की भी सरकार को जानकारी मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इस प्रकार के नुकसान को कम करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) वर्ष 2003–04, 2004–05 और 2005–06 के दौरान भारतीय खाद्य निगम में सूचित की गई भंडारण और मार्गस्थ हानियां निम्नानुसार हैं:–

(मात्रा लाख टन में/मूल्य करोड़ रुपए में)

वर्ष	मात्रा	कमी का मूल्य	जारी की गई कुल मात्रा	जारी की गई मात्रा पर कमी का प्रतिशत
2003–04	2.32	244.59	821.18	0.28
2004–05	1.46	156.36	767.02	0.19
2005–06*	1.19	130.91	714.41	0.17

मार्गस्थ हानियां

(मात्रा लाख टन में/मूल्य करोड़ रुपए में)

वर्ष	मात्रा	कमी का मूल्य	भेजी गई कुल मात्रा	भेजी गई मात्रा पर कमी का प्रतिशत
2003–04	1.70	150.48	341.74	0.50
2004–05	1.83	149.94	382.77	0.48
2005–06*	1.29	126.55	351.80	0.37

(* अनंतिम)

(वर्ष 2006–07 हेतु भंडारण और मार्गस्थ हानियों के आंकड़ों की अभी तक लेखा परीक्षा नहीं की गई है, इसलिए ये आंकड़ें नहीं दिए गए हैं।)

(ख) जी, हां।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मार्गस्थ एवं भण्डारण हानियों के जिन मामलों में चूककर्ता अधिकारियों को जिम्मेदार पाया गया था उनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

वर्ष	जिन मामलों में चूककर्ता अधिकारियों को जिम्मेदार पाया गया उनकी संख्या
2004	583
2005	901
2006	1195

पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्य अनियमितताओं सहित भंडारण एवं मार्गस्थ हानियों के लिए जिम्मेदार पाए गए चूककर्ता अधिकारियों के मामलों में की गई कार्रवाई निम्नानुसार है:–

क्रम सं.	लगाए गए दंड का स्वरूप	2004	2005	2006
1	बर्खास्तगी/सेवा मुक्त करना/अनिवार्य सेवा निवृत्ति	37	44	79
2	रैंक घटाना	39	30	30
3	समय वेतनमान में कमी करना	361	313	318
4	वेतन वृद्धि रोकना	168	118	216
5	भारतीय खाद्य निगम को हुई हानि की वेतन में रिकवरी	1346*	886*	1731*
6	प्रोन्नति रोकना	6	5	2
7	निंदा	489	307	382
	जोड़	2446	1703	2758

(*भंडारण और मार्गस्थ हानियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को दर्शाता है।)

(घ) भारतीय खाद्य निगम में भंडारण और मार्गस्थ हानियों को न्यूनतम करने के लिए किए गए उपचारात्मक उपाय के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम के सतर्कता प्रभाग द्वारा अधिक हानि वाले डिपुओं की पहचान की गई है। मुख्यालय के दल सहित आंचलिक, क्षेत्रीय, जिलों के दलों और प्रचालन प्रभागों के दलों को समय–समय पर यह अनुदेश दिया गया है कि वे भारतीय खाद्य निगम में समग्र हानियों में कमी करने के उद्देश्य से अधिक हानि वाले इन डिपुओं की औचक/नियमित जांचों में तेजी लाएं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन दलों द्वारा निम्नलिखित नियमित/औचक जांच की गई थी:–

वर्ष	नियमित	औचक	जोड़
2004	3093	1119	4212
2005	3247	2105	5352
2006	3764	1663	5427

उपर्युक्त जांचों के परिणामस्वरूप भंडारण और मार्गस्थ हानियों का प्रतिशत वर्ष 2004 के दौरान 0.53 से कम होकर वर्ष 2006 के दौरान 0.36 हो गया है।

विवरण

खाद्यान्नों की भंडारण/मार्गस्थ हानियों को न्यूनतम करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए गए उपाय

1. गोदामों को सुरक्षित करने के लिए चारदीवारी पर कांटेदार तार लगाने, गोदामों में रोशनी की व्यवस्था करने के लिए स्ट्रीट लाइटों का प्रावधान करने और शेड़ों में उचित रूप से ताला लगाने जैसे भौतिक उपाय किये जाते हैं।
2. स्टाक की सुरक्षा के लिए भारतीय खाद्य निगम और होमगार्ड जैसी अन्य एजेंसियों के सुरक्षा अधिकारी, विशेष पुलिस अधिकारी तैनात किए जाते हैं।
3. कुछ डिपुओं/गोदामों में जो संवेदनशील हैं केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राज्य सशस्त्र पुलिस की तैनाती की जाती है।
4. सुरक्षा की खामियों का पता लगाने और इनको दूर करने के लिए विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर डिपुओं का सुरक्षा निरीक्षण और औचक जांच भी की जाती है।
5. चरणबद्ध ढंग से 50 किलोग्राम की बोरियों का इस्तेमाल करना ताकि खाद्यान्नों की बोरियों को उठाने के लिए हुकों का प्रयोग न करना पड़े।
6. बोरियों की मशीन से दोहरी सिलाई को प्रोत्साहित किया जाना।
7. स्टाक का यथा विहित आवधिक रूप से रोगनिरोधी तथा रोगहर उपचार करना।
8. प्रत्येक स्तर पर प्रचालनों में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण को सुप्रवाही बनाना।
9. चुने हुए रेल शीर्षों, लदान और गंतव्य/प्रेषण केन्द्रों की विशेष दलों द्वारा जांच किया जाना।
10. संवेदनशील बिन्दुओं की पहचान करना।
11. मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों, कार्यकारी निदेशकों (अंचल)/महा प्रबंधकों (क्षेत्र)/क्षेत्र प्रबंधकों द्वारा डिपुओं का निरीक्षण किया जाना।
12. तोल सेतुओं के 'केलीबरेशन' का निरीक्षण और मॉनीटरिंग किया जाना।
13. प्रथम आमद प्रथम निर्गम सिद्धांत को अपनाकर स्टाक जारी करने की प्राथमिकता सूची बनाए रखना।
14. प्राप्ति और निर्गम के समय उचित तुलाई और गणना करना।
15. मानसून-पूर्व प्रधूमन करना।
16. डनेज सामग्री में सुधार करना।
17. खाद्यान्नों का सुरक्षित तरीकों, अर्थात् ढके हुए वैगनों, आदि के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचलन करना।
18. वसूली के समय खाद्यान्नों की उचित गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करना।
19. यह सुनिश्चित करना कि इसके अपने सभी गोदामों का निर्माण तथा रखरखाव खाद्यान्नों के भंडारण के वैज्ञानिक तौर-तरीकों के अनुरूप किया जाता है।
20. रेल द्वारा खाद्यान्नों के संचलन में होने वाली मार्गस्थ हानियों का बीमा करना।

इसके अतिरिक्त भंडारण और मार्गस्थ हानियों को कम करने के लिए निम्नलिखित अन्य निवारात्मक उपाय किए जा रहे हैं:-

(क) भंडारण हानियों अर्थात् नमी/चोरी तथा उठाईगिरी और अन्य कारणों की वजह से होने वाली हानियों का घटकवार विश्लेषण करना।

(ख) सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए मार्गस्थ हानियों का विस्तृत विश्लेषण करना।

(ग) भंडारण और मार्गस्थ हानियों की छानबीन करने में होने वाले विलंब के कारणों का विश्लेषण करना।

(घ) मुख्य सतर्कता अधिकारी के परामर्श से भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय में उच्चतर स्तरों पर भंडारण और मार्गस्थ हानियों की मानीटरिंग/समीक्षा करना।

[हिन्दी]

पशु रोग

5250. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के प्रत्येक राज्य में क्रियान्वित मुंह और खुरपका रोग और पशु टीकाकरण कार्यक्रम सहित पशु रोगों के विभिन्न नियंत्रण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा तत्पश्चात् कितनी धनराशि जारी की गई तथा राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार वास्तव में कुल कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ग) उक्त कार्यक्रमों के क्रियान्वयन सहित केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से क्या कार्य किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) "पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण" संबंधी चालू केन्द्रीय प्रायोजित योजना के निम्नलिखिपत घटक हैं :– (i) पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता, (ii) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना और (iii) खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम। योजना के प्रथम दो घटकों को सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। तथापि, खुरपका और मुंहपका रोग घटक को देश के विनिर्दिष्ट 54 जिलों में क्रियान्वित किया जाता है। कार्यक्रम का ब्यौरा विवरण–I में दिया गया है।

(ख) योजना को क्रियान्वित करने के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के तहत राज्यवार और संघ शासित प्रदेश वार जारी और वास्तविक रूप से खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है।

(ग) इस कार्यक्रम को संघ सरकार और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जाता है। पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना का उद्देश्य पशुधन और कुक्कुट को कुशल और प्रभावी स्वास्थ्य कवच प्रदान करना है। मुख्य जोर इस बात पर रहता है कि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रोगों के विरुद्ध पशुओं का टीकाकरण किया जाए जिसके लिए भारत सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। वास्तविक कार्यक्रम का क्रियान्वयन राज्यों द्वारा केंद्र के पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में किया जाता है।

विवरण-I

पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण

पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण एक केंद्रीय प्रायोजित मैक्रो–प्रबंधन योजना है जिसके निम्नलिखित घटक हैं:– (i) पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता, (ii) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना और (iii) खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम। योजना का उद्देश्य पशुधन और कुक्कुट को कुशल और प्रभावी स्वास्थ्य कवच प्रदान करना है।

(क) पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता

इस घटक का उद्देश्य आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रोगों के विरुद्ध पशुधन और कुक्कुट का रोग प्रतिरोध करना; राज्य पशुचिकित्सा जैविक उत्पादन केंद्रों को सुदृढ़ करना; रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना; पशुधन रोग की घटनाओं के संबंध में आंकड़ों को इकट्ठा करना, उनका संकलन और प्रसार करना तथा तकनीकी ज्ञान के उन्नयन के लिए पशुचिकित्सकों और अर्द्ध पशुचिकित्सकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देना है। यह योजना सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के प्रचलन में है और इसे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रोगों के विरुद्ध पशुधन और कुक्कुट के रोग प्रतिरोध, राज्य टीका उत्पादन केंद्रों और राज्य रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्र और राज्यों के बीच 75:25 हिस्सेदारी के आधार पर क्रियान्वित किया जाता है। तकनीकी दक्षता के उन्नयन के लिए पशुचिकित्सकों और अर्द्ध पशुचिकित्सकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए 100% केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

(ख) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना

पशुप्लेग खुरवाले पशुओं का एक अत्यंत संक्रामक वायरल रोग है जो बोवाईन तथा जुगाली करने वाले पशुओं की संख्या में अत्यधिक मृत्यु दर लाता है। नियंत्रण प्रयास बहुत पहले 1871 में शुरू हुए थे जब गोपशु प्लेग आयोग गठित किया गया था। मौजूदा राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना मई, 1992 से परियोजना एएलए/89/04: "पशुप्लेग उन्मूलन पर विशेष बल के साथ पशुधन रोग नियंत्रण के लिए पशुचिकित्सा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण" की अंग के रूप में शुरू किया गया था जिसके लिए यूरोपीय संघ ने अनुदान के रूप में 40.30 मिलियन ईसीयू देने के लिए भारत सरकार के साथ एक वित्त समझौता किया था। यूरोपीय संघ के साथ वित्त समझौता 31.7.1998 से समाप्त हो गया और इसके बाद यह योजना घरेलू संसाधनों के साथ क्रियान्वित की जा रही है।

केन्द्र और राज्य सरकारों के ठोस प्रयासों से देश को 25.5.2006 से पशुप्लेग संक्रमण से मुक्त घोषित किया गया है। देश को अक्टूबर, 2003 से संक्रामक बोवाईन प्लूरो न्यूमोनिया से अनंतिम रूप से मुक्त घोषित किया गया है। संक्रमण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन को डोजियर प्रस्तुत किए गए हैं।

(ग) खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम

खुरपका और मुंहपका रोग के कारण आर्थिक हानि को रोकने और खुरवाले पशुओं में पशुयूथ इम्यूनिटी विकसित करने के लिए खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम नामक एक स्थान विशिष्ट कार्यक्रम टीके की लागत, कोल्ड चेन के रख–रखाव और टीकाकरण करने के लिए अन्य सम्भारतंत्रीय समर्थन के रूप में 100% केन्द्रीय सहायता से देश के 54 विशिष्ट जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकार मानव शक्ति, बुनियादी सुविधाएं और टीकाकरण के लिए अन्य सम्भारतंत्रीय समर्थन देती है।

विवरण-II

पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता नामक योजना के तहत दी गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	2004–05 के दौरान जारी की गई/पुनर्वैधित राशि	2004–05 के दौरान खर्च की गई राशि	2005–06 के दौरान जारी की गई/पुनर्वैधित राशि	2005–06 के दौरान खर्च की गई राशि	2006–07 के दौरान जारी की गई/पुनर्वैधित राशि	2006–07 के दौरान खर्च की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	216.12	0.00	219.35	219.35	500.00	450.00
2.	बिहार	261.58	222.44	232.10	0.00	232.10	0.00
3.	छत्तीसगढ़	174.50	0.00	53.59	0.00	450.00	209.79
4.	गोवा	24.33	6.74	15.28	0.00	30.22	18.96
5.	गुजरात	439.37	192.33	293.00	208.89	455.00	335.58
6.	हरियाणा	327.86	0.00	256.00	35.873	150.00	91.75
7.	हिमाचल प्रदेश	75.60	62.00	82.30	82.24	103.64	103.64
8.	जम्मू और कश्मीर	203.20	0.00	200.00	0.00	200.00	155.21
9.	झारखण्ड	6.37	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	451.30	313.44	400.00	200.00	865.14	794.98
11.	केरल	0.00	0.00	150.00	0.00	197.23	135.32
12.	मध्य प्रदेश	234.15	0.00	275.48	0.00	195.00	50.00
13.	महाराष्ट्र	665.65	0.00	704.65	0.00	1035.00	925.58
14.	उड़ीसा	330.06	21.40	229.00	17.59	270.00	265.05
15.	पंजाब	156.05	0.00	0.00	0.00	369.97	197.70
16.	राजस्थान	204.42	0.00	267.04	26.62	257.00	206.06
17.	तमिलनाडु	300.42	136.40	999.00	862.78	200.00	187.08
18.	उत्तर प्रदेश	263.33	0.00	1222.46	122.61	0.00	0.00
19.	उत्तरांचल	124.71	2.78	103.465	103.46	157.80	94.46
20.	पश्चिम बंगाल	464.97	58.06	491.775	0.00	547.00	450.00
21.	अरुणाचल प्रदेश	50.40	50.40	100.65	84.90	91.46	91.46
22.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	मणिपुर	104.06	0.00	58.33	0.00	96.54	81.51

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	मेघालय	23.34	0.00	81.02	0.00	97.31	73.05
25.	मिजोरम	168.87	107.21	243.68	208.30	251.10	251.10
26.	नागालैण्ड	315.00	187.42	345.64	345.64	310.32	310.32
27.	सिक्किम	0.00	0.00	50.86	0.00	57.27	57.27
28.	त्रिपुरा	43.33	7.68	219.82	0.00	142.08	0.00
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	48.30	40.97	53.63	0.00	55.20	54.90
30.	पाण्डिचेरी	11.70	6.45	10.23	2.34	18.80	6.04
31.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	4.67	0.00	10.83	0.00	16.00	15.31
32.	चंडीगढ़	4.10	2.63	4.80	0.00	5.60	5.00
33.	दादरा और नगर हवेली	0.33	0.00	0.00	0.00	11.40	0
34.	दमन एवं दीव	0.33	0.00	1.71	0.00	1.00	0
35.	लक्षद्वीप	13.24	0.00	12.66	4.50	16.00	10.00

* इस साल के लिए कोई राशि जारी नहीं की गई थी तथापि पिछले साल के लिए राशि पुनर्वैधित किया गया।

राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना के लिए दी गई केंद्रीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	2004–05 के के दौरान जारी की गई राशि	2004–05 के दौरान खर्च की गई राशि	2005-06 के दौरान जारी की गई राशि	2005-06 के दौरान खर्च की गई राशि	2006-07 के दौरान जारी की गई राशि	2006-07 के दौरान खर्च की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	40.00	0.00	35.00	0.00	35.00	4.54
2.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	छत्तीसगढ़	10.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00
4.	गोवा	10.00	3.00	25.00	3.29	0.00	0.00
5.	गुजरात	20.00	2.61	30.00	20.61	15.00	9.61
6.	हरियाणा	35.00	0.00	30.00	0.00	20.00	17.95
7.	हिमाचल प्रदेश	15.00	7.40	22.00	18.20	15.00	15.00
8.	जम्मू और कश्मीर	32.50	0.00	23.00	0.00	5.00	0.00
9.	झारखण्ड	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	40.00	0.38	38.00	0.00	49.00	26.20
11.	केरल	15.00	0.00	10.00	0.00	25.00	25.00
12.	मध्य प्रदेश	35.00	6.50	10.00	0.00	25.00	20.00
13.	महाराष्ट्र	35.00	0.00	35.00	11.00	34.94	34.94

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	उड़ीसा	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00	12.00
15.	पंजाब	15.00	0.00	15.00	0.00	30.00	0.00
16.	राजस्थान	20.00	6.52	30.00	0.00	15.00	14.65
17.	तमिलनाडु	15.00	5.71	30.00	12.00	25.00	11.73
18.	उत्तर प्रदेश	20.00	0.00	25.00	0.00	25.00	23.40
19.	उत्तरांचल	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	पश्चिम बंगाल	35.00	0.00	45.00	35.00	45.00	35.00
21.	अरुणाचल प्रदेश	25.00	4.00	35.00	25.00	35.00	20.00
22.	असम	20.00	20.00	20.00	15.00	10.00	0.00
23.	मणिपुर	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
24.	मेघालय	10.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
25.	मिजोरम	10.00	0.00	20.00	10.00	20.00	10.00
26.	नागालैण्ड	10.00	0.00	15.00	15.00	15.00	10.00
27.	सिक्किम	10.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
28.	त्रिपुरा	10.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	4.00	0.00	10.00	0.00	8.00	7.87
30.	पाण्डिचेरी	6.00	2.00	0.00	0.03	2.00	0.00
31.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00
32.	चंडीगढ़	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
33.	दादर और नगर हवेली	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
34.	दमन एवं दीव	1.00	0.00	1.00	0.55	0.00	0.00
35.	लक्षद्वीप	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00

खुरपका तथा मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	2004-05 के के दौरान जारी की गई राशि	2004-05 के दौरान खर्च की गई राशि	2005-06 के दौरान जारी की गई राशि	2005-06 के दौरान खर्च की गई राशि	2006-07 के दौरान जारी की गई राशि	2006-07 के दौरान खर्च की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	150.00	98.00	130.00	15.81	60.00	47.82
2.	गुजरात	150.00	88.00	80.00	36.20	0.00	0.00
3.	हरियाणा	200.00	116.00	55.00	0.00	0.00	0.00
4.	केरल	58.00	41.00	60.00	9.94	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	महाराष्ट्र	180.00	122.00	0.00	0.00	123.00	117.06
6.	पंजाब	200.00	126.00	70.00	0.00	100.00	89.92
7.	तमिलनाडु	20.00	14.00	40.00	10.00	12.00	12.00
8.	उत्तर प्रदेश	524.00	282.00	260.00	90.00	100.00	54.69
9.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	10.00	7.00	5.00	4.93	4.00	2.35
10.	अण्डमान और निकोबार द्वीप सूमह	1.00	3.00	14.00	1.00	2.00	0.00
11.	दादरा और नगर हवेली	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	दमन एवं दीव	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00
13.	लक्षद्वीप	4.00	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00

औद्योगिक कामगारों हेतु कल्याण योजना

5251. **श्री गणेश सिंह :** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं में राज्यवार तथा कंपनीवार कितने कामगार/मजदूर लगे हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन कामगारों की सुरक्षा तथा कल्याण हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे कितने कामगारों को लाभ हुआ है;

(घ) क्या विभिन्न संस्थानों में कामगारों का लगातार शोषण किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) देश में वर्ष 2005 के लिए कारखानों तथा औद्योगिक संस्थानों में नियोजित कामगारों/मजदूरों की राज्य-वार संख्या विवरण में दी गई है। कंपनी-वार आंकड़ें नहीं रखे जाते हैं।

(ख) जी, हां। भारत सरकार ने एक व्यापक विधान अर्थात् कारखाना अधिनियम, 1948 अधिनियमित किया है जिसमें कारखानों में नियोजित ठेका कामगारों सहित कामगारों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण सुविधाओं से संबंधित आवश्यकताओं का प्रावधान है। कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबंधों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों को संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपने कारखाना निदेशालय/निरीक्षणालय के माध्यम से प्रवर्तित किया जाता है।

(ग) कारखाना अधिनियम, 1948 में धारा 2 (ङ) (i) 2 (ङ) (ii) के अंतर्गत अथवा संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा इस अधिनियम की धारा 85 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए अनुसार कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण के बारे में विस्तृत उपबंधन विहित हैं। कारखानों में नियोजित सभी कामगार इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत लाभों के पात्र हैं।

(घ) कारखाना अधिनियम, 1948 के क्रियान्वयन के लिए समुचित सरकार संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन है। भारत सरकार के पास विभिन्न संस्थाओं में शोषण के बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

2005 के दौरान कारखानों में नियोजन की राज्यवार संख्या (अ.)

राज्य	पंजीकृत कारखाने	चालू कारखाने	कुल नियोजन	महिला कामगार	पुरुष कामगार
1	2	3	4	5	6
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	35	35	4728	131	4597
आंध्र प्रदेश	38899	28422	767532	173626	593906

1	2	3	4	5	6
अरुणाचल प्रदेश*	–	–	–	–	–
असम	3103	1877	107382	1901	105481
बिहार	6016	5615	66205	18	66187
चंडीगढ़	768	434	12210	531	11679
छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–
दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	4614	3714	83052	25000	58052
दिल्ली	–	–	–	–	–
गोवा	699	679	44392	6594	37798
गुजरात	30110	22155	978257	41154	937103
हरियाणा	9375	9375	574591	132220	442371
हिमाचल प्रदेश	2471	2471	109658	3540	106118
जम्मू और कश्मीर	1132	666	26242	1529	24713
झारखंड	10140	6594	232310	9118	223192
कर्नाटक	10485	10485	1073523	240112	833411
केरल	17680	16012	445111	209450	235661
लक्षद्वीप*	–	–	–	–	–
मध्य प्रदेश	12591	8352	391223	9525	381698
महाराष्ट्र	35042	30737	1251859	45409	1206450
मणिपुर	–	–	–	–	–
मेघालय	104	88	6424	597	5827
मिजोरम*	–	–	–	–	–
नागालैंड	–	–	–	–	–
उड़ीसा	2941	2014	133465	5345	128120
पांडिचेरी	2475	1881	61531	12856	48675
पंजाब	15633	15579	521337	2446	518891
राजस्थान	9884	9884	395274	7510	387764
सिक्किम*	–	–	–	–	–
तमिलनाडु	36867	28326	1320613	443135	877478
त्रिपुरा	1575	1575	33175	8555	24620
उत्तर प्रदेश	13966	12212	1015000	18201	996799
उत्तरांचल	1039	911	72135	13172	58963
पश्चिम बंगाल	13465	13029	893500	19807	873693
योग	281109	233122	10620729	1431482	9189247

नोट : *कारखाना अधिनियम, 1948 अभी तक प्रवर्तित नहीं किया गया है/कोई पंजीकृत कारखाना नहीं है।

अ. : अनंतिम

– उपलब्ध नहीं।

स्रोत: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कारखानों के कारखाना निरीक्षकों के साथ पत्र व्यवहार।

खाद का उपयोग

5252. श्री विजय कृष्ण : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कम होती उत्पादकता के मद्देनजर खाद और अन्य जैव तथा आर्गेनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में हाल ही में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला और सम्मेलन की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार समेकित पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा दे रही है जिसमें जैविक खादों और जैव–उर्वरकों के मिश्रण से रासायनिक उर्वरकों का मृदा परीक्षण आधारित विवेकसम्मत उपयोग की परिकल्पना की गई। अतः सरकार विभिन्न स्कीमों के अधीन जैव–अपरदनीय नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट से शहरी कम्पोस्ट फल और सब्जी के अपशिष्ट से कम्पोस्ट, वर्मीकम्पोस्ट और जैव–उर्वरकों जैसे जैविक खादों के उत्पादन हेतु वित्तीय सहायता दे रही है।

(ग) और (घ) हाल ही में चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर में 17–18 नवंबर, 2006 को संतुलित उर्वरीकरण हेतु समेकित पोषक तत्व प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय विचारगोष्ठी आयोजित की गई। जैविक पोषक तत्व संसाधनों के उपयोग को कवर करते हुए मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:

(i) ग्रामीण और शहरी कम्पोस्ट, वर्मीकम्पोस्ट और संवर्धित कम्पोस्ट तैयार करने के लिए लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों का विकास;

(ii) विभिन्न जैव और अजैव दबावों के प्रति सहिष्णु नई प्रभावी जैव–उर्वरक जातियों का विकास;

(iii) धारिता समय (शेल्फ लाइफ) बढ़ाने के लिए द्रव फार्मूलेशन्स सहित नई वाहक सामग्रियों का विकास;

(iv) प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण हेतु विनियामक तंत्र;

(v) शहरी अपशिष्ट से कम्पोस्ट बनाने के लिए राजसहायता जारी रखना और कम्पोस्ट को लागत प्रभावी बनाने के लिए सीमित परिवहन राजसहायता का प्रावधान।

विचारगोष्ठी की सिफारिशें को लागू करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:–

(i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विभिन्न नगरीय अपशिष्ट और इसके संवर्धकों से कम्पोस्ट तैयार करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की है।

(ii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जैव–उर्वरकों पर नेटवर्क परियोजना के अधीन जैव–उर्वरकों की धारिता समय (शेल्फ लाइफ) में वृद्धि करने के लिए द्रव (लिक्विड) फार्मूलेशन्स तैयार कर रही है।

(iii) सरकार ने पहले ही उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 में एजोटोबेक्टर, राइजोबियम, एजोस्पिरिल्म, फास्फेट विलायक बैक्टीरिया नामक जैव–उर्वरकों और प्रेसमड, सिटीकम्पोस्ट और वर्मीकम्पोस्ट नामक जैव–उर्वरकों को विनिर्दिष्ट किया है ताकि उनकी गुणवत्ता को विनियमित किया जा सके।

(iv) सरकार विभिन्न स्कीमों के अधीन कम्पोस्ट यूनिटों की स्थापना तथा साथ ही जैव उर्वरकों के उत्पादन के लिए राजसहायता दे रही है।

दालों का न्यूनतम समर्थन मूल्य

5253. श्री शिशुपाल एन. पटले :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :
क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आगामी मौसम के लिए विभिन्न दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) की घोषणा कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सम्पूर्ण उत्पादन लागत पर विचार करने के बाद ही उक्त मूल्य तय किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दालों के मूल्य कितनी बार बढ़ाए गए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) 2006–07 मौसम के लिए खरीफ एवं रबी फसलों, जिसमें दालें भी शामिल हैं, के न्यूनतम समर्थन मूल्य जुलाई एवं अक्टूबर, 2006 में अलग–अलग घोषित किए गए थे। इनके ब्यौरे निम्न प्रकार है:

(रुपए प्रति क्विंटल)

फसल	2006-07 मौसम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य
अरहर (तूर)	1410
मूंग	1520
उड़द	1520
चना	1445
मसूर (लेन्टिल)	1545

(ग) और (घ) कृषि लागत और मूल्य आयोग फसलों, जिनमें दालें शामिल हैं, की मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशों का प्रतिपादन करते समय अनेक तथ्यों पर विचार करती हैं जिनमें उत्पादन लागत, निवेश मूल्यों में परिवर्तन, निवेश/उत्पादन मूल्य समानता, बाजार मूल्यों की प्रवृत्ति, मांग और आपूर्ति स्थिति, अन्तर-फसल मूल्य समानता, औद्योगिक लागत ढांचों पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर, जीविका लागत, वैश्विक मूल्य स्थिति तथा किसानों द्वारा भुगतान किए गए मूल्यों तथा प्राप्त किए गए मूल्यों समानता शामिल है।

सामग्री निवेशों जैसे बीजों, उर्वरकों, खादों, सिंचाई परिव्यय, जिसमें पम्पसेट चलाने के लिए डीजल/बिजली की लागत सहित सिंचाई खर्च पर नकद तथा वस्तु के रूप में व्यय के अलावा भुगतान की गई लागतों जैसे भाड़े के मानव श्रम, बैल श्रम/मशील श्रम (भाड़े पर तथा निजी दोनों) तथा पट्टे की जमीन का किराया, पैदावार/उत्पादन की लागत में शामिल किया जाता है। इसके अलावा, उत्पादन की लागत में पारिवारिक श्रम की मजदूरी तथा निजी भूमि के किराए का आरोपित मूल्य भी शामिल है। लागत में खेती संबंधी मशीनरी एवं भवनों का मूल्यह्रास भी समाश्रित है।

(ङ) पिछले तीन मौसमों में प्रत्येक वर्ष चना, मसूर (लेन्टिल) तथा अरहर (तूर) के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि की गई थी। मूंग एवं उड़द के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान वृद्धि की गई थी।

खाद्यान्नों का उत्पादन

5254. श्री देविदास पिंगले :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :
क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उन दस शीर्ष जिलों की पहचान की है जहां पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रति एकड़ भूमि पर खाद्यान्न का सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान उक्त जिलों में खाद्यान्न का वर्षवार तथा जिलावार कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जिलों में कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति हैक्टेयर खाद्यान्नों की अधिकतम मात्रा (1 हैक्टेयर = 2.5 एकड़ लगभग) उत्पादन करने वाले दस शीर्ष जिले, लुधियाना, फतेहगढ़, संगरूर, मोगा, मुक्तसर, पटियाला, फिरोजपुर, फरीदकोट, मनसा तथा जालन्दर हैं।

(ख) हाल ही के तीन वर्षों यथा 2003-04 से 2005-06 के दौरान उपरोक्त जिलों के खाद्यान्न उत्पादन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में उतार-चढ़ाव रहे हैं, जोकि मौसम, प्रौद्योगिकी, कटाई क्षेत्र तथा प्रयोग किए गए उपकरणों के कारण हैं।

विवरण

वर्ष 2003-04 से 2005-06 के दौरान जिला-वार खाद्यान्न उत्पादन

	जिला	राज्य	उत्पादन (टन में) 2003-04	उपज (टन/हेक्टेयर) 2003-04	उत्पादन (टन में) 2004-05	उपज (टन/हेक्टेयर) 2004-05	उत्पादन (टन में) 2005-06	उपज (टन/हेक्टेयर) 2005-06
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	लुधियाना	पंजाब	2287200	4.50	2406300	3.61	2375100	4.61
2.	फतेहगढ़	पंजाब	734300	4.34	795300	4.62	730200	4.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	संगरूर	पंजाब	3320100	4.26	3520700	4.53	3327400	4.30
4.	मोगा	पंजाब	1418000	4.19	1494800	4.39	1506600	4.38
5.	मुक्तसर	पंजाब	1154000	3.99	1145500	3.93	1091700	3.90
6.	पटियाला	पंजाब	2066300	3.97	2176100	4.16	2118500	4.08
7.	फिरोजपुर	पंजाब	2506800	3.94	2556500	4.04	2541600	4.05
8.	फरीदकोट	पंजाब	773300	3.86	825000	4.06	822500	4.06
9.	मंसा	पंजाब	1000900	4.00	1022700	4.14	909400	3.85
10.	जालंधर	पंजाब	1261600	3.91	1311700	3.97	1331400	3.98

[अनुवाद]

इलैक्ट्रॉनिक विनिर्माताओं द्वारा बिक्री पश्चात् सेवा

5255. श्री रघुनाथ झा : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली और अन्य कतिपय राज्यों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि विडियोकोन सहित विनिर्माता कंपनियां वस्तुओं की खरीददारी के समय उपभोक्ताओं से किए गए वादे के अनुसार बिक्री पश्चात् सेवा प्रदान नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के दोषी विनिर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है, किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली और अन्य राज्यों के उपभोक्ताओं से वीडियोकोन सहित विनिर्माताओं के खिलाफ, विनिर्माण संबंधी दोषों, बिक्री के बाद सेवा में त्रुटियों और आपूर्ति में कमी/उपभोक्ताओं की आकांक्षाओं आदि के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ग) विभाग द्वारा प्राप्त सभी शिकायतों को उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रतितोष के लिए कंज्यूमर कोआर्डिनेशन काउंसिल अथवा संबंधित विनिर्माताओं/कम्पनियों को भेज दिया गया है। उपभोक्ता शिकायत निवारण कक्ष के पास सांविधिक शक्तियां नहीं हैं। तथापि, संबंधित उपभोक्ताओं के पास कानून के तहत अपनी शिकायतों को प्रतितोष पाने के लिए उपभोक्ता मंचों में जाने का विकल्प है।

भूमि विकास बैंक

5256. श्री जुएल ओराम :

श्री भर्तृहरि महताब :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों में अब तक भूमि विकास बैंकों की स्थापना की गई है तथा उनकी वित्तीय स्थिति किस प्रकार की है;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में इस प्रकार के बैंकों की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्तमान बैंक तथा स्थापित किए जाने वाले बैंकों को किस प्रकार की सहायता प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) केन्द्रीय और राज्य सरकारें राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों, जिन्हें भूमि विकास बैंकों के नाम से भी जाना जाता है, को उनके द्वारा जारी किए गए ऋण पत्रों में इनके हिस्से का अभिदान करके वित्तीय सहायता मुहैया कराती हैं।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य जहां भूमि विकास बैंक स्थापित किए गए हैं	वर्ष 2005-06 के लिए भूमि विकास बैंकों की वित्तीय स्थिति		
		लाभ	हानि	संचित हानियां
1	2	3	4	5
1.	असम	1969	0	1481
2.	बिहार	0	18645	18645

1	2	3	4	5
3.	छत्तीसगढ़	0	223	61
4.	गुजरात	1867	0	–
5.	हरियाणा	0	4815	5107
6.	हिमाचल प्रदेश	0	439	826
7.	जम्मू और कश्मीर	0	364	2056
8.	कर्नाटक	20661	0	0
9.	केरल	1383	0	–
10.	मध्य प्रदेश	12	0	0
11.	महाराष्ट्र	1514	0	38440
12.	मणिपुर	लागू नहीं	लागू नहीं	261
13.	उड़ीसा	0	58	11898
14.	पांडिचेरी	0	81	230
15.	पंजाब	3301	0	0
16.	राजस्थान	1039	0	0
17.	तमिलनाडु	1553	0	11571
18.	त्रिपुरा	0	83	1176
19.	उत्तर प्रदेश	164	0	–
20.	पश्चिम बंगाल	52	0	0

स्रोत : नाबार्ड

[हिन्दी]

किसान प्रशिक्षण केन्द्र

5257. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :

श्री धर्मेन्द्र प्रधान :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों को फसलों से संबंधित प्रशिक्षण देने के लिए बैंकों द्वारा किसान प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और बैंक–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने का है;

(घ) क्या ऐसे केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (च) संबंधित प्राधिकारियों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्लास्टिक विकास परिषद

5258. श्री कीरेन रिजीजू :

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

श्री संतोष गंगवार :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्लास्टिक विकास परिषद की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर्स की किलोग्राम में प्रति वर्ष औसत प्रति व्यक्ति खपत कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त प्रति व्यक्ति खपत को बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या पर्यावरण को होने वाली संभावित हानि को भी ध्यान में रखा गया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) और (ख) आईडी एंड आर अधिनियम, 1951 के अंतर्गत प्लास्टिक विकास परिषद की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) भारत में प्रतिव्यक्ति प्लास्टिक की खपत लगभग 4.5 कि.ग्रा. एवं सिंथेटिक फाइबर की खपत लगभग 1.8 कि.ग्रा. है।

(घ) सरकार, पॉलीमर की प्रतिव्यक्ति खपत को वर्तमान स्तर से प्रोत्साहित कर बढ़ाना चाहती है।

(ङ) और (च) आमतौर पर प्लास्टिक रासायनिक रूप से निष्क्रिय पदार्थ है। अधिकतर प्लास्टिक रिप्रोसेसेबल व रि–साइक्लेबल प्रकृति के होते हैं। वे वस्तुतः पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। प्लास्टिक पदार्थ को अव्यवस्थित रूप से बिखेड़ना हानिकारक है। यहां तक कि

प्लास्टिक में भी प्लास्टिक कैरी-बैगों को बिखेड़ना प्रमुख समस्या है। केन्द्र सरकार के साथ-साथ विभिन्न राज्य सरकारों ने भी खाद्य पदार्थों के भंडारण, वहन, वितरण व पैकेजिंग में 20 माइक्रोन से कम मोटाई वाले कैरी बैगों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाते हुए अधिसूचनाएं जारी की हैं। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण व वन मंत्रालय ने भी निगम ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, वियोजन व निपटान के लिए निगम ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं रख-रखाव) नियम, 2002 जारी किए हैं।

[अनुवाद]

कृषि भूमि की उर्वरता में कमी आना

5259. श्री प्रहलाद जोशी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों से देश में सभी प्रकार की कृषि भूमि लगातार अपनी उर्वरता संबंधी गुणवत्ता खोती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस प्रवृत्ति को रोकने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितना आबंटन किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) देश में मृदा उर्वरता के बृहत पैमाने पर अवक्रमण की कोई सूचना नहीं है। तथापि, देश के कुछ भागों में विशेषतौर पर रासायनिक उर्वरकों के अपर्याप्त और असंतुलित प्रयोग के कारण गंगा-सिन्धु के मैदानों में मृदा उर्वरता/कुछ पोषक तत्वों की कमियों की हानि के कुछ उदाहरण मिले हैं।

(ख) सरकार समेकित पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) को बढ़ावा दे रही है, जिसमें विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत जैविक खादों और जैव उर्वरकों के सम्मिश्रण से गौण और सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों के मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और विवेकपूर्ण प्रयोग की परिकल्पना है।

(ग) सरकार बृहत कृषि प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत उर्वरकों का संतुलित एवं समेकित प्रयोग नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के माध्यम से 10.00 लाख रुपए की दर से मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। सरकार स्कीम के अंतर्गत अवक्रमणीय म्यूनिस्पल के ठोस अपशिष्ट को जैविक खाद में बदलने के लिए यंत्रीकृत कम्पोस्ट प्लान्टों की स्थापना के लिए 50.00 लाख रुपए भी उपलब्ध करा रही है। स्कीम के अंतर्गत राशियों का कोई राज्यवार आबंटन नहीं किया गया है, तथापि राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र अपनी वार्षिक कार्य योजनाओं के माध्यम से स्कीम का कार्यान्वयन कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त सरकार राज्यों के परियोजना प्रस्तावों के माध्यम से केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम, राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना के अंतर्गत फल एवं सब्जी अपशिष्ट कम्पोस्ट की स्थापना के लिए 40.00 लाख रुपए/इकाई, जैव-उर्वरक उत्पादन इकाईयों की स्थापना के लिए 20.00 लाख और वर्मीकल्चर हैचरियों की स्थापना के लिए 1.50 लाख रुपए की दर से वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करा रही है।

[हिन्दी]

एमडीएम के खाद्यान्नों की काला बाजारी

5260. श्री शिशुपाल एन. पटले :
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :
श्री मो. ताहिर :
श्री देविदास पिंगले :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्याह्न भोजन (एमडीएम) योजना के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटित खाद्यान्नों की बिक्री खुले बाजार में की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2006-07 के दौरान अब तक ऐसे कुल कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ग) क्या पिछले दो वर्षों की तुलना में इस वर्ष ऐसे मामलों में कोई वृद्धि दर्ज की गई है; और

(घ) उक्त योजना के लिए आबंटित खाद्यान्नों के वितरण में अनियमितताओं के संबंध में किन-किन राज्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) मध्याह्न भोजन योजना के लिए खाद्यान्नों के आबंटन का काम (वितरण और मानीटरिंग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किए गए आबंटन के अनुसार राज्य सरकारों अथवा उनके नामितियों को गेहूं और चावल की आपूर्ति कर रहा है और लाभार्थियों अर्थात् प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों को इनका आगे वितरण करने का काम संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का होता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना के खाद्यान्नों की काला बाजारी के उनके ध्यान में आए दो मामलों की सूचना दी है।

(i) बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) से 3 गैर–सरकारी संगठनों द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के प्रयोजनार्थ चावल से लदे उठान किए गए 8 ट्रक दिल्ली पुलिस द्वारा दिसम्बर, 2005 में समयपुर बादली क्षेत्र में जब्त किए गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि संबंधित गैर–सरकारी संगठनों का अनुबंध रद्द कर दिया गया है और दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर को निलंबित कर दिया गया है। गैर–सरकारी संगठनों की निधियों की विशेष लेखापरीक्षा करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं तथा मध्याह्न भोजन योजना के अधीन जारी खाद्यान्नों के अंतर–जिला के अंतरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से मध्याह्न भोजन योजना के अधीन गैर–सरकारी संगठनों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उठान किए गए चावल को ले जा रहे डी.एल.–1 जी.बी. –1154 और डी.एल.–1 जी.बी. – 4949 नम्बर के ट्रक, जो खुले बाजार में बेचने के लिए नरेला ले जाए जा रहे थे, अपराध शाखा द्वारा जब्त किए गए थे। पुलिस स्टेशन, नरेला में प्राथमिकी संख्या 168/07 दर्ज की गई है। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार मामले में तथ्यों का पता लगाने के लिए विभागीय जांच कर रहा है।

[अनुवाद]

आई डी पी एल और आई पी सी एल के बीच ऋण का एक मुश्त निपटान

5261. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को भारतीय पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (आईपीसीएल) से लिए गए ऋण का एकमुश्त निपटान करने के संबंध में इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) के निर्णय के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा मुद्दे को सुलझाने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कपास के बीजों की नई किस्में

5262. श्री बाडिगा रामकृष्णा :
श्री कैलाश मेघवाल :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई कपास के बीजों की नई किस्मों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में कपास के उत्पादकों का कपास के नए बीजों की आपूर्ति की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और भारतीय कपास निगम (सीसीआई) पौध संरक्षण उपायों और समेकित कीट प्रबंधन के बारे में किसानों की किस प्रकार से सहायता कर रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (सीआईसीआर) ने वर्ष 2004 में कपास के दो संकर (सीएसएचएच–198 और सीआईएसएए–2) तथा वर्ष 2006 में एक किस्म (सीआईएसए–310) तथा एक संकर (सीएसएचएच–238) का विकास किया है।

(ख) और (ग) नई विकसित किस्म और संकरों के बीजों की अग्रपंक्ति प्रदर्शनों के माध्यम से किसानों को आपूर्ति की गई। इसके अतिरिक्त, संकरों के जनक वंशक्रमों के बीजों तथा किस्म के प्रजनक बीज की आपूर्ति राज्य बीज निगमों/निजी बीज उत्पादन एजेन्सियों को आगे और बहुगुणन के लिए की गई, ताकि उन्हें किसानों को उपलब्ध कराया जा सके।

(घ) कपास के नाशीजीवों का प्रबंध करने के लिए केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अखिल भारतीय समन्वित कपास सुधार परियोजना ने समेकित नाशीजीव प्रबंधन (आईपीएम) मॉड्यूलों का विकास किया है तथा उन्हें अग्रपंक्ति के प्रदर्शनों के माध्यम से लोकप्रिय बनाया है। इसके अलावा, सीआईसीआर ने कीटनाशी प्रतिरोधिता प्रबंध (आईआरएम) प्रौद्योगिकी विकसित की है। इस प्रौद्योगिकी को नौ कपास उगाने वाले राज्यों के 30 जिलों में 1000 से अधिक प्रदर्शन वाले गांवों में अपनाकर देशभर में प्रदर्शित किया गया। भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में अपने ब्रांच कार्यालयों के मध्यम से वर्ष 2005–06 से समेकित नाशीजीव प्रबंधन पर अग्रपंक्ति के प्रदर्शन शुरू किए हुए हैं।

बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में संशोधन

5263. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :
क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मजदूर संघों, कर्मचारियों और सरकारी प्रतिनिधियों ने बोनस की पात्रता में वृद्धि करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक संशोधित किए जाने की संभावना है;

(ङ) ऐसे संशोधन से अनुमानतः कितने लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) सरकार को पात्रता सीमा और गणना की अधिकतम सीमा को समाप्त करने अथवा बढ़ाने के लिए श्रमिक संघों से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं।

(ख) से (घ) द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग (एन सी एल) की सिफारिश पर बोनस की पात्रता सीमा 3,500/– रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 7,500/– रुपए प्रतिमाह करने और गणना की अधिकतम सीमा 2,500/– रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 3,500/– रुपए प्रतिमाह करने के लिए बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में संशोधन से संबंधित एक प्रस्ताव पर नई दिल्ली में 27–28 अप्रैल, 2007 को आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन (आई एल सी) के 41वें सूत्र में विचार–विमर्श किया गया था। विचार–विमर्शों के पश्चात्, गणना की अधिकतम सीमा 2,500/– रुपए से बढ़कर 3,500/– रुपए प्रतिमाह करने पर सभी पणधारियों (स्टेकहोल्डर्स) में आम सहमति हो गई है। तथापि, पात्रता सीमा को 3,500/– रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर एक उपयुक्त स्तर पर 7,500/– रुपए प्रतिमाह से अधिक करने अथवा 10,000/– रुपए प्रतिमाह करने के प्रस्ताव पर नियोक्ताओं के अलावा पणधारियों (स्टेकहोल्डर्स) के बीच जैसी सहमति हुई है, सरकार के विचाराधीन है। अंतर्निहित प्रक्रियाओं/सम्मिलित उपायों और संबंधित वित्तीय प्रभावों को देखते हुए, इस समय इस अधिनियम में संशोधन करने हेतु निश्चित समय सीमा बता पाना संभव नहीं है।

(ङ) इसके दायरे में आने वाले व्यक्तियों की संभावित संख्या का आकलन नहीं किया जा सकता है क्योंकि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 निम्नलिखित पर लागू है:–

(i) प्रत्येक कारखाना; और

(ii) प्रत्येक अन्य प्रतिष्ठान जिसमें गणना वर्ष के दौरान किसी एक दिन बीस अथवा अधिक व्यक्ति नियोजित रहे हों।

विदेशी श्रम को किराए पर लेने की नीति

5264. श्री के.एस. राव : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय कंपनियों द्वारा देश में परियोजनाओं के लिए विदेशी श्रम और कामगारों को किराए पर लेने के लिए किस नीति का अनुसरण किया जाता है;

(ख) विभिन्न क्षेत्रों में दक्ष कर्मचारियों की श्रम संबंधी मांग को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भारत में परियोजनाओं पर काम करने हेतु दक्ष और प्रशिक्षित कर्मचारियों का आयात करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी श्रम तथा कामगारों को किराए पर लेने के लिए कोई विशेष नीति नहीं है।

(ख) 5114 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से प्रतिवर्ष 107 व्यवसायों में लगभग 7.42 लाख प्रशिक्षुओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। सरकार ने विश्व बैंक सहायता से 400 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में उन्नयन करने हेतु कदम उठाए हैं। 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन आंतरिक निधियों से तथा शेष 1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन केन्द्र सरकार द्वारा प्रति औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 2.50 करोड़ रु. की लागत से सार्वजनिक–निजी भागीदारी के माध्यम से किया जा रहा है। देश में कुशल जनशक्ति की पूर्ति करने के लिए शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत् प्रतिवर्ष 154 व्यवसायों में लगभग 2.53 लाख प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जाता है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विकलांगों के लिए रोजगार केन्द्र

5265. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने विकलांगों के रोजगार की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत विकलांगों के लिए मैसूर, गुलबर्गा और हुबली में तीन विशेष रोजगार केन्द्र तथा जिला रोजगार केन्द्र, मंगलौर में विकलांगों के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका 80 प्रतिशत खर्च केन्द्र सरकार को वहन करना था और 57,19,065/– रुपए जारी करने थे;

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कर्नाटक सरकार से केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत् केन्द्र के अंशदान के रूप में 57,16,065/– रु. की धनराशि प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसे योजना आयोग को भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

कुक्कुट पालन सुधार कार्यक्रम

5266. श्री महावीर भगोरा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कुक्कुट पालन सुधार कार्यक्रम के संबंध में निर्धारित किए गए लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई; और

(ग) राज्यों को धनराशि जारी करने का आधार क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित योजना "राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सहायता" के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान क्रमशः 28, 45 और 61 फार्मों की सहायता की गई जबकि लक्ष्य प्रतिवर्ष 8 फार्मों का था।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के तहत जारी धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) धनराशि प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जारी की जाती है। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में सहायता की प्रणाली 100% है तथा अन्य राज्यों के मामले में यह केंद्र और राज्यों के बीच 80:20 है। प्रत्येक फार्म को अधिकतम 85.00 लाख रुपए दिए जाते हैं।

विवरण

केन्द्रीय प्रायोजित योजना "राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सहायता" के तहत दी गई वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	अण्डमान एवं निकोबार	–	50.00	–
2.	आंध्र प्रदेश	47.92		54.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	132.50	135.60	212.00
4.	असम	–		50.00
5.	बिहार	–	160.00	–
6.	छत्तीसगढ़	–	148.00	68.00
7.	गोवा	68.00	–	–
8.	गुजरात	90.37	136.00	136.00
9.	हरियाणा	–	40.00	–
10.	हिमाचल प्रदेश	25.00	117.56	10.00
11.	जम्मू एवं कश्मीर	204.00	47.00	25.50
12.	झारखण्ड	–	–	–
13.	कर्नाटक	55.00	–	80.00
14.	केरल	–	191.68	73.32
15.	लक्षद्वीप	–	–	25.00
16.	मध्य प्रदेश	64.00	–	124.87
17.	महाराष्ट्र	150.00	–	78.00
18.	मणिपुर	–	42.50	–
19.	मेघालय	40.00	85.00	130.00
20.	मिजोरम	128.00	240.00	217.50
21.	नागालैण्ड	252.50	300.00	170.00
22.	उड़ीसा	–	–	287.00
23.	पंजाब	–	40.00	–
24.	राजस्थान	–		–
25.	सिक्किम	–	42.50	120.00
26.	तमिलनाडु	99.76		50.00
27.	त्रिपुरा	–		–
28.	उत्तर प्रदेश	–	342.06	136.00
29.	उत्तरांचल	–	54.70	–
30.	पश्चिम बंगाल	80.00	120.00	466.31
	कुल	1437.05	2292.60	2513.50

[अनुवाद]

आईसीएआर द्वारा विकसित बीजों का खेत में प्रयोग

5267. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अंतर्गत कार्य कर रही प्रयोगशालाओं का अपने अनुसंधान/विकास प्रयासों की किसानों के लिए वास्तविक रूप में खेत संबंधी आदानों के रूप में प्रयोग करने का रिकार्ड खराब रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा उक्त प्रयोगशालाओं द्वारा बीजों की कितनी किस्में विकसित की गई और उनमें से कितनी किस्में वास्तव में किसानों को दी गई;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किए गए भारी निवेश के बावजूद किसाना अभी भी अपनी हाईब्रिड बीज संबंधी जरूरतों के लिए निजी क्षेत्र पर काफी अधिक निर्भर है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सरकारी एजेंसियों के माध्यम से किसान को अच्छी क्वालिटी के हाईब्रिड बीज उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) वास्तव में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने विभिन्न फसलों की नई किस्मों तथा संकरों के विकास में प्रशंसनीय कार्य किया है। पिछले तीन वर्षों (2004-06) के दौरान कुल 614 किस्में तथा संकर किस्में जारी तथा अधिसूचित की गई है। ये किस्में तथा संकर किस्में देश के विभिन्न कृषि-जलावायवीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से अपनाई गई है।

(ग) और (घ) सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की बीज उत्पादक एजेन्सियां किसानों को बीज सप्लाई कर रही है। सरकारी एजेन्सियों के जरिए किसानों को अच्छी किस्म का संकर बीज प्रदान करने के उद्देश्य से संकर चावल बीज कार्यक्रम, कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन तथा तिलहनों, दलहनों, तेलताड़ तथा मक्का पर समेकित योजना के तहत राज्य/बीज उत्पादन एजेन्सियों को सहायता दी जा रही है।

प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता में गिरावट

5268. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य और कृषि संगठन (एफ ए ओ) के अनुसार 225 मिलियन से अधिक भारतीय लम्बे समय से कुपोषित हैं और देश में प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता में लगातार गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) खाद्य और कृषि संगठन (एफ ए ओ) के प्रकाशन "विश्व में खाद्य असुरक्षा की स्थिति, 2006" के अनुसार भारत में 212 मिलियन लोग कुपोषण के शिकार हैं। देश में प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की उपलब्धता पिछले वर्षों में अस्थिर रही है, जैसाकि नीचे दी गई सारणी से देखा जा सकता है:

(किलोग्राम प्रति वर्ष)

वर्ष	कुल खाद्यान्न
2003	159.7
2004	168.9
2005	154.2
2006 (अनन्तिम)	162.3

(ग) और (घ) उत्पादन तथा उत्पादकता तथा इसके द्वारा प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार ने बहुत से प्रयास किए हैं जैसे कृषि वृहत प्रबंधन माध्यम के अंतर्गत चावल, गेहूं तथा मोटे अनाजों के लिए एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी.), तिलहनों, दालों, पॉम आयल तथा मक्का पर एकीकृत स्कीम (आईसोपॉम), किसानों को संस्थागत ऋण प्रवाह बढ़ाना, गुणवत्ता निवेशों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना, उच्च मूल्य वाली फसलों जिनमें बागवानी शामिल है के विविधिकरण को गतिशील बनाना, सूक्ष्म सिंचाई के द्वारा उपलब्ध जल स्रोतों का सक्षम उपयोग करना तथा शुष्क भूमि/वर्षा प्रभावित कृषि प्रणालियों को बनाए रखने को बढ़ावा देना और कृषि बाजारों का सुधार करना।

मेंढकों की तस्करी

5269. श्री मिलिन्द देवरा : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेंढकों सहित कतिपय उभयचरों को तस्करी करके बाहर भेजा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, ऐसी तस्करी का फसलों के संरक्षण पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार मेंढकों की तस्करी की मात्र दो घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई है।

(ख) असम में मेंढकों की तस्करी की दो घटनाएं दिनांक 10.04.07 और 22.04.07 को पकड़ में आई हैं। पहली घटना में न्यू गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर 71 मेंढकों को पकड़ा गया था और दूसरे मामले में मोरीगांव जिले में 600 मेंढ़क पकड़े गए थे। इस मामले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

नाशी जीवों के नियंत्रण में उभयचर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेंढ़कों सहित बड़ी मात्रा में उभयचरों की तस्करी से नाशी जीवों की संख्या में वृद्धि होने से कृषि उत्पाद पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) इस बारे में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

1. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 उभयचरों सहित सभी प्रकार के वन्यजीवों के लिए सुरक्षित क्षेत्रों में सुरक्षित और निरापद आश्रय स्थल प्रदान करता है।

2. महत्वपूर्ण उभयचर प्रजातियों को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, की अनुसूची I के भाग II में शामिल करके उन्हें उच्चतम श्रेणी की सुरक्षा दी गई है।

3. उभयचरों सहित वन्यजीवों को अवैध रूप से पकड़ने और तस्करी के विरुद्ध वन्यजीव विभाग द्वारा कठोर निगरानी की जाती है।

4. वन्यजीव संरक्षण और उनके महत्व के लिए विभिन्न स्थानों पर समय-समय पर सुग्राही कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

5270. श्री अबु अयीश मंडल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में तैयार की गई नीति और कार्य योजना क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस क्षेत्र के सभी उत्पादों को 'रेस्ट कमोडिटीज' की सूचियों में रखने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भारतीय उत्पादों की सुरक्षा और पेटेंट अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सेवाओं और नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत पुष्पकृषि, बागवानी, बीजों के विकास, पशु पालन, मछली पालन, जलकृषि, सब्जियों और खुम्बी की खेती में स्वचालित मार्ग (आटोमेटिक रूट) के अंतर्गत अनुमत्य है। चाय बागानों में भी सरकार के पूर्व अनुमोदन से 100% तक एफडीआई की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि पांच वर्षों की अवधि के भीतर भारतीय भागीदार/भारतीय जनता के पक्ष में 26% साम्यपूंजी की डाइवेस्टमेंट की जाए और भूमि प्रयोग में किसी भावी परिवर्तन के मामले से संबंधित राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाए। उपरोक्त के अलावा किसी अन्य कृषि क्षेत्र/कार्यकलाप में एफडीआई की अनुमति नहीं है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय ऋण सहायता कानून

5271. श्री सी.के. चन्द्रप्पन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ऋण सहायता कानून का अधिनियमन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या कतिपय राज्यों द्वारा ऐसे कानून का अधिनियमन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं और ऐसे कानून की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (घ) केरल विधान सभा ने एक केरल कृषक ऋण राहत

आयोग अधिनियम, 2006 नामक कानून बनाया है ताकि उन किसानों को राहत प्रदान की जा सके जो ऋणग्रस्तता के कारण विपदा में हैं। इस आयोग को न्याय निर्णय के बाद निर्णय देने और सुलह तथा बातचीत से ऐसे किसानों की शिकायतों और उससे संबंधित मामलों या घटनाओं के निवारण के लिए उचित उपायों की सिफारिश करने संबंधी अधिकार दिए गए हैं।

[हिन्दी]

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत

5272. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए कोई बजटीय प्रावधान किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) आपदा राहत निधि (सी.आर.एफ.) और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन.सी.सी.एफ.) की स्कीमों के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के आने पर वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें प्रभावित किसानों को सहायता शामिल है। सी.आर.एफ. तथा एन.सी.सी.एफ. दोनों स्कीमों के प्रचालन की देखरेख करने के लिए गृह मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि सी.आर.एफ. तथा एन. सी.सी.एफ. दोनों के बजट शीर्ष वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा धारित और प्रचालित किए जाते हैं। व्यय विभाग ने सूचित किया है कि इन दोनों स्कीमों के लिए वर्ष 2007–08 के बजट प्राक्कलन में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। इन दोनों स्कीमों के लिए प्रावधान में, अन्य बातों के साथ–साथ प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित किसानों के लिए सहायता शामिल है जो सी.आर.एफ. और एन.सी.सी.एफ. से सहायता हेतु व्यय की वर्तमान मदों और मानदण्डों के अनुसार है।

[अनुवाद]

बीज और जैव-प्रौद्योगिकी संबंधी अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम

5273. श्री नवीन जिन्दल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सरकारी और निजी बीज उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए बीज और जैव–प्रौद्योगिकी संबंधी त्वरित अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम शुरू किया है/शुरू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी बीज उद्यमियों की सहायता के लिए बीज और जैव–प्रौद्योगिकी पर एक त्वरित अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम आरंभ किया है।

(ख) फसल सुधार कार्यक्रम और प्रबंधन के जरिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि उत्पादकता बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धताओं को जारी रखे हुए है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बीज और जैव–प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित पहलें आरंभ की हैं:

बीज :

1. बीज अनुसंधान निदेशालय तथा राष्ट्रीय बीज परियोजना के केन्द्रों के लिए 3703.89 लाख रु. के कुल परिव्यय सहित 10वीं योजना के दौरान राष्ट्रीय बीज परियोजना (एन एस पी) (फसलें), को बीज अनुसंधान निदेशालय (डी एस आर), मऊ, उत्तर प्रदेश के रूप में उन्नयन किया गया। इसे उत्पादकता, गुणवत्ता तथा टिकाऊपन को बढ़ाने के लिए बीज के आनुवंशिक तथा भौतिक विशिष्ट लक्षणों की वृद्धि करने से संबंधित समस्त अनुसंधान परियोजनाओं को समन्वित करने के लिए स्थापित किया गया है।

2. फसलों, बागवानी फसलों तथा मात्स्यिकी के गुणवत्ता वाले बीज का उत्पादन करने के उद्देश्य से राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों तथा अन्य संगठनों में स्थित 85 केन्द्रों में 10वीं योजना अवधि (2005–07) के दौरान 19889.94 लाख रु. के कुल परिव्यय से "कृषिगत फसलों तथा मात्स्यिकी में बीज उत्पादन" नामक परियोजना को कार्यान्वित किया गया।

जैव-प्रौद्योगिकी :

1. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने वर्ष 2005–06 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 20 संस्थानों को शामिल करके 14 फसलों में उपज और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पराजीनियों के विकास पर अनुसंधान को तेज करने हेतु "फसलों में पराजीनी" नामक एक नई परियोजना शुरू की है।

2. कृषि उत्पाद उपकर निधि से तीन वर्ष की अवधि के लिए 2.41 करोड़ रु. (लगभग) के परिव्यय से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आणविक प्रजनन पर नेटवर्क परियोजना कार्यान्वित की गई। इसमें फील्ड तथा बागवानी की 11 फसलें नामतः चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, अरहर, सोयाबीन, आलू, केला, अंगूर, टमाटर और गन्ना शामिल हैं।

3. फसलों में बहु–जैविक दबाव की प्रतिरोधिता के लिए जीन पिरामिडिंग पर नेटवर्क परियोजना 5 फसलों अर्थात चावल, गेहूं, मक्का, चना, टमाटर और तिलहनी फसलों पर 12 केन्द्रों में संचालित की गई है।

4. जैव–प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी लघु व्यवसाय नवोन्मेषी अनुसंधान पहल (एस बी आई आर आई) के अंतर्गत व्यावसायीकरण हेतु सरकारी/निजी सहभागिता के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जैव–प्रौद्योगिकी के प्रस्तावों पर विचार कर रहा है। उपरोक्त के अलावा जैव–प्रौद्योगिकी विभाग, कृषि जैव–प्रौद्योगिकी सहित जैव–प्रौद्योगिकी की विभिन्न गतिविधियों के लिए निधिकरण कर रहा है।

पुष्प कृषि/क्षेत्र केन्द्र की स्थापना

5274. श्री एस.के. खारवेन्थन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के कुछ भागों में पुष्पकृषि क्षेत्र/केन्द्र की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो स्थानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) भारत सरकार ने पुष्पकृषि के विकास और निर्यात के संवर्धन के लिए देश में छह कृषि निर्यात जोनों की स्थापना की है। ये कृषि निर्यात जोन हैं – तमिलनाडु में (दो ए.ई.जेड.) एक धर्मापुरी जिले और दूसरा नीलगिरी जिले में, महाराष्ट्र में एक ए.ई.जेड. जो पुणे, नासिक, कोल्हापुर और सान्गली जिलों को कवर करता है, कर्नाटक में एक ए.ई.जेड जो बंगलौर शहरी, बंगलौर ग्रामीण, बेलगाम, कोलार, कोडजू, और तुमकुर जिलों को कवर करता है, सिक्किम में एक ए.ई. जेड. जो पूर्वी सक्किम जिलों को कवर करता है और एक ए.ई.जेड. उत्तराखंड में जो देहरादून, पंतनगर, उधम सिंह नगर, नैनीताल और उत्तरकाशी जिलों को कवर करता है। इसके अतिरिक्त, सरकार पुष्पकृषि सहित बागवानी फसलों के विकास के लिए विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। (i) सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और उत्तराखंड सहित पूर्वोत्तर राज्यों में वर्ष 2001–02 से कार्यान्वित किए जा रहे बागवानी के समेकित विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन और (ii) वर्ष 2005–06 से कार्यान्वित की जा रही बागवानी मिशन की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत पुष्पों की खेती के लिए किसानों को सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, 'उत्पादन और फसलोपरान्त प्रबंधन के जरिए वाणिज्यिक बागवानी के विकास' संबंधी स्कीम के तहत राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड सहायता भी प्रदान कर रहा है जिसमें पुष्पों को भी कवर किया गया है।

[हिन्दी]

कृषि को उद्योग का दर्जा

5275. श्री वी.के. ठुम्मर :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कृषि को उद्योग का दर्जा किन–किन देशों में दिया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, सरकार कृषि क्षेत्र को समर्थन प्रदान कर रही है जैसे ऋण तथा अन्य आदानों और अवसंरचना की आसान उपलब्धता जिसमें विपणन तथा फसलोपरान्त प्रबन्धन सुविधाएं शामिल हैं।

(घ) कई अन्य देशों में भी कृषि विकास के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए समर्थन प्रदान किया जाता है।

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकना

5276. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने हेतु रणनीति बनाने के लिए हाल ही में मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाई है;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए हैं और मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए क्या रणनीति बनाई गई है;

(ग) उक्त बैठक में बनाई गई रणनीति को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या उक्त बैठक के बाद पूर्वोत्तर राज्यों में मूल्यों में आकस्मिक वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) से

(ग) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सितंबर, 2006 में आयोजित राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र के कार्य निष्पादन और देश की आन्तरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर जोर दिया था। इसके पश्चात् दिनांक 21 फरवरी, 2007 के पत्र में प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्य मंत्रियों से मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की अपली की। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे ऐसे किसी मुद्दे के लिए जिसका तत्काल समाधान अपेक्षित हो और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में किसी प्रकार की रुकावटों का हटाने के लिए मंत्रिमण्डल सचिवालय में स्थापित विशेष निगरानी कक्ष से संपर्क करें। पत्र में हाल ही में केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए विभिन्न वित्तीय, प्रशासनिक और आपूर्ति को बढ़ाने के उपायों का भी उल्लेख किया गया है।

मुद्रास्फीति को काबू में रखने के लिए कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 29 अगस्त, 2006 की अधिसूचना (और बाद में इस अधिसूचना के विस्तार) के द्वारा दिए गए प्राधिकार के अनुसरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत गेहूं और दालों के संबंध में पहले ही नियंत्रण आदेश जारी कर किए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि उपकरण

5277. श्री महावीर भगोरा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कृषि उपकरणों की मांग और उपलब्धता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त उपकरणों के विनिर्माण हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जाती है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जारी किए गए ऋण और उससे लाभान्वित हुए किसानों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस समय देश में कार्यरत कृषि उपकरण विनिर्माण कारखानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन कारखानों की उत्पादन क्षमता और उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए वृद्धित फसल सघनता और समय से क्षेत्र प्रचालन की आवश्यकता तथा पैदावार लागत को कम करने के लिए नई प्रौद्योगिकी अपनाने की जरूरत और पैदावार के तहत अतिरिक्त क्षेत्र लाने के लिए देश में कृषि उपकरणों की मांग बढ़ रही है। देश में कृषि उपकरण की उपलब्धता का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रत्येक गत तीन वर्षों के दौरान ऋणों का राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण–II (क) में दिया गया है। न्यून आधारी ऋण के वितरण के आंकड़े कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलापों जिसमें कृषि उपकरण का वितरण और विनिर्माण भी शामिल है, के लिए है। कृषि स्कीम के वृहद प्रबन्धन मोड के तहत राजसहायता पर कृषि उपकरण का वितरण करके किसानों की सहायता की जाती है। इस स्कीम के तहत गत तीन वर्षों के दौरान वितरित उपकरणों की संख्या संलग्न विवरण–II(ख) में दी गई है।

(घ) और (ङ) संलग्न ब्यौरा विवरण–III में दिया गया है।

विवरण-I

उपकरणों के प्रकार	उपलब्धता संख्या में प्रति 1000 हैक्टेयर निवल बुवाई क्षेत्र
मैनुअल बीज ड्रिल/बीज सह उर्वरक ड्रिल	153.2
पशु चालित बीज सह उर्वरक ड्रिल	36.1
ट्रैक्टर चालित बीज सह उर्वरक ड्रिल	7.2
पशु चालित लेवलर	84.8
ट्रैक्टर चालित लेवलर	6.2
मानव चालित पौध संरक्षण उपकरण	28.5
शक्ति चालित पौध संरक्षण उपकरण	4.3
ड्रिप और स्प्रिंकलर उपकरण	8.3
बागवानी औजार (विद्युत चालित)	8.9
ट्रैक्टर	16.7
पावर टिलर	2.0
ट्रैक्टर चालित डिस्क हैरा	6.6
ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर	12.5
ट्रैक्टर चालित रोटावेटर	0.9
पोटैटो डिगर	2.1
स्ट्रा रीपर	18.8
फोरेज हारवेस्टर	18.2

स्रोत : पशुधन गणना – 2003

विवरण-II (क)

कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलापों के तहत राज्य वार न्यून स्तरीय ऋण (जीएलसी) वितरण

(लाख रुपए)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र के नाम	2003-2004	2004-2005	2005-2006
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	37245	90803	162231
2.	नई दिल्ली	242367	388227	1307623
3.	हरियाणा	628620	864028	1084743
4.	हिमाचल प्रदेश	38232	61581	95482
5.	जम्मू और कश्मीर	6619	11184	90545
6.	पंजाब	914790	1279416	1547980
7.	राजस्थान	313996	517225	756234
8.	अरुणाचल प्रदेश	390	1257	1337
9.	असम	19129	26724	66332
10.	मणिपुर	580	1923	5766
11.	मेघालय	5184	2474	5657
12.	मिजोरम	544	2019	2432
13.	नागालैंड	742	1978	2402
14.	त्रिपुरा	3000	3817	8476
15.	सिक्किम	425	541	1169
16.	बिहार	142172	181726	212458
17.	झारखंड	21461	40739	50588
18.	उड़ीसा	127778	198549	312919
19.	प. बंगाल	212944	302168	644134
20.	अण्डमान एवं निकोबार	385	587	1528
21.	मध्य प्रदेश	342935	529344	690396
22.	छत्तीसगढ़	52377	78740	123321
23.	उत्तर प्रदेश	810833	1042864	1405866
24.	उत्तरांचल	42589	63232	93782
25.	दादरा एवं नगर हवेली	0	76	158
26.	दमन एवं दीव	0	5	40
27.	गुजरात	479822	660930	1110647
28.	गोवा	3938	8008	13134
29.	महाराष्ट्र	528487	742083	1493814
30.	आन्ध्र प्रदेश	1001424	1349050	2050124
31.	कर्नाटक	532600	728127	1291353
32.	केरल	377502	571229	1032413
33.	लक्षद्वीप	78	62	115
34.	पांडिचेरी	6970	12716	23521
35.	तमिलनाडु	695166	1020670	1948810
36.	अन्य राज्य	–	1224	4870
	कुल	7591324	10785326	17642400
	निजी क्षेत्र के बैंक	1023008	1626342	–
	आरआईडीएफ	83747	94123	405857
	अन्य एजेंसियां	–	19279	–
	अन्य बांड	–	5867	300
	सकल योग	8698079	12530937	18048557

विवरण-II (ख)

वृहद प्रबन्धन स्कीम के तहत वितरित कृषि उपकरण की संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र के नाम	2003-2004	2004-2005	2005-2006
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	35010	एन.आर.	46550
2.	अरुणाचल प्रदेश	2186	3241	15080
3.	असम	एन.आर.	एन.आर.	1318
4.	बिहार	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
5.	छत्तीसगढ़	14976	504	1273

1	2	3	4	5
6.	गोवा	288	378	5
7.	गुजरात	2531	3054	9535
8.	हरियाणा	13780	19326	18077
9.	हिमाचल प्रदेश	5209	13844	6455
10.	जम्मू और कश्मीर	एन.आर.	34136	22968
11.	झारखंड	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
12.	कर्नाटक	2394	2908	8098
13.	केरल	1515	212	एन.आर.
14.	मध्य प्रदेश	158766	85505	45618
15.	महाराष्ट्र	एन.आर.	380	1745
16.	मणिपुर	1989	1378	6577
17.	मेघालय	एन.आर.	एन.आर.	3184
18.	मिजोरम	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
19.	नागालैंड	197	एन.आर.	2116
20.	उड़ीसा	14904	14209	4940
21.	पंजाब	54	एन.आर.	394
22.	राजस्थान	6485	5957	19167
23.	सिक्किम	एन.आर.	एन.आर.	2378
24.	तमिलनाडु	727	383	526
25.	त्रिपुरा	एन.आर.	1284	एन.आर.
26.	उत्तर प्रदेश	5126	599	58124
27.	उत्तराखण्ड	2504	एन.आर.	7082
28.	प. बंगाल	5170	1656	8220
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	एन.आर.	2905	एन.आर.
30.	चंडीगढ़	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
31.	दादरा व नगर हवेली	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
32.	रा.रा.क्षे. दिल्ली	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
33.	दमन व दीव	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
34.	पांडिचेरी	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
35.	लक्षद्वीप	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
	कुल	273801	194042	307675

एनआर– जानकारी नहीं।

विवरण-III

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	ईकाईयों की कुल संख्या	कुल सकल लाभ (लाख रुपए में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2853	4984
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	1
3.	असम	149	85
4.	बिहार	7755	9511
5.	छत्तीसगढ़	1224	1414
6.	गोवा	1	11
7.	गुजरात	3116	16548
8.	हरियाणा	1992	17399
9.	हिमाचल प्रदेश	544	193
10.	जम्मू और कश्मीर	1437	755
11.	झारखंड	10736	3715
12.	कर्नाटक	18903	7699
13.	केरल	1016	823
14.	मध्य प्रदेश	39216	17234
15.	महाराष्ट्र	10266	13275
16.	मणिपुर	779	392
17.	मेघालय	9	9
18.	मिजोरम	0	0
19.	नागालैंड	1	3
20.	उड़ीसा	4481	3525
21.	पंजाब	5873	90344
22.	राजस्थान	5466	17361
23.	सिक्किम	0	0
24.	तमिलनाडु	1002	2475
25.	त्रिपुरा	11	8
26.	उत्तर प्रदेश	18936	24833

1	2	3	4
27.	उत्तराखण्ड	4366	3081
28.	प. बंगाल	11377	7902
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	3	5
30.	चंडीगढ़	14	145
31.	दादरा व नगर हवेली	0	0
32.	रा.रा.क्षे. दिल्ली	117	5537
33.	दमन व दीव	0	0
34.	पांडिचेरी	10	783
35.	लक्षद्वीप	0	0

[अनुवाद]

जल निकायों का नवीकरण

5278. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने कठी कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्यों के लिए मौजूदा जल निकायों के संरक्षण के लिए समन्वित योजना बनाने की तत्काल आवश्यकता है जैसा कि दिनांक 12 अप्रैल, 2007 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मौजूदा जल निकायों का संरक्षण करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या भूमिका अदा की जाएगी;

(घ) क्या राज्य सरकारें धन और संसाधनों की कमी का सामना कर रही हैं जिसके कारण मौजूदा जल निकायों के संरक्षण में बाधा आई है; और

(ङ) यदि हां, तो मौजूदा जल निकायों का विकास करने के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (ङ) सरकार ने जनवरी, 2005 में "कृषि से सीधे तौर पर जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार के लिए राष्ट्रीय परियोजना" के वास्ते एक प्रायोगिक स्कीम शुरू की है। प्रत्येक राज्य से एक या दो जिलों में 40 हेक्टेयर से अधिक और 2000 हेक्टेयर तक कृष्य कमान क्षेत्र वाले जल निकायों को इस स्कीम में शामिल किया गया है। इस स्कीम के तहत 15 राज्यों के 26 जिलों में 299.9155 करोड़ रुपए की लागत से 1098 जल निकायों के पुनरुद्धार का अनुमोदन किया गया है। इस राशि को केन्द्र और राज्य द्वारा 3:1 के अनुपात में वहन किया जायेगा। 2006–07 के बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि ग्यारहवीं योजना के दौरान बाह्य वित्त पोषण की सहायता से इस स्कीम का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार किया जाएगा। इस स्कीम की वित्त पोषण प्रणाली राज्य सरकार द्वारा विश्व बैंक ऋण के रूप में 75% और केन्द्रीय सब्सिडी के रूप में 25% होगी।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों एवं चीनी को उठाया जाना

5279. श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों तथा अन्य एजेंसियों को आबंटित कोटे को उनके द्वारा न उठाए जाने के कारण आज की तारीख तक पूरे देश के गोदामों में रखे हुए खाद्यान्नों एवं चीनी की मात्रा तथा मूल्य संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन एजेंसियों द्वारा खाद्यान्नों तथा चीनी को न उठाए जाने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम द्वारा नामित डिपुओं से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को रिलीज किए जाते हैं। भारतीय खाद्य निगम को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के साथ हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में 2 माह का बफर स्टॉक रखना होता है। चूंकि भारतीय खाद्य निगम के डिपु में खाद्यान्नों के स्टाक का रखरखाव मात्रा–वार और जिन्स–वार किया जाता है और इसे राज्य–वार निर्धारित नहीं किया जाता है इसलिए भारतीय खाद्य निगम उठान न की गई मात्रा के लिए राज्य विशिष्ट के संबंध में अलग–अलग रिकार्ड नहीं रखता है।

इसी प्रकार, राज्य एजेंसियों और भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठान न करने के कारण चीनी फैक्ट्रियों के गोदामों में पड़ी चीनी की मात्रा और कीमत का रिकार्ड विभाग में नहीं रखा जाता है।

(ख) खाद्यान्नों का उठान न करने के कारण स्थानीय बाजार में और खाद्यान्न फसल के उत्पादकों के पास खाद्यान्नों की उपलब्धता, बाजार में प्रचलित मूल्य, स्थानीय लोगों की खाद्यान्न पसंद, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संसाधन स्थिति, समय विशेष पर मालगाड़ियों की उपलब्धता और अन्य ढुलाई व्यवस्था आदि जैसे घटक हैं।

लेवी चीनी का उठान न करने के कारण गैर–लेवी चीनी के बाजार मूल्य और लेवी चीनी के खुदरा निर्गम मूल्य के बीच कम अन्तर होने के कारण मांग में कमी, ढुलाई संबंधी रुकावटें आदि हो सकते हैं।

[अनुवाद]

पानी का खारापन दूर करना

5280. श्री सुब्रत बोस : क्या जल संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रैंक–वार किन–किन राज्यों में पानी में खारापन अधिक है;

(ख) किन–किन राज्यों ने केन्द्र सरकार से पानी का खारापन दूर करने के लिए वित्तीय अथवा तकनीकी सहायता हेतु अनुरोध किया है; और

(ग) इस पर राज्य–वार सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा किए गए अध्ययन से देश के विभिन्न भागों में भूजल में लवणता की समस्या का पता चला है। सीजीडब्ल्यूबी पूरे देश में 15000 से अधिक प्रेक्षण कुंओं के नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्रीय आधार पर भूजल गुणवत्ता की मानीटरी करता है। जल की लवणता में यहां तक कि एक ही राज्य में क्षेत्र दर क्षेत्र अंतर होता है इसलिए कोई राज्यवार रैंकिंग नहीं की जाती है। भूजल में लवणता दो प्रकार से होती है जैसे अन्तर्देशीय लवणता, जिसमें स्वच्छ जल लवणीय जल पर तैरता है और तटीय लवणता/आंध्र प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में अन्तर्देशीय लवणता देखी गई है। जबकि तटीय जलभृत्तों में लवणता, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दीव और पांडिचेरी में देखी गई है।

(ख) और (ग) 'जल' राज्य का विषय होने के कारण जल के अलवणीकरण करने की योजना बनाने, वित्तपोषित करने तथा स्कीमों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का होता है। जल संसाधन मंत्रालय को राज्यों से इस मामले में तकनीकी सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय (पेयजल आपूर्ति विभाग) निर्धारित मानकों के अनुसार पेय जल आपूर्ति के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम अर्थात् त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के माध्यम से राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता मुहैया कराता है। एआरडब्ल्यूएसपी निधि का 20 प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रतिधारित कर लिया जाता है तथा इसे जल गुणवत्ता समस्याओं की जरूरतों के आधार पर राज्यों को जारी किया जाता है। शहरी विकास मंत्रालय ने देश की समस्त शहरी जनसंख्या को सुरक्षित पेय जल आपूर्ति के लिए देश के 5161 शहरी कस्बों को अवसंरचनात्मक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए दो नए कार्यक्रम, अर्थात् जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) तथा छोटे और मध्यम कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम (यूआईडीएस एसएमटी) शुरू किये हैं। इस परियोजना में 7 वर्षों के भीतर भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित पेयजल मुहैया कराये जाने की योजना है।

[हिन्दी]

निर्यात में कृषि का हिस्सा

5281. श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्री तुकाराम गणपतराव रैंगे पाटील :
क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष दर वर्ष भारत के कुल निर्यात में कृषि का हिस्सा कम होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान दर्ज किए गए कुल निर्यात से कृषि का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा है; और

(घ) निर्यात ने कृषि का हिस्सा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) मूल्य के रूप में कृषि निर्यातों में बढ़ोत्तरी का रुख रहा है। तथापि, देश के कुल निर्यात में कृषि निर्यात का हिस्सा घट रहा है जिसका कारण अन्य क्षेत्रों में निर्यात की तुलनात्मक रूप से तीव्र वृद्धि है। वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस), वाणिज्य मंत्रालय, कोलकाता के अनुसार गत पांच वर्षों के लिए देश के कुल निर्यात में कृषि का प्रतिशत हिस्सा निम्नानुसार है:–

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	देश का कुल निर्यात	कुल कृषि निर्यात	देश के निर्यात में % हिस्सा
2001–02	209017.97	29728.61	14.22
2002–03	255137.28	34653.93	13.58
2003–04	293366.75	37266.52	12.70
2004–05	375339.53	41602.65	11.08
2005–06	454799.97	49802.92	10.95

(घ) सरकार ने कृषि उत्पादों के निर्यात के संवर्धन के लिए विभिन्न उपाय शुरू किए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ कृषि-निर्यात जोनों की स्थापना शामिल है ताकि उन्नत अवसंरचना सुविधाओं के साथ अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी तक पहुंच बढ़ाई जा सके और विपणन लागतों को घटाने के लिए सहायता मुहैया की जा सके जैसे निर्यात के लिए कुछ उत्पादों के परिवहन के लिए। विदेश व्यापार नीति 2004-09 में 'विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना' की स्कीम लागू की गई है ताकि फलों, सब्जियों, पुष्पों, गौण वन उत्पाद और उनके मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात का संवर्धन किया जा सके।

[अनुवाद]

सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोगाम फॉर एक्सटेंशन रिफार्म्स

5282. श्री सुग्रीव सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार से केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना – "सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफार्म्स" का विस्तार करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) राज्य के किन-किन जिलों में उक्त योजना कार्यान्वित की जा रही हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) केन्द्रीय प्रौद्योगिकी प्रबन्धन एजेन्सी (एटीएमए) मॉडल पर आधारित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन" को वर्तमान में उड़ीसा के 13 जिलों यथा बालासोर, बोलंगीर, धनकनाल, गंजम, जगतसिंहपुर, कोयन्झर, कन्धमाल, खुर्द, कोरापट, मयूरभंज, नौपदा, सम्बलपुर और सुंदरगढ़ में चलाया जा रहा है।

उड़ीसा सरकार ने सितम्बर, 2006 में अनुरोध किया था कि स्कीम को राज्य के शेष 17 जिलों में बढ़ा दिया जाए। इस अनुरोध पर निर्णय ग्यारहवीं योजना में स्कीम के कवरेज पर लम्बित अत्यधिक स्पष्टता आस्थगित थी। अब इस पर विचार किया गया है कि स्कीम की कवरेज को देश के सभी ग्रामीण जिलों में बढ़ा दिया जाए।

तथापि, राज्य में स्कीम के अंतर्गत पहले से ही कवर किए गए जिलों के संबंध में 2007-08 के लिए राज्य विस्तार कार्य योजना (एसईडब्ल्यूपी) को कृषि मंत्रालय के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा अनुमोदित करने के पश्चात ही स्कीम की कवरेज के अंतर्गत लाया जाएगा। उड़ीसा से ऐसे जिलों के संबंध में 2007-08 के लिए एसईडब्ल्यूपी की प्रतीक्षा की जा रही है।

केरल से धान की खरीद

5283. श्री पी.सी. थामस : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुछ भागों विशेष रूप से केरल में धान की खरीद में विलम्ब के कारण किसानों को भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा धान की कितनी मात्रा अभी भी किसानों के पास पड़ी है;

(ग) क्या सरकार ने इसके परिणामस्वरूप केरल के किसानों को हुए घाटे का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार को कितनी सहायता दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) चालू खरीफ विपणन मौसम 2006-07 में धान की वसूली में विलम्ब होने के कारण किसानों को हानि होने के बारे में किसी भी राज्य से खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

दालों का उत्पादन

5284. श्री अनन्त नायक : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं योजना के दौरान दालों की खेती वाले क्षेत्र को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2007-08 के दौरान दालों की खेती वाले क्षेत्र में बढ़ोत्तरी करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या वर्ष 2007-08 के दौरान दालों के उत्पादन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) भारत सरकार दलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तथा इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए दलहन उगाने वाले 14 प्रमुख राज्यों में एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम

तथा मक्का" (आइसोपोम) कार्यान्वित कर रही है। हालांकि, दलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं, दलहन उगाने वाले प्रमुख राज्यों को सलाह दी गई है कि वे चावल की परती भूमि के अन्तरफसलन और उपयोगिता के जरिए दलहनों के तहत क्षेत्र में वृद्धि करें।

(ग) और (घ) वर्ष 2007–08 के दौरान दलहनों के उत्पादन के लिए सरकार ने 15.60 मिलियन टन का उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया है।

गन्ने तथा कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

5285. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गन्ने और कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य में परिवर्तन करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की गन्ने तथा कपास की खेती करने वाले किसानों को उदार ऋण प्रदान करने के लिए कोई नई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) गन्ने का 2007–08 मौसम के लिए वैधानिक न्यूनतम मूल्य दिसम्बर, 2006 में घोषित किया गया था तथा कपास का 2006–07 मौसम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जुलाई, 2006 में घोषित किया गया था। इनको संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) बजट भाषण (2007–2008) के अनुसार अल्पकालीक फसल ऋणों के लिए 2% ब्याज सहायता स्कीम 2007–08 में जारी रहेगी।

(ङ) देश के चार राज्यों के 31 विशेष रूप से संकटग्रस्त जिलों में तीन वर्ष की अवधि के लिए एक विशेष योजना कार्यान्वित की जा रही है जिसमें कुल 16978.69 करोड़ रुपए की धनराशि निहित है।

चीनी मिल के क्षेत्र में गन्ने के विकास के लिए बीज किस्म में सुधार लाने, बीज नर्सरी के संवर्धन, रादून प्रबंधन के लिए किसानों को ऋण सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से चीनी मिलों को चीनी विकास निधि में से रियायती ऋण दिए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, खरीफ 2006–07 से सरकार 7% ब्याज की दर पर तीन लाख रुपए तक की प्रमुख राशि के फसल ऋण प्रदान करती है।

राष्ट्रीय वनरोपणन कार्यक्रम के अंतर्गत बांस के रोपण को बढ़ावा देना

5286. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय वित्त पोषण के लिए राज्यों द्वारा उनकी वन विकास एजेंसी परियोजनाओं में बांस रोपण के कितने प्रस्तावों को शामिल किया गया है; और

(ख) इस संबंध में विभिन्न राज्यों को जारी सहायता का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) बांस रोपण, पर्यावरण और वन मंत्रालय के राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन ए पी) के घटकों में से एक है। गत दो वर्षों (2005–06 और 2006–07) के दौरान वे प्रस्ताव, जिनमें बांस रोपण भी एक घटक है, 208 वन विकास अभिकरणों (एफ डी ए) के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, जो इस मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष (2007–08) के दौरान कोई परियोजना प्राप्त अथवा मंजूर नहीं किए गए हैं।

(ख) गत दो वर्षों (2005–06 और 2006–07) के दौरान, एफ डी ए को जारी की गई कुल वित्तीय सहायता जिसमें बांस रोपण घटक शामिल हैं, 540.95 करोड़ रुपए है। चालू वित्त वर्ष (2007–08) के दौरान अब तक कोई निधि जारी नहीं की गई है।

[हिन्दी]

अवन्ती बाई सागर परियोजना को पर्यावरणीय/ वन संबंधी मंजूरी

5287. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रानी अवन्ती बाई सागर परियोजना के निर्माण हेतु नरसिंहपुर जिले की 11.53 हैक्टेयर वन भूमि के भू–प्रयोग के परिवर्तन के संबंध में प्रस्ताव पर्यावरणीय/वन संबंधी मंजूरी के लिए लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) रानी अवन्ती बाई सागर परियोजना के निर्माण के लिए निरसिंहपुर जिले में 11.53 हैक्टेयर वनभूमि के वनेतर प्रयोग

के प्रस्ताव को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

पार्थेनियम के कारण घाटा

5288. श्री कृष्णा मुरारी मोघे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पार्थेनियम सहित विभिन्न प्रकार के खरपतवारों से देश में हर घंटे 20 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) क्या जबलपुर के राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान संस्थान से खरपतवार को नष्ट करने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) पार्थेनियम सहित खरपतवारों की विभिन्न किस्मों के कारण औसत फसल हानि फसल उत्पादन का लगभग 15–20% होने का अनुमान है जोकि कृषि–जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर है।

(ख) देश में विभिन्न फसलों में खरपतवार संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं:–

(i) विभिन्न सरकारी विस्तार एजेन्सियों के माध्यम से खरपतवार नियंत्रण के संवर्धनात्मक, यांत्रिक तथा रासायनिक तरीकों के बारे में किसानों को शिक्षित करना।

(ii) सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में खरपतवारों के नियंत्रण के लिए गुणवत्ताप्रद शाकनाशियों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(iii) जबलपुर स्थित राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केन्द्र के माध्यम से आधारिक तथा रणनीतिक खरपतवार प्रबन्धन प्रौद्योगिकियां प्रदान करना।

(iv) विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में अखिल भारत खरपतवार नियंत्रण समन्वित अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत 22 केन्द्र विभिन्न राज्यों में खरपतवार संबंधी समस्याओं के लिए स्थान विशिष्ट समाधान मुहैया करते हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केन्द्र (एनआरसीडब्ल्यूएस), जबलपुर अपने अनुसंधान विस्तार कार्यकलापों के भाग के रूप में वैज्ञानिकों, राज्य सरकार पदाधिकारियों, प्रगतिशील कृषकों, गैर–सरकारी संगठनों आदि को सीमित पैमाने पर नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। यह केन्द्र पूरे देश में पार्थेनियम जागरूकता सप्ताह का आयोजन भी नियमित रूप से कर रहा है और गत तीन वर्षों के दौरान इस खरपतवार के हानिकारक प्रभावों के बारे में तथा इसके प्रबंधन हेतु लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। एनआरसीडब्ल्यूएस, जबलपुर ने बायोप्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के समर्थन कार्यक्रम के अंतर्गत समेकित दृष्टिकोण के माध्यम से पार्थेनियम के प्रबन्धन पर एक परियोजना भी कार्यान्वित की है।

[अनुवाद]

पेंशन में वृद्धि

5289. डा. राजेश मिश्रा :
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार :
श्री जे.एम. आरून रशीद :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि योजना तथा अंशदायी भविष्य निधि के 1993 से 2004 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनधारकों को पेंशन के रूप में मामूली धनराशि मिलती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा 500 रुपए से कम पेंशन आहरण करने वाले तथा 500 रुपए से 1000 रुपए के बीच पेंशन आहरण करने वाले लोगों की अलग–अलग संख्या कितनी है;

(ग) इतनी कम धनराशि का भुगतान किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) पेंशन को जीवन स्तर के समानुकूल बनाने के लिए उक्त पेंशन भोगियों की पेंशन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ई.पी.एस.) के उन सदस्यों के लिए जो योजना में 16.11.1995 को या उसके बाद शामिल हुए हैं, कोई न्यूनतम मासिक सदस्य पेंशन निर्धारित नहीं है। ऐसे मामलों में मासिक सदस्य पेंशन की राशि की गणना निम्नलिखित कारकों के अनुसार की जाती है, अर्थात:

$$\text{मासिक सदस्य पेंशन} = \frac{\text{पेंशन योग्य वेतन} \times \text{पेंशन योग्य सेवा}}{70}$$

ई.पी.एस., 95 के उन सदस्यों के संबंध में जो पूर्ववर्ती कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 के भी सदस्य थे, ई.पी.एस., 95 के पैरा 12 में पिछली सेवा लाभों (16.11.1995 से पहले प्रदान की गई सेवा के) की गणना; और 16.11.1995 के बाद प्रदान की गई पेंशनयोग्य

सेवा के लाभ का प्रावधान है। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैरा 12 में भी 16.11.1995 से पहले और बाद में प्रदान की गई कुल सेवा की भिन्न-भिन्न अवधियों के लिए न्यूनतम पेंशन का प्रावधान है।

(ख) 500/- रुपए से कम और 500/- रुपए और 1000/- रुपए के बीच पेंशन ले रहे पेंशन भोगियों की संख्या (31.12.2006 की स्थिति के अनुसार) क्रमशः 6,83,210 और 6,60,931 है।

(ग) पेंशन की राशि कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के उपबंधों के अनुसार निर्धारित की जाती है।

(घ) पेंशन संबंधी लाभ की राशि में वृद्धि किया जाना पेंशन निधि की स्थिति पर निर्भर करता है। वर्तमान में पेंशन में वृद्धि का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है क्योंकि बीमांकक मूल्यांकन किसी वृद्धि की अनुमति नहीं देता।

[हिन्दी]

बाल शोषण संबंधी रिपोट-2007

5290. प्रो. महादेवराव शिवनकर : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बाल शोषण संबंधी रिपोर्ट-2007 की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या खतरनाक तथा अवैध व्यवसाय में कार्यरत बच्चों के संबंध में कोई आकलन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) सरकार को ऐसी किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है। तथापि, सरकार ने बच्चों के उत्पीड़न के बारे में एक राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन कराया है जिसे 9.4.2007 को जारी किया गया। मुख्य निष्कर्षों में अन्यों के साथ-साथ बच्चों के शारीरिक और यौन उत्पीड़न तथा भावनात्मक उत्पीड़न और बालिकाओं की उपेक्षा किया जाना शामिल हैं।

(ग) सरकार सभी तरह के बाल उत्पीड़न के उन्मूलन हेतु प्रतिबद्ध है।

(घ) और (ङ) भारत के महापंजीयक द्वारा कराया जाने वाला दस वर्षीय आंकड़ा कामकाजी बच्चों के बारे में सर्वाधिक प्रामाणिक आंकड़ा है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्यरत बच्चों की संख्या 12 लाख है।

[अनुवाद]

यूकेलिप्टस का पौधारोपण

5291. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों में राज्य-वार कुल कितने क्षेत्र पर यूकेलिप्टस के पौधे लगाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इसके पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) पर्यावरण और वन मंत्रालय, वार्षिक बीस सूत्रीय कार्यक्रम के लक्ष्य के लिए मात्र दो पैरामीटरों में नामशः कवर किए गए क्षेत्र और रोपी गई पौध के संबंध में देश में पौध रोपण की मानीटरी करता है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने देश में यूकेलिप्टस प्रजातियों के पौधरोपण को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। तथापि, मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय वनीकरण (एन ए पी) के अंतर्गत परियोजना क्षेत्र में रोपी जाने वाली प्रजातियों के चयन का निर्णय ग्राम-स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सदस्यों के परामर्श से किया जाता है, जिसमें स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं और पारिस्थितिकीय कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

यूरिया घोटाला

5292. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1996 में हुए यूरिया घोटाले की सम्पूर्ण धनराशि की वसूली कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त धनराशि को वसूल करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) और (ख) आईसीसी अधिकरण द्वारा दिनांक 3.12.1996 को एनएफएल के पक्ष में 14.11.

1995 से 37.62 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर 5% की दर से ब्याज सहित लगभग 40.69 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान करने के लिए अपना अंतिम निर्णय दिए जाने के अनुसरण में एनएफएल ने मैसर्स कर्सन और उसके कार्यपालकों तथा विभिन्न देशों/क्षेत्राधिकार में उनकी सहायक कंपनियों के खिलाफ कार्यवाहियां प्रारंभ की हैं। इसके परिणामस्वरूप, जेनेवा (स्विटजरलैंड) में मैसर्स कर्सन के खाते से 102 लाख रुपए (225.940 अमेरिकी डॉलर) तथा श्री और श्रीमती वेपुरिस, न्यूयार्क, अमेरिका द्वारा धोखे से ली गई राशि में से 6.0 लाख रुपए (13.435 अमेरिकी डॉलर) की वसूली की गई है। ऐसा समझा जाता है कि शेष राशि को कर्सन के कार्यपालकों, उनके संबंधियों और विभिनन देशों में उनकी सहायक कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) उर्वरक विभाग द्वारा वसूली के मामले की निगरानी/समीक्षा नियमित रूप से एनएफएल, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के परामर्श से की जा रही है। एनएफएल संबंधित राशि की वसूली के लिए विभिन्न देशों अर्थात् स्विटजरलैंड, मोनाको, तुर्की, अमेरिका, बहरीन और हैदराबाद (भारत) में इन लोगों के खिलाफ वसूली कार्यवाहियां कर रहा है। अमेरिका में श्री और श्रीमती वेपुरिस, मैसर्स कर्सन के एसोसिएट के खिलाफ एनएफएल के पक्ष में 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ब्याज की राशि प्रदान करने के प्रारंभिक निर्णय का पालन किया जा रहा है, जिसमें उनकी आवास संपत्ति सहित अन्य पता लगाई गई परिसंपत्तियां भी शामिल हैं।

राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम

5293. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पनधारा योजना का क्रियान्वयन विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पनधारा विकास पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सभी पनधारा विकास कार्यक्रमों को एक ही मंत्रालय के अंतर्गत लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस पर अब तक क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) देश में कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न पनधारा स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ख) वर्तमान में निम्नलिखित मुख्य पनधारा विकास स्कीमें कार्यान्वयनाधीन हैं:–

(I) कृषि मंत्रालय के जरिये:

1 वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना

2 नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदियों के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण

3 झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास कार्यक्रम

(II) ग्रामीण विकास मंत्रालय के जरिये।

1 सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

2 मरूस्थल विकास कार्यक्रम

3 समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम

चूंकि इन स्कीमों के उद्देश्य, अधिदेश और प्रचालन क्षेत्र अलग–अलग हैं, इसलिए इन विशिष्ट कार्यक्रमों का क्रियान्वयन विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा विभिन्न दिशा–निर्देशों के अंतर्गत किया जा रहा है। कृषि मंत्रालय की स्कीमों का अधिदेश कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना है, जबकि ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्कीमों का अधिदेश ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन आधार का विकास और अनुरक्षण है ताकि रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सके तथा सामाजिक–आर्थिक सुधार लाया जा सके।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा देश में शुष्क भूमि एवं वर्षासिंचित कृषि के सुव्यवस्थित उन्नयन और प्रबंधन के संबंध में अत्यधिक अपेक्षित सूचना आदान उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 3 नवम्बर, 2006 के तहत पहले ही राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना की गई है। इस प्राधिकरण का अधिदेश बहुत से चालू कार्यक्रमों में समेकन और साहचर्यता लाना है तथा यह उनकी प्रगति के मामले में सलाह, दिशा–निर्देश एवं प्रबोधन का कार्य करेगा। यह प्राधिकरण एक नीति निरूपक और मानीटरिंग निकाय है तथा इसे वर्षासिंचित/शुष्क भूमि कृषि प्रणाली के विकास के लिए विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं सहित विभिन्न मंत्रालयों की सभी स्कीमों के लिए साझा दिशा–निर्देश तैयार करने और विभिन्न मौजूदा स्कीमों के दिशा–निर्देशों की जांच करने की भूमिका सौंपी गई है।

दिल्ली में पेड़ों की कटाई

5294. श्री रघुनाथ झा : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान दिल्ली में बहुत से पेड़ों को उखाड़ा गया है या काटा गया है;

(ख) यदि हां, तो इन पेड़ों को उखाड़े जाने/काटे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) पेड़ों को उखाड़े जाने या कटाई से संबंधित सरकार की नीति क्या है;

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान कितने पौधे लगाए गए तथा उसमें से आज की तिथि तक कितने पौधे जीवित हैं; और

(ङ) दिल्ली को हरा–भरा तथा प्रदूषण मुक्त रखने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा) : (क) और (ख) गत पांच वर्षों के दौरान दिल्ली में मुख्यतः महत्वपूर्ण विकासात्मक परियोजनाओं जैसे सड़क चौड़ा करना, फ्लाई ओवरों का निर्माण, दिल्ली मैट्रो कार्पोरेशन परियोजनाओं, हाई कैपेसिटी बस सिस्टम परियोजनाओं आदि के कारण काफी पेड़ उखाड़े गए हैं। पेड़ों को उखाड़ने की अनुमति दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत दी गई है।

(ग) से (ङ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(i) दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 10 "वृक्ष रोपण की बाध्यता" के संबंध में है, जो इस प्रकार है:

प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के तहत किसी वृक्ष को काटने या निपटान की अनुमति प्रदान की जाती है, उसे उस क्षेत्र में जहां से उसने ऐसी अनुमति के तहत वृक्ष को काटा है या निपटान किया है, वृक्ष अधिकारी के निदेशानुसार वृक्षों की संख्या और किस्म रोपित करनी होगी : बशर्ते वृक्ष अधिकारी, लिखित में रिकार्ड किए गए कारणों से, रोपित किए जाने वाले पेड़ों की कम संख्या या वृक्षों को किसी दूसरे क्षेत्र में रोपित करने या किसी व्यक्ति को कोई वृक्ष रोपित करने या देखभाल करने की बाध्यता से छूट की अनुमति दे सकता हैं

(ii) उपभोक्ता अभिकरण द्वारा काटे जाने वाले वृक्षों के लिए एक वृक्ष के बदले दस वृक्ष और स्थानान्तरित किए जाने वाले वृक्ष के लिए एक वृक्ष के बदले वृक्ष की दर से क्षतिपूर्ति पौधरोपण किया जाता है।

(iii) गत पांच वर्षों के दौरान बोई गई पौद की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	रोपित की गई पौद की संख्या	रोपण के लिए निःशुल्क बांटी गई पौद की संख्या
2002–03	6.07 लाख	2.46 लाख
2003–04	8.44 लाख	3.00 लाख
2004–05	9.04 लाख	4.26 लाख
2005–06	10.17 लाख	6.17 लाख
2006–07	11.76 लाख	6.71 लाख

- वन विभाग के अतिरिक्त विभिन्न विभागों द्वारा पौधारोपण किया गया है जैसे दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, ईको टास्क फोर्स, लोक निर्माण विभाग, विकास विभाग, नई दिल्ली नगर परिषद्, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली छावनी बोर्ड आदि।
- वास्तविक जीविता निर्धारित नहीं की गई है, तथापि, प्रत्यक्ष अनुमान लगभग साठ से सत्तर प्रतिशत है।

दिल्ली को हरा–भरा रखने के लिए किए गए उपायः

- उपभोक्ता अभिकरण द्वारा काटे जाने वाले वृक्षों के लिए एक वृक्ष के बदले दस वृक्ष और स्थानान्तरित किए जाने वृक्ष के लिए एक वृक्ष के बदले पांच वृक्ष की दर से क्षतिपूर्ति पौधरोपण किया जाता है।
- वृक्षावरण में बढ़ोत्तरी के लिए प्रति वर्ष विभिन्न विभागों के लिए तथ्य निर्धारित किए जाते हैं।
- रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन, किचन गार्डन एसोसिएशन्स, 452 पेट्रोल पम्पों, 70 मदर डेयरी, 57 सी एन जी स्टेशनों आदि के माध्यम से जन सहभागिता से अधिकतर क्षेत्र हरा–भरा करने के लिए रोपण हेतु जनता को निःशुल्क पौद वितरित की जाती है।
- भाटी माइन्स के 2100 एकड़ क्षेत्र के पौधारोपण और सुरक्षा के लिए प्रादेशिक सेना की ईको टास्क फोर्स की 147 जवानों वाली एक बटालियन भी लगी हुई है।
- जन जागरूकता सृजित करने के लिए रोपण गतिविधियों, बच्चों के लिए प्रतियोगिता आदि के साथ विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व वानिकी दिवस मनाए जाते हैं।
- 1600 ईको क्लब के स्कूली बच्चे रोपण अभियान चलाते हैं।

कामगारों का शोषण

5295. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल श्रम पर प्रतिबंध होने के बावजूद देश के विभिन्न भागों में बीड़ी तथा कालीन उद्योग में महिलाओं एवं बच्चों का शोषण जारी है जैसा कि दिनांक 28 अप्रैल, 2007 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य–वार सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आए हैं; और

(ग) प्रत्येक मामले पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) सरकार ने बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 15 जोखिमकारी व्यवसायों तथा 57 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया है जिसमें बीड़ी तथा कालीन उद्योग भी शामिल हैं।

(ख) राज्य सरकारें अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों में बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन), अधिनियम, 1986 के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु समुचित सरकारें हैं। गत तीन वर्षों के दौरान किए गए निरीक्षणों, पाए गए उल्लंघनों तथा शुरू किए गए अभियोजनों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	किए गए निरीक्षणों की संख्या			पाए गए उल्लंघनों की संख्या			शुरू किए गए अभियोजनों की संख्या		
		2003–04	2004–05	2005–06	2003–04	2004–05	2005–06	2003–04	2004–05	2005–06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र	9	23	*	0	23	*	0	0	*
2.	आंध्र प्रदेश	29355	14736	11220	16395	9211	8099	4870	1212	6124
3.	अरुणाचल प्रदेश	36	199	199	0	13	13	24	11	11
4.	असम	1888	497	*	38	48	*	12	0	*
5.	बिहार	36835	22800	19984	5431	4332	3488	385	259	147
6.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	1965	251	1427	0	0	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	966	1427	*	0	0	*	1	4	*
8.	दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र	670	0	77	0	0	0	0	0	0
9.	दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	310	405	380	0	0	0	0	0	0
10.	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	1017	1400	*	209	243	*	66	74	*
11.	गोवा	218	147	387	0	0	0	0	0	0
12.	गुजरात	323	47	2560	177	320	1219	29	106	23
13.	हरियाणा	2830	1200	1136	42	40	0	38	13	0
14.	हिमाचल प्रदेश	1749	1096	0	0	0	0	1	0	0
15.	जम्मू और कश्मीर	2393	2600	2180	9	2	19	9	2	19
16.	झारखंड	4086	3355	*	444	528	*	76	612	*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	कर्नाटक	17427	16253	27601	1508	1434	2405	2781	612	1078
18.	केरल	1140	4414	5874	29	22	20	0	1	1
19.	लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	1101	5319	5360	28	54	37	28	54	37
21.	महाराष्ट्र	13170	27228	*	124	70	*	17	32	*
22.	मणिपुर	134	244	241	0	0	0	0	0	0
23.	मेघालय	205	229	662	0	0	0	0	0	0
24.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	नागालैण्ड	6681	5750	0	0	0	0	0	0	0
26.	उड़ीसा	163	239	*	162	177	*	3	5	*
27.	पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र	12497	17494	3262	0	0	0	0	0	0
28.	पंजाब	4389	1320	*	36	2	*	35	2	*
29.	राजस्थान	3603	2832	3350	8	12	0	0	7	13
30.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	185	0
31.	तमिलनाडु	156811	145745	69498	670	1609	173	302	590	244
32.	त्रिपुरा	336	844	898	0	0	0	0	0	0
33.	उत्तर प्रदेश	8496	3	1926	860	0	246	399	31	19
34.	उत्तरांचल	2589	847	2178	0	0	0	0	0	0
35.	पश्चिम बंगाल	10726	6517	5000	172	96	78	0	0	0
	योग	324118	285461	165400	26342	18236	15797	9076	3812	7716

* राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

वर्कर्स बैंक

5296. श्री मिलिन्द देवरा : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय श्रमिक सम्मेलन (आईएलसी) में 'वर्कर्स बैंक' स्थापित करने, जिसमें बेहतर लाभ के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) तथा कामगारों की कटौतियों को जमा किया जा सके, के सुझाव पर विचार करने के लिए सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां तो 'वर्कर्स बैंक' स्थापित करने के लिए अंतिम निर्णय के कब तक ले लिए जाने की संभावना है; और

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि तथा अन्य भविष्य निधि जमाओं की कितनी धनराशि पड़ी हुई है जिसे बेहतर लाभ के लिए, 'वर्कर्स बैंक' में रखा जा सके?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने 27.1.2007 को आयोजित अपनी 178वीं बैठक में श्रम और रोजगार मंत्रालय में "वर्कर्स कैपिटल ट्रस्ट" को बनाने की संभावना की जांच करने हेतु गठित समिति को, "वर्कर्स बैंक" का मुद्दा भेज दिया है।

कामगारों के अधिकार

5297. श्री अबु अयीश मंडल : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केन्द्र सरकार के कामगारों के संबंध में वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान की श्रम अनुसंधान सम्बन्धी रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कामगारों के ट्रेड यूनियन अधिकारों की सुरक्षा के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के कर्मचारियों पर लागू है। अधिनियम का प्रचालन सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

होटलों द्वारा अधिक प्रभार लगाया जाना

5298. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में कई बड़े होटल/रेस्तरां डिब्बा बंद पानी तथा अन्य खाद्य पदार्थों के लिए अपने उपभोक्ताओं से बहुत अधिक कीमत वसूल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन प्रतिष्ठानों द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक कीमत वसूले जाने की सीमा निर्धारित करने के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) ऐसे दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) ऐसे प्रतिष्ठानों द्वारा अधिक प्रभार लगाए जाने को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं करवाया गया है।

(घ) और (ङ) कार्रवाई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा बाट तथा माप मानक अधिनियम, 1976 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार 497 मामले दर्ज किए गए जिनमें से 300 मामलों को समझौता द्वारा निपटा दिया गया है, आठ मामले न्यायालय में दायर किए गए हैं तथा बाकियों पर कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

पेट्रो रसायनों की मांग

5299. श्री महावीर भगोरा : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रो-रसायनों की कितनी मांग और उपलब्धता दर्ज की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पेट्रो-रसायन क्रैकर काम्पलेक्सेस की उत्पादन क्षमता और वास्तविक उत्पादन कितना है;

(ग) क्या सरकार का विचार नए काम्पलेक्स स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान पेट्रो-रसायनों की कितनी मात्रा में आयात और निर्यात रिकार्ड किया गया है; और

(च) उक्त अवधि के दौरान पेट्रो-रसायन क्षेत्र को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) पेट्रोरसायन की मांग व उपलब्धता निम्नानुसार है:-

(इकाई हजार टनों में)

उत्पादन	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4
पॉलीमर्स			
मांग प्रक्षेपण*	4949	5141	5760
उपलब्धता (घरेलू उत्पादन + आयात)	5959	5192	5490
सिंथेटिक फाइबर			
मांग प्रक्षेपण	1971	2096	2229
उपलब्धता (घरेलू उत्पादन + आयात)	2023	2067	2068
सिंथेटिक रबड़			
मांग प्रक्षेपण	169	184	203
उपलब्धता (घरेलू उत्पादन + आयात)	266	307	350

1	2	3	4
सर्फेक्टैंट इंटरमीडिएट			
मांग प्रक्षेपण	486	526	569
उपलब्धता (घरेलू उत्पादन + आयात)	456	498	551

* पेट्रोरसायन की मांग विभिन्न अंतिम प्रयोग क्षेत्रों जैसे पॉलीमर्स के लिए प्लास्टिक प्रोसेस्ड वस्तुएं, सिंथेटिक फाइबर के लिए टेक्सटाइल्स, रबड़ के लिए ऑटोमोबाइल टायर व गैर-टायर अनुप्रयोग तथा सर्फेक्टैंट इंटरमीडिएट के लिए डिटर्जेंट/सर्फेक्टैंट में पेट्रोरसायन की खपत से प्रजनित की गई है। पेट्रोरसायन की मांग की गणना, पूर्व खपत आंकड़े के साथ प्रक्षेपित वृद्धि दर के आधार पर की गई है।

(ख) पालीमर्स, सिंथेटिक फाइबर इंटरमीडिएट्स एवं सिंथेटिक रबड़ का विनिर्माण पेट्रोरसायन क्रैकर परिसरों से होता है। पॉलीमर, सिंथेटिक फाइबर इंटरमीडिएट्स व सिंथेटिक रबड़ की क्षमता व उत्पादन निम्नानुसार है।

इकाई : हजार टन में

उत्पादन	2004-05	2005-06	2006-07
पॉलीमर्स			
क्षमता	2945	2945	2945
उत्पादन	3319	3380	3198
सिंथेटिक फाइबर इंटरमीडिएट			
क्षमता	514	514	582
उत्पादन	699	756	738
सिंथेटिक रबड़			
क्षमता	50	50	50
उत्पादन	64	67	72

(ग) और (घ) पेट्रोरसायन उद्योग विनियमनमुक्त एवं लाइसेंस मुक्त है। वर्ष 2006-07 के दौरान सरकार ने शीर्ष प्रोमोटर के रूप में भारतीय गैस प्राधिकरण के साथ, 70% गेल, 10% ऑयल इंडिया लि. 10% नुमालीगढ़ रिफाइनरी एवं 10% असम स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (असम सरकार) के इक्विटी समझौते के साथ असम के डिब्रूगढ़ जिले के लापेटकाटा में असम गैस क्रैकर परियोजना को अनुमोदित किया है। इस परियोजना में 60,000 टीपीए पॉलीप्रोपाइलीन एवं 220,000 टीपीए हाईडेंसिटी पॉलीइथाइलीन (एचडीपीई)/लीनियर लो डेंसिटी पॉलीइथाइलीन (एलएलडीपीई) का उत्पादन होगा।

(ङ) पेट्रोरसायन का आयात व निर्यात निम्नानुसार है:-

(इकाई : हजार टन में)

उत्पादन	2003-04	2004-05	2005-06
कमोडिटी पॉलीमर्स			
आयात	450	416	732
निर्यात	843	1015	695
सिंथेटिक फाइबर			
आयात	140	172	145
निर्यात	139	175	171
सिंथेटिक रबड़			
आयात	179	210	240
निर्यात	8	7	22
सर्फेक्टैंट इंटरमीडिएट			
आयात	3	10	6
निर्यात	42	67	108

(च) पेट्रोरसायन का विनिर्माण लाइसेंसमुक्त व विनियमनमुक्त उद्योग है। वर्ष 2004-05, 2005-06 व 2006-07 के दौरान कोई निधि प्रदान नहीं की गई है।

[अनुवाद]

सेल द्वारा केरल में निवेश

5300. श्री सी.के. चन्द्रप्पन : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में स्थित स्टील काम्पलेक्स लिमिटेड, सरकारी क्षेत्र के इस्पात उपक्रम में निवेश करने के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण निगम (सेल) से संपर्क किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर अब तक सेल की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) जी, हां।

(ख) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के एक दल ने मौजूदा सुविधाओं का जायजा लेने के लिए स्टील कॉम्पलेक्स लिमिटेड (एससीएल), कालीकट, केरल का दौरा किया है और संयंत्र के इंजीनियरों के साथ विचार-विमर्श किया है।

[हिन्दी]

उद्वह सिंचाई के अंतर्गत उपलब्धियां

5301. श्री वी.के. ठुम्मर : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं योजना के दौरान उद्वह सिंचाई के प्रोत्साहन के लिए राज्यवार और वर्षवार कितनी धनराशि आबंटित, जारी और उपयोग की गई;

(ख) इस अवधि के दौरान इसके अंतर्गत राज्यवार और वर्षवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और कितनी सफलता हासिल की गई है; और

(ग) ग्यारहवीं योजना के दौरान उद्वह सिंचाई के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उड़ीसा में उर्वरक बिक्री केन्द्र

5302. श्री सुग्रीव सिंह : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में उड़ीसा में कितने उर्वरक बिक्री केन्द्र काम कर रहे हैं;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में उर्वरक बिक्री केन्द्रों को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) वर्तमान में उड़ीसा में लगभग 20,439 उर्वरक बिक्री केन्द्र काम कर रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बांस को बढ़ावा

5303. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत बांस उगाने तथा उसको बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान योजना आयोग द्वारा राज्यवार अग्रेसित/स्वीकृत ऐसे प्रस्तावों की संख्या कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग ने वर्ष 2006–07 के दौरान समूचे देश में क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय बांस मिशन संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की शुरूआत की है। वर्ष 2006–07 के दौरान बांस के प्रोत्साहन के लिए अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड (2 प्रस्ताव), उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से कुल 14 प्रस्ताव इस विभाग को प्राप्त हुए थे। मिशन की राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा इन प्रस्तावों पर 27 फरवरी और 19 मार्च, 2007 को हुई इसकी बैठक में विचार किया गया था और इनको अनुमोदित किया गया था। इन प्रस्तावों में नर्सरी, क्षेत्र विस्तार, मानव संसाधन विकास, कीट एवं रोग प्रबंध, सूक्ष्म सिंचाई आदि नामक विभिन्न घटक शामिल हैं।

फल एवं सब्जी व्यापार

5304. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत विश्व की सब्जी का 11 प्रतिशत और फलों का 1.5 प्रतिशत उत्पादन विश्व मूल्य के 53–63 प्रतिशत की दर से करता है किन्तु इसका विश्व में फल एवं सब्जी व्यापार में क्रमशः मात्र 1.7 प्रतिशत और 0.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारत का फल एवं सब्जी व्यापार संबंधी विश्व बैंक की हाल की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) वर्ष 2005 के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन के उत्पादन डाटाबेस के अनुसार सब्जियों और फलों के वैश्विक उत्पादन में भारत का अंश क्रमशः 9.2% और 10.47% था और सब्जियों तथा फलों के वैश्विक निर्यात में इसका अंश क्रमशः 3.72% तथा 0.36% था।

(ग) और (घ) "घरेलू प्रतिस्पर्धा से विदेशी प्रतिस्पर्धा में आना : भारतीय बागवानी का मामला अध्ययन" नामक विश्व बैंक रिपोर्ट बागवानी उत्पादों में विश्व व्यापार पर विचार करती है तथा जिंसों के चयनित समूह हेतु भारत की व्यापार नीति की जांच करती है। यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा 22 दिसम्बर, 2005 को कृषि मंत्रालय में इसकी चर्चा की

गई और यह महसूस किया गया कि इस रिपोर्ट के कुछ निष्कर्षों की आगे वैधीकरण की जरूरत है। अंतिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

इस्पात परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी

5305. श्री अनन्त नायक : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में इस्पात परियोजना की स्थापना हेतु कितने प्रस्ताव वन एवं पर्यावरणीय मंजूरी हेतु लंबित हैं;

(ख) क्या इनमें से कोई परियोजना आरक्षित वनक्षेत्र में स्थापित की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) उड़ीसा में स्टील परियोजनाओं के तेरह प्रस्ताव पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित है। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार इनमें से केवल एक परियोजना प्रस्ताव परियोजना के विस्तार के लिए है जिसमें सम्बलपुर वन डिवीजन में गांव वन (ग्राम्य जंगल) का लगभग 43.407 हैक्टेयर शामिल है जिसके लिए परियोजना प्राधिकारियों द्वारा उड़ीसा राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए पहले ही एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

उड़ीसा में स्टील परियोजना स्थापित करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत कोई प्रस्ताव वन मंजूरी हेतु लंबित नहीं है।

[हिन्दी]

पॉलीमर का उत्पादन

5306. श्री महावीर भगोरा : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा तत्पश्चात् देश में पॉलीमर की कितनी मात्रा में मांग, आपूर्ति, खपत और उत्पादन रिकार्ड किया गया;

(ख) क्या भारत प्रति व्यक्ति पॉलीमर की खपत के मामले में दुनिया में सबसे कम खपत वाले देशों में से एक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पॉलीमर का उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति खपत बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त क्षेत्र को कितनी राशि जारी की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) पॉलीमर की मांग, आपूर्ति, उत्पादन व खपत निम्नानुसार है:–

(हजार टन में)

उत्पादन	2003–04	2004–05	2005–06
पॉलीमर्स			
मांग*	4592	5141	4852
आपूर्ति (घरेलू उत्पादन + आयात)	4949	5192	5490
उत्पादन	4499	4776	4768
खपत (घरेलू उत्पादन + आयात – निर्यात)	4106	4177	4795

पेट्रोरसायन की मांग प्लास्टिक प्रोसेस्ड वस्तुओं के विभिन्न अंतिम प्रयोग क्षेत्रों में पेट्रोरसायनों की खपत से प्राप्त की गई है। पेट्रोरसायन की मांग की गणना पूर्व खपत आंकड़े के साथ प्रक्षेपित वृद्धि दर के आधार पर की गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। भारत में प्रति व्यक्ति खपत 4.5 किलोग्राम है जबकि विश्व औसत 25 किलोग्राम है। पेट्रोरसायन उद्योग विनियममुक्त व लाइसेंसमुक्त है। सरकार की भूमिका सुविधाप्रदाता के रूप में है। सरकार, समुचित नीतिगत वातावरण के माध्यम से पेट्रोरसायन उद्योग में निवेश और डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग में मूल्य वर्धन तथा प्रमुख क्षेत्रों में उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है।

(घ) पॉलीमर्स का विनिर्माण लाइसेंसमुक्त एवं विनियमनमुक्त उद्योग है। विगत तीन वर्षों के दौरान कोई निधि निर्गत नहीं की गई है।

[अनुवाद]

सूखा राहत निधि का उपयोग

5307. श्री सुग्रीव सिंह :
श्रीमती किरण माहेश्वरी :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा उपयोग की गई सूखा राहत निधि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकारों द्वारा उक्त निधि के दुरुपयोग के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने लगातार सूखे का सामना कर रहे राज्यों के लिए एक सूखा संहिता तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इससे सूखा प्रभावित राज्य कितने प्रभावित हुए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) गृह मंत्रालय सूखा सहित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में सहायता प्रदान करने के लिए राहत स्कीमों अर्थात् आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष, के प्रचालन की देखभाल के लिए नोडल मंत्रालय है। सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) से (च) सूखे की स्थिति में आवश्यक उपाय करना प्रमुखतया संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। भारत सरकार वित्तीय एवं संभार सहायता के साथ राज्यों के प्रयासों को अनुपूरित करती है। अधिकांश राज्य सरकारों के पास सूखे से विशिष्ट रूप से सम्बद्ध राहत संहिता अथवा अभाव पुस्तिका है।

कीट प्रबंधन हेतु "बायो कंट्रोल एजेन्ट्स" का उपयोग

5308. श्री असादुद्दीन ओवैसी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फसल कीटों को नियंत्रित करने में "बायो कंट्रोल एजेन्ट्स" का उपयोग कृषि में कीटों और बीमारियों के प्रबंधन हेतु एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय रूप से सुरक्षित विकल्प के तौर पर उभरा है;

(ख) यदि हां, तो क्या जानकारी के अभाव में किसान इसे अभी भी बड़े पैमाने पर अपना नहीं सके हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा कीट प्रबंधन हेतु बायो कंट्रोल एजेन्ट्स को अपनाने हेतु किसानों के लिए कोई विशेष प्रचार योजना शुरू की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जैव-नियंत्रण एजेंट, समेकित कीट प्रबंधन के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभर रहे हैं, जो कीट नियंत्रण का मूलभूत सिद्धांत है। तथापि वे पर्यावरण-अनुकूल उत्पाद हैं, फिर भी वे रसायन कृमिनाशी का पूर्ण विकल्प नहीं हो सकते।

(ग) और (घ) समेकित कीट प्रबंधन के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में जैविक नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार वर्ष 1991-92 से "भारत में कीट प्रबंधन अवधारणा का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण" नामक स्कीम कार्यान्वित कर रही है। इसके तहत, कीट/रोग मॉनीटरिंग, जैव-नियंत्रण एजेंटों/जैव-कृमिनाशियों का उत्पादन और निर्मुक्ति, जैव-नियंत्रण एजेंटों का संरक्षण तथा आई पी एम में मानव संसाधन विकास जैसे उद्देश्यों के लिए 31 केन्द्रीय आई पी एम केंद्र कार्य कर रहे हैं। किसान फील्ड स्कूलों की श्रृंखला गठित करके किसानों/राज्य विस्तार कार्यकर्ताओं के बीच जागरूकता सृजन के जरिए जैव नियंत्रण एजेंटों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 1994-95 से 2005-06 तक सी आई पी एम सी ने 77.88 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए कृषक फील्डों में 25385 मिलियन जैव नियंत्रण एजेंटों का उत्पादन और निर्मुक्ति की है।

भारत सरकार, जैविक नियंत्रण हेतु जैविक नियंत्रण एजेंटों की उत्पादन सुविधाओं की स्थापना के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेश/गैर सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान कर रही है।

मक्का के संकर बीज

5309. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के किसानों को मोनासान्ये द्वारा आपूर्ति किए गए मक्का के संकर बीज "डिकैल्बो" पारम्परिक बीजों से अधिक उपज देने जैसा कि कंपनी द्वारा प्रचारित किया गया था, में असफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन बीजों की असफलता के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इसके परिणामस्वरूप किसानों को हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति किस प्रकार किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि महबूब नगर और करीमनगर जिलों के किसानों से मक्का संकर डीईसीएएलबीओ (पिनैकल) के दुर्बल निष्पादन के बारे में शिकायते मिली हैं। इस खराब निष्पादन का कारण एन्थेसिस और परागण साथ-साथ घटित न होना है। बीज स्थापन खराब था और उपज में हानि हुई। वैज्ञानिक दल की रिपोर्टों के आधार पर महबूबनगर और करीमनगर जिले के किसानों को क्रमशः 16.16 लाख रु. और 13.5 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया।

गुणवत्ता मानकों संबंधी प्रकाशन

5310. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित 'भारतीय मानक' शीर्षक वाला एक प्रकाशन जारी किया है जिसमें आम खाद्य वस्तुओं में अपमिश्रण/संदूषणों का शीघ्र पता लगाने हेतु तरीके दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या है; और

(ग) उक्त प्रकाशन को अब तक क्या प्रतिक्रिया मिली है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) भारतीय मानक ब्यूरो ने 'आम खाद्य वस्तुओं में अपमिश्रण/संदूषणों का शीघ्र पता लगाने की पद्धति' नामक भारतीय मानक आई एस 15642 (भाग 1 और 2) : 2006 प्रकाशित किया है।

(ख) मानक में खाद्य अपमिश्रण और संदूषण का पता लगाने के लिए देखकर जांच करना, वास्तविक पद्धतियां और कतिपय रसायनिक पद्धतियां शामिल हैं। ऐसे मानक का विकास करने का उद्देश्य खाद्य की गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ता जागरूकता और आम किस्म के खाद्य संदूषण का पता लगाने के लिए जागरूकता का संवर्धन करना है।

(ग) यह मानक उपभोक्ताओं के मार्गदर्शन के लिए है।

कृषि विकास के लिए रणनीति

5311. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि विकास के लिए राज्य–वार रणनीतियां तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के पिछड़े, आदिवासी, पर्वतीय तथा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए कोई विशेष व्यवस्था करने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) सरकार ने देश में कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में वृद्धि में तेजी लाने के लिए एक कार्यनीति का निरूपण किया है। सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए बहुत से क्रियाकलाप किए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ–साथ ऋण नीति की घोषणा शामिल है जिसके तहत कृषि क्षेत्र में ऋण की राशि में वृद्धि करने की परिकल्पना की गई है। सरकार ने सहकारी ऋण व्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए एक पैकेज का निरूपण किया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन बागवानी के विकास के लिए शुरू की गई है और 2006–07 के दौरान 18 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों को एन एच एम के तहत कवर किया गया है। वृहत प्रबंध संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम यह सुनिश्चित करने के लिए क्रियान्वित की जा रही है कि केन्द्रीय सहायता राज्यों में कृषि के विकास के लिए संकेन्द्रित और विशिष्ट क्रियाकलापों पर खर्च हो। इस स्कीम के तहत राज्यों को उनकी क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यक्रमों का अनुसरण करने के लिए पर्याप्त शिथिलता प्रदान की गई है।

(ग) और (घ) कुछ स्कीमों के तहत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/लघु/सीमान्त किसानों को उच्चतर सब्सिडी/विशेष सहायता दी गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में बागवानी की क्षमता का दोहन करने के लिए भारत सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड में बागवानी के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को मंजूरी दी है।

आई डी पी एल का पुनरुद्धार

5312. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों हेतु पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आर पी एस ई) ने इण्डियन ड्रग एंड फार्मास्युटिकल लिमिटेड (आई डी पी एल) के पुनरुद्धार के लिए 3760 करोड़ रुपए की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कंपनी की 2600 करोड़ रुपए की देयता को माफ करने पर सहमत हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 2006–07 के दौरान आई डी पी एल को हुई कुल हानि का ब्यौरा क्या है; और

(च) पुनरुद्धार के लिए चिह्नित की गई आई डी पी एल की इकाइयों के नाम क्या हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) ने इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (आईडीपीएल) के पुनरुद्धार की सिफारिश की है। बीआरपीएसई की सिफारिशों में, अन्य बातों के साथ–साथ, ब्याज सहित ब्रिज ऋण के रूप में 361 करोड़ रु. की नकद सहायता तथा ऋण/ब्याज/गारंटीशुल्क में माफी के रूप में 2861.76 करोड़ रु. की गैर–नकदी सहायता तथा शामिल है बशर्ते कि आईडीपीएल अपेक्षित भौतिक व वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर लें।

बीआरपीएसई की सिफारिशों को आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

(ङ) अब आईडीपीएल ने सूचित किया है कि 2006–07 के दौरान इसके द्वारा 1 करोड़ रु. का प्रचालन लाभ अर्जित करने की संभावना है। इन आंकड़ों की लेखा परीक्षा होनी है।

(च) आईडीपीएल की सभी इकाइयों यानि; ऋषिकेश, हैदराबाद, गुड़गांव, आईडीपीएल (तमिलनाडु) एवं बिहार ड्रग्स एंड ऑरगेनिक केमिकल्स लि., मुजफ्फरपुर का पुनरुद्धार प्रस्तावित है।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों, मैं नहीं समझता कि इस तरीके से सभा की कार्यवाही चल सकती है। सभा की कार्यवाही मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.22 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 पुनः बजे समवेत हुई

*(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : मैं कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के वर्ष 2007–2008 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6413/2007]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : मैं श्री ए.के. एंटनी की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं–

(1) भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6414/2007]

(2) भारत डायनामिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6415/2007]

(3) गार्डेन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6416/2007]

(4) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6417/2007]

(5) मझगांव डाक लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6418/2007]

(6) मिश्र धातु निगम लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6419/2007]

(7) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6420/2007]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : मैं श्री सुशील कुमार शिंदे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6421/2007]

(दो) नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6422/2007]

(2) दामोदर वैली कारपोरेशन अधिनियम, 1948 की धारा 44 की उपधारा (3) के अंतर्गत दामोदर वैली कारपोरेशन, के

वर्ष 2007–2008 के वार्षिक बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6423/2007]

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कर्मचारिवृन्द की भर्ती, नियंत्रण और सेवा शर्तें) विनियम, 2007 जो 16 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2/2(1)/2006–सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड से संयोजकता के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2007 जो 9 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 12/x/एसटीडी (सीओएनएन)/जीएम/सीईए में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6424/2007]

(4) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) ऊर्जा कुशलता ब्यूरो (लेखाओं और अभिलेखों के वार्षिक विवरण का प्रारूप) नियम, 2007 जो 5 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 173 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऊर्जा संरक्षण (अभिहित उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा उपभोग की स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के लिए प्रारूप और रीति) नियम, 2007 जो 5 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 174(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6425/2007]

(5) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की उपधारा 14 और 18 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) का.आ. 318(अ) जो 5 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अभिहित उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रबंधक आदि नामनिर्दिष्ट अथवा नियुक्त करने का निदेश दिया गया है तथा ऊर्जा संरक्षण (अभिहित उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा उपभोग की स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के लिए प्रारूप और रीति) नियम, 2007।

(दो) का.आ. 394(अ) जो 19 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की अनुसूची में उल्लिखित ऊर्जा प्रधान उद्योगों और अन्य स्थापनों की सूची में कतिपय परिवर्तन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6426/2007]

(6) (एक) ऊर्जा कुशलता ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऊर्जा कुशलता ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6427/2007]

अध्यक्ष महोदय : मद सं. 5, श्री सुरेश पचौरी – उपस्थित नहीं हैं।

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : मैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6429/2007]

[हिन्दी]

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं सैफुद्दीन सोज की ओर से, निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड तथा जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6430/2007]

(2) वाटर एण्ड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज (आई) लिमिटेड तथा जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6431/2007]

[अनुवाद]

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:–

(1) (एक) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6432/2007]

(3) (एक) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6433/2007]

(5) (एक) इलाहाबाद म्यूजियम सोसायटी, इलाहाबाद के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलाहाबाद म्यूजियम सोसायटी, इलाहाबाद के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6434/2007]

(7) (एक) सेंटर फार कल्चरल रिसोर्सेज एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार कल्चरल रिसोर्सेज एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6435/2007]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट फार मेडिकल साइंसेज एण्ड टेक्नालॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट फार मेडिकल साइंसेज एण्ड टेक्नालॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6436/2007]

महोदय, मैं क्रम सं. 34 में और नाम से सूचीबद्ध विवरण को सभा पटल पर रख सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय : हां।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मुझे खेद है। मैं समझ नहीं पाया कि आप क्या कह रहे थे। जब आपकी बारी आएगी तब आप ऐसा कर सकते

हैं। कुछ माननीय सदस्य बारी के अनुसार पत्र नहीं रख रहे हैं। आप अपनी बारी से पहले ऐसा नहीं करें।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हाण्डिक) : महोदय, मैं श्री आस्कर फर्नांडीस की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत शिक्षु (संशोधन) नियम, 2007 जो 16 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 293(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6437/2007]

(2) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 6घ के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2007 जो 15 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 380(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2007 जो 22 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 228(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6438/2007]

(3) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 1 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1190(अ) जो 27 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें उसमें उल्लिखित उन स्थापनाओं को विनिर्दिष्ट किया गया है जिनमें 20 अथवा अधिक व्यक्तियों को स्थापनाओं की श्रेणी के रूप में नियोजित किया गया है तथा जिन पर 27 जुलाई, 2006 से उक्त अधिनियम लागू होगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 20 जनवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 206 में प्रकाशित हुआ था।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6439/2007]

(5) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6440/2007]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हाण्डिक) : महोदय, मैं श्री प्रफुल पटेल की ओर से रेल अधिनियम, 1989 की धारा 10 के अंतर्गत मुख्य रेल सुरक्षा आयुक्त, लखनऊ के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6441/2007]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हाण्डिक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) मैं निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6442/2007]

(दो) फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के बीच हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6443/2007]

(तीन) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6444/2007]

(चार) प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6445/2007]

(पांच) एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुआ समझौता।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6446/2007]

(छह) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6447/2007]

(सात) राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6448/2007]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6449/2007]

(ख) (एक) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6450/2007]

(दो) ब्रह्मपुत्र वैली कारपोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा–परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महा–लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6451/2007]

(घ) (एक) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक– महा–लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6452/2007]

(ङ) (एक) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6453/2007]

(4) (एक) कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कृषक भारतीय कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6454/2007]

(6) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2002–2003, 2003–2004, 2004–2005 और 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6455/2007]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2000–2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6456/2007]

(ख) (एक) गुजरात स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, गांधी नगर के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, गांधी नगर का वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6457/2007]

(ग) (एक) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा–परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक– महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियां

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6458/2007]

(3) सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इम्फाल, मणिपुर के वर्ष 1998–1999 के वार्षिक लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6459/2007]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : अध्यक्ष महोदय, मैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 31 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) उपभोक्ता संरक्षण (दूसरा संशोधन) नियम, 2006 जो 4 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 462(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपभोक्ता संरक्षण (तीसरा संशोधन) नियम, 2006 जो 13 अक्टूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 673(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6460/2007]

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:–

(1) (एक) काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ पीपल्स एंड रूरल टेक्नालॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ पीपल्स एकशन एंड रूरल टेक्नालॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (१) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6461/2007]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) सा.का.नि. 284(अ) जो 11 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके

द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 292(अ) जो 13 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 257(अ) जो 29 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 4 अक्टूबर, 2005 की अधिसूचना संख्या 89/2005–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6462/2007]

(2) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) सा.का.नि. 288(अ) जो 12 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय संयुक्त अरब अमीरात और ईरान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित होने वाले व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट के आयातों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 291(अ) जो 13 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित होने वाले शुष्क सेल बैटरियों के भारत में आयात पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6463/2007]

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2007 जो 26 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 455(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6464/2007]

(4) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (बोर्ड द्वारा जारी सम्मन और सूचनाएं भेजने की रीति) (संशोधन) विनियम, 2007 जो 23 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसईबीआई/एलएडी/डीओपी/2232/2007 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (स्टॉक एक्सचेंज संबंधी विनियामक शुल्क) विनियम, 2006 जो 14 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2097(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6465/2007]

(5) प्रतिभूति संविदा विनियम, 2006 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एसईबीआई/एलएडी/डीओपी/1727/2007 जो 22 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 13 नवम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1950(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6466/2007]

(6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) सिक्यूरिटी प्रिंटिंग और मिंटिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिक्यूरिटी प्रिंटिंग और मिंटिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6467/2007]

(7) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन – संघ सरकार (2007 का संख्यांक 1) सिविल और डाक विभाग – (निष्पादन लेखापरीक्षा)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6468/2007]

(दो) मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन – संघ सरकार (सिविल)–(2007 का संख्यांक 2) – संव्यवहार लेखापरीक्षा टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6469/2007]

(तीन) मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन – संघ सरकार (सिविल)–(2007 का संख्यांक 3) – स्वायत्तशासी निकाय।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6470/2007]

(चार) मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन – संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2007 का संख्यांक 5) – वायु सेना और नौसेना।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6471/2007]

(पांच) मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन – संघ सरकार (2007 का संख्यांक 2) – वैज्ञानिक विभाग (निष्पादन लेखापरीक्षा)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6472/2007]

(छह) मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन – संघ सरकार (2007 का संख्यांक 7) – अप्रत्यक्ष कर (सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद – शुल्क और सेवा कर)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6473/2007]

(सात) मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन – संघ सरकार (2007 का संख्यांक 8) – प्रत्यक्ष कर।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6474/2007]

(आठ) मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन – संघ सरकार (2007 का संख्यांक 7) – अप्रत्यक्ष कर (सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद – शुल्क और सेवा कर निष्पादन लेखापरीक्षा)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6475/2007]

(नौ) मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन – संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2007 का संख्यांक 4) – सेना और आयुध निर्माणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6476/2007]

(दस) मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन – संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2007 का संख्यांक 4) – सेना और आयुध निर्माणियां (निष्पादन लेखापरीक्षा)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6477/2007]

(ग्यारह) मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन – संघ सरकार (सिविल) (2007 का संख्यांक 3) – स्वायत्तशासी निकाय (निष्पादन लेखापरीक्षा)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6478/2007]

(बारह) मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन – संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2007 का संख्यांक 5) – वायु सेना और नौसेना (निष्पादन लेखापरीक्षा)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6479/2007]

(तेरह) मार्च, 2006 को समाप्त – वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन – संघ सरकार (2007 का संख्यांक 8) – (प्रत्यक्ष कर) निष्पादन लेखापरीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6480/2007]

(चौदह) मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन – संघ सरकार (रेल) (2007 का संख्यांक 6) – संव्यवहार लेखा परीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6481/2007]

(पन्द्रह) मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन – संघ सरकार (रेल) (2007 का संख्यांक 6) – निष्पादन लेखापरीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6482/2007]

(सोलह) मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन – संघ सरकार (रेल) (2007 का संख्यांक 11) – आई टी लेखापरीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6483/2007]

(सत्रह) मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन – संघ सरकार (रेल) (2007 का संख्यांक 1) – संघ सरकार का लेखा।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6484/2007]

(8) वर्ष 2005–2006 के लिए संघ सरकार – वित्तीय लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6485/2007]

(9) वर्ष 2005–2006 के लिए संघ सरकार – वित्तीय लेखाओं (सिविल) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6486/2007]

(10) वर्ष 2005–2006 के लिए संघ सरकार – वित्तीय लेखाओं (डाक सेवाएं) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6487/2007]

(11) वर्ष 2005–2006 के लिए संघ सरकार – रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6488/2007]

(12) वर्ष 2005–2006 के लिए भारतीय रेल–विनियोग लेखे – भाग–I– समीक्षा लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) वर्ष 2005–2006 के लिए भारतीय रेल–विनियोग लेखे – भाग–II– (विस्तृत) – विनियोग लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) वर्ष 2005–2006 के लिए भारतीय रेल–विनियोग लेखे – भाग–II– (विस्तृत) – विनियोग लेखाओं (अनुबंध–छ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6489/2007]

(15) वर्ष 2006–2007 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा लिए गए बाजार ऋण के विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6490/2007]

(16) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 357(अ), जो 13 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 14 नवम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1961 (अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6491/2007]

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : अध्यक्ष महोदय, श्री एस. रघुपति की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) 28 अगस्त, 2003 को नानी दमन और मोती दमन को जोड़ने वाले दमन गंगा पुल ढह जाने के संबंध में न्यायमूर्ति आर.जे. कोचर, जांच आयोग का प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर की–गई कार्यवाही ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6492/2007]

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (श्री संतोष मोहन देव): मैं श्रीमती कांति सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6493/2007]

(2) भारत यंत्र निगम लिमिटेड तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6494/2007]

(3) नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6495/2007]

(4) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6496/2007]

(5) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6497/2007]

(6) एंड्रू यूले एंड कंपनी लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6498/2007]

(7) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6499/2007]

(8) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6500/2007]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) जी.बी. पन्त इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन इन्वायर्नमेंट एंड डेवलपमेंट, अल्मोड़ा के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जी.बी. पन्त इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन इन्वायर्नमेंट एंड डेवलपमेंट, अल्मोड़ा के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6501/2007]

[हिन्दी]

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) आन्ध्र प्रदेश स्टेट इरिगेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आन्ध्र प्रदेश स्टेट इरिगेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2002–2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6502/2007]

(ख) (एक) यू.पी. प्रोजैक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यू.पी. प्रोजैक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2003–2004 का वार्षि प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6503/2007]

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(एक) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6504/2007]

(दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6505/2007]

(तीन) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6506/2007]

(चार) बामर लॉरी एण्ड कम्पनी लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6507/2007]

(पांच) बाएक्को लॉरी लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6508/2007]

(छह) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6509/2007]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6510/2007]

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा–परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक– महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6511/2007]

अपराह्न 12.05 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त एक संदेश सभा को देती है:–

'मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने शुक्रवार 4 मई, 2007 को हुई अपनी बैठक में लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:–

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति में 20 फरवरी, 2007 को श्री चित्रब्रत मजूमदार के निधन के कारण हुए रिक्त हुए स्थान पर राज्य सभा एक सदस्य का निर्वाचन करे और यह प्रस्ताव करती है कि इस रिक्त स्थान को भरने के लिए उक्त संयुक्त समिति में एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से सभा के सदस्यों में से एक सदस्य का निर्वाचन करे।

2. मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसरण में श्री पी.आर. राजन, सदस्य, राज्य सभा को उक्त संयुक्त समिति के लिए विधिवत् निर्वाचित किया गया है।

अपराह्न 12.05½ बजे

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

बाईसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता, उत्तर–पूर्व) : महोदय, मैं शहरी विकास मंत्रालय के 'मुद्रण निदेशालय' विषय पर शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2006–07) का 22वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.06 बजे

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

सताइसवां से तीसवां प्रतिवेदन

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव (पार्वतीपुरम) : महोदय, मैं ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:–

(1) भू–संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2007–2008) संबंधी 27वां प्रतिवेदन;

(2) पेयजल आपूर्ति विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2007–2008) संबंधी 28वां प्रतिवेदन;

(3) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2007–2008) संबंधी 29वां प्रतिवेदन;

(4) पंजायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007–2008) संबंधी 30वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.06½ बजे

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति

(एक) छब्बीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस्पात मंत्रालय के "राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के निष्पादन की पुनरीक्षा" विषय के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का छब्बीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(दो) विवरण

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, मैं कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (चौदहवीं लोक सभा) के निम्नलिखित की–गई–कार्यवाही प्रतिवेदनों के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे अनुवर्ती कार्रवाई दर्शाने वाले विवरण के (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005–2006) के बारे में 12वां प्रतिवेदन।

(2) इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005–2006) के बारे में 13वां प्रतिवेदन।

(3) कोयला मंत्रालय के "कोल इंडिया लिमिटेड में जन शक्ति नियोजन, मशीनरी का उपयोग और आउटसोर्सिंग" विषय के बारे में 18वां प्रतिवेदन।

(4) कोयला मंत्रालय की अनुदान की मांगों (2006–07) के बारे में 20वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.07½ बजे

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

एक सौ ग्यारहवें से एक सौ बीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़ उत्तर) : महोदय, मैं परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अनुदानों की मांगों (2006–2007) के बारे में समिति के 102वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की–गई कार्यवाही संबंधी 111वां प्रतिवेदन;

(2) संस्कृति विभाग की अनुदानों की मांगों (2006–2007) के बारे में समिति के 103वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की–गई कार्यवाही संबंधी 112वां प्रतिवेदन;

(3) पर्यटन विभाग की अनुदानों की मांगों (2006–2007) के बारे में समिति के 104वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की–गई कार्रवाई संबंधी 113वां प्रतिवेदन;

(4) पोत परिवहन विभाग की अनुदानों की मांगों (2006–2007) के बारे में समिति के 105वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की–गई कार्यवाही संबंधी 114वां प्रतिवेदन;

(5) नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2006–2007) के बारे में समिति के 106वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की–गई कार्यवाही संबंधी 115वां प्रतिवेदन;

(6) नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007–2008) के बारे में 116वां प्रतिवेदन;

(7) पोत परिवहन विभाग की अनुदानों की मांगों (2007–2008) के बारे में 117वां प्रतिवेदन;

(8) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अनुदानों की मांगों (2007–2008) के बारे में 118वां प्रतिवेदन;

(9) पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007–2008) के बारे में 119वां प्रतिवेदन; और

(10) संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007–2008) के बारे में 120वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.08 बजे

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति

उन्नीसवां और बीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरयिंकिल) : महोदय, मैं कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007–2008) के बारे में 19वां प्रतिवेदन।

(2) विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007–2008) के बारे में 20वां प्रतिवेदन

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) कृषि और सहकारिता विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : मैं दिनांक 01 सितंबर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन–भाग–II द्वारा जारी माननीय अध्यक्ष, लोकसभा के निदेश 73–क के अनुसरण में कृषि संबंधी स्थायी समिति की 9वीं रिपोर्ट (2005–06) में शामिल की गई सिफारिशों की स्थिति पर यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 6512/2007

कृषि संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2005–06 हेतु कृषि एवं सहकारिता विभाग की अनुदान मांगों की जांच की तथा 20.04.2005 को लोक सभा में अपनी रिपोर्ट रखी। इस रिपोर्ट में 19 सिफारिशें हैं। सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी उत्तर 19 जुलाई, 2005 को समिति को भेजे गए।

कृषि से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों की वर्तमान स्थिति के बारे में संलग्न विवरण में उल्लेख किया गया है।

(दो) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : मैं लोक सभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा के बुलेटिन के भाग 2 के अंतर्गत जारी लोक सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम, 389 के अनुसरण में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की 15वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की उपर्युक्त रिपोर्ट के संबंध में निहित सभी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई/उनकी स्थिति बताने वाला विवरण अलग से संलग्न है। कृपया यह नोट करें कि 15वीं रिपोर्ट में 11 सिफारिशें हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा समिति की इन सिफारिशों की सावधानीपूर्वक जांच की गई है। जो सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं/आंशिक रूप से स्वीकार कर ली गई हैं/स्वीकार नहीं की गई हैं उनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:–

सिफारिशों की कुल संख्या	स्वीकृत	आंशिक रूप से स्वीकृत	स्वीकार नहीं की गई
11	5	5	1

एक सिफारिश को स्वीकार न करने और 5 सिफारिशों को आंशिक रूप से स्वीकार करने के कारण विवरण के कॉलम संख्या 4 में स्पष्ट किए गए हैं जिन्हें पृष्ठ 3 से 6, 9 से 12 पर देखा जा सकता है।

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 6513/2007

इस रिपोर्ट के संबंध में की गई कार्रवाई के उत्तर समिति को 12.4.2007 को भेज दिए गए हैं।

(तीन) कोयला और इस्पात मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : अध्यक्ष महोदय, मैं दिनांक 01 सितंबर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन – भाग–II के अनुसार आपके निदेश –73–ए के अनुसरण में कोयला एवं इस्पात से संबंधित स्थायी समिति की 17वीं रिपोर्ट (चौदहवीं लोक सभा) में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

17वीं रिपोर्ट 13वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर आधारित है। 13वीं रिपोर्ट पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कोयला एवं इस्पात से संबंधित स्थायी समिति ने 17वीं रिपोर्ट लोक सभा तथा राज्य सभा में दिनांक 23 मई, 2006 को प्रस्तुत की। 13वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्व्यन की स्थिति के बारे में मैंने पिछले शीतकालीन सत्र, 2006 के दौरान संसद के दोनों सदनों में वक्तव्य दिया था।

समिति की 17वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण कोयला एवं इस्पात से संबंधित स्थायी समिति को दिनांक 05 अक्टूबर, 2006 को भेजा गया था।

समिति द्वारा अपनी 17वीं रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशें के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति लोक सभा के पटल पर रखे गए मेरे वक्तव्य के अनुलग्नक में दर्शाई गई है। इस अनुलग्नक की सम्पूर्ण विषय वस्तु का वाचन करके मैं सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

(चार) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 178वें, 180वें और 190वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : महोदय, मैं दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन – भाग–II के अनुसार माननीय अध्यक्ष, लोकसभा द्वारा जारी निदेशों के अनुसरण में उद्योग विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के 178वें, 180वें और 190वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

विभिन्न सिफारिशों के संदर्भ में कार्रवाई पूरी कर ली गई है। शुरू कर दी गई है। की गई कार्रवाई नोट जिनमें प्रत्येक सिफारिश पर की गई कार्रवाई को विस्तार से बताया गया है, समिति को क्रमशः 18 सितम्बर, 2006, 8 नवम्बर, 2006 और 15 जनवरी, 2007 को सौंपे जा चुके हैं।

(पांच) ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-2007) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं लोक सभा के दिनांक 01 सितम्बर, 2004 के बुलेटिन भाग–II द्वारा जारी आपके निदेश के अनुसरण में ग्रामीण विकास (ग्रामीण विकास विभाग) से संबंधित स्थायी समिति (2006–07) (14वीं लोक सभा) की 18वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य सभा पटल पर रख रहा हूं।

ग्रामीण विकास से संबंधित स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की 18वीं रिपोर्ट 18 मई, 2006 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की वर्ष 2006–07 की अनुदान–मांगों की जांच से संबंधित है। समिति की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 01 सितम्बर, 2006 को ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति को भेज दी गई थी।

उक्त रिपोर्ट में समिति द्वारा 43 सिफारिशें की गई थीं जहां सरकार की ओर से कार्रवाई करने की मांग की गई थी। ये सिफारिशें मुख्य रूप से स्व–रोजगार और मजदूरी रोजगार के सृजन की योजनाओं, ग्रामीण निर्धनों के लिए आवास का प्रावधान, ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और अन्य गुणवत्ता संबंधी जानकारी अर्थात् जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए सहायता, प्रशिक्षण और अनुसंधान, मानव संसाधन विकास, कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन के लिए स्वैच्छिक कार्य आदि के विकास से संबंधित मुद्दों के बारे में हैं।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की मौजूदा

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 6514/2007

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 6515/2007

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 6516/2006

...ति मेरे वक्तव्य के साथ संलग्न अनुबंध में दर्शाई गई है जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसे पठित समझा जाए।

(छह) विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-2007) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 169वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : महोदय, मैं दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन – भाग–II के अनुसार माननीय अध्यक्ष, लोकसभा के निदेश सं. 73क के अनुसरण में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, पर्यावरण और वन विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के 156वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर 169वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में सम्मानित सदन को सूचित करने के लिए यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। यह प्रतिवेदन वर्ष 2006–07 के लिए विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान (डी एस आई आर) विभाग की अनुदानों की मांगों के विचारार्थ है। समिति ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान डी एस आई आर द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की और अनुदानों की मांगों (2006–07) पर विस्तार से चर्चा की।

समिति ने डीएसआईआर के कार्यकरण तथा इसकी अनुदानों की विस्तृत मांगों पर चर्चा करते हुए विभाग के लक्ष्यों, उद्देश्यों और उपलब्धियों के संदर्भ में अनुदानों की मांगों का विश्लेषण किया और 18 मई, 2006 को सभा में इस पर 156वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। विभाग ने अगस्त, 2006 में समिति को इन सिफारिशों पर विस्तृत कार्रवाई नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा इस पर आगे भी स्पष्टीकरण/विवरण मांगा गया। समिति ने 169वें प्रतिवेदन जो 14 दिसम्बर, 2006 को सभा के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया गया था, के अनुसार की गई कार्रवाई रिपोर्ट पर आगे टिप्पणी की है। इस प्रतिवेदन में 12 सिफारिशें की गई हैं। इनमें से कुछ तो परामर्शात्मक हैं। अन्य सिफारिशें मुख्यतः निम्नलिखित बातों से संबंधित हैं:–

- मानव संसाधन का प्रशिक्षण तथा पेटेंट योग्य नवोन्मेषों हेतु समुचित वातावरण का सृजन;
- सभी सीएसआईआर प्रयोगशालाओं में एक विशेष टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन सेल की स्थापना;
- स्कूल स्तर से ही समृद्ध मानव संसाधन का विकास जिससे कि अन्ततोगत्वा बौद्धिक सम्पदा के माध्यम से बाजार में होने वाले लाभांश को और अधिक बढ़ाया जाए;
- जमीनी नवोन्मेष पर बल दिया जाना;
- जोखिम और इनाम दोनों ही के वितरण के लिए आर एण्ड डी के कार्यकलापों में अच्छे ट्रैक रिकार्ड वाले उद्योगों की अधिक से अधिक भागीदारी;
- नए तरीके के ईंधन;
- सरकार के अन्य विभागों के साथ–साथ स्वयं के विभाग को जवाबदेही देकर औषधियों की कीमत को कम करने के नायाब तरीके;
- उन स्थानों में हर्बल रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना करना जहां कि जैव विविधता की सभी विधाओं को दोहन हो सके; और
- आईआईसीबी से कैंसर के इलाज के लिए पान मॉलिक्यूल का विकास।

विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में समिति की सभी–12 सिफारिशों पर विचार किया गया है। की–गई–कार्रवाई संबंधी वर्तमान स्थिति को संलग्नक अनुबंध में विस्तार से बताया गया है।

अपराह्न 12.09 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार, 14 मई, 2007 से शुरू होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जाएगा:–

1. आज की कार्य सूची में शामिल सरकारी कार्य की मदों पर विचार किया जाना।
2. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार किया जाना तथा उन्हें पारित किया जाना:–
   (i) भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक विधि) संशोधन विधेयक, 2006;
   (ii) केन्द्रीय सड़क निधि (संशोधन) विधेयक, 2006; तथा
   (iii) भांडागारण (विकास और विनियमन) विधेयक, 2005

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 6517/2006

3. मिजोरम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 पर राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् विचार किया जाना और उसे पारित किया जाना।

कुमारी ममता बैनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : ऐसा लगता है कि माननीय अध्यक्ष ने पहले ही नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा शुरू कर दी है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के अनुसार ही है। आप सभी इस सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह उस कार्य का ही भाग है। सदस्य अगले सप्ताह के कार्य के बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। यह एक सुस्थापित नियम है।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : कृपया इस सप्ताह की कार्य-सूची में दो विषय सम्मिलित किए जाएं:-

1. सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य-चिकित्सा सहित नागरिक आवश्यकताओं को तथा नये रोजगारों के सृजन को ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार एवं स्थापित करने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की "पुरा" योजना को अविलम्ब कार्यान्वित किया जाए।

2. "रेल सेवाओं को यात्रा एवं यात्री अनुकूल" बनाने की आवश्यकता है। रेलवे स्टेशनों पर एक से अधिक जहां भी हैं, प्लेटफार्म्स पर नागरिक एवं यात्री सुविधाएं तथा पेयजल, प्रकाश, बैठक व्यवस्था, यात्री गाड़ी के डिब्बों का रखरखाव, साफ सुथरे बिस्तर (वर्तमान में उपयोग किए फिर से दे दिए जाते हैं) सहित प्लेटफार्म्स का उन्नयन और विस्तार विशेष रूप से रतलाम-भोपाल तथा रतलाम-कोटा सैक्शन के सभी स्टेशनों पर किया जाये।

अपराह्न 12.10½ बजे

लाभ के पद से संबंधित संवैधानिक और विधिक स्थिति की जांच करने हेतु संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा लाभ के पद से संबंधित संवैधानिक और विधिक स्थिति की जांच करने हेतु संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय मानसून सत्र, 2007 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा लाभ के पद से संबंधित संवैधानिक और विधिक स्थिति की जांच करने हेतु संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय मानसून सत्र, 2007 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मद सं. 5। जिस तरह से यह किया जा रहा है उससे मैं असहमत हूं। मैं अब आपको अनुमति दूंगा।

अपराह्न 12.11 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र - जारी

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : श्री जयपाल रेड्डी की ओर से मैं सभा-पटल पर रखता हूं:-

1. दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6428/2007]

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अध्यक्ष को सभा की कार्यवाही चलाने नहीं देंगे। आप स्वयं ही निर्णय लेंगे कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना है कहां बैठना है और कहां खड़े रहना है। नहीं मैं इन बातों की अनुमति नहीं दे सकता। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में एक भी शब्द सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय नेताओं तथा सदस्यों से जानना चाहता हूं कि क्या वे सभा की कार्यवाही जारी रखना चाहते हैं अथवा नहीं। ऐसा लगता है यहां कोई भी नियम, कानून और प्रक्रिया नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस सभा में हो क्या रहा है।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.13 बजे

(इस समय, श्री चन्द्रकांत खैरे, डा. एम. जगन्नाथ, श्री रामदास आठवले और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा के सभी दलों से अपील करना चाहता हूं, कि कृपया वे निर्णय लें कि क्या करें। क्या इस संसद को चलने दें अथवा नहीं। यदि आप इसे चलने नहीं देना चाहते तो इस बारे में हमें सोचना होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि क्या होगा। मैंने उन्हें अनुमति दी है, मैं एक ही सदस्य को अनुमति नहीं दे सकता। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग यहां क्या कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज के दिन के लिए सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा हुआ माना जाए।

अपराह्न 12.13½ बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) असम के गोलपाड़ा और धुबरी जिलों में व्यापार केन्द्र शुरू किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अनवर हुसैन (धुबरी) : एक दशक से भी अधिक समय पूर्व गोलपाड़ा जिले के मटिया में औद्योगिक विकास केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव था। निर्माण कार्य कुछ वर्ष पूर्व आरंभ हुआ परन्तु कार्य की प्रगति बहुत धीमी है। गोलपाड़ा–दुधनोई सड़क का निर्माण कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुआ है।

दूसरी ओर कुछ वर्ष पूर्व सीमा–व्यापार के लिए धुबरी जिलो के मनकाचार और सोनाहार को चुना गया था। सन् 2001 में भारत–बांग्लादेश व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। परन्तु सोनाहार में निर्माण कार्य अभी भी आरंभ नहीं हुआ है। मानकाचार में कार्य की गति बहुत धीमी है।

मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गोलपाड़ा और धुबरी जिले देश के सर्वाधिक निर्धनतम जिलों में से हैं। व्यापार केन्द्र और सीमा–व्यापार केन्द्र की स्थापना की घोषणा से लोगों में एक आशा जागृत हुई है। परन्तु इन कार्यों में विलम्ब से लोग निराश हो गए हैं।

अतः मैं सरकार से इन व्यापार केन्द्रों को शीघ्र आरंभ करने हेतु त्वरित एवं उचित कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं।

(दो) कर्नाटक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक अनुमोदन किए जाने तथा धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा) : कर्नाटक सरकार ने राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति तथा निधियां जारी करने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजे थे–

(i) 23.90 कि.मी. सीमेंट–कन्क्रीट सड़क के निर्माण के लिए दिनांक 21.10.2005 का प्रस्ताव। इस परियोजना की लागत 5.48 करोड़ रुपए है।

(ii) 251 कि.मी. ग्रेवल सड़क के लिए निर्माण दिनांक 27.10.2005 का प्रस्ताव इस परियोजना की लागत 15.05 करोड़ रुपए है।

(iii) चरण–VI, बैच 1 में 949.48 कि.मी. सड़क के निर्माण के लिए दिनांक 18.10.2006 का प्रस्ताव। इस परियोजना की लागत 185.95 करोड़ रुपए है।

चूंकि ये प्रस्ताव काफी समय से लंबित हैं, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि इन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति दी जाए।

(तीन) गुजरात के अमरेली जिले में नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री वी.के. ठुम्मर (अमरेली) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली में नवोदय स्कूल, जो केन्द्र सरकार की ओर से हर जिले में दिया गया है, वह नहीं है। यह स्कूल खोलने के लिए जिला कलेक्टर ने अमरेली के पास बगसरा रोड़ पर जमीन भी दी है। फिर भी नवोदय स्कूल खोलने में केन्द्र के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह स्कूल खोलने के लिए प्राथमिकता देना आवश्यक है और मेरे जिले के लोग बड़ी संख्या में मांग कर रहे हैं कि नवोदय स्कूल खोला जाए और मेरे जिले का अधिकार भी बनता है। क्योंकि देश के सभी जिलों में नवोदय स्कूल केन्द्र सरकार द्वारा खोले जा चुके हैं।

---

*सभा पटल पर रखे माने गए

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली जिले में नवोदय स्कूल खोलने के कार्य को प्राथमिकता दी जाये।

(चार) दुग्ध उत्पादकों तथा हिमालय को-आपरेटिव मिल्क (एच आई एम यू एल), पश्चिम बंगाल में कार्यरत कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से इस संगठन का डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा अधिग्रहण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री डी. नरबुला (दार्जिलिंग) : हिमालयन को–आपरेटिव मिल्क (हिमुल) एक डेयरी सहकारिता है जिसकी स्थापना कृषि मंत्रालय के आपरेशन फ्लड–I कार्यक्रम के अधीन भारत सरकार से 70 प्रतिशत ऋण और पश्चिम बंगाल सरकार से 30 प्रतिशत अनुदान से वर्ष 1975 में की गई थी। इसका उद्देश्य दूध का उचित मूल्य देकर ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों के आर्थिक उत्थान के लिए दार्जिलिंग, सिलिगुड़ी, जलपाईगुड़ और इस्लामपुर में दुग्ध सहकारिता की स्थापना करना था और साथ ही उत्तर बंगाल के ग्रामीण इलाकों में पास्चराइज दूध तथा अन्य दुग्ध उत्पाद यथा घी, पनीर, लस्सी, दही आदि की आपूर्ति के लिए बेहतर सेवाएं प्रदान करना था।

स्थायी प्रशासक की अनुपस्थिति में यह संगठन सन् 1995 से अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है। कर्मचारियों की संख्या 403 से घटकर 212 रह गई है और 1991 से कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं मिल रहा है। उन्हें सिर्फ 60 प्रतिशत वेतन पाकर ही कार्य करना पड़ रहा है। दुग्ध उत्पादक अपने बिलों का भुगतान प्राप्त नहीं कर रहे हैं। हिमुल पर विभिन्न एजेन्सियों का बकाया 15 करोड़ रुपए से अधिक है जिसमें कर्मचारियों की बकाया देय राशि भी शामिल है। राज्य सरकार द्वारा कोई भी समुचित कदम नहीं उठाए गए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा 3 करोड़ रुपए की राशि का एक पैकेज जारी किया गया और इतना ही अनुदान अर्थात् 3 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा भी दिए गए परन्तु यह राशि बर्बाद हो गई। 1 लाख दुग्ध उत्पादक और 212 कर्मचारी भुखमरी के कगार पर है। इस संगठन को बचाने के लिए मैं माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर ध्यान दें और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 'हिमुल' के प्रबंधन के अधिग्रहण हेतु कदम उठाने के अलावा कुछ निधियां जारी करें।

(पांच) केवल "ड्रमस्टिक" (मोरिंगा टिंक्टोरिया) के लिए ही राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान संस्थान स्थापित करने हेतु तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय को धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी) : 'ड्रमस्टिक' जिसका वनस्पतिक नाम 'मोरिंगा ओलिफेरा' है, एक बारहमासी सब्जी है जो व्यापक रूप से तमिलनाडु के इरोड, करूर, डिंडीगुल, नमक्कल, कोयम्बटूर, त्रिची, थेनी और मदुरै जिलों में उगाई जाती है। तमिलनाडु राज्य में 'मोरिंगा' की खेती योग्य भूमि 6154 हैक्टेयर है और इसका प्रति हैक्टेयर 50 टन की औसत से 3.08 लाख टन उत्पादन होता है। यह फसल अधिकांशतः छोटे किसानों द्वारा उगाई जाती है और ओड्डनचात्रम सब्जी बाजार के माध्यम से पूरे मोरिंगा का विपणन किया जाता है तथा इसे तमिलनाडु के सभी जिलों और अन्य राज्यों में पहुंचाया जाता है।

कतिपय खाद्य उत्पादों जैसे अचार, डब्बाबंद सब्जी, ड्राय पल्प पाउडर, ड्राइफ्रूट (टुकड़ों के रूप में) और पल्प पेस्ट आदि को बनाने के लिए इसका वाणिज्यिक रूप से दोहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका वनस्पति तेल निकाल कर उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है जिसे बिन तेल कहते हैं जो इसके बीज से निकाला जाता है। मोरिंगा का इलेक्ट्रानिक उद्योग में भी बहुत महत्व है। विगत कुछ समय से मोरिंगा बीज तेल का बायोईंधन के रूप में उपयोग जोर पकड़ रहा है। मोरिंगा पेड़ की छाल और जड़ों में औषधीय गुण हैं और इसलिए इसे करपकाविरूक्षा भी कहा जाता है।

विभिन्न उद्योगों जैसे खाद्य प्रसंस्करण, नवस्पति तेल निकालने और बायोईंधन के उत्पादन में मोरिंगा फसल के उत्पादन और वाणिज्यिक समस्याओं का हल खोजने के लिए मोरिंगा पर अनुसंधान प्रयोग के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग अनुसंधान की स्थापना से मोरिंगा की एक नई किस्म तैयार होने में मदद होगी।

मेरे पलानी निर्वाचन क्षेत्र में धर्मपुर जिले का मुलानूर स्थान मोरिंगा बेल्ट है।

अतः मैं भारत सरकार से पालानी निर्वाचन क्षेत्र के मुलानूर में मोरिंगा के लिए राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के लिए तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर को आवश्यक निधियां आबंटित करने और इस सब्जी फसल को विकसित करने का आग्रह करता हूं।

(छह) देश में चौकीदार रहित रेल समपार को चौकीदार युक्त रेल समपार बनाये जाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी चित्तन (डिंडीगुल) : रेलवे देश में आम आदमी को सुविधाएं प्रदान करने का बड़े पैमाने पर प्रयत्न कर रहा है। यह देश के लगभग हर भाग को कवर करती है। तथापि, कतिपय क्षेत्रों में अभी भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यह अनुमानित है कि देश में दक्षिण रेलवे के 1899 सहित अभी भी रेलवे के 25000 से अधिक चौकीदार समपार हैं। अतः चौकीदार रहित रेलवे फाटकों पर विशेषकर दक्षिण क्षेत्र में चौकीदार नियुक्त किए जाने की तत्काल आवश्यकता है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से देश के चौकीदार रहित रेलवे फाटकों पर चौकीदार नियुक्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं ताकि दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप होने वाली मौतों को रोका जा सके।

(सात) पोतों के आयात पर मूल सीमा शुल्क हटाए जाने की आवश्यकता

श्री काशीराम राणा (सूरत) : जल पोतों पुनर्चक्रण उद्योग एक पर्यावरणानुकूल उद्योग है जो 40,000 से अधिक श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार तथा इससे अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार देने में मदद करता है। इस उद्योग ने भारत को विश्व के अग्रणी जलपोत पुनर्चक्रण उद्योग बनाया था अब पिछले कुछ वर्षों में गिरावट की प्रवृत्ति दिखा रहा है। इस गिरावट के कारणों में से एक अन्य पड़ोसी देशों की तुलना में अनुचित शुल्क ढांचा है। उच्च सीमा शुल्क के कारण जलपोतों को अन्यत्र ले जाया जाता है और अंततः राजस्व की बहुत हानि हो रही है। गुजरात सरकार ने जलपोतों के आयात पर सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 0 प्रतिशत करने के लिए कई बार केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन दिए हैं। भारत सरकार ने गुजरात सरकार का प्रस्ताव यह कह कर स्वीकार नहीं किया कि भारत सरकार को इससे राजस्व की हानि होगी। अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि वे इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करें और सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 0 प्रतिशत करें। जिससे जलपोतों के आयात में वृद्धि होगी और इससे भारत सरकार को उत्पाद शुल्क के रूप में अधिक राजस्व मिलेगा। इसके अतिरिक्त यह उद्योग हजारों नये रोजगार का सृजन आसानी से कर सकता है।

मैं सरकार से यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि वह इस मृतप्राय उद्योग के बेकार हो चुके कामगारों के लिए कोई साकारात्मक कदम उठाए और कुछ निर्देश जारी करें।

(आठ) मध्य प्रदेश में पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल में बरछा और काला ऊपरिपुल के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : महोदय, मध्य प्रदेश में पड़ने वाले पश्चिम रेलवे मंडल रतलाम के अंतर्गत बेरछा और कालापीपल रेलवे स्टेशनों पर एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने हेतु फुट ओवर ब्रिज (पैदल ऊपरी पुल) निर्माण की स्वीकृति तीन वर्ष पूर्व हुई थी। टैंडर भी हुए किंतु आज तक इस निर्माण कार्य स्वीकृत न होकर कार्य अप्रारंभ है।

मैं रेल मंत्रालय से मांग करता हूं कि इन दोनों पैदल ऊपरी पुल के निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करवाये जाएं।

(नौ) ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के संवर्द्धन हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सी.एच. विजयशंकर (मैसूर) : भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषक भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और लगभग 70 प्रतिशत भारतीय जनसंख्या गांवों में रहती है। हालांकि कृषक भारत को आत्मनिर्भर देश बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं; फिर भी स्वतंत्रता के 50 वर्षों बाद भी भारत की ग्रामीण जनता समुचित स्वच्छता, पेयजल और सिंचाई के लिए पानी, समुचित बिजली और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इनमें से बिजली और पानी ऐसे दो महत्वपूर्ण घटक हैं जो किसानों के लिए मददगार हैं। मानसून के लगातार नाकाम होने से अनेक जलस्रोत और नदियां सूख गई हैं। अच्छी मानूसन वर्षा के बाद भी दक्षिण भारत की नदियां सूख गई हैं और पन बिजली परियोजना गर्मियों में बंद हो जाती है अतः किसानों के लिए भूजल का उपयोग अपरिहार्य हो जाता है जिसके बिजली पानी की आवश्यकता होती है। पनबिजली के कम उत्पादन के परिणामस्वरूप ग्रामीण खपत यथा घरेलू और कृषि के लिए ऊर्जा की उपलब्धता कम हो गई है।

ऊर्जा का एक प्रमुख वैकल्पिक स्रोत सौर ऊर्जा हो सकती है जो आसानी से प्राकृतिक रूप में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और सौर ऊर्जा का प्रभावी उपयोग ऊर्जा की समस्या सुलझाने में कारगर साबित होगा।

सरकार 2–3 गांवों का सौर ऊर्जा द्वारा विधुतीकरण कर सकती है और इसको सफलतापूर्वक करने के बाद इसी माडल को ब्लाक, जिला स्तर पर भी अपनाया जा सकता है। इस दिशा में उचित नियोजन इसके उचित कार्यान्वयन और निधियों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करेगा और इसके परिणामस्वरूप सभी बिजली संबंधी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सौर परियोजनाएं ऊर्जा का स्थायी स्रोत है जिसकी रखरखाव संबंधी लागत भी बहुत कम है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सौर ऊर्जा के संबंध में अध्ययन करने और रिपोर्ट तैयार करने और साथ ही सरकार को सौर ऊर्जा परियोजनाओं हेतु योजना आरंभ करने और उसे कार्यान्वित करने में मदद करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाए। मैं सरकार से यह आग्रह भी करता हूं कि वह सौर उपकरणों पर किसानों को राजसहायता देना जारी रखें।

(दस) मध्य प्रदेश के सागर में बीना रेलवे स्टेशन पर भोपाल-दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस को ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सागर का बीना जंक्शन भौगोलिक, व्यापारिक एवं कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों के कारण काफी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। बीना को यहां के प्रसिद्ध शरबती गेहूं एवं कृषि यंत्रों के निर्माण एवं विक्रय केन्द्रके रुप में जाना जाता है। बीना में भारत पेट्रोलियम द्वारा बीना रिफाइनरी प्रारंभ की जा रही है, जिसका कार्य प्रारंभ हो गया है। बीना गुना रेवले लाइन पर एनएफएल तथा एनटीपीसी सरीखी महत्वपूर्ण इकाइयां होने से इनके अधिकारी भी बीना से गाड़ी बदलकर गंतव्य स्थान को जाते हैं तथा देश विदेश के महत्वपूर्ण व्यक्ति भी इन संस्थानों से व्यापारिक संपर्क स्थापित करने बीना स्टेशन से ही तो हैं। बीना रिफाइनरी के अधिकारियों को

बीना, दिल्ली, मुम्बई यात्रायें करनी पड़ती हैं। इन सभी की आवश्यकताओं को अनुभव करते हुए तथा लंबी अवधि से बीना सागर के निवासियों की मांग बीना स्टेशन पर भोपाल–दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस के ठहराव की मांग की जा रही है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बीना स्टेशन पर भोपाल–दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस का स्टापेज शीघ्र किया जाये।

(ग्यारह) ग्रामीण भारत के उत्थान हेतु आई आर डी पी के अंतर्गत एक विकास कार्यक्रम तैयार किए जाने की आवश्यकता

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : महोदय, देश की जनसंख्या का 70 प्रतिशत से अधिक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, किंतु बजट के सकल घरेलू उत्पाद में इसकी भागीदारी 18.5 प्रतिशत है और यह विगत वर्ष से एक प्रतिशत कम हुआ है।

गांव का अर्थ खेती – किसान – खेतिहर मजदूरी और खेती के सहायक उपकरण तैयार करने वाले कारीगर और सम्बद्ध लोग हैं। बिजली की मांग पर पूर्ति, सिंचित रकबे की वृद्धि के लिए जल संसाधन और ग्रामीण उद्योग धंधे को बाजार और प्रोत्साहन का अभाव है। बेरोजगारी और अर्थाभाव के कारण ग्रामीण जीवन कष्ट एवं असुविधाओं का पर्याय बन गया है। देश की बहुसंख्यक ग्रामीण आबादी के विकास के बिना भारत का विकास सही मायनों में नहीं है और यह संविधान की लोकतंत्रात्मक संरचना एवं सामाजिक, आर्थिक न्याय की सर्वथा अवहेलना है।

अतएव केन्द्र सरकार ग्रामीण भारत की कृषि प्रधान अर्थ संरचना के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा चिकित्सा सहित ग्रामीण विकास का एकीकृत कार्यक्रम प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में अविलम्ब कार्यान्वित करें।

(बारह) देश में जनजातीय भूमि के हस्तांतरण पर श्री बी.एन. युगान्धर की अध्यक्षता में बने विशेषज्ञ दल के प्रतिवेदन को सार्वजनिक किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. बाबू राव मिडियम (भद्राचलम) : देश में जनजातीय भूमि के हस्तांतरण के संबंध में श्री बी.एन. युगान्धर की अध्यक्षता में भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था। इसने अक्टूबर, 2004 में अपनी रिपोर्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय को सौंपी।

हमारे देश के जनजातीय क्षेत्रों में असंतोष का एकमात्र मुख्य कारण भूमि अधिग्रहण है। हालांकि जनजातीय लोगों के हाथों से भूमि का हस्तांतरण रोकने के लिए कानून, नियम तथा विनियम है, लेकिन होता इसके एकदम विपरीत है। उनकी अधिकांश भूमि पर गैर जनजातीय भू–मालिकों ने अतिक्रमण कर लिया है। राजस्व और वन विभाग जनजातीय लोगों के पक्ष में नहीं है। अनुसूची 5 क्षेत्रों का संरक्षण संविधान के प्रावधान के अनुसार नहीं किया जाता।

जनजातीय लोगों की कल्याण योजनाओं पर जितना भी धन व्यय किया जाता है, वह व्यर्थ है। अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। इसके लिए नियम बनाए जा रहे हैं।

अतः मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय से विशेषज्ञ दल की सिफारिशों को प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूं।

(तेरह) पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लोगों की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए दक्षिण-पूर्वी रेलवे में तामलुक-दीघा रेल लाइन का जालेश्वर तक विस्तार किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रशान्त प्रधान (कोंटई) : दक्षिण–पूर्व रेलवे में तामलुक से दीघा तक नई रेल–लाइन का कार्य पूरा हो गया है और 2004 से सालीमन से दीघा तक गाड़ियां चल रही हैं। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लोगों की बढ़ती आवश्यकता के मद्देनजर रेल लाइन को दीघा से जलेश्वर तक बढ़ाया जाना आवश्यक है। इस परियोजना को शुरू कर दिया गया और 'सर्वेक्षण' कराए जाने पर विचार किया गया। लेकिन उक्त कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है। यदि यह परियोजना पूरी हो जाती है, तो जलेश्वर, बालासोर, दीघा, रामनगर और कोंटई से लोग बहुत कम समय में आसानी से कोलकाता पहुंच सकते हैं और इससे दूरी में लगभग 80 कि.मी. की कमी हो जायेगी। विशेषकर शहरों में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय फल–फूल सकते हैं। साथ ही लोग कम समय में कोलकाता में चिकित्सा उपचार भी करा सकते हैं।

मैं रेल मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं ताकि उक्त परियोजना का कार्य शीघ्र ही पूरा किया जाए।

(चौदह) उत्तर प्रदेश के चायल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से वहां हैंडपम्प लगाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र चायल उत्तर प्रदेश में नलकूप हैंडपंप व कूप सभी सूखे जा रहे हैं। पानी का जल स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है जिससे पूरे संसदीय क्षेत्र में सूखे की स्थिति व्याप्त है। मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से मांग करता हूं कि उक्त पूरे क्षेत्र का सर्वे कराके पेयजल समस्या का निराकरण कराएं तथा राहत के तौर पर लगभग 2000 हैंडपंप इंडिया मार्क 11 लगाकर समस्या को दूर कराने की व्यवस्था करें।

(पन्द्रह) देश में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : महोदय, सरकारें गरीबी उन्मूलन हेतु सैंकड़ों–हजारों करोड़ रुपए हर वर्ष खर्च करती है जिसके तहत सरकारी एजेंसियों से लेकर स्वयंसेवी संगठनों द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं परंतु अभी हाल ही में आई विश्व बैंक की ताजा पुस्तक एनडिंग पावर्टी इन साउथ एशिया के अनुसार दक्षिण एशियाई देशों में सबसे अधिक गरीब भारत में रहते हैं और भारत में गरीबी उन्मूलन की गति काफी धीमी है, जो कि अत्यंत चिंताजनक है। वर्ष 2003–04 के अनुसार जहां भारत में कुल आबादी के करीब 28.6 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं जो आबादी के अनुसर 24 करोड़ से ज्यादा है, वहीं भारत की तुलना में श्रीलंका में 25 प्रतिशत लोग ही गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करते हैं, यानी 24 करोड़ लोगों को भारत में दो–जून की रोटी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है।

पुस्तक में चौंकाने वाली बात यह है कि बांग्लादेश और श्रीलंका से गरीबी उन्मूलन के मामले में हम पिछड़े हुए हैं, जिस प्रकार से हमारे पड़ोसी देश गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रभावशाली ढंग से लागू कर रहे हैं, उस प्रकार हम अभी तक नहीं कर पाए हैं, संभवतः यह सबसे बड़ी बाधा रही है गरीबी उन्मूलन में हम बात करते हैं भावी महाशक्ति बनने की, इंडिया शाइनिंग की, चीन के विकास की बराबरी करने की परंतु दुखद बात है कि गरीबी उन्मूलन जैसे मानवीय कष्टों को भी दूर करने में हम अभी अपने पड़ोसी देशों से पिछड़े नजर आ रहे हैं।

मेरा सरकार से आग्रह है कि समूल रूप से गरीबी उन्मूलन के लिए लक्ष्य व समय निर्धारित कर कार्यक्रम चलाए ताकि इस विषम सामाजिक स्थिति को जल्द से जल्द समाप्त किया जा सके।

(सोलह) बिहार में गरीबी रेखा से नीचे की सूची की समीक्षा और पुनरीक्षण किए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : महोदय, बिहार में बीपीएल सूची में काफी नियमितताएं की गई हैं। वहां सही एवं जरूरतमंद लोगों को बीपीएल सूची में शामिल नहीं किया गया। इस कारण बिहार में आंदोलन हो रहे हैं। सरकारी एवं प्राइवेट सम्पत्तियों का नुकसान हो रहा है किंतु राज्य सरकार किसी भी तरह की कार्यवाही बीपीएल सूची में सुधार लाने के लिए नहीं कर रही है। यह जानकारी मिली है कि 20–25 लाख से अधिक आपत्तियां लोगों द्वारा जमा की जा चुकी हैं। केन्द्र सरकार के अनुसार 73 लाख लोगों की सूची तैयार भी की गई, किंतु जरूरतमंदों को नजर अंदाज किया गया और अनियमितताओं के तहत अमीरों को बीपीएल सूची में शामिल कर लिया गया।

अतः मैं सदन के माध्यम से माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और आग्रह करता हूं कि केन्द्र सरकार इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान दे और राज्य सरकार को निर्देश दे कि यहां वस्तुस्थिति के आधार पर बीपीएल सूची अविलम्ब तैयार करे।

(सत्रह) तमिलनाडु में नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर फार्मा एजुकेशन एण्ड रिसर्च के समतुल्य एक राष्ट्रीय संस्थान खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ई. जी. सुगावनम (कृष्णागिरी) : इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा अर्जित उपलब्धि इंडियन फार्मा लीडर्स और फार्मासिस्ट्स के अनवरत और समर्पित योगदान के कारण है। विभिन्न स्तरों अर्थात् फार्मूलेशन, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, मार्केटिंग, ट्रेनिंग और पोस्ट–मार्केट सर्वे में फार्मासिस्ट्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

इसके अतिरिक्त, डब्ल्यू टी ओ के नियंत्रण काल के दौरान अधिकतर औषधियों की कीमतों में वृद्धि की गई फार्मा इंडस्ट्री की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार को जमीनी स्तर पर इंडस्ट्री में अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों का विकास करना चाहिए। पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित विशेषज्ञों अर्थात् फार्मा वैज्ञानिकों को बिना ऐसा संभव नहीं है।

हमारे देश की जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 15–16% है जबकि हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन विश्व के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन (1990 के परवर्ती वर्षों के अनुसार) का 1% भी नहीं है। अतः लागत प्रभावी औषधियां उपलब्ध कराने के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कम से कम 4–5 गुणा विकास करने की तत्काल आवश्यकता है।

हाल के वर्षों में तमिलनाडु स्वास्थ्य की देखभाल करने और प्रौद्योगिकी का केन्द्र बन गया है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु में विद्यमान पचास से भी अधिक फार्मेसी कॉलेजों से प्रतिवर्ष लगभग 2,000 फार्मेसी स्नातक और सैंकड़ों फार्मेसी स्नातकोत्तर निकलते हैं। तथापि, फार्मा में अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की अपार संभावनाएं हैं।

अतः तमिलनाडु में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मा एजुकेशन एण्ड रिसर्च (एन आई पी ई आर) के समतुल्य नेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना किए जाने की तत्काल आवश्यकता है।

(अठारह) झारखंड में दामोदर नदी डाइवर्जन प्रोजेक्ट को शीघ्र चालू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री टेक लाल महतो (गिरिडीह) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बोकारो स्थिति सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की दामोदर नदी

डायवर्सन योजना क्षेत्र (डी.आर.डी.ए.) एवं फुसरो, जरंगडीह रेल डायवर्सन योजना के अंतर्गत 631 विस्थापितों को रोजगार दिया गया है तथा 3.60 करोड़ रुपए का भुगतान अब तक हो चुका है। इस परियोजना के अंतर्गत नब्बे प्रतिशत (90%) विस्थापित लोगों को नौकरी मिली है किंतु खेद है कि इस परियोजना को अभी तक चालू नहीं किया गया है जबकि यहां के कोयले की गुणवत्ता उच्च कोटि की है जिसकी खपत निकटवर्ती बोकारो स्टील सिटी प्लांट तथा थर्मल प्लांटों में हो सकती है।

अतः जनहित में माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि दामोदर नदी डायवर्सन परियोजना (डी.आर.डी.ए.) को अविलम्ब चालू करने का निर्देश दिया जाये।

(उन्नीस) पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय की "डेस्टिनेशन डेवलपमेंट स्कीम" में इदुक्की गार्डन प्रोजेक्ट को शामिल किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : इंजीनियरिंग विशेषज्ञों ने केरल के इदुक्की जिले में इदुक्की आर्क डैम की सराहना इंजीनियरिंग के बेहतर नमूने के रूप में की है, में प्रतिवर्ष अत्यधिक संख्या में पर्यटक बांध घूमने आते हैं, लेकिन एक पर्यटक स्थल के रूप में इसकी संभावनाओं का पता लगाया जाना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस स्थान में पर्यटकों के लिए बांध के अतिरिक्त कोई अन्य पर्यटन आकर्षण अथवा सुविधा नहीं है। अतः पर्यटन मंत्रालय को अपने 'डेस्टीनेशन डेवलपमेंट स्कीम' के अंतर्गत गार्डन का निर्माण करने, बांध में पूरे वर्ष बोटिंग की सुविधा प्रदान करने, आधुनिकतम एक्वेटिक कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम, गार्डन के ऊपर रोप-वे सुविधा का निर्माण करने तथा बांध और जिले के इतिहास तथा अन्य सम्बद्ध मामलों की विशिष्टता बताने के लिए प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए व्यापक परियोजना शुरू करना चाहिए।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इदुक्की गार्डन प्रोजेक्ट को पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय की 'डेस्टीनेशन डेवलपमेंट स्कीम' में शामिल किया जाए।

(बीस) जनगणना में सभी जातियों के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : महोदय, देश की जनगणना में केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आंकड़े ही उपलब्ध करवाये जाते हैं, बाकी किसी जांति के आंकड़े नहीं होते हैं। इसलिए मेरी मांग है कि आगामी अर्थात् 2011 में होने वाली जनगणना 2008 में कराकर देश की समस्त जातियों के आंकड़े अलग-अलग एकत्रित किये जाने हेतु कारगर कदम उठाए जायें ताकि यह विदित हो सके कि देश की आबादी में किस-किस जाति के कितने नागरिक हैं और उनकी जनसंख्या का प्रतिशत अलग-अलग क्या है।

अपराह्न 12.13¾ बजे

(एक) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2006 (अनुसूची का संशोधन)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती मीरा कुमार। क्या आप मद सं. 38 पर चर्चा चाहती हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) : महोदय, मैं संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक में ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.14 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोकसभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

*(**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)*

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में श्रीमती मीरा कुमार के वक्तव्य के अलावा कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मुझे ये बिल पास कराने दें।

[अनुवाद]

पहले मैं इस विधेयक पर चर्चा कराना चाहूंगा, फिर मैं आपकी बात सुनुंगा।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.02 बजे

(इस समय डा. एम. जगन्नाथ, श्री चंद्रकांत खैरे, श्री रामदास आठवले और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.03 बजे

(इस समय श्री दामदास आठवले अपने स्थान पर वापस चले गए)

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.03½ बजे

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2006 – जारी

(अनुसूची का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद सं. 38 पर चर्चा करेंगे।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि संविधान (अनुसूची जातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूची जातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.04 बजे

(इस समय श्री रामदास आठवले आए और सभा–पटल के निकट खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंड वार चर्चा आरंभ करेगी।

डा. रतन सिंह अजनाला; श्रीमती परमजीत कौर गुलशन, श्री अविनाश राय खन्ना, सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा, श्री विक्रम केशरी देव और श्री मोहन जेना के नाम से खंड 2 में संशोधन का प्रस्ताव है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे लोग प्रस्ताव नहीं कर रहे हैं।

प्रश्न यह है:–

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

संशोधन किया गयाः

पृष्ठ 1, पंक्ति 4

वर्ष "2006" के स्थान पर "2007" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

(श्रीमती मीरा कुमार)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:–

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गयाः

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, –

"सत्तावनवें के स्थान पर अठावनवें" प्रतिस्थापित किया जाए (1)

(श्रीमती मीरा कुमार)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:–

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्रीमती मीरा कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:–

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.06 बजे

(दो) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2006

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब मद सं. 39 पर विचार करेगीः–

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2006

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:–

"कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:–

"कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड - 1

संशोधन किया गया

पृष्ठ – 1, पंक्ति 4, ——

"2006" के स्थान पर "2007" प्रतिस्थापित किया जाए।

(श्री पी. चिदम्बरम)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड – 1 यथा संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड –1 यथा संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया

पृष्ठ–1, पंक्ति–1

'सत्तावन' के स्थान पर 'अठावन' प्रतिस्थापित किया जाए (1)

(श्री पी. चिदम्बरम)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि:–

"अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.08 बजे

(तीन) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2007

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब मद सं. 4 – राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2007 पर चर्चा करेगी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : महोदय, मैं श्री अर्जुन सिंह की ओर से प्रस्ताव करती हूं:

"कि कुछ प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करने और इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, शिक्षा, विज्ञान और कला की शाखाओं में शिक्षण और अनुसंधान करने तथा ऐसी शाखाओं में विद्या की अभिवृद्धि और ज्ञान का प्रसार करने और ऐसे संस्थानों से संबंधित कुछ विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि कुछ प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करने और इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, शिक्षा, विज्ञान और कला की शाखाओं में शिक्षण और अनुसंधान करने तथा ऐसी शाखाओं में विद्या की अभिवृद्धि और ज्ञान का प्रसार करने और ऐसे संस्थानों से संबंधित कुछ विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्तार स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 में 37 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 37 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड–1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब नियम 193 के अधीन चर्चा करेगी।

श्री गुरुदास दासगुप्त

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा 15 मार्च, 2007 को पूर्वाह्न 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.10 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार 15 मई, 2007/25 वैशाख, 1929 (शक) को 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

दिनांक 11.05.2007 की तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	श्री एम. अंजनकुमार यादव	522
2.	श्री हरिभाऊ राठौड	523
3.	श्री हरिन पाठक	524
4.	श्री हरिकेवल प्रसाद	525
	श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव	
5.	श्री एस.के. खारवेनथन	526
6.	श्री हितेन बर्मन	527
7.	डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	528
	श्री धर्मेन्द्र प्रधान	
8.	श्रीमती किरण माहेश्वरी	529
9.	श्री रायापति सांबासिवा राव	530
	श्री रामदास आठवले	
10.	श्री मोहन रावले	531
11.	श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	532
	श्री वी.के. ठुम्मर	
12.	श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी	533
	श्री श्रीपाद येसो नाईक	
13.	श्री सुब्रत बोस	534
14.	श्रीमती रूपाताई डी. पाटील	535
	श्री रबिन्दर कुमार राणा	
15.	श्री नरहरि महतो	536
16.	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	537
	श्री रवि प्रकाश वर्मा	
17.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	538
	श्रीमती निवेदिता माने	
18.	श्री जीवाभाई ए. पटेल	539
	श्री अजीत जोगी	
19.	डा. एम. जगन्नाथ	540
20.	श्री महावीर भगोरा	541
	श्री जी. करूणाकर रेड्डी	

अनुबंध-I

दिनांक 14.05.07 की तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	श्री फग्गन सिंह कुलस्ते	542
2.	श्री एस. अजय कुमार	543
	श्री रवि प्रकाश वर्मा	
3.	श्री पंकज चौधरी	544
4.	श्री अबु अयीश मंडल	545
5.	श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली	546
	श्री रघुनाथ झा	
6.	श्रीमती रूपाताई डी. पाटील	547
7.	श्री के. एस. राव	548
8.	श्री चन्द्रभूषण सिंह	549
	श्री कैलाश मेघवाल	
9.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	550
	श्री चंद्रकांत खैरे	
10.	डा. के. धनराजू	551
11.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	552
12.	श्री संतोष गंगवार	553
	श्री भर्तृहरि महताब	
13.	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	554
	श्री राकेश सिंह	
14.	श्री सुखदेव सिंह ढींढसा	555
	सरदास सुखदेव सिंह लिब्रा	
15.	श्री सी.के. चन्द्रप्पन	556
16.	श्री हरिसिंह चावड़ा	557
	श्री जीवाभाई ए. पटेल	
17.	श्रीमती निवेदिता माने	558
	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़	
18.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	559
	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	
19.	श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख	560
20.	श्री हरिकेवल प्रसाद	561
	श्री वी.के. ठुम्मर	

दिनांक 11.05.07 की अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे.एम	5065
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	5117
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	5120, 5155, 5156
4.	अहीर, श्री हंसराज गं.	5058, 5127
5.	अजय कुमार, श्री एस.	5075, 5197
6.	अर्गल, श्री अशोक	5183
7.	आठवले, श्री रामदास	5132, 5177, 5187, 5191
8.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	5103, 5165
9.	बर्मन, श्री हितेन	5133
10.	बर्मन, श्री रनेन	5060, 5125, 5176
11.	बखला, श्री जोवाकिम	5092
12.	भगोरा, श्री महावीर	5054, 5138, 5163
13.	भक्त, श्री मनोरंजन	5080, 5144, 5164, 5185
14.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	5056, 5093
15.	चक्रवर्ती, श्री अजय	5088
16.	चन्द्र कुमार, प्रो.	5098
17.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	5075, 5094
18.	चौरे, श्री बापू हरी	5082
19.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	5161
20.	चिन्ता मोहन, डा.	5091, 5139, 5201
21.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	5115
22.	चौधरी, श्री पंकज	5099, 5150
23.	चौधरी, श्री अधीर	5067, 5128, 5160
24.	देवरा, श्री मिलिन्द	5066
25.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	5113, 5170, 5179
26.	धोत्रे, श्री संजय	5082
27.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	5059
28.	गढ़वी, श्री पी.एस.	5107, 5165
29.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	5137, 5162
30.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	5082
31.	हसन, चौधरी मुनव्वर	5049, 5191
32.	झा, श्री रघुनाथ	5101, 5153
33.	जोशी, श्री कैलाश	5088
34.	करूणाकरन, श्री पी.	5079
35.	खैरे, श्री चंद्रकांत	5072, 5074, 5131, 5143, 5160
36.	खन्ना, श्री अविनाश राय	5051, 5123
37.	खारवेनथन, श्री एस.के.	5122, 5159, 5181, 5189
38.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	5048, 5124, 5158, 5182, 5188
39.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	5109
40.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	5114
41.	कुरूप, एडवोकेट सुरेश	5095
42.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	5085, 5139
43.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	5064
44.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	5104
45.	महतो, श्री नरहरि	5125
46.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	5142, 5193
47.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	5140, 5146, 5194
48.	माने, श्रीमती निवेदिता	5137, 5162
49.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	5112
50.	मेघवाल, श्री कैलाश	5072, 5074, 5131, 5143, 5160
51.	मैन्या, डा. टोकचोम	5106, 5167
52.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	5089, 5147, 5173
53.	मोहन, श्री पी.	5192
54.	मंडल, श्री अबु अयीश	5097, 5149, 5204

1	2	3
55.	मुर्मु, श्री हेमलाल	5088, 5142, 5198
56.	निखिल कुमार, श्री	5096, 5160
57.	नायक, श्री अनंत	5116
58.	ओराम, श्री जुएल	5195
59.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	5057, 5141
60.	पाण्डा, श्री प्रबोध	5200
61.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	5234, 5203
62.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	5136, 5183
63.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	5069, 5130, 5180
64.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	5090
65.	पिंगले, श्री देविदास	5119
66.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	5171
67.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	5134
68.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	5183, 5190
69.	राजगोपाल, श्री एल.	5111, 5169, 5178
70.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	5071, 5088, 5175
71.	राणा, श्री काशीराम	5183
72.	राणा, श्री रबिन्दर कुमार	5145, 5171
73.	रानी, श्रीमती के.	5068, 5129
74.	राव, श्री के.एस.	5081, 5142, 5171
75.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	5075
76.	रावले, श्री मोहन	5135
77.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	5087, 5142, 5164, 5184
78.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	5114
79.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	5073, 5152
80.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	5136
81.	रिजीजू, श्री कीरेन	5061, 5088, 5140
82.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	5062, 5088, 5131, 5166
83.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	5074, 5076

1	2	3
84.	सत्पथी, श्री तथागत	5088
85.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	5070, 5102, 5146, 5172
86.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	5088, 5142
87.	शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनी राम	5052
88.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	5120, 5155, 5156
89.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	5118, 5119
90.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	5050, 5088, 5168
91.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	5183
92.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	5105, 5140
93.	सिंह, श्री मानिक	5083
94.	सिंह, श्री राकेश	5063, 5104
95.	सिंह, श्री रेवती रमन	5121, 5157
96.	सिंह, श्री सुग्रीव	5069, 5130, 5180
97.	सिंह, श्री उदय	5102
98.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	5084
99.	सुब्बा, श्री एम.के.	5055, 5154
100.	सुगावनम, श्री ई.जी.	5150, 5171
101.	सुमन, श्री रामजीलाल	5085, 5091, 5201
102.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	5075, 5110
103.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	5053
104.	थामस, श्री पी.सी.	5086
105.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	5100, 5151, 5174, 5186, 5205
106.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	5199
107.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	5077, 5183
108.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	5078
109.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	5120, 5155, 5156
110.	यादव, श्री एम. अंजन कुमार	5126, 5161, 5183, 5190

1	2	3
111.	यादव, श्री गिरिधारी	5077
112.	यादव, श्री मित्रसेन	5196
113.	यादव, श्री राम कृपाल	5108, 5202
114.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	5093, 5148

दिनांक 14.05.07 की अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे.एम.	5289
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	5278, 5292, 5293
3.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	5263
4.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	5225
5.	भगोरा, श्री महावीर	5213, 5266, 5277, 5299, 5306
6.	भक्त, श्री मनोरंजन	5261, 5311
7.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	5028
8.	बोस, श्री सुब्रत	5209, 5280
9.	चन्द्रशेखर, श्री	5234
10.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	5271, 5300
11.	चौरे, श्री बापू हरी	5229
12.	चौधरी, श्री अधीर	5238
13.	देवरा, श्री मिलिन्द	5206, 5269, 5296
14.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	5279
15.	गंगवार, श्री संतोष	5258
16.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	5229
17.	झा, श्री रघुनाथ	5255, 5294
18.	जिन्दल, श्री नवीन	5217, 5273
19.	जोशी, श्री प्रहलाद	5259
20.	कनोडीया, श्री महेश	5236
21.	करूणाकरन, श्री पी.	5243
22.	खैरे, श्री चंद्रकांत	5262
23.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	5227, 5287
24.	खारवेनथन, श्री एस.के.	5212, 5274, 5298
25.	विजय कृष्ण, श्री	5252
26.	कुरूप, एडवोकेट सुरेश	5239
27.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	5207
28.	महतो, श्री नरहरि	5246
29.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	5307
30.	महताब, श्री भर्तृहरि	5237, 5256
31.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	5238
32.	मनोज, डा. के.एस.	5223
33.	मेघवाल, श्री कैलाश	5262
34.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	5226
35.	मिश्रा, डा. राजेश	5235, 5289
36.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	5236
37.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	5227, 5231, 5288
38.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	5230
39.	मो. ताहिर, श्री	5260
40.	मंडल, श्री अबु अयीश	5270, 5297
41.	मुर्मू, श्री हेमलाल	5250
42.	नायक, श्री अनंत	5245, 5284, 5305
43.	ओराम, श्री जुएल	5256
44.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	5304, 5308
45.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	5211, 5291
46.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	5210, 5216, 5258
47.	पटेल, श्री हरिलाल माधवजी भाई	5236
48.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	5228, 5281
49.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	5242, 5263, 5307, 5312
50.	पटैरिया, श्रीमती नीता	5210
51.	पाठक, श्री हरिन	5236

1	2	3
52.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	5257, 5272
53.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	5253, 5260
54.	पिंगले, श्री देविदास	5254, 5260
55.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	5224
56.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	5257
57.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	5275
58.	राजगोपाल, श्री एल.	5232
59.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	5232, 5262, 5309
60.	राव, श्री के.एस.	5264
61.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	5215
62.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	5218, 5222, 5267
63.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	5240, 5310
64.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	5249
65.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	5281
66.	रिजीजू, श्री कीरेन	5258
67.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	5214, 5265
68.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	5276

1	2	3
69.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	5278, 5292, 5293
70.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	5221, 5253, 5254, 5290
71.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	5233, 5285
72.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	5228
73.	सिंह, श्री गणेश	5251
74.	सिंह, श्री सुग्रीव	5242, 5282, 5302, 5307, 5312
75.	सुब्बा, श्री एम.के.	5220
76.	सुगावनम, श्री ई.जी.	5219, 5268, 5295
77.	थामस, श्री पी.सी.	5244, 5283
78.	तुम्मर, श्री वी.के.	5275, 5301
79.	त्रिपाठी, श्री चन्द्रमणि	5210, 5216, 5257
80.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	5247, 5286, 5303
81.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	5248
82.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	5289
83.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	5278, 5292, 5293
84.	यादव, श्री गिरिधारी	5241
85.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	5260

अनुबंध-II

दिनांक 11.05.2007 की अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

कंपनी कार्य	
पृथ्वी विज्ञान	
वित्त	522, 525, 528, 531, 532, 533, 535, 538, 540
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	523, 529
विधि और न्याय	526
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	530
विद्युत	539, 541
ग्रामीण विकास	524, 537
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	527, 534, 536
शहरी विकास	

अनुबंध-II

दिनांक 14.05.2007 की अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

कृषि	542, 545, 550, 554, 556, 557, 561
रसायन और उर्वरक	548
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	544, 546, 549, 551, 552, 555
पर्यावरण और वन	559
श्रम और रोजगार	560
इस्पात	553
जल संसाधन	543, 547, 558

दिनांक 11.05.2007 की अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

कंपनी कार्य	5113, 5131
पृथ्वी विज्ञान	5071, 5125, 5146
वित्त	5050, 5052, 5056, 5057, 5061, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5069, 5072, 5074, 5075, 5078, 5079, 5086, 5091, 5093, 5099, 5100,

	5104, 5105, 5106, 5108, 5109, 5110, 5111, 5116, 5119, 5122, 5127, 5128, 5135, 5140, 5143, 5148, 5150, 5151, 5154, 5156, 5157, 5160, 5161, 5162, 5163, 5167, 5169, 5172, 5180, 5182, 5187, 5188, 5189, 5191, 5194, 5195, 5197, 5198, 5200, 5201, 5203, 5204, 5205
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	5054, 5058, 5082, 5101, 5102, 5107, 5126, 5174, 5184
विधि और न्याय	5080, 5081, 5095, 5114, 5137, 5170, 5181, 5192
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	5062, 5147
विद्युत	5055, 5059, 5077, 5083, 5084, 5085, 5088, 5097, 5117, 5130, 5132, 5134, 5139, 5142, 5144, 5155, 5166, 5171, 5177, 5183
ग्रामीण विकास	5048, 5053, 5089, 5090, 5094, 5112, 5115, 5124, 5152, 5158, 5164, 5168, 5173, 5175, 5178, 5179, 5185
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	5049, 5060, 5068, 5070, 5092, 5098, 5103, 5133, 5149, 5165, 5176, 5186, 5199
शहरी विकास	5051, 5073, 5076, 5087, 5096, 5118, 5120, 5121, 5123, 5129, 5136, 5138, 5141, 5145, 5153, 5159, 5190, 5193, 5196, 5202

दिनांक 14.05.07 की अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

कृषि	5208, 5211, 5212, 5217, 5230, 5232, 5233, 5235, 5244, 5245, 5247, 5218, 5250, 5252, 5253, 5254, 5256, 5257, 5259, 5262, 5266, 5267, 5268, 5270, 5271, 5272, 5273, 5274, 5275, 5277, 5281, 5282, 5284, 5285, 5288, 5293, 5301, 5303, 5304, 5307, 5308, 5309, 5311
रसायन और उर्वरक	5210, 5213, 5216, 5243, 5249, 5258, 5261, 5292, 5299, 5302, 5306, 5312

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	5219, 5222, 5225, 5231, 5238, 5240, 5255, 5260, 5276, 5279, 5283, 5298, 5310
पर्यावरण और वन	5206, 5207, 5214, 5215, 5220, 5224, 5227, 5229, 5234, 5237, 5239, 5242, 5246, 5269, 5286, 5287, 5291, 5294, 5305
श्रम और रोजगार	5221, 5223, 5226, 5228, 5251, 5263 5264, 5265, 5289, 5290, 5295, 5296, 5297
इस्पात	5209, 5300
जल संसाधन	5236, 5241, 5248, 5278, 5280